पंचदश माला, खंड 29, अंक 8

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2012
13 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 21 Sept 2011

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

हंसराज
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 **लोक सभा सचिवालय**

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 8, मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2012/13 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय — कॉलम

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 144 1-46

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 145 से 160 46-137

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 137-1510

सभा पटल पर रखे गए पत्र 1510-1522

याचिका समिति

22वां से 23वां प्रतिवेदन 1522

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

28वां प्रतिवेदन 1523

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

103वें से 106वां प्रतिवेदन 1523

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

181वें से 187वां प्रतिवेदन 1524

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री बेनी प्रसाद वर्मा 1525

कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 1526

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 1527

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे के रत्नागिरी और मडगांव खंडों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री निलेश नारायण राणे 1542

(दो) केरल के थ्रिसूर जिले में चालाकुडी के निकट कोरेट्टी लेप्रोसी हॉस्पिटल में थ्रिसूर जिले के लिए स्वीकृत सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल को आरंभ किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 1543

(तीन) बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को न्यूनतम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक स्तर का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 1544

(चार) किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह 1545

(पांच) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दिल्ली में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता

श्री जयवंत गंगाराम आवले 1545

(छह) तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी पुली थेवन की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 1546

(सात) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को समय पर जारी किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 1547

(आठ) हरियाणा के भिवानी जिले में बापोरा गांव में शीघ्र भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी 1547

विषय कॉलम

(नौ) झारखंड में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 1548

(दस) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी 1549

(ग्यारह) राजस्थान में झालावाड़ होते हुए रामगंजमंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 1549

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाबा भूतेश्वर, खेरेश्वर, अश्वत्थामा मंदिरों और गंगा घाट को पर्यटन की संभावना वाले स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 1550

(तेरह) देश में बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष करने के लिए उनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 1551

(चौदह) कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी का जल तत्काल छोड़े जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.के.एस. विजयन 1551

(पंद्रह) केरल के थ्रिसूर जिले में वाडाक्कुनचेरी तालुक के एरमपेट्टी ग्राम पंचायत में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू 1552

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश को कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस की आपूर्ति बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री नामा नागेश्वर राव 1553

(सत्रह) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी 1553

(अट्ठारह) राजस्थान के दौसा में आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 1554

विषय | कॉलम

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा कराने के बारे में 1555

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

क्रम संख्या 28 में शामिल नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव के साथ क्रम संख्या 29 और 30 में शामिल उपांतरण हेतु प्रस्तावों पर चर्चा करने के संबंध में आपत्ति 1561

(एक) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय को वापस लेने हेतु सिफारिश के संबंध में प्रस्ताव

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना के उपाबंध 'क' और उपाबंध 'ख' में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव

और

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना के उपाबंध 'ख' में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव

श्रीमती सुषमा स्वराज 1564

प्रो. सौगत राय 1596

श्री हसन खान 1609

श्री कपिल सिब्बल 1609

श्री मुलायम सिंह यादव 1636

श्री दारा सिंह चौहान 1643

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन 1648

श्री बसुदेव आचार्य 1651

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1671-1672

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1671-1694

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1695-1696

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1695-1698

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2012/13 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 141, श्री महेन्द्र कुमार राय।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

141. **+श्री महेन्द्र कुमार राय :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस-कार्मिकों की संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को मुंबई में आतंकवादी हमले जैसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उग्रवादियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का मुकाबला करने के लिए पुलिस कार्मिकों को नवीनतम हथियार प्रदान किए गए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी राशि उनके द्वारा उपयोग में लाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2011 को पुलिस बलों की स्वीकृत संख्या 2,064,370 है और 5,02,420 रिक्तियों के साथ वास्तविक संख्या 1,563,301 है। भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण पुलिस बलों में रिक्तियों को भरने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न मंचों में राज्य पुलिस बलों की मौजूदा रिक्तियों को भरने का सुझाव दिया गया है ताकि कानून एवं व्यवस्था की समस्या से निपटा जा सके।

(ग) राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें अपने पुलिस प्राशिक्षण संस्थानों में अपने पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। राज्य पुलिस कार्मिकों के लाभार्थ बीपीआरएंडडी, सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय पुलिस संस्थानों और केन्द्रीय पुलिस संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ स्कीम) के तहत राज्य सरकारों को, अन्य बातों के साथ-साथ, अधुनातन हथियारों की खरीद हेतु निधियां प्रदान की गई हैं। गृह मंत्रालय भी राज्य पुलिस बलों के लिए आयातित हथियारों की खरीद, केन्दीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए चल रहे खरीद कार्य के साथ करता है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बलों/संघ राज्यों के लिए वर्ष 2009, 2010 और 2011 के लिए खरीदे गए/खरीदे जा रहे आयातित हथियारों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा एम पी एफ योजना के तहत इन्सास, 9 एम एम पिस्टल, एस एल आर 7.62 एम एम, 12 बोर पम्प एक्शन गन इत्यादि जैसी आयुध मदों की राज्य सरकारों को आपूर्ति करने के लिए आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड

को निधियां जारी की गई हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान एम पी एफ योजना के तहत राज्य पुलिस बलों को आयुध मदों की आपूर्ति हेतु आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड को जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

मंत्रालय द्वारा पुलिस बलों के लिए खरीदे गए आयातित हथियारों का ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	हथियार का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन/वितरण
1.	2009	एमपी-5ए3	दिल्ली पुलिस	95
			गोवा	10
			हिमाचल प्रदेश	23
2.	2009	ग्लॉक 17 पिस्टल	दिल्ली पुलिस	385
			गोवा	350
			हिमाचल प्रदेश	557
3.	2010	एके-47 राइफल	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20248
4.	2011	ग्लॉक 17 पिस्टल	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	16,734
		ग्लॉक-19	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7760
		ग्लॉक-26	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3641
		एसआईजी-556 असाल्ट राइफल	गुजरात	2220
		एस.आई.जी पिस्तौल	झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश	680
		यू.बी.जी.एल	गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान	341
	2011	एस.आई.जी 551 राइफल	हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	405
		एस.आई.जी. 553 राइफल	महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश	180

अनुबंध-I

गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्य पुलिस को हथियारों की आपूर्ति हेतु आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड, कोलकाता को जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	वर्ष	आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड को जारी निधियां
1.	2009-10	69.58
2.	2010-11	57.80
3.	2011-12	46.30

श्री महेन्द्र कुमार राय : महोदया, मुझे यह बताते हुए बहुत खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के महत्वपूर्ण भाग को नजरअंदाज करने की कोशिश की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 'क्या देश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पुलिस कार्मिकों की संख्या पर्याप्त है।' मैं अपने प्रश्न का विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, राज्य पुलिस बल समूचे देश में किसी भी तरह के अपराध से लड़ने की स्थिति में है। यह पर्याप्त रूप से सुसज्जित है।

श्री महेन्द्र कुमार राय : महोदया, उत्तर सही नहीं है। हमारे पास कुछ आकंड़े हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि एक वीआईपी की सुरक्षा के लिए औसतन तीन पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं, जबकि 761 आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए केवल एक पुलिसकर्मी तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि जब पुलिस विभाग में 5,02,420 रिक्तियां हैं, तो वर्ष 2010 में 35 राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों ने 16,7888 वीआईपीज, जिसमें मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य नौकरशाह और न्यायाधीश शामिल थे, के लिए 50,059 पुलिस कर्मी तैनात किए थे।

महोदया, यूपीए-दो सरकार का साधारण करदाताओं के जीवन के प्रति यही रवैया है। सरकार के लिए इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री महेन्द्र कुमार राय : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिसकर्मियों की भर्ती में पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं की जा रही है। मैं सरकार से पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों के अनुपात के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। पुलिस बलों को मजबूत करना और उनकी भर्ती करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस तरह हम समय-समय पर राज्य सरकारों को रिक्तियों को भरने के लिए परामर्श दे रहें है और अनेक राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा दिए जा रहे परामर्शो को मान भी रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, भर्ती न होने के कारण पुलिस - नागरिक अनुपात वर्ष-दर-वर्ष कम हो रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को आबंटित निधि का उपयोग नहीं किया गया है- हालांकि कई राज्यों के पास केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी गई निधियों के उपयोग से संबंधित आंकड़े हैं- पूरे देश में पुलिस की पांच लाख रिक्तियों के कारण समूचे देश में अपराध की घटनाओं में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है।

पुलिस कर्मियों की कमी है, रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक है और प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि निधि दिए जाने पर भी पुलिस बल के आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में केन्द्र सरकार के पास पुलिस बल के इन सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए कोई तंत्र है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने यह आंकड़े दिए हैं कि विभिन्न राज्यों में पुलिस बल में पांच लाख रिक्तियां हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है हम राज्य सरकारों को विभिन्न राज्यों में रिक्तियां भरने का परामर्श देकर सच्चा प्रयास कर रहें हैं। बल्कि अनेक राज्य सरकारें वायदो को पूरा करने के केन्द्र सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं।

प्रति एक लाख जनसंख्या पर 173 पुलिस कर्मी का स्वीकृत अनुपात है जबकि वर्तमान में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 131 पुलिस कर्मी का अनुपात है। राज्यों को इस अंतर को भरना है। बल्कि अनेक राज्य सरकारें इन रिक्तियों को भरने के प्रति बहुत गंभीर है।

श्री एस.एस. रामासुब्बू : अध्यक्ष महोदया, प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल है। बड़ी-बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए लगभग सभी राज्यों में पुलिस बल अनिवार्य है। परंतु दूसरी ओर जब कभी राज्यों में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसा हाल ही में असम में हुआ, तो स्थिति को नियन्त्रित करना मुश्किल हो जाता है। उस विशेष समय में राज्य सरकारों के लिए इस प्रकार की समस्याओं से निपटना असंभव हो जाता है क्योंकि राज्यों में पुलिस बलों की संख्या बहुत कम है। सभी राज्यों में एक साथ पांच लाख पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपातकालीन स्थिति में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता के लिए पुलिस बल भेज रही है। इस प्रकार की परिस्थितियों में इन पुलिस बलों को भेजने के लिए केन्द्र सरकार किस प्रक्रिया का अनुपालन कर रही है?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, मैंने प्रारंभ में ही यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि 'पुलिस' एक राज्य का विषय है और जब कभी आपातकाल उत्पन्न होता है तो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की इस कमी को पूरा करने का प्रयास करती है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चय ही केन्द्र सरकार संबंधित राज्यों में हमारे केन्द्रीय बलों को तैनात करने में सक्षम होगी।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में विशेषकर अतंर्राष्ट्रीय नदी सीमा पर अपर्याप्त पुलिस बल है। केवल पांच पुलिस कर्मी है जिनमें से एक उप-निरीक्षक और चार पुलिस हवलदार है। तीन जिलों को एक साथ मिलाकर पांच पुलिस कर्मियों को नियोजित किया गया है। चूंकि लोगों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता है, मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने, विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय नदियों की सुरक्षा के लिए, गृह मंत्रालय के पास किसी तरह का प्रस्ताव है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, देश के सीमा क्षेत्र विशेषकर भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है। वास्तव में, सीमा सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रही है कि बांग्लादेश से घुसपैठ पर काफी हद तक काबू पाया जाए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री ने जो लिस्ट दिया है कि इन्होंने कौन-कौन प्रदेशों को क्या-क्या मदद की हैं। उत्त्सार प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ की है जो दुनिया की आबादी का छठवां भाग है। लेकिन आप ने उत्तर प्रदेश को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस फोर्स को कोई मदद नहीं दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने उत्तर प्रदेश को क्यो छोड़ दिया? आपने दूसरे प्रदेशों की मदद की, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं की?

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, मैं नहीं सोचता कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न तर्कसंगत है क्योंकि हम राज्यों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। इस मानदंड का निर्णय बीपीआर एंड डी द्वारा किया जा रहा है और इस मानदंड के अनुसार, इस संबंधित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्यों के बीच में बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रसिद्ध प्रकाश केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में सभी प्रदेश सरकारों को निर्देश दिए थे। उनके डायरैक्टिव के पीछे उद्देश्य यह था कि पुलिस के राजनीतिकरण पर अंकुश लगाया जाए। मैं अपने प्रदेश में देखता हूं कि जो लोग बहुत जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर होते हैं, उनका दखल और नज़र थानों पर पड़ी रहती है। पुलिस अफसर जो बहुत बड़े जिम्मेदार पदों पर हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके ट्रांसफर तेज़ गति से होते हैं। मेरे जिले में मेरे एमपी बनने के बाद छ: या सात एसएसपी आ चुके हैं।...*(व्यवधान)* पुलिस रिफार्म्स के लिए केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों को आर्थिक मदद दे रही है। हम क्यों नहीं प्रदेश सरकारों पर यह शर्त लगाएं कि प्रकाश केस में जो डायरैक्टिव दिए गए हैं, पहले उन्हें फॉलो किया जाए और उस आधार पर हमने जो मॉडल पुलिस एक्ट पेश किया है, उसे इनैक्ट करें। उसके बाद हम पैसा देंगे। यह मेरा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदया, प्रकाश सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का केन्द्र सरकार द्वारा पालन किया गया है। वास्तव में, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 142,

श्री बंस गोपाल चौधरी—उपस्थित नहीं।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर—उपस्थित नहीं।

अतिरिक्त खाद्यान्नों की बिक्री

***142. +श्री बंस गोपाल चौधरी :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुक्त बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत 10 मिलियन टन "अतिरिक्त" खाद्यान्न भंडार को थोक उपभोक्ताओं जैसे आटा मिल मालिकों और बिस्कुट बनाने वालों को नीलामी के माध्यम से बेचनक का निर्णय लिया है;

*चूंकि दोनों ही सदस्य उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष ने श्री हरिभाऊ जावले को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे खाद्यान्नों की कीमतें नियंत्रित करने और बढ़ते खाद्यान्न भंडार का निपटान करने में कितनी मदद मिलेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन थोक उपयोगकर्ताओं/व्यापारियों के लिए निविदा प्रक्रिया द्वारा भारतीय खाद्य निगम के जरिये खाद्यान्नों की बिक्री करने की मंजूरी दी है। थोक उपभोक्ताओं/व्यापारियों को निविदा बिक्री करने के लिए सरकार ने जुलाई, 2012 से भारतीय खाद्य निगम को 95 लाख टन गेहूं का आबंटन किया है। खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाकर खुले बाजार में उनकी कीमतों को संतुलित करने और केन्द्रीय पूल में उपलब्ध अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए किया जाता है।

(ङ) चूंकि खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन बेचे जाने वाले गेहूं का स्टाक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन सरकार द्वारा किए गए सामान्य आबंटनों के अतिरिक्त होता है इसलिए इस स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री करने से केन्द्रीय पूल का अतिरिक्त स्टाक घटकर वास्तविक बिक्री की सीमा तक आ जाएगा। खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाकर खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन गेहूं की बिक्री करने से खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों को एक सीमा तक संतुलित रखने की संभावना रहती है अन्यथा स्टाक उपलब्ध न कराने पर मूल्यों में सीमा से अधिक वृद्धि की संभावना बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदया : श्री हरिभाऊ जावले।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ जावले : अध्यक्ष महोदया, सरकार ने खुले बाजार में गेहूं के समर्थन मूल्य के लिए 95 लाख टन का आवंटन किया है। सरकार ने यह अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 50 लाख टन गेहूं गत वर्ष वर्षों में सड़ रहा

था क्योंकि उसे रखने के लिए भंडार क्षमता नहीं थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 95 लाख टन गेहूं जिसका आवंटन सरकार ने किया है, उसमें से कितना गेहूं अच्छी क्वालिटी का है और कितना गेहूं खराब क्वालिटी का है? व्यापारियों ने उसमें से कितना गेहूं किस भाव से उठाया है? दूसरे देश अभी भी हमारे गेहूं की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। अगर हमें एक्सपोर्ट करने पर उचित दाम मिलता है, सरकार को फायदा होता है, तो हमने एक्सपोर्ट क्यों बंद किया है, इसकी क्या वजह है?

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, माननीय सदस्य ने कई मुद्दे उठाए हैं। मैं एक-एक करके उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

एक मुद्दा खाद्यान्नों की बरबादी और उसके सड़ने से संबंधित है। वर्ष 2002-03 में, नष्ट हुए खाद्यान्नों की मात्रा 1.35 लाख टन के लगभग थी, जबकि वर्ष 2012-13 में, नवम्बर 2012 तक, यह आंकड़ा केवल 0.014 लाख टन था। अब, जबकि हम तकरीबन 80 या 81 मिलियन टन खाद्यान्नों का प्रापण कर रहे हैं, हम उस स्तर से नीचे आए हैं। हम लगभग 62 मिलियन टन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण उपायों के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। बर्बादी कम होकर 0.014 लाख टन तक आ पहुंची है। अत:, एफसीआई और भारत सरकार में तमाम उपाय किए हैं ताकि देश में खाद्यान्न सड़े नहीं। यह पहली बात है।

दूसरे, हमारे पास रिकार्ड पैदावार तथा रिकार्ड खरीद हुई है। वर्ष 2001-02 में गेहूं का हमारा उत्पादन 727 लाख टन था तथा हमने लगभग 190 लाख टन का प्रापण किया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य 620 रुपए था। अब, लगभग दस वर्षों के बाद, हमारा उत्पादन बढ़ा है और 2012 में चतुर्थ पूर्वानुमान के अनुसार यह 939.03 लाख टन है। हमारा प्रापण एक रिकार्ड था- 380 लाख टन। इस वर्ष हमने लगभग 82 मिलियन टन गेहूं और धान का प्रापण किया है। गेहूं के प्रापण के दौरान, हमारी एक प्रमुख समस्या थी; लगभग 69 लाख टन गेहूं, जो कि कच्चे में रखा गया था, को थी स्थानांतरित किया गया था और कोई क्षति नहीं हुई है।

भंडारण क्षमता की बात करें तो, लगभग पांच वर्ष पूर्व हमने लगभग 55 से लेकर 60 लाख टन की भंडारण क्षमता से आरंभ किया था जो कि अब बहुत अधिक हो चुका है और हम एफसीआई के पास आने वाले लगभग सारे खाद्यान्नों के भंडारण में सफल हुए। अब, स्थिति यह है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, जब बहुत से राज्यों द्वारा बोनस की घोषणा की जा रही है, जिससे व्यापारी बाजार में नहीं आ रहे हैं। परिणामस्वरूप, हमने देश में किए गए उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत उत्पादन किया। आमतौर पर, यह 27 और 30 प्रतिशत के बीच में होता है।

अब, ओ.एम.एस.एस थोक स्कीम दरों पर आते हैं, महोदया, एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके द्वारा पंजाब तथा हरियाणा जैसे उत्पादक राज्यों में, यह एम.एस.पी जमा राज्य कर है। केरल, तमिलनाडु जैसे उपभोक्ता राज्यों में, अर्थात् दक्षिणी राज्यों के लिए, यह एम.एस.पी जमा जिस राज्य में से इसका प्रापण किया जा रहा है उस राज्य का कर जमा मालभाड़ा शुल्क है। यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं।

अब, हम मांग पर थोक उपभोक्ताओं को गेहूं विशेष तौर पर जारी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल पहले लगभग 30 लाख टन गेहूं जारी करने पर सहमत हुआ है। इसे पहले ही जारी किया जा चुका है। अब, हम 65 लाख टन थोक उपभोक्ताओं को और 10 लाख टन गेहूं और धान राज्यों में खुदरा स्कीम के माध्यम से जारी करने जा रहे हैं।

महोदया, हम गेहूं का निर्यात भी कर रहे हैं। ओ.जी.एल के अंतर्गत एक निजी निर्यात है जोकि देश में हो रहा है। लगभग 73 लाख टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया जा चुका है। 27 लाख टन के आसपास गेहूं का निर्यात किया गया है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सैंट्रल पूल से हमने दो मिलियन टन की अनुमति दी है, जो कि पहले ही बाहर जा रही है और हमें एक रिकार्ड मूल्य प्राप्त हो रहा है। हमने लगभग 240 रुपए से लेकर 245 रुपए तक के साथ आरंभ किया था, जोकि 345 रुपए तक जा पहुंचा है।

शेख सैदुल हक : महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार ने खुला बाजार बिक्री स्कीम के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया, और इसका उद्देश्य खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना और इसे कम करना है। परंतु वस्तुस्थिति क्या है? क्या यह खुले बाजार में कीमतों को कम करने तथा नियंत्रित करने में सफल हुई है? ऐसा नहीं है।

खाद्यान्नों की कीमत बढ़कर और ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। इसीलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न है कि क्या सरकार सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ करने की योजना बना रही है ताकि खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित एवं कम किया जा सके। मेरा प्रश्न वह है।

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के अपने उत्तर में कहा कि हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है। वर्ष 2001-02 में, गेहूं का एम.एस.पी 620 रुपए था। अब, यह 1285 रुपए तक जा चुका है। इसी प्रकार, धान के बारे में वर्ष 2002-2003 में, यह 560 रुपए और 580 रुपए था। अब, यह 1110 रुपए और 1210 रुपए है। बोनस की भी घोषणा की जा रही है। इसलिए, जब एम.एस.पी बढ़ जाता है, जब बोनस की घोषणा हो जाती है, स्वाभाविक रूप से बाजार भाव भी बढ़ेगा। यह एक घटक है जोकि एम.एस.पी में अन्तर्निष्ठ है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : गेहूं की जो कीमत दी जा रही है, वह उसकी लागत की तुलना में कुछ भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। जब एम.एस.पी बढ़ता है, मेरा कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बोलने का मौका देंगे। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : दूसरे, चावल के मूल्य पर आते हैं, यदि आप दिल्ली में देखें तो मूल्य तकरीबन स्थिर रहा है। गेहूं के मामले में, मूल्य में वृद्धि हुई है।

इसीलिए हम 75 लाख टन गेहूं और चावल बाजार में जारी कर रहे हैं; और उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर 99000 करोड़ रुपए की राज सहायता के अलावा लगभग 4000 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। इन कारणों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

डॉ. रतन सिंह अजनाला : मैडम, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कनक की एमएसपी एनाउंस क्यों नहीं की है, उसे कब एनाउंस करेंगे, क्या जब कनक घर जाएगी? स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, यह मंत्रिमंडल के समक्ष है; मंत्रिमंडल का निर्णय हमें प्राप्त होने के तुरंत बाद मूल्यों की घोषणा कर जाएगी। भंडारण के संबंध में, लगभग 181 लाख टन की भंडार क्षमता के सृजन की एक योजना की घोषणा की गई है। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, इसमें कई प्रश्न हैं, लेकिन बुनियादी प्रश्न यह है कि जब सरकार के द्वारा खरीदा जाता है और भंडारण किया जाता है, उसकी केन्द्रित व्यवस्था है। एफसीआई के द्वारा केन्द्रित व्यवस्था में भंडारण करने से अनाज सड़ता भी है, नुकसान भी होता है, यातायात-परिवहन का खर्च भी बढ़ता है, फिर वहां से भेजने में भी खर्च बढ़ता है। अटल जी की सरकार के समय कृषि मंत्रालय से एक योजना बनी थी और उसको लागू किया गया था - ग्रामीण गल्ला गोदाम। एनसीडीसी के द्वारा पैक्सों में गोदाम बना दिया जाना जिससे हर गांव के पैक्स में भंडारण किया जाए और जो भी किसान गोदाम बनाना चाहें, उनको 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाए, जिससे विकेंद्रित छः लाख गांवों में अगर 1000-1000 टन के गोदाम बना देते हैं, तो उसमें परिवहन का खर्च बचेगा, एफसीआई में जो छीजन और होती है। वह कम होगी और किसान को वहां बेचने में भी सुविधा होगी। उसमें प्रावधान था कि उसमें जो किसान अपना अनाज रखेंगे, उनके अनाज की रसीद पर बैंक से उनको 60 प्रतिशत लोन दे दिया जाए। जो ऐसी व्यवस्था चल रही थी, उस

व्यवस्था को मंद कर दिया गया, धीमा कर दिया गया और केन्द्रित व्यवस्था एफसीआई के हाथ में दे दी गयी। केन्द्रित व्यवस्था में जब सड़ेगा, तो भ्रष्टाचार होगा, अच्छे माल को भ्रष्टाचारी काले बाजार में बेचकर सड़े हुए माल को दिखा देगा, चूहा खा जाएगा, खाएगा दो टांग वाला चूहा और लिख दिया जाएगा कि चार टांग वाला चूहा खा गया। जो ये सारी चीजें हैं, इनको रोकने के लिए विकंद्रित व्यवस्था में क्या करना है? अभी किसानों के अनाज की कीमत की बात कह रहे थे, औद्योगिक घराने वाले माल पैदा करें, तो कीमत स्वयं तय करें और हम माल पैदा करें, तो कीमत सरकार तय करे। नीति यह होनी चाहिए कि कारखाने का माल और खेती का माल, दोनों की कीमत सरकार तय करे और दोनों में संतुलन बनाकर रखे, नहीं तो हम अपना माल बेचें सस्ता और अपने घर के लिए उद्योग का माल तीन गुने भाव पर खरीदें। इस तरह की हमको दोहरी चक्की में पीसा जा रहा है, उससे हमको मुक्ति दिलाने के लिए क्या नीति अपनाई जा रही है?

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि नुकसान 2.5 प्रतिशत से 0.06 प्रतिशत तक आ गया है। अत: हमने नुकसान को रोकने की दिशा में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण भंडारण योजना स्कीम और छोटे वेयरहाउसिज की बात करें तो अभी भी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें भारत सरकार लागू कर सकती है। निधियां उपलब्ध हैं। माननीय कृषि मंत्री और मैं स्वयं उन योजनाओं का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को लगातार लिख रहे हैं ताकि छोटे गोदाम गांवों में आयें। ये योजनायें अभी भी मौजूद हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी.के.एस. इलँगोवन : महोदया, सरकार ने निविदा प्रक्रिया से खाद्यान्नों को थोक प्रयोक्ताओं एवं व्यापारियों को बेचा है। सरकार द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न को थोक प्रयोक्ताओं को बेचा जाना तो समझ में आता है जबकि व्यापारियों को खाद्यान्न बेचे जाने से सरकार व्यापारी और उत्पादक के बीच बिचौलिये की भूमिका में आ जाती है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार व्यापारियों को खाद्यान्न की बिक्री बन्द करेगी क्योंकि सरकार इसे कम मूल्य पर खरीदती है और व्यापारी इसे केवल बाजार मूल्य पर बेचेगा। व्यापारी भी इसलिये इसका मूल्य कम नहीं करेगा कि इसने चावल कम मूल्य पर खरीदा है।

इसके अतिरिक्त विशेषकर खाद्यान्नों की महंगाई से संबंधित मुद्दे हैं। इन खाद्यान्नों को उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को बिक्री करने की बजाय क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना लायेगी ताकि इसे पूरे देश में गरीब तबकों एवं मध्यम आय वर्ग के बीच बांटा जा सके?

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, वर्तमान में हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के बारे में विचार कर रहे हैं कि यह सभा में लाया जाए। वह विधेयक स्थायी समिति के सामने है और इसकी जांच की जा रही है। विभिन्न हितधारी संगठनों के साथ बातचीत चल रही है।

अब सरकार की बात करें तो एफसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस पर खाद्यान्न खरीदती है, एफसीआई के पास खरीदने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है क्योंकि किसान खाद्यान्न के साथ आ रहे होते हैं। यह सच है कि व्यापारी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार खरीदे एवं उन्हें राजसहायता प्राप्त दर पर दे। लेकिन दो या तीन समस्याएं हैं। जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है, कि आटा एवं गेहूं का मूल्य बढ़ रहा है क्योंकि निजी व्यापारी इसे बाजार में नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी है कि हमारे यहां जो उत्पादन हो रहा है वह पीडीएस और कल्याण योजनाओं की आवश्यकता से अधिक है, और यह 62 मिलियन टन है। हमने 82 मिलियन टन खरीदा है। हमें इसकी व्यवस्था करनी है। अत: इन मामलों पर ध्यान देते हुए, हमने व्यापारियों एवं मिलवालों को थोक में बांटने की एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हम मूल्य, उत्पादक राज्य के राज्य करों एवं परिवहन प्रभार प्राप्त कर रहे हैं। अब हम यही कर रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू : क्या आप व्यापारियों को सुविधा देना बंद करेंगे? यही प्रश्न है।

प्रो. के.वी. थॉमस : मैं यह समझता था। लेकिन मैं देश की समग्र स्थिति के बारे में बता रहा हूं। यदि मैं कुछ खाद्यान्न मिल-मालिकों एवं व्यापारियों को जारी नहीं करूं तो ये खाद्यान्न एवं आटा उपलब्ध नहीं होंगे। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह कि मेरे पास भारी स्टाक होगा। जब किसान एफसीआई डिपो तक आते हैं तो मैं अपनी खरीद सीमित नहीं कर सकता हूं। प्रत्येक राज्य सरकार हमारे पास यह अनुरोध लेकर आती है कि हम खरीदें। देश में यही स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री महिन्दर सिंह केपी : मैडम, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया है। पंजाब व्हीट प्रोड्यूसिंग और व्हीट कंज्युमिंग स्टेट है। लेकिन पंजाब में जो आटा चक्कियां लगी हुई हैं उन्हें पंजाब की व्हीट 200 रुपए महंगी मिल रही है जबकि हरियाणा, राजस्थान तथा दूसरी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां से किसान को व्हीट सस्ती मिलती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहात हूं कि जो डिसपैरिटी है, जो गेहूं है, वह पंजाब में फ्लॉर मिल वालों को महंगा मिलता है और यदि वे लोग राजस्थान से लेते हैं तो उन्हें सस्ता मिलता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस डिसपैरिटी को हटाने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : प्रमुखतया, जब उत्पादक राज्यों के मिल मालिक और व्यापारी बाजार में आते हैं, जब खाद्यान्न बाजार में पहुंच रहा है, तो होता यह है कि खरीद के समय ये व्यापारी एवं मिल मालिक भाग नहीं ले रहे हैं और इस प्रकार एफसीआई को भारी मात्रा में खरीद करनी होती है। अत: हमने नीति निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य के कर सम्मिलित हैं। मुझे पता है कि पंजाब में राज्य कर 14.5 प्रतिशत है। मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्हें इस कर का भुगतान करना है। इसके लिये यही एक कारण है। यदि पंजाब राज्य सरकार अपने राज्य करों को वापस ले या कम करे तो मूल्य नीचे आयेंगे।

राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन

***143. +श्री एस. अलागिरी :**
श्री राधे मोहन सिंह :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहरों/कस्बों को शामिल करने तथा धनराशि प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) 'मलिन बस्ती मुक्त भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उक्त योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में राज्यों से क्या सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या राजीव आवास योजना के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं के लिए अपनी आवास इकाइयों का 35 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है;

(घ) क्या योजना आयोग ने इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आपत्तियां उठाईं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन आपत्तियों का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ''स्लम मुक्त भारत'' का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए 02.06.2011 को राजीव आवास योजना (आरएवाई) शुरू की गई है।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो स्लम का पुनर्विकास करने के लिए स्लम निवासियों को बेहतर आश्रय और बुनियादी सिविक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें संपति अधिकार देने, आर्थिक रूप से कमजोर

वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए भूमि का आरक्षण करने/तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) निर्धारित करने, शहरी गरीबों/स्लम निवासियों को बुनियादी सेवाओं के लिए म्यूनिस्पिल बजट में 25 प्रतिशत उद्दिष्ट करने तथा शहरी गरीबों के लिए भूमि की समस्या का निवारण करने और किफायती आवास की कमियों को पूरा करने के लिए वैधानिक संशोधन करने और नीति में परिवर्तन करने के इच्छुक हैं। बुनियादी नागरिक और सामाजिक अवसंरचना और सुविधाओं तथा स्लमों में स्वस्थाने पुनर्विकास करने के लिए किराए के आवास और पारगमन आवास सहित अवास की व्यवस्था करने के पचास प्रतिशत (50%) लागत का वहन केन्द्र द्वारा किया जाएगा। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र का अंशदान 90% होगा जिसमें यदि आवश्यकता हुई तो भूमि का अधिग्रहण करने की लागत शामिल है।

राजीव आवास योजना का प्रथम चरण जिसकी कार्य अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के लिए अर्थात् जून, 2013 तक है, इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है। यह राजीव आवास योजना का प्रारंथिक तैयारी का चरण है जिसमें प्रारंथिक तैयारी के क्रियाकलापों और प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू किया जाना है।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहरों/कस्बों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं।

प्रायोगिक परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के विस्तृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न-II में दिए गए हैं।

(ख) राजीव आवास योजना इस समय तैयारी के चरण में है। इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(1) राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता स्लम सर्वेक्षण, जीआईएस मैपिंग, जीआईएस-एमआईएस एकीकरण, स्लम मुक्त शहरी कार्य योजना और प्रायोगिक विस्तृत परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार करने के लिए दी जाती है। ऐसे प्रारंभिक तैयारी के क्रियाकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अभी तक 99.98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(2) राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रारंभिक तैयारी के कार्यों को सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: स्लम सर्वेक्षण, जीआईएस मैपिंग, एमआईएस के साथ एमआईएस विकास और जीआईएस, एकीकरण, सामुदायिक सहभागिता, स्लम मुक्त शहरी कार्य योजना तैयार करना और प्रायोगिक विस्तृत परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार करना, स्लम निवासियों को संपत्ति अधिकार अधिनियम, 2011 का आदर्श प्रारूप, सभी सार्वजनिक और निजी आवास परियोजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए 20-25% विकसित भूमि का आरक्षण करने के लिए प्रावधानों का आदर्श प्रारूप।

(3) राजीव आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंशदान को 50% से बढ़ा कर 80% करना तथा

(4) केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्लमों का विकास करने पर नीति बनाना।

(ग) राजीव आवास योजना के दिशा-निर्देश, संकर आर्थिक सहायता प्रणाली सहित प्रत्येक नए सरकारी/निजी आवासीय विकास कार्य में 20-25% आरक्षण करने का आदेश देते हैं। इस सुधार को तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) और रिहायशी एककों के रूप में क्रियान्वित किया गया है जो कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रचलित नगर आयोजना के नियमों और क्षेत्रीय विनियमों पर निर्भर करते हैं। राजीव आवास योजना के दिशा निर्देशों में, सभी भावी आवास परियोजनाओं में निम्न आय समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणियों के लिए आवासीय एफएआर के 15% अथवा रिहायशी आवास का 35% का आरक्षण इसमें से जो भी अधिक हो, (1) भूमि के विकास के अनुमोदन के चरण में और (2) आवास विकास अनुमोदन के चरण में दोनों को मिलाने के लिए संशोधन करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-I

राजीव आवास योजना के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत शहरों/कस्बों को सम्मिलित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव - स्लम मुक्त कार्य योजना आदि तैयार करने के लिए

क्र सं.	राज्य	मूलरूप से अनुमोदित शहर	अतिरिक्त शहर, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटुर, नेल्लौर, कूरनूल, राजमुंदरी, वरांगल, काकीनाडा	रामागुंडम	अनुमोदित
			निजामाबाद, कडप्पा, अनन्तपुर, इलूरु, खम्माम, ओंगोल, नलगोंडा, धर्मावरम, सूर्यापेट, चिराला, संगारेड्डी कंडूकूर, जहिराबाद, जनागांव, येलान्दू, वेंकटगिरी, सिद्दीपेट	शहरों में पहले से ही अनुमोदित प्रारंभिक गतिविधियों की प्रगति की सूचना जानी है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	नहरलगून, इटानगर	–	–
3.	असम	गुवाहाटी		
4.	बिहार	पटना, गया-बोधगया, भागलपुर	–	–
5.	छत्तीसगढ़	भिलाई नगर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा	–	–
6.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम	–	–
7.	गोवा	मोरमुगाव, पणजी, मरगाव	–	–
8.	गुजरात	अहमदाबाद, सूरत, बडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, भारुच पोरबंदर	–	–
9.	हरियाणा	फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर	अंबाला, पंचकूला, करनाल, रोहतक और हिसार	अनुमोदित

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग, ऊधमपुर, बारामूला, कठुआ	कारगिल, लेह	अनुमोदित
12.	झारखंड	जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो स्टील सिटी	देवघर, दुमका, हजारीबाग, मेदनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह	
13.	कर्नाटक	बंगलौर, मैसूर, हुबली-धारवाड़, मंगलौर, बेलगाम, गुलबर्गा, दावनगेरे, बेल्लारी	शिमोगा, तुमकुर	अनुमोदित
14.	केरल	कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कोल्लम, त्रिशूर	कोच्चि शहरी एगलोमिरेशन	कोच्चि शहर पहले से शामिल
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर	जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले 26 अतिरिक्त शहर	
16.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, भिवंडी, अमरावती, कोल्हापुर, सांगली - मिराज, कुपवाड, नांदेड़ वागला मालेगांव, अकोला - जलगांव, अहमदनगर, धुले	चंद्रपुर और लातूर	अनुमोदित
17.	मणिपुर	इम्फाल	—	—
18.	मेघालय	शिलांग	—	—
19.	मिजोरम	आइजोल, चम्पई, कोलशिब, लांगटलाई, लुंगलेई, मामित, साहिया, सरचिप	—	—
20.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर	—	—
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर, पुरी, कटक, राउरकेला, ब्रह्मपुर, संबलपुर	सम्बलपुर	अनुमोदित

1	2	3	4	5
22.	पुदुचेरी	पुदुचेरी ओझीकरी	—	—
23.	पंजाब	लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, भटिंडा	बटाला, जलालाबाद	अनुमोदित
			क़दियन और धारीवाल	राज्य सरकार से टिप्पणी की मांग की
24.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर	भरतपुर और अलवर	अनुमोदित
25.	सिक्किम	गंगटोक	जोरथांग, नामची, रंगपो	अनुमोदित
26.	तमिलनाडु	चेन्नई नगर निगम, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सेलम, तिरुपूर, तिरनेवली, इरोड, वेल्लौर	तूतीकोरिन	अनुमोदित
27.	त्रिपुस	अगरतला	कोहवाई	अगरतला में प्रीपरेटरी गतिविधियों की प्रगति की सूचना दी
28.	उत्तर प्रदेश	कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद बरेली, अलीगढ़, मुरादाबापद, गोरखपुर, झांसी, सहारपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, नोएडा	रामपुर, इटावा, कन्नौज	अनुमोदित
29.	उत्तराखण्ड	देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार	ऋषिकेश, रुड़की, मंगलौर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, डोईवाला, लक्सर, झाबेरा, लैनधुरा, चम्पावत, लोहाघाट, धारचूला, डीडीहाट, चम्पावत, लोहाघाट, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बनबासा, टनकपुर और छावनी क्षेत्रों क्लेमेंट टाउन (देहरादून), रानीखेत	राज्य सरकार की ओर से टिप्पणी की मांग
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी	जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद	अनुमोदित

1	2	3	4	5
31	दमन और दीव	दमन और दीव	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा, अमली	—	—
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	—	—
34.	लक्षद्वीप	अमीनी, कावारत्ती मिनिकॉय	—	—

अनुबंध-II

संशोधन के लिए मूल्यांकनाधीन अथवा राज्य सरकारों को संदर्भित राजीव आवास योजना पायलट परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना कस्बे का नाम	वर्तमान थिति
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश	नगर निगम शिमला, कृष्णा नगर स्लम की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
2.	आन्ध्र प्रदेश	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम, सुर्या तेजा नगर की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
3.		विजयवाड़ा में एनएससी बोस नगर की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
4.	तमिलनाडु	चेन्नई-अथीपटू में स्थानांतरित की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
5.	राजस्थान	अलवर और दौसा की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
6.		कोटा (राजस्थान; में स्वामित्व आवासीय योजना के लिए किरायेदार की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर, छत्तीसगढ़ में नाइट सेल्टर की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
8.	गुजरात	अहमदाबापद की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
9.	ओडिशा	10 स्लम, कटक की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित

1	2	3	4
10.		मनदीप बस्ती सीएस पुर क्लस्टर, भुवनेश्वर की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
11.		पांडा कुडिया एवं पाटिया जली मुद्रा साही, भुवनेश्वर की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
12.	ओडिशा	पथाराबंदा स्लम क्लसटर पुनर्विकास परियोना भुवनेश्वर प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
13.	महाराष्ट्र	आनंद नगर(पी), थाने(ई), महाराष्ट्र में स्लम पुर्स्थापना की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
14.		रबोदी-1, थाने, महाराष्ट्र में स्लम पुर्स्थापना की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
15.	दिल्ली	कंझावला, दिल्ली में 5 बिस्तरों वाले शयनगारों की अंतरण आवास की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
16.		कंझावला, दिल्ली में 10 बिस्तरों वाले श्यनागारों की अंतरण आवास की प्रायोगिक डीपीआर	मूल्यांकन के अधीन
17.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर किराया आवास की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
18.		नाहारालगुन किराया आवा की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
19.	मध्य प्रदेश	भोपाल शहर की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
20.		उज्जैन शहर की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित
21.	त्रिपुरा	खोवाई कस्बा, त्रिपुरा की प्रायोगिक डीपीआर	संशोधित डीपीआर राज्य सरकार से प्रतिक्षित

राजीव आवास योजना की स्वीकृत प्रायोगिक परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	केसवा नगर स्लम जीएचएमसी, स्व:स्थाने पुनर्विकास की प्रायोगिक डीपीआर

1	2	3	4
2.	मध्य प्रदेश	इंदौर	पहचान की गई स्लमों (महादेव नगर, इन्द्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सक नगर-2, निपानिया ग्राम काकड़, अन्ना भाउ साठे चिकित्सक नगर-I और राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर) की प्रायोगिक डीपीआर
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	पहचान की गई स्लमों (1. एमएलबी स्कूल के पीछे शर्मा नं-2, 2. सर्रा पिपर 3. चौधरी मौहल्ला, 4. रविदास नगर की प्रायोगिक डीपीआर
4.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	पहचान की गई स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म नं.-1 शांति नगर वार्ड नं.-21 कैंसर पहाड़ी मेहेलगांव की पहाड़ी) की प्रायोगिक डीपीआर
5.	मध्य प्रदेश	सागर	पहचान की गई स्लमों (किशोर न्यायालय के पास स्लम, खुराई बस स्टेंड के पीछे स्लम और कसाई बस्ती) की प्रायोगिक डीपीआर
6.	केरल	तिरुवनंतपुरम	माथीपुरम कालोनी, विजांजाम, त्रिवनंतपुरम, केरल की प्रायोगिक डीपीआर
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	रंगामटिया क्लस्टर सुधार परियोजना, भुवनेश्वर, ओडिशा की प्रायोगिक डीपीआर
8.	राजस्थान	जयपुर	किरोन की धानी स्लम, जयपुर, राजस्थान की प्रायोगिक डीपीआर
9.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा*	धाल मिल एरिया स्लम, विजयवाड़ा नगर निगम स्व:स्थाने पुनर्विकास की प्रायोगिक डीपीआर
10.	मिजोरम	आईजोल*	जुआंगतुई, आईजोल, मिजोरम की प्रायोगिक डीपीआर
11.	ओडिशा	भुवनेश्वर*	महीसखाला स्लम क्लस्टर सुधार परियोजना, भुवनेश्वर, ओडिशा की प्रायोगिक डीपीआर
12.	छत्तीसगढ़	रायपुर*	लालगंगा स्लम, रायपुर, छत्तीसगढ़ की प्रायोगिक डीपीआर

*हाल ही में अनुमोदित।

श्री एस. अलागिरी : महोदया, राजीव आवास योजना, 'होल सिटी, आल स्लम्स, होल स्लम' दृष्टिकोण की वकालत करती है। इस दृष्टिकोण से शहरी जनसंख्या के कमजोर वर्ग सशक्त होते हैं।

मैं स्लम पुनर्विकास के लिये इस योजना को शुरू करने के लिये संप्रग-दो सरकार को बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से स्लम मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उक्त योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की भागीदारी सुझाव एवं टिप्पणी के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अजय माकन : महोदया, राजीव आवास योजना गत वर्ष जुलाई में शुरू की गई थी। अब तक हमने 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और विभिन्न राज्य सरकारों की 21 परियोजनाओं मंत्रालय के समस्त मूल्यांकन हेतु लम्बित हैं। अब तक हमने 446.22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं स्वीकृत की हैं जिससे 8400 आवासीय ईंकाइयां बनेंगी।

श्री एस. अलागिरी : मैंने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कमजोर तबकों के लिये बढ़ावा दी जा रही कुछ आवास परियोजनाओं का दौरा एवं जांच की थी। ये मकान अत्यंत कमजोर हैं। मैंने पीडब्ल्यूपी अधिकारी से पूछा था कि ये मकान इतने कमजोर क्यों हैं। अधिकारी ने कहा था कि : 'नहीं, महोदय, ये मजबूत हैं। ये मकान 30 वर्ष तक रहेंगें।

मैंने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से पूछा कि आपका मकान, पीडब्ल्यूडी मंत्री का मकान, संसद सदस्य, और विधान सभा सदस्यों के मकान 100 वर्ष से अधिक रहते हैं लेकिन कमजोर तबकों के लोगों के मकान केवल 30 वर्ष तक रहेंगें। लेकिन, उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अजय माकन : माननीय मंत्री ने अत्यंत संगत प्रश्न पूछा है और अत्यंत अच्छा सुझाव दिया हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सभा को और सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसे भी एंड ए जी की रिपोर्ट में लिया गया है। अब, हम भविष्य में ऐसी सभी परियोजनाओं में गंभीरता से तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराने पर विचार कर रहे हैं। राजीव आवास योजना चरण-दो अभी तैयार की जा रही है और यह राजीव आवास योजना चरण-दो का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होगा।

दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रचालन एवं अनुरक्षण जो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम निर्धन लोगों के लिये समूह आवास बनाते हैं, इसके बारे में तो हमने यह विनिश्चय किया है कि दूसरे चरण में प्रचालन एवं अनुरक्षण की समूची लागत का दो प्रतिशत हिस्सा केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा तथा दो प्रतिशत भाग के लिये हम राज्य सरकारों से योगदान करने के लिये कहेंगे। अत:, हम प्रचालन एवं अनुरक्षण के पहलू के दृष्टिगत ही कुल परियोजना लागत के चार प्रतिशत भाग को संचित निधि में रखना चाहते हैं।

तीसरी बात यह है कि हमने एक व्यवस्था बनाई है जो बहुत ही जल्द आरंभ होने वाली है। हमने इसे समेकित निर्धनता अनुवीक्षण प्रणाली (आईपीएमएस) की संज्ञा दी है। इसके माध्यम से हम राजीव आवास योजना में निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी भी करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राधे मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी आवास योजना एक ऐसी योजना है तो सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि इस योजना पर जितना भी सरकार पैसा खर्च करे वह कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मनरेगा जैसी योजनाओं का लक्ष्य गरीबों के उत्थान के लिए है। मनरेगा में तमाम तरह की अनियामितता आ रही है, यह बेहतर होगा कि उन्हें भी दूर किया जाए और उन योजनाओं के पैसे की कटौती करके राजीव गांधी आवास योजना पर खर्च हो तो निश्चित रूप से भारत के गरीबों को फायदा होगा।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस हिसाब से गरीबी भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। मंत्री जी ने उत्तर में दिया है, इसमें शहरों को तो लिया है लेकिन छोटे शहर होने से गरीबों की जरूरत कम नहीं हो पा रही है। जैसे गाज़ीपुर, बलिया, चंदौली और जौनपुर ऐसे जिले हैं जहां इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है जबकि ये पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विशेषकर छोटे शहर हैं जहां ज्यादा गरीबी है, जहां ज्यादा जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े शहरों और छोटे शहरों को सम्मिलित करके कब योजना बनाएंगे?

श्री अजय माकन : माननीय अध्यक्ष महोदया, मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम लोगा राजीव आवास योजना का फेस-2 के कन्सेप्चुलाइजेशन में पूरे देश के हर शहर को सम्मिलित कर रहे हैं। फेस-1 में .3 मिलियन यानी तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ही सिर्फ लिए गए थे लेकिन फेस-2 के लिए इसे परिवर्तित कर रहे हैं। पूरे देश के सारे शहर इसके लिए उपयुक्त होंगे कि इसके तहत पैसे लिए जा सकते हैं। फेस-2 में जितने शहर हैं, उन्हें सम्मिलित किया जा सके, इसकी व्यवस्था की है। इसके लिए हमने पूरी स्कीम को दो हिस्सों में बांटा है ताकि शहर में लगभग जो आबादी शहर में है, उसके प्रपोशन के हिसाब से

पूरे शहरों को फायदा मिल जाए। आधा पैसा उससे कम आबादी वाले शहरों के लिए रखा जाएगा। राज्य इसे निर्धारित कर सकेंगे कि किस शहर को कितना पैसा किस तरीके से दिया जाए। हमने प्रोजेक्ट वाइज़ पैसा एलोकेट जेएनएनयूआरएम फेस-1 में किया गया था, अब हम उसमें थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। हम राज्य को पैसा 100 प्रतिशत दे रहे हैं। राज्य को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जिसमें उन्हें सिटीज़ स्पेसिफिक प्लान आफ एक्शन बनाना होगा जिसके दो भाग होंगे। एक भाग, जो एग्जिस्टिंग स्लम्स हैं उन्हें कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए और फ्यूचर में स्लम्स न पैदा हो सकें, इसके लिए नीति और पालिसी बनानी होगी। हम चाहते हैं कि हर शहर स्लम इरेडिकेशन प्लान और स्लम रिहेबिलिटेशन प्लान बनाए और उसके तहत हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्रियारिटाइज करके हमसे मांगे। इस वक्त हमारी केलकुलेशन है कि पूरे देश में 18.78 मिलियन अर्बन हाउसिस की शार्टेज है। एक करोड़ 87 लाख हाउसेज की जो शार्टेज है, इसके लिए लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपए की जरूरत सिर्फ इस शार्टेज को पूरा करने के लिए चाहिए। यह सारा का सारा पैसा सरकार की तरफ से नहीं हो सकता, इसलिए हमने यह व्यवस्था की है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इसमें आए और गरीब उसे खरीद सके। इसके लिए उसे क्रेडिट दिया जा सके और साथ-साथ सरकार और लोकल बाडीज इन्हें बनायें, ये तीनों चीजें उसे साथ में करनी है। इसलिए राजीव गांधी आवास योजना फेज-2 में हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि 35 परसैन्ट ड्वैलिंग यूनिट्स या 15 परसैन्ट एफएआर दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो कोई भी ग्रुप हाउसिंग बनेगा, वह इकोनोमिकली वीकर सैक्शन और एलआईजी के लिए बिल्डर को रिजर्व करना पड़ेगा और उसे मार्केट से खरीदने में आसानी हो, इसके लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम केन्द्र सरकार ने लागू की है, जिसमें एक हजार करोड़ रुपए हमने ट्रस्ट के अंदर डाले हैं, जो कि कोलेटरल सिक्युरिटी के मिल जायेगा, जिससे वह मकान खरीद सकेगा। हम लोगों ने यह योजना इस तरीके से रखी है कि इस माध्यम से लगभग साठ हजार करोड़ रुपए मार्केट में बैंक्स के माध्यम से अवेलेबल होगा, ताकि गरीब उसे खरीद सके। इसके साथ ही हम लोगों ने लगभग तीस हजार करोड़ रुपए रखे हैं, जो हम खुद स्टेट गवर्नमैन्ट्स को देंग। इसमें केन्द्र सरकार का शेयर होगा और इतना ही पैसा स्टेट गवर्नमैन्ट्स को लगाना पड़ेगा, हम लोग साठ हजार करोड़ रुपए और दे रहे हैं, जिससे कि शहर खुद अपने ईडब्लूएस और एलआईजी हाउसिंग बना सकें। इन दोनों को मिलाकर प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर से आसान तरीके से लोन, क्रेडिट गरीबों को मिल सके, ये सब मिलाकर एक स्ट्रेटजी बना है, जिससे कि हम इस शार्टेज को दूर कर सकें।

श्री वीरेन्द्र कुमार : मैडम, स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए जो राजीव गांधी आवास योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर और सागर शहरों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख की आबादी वाले जो 26 शहर हैं, क्या उन 26 शहरों को अगले चरण में शामिल किया जाने वाला है और उनमें टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और नौगांव को कौन से चरण में आप प्रारम्भ करने वाले हैं?

श्री अजय माकन : मैंने माननीय सदस्य को बताया कि जो हमारा अगला फेज है, उसमें देश के सारे शहर क्वालिफाई कर पायेंगे। हम लोगों ने अभी जो 12 प्रोजैक्ट्स अप्रूव किये हैं, उन 12 प्रोजैक्ट्स में से 4 प्रोजैक्ट्स मध्य प्रदेश के हैं, जो माननीय सदस्य ने बोले हैं, वे 12 में से हम लोगों ने आलरेडी अप्रूव कर दिये हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हमें कि पूरे भारत को स्लम मुक्त कराने का आपका जो संकल्प और सोच है, खासकर उत्तर प्रदेश के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका भी है। वहां के 72 जिलों में महज 18 जिलों को लिया गया है और 54 जिलों में खासकर पूर्वांचल, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, उसमें लगभग 22 जिले आज भी सबसे पिछड़े जिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए आपने प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मांगा है और यदि प्रस्ताव नहीं आया है तो उसका क्या कारण है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तीन जिले रामपुर, कन्नौज और इटावा आज पूरे प्रदेश में वीआईपी जिले माने जाते हैं। बिजली उन्हें चाहिए और अन्य सुविधाएं भी उन्हें चाहिए, आवास योजना में भी वे ही शामिल किये जायेंगे। क्या आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस आदि जिलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्वांचल के जो छोटे जिले हैं, उन्हें मांगेंगे और मेरा अगला सवाल यह है...

अध्यक्ष महोदया : आप कितने सवाल पूछेंगे?

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय मंत्री जी, राजीव गांधी के नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री दारा सिंह चौहान : उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थीं, आप अगर भारत को स्लम मुक्त कराना चाहते हैं तो लोकप्रिय कांशीराम आवास योजना में तीन लाख रुपये में दो कमरे, लैटरिन और बाथरुम के साथ उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने बनाये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे भारत को स्लम मुक्त कराने के लिए मॉडल कांशीराम लोकप्रिय योजना को लागू करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब बहुत हो गया, वह बैठ गये हैं

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अजय माकन : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि राजीव आवास योजना का जो फेस-2 हम लोग ले रहे हैं उसमें कोई भी शहर उसके अंदर नहीं छूटेगा। हम लोगों ने कहा है कि पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर इसमें ऑटोमैटिकली आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें चाहें तो वे पूरे शहर का स्लम इरैडिकेशन, स्लम रीडैब्लिटेशन प्लान बना कर हमें भेजें। वे उसका पैसा हमसे ले सकते हैं।

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से और जानकारी देना चाहता हूं। मुझे यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में उस स्कीम का क्या नाम दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्ष के अंदर उत्तपर प्रदेश में हम लोगों ने 1 लाख 15 हजार 616 मकान बनाने के लिए राज्य सरकार को पैसे दिए हैं। केन्द्र सरकार ने कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 हजार 678 करोड़ रुपए मंजूर की है। इसके अंदर राज्य सरकारों को पैसा दिया गया है।...*(व्यवधान)* पिछले पांच वर्ष के अंदर केन्द्र सरकार ने यह किया है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अजय माकन : उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख 15 हजार 616 मकान में से, जिसकी हम लोगों ने स्वीकृति दी है, जिसके प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोगों ने अप्रूव की है, उसमें से मात्र 41 हजार 900 मकान ही बना पाए हैं।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मेरे क्षेत्र से ठाणे शहर का प्रस्ताव आपने लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें जो झुग्गी वाला रहेगा, उसको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह मिलेगी? इस स्कीम की कट-ऑफ डेट क्या होगी? क्योंकि हमारे यहां एसआरएस स्कीम चल रही है, वाल्मिकी-अंबेडकर आवास योजना चल रही है। अलग-अलग योजना में अलग जगह है, अलग कट-ऑफ डेट है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इन दो चीजों के बारे में क्या कर रही है?

श्री अजय माकन : माननीय अध्यक्ष महोदया, ईडब्ल्यूएस स्कीम के लिए हम लोगों ने जो कार्पेट एरिया प्रिस्क्राइब किया है, वह 21 स्क्वेयर मीटर से लेकर 27 स्क्वेयर मीटर तक का है। इसको खत्म करने के लिए दो वर्ष का समय सन् 2014 तक का दिया है।

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने पर अवसर दिया है। निःसंदेह यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया है। जो मेरी आशंका थी कि छोटे नगरों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके बारे में भी इन्होंने घोषाणा की है। मैं इस बात के लिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। छोटे नगर, खास तौर से बाराबंकी, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां जमीन भी उपलब्ध है, ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास आवास नहीं है, राजीव गांधी आवास योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

छोटे शहरों में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में नगरों को कोई सर्वे कराया गया है, जिसके आधार पर कोई आकलन हो कि ऐसे कितने बेघर और आवासहीन लोग हैं, जिनको आवास देने की आवश्यकता है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन बेघर लोगों को कितने दिनों में आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना या आकलन है?

श्री अजय माकन : महोदया, मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि प्रो. अमिताभ कुंडु के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें पूरे देश में हाउसिंग शॉर्टेज का आकलन किया गया था। पूरे देश में 18.78 मिलियन हाउसेज की शॉर्टेज आंकी गई, जिसमें से प्वाइंट 53 मिलियन यानि 5 लाख 30 हजार होमलेस हैं। इसके अंदर प्वाइंट 99 मिलियन यानी 9 लाख 90 हजार के करीब ऐसे हैं, जोकि बहुत ही कच्चे घरों, स्लम लाइक कंडीशंस के अंदर रहते हैं। इसके अंदर ज्यादातर वे हैं, जोकि कंजेशन में रहते हैं, 14.99 मिलियन ऐसे हाउसेज हैं, जोकि कंजेशन में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैमिली है और उन्हें छोटे इलाकों में रहना पड़ता है। बाकी 80 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं, जिन्हें ऑब्सिलेंस कहा जाता है, उसकी वजह से हाउसिंग शॉर्टेज है, जो पुराने मकान हैं, उसकी वजह से है। ये पांच कैटेगरीज के अंदर अलग-अलग बनाये गये हैं। हम लोगों ने हाउसिंग शॉर्टेज को टैकल करने की जो योजना बनायी है, उसमें न केवल स्लम्स को वहीं पर रीहैबिलिटेट करने की बल्कि होमलेस लोगों को शेल्टर देने के लिए भी हम लोगों ने एनयूएलएम स्कीम, जो नेशनल अर्बन लाइवलिहुड मिशन है, उसके अंदर हम कर रहे हैं। बेशक यह इस प्रश्न का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नेशनल अर्बन लाइवलिहुड मिशन के अंदर हम होमलेस लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने का प्रावधान भी रख रहे हैं।

श्री महाबल मिश्रा : महोदया, हम लोगों को भी इस पर प्रश्न पूछना था। इस पर बहुत लोगों ने हाथ उठाया था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, आप इस पर चर्चा करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप लोग नोटिस दीजिए, हम चर्चा करा देते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दीजिए, हम इस पर चर्चा करायेंगे।

पिछड़े राज्यों में कृषि का विकास

***144. श्री मोहम्मद असरारुल हक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में कृषि के विकास हेतु विशेष योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी जारी की गई; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी हां। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूर्वी भारतीय मैदानी क्षेत्रों की क्षमता के दोहन के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट, 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक कार्यक्रम 'पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई)' घोषित किया गया। यह कार्यक्रम असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विभिन्न कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में मौजूदा बाधाओं को दूर करके संस्तुत कृषि प्रौद्योगिकी एवं पैकेज पद्धति के संवर्धन के जरिए सघन कृषि द्वारा चावल आधारित फसलन पद्धति की उत्पादकता को बढ़ाना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति को बीजीआरईआई सहित आरकेवीवाई के तहत परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्राधिकार दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरकेवावाई और बीजीआरईआई के तहत बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ समेत राज्यों को आवंटित एवं निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इन कार्यक्रमों और विभाग की अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन से बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

27.11.2012 तक आरकेवीवाई एवं पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई) की उपयोजनाओं के तहत आवंटन एवं निर्मुक्ति

क्र. सं.	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)						पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)					
		2010-11		2011-12		2012-13		2010-11		2011-12		2012-13	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1.	असम	256.87	216.87	227.77	227.77	399.57	233.31	35.00	17.50	33.32	33.32	95.50	47.75
2.	बिहार	380.94	415.10	506.82	506.82	724.01	416.97	63.94	63.94	55.33	55.33	119.25	59.63
3.	छत्तीसगढ़	461.00	503.44	230.57	212.61	581.12	339.03	67.15	67.15	55.21	55.21	131.50	65.75
4.	झारखंड	160.96	96.90	168.56	174.56	241.55	128.33	29.60	14.80	31.68	31.68	59.00	29.50
5.	ओडिशा	274.40	274.40	356.96	356.96	503.10	364.55	79.67	79.67	62.62	62.62	217.25	217.25
6.	उत्तर प्रदेश	635.92	695.36	757.26	762.83	432.26	122.01	57.27	57.27	85.66	85.66	105.50	52.75
7.	पश्चिम बंगाल	476.15	335.98	476.65	486.65	464.81	235.49	102.37	102.37	72.20	72.20	269.00	134.50
	कुल	2646.24	2538.05	2724.59	2728.20	3346.42	1839.69	435.00	402.70	396.02	396.02	997.00	607.13

अनुबंध-II

उत्पादन का आकलन

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	उत्पादन ('000 टन)			
			खाद्यान्न	चावल	गेहूं	तिलहन
1	बिहार	2008-2009	12220.70	5590.30	4410.00	138.00
		2011-2012	14054.60	7201.00	4787.30	139.10
2	छत्तीसगढ़	2008-2009	5167.30	4391.80	92.50	193.50
		2011-2012	6841.80	6028.40	128.60	170.90
3	झारखंड	2008-2009	4188.70	3420.20	153.90	73.20
		2011-2012	4663.10	3418.10	335.30	174.50

[हिन्दी]

श्री मोहम्मेद असरारुल हक़ : क्या कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में कृषि के विकास हेतु विशेष योजनाएं बनाई हैं?

अध्यक्ष महोदया : आप लोग ऐसा मत कीजिए, उन्हें प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। वे हमारे सम्मानित सदस्य हैं और हमारे वरिष्ठ सदस्य भी हैं।

श्री शरद पवार : माननीय सदस्य ने जिन राज्यों को यहां जिक्र किया है, इन राज्यों के साथ-साथ बाकी सभी राज्यों के लिए कृषि मंत्रालय की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मगर पिछले कई सालों से अपने देश में खास तौर पर वीट एंड राइस को जो उत्पादन होता है, उसके लिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. के ऊपर हम निर्भर करते हैं। वहां ओवर एक्सप्लाइटेशन हो गया, जमीन के पानी का लेवल नीचे जा रहा है और स्वाइल सेक्टर पर बुरा असर हो रहा है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को कॉन्फीडेंस में लेकर हम सोच रहे हैं कि वहां कोई दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न दें, मगर साथ-साथ देश की जो राइस की आवश्यकता है, वह पूरी करने के लिए मेन राज्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे देश में ईस्टर्न इंडिया में बिहार, ईस्टर्न यूपी, वैस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और असम राज्यों में प्रति हैक्टेयर प्रोक्शन कम था, मगर वहां पानी बहुत है और पोटैन्शियल बहुत है। इसलिए पंजाब या हरियाणा का धान का क्षेत्र कम करना हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए ईस्टर्न इंडिया के इन राज्यों में ज्यादा ध्यान उपजाने की आवश्यकता है। इसीलिए *सैकेन्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया* नाम की स्कीम 2009-10 के बजट में फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की और पहले साल के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। इससे इन राज्यों में अच्छी क्वालिटी का सीड, फर्टिलाइज़र की समय पर सप्लाई, नाबार्ड की मदद से वहां ज्यादा क्रैडिट लेने की कोशिश, बिजली विभाग से बिजली मिलने के लिए खास तौर पर कोशिश, पानी की व्यवस्था ठीक हो इस पर ध्यान दिया गया और इन सब कामों के लिए यह राशि वहां खर्च करने की तैयारी की गई। इस साल के बजट में 400 करोड़ रुपए का जो अमाउंट ईस्टर्न इंडिया के लिए था, वह 1000 करोड़ रुपए का किया। मुझे सदन को बताने में खुशी है कि यह जो कार्यक्रम हाथ में लिया, इससे इन राज्यों में प्रति हैक्टेयर प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी और देश की कृषि में अच्छी तरह से चावल की सप्लाई करने के लिए ये राज्य आगे आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री मोहम्मेद असंरारुल हक़ : माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं।

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार : माननीय महोदया, आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने अपने उत्तर में स्वयं ही यह कहा है कि पूर्वी राज्यों में खाद्यान्न का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उन्होंने स्वयं ही पश्चिम बंगाल के नाम का उल्लेख किया है। हम यह जानते हैं कि किसान खाद्यान्न का बहुत कम उत्पादन कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पानी का उल्लेख किया। किंतु यूरिया सहित उर्वरकों की कीमतों में होने वाली भारी वृद्धि से खाद्यान्न के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत:, महोदया आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निर्धन किसानों को उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि देश में खाद्यान्न के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री शरद पवार : भारतीय कृषक समुदाय ने पिछले साठ वर्षों में खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन विगत वर्ष किया है। हमने 257 मिलियन टन खाद्यान्न कि उत्पादन किया है और इस वर्ष भी खरीफ के लिये जितना भी चावल खरीदा गया है वह विगत वर्ष के मुकाबले अधिक है। इसलिये, उत्पादन के बारे में तो कोई समस्या नहीं है। यह सत्य है कि उर्वरक की कीमत एक गंभीर मुद्दा है। विश्व में उर्वरकों का उत्पादन करने वाले पांच प्रमुख देश हैं और उन्होंने ऐसे स्तर पर कीमतों को अंतिम रूप दिया है कि प्रत्येक देश को उनसे खरीदना पड़ा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। हमने राजसहायता प्रदान की है किन्तु राजसहायता प्रदान किये जाने का कोई फायदा नहीं है तथा यही वजह है कि किसान प्रभावित हुए। हमारा प्रयास यह है कि किसानों को न्यूनतम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना चाहिये और आपको बायोमास एवं अन्य क्षेत्रों का रूख़ करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो पूर्वी भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की योजना प्रारंभ की गई है, उसमें मैं देख रहा था कि जो फंड एलोकेशन भिन्न-भिन्न राज्यों को हुआ है, अभी प्रारंभ के तीन वर्षों में फंड एलोकेशन हुआ है। इन फंड्ज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्टेट गवर्नमैंट्स के द्वारा हुआ है या नहीं, उसकी मॉनीटरिंग की सरकार के पास क्या व्यवस्था है? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना प्रारंभ करने के बाद राइस की प्रोडक्टिविटी में कितनी वृद्धि हुई है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मैंने सूची राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर यह कहा है कि उन्हें इसमें निजी तौर पर रूचि लेनी चाहिये। मैंने इन क्षेत्रों के सभी संसद सदस्यों को भी लिखा है कि वे भी निजी रूप से रूचि ले तथा इस और ध्यान दें कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में क्या हुआ। भारतीय खाद्य निगम से अतिरिक्त खरीद केन्द्रों की स्थापना करने को कहा गया है। जैसाकि मैंने बताया है, उर्वरक विभाग तथा नाबार्ड को भी कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे गये हैं। एक केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कि कटक में है। हमने इस संस्थान को समूचे कार्य का समन्वय करने का कार्य सौंपा है। हमने प्रत्येक ज़िले में अपने सभी अनुसंधान संस्थानों एवं राज्य सरकार के कार्यालयों से एक वैज्ञानिक नियुक्त किया है। वैज्ञानिक तथा राज्य सरकार का विस्तार अधिकारी (एक्सटेन्शन ऑफिसर) - दोनों ही प्रत्येक राज्य को देख रहे हैं। उत्पादकता के बारे में मैंने आंकड़े हासिल किए हैं और वह मैं आपको बता सकता हूं उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ में 2009-10 में उपज 1120 किलोग्राम थी।

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी आप शेष ब्यौरा माननीय सदस्य को भेज सकते हैं। प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों की संख्या निश्चित किया जाना

***145. श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत

शामिल गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों की संख्या निश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्यों को इस समय आबंटित किए जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के निर्धनता संबंधी अनुमानों पर आधारित है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण कराने के निदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा वास्तव में पहचान किए गए ऐसे परिवारों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ हे जिनमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 6.52 करोड़ की स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। फिलहाल ये आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच में है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 30.09.2012 तक गरीब रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 11.13 करोड़ राशन कार्ड जारी करने की सूचना दी है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक संख्या में राशन कार्ड जारी करने के कारण उत्पन्न खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के निर्गम की मात्रा को कम करके अथवा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के निर्गम की मात्रा को कम करके अथवा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के खाद्यान्नों पर और राजसहायता देकर आदि से पूरा किया जाता है।

कुछ राज्य सरकारों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन परिवारों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान मानदंड अपना रही है इसलिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के इन अनुरोधों पर स्वीकार नहीं किया जा सका है।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश में 29 जून, 2011 को सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 शुरू की गई है जो भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी समर्थन से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की रही है। सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए जनगणना और संपूर्ण देश में जातीय जनगणना शामिल है। भारत सरकार विभिन्न केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों और स्कीमों के अधीन विशिष्ट पात्रता का हिसाब लगाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 के जरिए एकत्र किए जा रहे संकेतकों के आधार पर वंचन के बहुआयामों को हिसाब में लेगी। यद्यपि सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 के अधीन समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असमान प्रगति है लेकिन 29.11.2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 90.28% गणना पूरी हो गई है।

[अनुवाद]

डिजिटल केबल टीवी सेवा की निगरानी किया जाना

*146. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में केबल टीवी सेवाओं का डिजिटाइजेशन किए जाने की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार केबल आपरेटरों और डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की किस प्रकार रक्षा की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में केबल टीवी सेवाओं के डिजिटीकरण के कार्यान्वियन की निरंतर निगरानी करता रहा है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटीकरण की प्रक्रिया अधिदेशित समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाए। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता महानगरों में डिजिटीकरण का प्रथम चरण दिनांक 31.10.2012 को पूरा हो गया है और चेन्नै में, यह मामला न्यायाधीन है। केबल टीवी के डिजिटीकरण की प्रक्रिया की देख-रेख करने के लिए मंत्रालय में एक काग्र बल का गठन किया गया है। इस कार्य बल में, अन्य के साथ-साथ, बहु-प्रणाली संचालकों (एमएसओ), केबल ऑपरेटरों, प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों, राज्य सरकारों, अन्य औद्योगिक संघों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), उपभोक्ताओं तथा केन्द्र सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। डिजिटीकरण के चरण-। के कार्यान्वियन के दौरान कार्य बल ने डिजिटीकरण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पाक्षिक आधार पर 20 बैठकें कीं। चरण-। में डिजिटल अंतरण की प्रक्रिया के दौरान कार्य बल ने व्यष्टि स्टेकहोल्डरों के सरोकारों का निदान करने वाले एक मंच के रूप में कार्य किया। वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय की ओर से नियुक्त दलों ने भी नियमित रूप से क्षेत्र-दौरे किए। बहु-प्रणाली संचालकों द्वारा डिजिटल शीर्षछोरों और सेट टॉप बॉक्सों के अधिष्ठापन की प्रगति की भी बारीकी से निगरानी की गई।

(ग) और (घ) विषय-वस्तु निर्माताओं को विषय-वस्तु का प्रसार करने में सक्षम बनाने तथा दर्शकों को सेवाप्रदाता व उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा प्रदाता की उपयुक्त सेवाओं का चयन करने का व्यापक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच), डिजिटल केबल टीवी, डिजिटल केबल टीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी), हेडेंड-इन-दि-स्काई (हिट्स) जैसे बहु-डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्मों का संवर्धन करता आ रहा है। जहां तक डीटीएच और डिजिटल केबल टीवी का संबंध है, मंत्रालय इन दोनों प्लेटफॉर्मों को जन हित में समान अवसर मुहैया करा रहा है क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच निष्पक्ष व कारगर प्रतिस्पर्धा होने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को उक्त प्लेटफॉर्मों की सेवाएं वहनीय कीमत पर सुलभ हो सकेंगी। ट्राई ने समान अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इन दोनों वितरण प्लेटफॉर्मों के लिए प्रशुल्क सहित आवश्यक विनियमों का निर्धारण पहले ही कर दिया है।

(ङ) ट्राई ने डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी और डीटीएच के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए पहले ही विभिन्न विनियम जारी किए हैं। डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी के लिए अनुप्रयोज्य, दिनांक 30.04.2012 को यथा संशोधित, ट्राई के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (संबोधनीय प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2010 के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ताओं को अलग-अलग (फुटकर) आधार पर सभी चैनलों (सशुल्क व फ्री-टु-एयर) की पेशकश करना अनिवार्य है। उक्त प्रशुल्क आदेश में कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने का भी प्रावधान है। इस प्रशुल्क आदेश में आगे यह भी प्रावधान है कि डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियों के संचालक उपभोक्ताओं को प्रति माह प्रति उपभोक्ता 100/- रुपए (करों के अतिरिक्त) के अधिकतम प्रभार पर एक बेसिक-सर्विस-टियर की पेशकश करेंगे जिसमें न्यूनतम 100 फ्री-टु-एयर चैनल शामिल होंगे।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, ट्राई ने दिनांक 14.05.2012 को सेवा गुणवत्ता मानक (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियां) विनियम, 2012 तथा उपभोक्ता शिकायत निदान (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियां) विनियम, 2012 भी जारी किए हैं। सेवा गुणवत्ता संबंधी विनियमों में सेवाओं के कनेक्शन, डिसकनेक्शन, अंतरण व स्थानांतरण से संबंधित मानकों शिकायतों के निदान हेतु समय-सीमा, बिलिंग कार्यविधि, सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) संबंधी मुद्दों तथा सेवा प्रदाताआं के अनुपालनार्थ अन्य तकनीकी पैरामीटरों आदि का निर्धारण किया गया है। उपभोक्ता शिकायत निदान विनियमों में उन मामलों में जिनमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का निदान नहीं किया जाता है, शिकायत केन्द्र की स्थापना करने, टॉल-फ्री नंबर मुहैया कराने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है।

ट्राई ने डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता मानक एव शिकायत निदान) विनियम, 2007 जारी किया है, जिसमें अनिवार्यत: डीटीएच उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से संबंधित विनियामक प्रावधान शामिल हैं। डीटीएच ऑपरेटरों के लिए डीटीएच विनियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक हेरिटेज स्थल

***147. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न भागों में पहचान किए गए सांस्कृतिक हेरिटेज केन्द्रों और हेरिटेज स्थलों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्थलों को सम्मिलित करने, इनका परिरक्षण और संरक्षण करने हेतु केन्द्र सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने हेरिटेज इमारतों के रखरखाव हेतु अलग से अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया है और राज्य-वार उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) देश में कितने सांस्कृतिक हेरिटेज केन्द्रों का परिरक्षण और रख-रखाव किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(ङ) देश में इन परिरक्षित सांस्कृतिक हेरिटेज स्थलों के संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ङ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत केन्द्रों तथा विरासत स्थलों को घोषित करने अथवा उनकी पहचान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार, प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, जैसा भी मामला हो, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक अथवा कलात्मक महत्व के हैं तथा जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हैं, को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किये जा सकते हैं।

देश में 3678 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भरतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक/स्थल पुरातात्विक मानकों के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, संरचना की मरम्मत की आवश्यकता के आधार पर संरक्षित, परिरक्षित तथा अनुरक्षित किए जाते हैं। ये केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल भली-भांति परिरक्षित हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण तथा उनके भीतर तथा परिप्रदेश के विकास के अतिरिक्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटक संबंधी सुख-सुविधाएं (जैसे पेयजल, शौचालय, विकलांगों के लिए सुविधाएं, मार्ग, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/संकेतक, वाहन पार्किंग, अमानती सामान घर इत्यादि) मुहैया कराना ऐसी नियमित गतिविधियां हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करता है। गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण पर किए गए व्यय तथा चालू वर्ष (2012-13) के लिए आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2012-13 में 15.11.2012 तक संरक्षण पर किया गया वास्तविक व्यय 97.86 करोड़ रुपये है।

यह जानते हुए कि राज्यों के अपने विशिष्ट मुद्दों तथा स्थानीय आवश्यकताएं हैं, XIIIवें वित्त आयोग (एफसी) ने वर्ष 2011-15 अवधि के लिए विरासत तथा संस्कृति के विकास के लिए 21 राज्य सरकारों को 1454.00 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय ने 15 राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करने की सिफारिश की है जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक 13 राज्यों को कुल 285.02 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है। प्रस्तावों/कार्य योजनाओं के प्राप्त न होने के कारण शेष 6 राज्यों को अनुदान की सिफारिश/राशि निर्मुक्त नहीं की गई है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55

1	2	3
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (सं.रा. क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैंड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	174
21.	ओडिशा	78
22.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
23.	पंजाब	33
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	08
28.	उत्तर प्रदेश	743
29.	उत्तराखंड	042
30.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल	3678

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत स्मारकों/स्थलों के संरक्षण पर किए गए व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	खर्च 2011-12	आबंटन 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	738.00	758.00	544.49	655.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1371.00	1706.99	1208.00	1010.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	590.00	315.00	310.7	370.00
4.	महाराष्ट्र	मुम्बई मंडल	500.00	389.99	359.00	375.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	कर्नाटक	बेंगलुरू मंडल	1200.00	1245.95	1041.00	1020.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	619.46	981.88	943.98	792.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	674.33	654.87	607.9	707.50
8.	ओडशा	भुवनेश्वर मंडल	276.49	261.36	289.98	400.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	435.23	504.59	446.28	404.00
10.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	460.50	530.00	530.00	455.00
11.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	694.46	687.04	529.99	630.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	70.87	79.8	62.81	77.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1747.00	1849.84	927.39	1030.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	120.61	110.00	110.00	106.00
15.	सिक्किम के अलावा उत्तर पूर्वी राज्य	गुवाहाटी मंडल	135.08	159.01	213.32	136.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	275.55	350.00	445.49	435.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	610.00	664.86	640.00	800.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	314.99	364.99	383.96	300.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	338.44	335.44	355.00	328.00
20.	केरल	त्रिशूर मंडल	300.01	337.01	301.5	363.00
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	459.98	509.93	574.97	480.00
22.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	130.52	147.18	139.99	105.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	332.00	341.00	303.58	363.00
24.	झारखंड	रांची मंडल	64.75	64.98	62.58	58.00
25.		विज्ञान शाखा देहरादून	655.45	507.46	485.40	440.50
26.		उद्यान शाखा आगरा	2185.71	1796.70	1580.44	1950.00
		आरक्षित (पूर्वात्तर क्रियाकलाप)				87.00
		कुल	15300.43	15653.87	13397.75	13877.00

विवरण-III

वर्ष 2011-12 के लिए निर्मुक्त किए गए XIII वित्त आयोग राज्य विशिष्ट अनुदान की स्थिति

(रुपए करोड़ों)

क्र. सं.	राज्य	2011-12 से 2014-15 के लिए XIII वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई कुल राशि	2011-12 के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई राशि	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	160.00	60.50	60.50
2.	पंजाब	100.00	25.00	25.00
3.	मणिपुर	08.00	02.00	02.00
4.	पश्चिम बंगाल	100.00	14.50	14.50
5.	मिजोरम	12.00	03.00	03.00
6.	कर्नाटक	100.00	40.00	25.00
7.	तमिलनाडु	100.00	10.00	10.00
8.	झारखंड	100.00	49.98	22.00
9.	सिक्किम	09.00	02.30	02.30
10.	जम्मू और कश्मीर	50.00	08.51	08.51
11.	उत्तर प्रदेश	100.00	28.86	28.86
12.	मध्य प्रदेश	175.00	34.87	34.87
13.	त्रिपुरा	10.00	02.22	02.22
14.	उत्तराखंड	45.00	00.78	—
15.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	02.50	—
16.	असम	40.00	—	—
17.	बिहार	100.00	—	—
18.	छत्तीसगढ़	45.00	—	—
19.	महाराष्ट्र	100.00	—	—

1	2	3	4	5
20.	मेघालय	25.00	—	—
21.	ओडिशा	65.00	—	—
	कुल	1454.00	285.02	238.76

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न

***148. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों/क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा उनकी पात्रता के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की राज्यवार पात्रता, आबंटन और वास्तविक वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी पात्रता के अनुरूप खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) सरकार, योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों के आधार पर उनकी पात्रता के अनुसार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे की 6.52 करोड़ समस्त स्वीकृत परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपरोक्त सामान्य आबंटन के अलावा भारत सरकार समय-समय पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन भी कर रही है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और पात्र परिवारों को इनका वितरण करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए उन्हें आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेवारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

देश में कुछ क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। वर्ष 2009 से 30 सितंबर, 2012 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है इसलिए जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया जाता है। भारत सरकार नियमित रूप से समीक्षा करती है तथा मानिटरिंग तंत्र तथा सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की दक्षता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन के सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी करती है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावोत्पादकता में सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करें।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का सामान्य आबंटन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली											
		2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		बीपीएल	अं.अ.यो	कुल	बीपीएल	अं.अ.यो	कुल	बीपीएल	अं.अ.यो	कुल	बीपीएल	अं.अ.यो	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.52	6.54	17.06	10.52	6.54	17.06	10.52	6.54	17.06	10.52	6.54	17.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.26	0.16	0.41	0.26	0.16	0.41	0.26	0.16	0.41	0.26	0.16	0.41
3.	असम	4.75	2.96	7.71	4.75	2.96	7.71	4.75	2.96	7.71	4.75	2.96	7.71
4.	बिहार	17.20	10.20	27.40	16.92	10.48	27.40	16.89	10.50	27.40	16.89	10.50	27.40
5.	छत्तीसगढ़	4.86	3.02	7.88	4.86	3.02	7.88	4.86	3.02	7.88	4.86	3.02	7.88
6.	दिल्ली	1.09	0.63	1.72	1.09	0.63	1.72	1.09	0.63	1.72	1.09	0.63	1.72
7.	गोवा	0.05	0.06	0.12	0.05	0.06	0.12	0.06	0.06	0.12	0.06	0.06	0.12
8.	गुजरात	4.82	3.40	8.22	5.50	3.40	8.90	5.50	3.40	8.90	5.50	3.40	8.90
9.	हरियाणा	2.09	1.23	3.31	2.09	1.23	3.31	2.09	1.23	3.31	2.09	1.23	3.31
10.	हिमाचल प्रदेश	1.33	0.83	2.16	1.33	0.83	2.16	1.33	0.83	2.16	1.33	0.83	2.16
11.	जम्मू और कश्मीर	2.02	1.07	3.09	2.02	1.07	3.09	2.02	1.07	3.09	2.02	1.07	3.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	झारखंड	6.20	3.86	10.05	6.20	3.86	10.05	6.20	3.86	10.05	6.20	3.86	10.05
13.	कर्नाटक	8.10	5.04	13.14	8.10	5.04	13.14	8.15	5.00	13.14	8.10	5.04	13.14
14.	केरल	4.02	2.50	6.53	4.02	2.50	6.53	4.02	2.50	6.53	4.02	2.50	6.53
15.	मध्य प्रदेश	10.68	6.64	17.32	10.68	6.64	17.32	10.68	6.64	17.32	10.68	6.64	17.32
16.	महाराष्ट्र	17.09	10.35	27.44	17.09	10.35	27.44	17.09	10.35	27.44	17.09	10.35	27.44
17.	मणिपुर	0.43	0.27	0.70	0.43	0.27	0.70	0.43	0.27	0.70	0.43	0.27	0.70
18.	मेघालय	0.47	0.29	0.77	0.47	0.29	0.77	0.47	0.29	0.77	0.47	0.29	0.77
19.	मिजोरम	0.18	0.11	0.29	0.18	0.11	0.29	0.18	0.11	0.29	0.18	0.11	0.29
20.	नागालैंड	0.32	0.20	0.52	0.32	0.20	0.52	0.32	0.20	0.52	0.32	0.20	0.52
21.	ओडिशा	11.66	5.31	16.97	11.66	5.31	16.97	11.66	5.31	16.97	11.66	5.31	16.97
22.	पंजाब	1.21	0.75	1.97	1.21	0.75	1.97	1.2.1	0.75	1.97	1.21	0.75	1.97
23.	राजस्थान	6.30	3.91	10.21	6.30	3.91	10.21	6.30	3.91	10.21	6.30	3.91	10.21
24.	सिक्किम	0.11	0.07	0.18	0.11	0.07	0.18	0.11	0.07	0.18	0.11	0.07	0.18
25.	तमिलनाडु	12.59	7.83	20.42	12.59	7.83	20.42	12.59	7.83	20.42	12.59	7.83	20.42
26.	त्रिपुरा	0.76	0.48	1.24	0.76	0.48	1.24	0.76	0.48	1.24	0.76	0.48	1.24
27.	उत्तर प्रदेश	27.66	17.19	44.85	27.66	17.19	44.85	27.66	17.19	44.85	27.66	17.19	44.85
28.	उत्तराखंड	1.46	0.64	2.09	1.40	0.69	2.09	1.29	0.80	2.09	1.29	0.80	2.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	पश्चिम बंगाल	15.54	6.22	21.75	15.54	6.22	21.75	15.54	6.22	21.75	15.54	6.22	21.75
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07
31.	चंडीगढ़	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04
32.	दादरा और नगर हवेली	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07
33.	दमन और दीव	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
35.	पुदुचेरी	0.22	0.14	0.35	0.22	0.14	0.35	0.22	0.14	0.35	0.22	0.14	0.35
	सकल योग	174.13	101.96	276.09	174.49	102.29	276.78	174.40	102.38	276.78	174.35	102.43	276.78

विवरण-II

वर्ष 2010-11 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन और निर्धनतम जिलों के लिए किए गए आबंटन

(लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन			निर्धनतम जिलों को आबंटन					
		2010-11	2011-12	2012-13	2011-12			2012-13		
		7-9-2010 और 6-1-2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन	16-5-2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन	जुलाई, 2012 में किया गया बी.पी.एल. आबंटन	बीपीएल	एएवाई	कुल	बीपीएल	एएवाई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.1157	3.1157	3.1157	0.71869	0.44928	1.16797	0	0.11584	0.11584
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.12592	0.07592	0.07592	0.00454	0.00283	0.00737	0	0	0
3.	असम	2.90794	2.20794	1.40794	0.09458	0.05882	0.1534	0.26273	0	0.26273
4.	बिहार	5.00214	6.00214	5.00213	4.37307	1.59204	5.96511	5.95395	0	5.95395
5.	छत्तीसगढ़	1.43784	1.43784	1.43784	0.98523	0.33429	1.31952	2.71952	0.35322	3.07274
6.	दिल्ली	0.31364	0.31364	0.31364	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0.0368	0.0368	0.0368	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	1.62572	1.62572	1.62572	0.31754	0.19748	0.51502	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हरियाणा	0.60504	0.60504	0.60504	0.07249	0.0249	0.09739	0.07164	0	0.07164
10.	हिमाचल प्रदेश	0.39416	0.39416	0.39416	0.10457	0.0108	0.11537	0.10457	0.0108	0.11537
11.	जम्मू और कश्मीर	0.5644	0.5644	0.5644	0.09705	0.02052	0.11757	0.11757	0	0.11757
12.	झारखंड	1.83584	1.83584	1.83584	0.92355	0.39874	1.32229	0.81256	0.50525	1.31781
13.	कर्नाटक	2.39946	2.39946	2.39946	0.19357	0.12038	0.31395	0.31395	0	0.31395
14.	केरल	1.25653	1.19168	1.19168	0.03648	0.0142	0.05068	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	5.16324	3.16324	3.16324	2.03514	0.7453	2.78044	1.71156	0	1.71156
16.	महाराष्ट्र	5.0106	5.0106	5.01059	0.6524	0.40572	1.05812	0	0	0
17.	मणिपुर	0.1773	0.1273	0.1273	0.00864	0.00351	0.01215	0	0	0
18.	मेघालय	0.19034	0.14033	0.14033	0.0106	0.00659	0.01719	0	0	0
19.	मिजोरम	0.10214	0.10214	0.05214	0.00098	0.00061	0.00159	0.00159	0	0.00159
20.	नागालैंड	0.1451	0.1951	0.0951	0.00194	0.00121	0.00315	0.00194	0.00121	0.00315
21.	ओडिशा	2.52906	2.52906	2.52906	0.88744	0.55189	1.43933	1.19901	0	1.19901
22.	पंजाब	0.35888	0.35888	0.35888	0.01134	0.00705	0.01839	0.01134	0.00705	0.01839
23.	राजस्थान	2.3642	1.8642	1.8642	0.70762	0.28292	0.99054	0.50538	0	0.50538
24.	सिक्किम	0.04498	0.10778	0.03298	0.00241	0.00023	0.00264	0.0044	0	0.0044
25.	तमिलनाडु	3.72918	3.77918	3.72918	0.25247	0.15701	0.40948	0.25247	0.15701	0.40948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	त्रिपुरा	0.22622	0.22622	0.22622	0.01811	0.00923	0.02734	0.01746	0	0.01746
27.	उत्तर प्रदेश	8.1888	8.1888	8.18879	1.95281	1.21443	3.16724	1.59556	0	1.59556
28.	उत्तराखंड	0.38188	0.38188	0.38188	0.02109	0.00493	0.02602	0.01681	0	0.01681
29.	पश्चिम बंगाल	3.97152	3.97152	3.97152	1.59884	0.99431	2.59315	2.59315	0	2.59315
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02146	0.02146	0.02146	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0.01764	0.01764	0.01764	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.01382	0.01382	0.01382	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0.00268	0.00268	0.00268	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.0023	0.0023	0.0023	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0.06442	0.10711	0.06442	0	0	0	0	0	0
	सकल योग	50.00#	50.00#	50.00#	16.08319	7.60922	23.69241	18.26716	1.15038	19.41754

#कतिपय मामलों में कुल को राज्यों को किए गए आबंटन में दिखाए गए सकल जोड़ में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि समग्र आबंटनों में से न उठाई गई मात्रा से विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटनों के तहत पुनः आबंटन किए गए हैं।

विवरण-III

वर्ष 2009 से 2012 तक (30 सितंबर 2012 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्ट आदि के जरिए विभाग में प्राप्त लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	3	1	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2	2	—
3.	असम	6	1	1	1
4.	बिहार	16	13	6	8
5.	छत्तीसगढ़	4	5	1	—
6.	दिल्ली	29	37	16	19
7.	गोवा	—	1	—	—
8.	गुजरात	4	3	2	3
9.	हरियाणा	5	24	7	5
10.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4	—
11.	जम्मू और कश्मीर	1	3	—	3
12.	झारखंड	6	5	3	3
13.	कर्नाटक	6	2	1	2
14.	केरल	1	3	1	1
15.	मध्य प्रदेश	9	13	9	4
16.	महाराष्ट्र	12	5	8	6
17.	मणिपुर	—	—	1	1
18.	मेघालय	—	—	1	—
19.	मिजोरम	—	—	—	1
20.	नागालैंड	1	1	—	—
21.	ओडिशा	1	3	2	1
22.	पंजाब	1	2	—	4
23.	राजस्थान	7	6	6	3
24.	सिक्किम	3	2	—	—
25.	तमिलनाडु	6	2	3	3
26.	उत्तराखंड	1	1	1	2
27.	उत्तर प्रदेश	46	33	68	50
28.	पश्चिम बंगाल	4	2	—	2
29.	चंडीगढ़	—	2	—	—
30.	पुदुचेरी	—	1	—	—
	कुल	169	174	144	123

[हिन्दी]

फसलों का बुआई क्षेत्र

***149. श्री सुदर्शन भगत :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश के विभिन्न भागों में राज्य और फसल-वार प्रमुख फसलों के बुआई क्षेत्र में कितनी कमी बताई गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या देश में खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों के उत्पादन और आवश्यकता के बीच काफी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत फसल क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई और क्या प्रोत्साहन दिए गए; और

(ङ) खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) विगत वर्ष की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के तहत क्षेत्रीय कवरेज के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। मानसून मौसम के दौरान विलम्ब/कम वर्षा के कारण आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के क्षेत्रीय कवरेज में मुख्य गिरावट चावल, मोटे अनाजों तथा दलहनों में हुई है।

(ख) और (ग) 2011-12 के दौरान देश में खाद्यान्नों का 257.44 मिलियन टन अनुमानित उत्पादन योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा प्रक्षेपित 234.26 मिलियन टन मांग की तुलना में काफी अधिक है। तथापि, 2011-12 के लिए 19.91 मिलियन टन दलहनों तथा 53.39 मिलियन टन तिलहनों की प्रक्षेपित मांग की तुलना में, उनका अनुमानित उत्पादन क्रमशः 17.21 मिलियन टन तथा 30.01 मिलियन टन कम रहा है। दलहनों एवं तिलहनों/खाद्य योग्य तेलों के उत्पादन एवं मांग के बीच के अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(घ) देश में कृषि फसलों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार अनेक फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल एवं मक्का योजना (आईसोपॉम) आदि। इन योजनाओं के तहत्, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन/उपयोग, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएनएम), एकीकृत कीटप्रबंधन (आईपीएम), फार्म अभियांत्रिकीकरण आदि के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती है। जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए राज्यों को कृषि अंतःसंरचना के सृजन हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है, इसके अलावा, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में भी महत्वपूर्ण रूप में वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के दौरान मुख्य फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत् आबंटित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार ने तापक्रम में उतार-चढ़ाव, भू/जल लवणीय, भू-अम्लीय आदि जैसे असामान्य एबायोटिक दबाबों के प्रति सहनशीलता के साथ उच्च पैदावार, कीट/रोग सहनशीलता फसल किस्मों/हाईब्रिडों सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में अनेक उपाय किये हैं। उच्चतर पोषाहार एवं जल उपयोग क्षमता वाली जल्द परिपक्व हो रही फसल किस्मों को भी विकसित किया गया है। सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों के अभियांत्रिकीकरण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु लचीला कृषि एवं नवाचार विस्तार सुगम्यता के लिए संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा भी दे रही है।

विवरण-I

2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के तहत राज्य-वार क्षेत्रीय कवरेज

('000 हैक्टेयर)

राज्य	चावल			मोटे अनाज			दलहन			खाद्यान्न		
	2012-13	2011-12	अंतर	2012-13	2011-12	अंतर	2012-13	2011-12	अंतर	2012-13	2011-12	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	2324.0	2874.0	-550.0	697.0	748.0	-51.0	629.0	711.0	-82.0	3650.0	4333.0	-683.0
असम	2150.0	1784.0	366.0	25.0	25.0	0.0	6.0	13.0	-7.0	2181.0	1822.0	359.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	2938.2	3239.2	-301.0	284.3	287.8	-3.5	58.0	57.7	0.3	3280.5	3584.7	-304.2
छत्तीसगढ़	3741.6	3773.8	-32.2	143.3	145.8	-2.5	213.9	213.9	0.0	4098.8	4133.5	-34.7
गुजरात	600.0	751.0	-151.0	1003.8	1335.0	-331.2	399.0	620.0	-221.0	2002.8	2706.0	-703.2
हरियाणा	1062.0	1235.0	-173.0	367.0	651.0	-284.0	35.0	95.0	-60.0	1464.0	1981.0	-517.0
हिमाचल प्रदेश	72.5	77.2	-4.7	304.1	302.3	1.8	17.5	21.1	-3.6	394.1	400.6	-65
जम्मू और कश्मीर	261.1	262.2	-1.0	492.1	344.2	148.0	41.8	25.2	16.6	795.0	631.5	163.5
झारखंड	1388.2	1693.8	-305.6	261.4	259.2	2.2	353.3	287.5	65.9	2002.9	2240.5	-237.6
कर्नाटक	1000.0	1113.0	-113.0	2090.0	2398.0	-308.0	1205.0	1336.0	-131.0	4295.0	4847.0	-552.0
केरल	188.3	160.9	27.4	0.1	0.6	-0.5	0.0	1.6	-1.6	188.4	163.1	25.3
मध्य प्रदेश	1590.2	1662.0	-71.8	1530.4	1681.8	-151.4	1096.4	1191.0	-94.6	4217.0	4534.8	-317.8
महाराष्ट्र	1515.0	1514.0	1.0	2249.0	2616.0	-367.0	1894.0	2031.0	-137.0	5658.0	6161.0	-503.0
ओडिशा	3847.0	3769.2	77.8	169.8	182.8	-13.0	475.4	452.0	23.4	4492.2	4404.0	88.2
पंजाब	2810.0	2818.0	-8.0	141.4	129.0	12.4	17.0	12.5	4.5	2968.4	2959.5	8.9
राजस्थान	152.8	134.3	18.5	5055.7	6607.1	-1551.5	1918.8	2971.4	-1052.6	7127.3	9712.9	-2585.6
तमिलनाडु	1720.2	1842.1	-121.9	397.0	482.3	-85.4	188.6	192.4	-3.7	2305.8	2516.8	-211.0
उत्तर प्रदेश	5829.0	5948.0	-119.0	1842.0	1864.0	-22.0	863.0	975.0	-112.0	8534.0	8787.0	-253.0
उत्तराखंड	276.0	266.0	10.0	242.0	225.0	17.0	43.0	39.0	4.0	561.0	530.0	31.0
पश्चिम बंगाल	3725.0	4212.6	-487.6	52.3	44.1	8.2	51.3	48.2	3.1	3828.6	4304.9	-476.3
अन्य	1971.3	937.5	1033.7	469.0	343.6	125.3	18.0	50.6	-32.7	2458.2	1331.8	1126.4
अखिल भारत	39162.4	40067.7	-905.4	17816.6	20672.8	-2856.1	9524.1	11345.1	-1821.0	66503.2	72085.6	-5582.5

टिप्पणी: 2011 के लिए आंकड़ें 16.7.2012 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार है तथा 2012-13 के लिए आंकड़ें 24.9.2012 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।

(जारी)

2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के तहत राज्य-वार क्षेत्रीय कवरेज

('000 हैक्टेयर)

राज्य	तिलहन			गन्ना			कपास		
	2012-13	2011-12	अंतर	2012-13	2011-12	अंतर	2012-13	2011-12	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1391.0	1538.0	-147.0	200.0	204.0	-4.0	2140.0	1879.0	261.0
असम	21.0	18.0	3.0	29.0	25.0	4.0	#	#	#
बिहार	6.1	5.6	0.5	234.5	234.6	-0.1	#	#	#
छत्तीसगढ़	221.1	221.9	-0.8	#	#	#	#	#	#
गुजरात	2009.0	2614.0	-605.0	203.0	202.0	1.0	2363.0	2962.0	-599.0
हरियाणा	6.0	8.0	-2.0	107.0	95.0	12.0	603.0	641.0	-38.0
हिमाचल प्रदेश	3.8	3.9	-0.1	#	#	#	#	#	#
जम्मू और कश्मीर	4.5	4.3	0.2	0.0	0.0	0.0	#	#	#
झारखंड	41.6	40.7	0.9	6.7	6.6	0.0	#	#	#
कर्नाटक	813.0	1014.0	-201.0	410.0	430.0	-20.0	516.0	554.0	-38.0
केरल	1.2	1.8	-0.7	1.1	1.7	-0.6	#	#	#
मध्य प्रदेश	6372.3	6296.3	76.0	88.2	69.2	19.0	608.0	706.0	-98.0
महाराष्ट्र	3506.0	3414.0	92.0	940.0	1022.0	-82.0	4130.0	4125.0	5.0
ओडिशा	161.4	155.3	6.1	13.2	14.5	-1.3	119.0	102.0	17.0
पंजाब	9.0	6.5	2.5	84.0	80.0	4.0	516.0	560.0	-44.0
राजस्थान	1892.3	2115.7	-223.4	5.9	6.4	-0.6	449.0	470.0	-21.0
तमिलनाडु	243.0	309.7	-66.7	332.7	382.0	-49.3	120.0	133.0	-13.0
उत्तर प्रदेश	536.0	455.0	81.0	2277.0	2162.0	115.0	#	#	#
उत्तराखंड	17.0	15.0	2.0	112.0	108.0	4.0	#	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	202.6	198.9	3.7	18.0	161	1.9	#	#	#
अन्य	51.0	54.4	-3.3	37.5	27.4	10.1	50.0	46.0	4.0
अखिल भारत	17508.9	18491.0	-982.2	5099.8	5086.5	13.3	11614.0	12178.0	-564.0

टिप्पणी: 2011 के लिए आंकड़ें। #अन्यों में शामिल

विवरण-II

2009-10 से 2012-13 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य-वार आबंटन एवं जारी निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएस)

(करोड़ रु.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	144.94	123.81	135.20	119.42	110.36	88.87	158.52	80.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	7.36
असम	42.36	36.16	68.29	66.58	37.75	36.58	41.86	23.98
बिहार	127.32	44.14	75.32	51.56	76.41	74.87	104.90	54.01
छत्तीसगढ़	93.34	21.16	63.49	19.54	63.29	55.25	77.41	34.17
गुजरात	23.54	15.08	39.09	23.89	30.27	28.31	61.19	38.70
हरियाणा	34.62	28.65	39.28	35.75	34.95	27.07	57.72	29.25
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	20.25
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	2.69	17.34	11.87
झारखंड	17.94	4.93	27.20	16.49	27.10	12.20	34.10	12.24
कर्नाटक	65.74	47.65	90.32	72.52	80.31	73.26	123.05	75.65
केरल	3.91	2.78	2.62	2.10	3.04	2.28	2.59	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	125.70	59.33	214.76	160.72	174.03	146.82	249.56	107.12
महाराष्ट्र	116.60	107.40	168.58	147.12	151.67	135.85	228.78	186.78
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16	11.45
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	3.75
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	3.80
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	2.97
ओडिशा	67.02	63.41	66.56	58.53	61.01	64.76	75.97	56.32
पंजाब	64.75	61.22	48.41	37.57	47.72	35.18	63.86	19.05
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00
राजस्थान	54.17	39.15	107.60	76.05	94.67	79.28	154.36	95.46
तमिलनाडु	46.92	30.58	48.44	30.08	36.58	34.54	52.06	26.44
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	21.88	10.79
उत्तर प्रदेश	312.67	226.28	294.12	177.57	283.72	244.96	290.91	143.07
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92	16.25
पश्चिम बंगाल	100.53	71.65	65.43	33.94	57.03	38.58	59.32	18.27
कुल	1442.07	983.38	1554.71	1129.43	1377.13	1184.98	1970.84	1089.00
सकल योग	1442.07	983.38	1554.71	1129.43	1377.13	1184.98	1970.84	1089.00

(23.11.2012 के अनुसार)

एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम)

(लाख रु.)

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	3731.8	3731.8	5756.7	5756.7	2835.3	2835.3	6488.4	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	859.7	859.7	799.2	799.2	917.6	917.6	1254.5	919.2
छत्तीसगढ़	1261.6	1261.6	1166.9	1166.9	1175.8	1175.8	1207.5	755.5
गुजरात	2363.2	2363.2	1785.8	1785.8	3034.0	3034.0	2078.1	0.0
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
हरियाणा	655.9	655.9	503.1	503.1	722.8	722.8	722.9	434.6
हिमाचल प्रदेश	59.4	59.4	89.3	89.3	83.0	83.0	73.9	65.3
जम्मू और कश्मीर	82.6	82.6	132.5	132.5	206.0	206.0	206.2	42.0
कर्नाटक	1738.5	1738.5	5748.5	5748.5	4754.5	4754.5	3523.0	1394.4
केरल	35.2	35.2	0.0	0.0	22.7	22.7	65.0	0.0
मध्य प्रदेश	4329.3	4329.3	5619.4	5619.4	7429.3	7429.3	6000.5	4490.6
महाराष्ट्र	3428.4	3428.4	5498.4	5498.4	8091.3	8091.3	4963.1	3619.6
मिजोरम	553.8	553.8	876.8	876.8	362.0	361.4	0.0	0.0
ओडिशा	3164.0	3164.0	3050.0	3050.0	3961.0	3961.0	2041.9	1068.4
पंजाब	58.1	58.1	60.8	60.8	140.3	140.3	203.0	0.0
राजस्थान	3001.6	3001.6	5070.9	5070.9	5251.0	5251.0	5500.0	2306.8
तमिलनाडु	1753.8	1753.8	1132.6	1132.6	1267.9	1267.9	1508.7	821.9
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	1822.1	1822.1	1221.9	1221.9	1289.5	1289.5	1962.6	666.4
पश्चिम बंगाल	754.7	754.7	614.2	614.2	100.0	100.0	900.0	665.0
कुल	29653.8	29653.8	39126.8	39126.8	41644.0	41643.4	38702.7	17249.6

(27.11.2012 के अनुसार)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

(रुपये करोड़ रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	410.00	410.00	393.45	432.29	727.74	734.20	601.98	266.17
अरुणाचल प्रदेश	16.10	15.98	39.08	28.95	8.26	10.68	40.31	17.72
असम	79.86	79.86	256.87	216.87	227.77	227.77	399.57	233.31
बिहार	110.79	110.79	380.94	415.10	506.82	506.82	724.01	416.97
छत्तीसगढ़	131.78	136.14	461.00	503.44	230.57	212.61	581.12	339.03
गोवा	11.87	0.00	11.31	7.07	49.55	24.78	62.43	14.11
गुजरात	386.19	386.19	353.45	388.63	515.48	515.48	616.87	564.24
हरियाणा	112.77	112.77	204.74	226.80	168.92	176.87	209.49	118.23
हिमाचल प्रदेश	33.02	33.03	94.85	94.85	99.93	99.93	73.48	28.17
जम्मू और कश्मीर	42.05	42.85	162.16	96.42	103.03	63.03	112.08	60.44
झारखंड	70.13	70.13	160.96	96.90	168.56	174.56	241.55	128.33
कर्नाटक	410.00	410.00	284.03	284.03	595.90	595.90	601.52	360.27
केरल	110.92	110.92	192.35	149.65	173.93	182.89	282.26	156.10
मध्य प्रदेश	247.44	247.44	589.09	559.18	398.37	398.37	448.13	272.63
महाराष्ट्र	407.24	404.39	653.00	653.00	727.67	735.44	1050.81	661.43
मणिपुर	5.86	5.86	24.81	15.50	22.25	22.25	52.94	22.03
मेघालय	24.68	24.68	46.12	46.12	14.66	20.44	105.34	22.68
मिजोरम	4.15	0.00	7.49	3.75	34.61	36.63	200.91	116.84
नागालैंड	20.38	20.38	13.24	13.25	37.54	37.54	85.75	51.75
ओडिशा	121.49	121.49	274.40	274.40	356.96	356.96	503.10	374.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	43.23	43.23	179.12	179.12	138.87	145.87	156.93	36.73
राजस्थान	186.12	186.12	572.47	628.01	685.04	692.08	363.09	266.32
सिक्किम	15.29	15.29	6.56	6.56	20.08	24.64	29.47	11.79
तमिलनाडु	127.90	127.90	225.71	250.03	333.06	333.06	669.68	413.79
त्रिपुरा	31.28	31.28	116.86	116.48	17.99	25.63	56.43	27.06
उत्तर प्रदेश	390.97	390.97	635.92	695.36	757.26	762.83	432.26	122.01
उत्तराखंड	71.36	71.46	2.61	1.31	131.77	128.84	44.36	3.79
पश्चिम बंगाल	147.38	147.38	476.15	335.98	476.65	486.65	464.81	235.49
कुल राज्य	3770.25	3756.53	6662.00	6719.05	7729.24	7732.75	9210.68	5342.42
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.21	1.28						
चंडीगढ़	3.70	0.42						
दादरा और नगर हवेली	0.29							
दमन और दीव	0.30				गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।			
दिल्ली	2.36	0.24						
लक्षद्वीप	10.12	1.09						
पुदुचेरी	0.69	0.00						
कुल संघ शासित प्रदेश	29.67	3.03						
जिला कृषि योजना	6.82							
एनआईआरडी, आईएसईसी, आईईजी, आईआईएम-सीएमए तथा प्रशासनिक आपदा		1.37	60.00	1.03	81.63	61.34	106.59	3.66
सकल योग	3806.74	3760.93	6722.00	6720.08	7810.87	7794.09	9317.27	5346.08

(26.11.2012 के अनुसार)

वृहत कृषि प्रबंधन

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	6535.00	6253.22	6307.19	3676.39	5335.59	5335.59	6206.94	4379.54
अरुणाचल प्रदेश	2050.00	2250.00	3021.00	3221.00	1722.50	2022.50	2054.00	1027.00
असम	1625.00	812.50	2337.00	1168.50	1332.50		1589.00	0.00
बिहार	3900.00	3814.75	3857.48	3305.40	3263.25	3263.25	3806.61	390.41
छत्तीसगढ़	2170.00	2170.00	2081.71	2081.71	1761.03	1761.03	2037.95	915.00
गोवा	100.00	100.00	45.51	45.51	38.50	38.50	39.89	0.00
गुजरात	3645.00	3830.30	3657.56	3919.13	3094.12	4188.12	3534.00	1767.00
हरियाणा	1690.00	2690.00	1608.04	1334.41	1360.33	1360.33	1582.49	245.69
हिमाचल प्रदेश	2000.00	2000.00	2015.79	2290.79	1705.26	1705.26	1954.15	850.49
जम्मू और कश्मीर	3660.00	3090.50	3716.06	1582.73	3143.61	2501.71	3603.55	1680.00
झारखंड	1065.00	876.48	1076.45	887.86	910.63	1097.93	894.30	228.61
कर्नाटक	5025.00	5025.00	4789.57	4789.57	4051.75	4051.75	4621.13	2310.57
केरल	1275.00	1275.00	1183.85	1183.85	1001.48	1001.48	1110.40	537.86
मध्य प्रदेश	6285.00	6170.58	6165.40	6915.40	5215.64	5515.64	6173.70	2980.04
महाराष्ट्र	9275.00	9275.00	8910.17	10910.17	7537.59	8100.54	8238.24	3955.86
मणिपुर	2050.00	2350.00	3021.00	4721.00	1722.50	2072.50	2054.00	1027.00
मिजोरम	2325.00	1801.63	3420.00	4009.25	1202.50	1617.50	1433.00	1433.00
मेघालय	1425.00	1425.00	2109.00	2109.00	1950.00	1950.00	2325.00	2325.00
नागालैंड	2325.00	2475.00	3420.00	3671.00	1950.00	2200.00	2325.00	1162.50
ओडिशा	3280.00	2353.63	3199.44	3873.89	2706.58	2706.58	3181.60	1080.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	1750.00	1875.00	1627.27	813.64	1376.59	688.30	1595.80	797.90
राजस्थान	5750.00	4791.48	5585.15	5585.15	4724.77	4724.77	5618.50	2289.25
सिक्किम	1850.00	1745.54	2736.00	2836.00	1560.00	1577.05	1860.00	930.00
तमिलनाडु	3460.00	2935.04	3283.01	4608.01	2777.27	3777.27	3174.95	1428.79
त्रिपुरा	1850.00	1080.25	2736.00	3628.65	1560.00	1560.00	1860.00	832.65
उत्तर प्रदेश	11310.00	12060.00	10879.01	10129.01	9203.14	9203.14	10585.30	4539.21
उत्तराखंड	2300.00	2236.34	2322.54	2322.54	1964.76	1964.76	2251.30	831.16
पश्चिम बंगाल	4425.00	5077.68	4288.79	3844.84	3628.11	1814.06	4089.20	1841.57
दिल्ली	40.00		50.00	0.00	25.00	12.50	0.00	
पुदुचेरी	40.00	0.00	50.00	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	2.00	4.00	
चंडीगढ़							0.00	
दादरा और नगर हवेली	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	8.00	3.00	1.50
लक्षद्वीप	6.00	0.00	6.00		3.00		0.00	
दमन और दीव			6.00	3.00			3.00	1.50
कुल	94500.00	91853.92	99526.00	99502.40	77860.00	77847.05	89860.00	41814.62
मिश्रित (एएनटीएडब्ल्यूए)								
प्रत्यक्ष वित्त पोषित घटक	500.00	290.78	474.00	487.00	140.00	138.84	140.00	27.27
डीवीसी	0.00	0.00	0.00	0.00				
ड्रीप सिंचाई								
सकल योग	95000.00	92144.70	100000.00	99989.40	78000.00	77985.89	90000.00	41841.89

(26.11.2012 के अनुसार)

[अनुवाद]

कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु प्रस्ताव

*150. **श्री यशवीर सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लगभग 130 कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला ब्लॉकों का आवंटन करने से इन्कार कर दिया गया था, जबकि इन्हें निजी कंपनियों को दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को दक्षिण-पूर्व अफ्रीका में कोयले की खोज करने और स्रोत का पता लगाने के लिए स्थापित की गई सीआईएल की सहायक कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड में प्रतिनियुक्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) 12वीं योजना के पश्चात उत्पादन की घटती हुई प्रवृत्ति को पलटने और कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सीआईएल ने अगस्त, 2008 में भविष्य में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए 138 कोयला ब्लॉकों का आवंटन करने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया था। कोयला मंत्रालय ने सीआईएल को उन कोयला ब्लॉकों को निर्दिष्ट करने की सलाह दी जो सीआईएल की सहायक कंपनियों को दीर्घावधि उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के वास्ते अपेक्षित होंगे। उत्पादन योजना/प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सहायक कंपनियों की आवश्यकता के आधार पर सीआईएल ने सितंबर, 2011 में 116 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए अनुरोध किया। सीआईएल के प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात कोयला मंत्रालय ने मई, 2012 में अंनतिम रूप से 116 कोयला ब्लॉकों कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिए हैं। उपर्युक्त के अलावा, प्राथमिकता के आधार पर खनन आरंभ करने के लिए रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों में से तीन कोयला ब्लॉक ब्राह्मणी, चिचरो पस्तीमल और ईस्ट ऑफ दमागोरिया भी सीआईएल को सौंप दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सीआईएल ने बोली प्रक्रिया के माध्यम से मोजाम्बिक सरकार द्वारा आबंटित दो कोयला ब्लॉकों के अन्वेषण तथा विकास के लिए मौजाम्बिक में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नामतः कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड (सीआईएएल) को पंजीकृत किया है। सीआईएएल ने टेटे शहर में एक कार्यालय की स्थापना की है। इस समय सीआईएल के चार कार्यपालक सीआईएएल में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों की अंतर-विधा वाली टीम ड्रिलिंग तथा संबद्ध कार्यकलापों में लगी हुई है जिन्हें इन कोयला ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ

*151. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर** :
श्री आधि शंकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत-पाक सीमा पर उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ में सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सामान्य रूप से देश के और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के सभी सुरक्षा पहलुओं पर विचार किया है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(च) सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आसूचना जानकारियों से भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तानी आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय मदद का पता चला है। भारत-पाकिस्तान सीमा, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए सुभेद्य है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी, पाकिस्तान रेन्जरों/पाकिस्तान सेना की मदद से भारतीय भू-भाग में घुसने का अकसर निष्फल प्रयास करते हैं। तथापि, गहन निगरानी और उच्च

स्तरीय सतर्कता की वजह से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कार्मिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा की जाने वाली घुसपैठ के प्रत्येक प्रयास को विफल कर दिया। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी अवसंरचना यथावत बनी हुई है। और सीमा-पार से घुसपैठ का प्रयास सुरक्षा बलों के लिए अब भी एक चुनौती बना हुआ है। रिपोर्टों से पता चलता है कि सीमा पार 42 उग्रवादी कैम्प सक्रिय है जिनमें से 25 पाक अधिकृत कश्मीर में और 17 पाकिस्तान में हैं जिनमें लगभग 2500 उग्रवादी हैं।

बहु अभिकरण केन्द्र (एमएसी) के अनुसार, वर्ष 2007 से घुसपैठ के प्रयासों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	2007	2008	2009	2010	2011	अक्तूबर, 2011	अक्तूबर, 2012
घुसपैठ के प्रयासों की संख्या	535	342	485	489	247	235	249

सरकार ने सीमा-पार घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति अपनायी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और हमेशा बदलते रहने वाले घुसपैठ मार्गों पर बहुस्तरीय और बहु-मॉडल तैनाती, सीमा बाड़ का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार एवं उपकरण, उन्नत आसूचना एवं संचालनात्मक समन्वय कार्य शामिल है।

(ग) से (ङ) सितम्बर, 2010 में जम्मू और कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के पश्चात् और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राज्य सरकार से सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के अंतर्गत "अशान्त क्षेत्र" के रूप में क्षेत्रों की अधिसूचनाओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

(च) सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ सहित सीमा पर अपराधों को रोकने और वहां प्रभावी आधिपत्य रखने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

- गश्त नाका (सीमा पर घात) द्वारा सीमाओं की चौबीसों घंटे चौकसी और भारत-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी चौकी स्थापित करके सीमा पर प्रभावी आधिपत्य। सीमा सुरक्षा बल के जल-विंग के जलयान/स्पीड बोट्स/फ्लोटिंग बार्डर आउट पोस्ट (सीमा चौकी) की मदद से भारत-पाकि सीमा पर स्थित नदीय क्षेत्रों में गश्त लगाई जा रही है और वहां आधिपत्य रखा जा रहा है।
- बाड़, गश्त सड़कों का निर्माण, तेज रोशनी से संबंधित प्रणालियां और अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित की जा रही है।
- उच्च-तकनीक वाले निगरानी उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। डे और नाइट विजन उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित अद्यतन चौकसी उपकरणों की खरीद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सीमा पर आधिपत्य को और बढ़ाया जा सके।
- आसूचना नेटवर्क का स्तरोन्नयन, संबद्ध एजेंसियों से समन्वय और सीमा पर विशेष अभियानों का आयोजन।

निजी टीवी चैनलों हेतु विनियामक ढांचा

***152. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण हेतु विद्यमान विनियामक ढांचा क्या है;

(ख) क्या निजी इलैक्ट्रॉनिक चैनलों ने कोई स्व: विनियामक तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राय बनी है कि उक्त स्व: विनियामक तंत्र निष्प्रभावी साबित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस सँबंध में विनियामक तंत्र में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा यदि किन्हीं और उपायों पर विचार किया जा रहा है, तो वे क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) निजी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की पूर्व-सेंसरशिप की व्यवस्था नहीं है। तथापि, उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों में विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। यथोक्त कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं सभी निजी सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों पर लागू होती है।

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में कई सिद्धांतों की व्यवस्था है जिन्हें इस टीवी चैनलों द्वारा अनुपालन करना होता है। जब कभी निजी सैटेलाइट केबल टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रमों या विज्ञापनों में उल्लंघन करने की किसी घटना की जानकारी प्राप्त होती है, यथोक्त अधिनियम के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है। सरकार ने एक अंतर मंत्रालयीय समिति गठित की है जो कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करती है या अपनी ओर से संज्ञान लेती है। उल्लंघन साबित होने की स्थिति में यथोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एक और पहल के रूप में, निजी सैटेलाइट चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों में उल्लंघन की मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तरीय (16 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश) और जिला स्तरीय (274 जिला) अनुवीक्षण समितियां गठित की गई हैं।

(ख) से (घ) समाचार प्रसारक संघ, जो निजी टेलीविजन समाचार और समसामयिकी प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने अपने स्व-विनियमन तंत्र के हिस्से के रूप में समाचार प्रसारण के स्व-विनियमन हेतु अनेक सिद्धांतों को शामिल करते हुए नैतिक मूल्यों और प्रसारण मानकों की संहिता बनाई है। समाचार प्रसारक संघ ने समाचार प्रसारण मानक विनियम भी बनाए है। समाचार प्रसारक संघ ने समाचार प्रसारण मानक विनियम भी बनाए है। उन्होंने विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए एक दो-स्तरीय ढांचा गठित किया है। स्तर-I में, शिकायतों का निपटारा संबंधित प्रसारकों द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। स्तर-II में, समाचार प्रसारक संघ ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) का गठन किया है।

समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के उद्देश्य में समाचार और समसामयिकी चैनलों के खिलाफ या उनके संबंध में शिकायते प्राप्त करना और उनका निर्णय करना शामिल है, जहां तक ऐसी शिकायतें उनके प्रसारण की विषय-वस्तु से संबंधित होती हैं। प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज़ होता है और चार ख्यातिलब्ध संपादक होते हैं जो प्रसारकों के साथ नियोजित होते हैं और कानून, शिक्षा, चिकित्साविज्ञान, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, मानव मनोविज्ञान और/अथवा संस्कृति के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और/अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति होते हैं।

भारतीय प्रसारण संगठन (आईबीएफ), जो गैर-समाचार और मनोरंजन चैनलों का एक स्व-विनियमन निकाय है, ने स्व-विनियमन हेतु एक तंत्र गठित किया है। इसके हिस्से के रूप में, भारतीय प्रसारण संगठन के विषय-वस्तु संहिता और प्रमाणीकरण नियम, 2011 बनाए हैं जिसमें विषय-वस्तु से संबंधित समूचे सिद्धांतों और टेलीविजन प्रसारण के मानदंडों को शामिल किया गया है। इस तंत्र के हिस्से के रूप में, एक दो स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली गठित की गई है। स्तर-I में, प्रत्येक प्रसारक एक मानक और व्यवहार (एसएंडपी) विभाग गठित करेगा जिसमें एक विषय-वस्तु संपादक होगा जो अपने चैनलों में प्रसारित विषय-वस्तु के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करेगा। स्तर-II में, एक प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) का गठन किया गया है। बीसीसीसी में 13 सदस्य हैं जिनमें एक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज है जो अध्यक्ष के रूप में है और 12 अन्य सदस्य हैं, अर्थात् 4 ख्यातिलब्ध व्यक्ति, किन्हीं राष्ट्रीय स्तर के सांविधिक आयोगों से चार सदस्य और 4 प्रसारण सदस्य।

तथापि, प्रसारकों द्वारा बनाए गए स्व-विनियमन तंत्र सरकार के प्रचलित कानून अर्थात् केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विद्यमान विनियमन कार्यों का स्थान नहीं लेते। जब स्व-विनियमन विषय-वस्तु के विनियमन में सफल नहीं होता या मामला उनके अधिकार-क्षेत्र से बाहर होता है, तब सरकार विद्यमान अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करती है।

स्व-विनियमन की प्रभाविकता या किसी अन्य बात के संबंध में अभी तक कोई निश्चयात्मक विचार नहीं बन सका है।

(ङ) यहां भाग (क) से (घ) के उत्तर में वर्णित विनियामक तंत्र फिलहाल के लिए पर्याप्त समझा गया है।

[अनुवाद]

बीटी कॉटन की खेती

***153. श्री पोन्नम प्रभाकर :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में पारम्परिक कपास की खेती के बजाए बीटी कॉटन की खेती के फायदों का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपास उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीटी कॉटन और पारम्परिक कपास का राज्य-वार उत्पादन कितना रहा है और इनकी खेती के अंतर्गत कितना क्षेत्र है; और

(घ) देश में बीटी कॉटन की खेती के संवर्धन हेतु सरकार की योजना की रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) के नागपुर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बी.टी. कपास ने बॉलवर्म को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया है, इस प्रकार बी.टी कपास के उपयोग से पूर्व भारत में प्रत्येक वर्ष 30-60 प्रतिशत तक अनुमानित नुकसान से कपास की उपज को बचाया है। सबसे बड़ी उपलब्धि कीटनाशियों के कम प्रयोग के रूप में पाई गई है। 2001 में देश में इनका कुल प्रयोग 46 प्रतिशत था जो 2006 के बाद 26 प्रतिशत से कम हो गया और पिछले दो वर्षों के दौरान 21 प्रतिशत तक हुआ है। कपास और अन्य पोषक फसलों पर भी बॉलवर्म के प्रकोप में उल्लेखनीय कमी आई है, इस प्रकार मिले-जुले कीटनाशियों के उपयोग से होने वाले दबाव और बॉलवर्म संक्रमण कर खत्म हुआ है। बीटी कपास के प्रयोग के बाद बॉलवर्म के कम से कम नुकसान और रेशा के कम नुकसान होने के कारण भारतीय कपास की गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य स्तर तक सुधार हुआ है।

(ग) इसका ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(घ) सर्वाधिक लंबे समय तक बी.टी कपास के फायदे और गुणों को बनाए रखने हेतु कीट प्रतिरोधी प्रबंधन रणनीतियों का समर्थन किया जाता रहा है। इसके अलावा, द्वितीयक एवं सूक्ष्मपोषकों सहित समेकित पोषण प्रबंधन तकनीकें, ड्रिप सिंचाई प्रणाली सहित जल प्रबंधन रणनीतियां, फसल ज्यामिति और बी.टी कपास संकरों के पौधों का इष्टतमीकरण, बी.टी बीजों की शुद्धता को बनाए रखने हेतु बी.टी जांच किटों के लिए प्रौद्योगिकी अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें टिकाऊ बी.टी कपास प्रौद्योगिकी के लिए महत्व दिया जा रहा है।

विवरण

परम्परागत कपास, बीटी कपास और कुल कपास के तहत राज्यवार क्षेत्र का तुलनात्मक ब्यौरा

(क्षेत्र लाख है. में उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 000 गांठें)

राज्य	2008-09				2009-10				2010-11			
	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	कुल उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	कुल उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	कुल उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	2.56	11.43	13.99	3569.0	0.37	14.30	14.67	3227.0	0.78	17.06	17.94	5300.0
गुजरात	14.64	8.90	23.54	7013.8	6.38	18.25	24.64	7985.3	7.39	18.94	26.33	10500.0
कर्नाटक	1.84	2.25	4.09	866.0	1.95	2.62	4.57	868.2	1.75	370	5.45	1250.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य प्रदेश	1.45	4.80	6.25	856.1	0.18	5.93	6.11	855.3	1.05	5.45	6.50	2000.0
महाराष्ट्र	2.66	28.80	31.46	4752.0	3.45	31.50	34.95	5859.3	3.56	35.76	39.32	8800.0
तमिलनाडु	0.40	0.75	1.15	187.7	0.26	0.78	1.04	225.0	0.72	0.50	1.22	500.0
पंजाब	0.50	4.77	5.27	2285.0	0.36	4.74	5.11	2006.0	0.70	4.60	5.30	2100.0
हरियाणा	0.77	3.78	4.55	1858.0	0.32	4.75	5.07	1926.0	0.22	4.70	4.92	1750.0
राजस्थान	182	1.21	3.03	725.7	1.78	2.65	4.44	903.1	0.70	2.65	3.35	900.0
ओडिशा	0.57	—	0.57	146.6	0.54	—	0.54	147.2	0.74	—	0.74	250.0
पश्चिम बंगाल	0.03	—	0.03	6.0	0.04	—	0.01	3.3	—	—	—	—
अन्य	0.15	—	0.15	10.3	0.17	—	0.16	15.1	0.45	—	0.45	75.0
कुल	27.39	66.69	94.08	22276.2	15.80	85.52	101.32	24021.8	18.06	93.36	111.42	33425.0

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाहनों पर जीपीएस

***154. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान उनकी चोरी/विपथन को समाप्त करने के लिए कुछ राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों पर 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' स्थापित करने की स्कीम प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना का संपूर्ण देश में विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों का लीकेज/अन्यथा स्थानान्तरण रोकने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों के संचलन का पता लगाने के लिए तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्यों में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वयन करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सैट लगाने का काम शुरू किया गया है।

दो जिलों में यह स्कीम क्रियान्वित करने वाली तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस व्यवस्था के लग जाने से भारतीय खाद्य निगम से आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा बिना अन्यथा हस्तांतरण के निर्धारित गोदामों तक पहुंचाने; सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की ढुलाई में शामिल व्यक्तियों में नैतिक भय पैदा करने; कम समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की गतिविधि का पता लगाने और ढुलाई में विलंब से बचने में सहायता मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य पदार्थों की ढुलाई करने वाले ट्रकों में जी.पी.एस. सैट लगाने के बाद वे सही सलामत अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं और इनमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(ग) और (घ) इन राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इस स्कीम के अधीन वित्तीय

सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

[हिन्दी]

कोयले की मांग और आपूर्ति

***155. श्री हंसराज गं. अहीर :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और क्षेत्र-वार कोयले के उत्पादन और इसकी मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसके उत्पादन और आपूर्ति में कमी के क्या कारण हैं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्य-योजना बनाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए कोयले का आयात किया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयात किए गए कोयले की मात्रा/मूल्य का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विद्यमान कोयला स्रोतों और कोयले की आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने हेतु अंतर-मंत्रालयी कार्य बल की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार कोयला उत्पादन निम्नानुसार दिया गया है:–

(मिलियन टन)

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	50.429	51.333	52.211
असम	1.113	1.101	0.602
बिहार	109.953	113.825	113.958
जम्मू और कश्मीर	0.023	0.023	0.02
झारखंड	105.917	108.949	109.56
मध्य प्रदेश	74.074	71.104	71.123
महाराष्ट्र	41.005	39.336	39.158
मेघालय	5.767	6.974	7.206
ओडिशा	106.409	102.565	105.475
उत्तर प्रदेश	13.968	15.526	16.178
पश्चिम बंगाल	23.133	21.659	24.227
अरुणाचल प्रदेश	0.251	0.299	0.222
कुल	532.042	532.694	539.94

गत तीन वर्षों में कोयले की मांग एवं आपूर्ति (प्रेषण) नीचे दी गयी है:–

वर्ष	मांग (ब.अ.) (मिलियन टन)	आपूर्ति (प्रेषण) (मिलियन टन)
2009-10	604.33	513.792
2010-11	656.31	523.465
2011-12 (अनं.)	696.03	535.152

यह मांग कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना के अनुसार है।

कोयले की राज्य-वार आपूर्ति (प्रेषण) नीचे दी गई है:–

(मिलियन टन)

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
आंध्र प्रदेश	49.266	50.046	51.39
असम	1.071	1.102	0.8
बिहार	106.921	109.562	114.61
जम्मू और कश्मीर	0.017	0.025	0.018
झारखंड	99.863	106.637	109.64
मध्य प्रदेश	73.481	69.443	69.568
महाराष्ट्र	40.743	38.24	38.107
मेघालय	5.767	6.974	7.206
ओडिशा	100.591	104.359	104.82
उत्तर प्रदेश	13.587	15.393	15.467
पश्चिम बंगाल	22.259	21.439	23.203
अरुणाचल प्रदेश	0.226	0.245	0.323
कुल	513.792	523.465	535.152

कोयले की क्षेत्र-वार आपूर्ति (प्रेषण) नीचे दी गई है:-

(मिलियन टन)

क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
पावर (उपयोगिता)	341.373	353.918	366.997
पावर (कैप्टिव)	49.203	41.918	36.908
स्टील	16.449	17.261	16.046
स्टील (बायलर्स)	2.125	1.365	
सीमेंट	14.663	15.079	13.398
फर्टिलाइजर्स	2.626	2.942	2.779
स्पांज आयरन	23.096	22.794	21.281
अन्य मूलभूत धातु (अल्युमिनियम आदि)	0.742	1.166	एनए
कैमिकल	0.578	0.509	एनए
पल्प एंड पेपर	2.335	2.432	एनए
टेक्सटाइल्स एंड रायन्स	0.272	0.275	एनए
अन्य	60.33	63.806	77.743
कुल प्रेषण	513.792	523.465	535.152
कोलियरी का अपना खपत	0.435	0.432	0.579
कोलियरी स्टाफ	0.328	0.189	एनए
कुल उठान	514.555	524.086	535.731

(ख) वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार पिछले तीन वर्षों में उत्पादन की तुलना में लक्ष्य नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन का लक्ष्य (बजट अनुमान)	वास्तविक उत्पादन
2009-10	532.33	532.042
2010-11	572.37	532.694
2011-12 (अनं.)	554.00	539.940

उत्पादन एवं आपूर्ति में कमी के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं:-

(i) कोयले को पिटहेड से साइडिंग्स तक ले जाने तक ढुलाई संबंधी बाधाएं।

(ii) रूक-रूक कर कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं जिनके कारण विशेष रूप से झारखंड एवं ओडिशा राज्यों में कोयले की ढुलाई में बाधा होती हैं।

(iii) विद्युत केन्द्रों द्वारा एमजीआर जैसे कैप्टिव मोडो का अपेक्षा से कम उपयोग।

(iv) मांग सूची एवं वैगन की आपूर्ति के बीच असंतुलन तथा अनलोड करने संबंधी अड़चने जिससे अपेक्षित सीमा तक वैगन की आपूर्ति करने में बाधा होती है।

(v) मौसम संबंधी प्रतिकूलताएं जैसे- भारी वर्षा, गर्म हवा जैसी स्थितियां तथा कोहरे की स्थितियां जिससे कोयले की ढुलाई तथा आवाजाही का आदर्शतम स्तर बाधित होता है।

(ग) और (घ) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में बाधाओं के कारण देश में कोयले की मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता को उपभोक्ता क्षेत्रों द्वारा कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किए जाने की परिकल्पना है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से देश-वार आयात किए गए कोयले का मूल्य/मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। टास्क फोर्स की सिफारिशें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गई हैं। टास्क फोर्स की सिफारिशें, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को 8/12 सितम्बर, 2011 को अग्रेषित की गई थीं। सीआईएल ने कैप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्पांज आयरन तथा सीमेंट क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के स्रोतों के यौक्तिकीकरण से संबंधित सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। विद्युत उपयोगिताओं के स्रोतों के यौक्तिकीकरण से संबंधित सिफारिशों के मामले में सिफारिशें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किसी उपभोक्ता की ओर से अस्वीकार किए जाने का कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि एक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर आपत्तियां उठाई हैं, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अनुरोध किया गया था कि वे इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कराने के लिए हस्तक्षेप करें। इस संबंध में 15.10.2012 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी तथा एमओपी/सीईए से अनुरोध किया गया है कि वे जल्दी ही आगे की कार्यवाही करे।

विवरण

भारत में कोयला एवं कोक का स्रोत देश-वार आयात

(मात्रा मिलियन टन में एवं मूल्य मिलियन रु.)

2009-10

देश	कोकिंग कोल		नान कोकिंग कोल		कुल कोयला		कोक	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंडोनेशिया	0.206	1415	31.959	114058	32.164	115474		
आस्ट्रेलिया	20.962	171841	1.874	11962	22.836	183803	0.305	4305
साऊथ अफ्रीका	0.958	4118	13.534	58151	14.492	62269		
यूएसए	1.367	13124	0.034	179	1.401	13303	0.094	1255
न्यूजीलैंड	1.059	9977			1.059	9977		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फिलीपिंस			0.671	2235	0.671	2235		
वियतनाम एसपी			0.188	1694	0.188	1694	0.019	308
रूस			0.146	1382	0.146	1382	0.587	8517
यूक्रेन			0.095	611	0.095	611	0.031	521
मोजाम्बिक			0.083	315	0.083	315		
अन्य	0.138	836	-0.018	-100	0.120	736	1.319	18405
कुल	24.690	201311	48.565	190489	73.255	391800	2.356	33311
2010-11								
इंडोनेशिया	0.581	4740	35.363	130048	35.944	134788		
आस्ट्रेलिया	15.948	171192	0.001	2	15.949	171194	0.222	3911
साऊथ अफ्रीका	0.224	1341	10.990	55931	11.214	57273		
यूएसए	1.481	18504	0.290	1325	1.771	19829	0.176	3070
न्यूजीलैंड	0.795	7704			0.795	7704		
रूस	0.244	2588	0.180	1628	0.423	4217	0.090	1748
फिलीपिंस			0.262	802	0.262	802		
चीन आरपीपी	0.112	1350	0.131	402	0.242	1753	0.701	16212
वियतनाम एसओसी आरईपी			0.241	2581	0.241	2581	0.041	942
कोलम्बिया			0.100	443	0.100	443	0.037	827
यूके	0.002	30	0.074	418	0.075	448	0.029	644
कीनिया	0.050	676			0.050	676		
मैक्सिको	0.022	239			0.022	239		
इरान	0.014	107			0.014	107		
मलेशिया	0.011	147			0.011	147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कनाडा	0.000	1	0.000	1	0.000	2		
अन्य	0.000	0.347	1.804	13293	1.804	13293	0.195	3850.141
कुल	19.484	208621	49.434	206875	68.918	415496	1.490	31204
				2011-12				
इंडोनेशिया	0.501	4822	54.759	253596	55.260	258417		
आस्ट्रेलिया	25.508	346343	2.285	19913	27.793	366256	0.208	3564
साउथ अफ्रीका	1.029	7369	11.189	69738	12.217	77107		
यूएसए	2.684	38385	0.290	1360	2.974	39746	0.034	395
रूस	0.152	1930	1.042	7956	1.194	9885	0.300	4645
न्यूजीलैंड	0.943	12854	0.017	132	0.960	12986		
चीन पीआरपी	0.265	3650	0.217	1290	0.482	4939	0.717	16895
यूक्रेन			0.367	3579	0.367	3579	0.300	6506
कनाडा	0.230	3157	0.000	0	0.230	3157		
आस्ट्रिया	0.110	1041	0.066	364	0.176	1405		
संयुक्त अरब अमीरात	0.025	315	0.045	501	0.070	816	0.005	53
इरान			0.066	442	0.066	442		
वियतनाम एसओसी आरईपी			0.063	1111	0.063	1111	0.016	320
फिलीपिंस			0.061	208	0.061	208		
इजराइल	0.060	951	0.000	1	0.060	951		
नीदरलैंड			0.050	488	0.050	488		
जर्मनी	0.034	523	0.015	172	0.049	696		
मोजाम्बिक	0.038	437	0.011	56	0.049	492		
ताइवान कोट डी			0.049	202	0.049	202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आइवाआर			0.046	189	0.046	189		
मलेशिया			0.042	222	0.042	222		
वेनेजूला	0.032	413			0.032	413		
जापान			0.029	211	0.029	211	0.423	8557
नाइजिरिया	0.023	316	0.001	3.132	0.024	319		
कोरिया आरपी			0.024	230	0.024	230		
म्यांमार			0.020	86	0.020	86		
थाइलैंड			0.019	179	0.019	179	0.007	112
सउदी अरब			0.018	65	0.018	65	0.079	555
बहरीन			0.013	58	0.013	58		
आयरलैंड			0.010	34	0.010	34		
यूके	0.002	36			0.002	36	0.035	659
सिंगापुर	0.003	44			0.003	44	0.022	472
कोलम्बिया							0.127	2757
पोलैंड							0.085	1973
अन्य	0.163	2107	0.240	1297	0.403	3404	0.007	121
कुल	31.801	424692	71.052	363683	102.853	788376	2.365	47585

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य मंत्रालय।

2012-13 (जुलाई तक) के दौरान कोयले का स्रोत देश-वार आयात

(मात्रा मिलियन टन में एवं मूल्य मिलियन रु.)

देश	कोकिंग कोल		नान कोकिंग कोल		कुल कोयला		कोक	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंडोनेशिया	0.052	573	23.014	102912	23.065	103485		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ट्रेलिया	9.560	114671	0.640	5109	10.200	119780	0.002	44
साऊथ अफ्रीका	0.415	2685	4.287	26480	4.703	29165		
यूएसए	1.202	14501	0.784	4794	1.986	19296		
कनाडा	0.501	5820	0.005	15	0.506	5836		
न्यूजीलैंड	0.447	5101	0.000	0	0.447	5101		
मोजाम्बिक	0.299	3527	0.000	0	0.299	3527		
रूस	0.072	814	0.064	566	0.136	1380	0.171	3173
मंगोलिया	0.033	417	0.034	167	0.067	584		
यूक्रेन			0.064	682	0.064	682	0.389	7355
सिंगापुर			0.061	352	0.061	352		
इटली			0.020	131	0.020	131	0.015	236
वियतनाम एसओसी आरईपी			0.048	742	0.048	742	0.023	459
घाना			0.018	74	0.018	74		
सऊदी अरब			0.017	80	0.017	80		
अन्य	0.013	166	0.119	780	0.132	945	0.468	9202
कुल योग	12.595	148276	29.175	142885	41.769	291161	1.067	20470

स्रोत: डीजीआईएस, वाणिज्य मंत्रालय।

[अनुवाद]

प्रसार भारती

***156. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा इसे वित्तीय संकट से उबारने के लिए घोषित पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्तीय संकट से उबारने संबंधी पैकेज को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) प्रसार भारती निगम पूरी स्वायत्तता के साथ कब तक कार्य करने लगेगा और अपने कार्यकरण हेतु पर्याप्त निधियां जुटा लेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं, प्रसार भारती इस समय किसी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार ने प्रसार भारती के वेतन वे वेतन से संबंधित संस्थापन व्यय की उसकी शत-प्रतिशत आवश्यकता, जोकि इस वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 1780 करोड़ रुपए की है, को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

प्रसार भारती के सीमित आंतरिक संसाधनों का उपयोग उसकी अन्य प्रचालन लागतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती के वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज के भाग के रूप में, सरकार ने हाल ही में अनेक उपायों का अनुमोदन किया है, जिनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के अगले पांच वर्षों के दौरान प्रसार भारती के वेतन एवं वेतन संबंधी अन्य मदों पर होने वाले शत-प्रतिशत व्यय को वहन किया जाएगा जबकि प्रचालन व्यय की अन्य सभी मदों पर होने वाले व्यय को प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों में से वहन किया जाएगा।
- प्रसार भारती को प्रदत्त पूंजीगत ऋणों को केवल सहायता-अनुदान में परिवर्तित करना।
- भविष्य में, सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में योजनागत पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्थायी स्वरूप के ऋण पर 2980.66 करोड़ रुपए की संचित ब्याज-राशि का परित्याग करना।
- पूंजीगत ऋणों पर संचित ब्याज और उस पर शास्तिक ब्याज, जोकि 1102.22 करोड़ रुपए बनता है, का परित्याग करना।
- दिनांक 31.03.2011 तक प्रसार भारती के अंतरिक्ष खंड व स्पेक्ट्रम प्रभारों की संचित बकाया राशियों (1349.54 करोड़ रुपए) का परित्याग करना।

सरकार के उपर्युक्त निर्णय जिसे चालू वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा, से प्रसार भारती एक वित्तीय रूप से व्यवहार्य व दीर्घकालित संगठन बन सकेगा।

(ङ) प्रसार भारती को प्रसार भारती अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही पर्याप्त प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है। तथापि, एक लोक सेवा प्रसारक होने के कारण प्रसार भारती को प्रसार भारती अधिनियम के अंतर्गत उसको दिए गए अधिदेश के अनुसार सभी कार्य करना होता है। इसलिए, राजस्व अर्जन करने के प्रसार भारती के महत्वपूर्ण उद्देश्य के बावजूद उसका कार्यकरण विशुद्धत: वाणिज्यिक उद्देश्यों द्वारा मार्गदर्शित नहीं हो सकता है।

प्रसार भारती के लोक सेवा अधिदेश के मद्देनज़र ही, प्रसार भारती अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि सरकार निगम को अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित करने में उसे सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ प्रसार भारती को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।

[हिन्दी]

सब्जियों और फलों के लिए लाभकारी मूल्य

***157. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियां और फल उत्पादित करने वाले किसानों को उनके उत्पादों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे उत्पादों के लिए विद्यमान दुग्ध सहकारिताओं की भांति सहकारिताएं स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) फलों एवं सब्जियों के मूल्यों का मुख्य रूप से निर्धारण बढ़ती हुई आय, शहरीकरण आदि के कारण मांग एवं आपूर्ति के बाजार दबावों, विद्यमान मौसम परिस्थितियों, ढुलाई लागत, भंडारण लागत तथा

बढ़ती हुई मांग के अनुरूप किया जाता है। अंततः किसान फलों एवं सब्जियों के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

सरकार उन कृषि एवं बागवानी जिन्सों के प्रापण के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का क्रियान्वयन करती है जो आमतौर पर स्वभाव से नष्ट होने योग्य हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन उस समय किया जाता है जब उत्पाद की शीर्ष आगमन अवधि के दौरान कम बिक्री को टालने के लिए इनके मूल्य आर्थिक स्तरों/उत्पादन लागत से कम हो जाते हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत् प्रापण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ऐसे संचालनों में हानि, यदि कोई होती है तो उसकी हिस्सेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच की जाती है।

सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है जिसके तहत् फलों एवं सब्जियों सहित कृषि एवं बागवानी उत्पाद के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण आदि के लिए सहकारिताओं को सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

असम में हिंसा

*158. **श्री उदय सिंह :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कोकराझार में हिंसा की नई घटनाएं होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने हिंसा की उक्त घटनाओं में कुछ विदेशी एजेंसियों/दिशा के कथित रूप से शामिल होने की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार असम में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए उच्च स्तर स्तरीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा असम में हिंसा को रोकने, राज्य में अवैध रूप से आए व्यक्तियों का पता लगाने तथा उन्हें वापिस भेजने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रिपोर्ट के अनुसार असम के कोकराझार जिले में दिनांक 10 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2012 के बीच हिंसा की ताजा घटनाएं हुईं, जिनमें 10 व्यक्ति मारे गए तथा 06 व्यक्ति घायल हुए। हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए, असम सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह बोडोलैंड भू-भागीय क्षेत्र जिला (बीटीएडी) तथा पड़ोसी जिलों में दायित्व के विशिष्ट क्षेत्रों सहित सुरक्षा बलों एवं सेना को हाई अलर्ट पर रखे तथा इस क्षेत्र में हिंसा में संलिप्त बदमाशों को गिरफ्तार करने और अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे।

(ग) असम में हुई हिंसा में किसी विदेशी एजेंसी/देश के संलिप्त होने की जानकारी देने वाली कोई सूचना नहीं है।

(घ) असम सरकार ने समुदायों के बीच हुए झगड़ों तथा तदनन्तर हुई हिंसा के कारणों, हिंसा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों और/अथवा संगठनों का पता लगाने एवं उत्तरदायितव सुनिश्चित करने, खामियों, यदि कोई हों, का निर्धारण करने तथा बी.टी.ए.डी क्षेत्रों में सभी समुदायों के बीच स्थायी रूप से शांति एवं नृजातीय सौहार्द बनाए रखने सहित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुतुम बी.के. सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।

(ङ) असम सरकार ने बी.टी.ए.डी क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य पुलिस ने 11 मामले दर्ज किए हैं तथा हाल की हिंसा में शामिल पाए गए 77 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक, असम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा की समीक्षा करने और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए दिनांक 16.11.2012 को हिंसा से प्रभावित कोकराझार जिले का दौरा किया। मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं से सुदृढ़ीकरण के लिए बी.टी.ए.डी क्षेत्र में पहले तैनात की गई केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पैंसठ कंपनियों के अलावा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) की पांच अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गयी थीं। असम के बी.टी.ए.डी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। बी.टी.ए.डी क्षेत्र में 17 नवम्बर

से 28 नवंबर, 2012 के बीच हिंसा की किसी भी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) के तहत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बांग्लादेशी नागरिकों सहित भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने तथा उनके निर्वासन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। असम राज्य में विदेशियों/अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अगस्त, 2009 में स्वीकृत चार (4) अतिरिक्त विदेशी विषयक अधिकरणों सहित 36 विदेशी विषयक अधिकरणों की स्थापना की गई है। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के सुदृढ़ीकरण, उन्हें आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। बांग्लादेश सीमा पर सीमावर्ती बाड़ को और मजबूत बनाया जा रहा है तथा सीमा पर तेज रोशनी का प्रबंध करने संबंधी एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों संबंधी मुद्दे को विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से उठाया जाता है तथा समन्वित गश्त, खुभेद्य खामियों की पहचान, नदी तटीय गश्त के सुदृढ़ीकरण इत्यादि के लिए कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश सरकार से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह विशेषकर सुभेद्य एवं नदी तटीय क्षेत्रों के जरिए भारत में अपने नागरिकों की अवैध आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ को लगाए जाने से बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासन की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में मदद मिली है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास

***159. श्री सुरेश अंगड़ी :**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आयु वर्ग के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत पात्रता हेतु आय संबंधी मानदंडों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कितने व्यक्तियों लाभान्वित होंगे;

(ग) क्या बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकारों को क्रियान्वयन हेतु इन नए मानदंडों के बारे में बता दिया गया है; और

(घ) इनके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के आवास संबंधी आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लाभग्राहियों को लक्षित करते हुए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न आवास योजनाओं के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु आय संबंधी मानदंडों में संशोधन किया है।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आय की सीमा प्रतिमास 5,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष की गई है और निम्न आय वर्ग के लिए यह सीमा 5001-10,000 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर रुपए 1,00,001 से लेकर 2,00,000 रुपए प्रतिवर्ष की गई है। चूंकि पात्रता के निर्धारण के लिए आय संबंधी मानदंडों के संशोधन का पैरामीटर आर्थिक स्वरूप का है, इसलिए संभावित लाभग्राहियों की संख्या का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) आय संशोधन से संबंधित नए मानदंडों से सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय नोडल अभिकरणों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास और शहरी विकास निगम लि. (हडको) को अवगत कराया गया है। तत्पश्चात, एनएचबी और हडको ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) को इससे अवगत कराया है। अधिसूचना को मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभग्राहियों की पात्रता के संबंध में निर्णय करने के लिए आय मानदंडों के संशोधन का पैरामीटर केवल आर्थिक ही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की आवास संबंधी जरूरतों का समाधान इस मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र और बैंकों/वित्तीय संस्थानों की सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा किया जाना है। तथापि, इससे बड़ी संख्या में लोगों को ऋण सुलभ हो सकेगा और वे विभिन्न योजनाओं में भाग ले सकेंगे।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों का संतुलित विकास

*160. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :**

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर परिषद् की सिफारिशों पर इस समय कौन-कौन सी योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं के संतुलित वितरण हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन प्रत्येक परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/जारी की गई तथा कितनी उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में अति निर्धन व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर राज्यों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों में एनईसी द्वारा किए गए निधीयन से इस समय कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं/स्कीमों की क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:—

क्र. सं.	क्षेत्र के तहत परियोजनाएं/ स्कीमें	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कृषि एवं संबद्ध	13	3	3	3	5	11	3	6
2.	विद्युत एवं नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा	14	3	7	13	9	6	9	4
3.	जल विकास	14	8	8	6	6	3	11	0
4क.	उद्योग	2	1	1	1	2	1	1	4
4ख.	पर्यटन	13	1	3	3	0	7	5	0
5.	परिवहन तथा संचार	5	11	3	7	10	7	5	5
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र	6	15	7	5	5	9	4	3
7.	मानव संसाधन विकास	18	11	12	11	18	12	4	3
8.	आजीविका	0	1	1	1	0	0	0	0
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4	0	1	0	1	2	2	0
10.	सूचना एवं जन संपर्क	2	1	0	1	0	0	0	0

(ख) विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच परियोजनाओं के संतुलित वितरण के लिए एनईसी द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित है:—

(i) विकासात्मक परियोजनाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिकता सूचियों और एनईसी के संगत क्षेत्रों के संबंध में पंचवर्षीय योजना कार्य दल की सिफारिशों तथा प्राथमिकता सूचियों/ पंचवर्षीय योजना कार्य दल की रिपोर्टों में निहित परियोजना प्रस्तावों की विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी आर्थिक जांच के आधार पर संस्वीकृत की जाती है।

(ii) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक क्षेत्र हेतु कार्य दलों का गठन किया जाता है। कार्य दलों में क्षेत्र के सभी राज्यों, योजना आयोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संबंधित लाइन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होता है।

(iii) सभी संबंधित राज्यों के साथ बैठक में कार्य दलों की रिपोर्टों पर विचार किया जाता है और उसके बाद प्रस्तावित योजना आकार और योजना दस्तावेज की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाता है।

(iv) एनईसी की 11वीं पंचवर्षीय योजना से विजन एनईआर 2020 में निहित संगत क्षेत्रक मुद्दों को एनईसी की योजना में विधिवत् रूप से शामिल किया जाता है।

(v) तथापि, पंचवर्षीय योजना दस्तावेज निर्देशात्मक प्रकृति के होते हैं। वार्षिक योजनाएं, योजना आकार के आधार पर संगत पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित समग्र उद्देश्यों और निर्देशों को मूर्तरूप प्रदान करती हैं। पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना दस्तावेजों का पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा अपनी बैठकों में विधिवत् रूप से अनुमोदन किया जाता है।

(ग) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान एनईसी परियोजनाओं के तहत संस्वीकृत/जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने विकास के गैप को पाटने के लिए और इन राज्यों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को निम्न प्रकार से विभिन्न सहायता प्रदान की हैं:—

(i) 52 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों के लिए योजनागत बजट का 10% आबंटन।

(ii) खर्च न की गई 10% राशि एनईआर के लिए बनाए गए अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल में जमा हो जाती है।

(iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय राज्य सरकारों की प्राथमिकता के अनुसार और राज्य के पिछड़ेपन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनएलसीपीआर में से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अवसंरचना परियोजनाएं संस्वीकृत करता है।

(iv) उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता अन्य राज्यों की तुलना में चार गुणा अधिक है।

(v) उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में केंद्र और राज्य के बीच 90:10 का अनुपात रखा जाता है जबकि अन्य राज्यों में यह अनुपात 50:50 या 60:40 होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संघ सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में सहायता की शर्तें और अधिक उदार होती हैं।

(vi) एनईआर में पिछड़े क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए संघ सरकार द्वारा विकास पैकेजों की घोषणा की जाती है जैसे बोडोलैंड पैकेज।

(vii) विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष टेलर्ड कार्यक्रम जैसे उत्तर पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र रेल विकास विधि'।

(viii) एनईआर की विशेष जरूरतों और निवेश के महत्वपूर्ण स्तरों की जरूरत की अच्छी तरह से पहचान की जाती है। तदनुसार, विशेष कार्यक्रमों और निधीयन प्रबंधों के साथ विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। केन्द्र सरकार राज्यों की योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) और विशेष योजनागत सहायता (एसपीए) उपलब्ध कराकर एनईआर के विशेष श्रेणी राज्यों के विकास प्रयासों को भी सहायता प्रदान कर रही है।

(ix) सड़क, रेल, हवाई, विद्युत, कृषि/बागवानी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र आदि सहित अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में गैप को पाटने के लिए 12वीं योजना में हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 के दौरान एनईसी परियोजनाओं के तहत संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियां, राज्य-वार, क्षेत्र-वार

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	क्षेत्र/स्कीम	निधि	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषि एवं संबद्ध	संस्वीकृत	7.76	4.91	4.59	0.00	0.00	8.16	4.87	0.00
		जारी की गई	1.00	1.77	1.65	0.00	0.00	2.94	1.20	0.00
		उपयोग की गई	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00
2.	विद्युत विकास एवं नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा	संस्वीकृत	18.50	13.44	0.00	25.01	10.85	0.00	19.47	0.00
		जारी की गई	6.50	5.37	0.00	9.50	3.90	0.00	7.00	0.00
		उपयोग की गई	6.50	5.37	0.00	7.90	3.90	0.00	3.50	0.00
3.	जल विकास	संस्वीकृत	23.49	10.72	14.35	4.48	11.42	0.00	2.13	0.00
		जारी की गई	12.55	5.29	4.53	1.15	4.97	1.20	2.20	0.00
		उपयोग किया गया	12.55	5.29	2.30	1.15	4.97	1.20	2.20	0.00
4.	उद्योग एवं पर्यटन	संस्वीकृत	12.35	2.45	6.99	0.00	0.00	7.03	5.41	0.00
		जारी की गई	4.35	1.88	2.64	0.00	0.00	3.23	2.50	1.97
		उपयोग की गई	2.02	0.00	2.05	0.00	0.00	3.23	1.21	1.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	परिवहन एवं संचार	संस्वीकृत	139.62	95.94	87.00	167.36	213.70	65.27	62.84	195.97
		जारी की गई	79.43	63.05	31.82	55.04	28.50	31.14	10.87	30.82
		उपयोग की गई	19.46	10.10	13.50	79.34	15.38	24.41	8.99	38.51
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र	संस्वीकृत	4.94	16.41	2.77	4.98	4.67	2.53	0.00	0.00
		जारी की गई	1.30	3.56	0.90	1.45	1.3	0.90	0.00	0.00
		उपयोग की गई	1.30	3.56	0.90	1.45	1.3	0.90	0.00	0.00
7.	मानव संसाधन विकास	संस्वीकृत	21.97	2.87	10.24	6.75	7.47	16.77	4.86	0.00
		जारी की गई	7.75	1.15	3.99	2.24	3.12	4.29	1.94	0.00
		उपयोग की गई	4.82	0.00	2.35	1.12	1.88	4.25	1.94	0.00
8.	आजीविका	संस्वीकृत	0.00	8.43	8.49	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		जारी की गई	0.00	8.43	8.49	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		उपयोग की गई	0.00	8.43	8.49	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	संस्वीकृत	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00
		जारी की गई	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		उपयोग की गई	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10.	सूचना एवं जन संपर्क	संस्वीकृत	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		जारी की गई	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उपयोग की गई	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान एनईसी परियोजनाओं के तहत संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियां, राज्य-वार, क्षेत्र-वार

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	क्षेत्र/स्कीम	निधि	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषि एवं संबद्ध	संस्वीकृत	15.72	0.00	3.44	0.00	7.57	10.52	0.00	9.54
		जारी की गई	8.49	0.00	4.64	0.00	1.61	7.04	0.00	2.14
		उपयोग की गई	0.00	0.00	1.24	0.00	0.65	2.75	0.00	0.32
2.	विद्युत विकास एवं नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा	संस्वीकृत	11.01	0.00	16.50	4.85	10.78	13.97	9.11	11.86
		जारी की गई	3.27	0.00	5.71	1.94	3.55	4.98	6.66	3.90
		उपयोग की गई	1.50	0.00	0.00	1.94	2.95	0.00	3.99	0.00
3.	जल विकास	संस्वीकृत	9.03	7.61	6.80	0.00	4.58	9.45	8.59	0.00
		जारी की गई	16.78	2.00	2.40	7.50	6.70	3.00	7.61	0.00
		उपयोग की गई	7.44	0.00	0.00	6.50	6.70	3.00	4.02	0.00
4.	उद्योग एवं पर्यटन	संस्वीकृत	13.82	4.57	4.67	0.98	3.07	7.07	5.14	9.40
		जारी की गई	5.32	1.65	2.73	0.50	1.11	5.05	3.28	3.41
		उपयोग की गई	1.73	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	1.50	0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	परिवहन एवं संचार	संस्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		जारी की गई	43.44	40.50	23.50	35.00	44.50	51.00	22.92	39.00
		उपयोग की गई	42.16	105.99	19.50	91.50	31.82	39.00	7.69	51.53
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र	संस्वीकृत	4.62	4.91	3.71	4.95	5.64	4.73	0.00	0.00
		जारी की गई	1.3	3.07	1.2	1.5	1.75	3.2	0.00	0.00
		उपयोग की गई	1.3	2.05	1.2	1.5	1.75	3.2	0.00	0.00
7.	मानव संसाधन विकास	संस्वीकृत	37.28	5.71	19.06	0.2	10.56	14.85	14.82	4.99
		जारी की गई	12.9	3.24	7.71	0.19	4.41	5.66	5.22	1.53
		उपयोग की गई	9.49	0.05	4.01	0.08	1.97	3.59	5.19	0.00
8.	आजीविका	संस्वीकृत	0.00	10.92	11.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		जारी की गई	0.00	10.92	11.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		उपयोग की गई	0.00	10.92	11.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	संस्वीकृत	5.13	0.00	2.20	0.00	4.40	5.18	3.56	0.00
		जारी की गई	1.59	0.00	0.62	0.00	1.30	1.09	0.72	0.00
		उपयोग की गई	1.59	0.00	0.62	0.00	1.30	1.09	0.72	0.00
10.	सूचना एवं जन संपर्क	संस्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		जारी की गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उपयोग की गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[अनुवाद]

उर्वरकों का मिश्र उपयोग

1611. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मिश्र उपयोग के कारण 2011-12 में कृषि उत्पादन में भारी कमी आयी है जिससे देश में खाद्य उत्पादन के प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ग) खाद्यान्न उत्पादन में 2009-10 में 218.11 मिलियन टन से 2010-11 में 244.49 मिलियन टन और 2011-12 में 257.44 मिलियन टन बढ़ोतरी हुई है। इसलिए उर्वरकों के मिश्रित उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में कमी नहीं आयी है।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक कलाकारों का कल्याण

1612. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सांस्कृतिक कलाकारों के कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का विचार सांस्कृतिक कलाकारों के कल्याण के लिए किसी नई योजना को बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सांस्कृतिक कलाकारों को कोई अनुदान, पेंशन और मानदेय प्रदान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) संस्कृति मंत्रालय ''साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे हों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता'' नामक एक स्कीम संचालित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत 4000/- रु. मासिक भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, संबंधित क्षेत्रों में अपनी स्कीमों के माध्यम से विभिन्न कलाओं और विरासत के विकास और संवर्धन का प्रयास करते हैं। उनकी स्कीमों के अंतर्गत, कलाकारों को मासिक दर पर अथवा प्रदर्शन के दिनों के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ख) और (ग) स्कीम में 'राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि संबंधी एक घटक को शामिल करके ''साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे हों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता'' की स्कीम के और विस्तार करने की सरकार की योजना है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई राशि निम्नलिखित है:—

(करोड़ रु.)

1. सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कलाकारों को दिया गया मानदेय/पारिश्रमिक

वर्ष (2009-10)	वर्ष (2010-11)	वर्ष (2011-12)	वर्ष (2012-13)
45.45	66.06	82.37	36.37

2. साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे हों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता

वर्ष (2009-10)	वर्ष (2010-11)	वर्ष (2011-12)	वर्ष (2012-13)
8.69	12.92	11.94	10.35

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों की तैनाती

1613. प्रो. सौगत राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अनेक वैज्ञानिकों को अन्य विज्ञान-इतर कार्यों हेतु तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्य हेतु पुनः कब तक तैनात किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों में कुछ मामलों में वैज्ञानिकों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण उनकी सामान्य ड्यूटी के अलावा गैर-वैज्ञानिक कार्य सौंपे गये हैं।

(ख) किसी भी वैज्ञानिक को संपूर्ण समय के आधार पर वैज्ञानिक कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा गया है। वैज्ञानिकों को उनके सामान्य अनुसंधान कार्य के अलावा केवल स्टाप गैप प्रबंध के रूप में ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं ताकि संस्थानों का कार्य सुचारू तथा कुशलता से चल सके।

(ग) ऐसे मामलों में भी वैज्ञानिकों को अतिरिक्त अभिभार के रूप में अन्य कार्य सौंपा गया है वहां भी वैज्ञानिक प्रथमतः वैज्ञानिक कार्य से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए अनुसंधान कार्य के लिए उनकी वापस तैनाती का प्रश्न ही नहीं उठता।

आवासों की कमी संबंधी तकनीकी समूह

1614. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी आवासों की कमी के आकलन हेतु गठित तकनीकी समूह की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार आवासों के निर्माण को अवसंरचना का अंग बनाने या आवास क्षेत्र को एक उद्योग घोषित करने संबंधी उक्त तकनीकी समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि (2012-17) के लिए देश के शहरी आवासों की कमी के अनुमान से संबंधित तकनीकी समूह ने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात 2012 के प्रारंभ में कुल 18.75 मिलियन आवासों की कमी का अनुमान लगाया गया है। जिसमें से, 10.55 मिलियन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के हैं और 7.41 मिलियन निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के हैं।

(ग) और (घ) आवास को अवसंरचना का एक भाग बनाने अथवा आवास को एक उद्योग घोषित करने के लिए तकनीकी समूह द्वारा दिए गए सुझाव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बच्चों की चोरी

1615. **श्री मानिक टैगोर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बालिकाओं की चोरी की घटनाओं और अपने माता-पिता द्वारा नवजात बालिकाओं की बिक्री के बारे में पूरे देश से मिल रहे समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे रिपोर्ट किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (ग) बालिकाओं की चोरी और नवजात बालिकाओं की बिक्री के बारे में कुछ घटनाओं की जानकारी मिली है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त जानकारी

के अनुसार, बालिकाओं की चोरी और माता-पिता द्वारा नवजात बालिकाओं की बिक्री के बारे में एन.सी.आर.बी द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं:

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ''पुलिस'' और ''लोक-व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और, इसलिए, बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, उनके पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है तथापि, संघ सरकार बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा गया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यालयों/संस्थानों में सुरक्षा संबंधी स्थितियों, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक परिवहनों, बच्चों के पार्कों/खेलकूद के ग्राउंडों, रिहायशी इलाकों/सड़कों इत्यादि में सुधार लाने के सभी कदम सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध-बहुल क्षेत्रों की पहचान की जाए और विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में होने वाले उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:—

(i) बीट कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाना

(ii) विशेष रूप से, दूर-दराज और एकान्त जगहों पर पुलिस सहायता बूथों/क्योस्कों की संख्या बढ़ाना।

(iii) विशेष रूप से, रात के दौरान पुलिस गश्त को बढ़ाना।

(iv) अपराध-बुल क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था से पूर्णतः सुसज्जित पर्याप्त पुलिस अधिकारियों, विशेष कर महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

[हिन्दी]

नारियल प्रसंस्करण इकाइयां

1616. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में और अधिक नारियल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जिन स्थानों पर नारियल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गयी हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड, भारत सरकार परियोजना के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई नारियल प्रसंस्करण इकाइयों को विभिन्न राज्यों में ''नारियल प्रौद्योगिकी मिशन'' (टीएमओसी) स्कीम के तहत स्थापित करने के लिय मदद दे रहा है। 2012-13 के दौरान अब तक 32 परियोजनाओं को नारियल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, 13 प्रस्ताव प्रक्रिया के तहत है, जो नीचे दिये गये हैं:—

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	उत्पाद (इकाइयों की संख्या)	परियोजना की लागत (लाख रुपयों)
1	2	3	4
कर्नाटक	4	एक्टिवेटेड कार्बन (1)	610
		पैक किया गया नारियल पानी (1)	81
		सूखा नारियल (2)	145

1	2	3	4
केरल	7	फ्रेक्शनेटेड नारियल तेल (1)	104
		बाल कोपरा (4)	38.5
		कोपरा (1)	12.6
		सूखा नारियल (1)	228.89
आंध्र प्रदेश	1	बाल कोपरा (1)	23
तमिलनाडु	1	एक्टिवेटेड कार्बन (1)	120.46
कुल	13		1363.45

(ग) राज्य-वार नारियल प्रसंस्करण इकाइयों के स्थान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) ये 13 इकाइयां अभी सीडीबी के परियोजना स्वीकृति समिति के विचारार्थ हैं। उसकी स्वीकृति पर, उद्यमी उनकी समय योजना के अनुसार परियोजना प्रारंभ करेंगे।

विवरण

स्थानों की राज्य-वार सूची स्थापित की गई नारियल प्रसंस्करण इकाइयां

राज्य	स्थान
1	2
आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्नम, पालाकोल, ओंगोल, हैदराबाद सिवाकोडु
गोवा	गोवा
जम्मू और कश्मीर	सांबा
कर्नाटक	मैसूर, उडुपी, बंगलुरू, टुमकुर, टिपटुर, सुलया, दक्षिण, कन्नड, दक्षिण कन्नरा
केरल	कोडुगलूर, थ्रिशुर, कन्नूर, तलाशेरी, एरणाकुलम, कोतमंगलम, अंगमाली, मुवाट्टुपुषा, कालडी, मलपुरम, कोट्टयम, वैकम्, एलेपी, कायमकुलम, कोझीकोड, कासरगोड, पालाकाड, पटाम्बी, पननामतिट्टा, कोल्लम, त्रिवेन्द्रम
ओडिशा	भुवनेश्वर
तमिलनाडु	डिंडिगुल, कन्याकुमारी, थुटुकुडी, पोल्लाची, कोयम्बटूर, इरोड, सेलम, नामक्कल, थेंकाशी, कंगयम, तिरुपुर, त्रिच्ची, थंजावुर, पोलपेटाय, थ्रिरुनेलवेली, सन्तुर, कालापालयाम, पापिनी
संघ शासित लक्षद्वीप	आन्ड्रोट द्वीपसमूह
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर

[अनुवाद]

कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1617. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कपास उगाने वाले किसानों को राहत प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) सरकार ने 2012-13 मौसम के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा पहले ही कर दी है। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य मध्यम स्टेपल के लिए 2011-12 में 2800 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2012-13 में 3600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार लंबे स्टेपल के लिए इसे 2011-12 में 3300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2012-13 में 3900 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है। सरकार अपनी नामित एजेंसियों के माध्यम से खरीद संचालनों का आयोजन करती है। नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों प्रापण संचालन करने के लिए बाजार में इस उद्देश्य के साथ हस्तक्षेप करती है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम न हो। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत् कपास का प्रापण करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लिमिटेड (नैफेड) भारत सरकार की नामित नोडल एजेंसियां हैं। 2012-13 मौसम के दौरान (28 नवम्बर 2012 तक) मूल्य समर्थन योजना के तहत भारतीय कपास निगम एवं नैफेड ने एक साथ 20.74 लाख क्विंटल कपास का प्रापण किया था।

निर्यात हेतु चावल की खरीद

1618. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों को निर्यात किए जाने हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से चावल की खरीद करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एफसीआई द्वारा खरीदे गए चावल की मात्रा और निर्यात के लिए आवंटित मात्रा को राज्य-वार दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा किसानों को उपज का उचित मूल्य देने के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण की आवश्यकता को पूरा करने, खुला बाजार बिक्री तथा बफर स्टाक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल की खरीदी की जाती है। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का निर्यात केवल तभी किया जाता है जब घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हो।

(ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार/एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए की गई चावल खरीद का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से मानवता के आधार को छोड़कर चावल का कोई निर्यात नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय पूल से विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से मानवीय सहायता के रूप में यमन को निर्यात किए जाने हेतु आबंटित 2650 टन चावल में से 2447.202 टन चावल विश्व खाद्य कार्यक्रम की नामित एजेंसियों द्वारा यमन को निर्यात करने के लिए उठाया।

विवरण

केन्द्रीय पूल हेतु चावल की खरीदारी - विपणन मौसम वार

(आंकड़े लाख टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	75.55	96.09	75.41	3.11
2.	असम	0.08	0.16	0.23	0.00
3.	बिहार	8.90	8.83	15.34	0.00
4.	चंडीगढ़	0.14	0.10	0.13	0.12
5.	छत्तीसगढ़	33.57	37.46	41.15	1.44
6.	दिल्ली	—	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	—	0.00	0.04	0.00
8.	हरियाणा	18.19	16.87	20.07	25.55
9.	हिमाचल प्रदेश	—	0.01	0.01	0.00
10.	झारखंड	0.23	0.00	2.75	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	—	0.11	0.09	0.02
12.	कर्नाटक	0.86	1.80	3.56	0.00
13.	केरल	2.61	2.63	3.72	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2.55	5.16	6.35	0.00
15.	महाराष्ट्र	2.29	3.08	1.78	0.07
16.	नागालैंड	—	0.00	0.00	0.00
17.	ओडिशा	24.96	24.65	28.65	0.00
18.	पुदुचेरी	0.08	0.40	0.05	0.00

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	92.75	86.35	77.31	84.74
20	राजस्थान	-	0.00	0.00	0.00
21	तमिलनाडु	12.41	15.43	15.96	0.01
22	उत्तर प्रदेश	29.01	25.54	33.57	1.22
23	उत्तराखंड	3.75	4.22	3.78	0.31
24	पश्चिम बंगाल	12.40	13.10	20.41	0.01
	जोड़	320.34	341.98	350.35	116.62

*दिनांक 27.11.2012. की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2011-12 की बढ़ाई गई अवधि में खरीद जारी है। खरीफ विपणन मौसम 2012-13 अभी जारी है।

सुपारी उत्पादक

1619. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित सुपारी देशी सुपारी के उत्पादकों के लिए खतरे का कारण बन रही है क्योंकि उनके उत्पाद की कीमत घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुपारी उत्पादक मुसीबत में हैं और सुपारी उगाने हेतु लिए गए बैंक ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार सुपारी उत्पादकों हेतु कोई पैकेज आरंभ करके उनको राहत पहुंचाने के लिए कुछ कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (च) सुपारी का औसम मूल्य 2011-12 में 12,553/- रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 13,046/- रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।

सुपारी उत्पादकों की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड के जरिए कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक में किसानों को वित्तीय राहत उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार की है।

(ii) कृषि और सहकारिता विभाग सुपारी के पुनरुद्धार समेत पूरे देश में बागवानी के विकास से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत समेकित पोषण एवं नाशीजीव प्रबंधन को अपनाने और सुपारी रोपण के पुनरोद्धार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत सुपारी

के येलो लीफ रोग (वाईएलडी) से प्रभावित बागानों समेत सभी बागानों के पुनरोद्धार के लिए 705.08 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(iii) केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड सुपारी के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने और सुपारी के येलो लीफ रोग के नियंत्रण के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार कार्यकलाप कर रहा है।

निजी क्षेत्र के खरीद

1620. **श्री अब्दुल रहमान :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफसीआई द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर आपूर्ति किए जाने के लिए निजी क्षेत्र से बोली के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए खाद्यान्न खरीदने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक बस शेल्टर

1621. **श्री के.पी. धनपालन :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में केन्द्रीय भाडांगार निगम के सहयोग से आधुनिक बस शेल्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भंडारण निगम का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अधीन केरल में कुछ बस शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस परियोजना के अधीन कोच्चि और एलेप्पी जिलों को कवर किया जाना है।

(ग) जिला प्रशासन को उचित स्थान की पहचान करनी है और बस शेल्टर के निर्माण के लिए रिक्त स्थल सुपुर्द करना है। केन्द्रीय भंडारण निगम को स्थल सुपुर्द करने के बाद वह निर्माण के लिए 6 माह का समय लेगा।

[हिन्दी]

अधिक उपज वाले और अद्यतन बीज

1622. **श्री राजू शेट्टी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास किसानों को सीधे अधिक उपज वाले ओर अद्यतन बीज उपलब्ध कराने के लिए कोई त्वरित योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को नए और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों के बीज प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 100 हैक्टेयर के समूहों में किसानों के लिए 16 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चिन्हित जिलों में 6240 इकाइयों के जरिए दलहनों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना और मसूर के ब्लॉक प्रदर्शन की व्यवस्था है। राज्यों को विविध ब्लॉकों के विभिन्न गांवों के सन्निहित क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर जिलों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन वही गांव और क्षेत्र जो 2011-12 में चुने गये थे, दोबारा नहीं चुने जा सकते।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

1623. श्री सी.आर. पाटिल :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती उषा वर्मा :
श्रीमती महेश्वर हजारी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों से बिक्री किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न उत्पादों को निजी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निजी क्षेत्र को सौंपे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) वर्तमान में दिल्ली में स्थित डी.एम.एस दुग्ध बूथों पर डी.एम.एस के दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, बेकरी और जलपान से संबंधित वस्तुओं को बेचने की अनुमति है।

(ख) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न उत्पादों को निजी क्षेत्रों को सोंपने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

1624. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में किसानों को गेहूं सहित अपने खाद्यान्नों की खरीद के लिए ढुलाई, उतराई, भराई, नाप-तौल इत्यादि के नाम पर अप्राधिकृत लेवियों के भुगतान के लिए मजबूर किए जाने की रिपोर्टें मिली हैं और ऐसे भुगतानों के लिए रसीद भी जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2012-13 के दौरान इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार का उक्त राशि को वापस देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीएडीपी निधि का दुरूपयोग

1625. श्री सी. शिवासामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का कुछ राज्यों द्वारा दुरूपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के निष्पादन का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। बी.ए.डी.पी के कार्यान्वयन की अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। अब तक प्राप्त शिकायतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अब तक प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायत किससे और कब प्राप्त हुई	विषय
1.	असम	श्री मुस्तफा अहमद चौधुरी, सचिव, फकीर बाजार जूनियर कालेज, जिला करीमगंज, असम 24.2.2011	भारत सरकार, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा मंजूर की गई निधियों का दुरूपयोग।
2.	अरुणाचल प्रदेश	श्री आर.टी. हेक, जिला परिषद सदस्य, पिपसोरंग, कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश, 8.3.2011	बी.ए.डी.पी के अंतर्गत चेतम से पिपसोरंग तक सड़क के निर्माण के संबंध में जांच।
3.	अरुणाचल प्रदेश	श्री बेंगिया कारबू अध्यक्ष, कोलोरियांग, दामीन, सारली और परसी-पारलो विकास समिति और अन्य 5.7.2012	अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के कोलोरियांग, दामीन सारली और परसी-पारलो ब्लॉकों में बी.ए.डी.पी के अंतर्गत स्वीकृत स्कीमों को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में शिकायत।
4.	राजस्थान	श्री दिनेश बारुपल और श्री मुल्तान राम बारुल जैसलमेर, योजना आयोग द्वारा भेजी गयी, 11.10.11, 12.12.2011	राजस्थान के जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बी.ए.डी.पी के कार्यान्वियन में अनियमितताएं।
5.	मेघालय	श्री हेमरबामुत चायरमांग, जोवाई जैन्तिया हिल्स जिला, मेघालय	मेघालय के जैन्तिया हिल्स जिले के जोवाई गांव में बी.ए.डी.पी के अंतर्गत निधियों का दुरूपयोग।
6.	पंजाब	(i) श्री त्रिपत राजिन्दर सिंह बाजवा, विधायक, फतेहगढ़ चूरियां, श्री सकुजिन्दर सिंह रंधावा, विधायक, डेरा बाबा नानक और अन्य (ii) श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद-सदस्य (लोक सभा)	पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बी.ए.डी.पी की निधियों का दुरूपयोग- सी.बी.आई द्वारा जांच की मांग।
7.	उत्तर प्रदेश	श्री कमल किशोर, संसद सदस्य, 5.7.2012	बी.ए.डी.पी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सीमावर्ती ब्लाकों में निर्माण कार्य के लिए मंजूर की गई निधियों के दुरूपयोग की जांच के लिए अनुरोध।
8.	बिहार	डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य, 12.3.2012	बी.ए.डी.पी के अंतर्गत एन.एच 28 नाहर चौक से के.सी.टी.सी कालेज से होकर लक्ष्मीनगर नायक टोला तक सड़क के निर्माण के लिए मंजूर की गई 5.34 करोड़ रुपए की निधियों के दुरूपयोग की जांच का अनुरोध।

[हिन्दी]

,पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय भवन

1626. **श्रीमती कमला देवी पटले : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ सहित देश में पुलिस कार्मिकों के लिए कार्यालय भवन/आवासीय भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आवास समस्या के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित राज्यों के जिलों में कोई अलग आवासीय योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार आबंटित की जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विगत वर्षों में अर्थात् वर्ष 2011-12 तक, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-आवासीय भवनों जैसे कि पुलिस स्टेशनों, चौकियों, पुलिस लाइनों, बैरकों आदि के निर्माण तथा निचले एवं अपर अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों के लिए रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की गई हैं। छत्तीसगढ़ सहित राज्यों में आवासीय भवनों एवं अन्य पुलिस कार्यालयों के निर्माण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) के दौरान योजना के तहत निधियां प्रदान की जानी हैं, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा एमपीएफ योजना के तहत 3750.87 करोड़ रु. के प्रावधान की सिफारिश की गयी है।

(ग) जी, नहीं। 'सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण' नामक योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों में 80:20 (केन्द्रीय हिस्सा: राज्य का हिस्सा) के अनुपात के आधार पर 2 करोड़ रु. प्रति पुलिस थाने की दर से 400 पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2010-11, 2012-13 के दौरान इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को कुल 311.875 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(घ) वर्ष 2012-13 से आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए एमपीएफ योजना के विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने के कारण, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान रिहायशी एवं गैर-रिहाइशी भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को कोई निश्चित आबंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

नारियल किसानों हेतु राजसहायता

1627. **श्री एन. पीताम्बर कुरुप : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सहित देश में नारियल के उत्पादन में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो केरल में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल किसानों को राजसहायता प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत नारियल किसानों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल समेत देश में नारियल का उत्पादन निरंतर नहीं घट रहा है। केरल में नारियल की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राजसहायता उपलब्ध करा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

प्रदर्शन प्लाट लगाने के लिए 35000/- रुपए प्रति हैक्टेयर और जैविक खाद इकाईयों की स्थापना के लिए 20000/- रुपए प्रति इकाई की दर पर सहायता देने के जरिए वैज्ञानिक नारियल कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'उत्पदकता सुधार हेतु समेकित कृषि'।

प्राकृतिक आपदाओं से नारियल खेती के बचाव के लिए 'नारियल पॉम बीमा योजना'। यह योजना 4-60 वर्ष के आयु-समूह के सभी गिरी वाले स्वस्थ पॉमों को कवर करती हैं। प्रीमियम सीडीबी, राज्य सरकार एवं किसानों द्वारा 50%, 25% एवं 25% के अनुपात में वहन किया जाता है।

लक्षित क्षेत्रों में अधिक रोग से प्रभावित, अनुत्पादक, पुराने एवं जीर्ण पॉमों को हटाने के लिए 13000/- रुपए प्रति पॉम (अर्थात

पहले 20 पॉमों के लिए 500/- रुपए की दर पर और 12 पॉम प्रति हैक्टेयर की सीमा तक बाकी पॉमों के लिए 250/- रुपए प्रति पॉम) की क्षतिपूर्ति के साथ 'नारियल बागानों का पुनःरोपण एवं पुनरोद्धार', 7500/- रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर 2 वर्षों के लिए 15000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तथा पुनःरोपण के लिए प्रति पौध 20 रुपए की दर पर सहायता से समेकित प्रबंधन पद्धतियों के जरिए विद्यमान बागानों का पुनरोद्धार।

उपरोक्त के अलावा, केरल में नारियल किसानों के लाभ के लिए योजनाएं जैसे 'नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार', 'गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण', 'नारियल प्रोद्योगिकी मिशन', 'बाजार संवर्धन और सांख्यिकी' तथा अन्य स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत सरकार ने मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा और पानी वाले भूसी रहित पके नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ाए हैं।

(ग) विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल किसानों को कुल 188.74 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और वर्तमान वर्ष के लिए 88.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी का उन्नयन/आधुनिकीकरण

1628. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे दूरदर्शन (डीडी) और रेडियो केन्द्रों का स्थान, डीडी और रेडियो केन्द्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न दूरदर्शन और रेडियो केन्द्रों में किए गए उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यों का स्थान-वार, डीडी-वार और रेडियो केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अभी तक डीडी और रेडियो केन्द्रों की सेवा में जो स्थान शामिल नहीं हुए हैं उनका स्थान-वार, डीडी-वार और रेडियो केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय देश में विभिन्न क्षमता के दूरदर्शन के 67 स्टूडियो केंद्र और 1415 टीवी ट्रांसमीटर कार्यशील हैं। दूरदर्शन ने स्टूडियो केंद्रों और ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, इस समय देश के विभिन्न स्थानों में 299 आकाशवाणी केन्द्र कार्यशील हैं। राज्य-वार अवस्थितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में निष्पादित किए गए उन्नयन/आधुनिकीकरण के प्रमुख कार्यों का दूरदर्शन केंद्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

आकाशवाणी के संबंध में, गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान पंचवर्षीय योजनागत स्कीम के अंतर्गत निष्पादित उन्नयन व आधुनिकीकरण के कार्य का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है। इसके अलावा, इस समय 11वीं योजना में अनुमोदित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 207 आकाशवाणी केन्द्रों में आधुनिकीकरण व उन्नयन का कार्य शुरू किया गया है जिसके वर्ष 2013 तक पूरे हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) स्थलीय पद्धति में दूरदर्शन की कवरेज देश के लगभग 81% क्षेत्रफल पर बसी हुई लगभग 92% आबादी को उपलब्ध होने का अनुमान है। स्थलीय ट्रांसमिशन द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों (साथ ही, पूरे देश को) दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, इस समय देश के लगभग 91.87% क्षेत्रफल को और 99.19% आबादी को स्थलीय कवरेज सुलभ है। कवर न किए गए क्षेत्रों में रहने वाले देश की केवल 0.81% आबादी को स्थलीय रेडियो नेटवर्क के जरिए आकाशवाणी के कार्यक्रम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कवर न किए गए क्षेत्रों में अधिकांशतः कम आबादी वाले पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जिनमें जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तरी व पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र, राजस्थान राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र,

उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी व पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के अन्य राज्य व सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं। देश में स्थलीय कवरेज में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के 12 ट्रांसमीटरों की क्षमता का उन्नयन किया जा रहा है तथा देश भर में विभिन्न क्षमताओं के 244 अतिरिक्त मीवे/एफएम ट्रांसमीटरों का अधिष्ठापन किया जा रहा है। देश भर में विभिन्न क्षमताओं के अतिरिक्त एफएम ट्रांसमीटरों का अधिष्ठापन किया जा रहा है। देश भर में विभिन्न क्षमताओं के अतिरिक्त एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना करने के प्रस्ताव को भी 12वीं योजना में शामिल किया गया है जिसके संबंध में प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है।

स्थलीय ट्रांसमिशन द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों में डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफॉर्म (केयू-बैंड) के जरिए आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) उपलब्ध हैं और इन कार्यक्रमों को डीटीएच प्लेटफॉर्म पर एक सेट टॉप बॉक्स के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

विवरण-I

स्टूडियो केंद्रों और ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियां

दूरदर्शन केंद्र

आंध्र प्रदेश

स्टूडियो (4)

हैदराबाद

तिरुपति

विजयवाड़ा

वारंगल

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)

अनंतपुर

हैदराबाद

कुरनूल

नांदयाल

राजमुंदरी

तिरुपति

विजयवाड़ा

विशाखापट्टनम

वारंगल

हैदराबाद (डीडी न्यूज)

विजयवाड़ा (डीडी न्यूज)

विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)

राजमुंदरी (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (81)

आचम्पेट

अदिलाबाद

अदोनी

अलगड्डा

अमलापुरम

बांसवाड़ा

बेलमपल्ली

भद्राचलम

भेंसा

भीमाडोलू

भीमावरम

बोबिली

चित्तूर

कुडप्पा

दारसी

देवरकोंडा

इमिगानुर

गड़वाल

गिड्डालूर

गुंटकल

हिन्दूपुर

जदचेरला

जग्तियाल

कादिरी

काकीनाडा

कामरेड्डी

कुंडुकुर

करीमनगर

कावली

खम्माम

कोल्हापुर

कोस्गी

कोटागुडम

कुप्पम

एल.आर. पल्ली

मचेरला

मछलीपट्टनम

मदनापल्ली

मदुगुला

मंडास्सा

मरकापुर

मेडक

महबूबनगर

मिरियालगुड़ा

नगर कूरनूल

नालगोंडा

नारायणपेट

नेल्लूर

निर्मल

निजामाबाद

ओंगोल

पेडापल्ली

प्रोड्डुतूर

पुलामनेर

पुंगानूर

राजमपेट

रामागुंडम

सिद्दीपेट

सिरपुर

श्रीकाकुलम

सिरीसिल्ला

तालकोंडापल्ली

ताम्बलापल्ली

तंडूर

तेक्काली

तिरुपति

तुनी

उदयगिरि

वेलडांडा

वेमलवाड़ा

विनुकोंडा

विशाखापट्टनम

वनपार्थी

येल्लांडु

जाहिराबाद

आत्माकुर (डीडी न्यूज)

काकीनाडा (डीडी न्यूज)

नरसारावपेट (डीडी न्यूज)

नेल्लूर (डीडी न्यूज)

पेडनंदीपाडु (डीडी न्यूज)

विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (10)

चिंतापल्ली

दत्तालूर

इच्छापुरम

काणिगिरि

माडिपाडुं

मारिपाडु

पेडरू

पार्वतीपुरम

सीतामपेट्टा

श्रीसेलम

ट्रांसपोजर (1)

विजयवाड़ा

अरुणाचल प्रदेश

स्टूडियो (1)

ईटानगर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

ईटानगर

ईटानगर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

मियाओ

पासीघाट

तेजु

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

अलांग

बडीरीजो

बसर

बोलेंग

बोमडिला

चांगलांग

च्यांगताजो

दपोरिजो

दारक

देवमाली

दिरांग

गेकु

गेंसी

हवाई

हायुलियांग

हुंली

इंकियांग

कलाकतांग

खिमयांग

खोंसा

मरियांग

मेचुका

मुक्तो

नाम्पोंग

नामसाई

पालीन

रागा

रोइंग

रूपा

सागली

संग्राम

सेईजोसा

सेप्पा

तलिहा

तवांग

तिरबीन

टुटिंग

योमचा

जीरो

ट्रांसपोजर (1)

सांखी व्यू

असम

स्टूडियो (4)

गुवाहाटी

पीपीसी गुवाहाटी

डिब्रुगढ़

सिलचर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)

डिब्रुगढ़

गुवाहाटी

सिलचर

कोकराझार

गुवाहाटी (डीडी न्यूज)

सिलचर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

बोकाखाट

बोंगाईगांव

धुबरी

दीफु

गोलपाड़ा

गोहपुर

गोलाघाट

हेफ्लांग

हटसिंहमारी

होजई

जोरहट

लमडिंग

मारगेरिटा

नागांव

नजीरा

नार्थ लखीमपुर

सतरासल

सोनारी

तेजपुर

तिनसुखिया

डिब्रुगढ़ (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

डिग्बोई

ट्रांसपोजर (1)

गुवाहाटी

बिहार

स्टूडियो (2)

पटना

मुज्जफरपुर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)

कटिहार

मुजफ्फरपुर

पटना

सहरसा

पटना (डीडी न्यूज)

मुजफ्फरपुर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (34)

औरंगाबाद

बांका

बेगुसराय

बेतिया

भभुवा

भागलपुर

बक्सर

दरभंगा

दाऊदनगर

फोरबेसगंज

गया

गोपालगंज

जमुई

खगड़िया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

मोतिहारी

मुंगेर

नवादा

फूलपारस

रामनगर

रक्सौल

रोसेरा

सासाराम

शेखपुरा

सिकंदरा

सिमरी बख्तियारपुर

सीतामढ़ी

सिवान

सुपौल

गया (डीडी न्यूज)

दरभंगा (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसरख

मारहौरा

छत्तीसगढ़

स्टूडियो (2)

जगदलपुर

रायपुर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

जगदलपुर

रायपुर

अम्बिकापुर

बिलासपुर

रायपुर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)

बेलडिला

चम्पा

डूंगरगढ़

कांकेर

खारोद

कोंटा

कोरबा

कुरसिया

मनिंदरगढ़

नारायणपुर

पांडरिया

पेंडरा रोड

रायगढ़

राजहारा झांरडिल्ली

सक्ति

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बीजापुर

देवभोग

जसपुर नगर

कोंडागांव

कोयलीबेडा

पाखंजोर

पाथलगांव

सारंगगढ़

गोवा

स्टूडियो (1)

पणजी

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

पणजी

पणजी (डीडी न्यूज)

गुजरात

स्टूडियो (2)

अहमदाबाद

राजकोट

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

अहमदाबाद

भुज

द्वारका

राजकोट

राधनपुर

सूरत

वडोदरा

अहमदाबाद (डीडी न्यूज)

सूरत (डीडी न्यूज)

राजकोट (डीडी न्यूज)

वडोदरा (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (54)

आहवा

अम्बाजी

गोधरा

इदेर

पलीताना

पुरांदरो

आमोद

अमरेली

बांतवा

भरूच

भावनगर

बोटाड

छोटा उदयपुर

डेडियापाडा

दीसा

देवगढ़ बेरिया

धंधुखा

धारंगाधरा

धर्मपुर

धारी

धोराजी

दोहाद

जामजोधपुर

जामनगर

झगडिया

जूनागढ़

केवड़िया कालोनी

खम्बत

खंबालिया

लिम्बडी

लुनावाड़ा

महुवा

मांगरोल (जूनागढ)

मांगरोल (सूरत)

मेहसाणा

मोदासा

मोरवी

पालनपुर

पोरबंदर

राजपिपला

रापड़

राजुला

सांजेली

शामलाजी

सोनगढ़

सुरेन्द्र नगर

थारड़

उमरगांव

ऊना

वलसाड

विरावल

भावनगर (डीडी न्यूज)

जामनगर (डीडी न्यूज)

गांधीनगर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

काकरापर

नेतरांग

सागवाडा

हरियाणा

स्टूडिया (1)

हिसार

उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (3)

करनाल

हिसार

हिसार (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)

भिवानी

चरखी दादरी

फतेहाबाद

फिरोजपुर झिरका

जींद

कैथल

महेन्द्रगढ़

महम

नारनौल

रिवाड़ी

रोहतक

सिरसा

टोहाना

अम्बाला (डीडी न्यूज)

भिवानी (डीडी न्यूज)

करनाल (डीडी न्यूज)

कुरुक्षेत्र (डीडी न्यूज)

मंडी डबवाली (डीडी न्यूज)

नारनौल (डीडी न्यूज)

यमुना नगर (डीडी न्यूज)

हिमाचल प्रदेश

स्टूडियो (1)

शिमला

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

धर्मशाला

कसौली

शिमला

शिमला (डीडी न्यूज)

कसौली (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बिलासपुर

कुल्लू

मनाली

मंडी

रामपुर

सुदंरनगर

सुजानपुर

मंडी (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

आझु फोर्ट

आवाहदेवी

आशापुरी

बैजनाथ

बांदला

बंजार

भरमौर

दियार

हमीरपुर

होली

जहालमा

जतिनगिरि (फूलाधार)

जोगिन्द्र नगर

काजा

पालमपुर

परवाणु

पिरभायनू

रोहरू

सरकाघाट

शिवबदर

थानेदार

भारती

बिजली महादेव

चम्बा

चौपाल

चौरीखास

चिरगांव

डलहौजी

कल्पा

कारसोग

केलोंग

खारा पत्थर

कोटखाई

नेहरी

निचार

तीसा

उदयपुर

ऊना

वीर

ट्रांसपोजर (2)

राजगढ़

सोलन

झारखंड

स्टूडियो (2)

डाल्टनगंज

रांची

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

डाल्टनगंज

रांची

जमशेदपुर

जमशेदपुर (डीडी न्यूज)

रांची (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (19)

बरहरवा

बोकारो

चाईबासा

देवघर

धनबाद

दुमका

गिरिडीह

घाटशिला

गोड्डा

गुमला

हज़ारीबाग

कोडरमा

लोहारदगा

मुशाबनी

नोआमुंडी

सरायकेला

छतरा

बोकारो (डीडी न्यूज)

धनबाद (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

सिमडेगा

रामगढ़ हिल

गढ़वा (डीडी न्यूज)

जम्मू और कश्मीर

स्टूडियो (4)

श्रीनगर

राजौरी

जम्मू

लेह

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (19)

जम्मू

कठुआ

लेह

पुंछ

श्रीनगर

कुपवाडा

नौशेरा

सांभा

गुरेज

टिथवाल

जम्मू (डीडी न्यूज)

नौशेरा (डीडी न्यूज)

सांभा (डीडी न्यूज)

श्रीनगर (डीडी न्यूज)

श्रीनगर (डीडी कशीर)

गुरेज (डीडी न्यूज)

टिथवाल (डीडी कशीर)

कुपवाड़ा (डीडी कशीर)

पुंछ (डीडी कशीर)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)

अंनतनाग

बांदीपोर

चोकीबाल

दरहाल

कारगिल

कुलगाम

पटनीटॉप

पट्टन

काजीगुंड

सोनारवानी

पुंछ

राजौरी

रियासी

वुसन

उधमपुर

बारामूला (डीडी न्यूज)

कठुआ (डीडी न्यूज)

लेह (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (87)

अबरान

अर्धकुंवारी

अरनास

अश्मुकाम

बारामुला

बेसकैम्प (सियाचिन)

बास्गो

बसोली

बिलावर

भदर्वा

बोध खुरबू

बोनियार

बनिहाल

बानी

चाननी

चुसुल

चुमाथांग

दाह

दसकित

धार

डोडा

डोमचुक

द्रास

फातुला

गुजरों नगरोटा

हांले

हीरानगर

ईचर

जज्झर कोटली

कालाकोट

कंगन

कारगिल

खालसी

खतलाई

खरयु

किश्तवाड़

कोटरंका

बटालिक

बटोट

कुद

लोलाब वेल्ली

लाती

लोरान

माचिल

महोर

मंडी

मनीगम

मंजाकोट

मंसुर

मेंढर

मोहरा

मुलबेख

नगरोटा

नीमू

न्येमा

नौगाम

पदम

पहलगाम

पनामिक

पणिक्केर

पोनी

पुलवामा

बुडहाल

चकरोई

रामबन

रामकोट

रामनगर

रिंगडोम गोम्पा

शक्ति

सनासर

सांकू

सोनमर्ग

सोपियां

सुध महादेव

तंग्त्से

तंगमार्ग

तातापानी

थानामंडी

ठाठरी

टिलेल

तिमसोगाम

त्राल

तुरतुक

उरी

यूसमर्ग

जंगला

ट्रांसमीटर (1)

सुरनकोट

कर्नाटक

स्टूडियो (2)

बंगालुरु

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)

बंगलुरु

धारवाड़

गुलबर्गा

शिमोगा

मेंगलूर

हासन

मैसूर

रायचूर

बंगलुरु (डीडी न्यूज)

गुलबर्गा (डीडी न्यूज)

धारवाड़ (डीडी न्यूज)

मैसूर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (49)

अरसीकेरे

अथानी

बगलकोट

बंतवाल

बसावा कल्याण

बेलगाम

बेल्लारी

बेलथांगडी

भटकल

करवार

कोलार गोल्ड फील्ड

कोप्पा

कुमता

बीदर

बीजापुर

चिकमगलूर

चित्रदुर्ग

चिकोडी

डंडेली

दावणगेरे

गडग बेतगारी

गंगावटी

मुंडारगी

पावगडा

पुट्टूर

रामदुर्ग

गोकक

हरफनहल्ली

हतीहाल

हिरीयुर

होलनरसीपुर

होसदुर्ग

होसपेट

हुंगोंड

इंडी

सिरसी

तालीकोटा

तिपतूर

तुम्कूर

मेडीकेरी

मुधोल

मुदीगेरे

संदूर

रानीबेन्नूर

सागर

सिंधनूर

उडिपी

बेल्लारी (डीडी न्यूज)

दावणगेरे (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)

बडामी

हुविन्न हिपारगी

कुडलिगी

मधुगिरी

सकलेशपुर

श्रृंगेरी

सुलया

केरल

स्टूडियो (3)

तिरुवनंतपुरम

कोझिकोड

त्रिशुर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

कालीकट

कोचीन

तिरुवनंतपुरम

कन्नानूर

कालीकट (डीडी न्यूज)

कोचीन (डीडी न्यूज)

तिरुवनंतपुरम (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)

अडूर

अट्टापड्डी

चंगनचेरी

चेंगनूर

इडुकी

कलपेट्टा

कान्हनगढ़

कासरगौड़

कायमकुलम

कोट्टरकारा

मल्लापुरम

मंजेरी

पाला

पालघाट

पत्तनमतिट्टा

पुन्नालूर

शोरनूर

तेल्लीचेरी

तोडुपुझा

त्रिचूर

कन्नानूर (डीडी न्यूज)

त्रिशूर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

देवीकोलम

कांजीरापल्ली

इरत्तुपेटटा

मुण्डाकायम

मध्य प्रदेश

स्टूडियो (3)

भोपाल

ग्वालियर

इंदौर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)

भोपाल

ग्वालियर

इंदौर

जबलपुर

शहडोल

गुना

सागर

छत्तरपुर

भोपाल (डीडी न्यूज)

इंदौर (डीडी न्यूज)

जबलपुर (डीडी न्यूज)

ग्वालियर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (60)

अगर

अशोकनगर

बडा मलहेरा

बडवानी

बालाघाट

बरेली

बेतुल

भंडेर

भानपुरा

भिंड

बिजयपुर

बुरहानपुर

चंदेरी

जाओरा

झाबुआ

करैरा

केलारस

खंडवा

खरगौन

खुरई

कुकदेश्वर

कुक्शी

कुरवाई

लहर

लखनादोन

मैहर

नीमच

पन्ना

पंचमढ़ी

पिपरिया

राघोगढ़

राजगढ़

रतलाम

रीवा

सतना

शिवनी

शाजापुर

शिवपुर

शिवपुरी

छिंदवाडा

दमोह

दतिया

गरोट

गदरवारा

हरदा

इटारसी

मलंजखंड

मांडला

मंदसौर

मुलतई

मुरवारा

नागदा

नरसिंहपुर

सीधी

सिंधवा

सिंगरौली

सीतामऊ

शिरोंज

टीकमगढ़

उज्जैन

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

अलीराजपुर

अलोट

बुधनी

डायमंड माइनिंग परियोजना

पारसिया

सिंगरौली

महाराष्ट्र

स्टूडियो (3)

मुंबई

नागपुर

पुणे

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)

अम्बाजोगई

औरंगाबाद

चंद्रपुर

मुंबई

नागपुर

पुणे

रत्नागिरी

जलगांव

मुंबई (डीडी न्यूज)

नागपुर (डीडी न्यूज)

पुणे (डीडी न्यूज)

औरंगाबाद (डीडी न्यूज)

अंबाजोगई (डीडी न्यूज)

मुंबई (डिजीटल)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (88)

अचलपुर

अकोट

अहेरी

अहमदनगर

अकलकोट

अकलुज

अकोला

अमलनेर

अमरावती

गोंडिया

हिंगनघाट

हिंगोली

इंचलकरांजी

जालना

कांकोली

कराड

करांजा

खामगांव

खानापुर

खोपोली

किनवत

कोल्हापुर

माहाड

मालेगांव

मंगल वेढ़ा

मनगांव

मनमाड

मेहेकर

म्हासले

अर्वी

बदलापुर

बारशी

भामरागढ़

भुसावल

बीड

ब्रह्मपुरी

बुल्ढ़ाणा

चंदुर

नांदेड

नंदरबार

नासिक

नवापुर

उस्मानाबाद

पंढ़रकावडा

पंढ़रपुर

परभनी

पाटन (सतारा)

फाल्टन

पुलगांव

पुसाद

राजापुर

रावेर

रिसोड

संगमनेर

सांगली

सतना

सतारा

शहाड

चिखली

चिपलुन

दरियापुर

देवरुख

धडगांव

धर्माबाद

धुले

दिगलुर

गढ़चिरोली

शिरपुर

शोलापुर

सिरोंचा

तुमसर

उमेरगा

उमरखेड

वानी

वर्धा

वाशिम

यवतमाल

अकोला (डीडी न्यूज)

अमरावती (डीडी न्यूज)

भंडारा (डीडी न्यूज)

धुले (डीडी न्यूज)

कोल्हापुर (डीडी न्यूज)

मालेगांव (डीडी न्यूज)

नांदेड (डीडी न्यूज)

नासिक (डीडी न्यूज)

सांगली (डीडी न्यूज)

शोलापुर (डीडी न्यूज)

मोर्शी

शिर्डी

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)

अम्बेट

अर्जुनी

अष्टी

भोकर

चिकलधारा

चिमुर

जुन्नार

करंजा (वर्धा)

करजत

खेड

गोरेगांव

करखेडा

मलकापुर

मलवान

पिम्पलनेर-साकरी

सकोली

सिंदेवाही

तिवसा

वंसतगढ़

वाई

मणिपुर

स्टूडियो (1)

इम्फाल

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

इम्फाल

चुड़ाचांदपुर

इम्फाल (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

ऊखरुल

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

चन्देल

कंगपोकपी

मोरे

सेनापति

मेघालय

स्टूडियो (2)

शिलांग

तुरा

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)

शिलांग

तुरा

तुरा (डीडी न्यूज)

शिलांग (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

जोवई

विलियमनगर

चेरापूंजी

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

बाघमारा

नोंगस्टाइन

ट्रांसपोजर (1)

शिलांग

मिजोरम

स्टूडियो (1)

आइजोल

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

आइजोल

लुंगलेई

आइजोल (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

लांगत्लाई

लुंगलई (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

चम्फाई

सैहा

ट्रांसपोजर (1)

आइजोल

नागालैंड

स्टूडियो (1)

कोहिमा

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

कोहिमा

मोकोकचुंग

कोहिमा (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दीमापुर

तुएनसांग

मोकोकचुंग (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

मोन

फेक

सताखा

शामतोर

वोखा

जुन्हेबोटा

ट्रांसपोजर (2)

कोहिमा

बड़ी बस्ती

उड़ीसा

स्टूडियो (3)

संबलपुर

भुवनेश्वर

भवानीपटनम

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

बालेश्वर

भवानीपटनम

कटक

संबलपुर

बरहामपुर

कटक (डीडी न्यूज)

संबलपुर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)

आनंदपुर

अंगुल

अथामलिक

बहाल्डा

बोलंगीर

बालीगुढ़ा

बानापुर

बारगढ़

बारीपाड़ा

भद्रक

भांजनगर

भुवन

बीरमित्रपुर

बोनाई

बोध

ब्रजराजनगर

चिकति

दशरथपुर

देवगढ़

धेनकनाल

दुर्गापुर

जी उदयगिरी

गोंडिया

जेपोर

जोडा

कबिसूर्यनगर

कामाख्या नगर

करंजिया

क्योंझारगढ़

खांडपाड़ा

खरियार

कोरापुट

कोटपाड

कुचिंदा

लुथेरंपक

मलकानगिरि

मोहना

नरसिंहपुर

नवरंगपुर

नौवापाड़ा

पदमपुर

पदमपुरम

पडुआ

पल्लाहारा

पारादीप

परलाखेमुंडी

पाटनगढ़

फूलबनी

पुरी

रायरंगपुर

राजराणापुर

राजगंगापुर

रायगढ़

रेढाखोल

राऊरकेला

सिमलीगुड़ा

सोनपुर

सोहेला

सुन्दरगढ़

तलचेर

तुशारा

उमरकोट

बालेश्वर (डीडी न्यूज)

बलियापाल (डीडी न्यूज)

भुवनेश्वर (डीडी न्यूज)

धेनकनाल (डीडी न्यूज)

दुधारकोट रकोट (डीडी न्यूज)

केन्द्रपाड़ा (डीडी न्यूज)

तिरटोल (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)

ऑल – आरएलएस

बड़ा बारबिल – आरएलएस

चित्रकोंडा – आरएलएस

जयापटना – आरएलएस

कलामपुर – आरएलएस

काशीपुर – आरएलएस

कोकसारा – आरएलएस

लांजीगढ़ – आरएलएस

मछकुंड – आरएलएस

नागची – आरएलएस

नयागढ़ – आरएलएस

पैकमल – आरएलएस

सबडेगा – आरएलएस

सिमलिपालगढ़ – आरएलएस

सुकिन्दा – आरएलएस

थाऊमल रामपुर – आरएलएस

राऊरकेला (डीडी न्यूज)

ललितगिरी (डीडी न्यूज)

ट्रांसपोजर (1)

सुनबेडा

पंजाब

स्टूडियो (2)

जालंधर

पटियाला

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

अमृतसर

भटिंडा

जालंधर

फाजिल्का

जालंधर (डीडी न्यूज)

अमृतसर (डीडी न्यूज)

भटिंडा (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (5)

फिरोजपुर

गुरदासपुर

पठानकोट

पटियाला

अबोहर (डीडी न्यूज)

ट्रांसपोजर (1)

तलवाड़ा

राजस्थान

स्टूडियो (1)

जयपुर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

बाड़मेर

बूंदी

जयपुर

जैसलमेर

जोधपुर

अजमेर

बीकानेर

अजमेर (डीडी न्यूज)

बूंदी (डीडी न्यूज)

जयपुर (डीडी न्यूज)

जोधपुर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)

अलवर

अनूपगढ़

बाली

बांसवाडा

बारन

बड़ी सदरी

बाड़मेर

बसावा

भादरा

भरतपुर

भीलवाड़ा

भींमल

चिड़ावा

चित्तौड़गढ़

चुरू

डीग

डुंगरपुर

गंगानगर

गंगापुर (एस.एम. पुर)

हनुमानगढ़

हिंडोन

जैसलमेर

जालौर

झालावाड़

झुंझुनू

कर्णपुर

करौली

केसरियाजी

खाजुवाला

खेतड़ी

किशनगढ़ वास (अलवर)

कोटपुतली

कुशालगढ़

मकराना

माऊंट आबू

नगर

नागौर

नाथद्वारा

नवलगढ़

नोहर

नोखा

पाली

फलोदी

पिलानी

पिरावा

प्रतापगढ़

रायसिंह नगर

राजगढ़ (चुरू)

रतनगढ़

रावतसर

सागवाड़ा

सालुमबेर

सरदारशहर

सवाई माधोपुर

शाहपुरा

सीकर

सिरोही

सोजात

श्रीडूंगरगढ़

सुजानगढ़

सूरतगढ़

तारानगर

टोंक

उदयपुर

बल्लभनगर

अलवर (डीडी न्यूज)

बांसी (डीडी न्यूज)

बीकानेर (डीडी न्यूज)

उदयपुर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

आमेट

आंधी

भीम

चौमहला

देवगढ़

फतेहपुर

गंगापुर (भीलवाड़ा)

कोटरा

कुंभलगढ़

लक्ष्मणगढ़

मंडलगढ़

राजगढ़ (अलवर)

रावतभाटा

सिकराई

टिबी

विराटनगर

ट्रांसपोजर (2)

जमुआ रामगढ

लालसोत

सिक्किम

स्टूडियो (1)

गंगटोक

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

गंगटोक

गंगटोक (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

ग्यालशिंग

मांगन

नामची

रंगपो

सिंगटाम

जोरथांग

तमिलनाडु

स्टूडियो (3)

चेन्नै

कोयंबटूर

मदुरै

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10)

चेन्नै

कोडैकनाल

रामेश्वरम

कुंभकोणम (अंतरिम)

धर्मपुरी

तिरुनेलवेली

कोडैकनाल (डीडी न्यूज)

चेन्नै (डीडी न्यूज)

चेन्नै (क्षेत्रीय चैनल)

चेन्नै (डिजिटल)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (53)

अरनी

अम्बासमुद्रम

अम्बर

आरकोट

अत्तूर

चेय्यर

चिदम्बरम

कोयम्बतूर

कुन्नूर

कोर्टलाम

कड्डालूर

धेनकनिकोट्टा

इरोड

गुडियाटम

कालाकुरचि

कृष्णागिरी

मारतंडम

मयूरम

नागपट्टिनम

नागरकोइल

नाट्टम

नेवेली

पलनी

पट्टुकोट्टै

पेरनामपेट

पोलाची

पुदुकोट्टै

राजपालयम

सेलम

शंकरन कोविल

तंजावुर

तिरुवयारू

तिंडिवनम

तिरुचेंदूर

तिरुचिरापल्ली

तिरुपट्टूर

तिरुवनामलै

तूतिकोरिन

उदगमंडलम

उदुमलपेट

वंदावासी

वनियमबाडी

वेल्लौर

विल्लुपुरम

कोयम्बटूर (डीडी न्यूज)

इरोड (डीडी न्यूज)

मदुरै (डीडी न्यूज)

सेलम (डीडी न्यूज)

तिरुचिरापल्ली (डीडी न्यूज़)

तिरुनेलवेली (डीडी न्यूज)

तिरुपट्टूर (डीडी न्यूज)

तूतिकोरिन (डीडी न्यूज)

वेल्लौर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)

जिंजी

कांचीपुरम

मेट्टुपालयम

तिरुवनामलै

वलियुर

वालपरै

वाजापाडी

ट्रांसपोजर (1)

डिंडिगुल

त्रिपुरा

स्टूडियो (1)

अगरतला

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

अगरतला

अगरतला (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

अंबासा

कैलाशहर

अमरपुर

तेलियामुरा

जोलेइबारी

कैलाशहर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

धर्मनगर

ट्रांसपोजर (1)

बेल्लोनिया

उत्तर प्रदेश

स्टूडियो (7)

इलाहाबाद

बरेली

गोरखपुर

लखनऊ

मऊ

वाराणसी

मथुरा

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (18)

आगरा

इलाहाबाद

बरेली

गोरखपुर

कानपुर

लखनऊ

मऊ

वाराणसी

बांदा

लखीमपुर

फैजाबाद

आगरा (डीडी न्यूज)

इलाहाबाद (डीडी न्यूज)

बरेली (डीडी न्यूज)

गोरखपुर (डीडी न्यूज)

कानपुर (डीडी न्यूज)

लखनऊ (डीडी न्यूज)

वाराणसी (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)

अकबरपुर

अलीगढ़

अमरोहा

अथडमा

औरेया

बहराइच

बलिया

बलरामपुर

बस्ती

बिधुना

छिबरामऊ

देवरिया

दुधीनगर

एटा

इटावा

फर्रुखाबाद

फतेहपुर

गंज डुंडवारा

गौरीगंज

गोंडा

हरदोई

जगदीशपुर

झांसी

कर्वी

कासगंज

कोसी

लालगंज (राय बरेली)

ललितपुर

महोबा

महरोनी

मैनपुरी

मथुरा

मऊ रानीपुर

मुहम्मदाबाद

मुरादाबाद

ननपाड़ा

नरौरा

नौगढ़

ओबरा

ओरई

पीलीभीत

पूरनपुर

रायबरेली

रामपुर

रथ

रूदौली

संभल

शाहजहांपुर

सिकन्दरपुर

सुल्तानपुर

तालबेहात

थिरवा

अलीगढ़ (डीडी न्यूज)

आजमगढ़ (डीडी न्यूज)

झांसी (डीडी न्यूज)

लालगंज (प्रतापगढ़) (डीडी न्यूज)

मऊ (डीडी न्यूज)

मुरादाबाद (डीडी न्यूज)

रामपुर (डीडी न्यूज)

रासरा (डीडी न्यूज)

शाहजहांपुर (डीडी न्यूज)

सुल्तानपुर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

खूबिया नांगल

माणिकपुर

मनकापुर

ठाकुरद्वारा (डीडी न्यूज)

उत्तराखंड

स्टूडियो (1)

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

मसूरी

मसूरी (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

बछेर

चम्पावत

काशीपुर

खेतीखान

पौड़ी

पिथौरागढ़

डाक पत्थर

हल्द्वानी

हरिद्वार

कालागढ़

कोटद्वार

नैनी डांडा

नैनीताल

नई टिहरी

टनकपुर

हरिद्वार (डीडी न्यूज)

खेतीखान (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (33)

अल्मोड़ा

अरौली (बनौली)

बद्रीनाथ

बागेश्वर

बसोत

भटियारी

चौखटिया

देवप्रयाग

देवाल

धारचूला

डीडीहाट

दुगड्डा

फाटा

गज्जा

घंडयाल

गोपेश्वर

जोशीमठ

कलजीखल

कर्णप्रयाग

कौसानी

मानेश्वर

मनीला

मुनसियारी

नंदप्रयाग

नौगांवखल

ऊखीमठ

पोखरी

प्रतापनगर

राजगढ़ी

रानीखेत

रूद्रप्रयाग

थराली

उत्तरकाशी

ट्रांसपोजर (2)

मसूरी

श्रीनगर

पश्चिम बंगाल

स्टूडियो (3)

कोलकाता

शांतिनिकेतन

जलपाईगुड़ी

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)

आसनसोल

कोलकाता

कृष्णानगर

कर्सियांग

मुर्शिदाबाद

शांतिनिकेतन

बालूरघाट

खड़गपुर

कर्सियांग (डीडी न्यूज)

मुर्शिदाबाद (डीडी न्यूज)

आसनसोल (डीडी न्यूज)

कोलकाता (डीडी न्यूज)

कोलकाता (क्षेत्रीय चैनल)

कोलकाता (डिजिटल)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

अलीपुरद्वार

बाघमंडी

बलरामपुर

बर्धमान

विष्णुपुर

कोंतई

कूचबिहार

दार्जिलिंग

फरक्का

गढ़बेटा

झाल्दा

झाड़ग्राम

कालिंपोंग

कालना

माल्दा

मेदिनीपुर

पुरुलिया

रानाघाट

रायना

शांतिनिकेतन (डीडी न्यूज)

बसंती (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

इगरा

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

स्टूडियो (1)

पोर्ट ब्लेयर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

पोर्ट ब्लेयर

पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

कार निकोबार

कार निकोबार (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (24)

बारातांग

कैम्पबेल बे

चोवड़ा

डिग्लीपुर

कालीघाट

काचल

लॉग आईलैंड

मायाबंदर

स्वराजग्राम

ट्रेसा

कैम्पबेल बे (डीडी न्यूज)

डिगलीपुर (डीडी न्यूज)

हरीनगर

हैवलॉक

हटबे

कदमतला

नानकॉवरी

नील आईलैंड

राम कृष्णापुरम

रंगत

हटबे (डीडी न्यूज)

मायाबंदर (डीडी न्यूज)

नानकोंवरी (डीडी न्यूज)

रंगत (डीडी न्यूज)

चंडीगढ़

स्टूडियो (1)

चंडीगढ़

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

चंडीगढ़

दादरा और नगर हवेली

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

सिलवासा

दमन और दीव

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

दमन

दीव

दिल्ली

स्टूडियो (2)

दिल्ली

सीपीसी दिल्ली

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दिल्ली

दिल्ली (डिजीटल)

दिल्ली (डीडी न्यूज)

लक्षद्वीप

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

कावारती

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)

मिनीकॉय

अगात्ति

अमीनी

आंड्रोट

चेतलत

कदमत

कल्पेनी

किल्टन

अगाति (डीडी न्यूज)

अमीनी (डीडी न्यूज)

कावारत्ती (डीडी न्यूज)

मिनीकॉय (डीडी न्यूज)

आंड्रोट (डीडी न्यूज)

कदमत (डीडी न्यूज)

कल्पेनी (डीडी न्यूज)

पुदुचेरी

स्टूडियो (1)

पुदुचेरी

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)	पुदुचेरी (डीडी न्यूज)
पुदुचेरी	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	माहे
कराइकल	यनम

विवरण-II

आकाशवाणी केंद्रों की राज्य-वार अवस्थिति

क्र. सं.	केन्द्र	राज्य	प्रेषित्र प्रकार/क्षमता		
			मी.वेव/(एएम)	एफ.एम.	शार्ट वेव/(एएम)
1	2	3	4	5	6
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	1 किवा*		
2.	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
3.	अडोनी	आंध्र प्रदेश		100 वाट	
4.	बांसवाड़ा	आंध्र प्रदेश		100 वाट	
5.	काकीनाड़ा	आंध्र प्रदेश		100 वाट	
6.	करीमनगर	आंध्र प्रदेश		5 किवा	
7.	कामारेडी	आंध्र प्रदेश		100 वाट	
8.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	100 किवा		
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	200 किवा 20 किवा	10 किवा 10 किवा	50 किवा
10.	कोठागुडम	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
11.	कुरनूल	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
12.	मचरेला	आंध्र प्रदेश		3 किवा	
13.	मरकापुरम	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
14.	नांडयाल	आंध्र प्रदेश		100 वाट	

1	2	3	4	5	6
15.	नेलौर	आंध्र प्रदेश		100 वाट	
16.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
17.	ओनगोले	आंध्र प्रदेश		100 वाट	
18.	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश		1 किवा	
19.	तिरुपती	आंध्र प्रदेश		10 किवा 3 किवा	
20.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	100 किवा 1 किवा*	10 किवा 1 किवा	
21.	विशाखापट्नम	आंध्र प्रदेश	100 किवा	10 किवा	
22.	वारंगल	आंध्र प्रदेश		10 किवा	
23.	बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश		100 वाट	
24.	कलकटैंग	अरुणाचल प्रदेश		100 वाट	
25.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	100 किवा	10 किवा	50 किवा
26.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा		
27.	सीपा	अरुणाचल प्रदेश		100 वाट	
28.	तालिहा	अरुणाचल प्रदेश		100 वाट	
29.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा	10 किवा	
30.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा		
31.	जिमीथांग	अरुणाचल प्रदेश		100 वाट	
32.	जीरो	अरुणाचल प्रदेश	1 किवा	100 वाट	
33.	धुबरी	असम		6 किवा	
34.	डिब्रूगढ़	असम	300 किवा	1 किवा 100 वाट	

1	2	3	4	5	6
35.	दिफू	असम	1 किवा		
36.	गुवाहाटी	असम	100 किवा 10 किवा	10 किवा	50 किवा 50 किवा
37.	हॉफलांग	असम		6 किवा	
38.	जोरहट	असम		10 किवा	
39.	कोकराझार	असम	20 किवा	100 वाट	
40.	नोगांग	असम		6 किवा	
41.	सिलचर	असम	20 किवा	100 वाट	
42.	तेजपुर	असम	20 किवा	1 किवा	
43.	औरंगाबाद	बिहार		100 वाट	
44.	भागलपुर	बिहार	20 किवा		
45.	दरभंगा	बिहार	20 किवा		
46.	गया	बिहार		100 वाट	
47.	किसनगंज	बिहार		100 वाट	
48.	पटना	बिहार	100 किवा	6 किवा 10 किवा	
49.	पुर्णिया	बिहार		6 किवा	
50.	सासाराम	बिहार		6 किवा	
51.	सीतामढ़ी	बिहार		100 वाट	
52.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	20 किवा		
53.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़		6 किवा	
54.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	100 किवा		
55.	मानेन्द्रगढ़	छत्तीसगढ़		100 वाट	
56.	रायगढ़	छत्तीसगढ़		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
57.	रायपुर	छत्तीसगढ़	100 किवा	10 किवा	
58.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़		1 किवा	
59.	दिल्ली	दिल्ली	200 किवा 'ए'	20 किवा	100 किवा (2)
			100 किवा 'बी'	10 किवा	250 किवा (7)
			20 किवा 'सी'		
			10 किवा 'डी'		
			20 किवा एनसी		
60.	पणजी	गोवा	100 किवा	6 किवा	250 किवा
			20 किवा		250 किवा
61.	अहमदाबाद	गुजरात	200 किवा	10 किवा	
62.	अहवा	गुजरात	1 किवा		
63.	भुज	गुजरात	20 किवा		
64.	गोधरा	गुजरात		6 किवा	
65.	हिम्मतनगर	गुजरात	1 किवा		
66.	राजकोट	गुजरात	300 किवा	10 किवा	
			1000 किवा		
67.	सूरत	गुजरात		10 किवा	
68.	वड़ोदरा	गुजरात		10 किवा	
69.	हिसार	हरियाणा		6 किवा	
70.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा		10 किवा	
71.	रोहतक	हरियाणा	20 किवा	10 किवा	
72.	बारमौर	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
73.	बरथेन	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
74.	बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	

1	2	3	4	5	6
75.	चम्बा	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
76.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश		10 किवा	
77.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश		6 किवा	
78.	कसौली	हिमाचल प्रदेश		10 किवा	
79.	केलौंग	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
80.	किनौर (कल्पा)	हिमाचल प्रदेश	1 किवा		
81.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश		6 किवा	
82.	मंडी	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
83.	मनाली	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
84.	रामपुर	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
85.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	100 किवा	10 किवा	50 किवा
86.	सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
87.	भदरवा	जम्मू और कश्मीर		6 किवा	
88.	बिमबरगली	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
89.	डिसकिट	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
90.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	1 किवा	100 वाट	
91.	गुरेज	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
92.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	300 किवा	3 किवा 10 किवा	50 किवा
93.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	1 किवा 200 किवा	100 वाट	
94.	कठुआ	जम्मू और कश्मीर		10 किवा	
95.	खलसी	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		

1	2	3	4	5	6
96.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा		
97.	लेह	जम्मू और कश्मीर	20 किवा	100 वाट	10 किवा
98.	मंगलादेवी फोर्ट	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
99.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा		
100.	न्योमा	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
101.	पदम्	जम्मू और कश्मीर	1 किवा	100 वाट	
102.	पहलगाम	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
103.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर		6 किवा	
104.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर		10 किवा	
105.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	300 किवा 10 किवा	10 किवा 10 किवा	50 किवा
106.	त्रिसूर	जम्मू और कश्मीर	1 किवा	100 वाट	
107.	टिठवाल	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
108.	तराल	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
109.	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
110.	उरी	जम्मू और कश्मीर		100 वाट	
111.	चाईबासा	झारखंड		6 किवा	
112.	डालटनगंज	झारखंड		10 किवा	
113.	हजारीबाग	झारखंड		6 किवा	
114.	जमशेदपुर	झारखंड	1 किवा	6 किवा	
115.	रांची	झारखंड	100 किवा	6 किवा 10 किवा	50 किवा
116.	बंगलौर	कर्नाटक	200 किवा	10 किवा 10 किवा 1 किवा	500 किवा (6)

1	2	3	4	5	6
117.	बेल्लारी	कर्नाटक		10 किवा	
118.	भद्रावती	कर्नाटक	20 किवा		
119.	बीजापुर	कर्नाटक		6 किवा	
120.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक		6 किवा	
121.	देवेनगीरि	कर्नाटक		100 वाट	
122.	धारवाड़	कर्नाटक	200 किवा	10 किवा	
123.	गुलबर्गा	कर्नाटक	20 किवा	10 किवा	
124.	हसन	कर्नाटक		6 किवा	
125.	होसदुर्ग	कर्नाटक		100 वाट	
126.	होसपेट	कर्नाटक		10 किवा	
127.	करवार	कर्नाटक		3 किवा	
128.	कुमाटा	कर्नाटक		100 वाट	
129.	मेडिकेरी (मरकारा)	कर्नाटक		6 किवा	
130.	मंगलौर/उदीपी	कर्नाटक	20 किवा	10 किवा	
131.	मैसूर	कर्नाटक		10 किवा	
132.	रायचूर	कर्नाटक		6 किवा	
133.	सागर	कर्नाटक		100 वाट	
134.	श्रीनगेरी	कर्नाटक		100 वाट	
135.	तुमकुर	कर्नाटक		100 वाट	
136.	अलापुझा (एलेपी)	केरल	200 किवा		
137.	(इडुकी) देविकुलम	केरल		6 किवा 100 वाट	
138.	कन्नूर	केरल		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
139.	कालपेटा	केरल		100 वाट 10 किवा	
140.	कासरगोड़	केरल		100 वाट	
141.	कोचीन	केरल		10 किवा 10 किवा	
142.	कोजीकोड (कालीकट)	केरल	100 किवा	10 किवा	
143.	मंजेरी	केरल		3 किवा	
144.	पुनालूर	केरल		100 वाट	
145.	त्रिचूर	केरल	100 किवा		
146.	तिरुवनंतपुरम	केरल	20 किवा	10 किवा	50 किवा
147.	बालाघाट	मध्य प्रदेश		6 किवा	
148.	बेतुल	मध्य प्रदेश		6 किवा	
149.	भोपाल	मध्य प्रदेश	10 किवा	6 किवा	50 किवा
150.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	20 किवा		
151.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश		6 किवा	
152.	गुना	मध्य प्रदेश		6 किवा	
153.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	20 किवा		
154.	इंदौर	मध्य प्रदेश	200 किवा	6 किवा	
155.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	200 किवा	10 किवा	
156.	खंडवा	मध्य प्रदेश		6 किवा	
157.	मंडला	मध्य प्रदेश		1 किवा	
158.	मंदसौर	मध्य प्रदेश		100 वाट	
159.	नीमच	मध्य प्रदेश		100 वाट	

1	2	3	4	5	6
160.	पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश		100 वाट	
161.	राजगढ़	मध्य प्रदेश		3 किवा	
162.	रीवा	मध्य प्रदेश	20 किवा		
163.	सागर	मध्य प्रदेश		6 किवा	
164.	शहडोल	मध्य प्रदेश		6 किवा	
165.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश		6 किवा	
166.	अहमदनगर	महाराष्ट्र		6 किवा	
167.	अकोला	महाराष्ट्र		6 किवा	
168.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र		1 किवा	
169.	बीड	महाराष्ट्र		6 किवा	
170.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र		6 किवा	
171.	धूले	महाराष्ट्र		6 किवा	
172.	गाधचिरौली	महाराष्ट्र		6 किवा	
173.	जलगांव	महाराष्ट्र	20 किवा		
174.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र		6 किवा	
175.	मुम्बई	महाराष्ट्र	100 किवा 'ए' 100 किवा 'बी' 50 किवा	10 किवा 10 किवा	100 किवा 50 किवा
176.	नागपुर	महाराष्ट्र	300 किवा 1000 किवा	6 किवा	
177.	नांदेड़	महाराष्ट्र		6 किवा	
178.	नासिक	महाराष्ट्र		6 किवा	
179.	ओरस	महाराष्ट्र		5 किवा	

1	2	3	4	5	6
180.	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र		6 किवा	
181.	परभणी	महाराष्ट्र	20 किवा		
182.	पुणे	महाराष्ट्र	100 किवा	6 किवा	
183.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	20 किवा		
184.	सांगली	महाराष्ट्र	20 किवा		
185.	सतारा	महाराष्ट्र		6 किवा	
186.	शोल्हापुर	महाराष्ट्र	1 किवा		
187.	यावतमाल	महाराष्ट्र		6 किवा	
188.	इम्फाल	मणिपुर	300 किवा	10 किवा	50 किवा
189.	चुराचांदपुर	मणिपुर		6 किवा	
190.	सेनापती	मणिपुर		100 वाट	
191.	चेरापुंजी	मेघालय		100 वाट	
192.	जोवाई	मेघालय		6 किवा	
193.	नांगस्टोन	मेघालय	1 किवा		
194.	शिलांग	मेघालय	100 किवा	10 किवा	50 किवा
195.	तुरा	मेघालय	20 किवा		
196.	विलियमनगर	मेघालय	1 किवा		
197.	आइजोल	मिजोरम	20 किवा	6 किवा	10 किवा
198.	आइजोल	मिजोरम		100 वाट	
199.	लुंगलेह	मिजोरम		6 किवा	
200.	रंगदिल	मिजोरम		100 वाट	
201.	सइहा	मिजोरम	1 किवा		
202.	कोहिमा	नागालैंड	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा

1	2	3	4	5	6
203.	मोकाकचुंग	नागालैंड		6 किवा	
204.	मोन	नागालैंड	1 किवा		
205.	समतोरे	नागालैंड		100 वाट	
206.	त्युनसैंग	नागालैंड	1 किवा		
207.	बारीपाड़ा	ओडिशा	—	5 किवा	
208.	बरहामपुर	ओडिशा		6 किवा	
209.	भवानीपटनम	ओडिशा	200 किवा		
210.	बोलंगीर	ओडिशा		6 किवा	
211.	कटक	ओडिशा	300 किवा 1 किवा	6 किवा	
212.	देवगढ़	ओडिशा		100 वाट	
213.	जयपोर	ओडिशा	100 किवा		50 किवा
214.	जोरांडा	ओडिशा	1 किवा		
215.	क्योंझर	ओडिशा	1 किवा		
216.	पुरी	ओडिशा		3 किवा	
217.	राउरकेला	ओडिशा		6 किवा	
218.	सम्बलपुर	ओडिशा	100 किवा		
219.	सोरो	ओडिशा	1 किवा		
220.	भटिंडा	पंजाब		6 किवा	
221.	जालंधर	पंजाब	300 किवा 200 किवा 1 किवा*	10 किवा 10 किवा	
222.	पटियाला	पंजाब		6 किवा	
223.	अमजेर	राजस्थान	200 किवा		

1	2	3	4	5	6
224.	अलवर	राजस्थान		6 किवा	
225.	बांसवाड़ा	राजस्थान		6 किवा	
226.	बाड़मेर	राजस्थान	20 किवा		
227.	बीकानेर	राजस्थान	20 किवा		
228.	चितौड़गढ़	राजस्थान		6 किवा	
229.	चुरू	राजस्थान		6 किवा	
230.	जयपुर	राजस्थान	1 किवा	6 किवा	50 किवा
231.	जैसलमेर	राजस्थान		10 किवा	
232.	झालावाड़	राजस्थान		6 किवा	
233.	जोधपुर	राजस्थान	300 किवा	6 किवा	
234.	कोटा	राजस्थान	20 किवा		
235.	माउंट आबू	राजस्थान		6 किवा	
236.	नागौर	राजस्थान		6 किवा	
237.	सवाई माधोपुर	राजस्थान		6 किवा	
238.	सूरतगढ	राजस्थान	300 किवा		
239.	उदयपुर	राजस्थान	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
240.	गंगटोक	सिक्किम	20 किवा		10 किवा
241.	चेन्नई	तमिलनाडु	200 किवा 'ए' 20 किवा 'बी' 20 किवा	20 किवा 20 किवा	50 किवा 100 किवा
242.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	20 किवा	10 किवा	
243.	धर्मापुरी	तमिलनाडु		10 किवा	

1	2	3	4	5	6
244.	कोडाईकनाल	तमिलनाडु		10 किवा	
245.	मदुरै	तमिलनाडु	20 किवा	1 किवा	
246.	नागरकोइल	तमिलनाडु		10 किवा	
247.	ओटकमुंड	तमिलनाडु	1 किवा	100 वाट	
248.	रामेश्वरम	तमिलनाडु		100 वाट	
249	सलेम (यारकुड)	तमिलनाडु		100 वाट	
250.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	100 किवा	10 किवा	
251.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	20 किवा		
252.	तंजावुर	तमिलनाडु		100 वाट	
253.	थिरूपतूर	तमिलनाडु		100 वाट	
254.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु	200 किवा		
255.	वैलोर	तमिलनाडु		100 वाट	
256.	अगरतला	त्रिपुरा	20 किवा	10 किवा	
257.	बेलोनिया	त्रिपुरा		6 किवा	
258.	कैलाशहर	त्रिपुरा		6 किवा	
259.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र		6 किवा	
260.	दमन	संघ शासित क्षेत्र (दमन और दीव)		3 किवा	
261.	कराईकल	संघ शासित क्षेत्र (पुदुचेरी)		6 किवा	
262.	पुदुचेरी	संघ शासित क्षेत्र (पुदुचेरी)	20 किवा	10 किवा	
263.	कावारती	संघ शासित क्षेत्र (लक्षद्वीप)	1 किवा		

1	2	3	4	5	6
264.	पोर्टब्लेयर	संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	100 किवा	10 किवा	10 किवा
265.	आगरा	उत्तर प्रदेश	20 किवा		
266.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश		6 किवा	250 किवा (4)
267.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	20 किवा	10 किवा	
268.	बरेली	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
269.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
270.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	100 किवा	10 किवा	50 किवा
271.	झांसी	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
272.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	1 किवा	10 किवा 1 किवा	
273.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	300 किवा 10 किवा*	10 किवा 10 किवा	50 किवा
274.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1 किवा		
275.	नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश	200 किवा		
276.	ओबरा	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
277.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	20 किवा		
278.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	100 किवा 1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
279.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	1 किवा		
280.	बचेर	उत्तराखंड		100 वाट	
281.	भटवारी	उत्तराखंड		100 वाट	
282.	गोपेशवर (चमोली)*	उत्तराखंड	1 किवा		

1	2	3	4	5	6
283.	खेतीखान	उत्तराखंड		100 वाट	
284.	मसूरी	उत्तराखंड		10 किवा	
285.	नैनीताल	उत्तराखंड		100 वाट	
286.	प्रतापनगर	उत्तराखंड		100 वाट	
287.	पौड़ी	उत्तराखंड	1 किवा		
288.	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	1 किवा		
289.	राजगड़ी	उत्तराखंड		100 वाट	
290.	तनकनपुर	उत्तराखंड		100 वाट	
291.	उखीमठ	उत्तराखंड		100 वाट	
292.	उत्तरकाशी	उत्तराखंड	1 किवा		
293.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल		6 किवा	
294.	दार्जीलिंग	पश्चिम बंगाल		100 वाट	
295.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	200 किवा 'ए' 100 किवा 'बी' 20 किवा 1000 किवा	20 किवा 20 किवा	50 किवा
296.	कर्सियांग	पश्चिम बंगाल	1 किवा	5 किवा	50 किवा
297.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल		6 किवा	
298.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल		3 किवा	
299.	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	200 किवा	10 किवा	
	कुल 461 ट्रांसमीटर		146 (मी.वेव)	267 (एफ.एम.)	48 (शार्ट वेव)

*एफ.एम. प्रेषित्र से बदले जा रहे हैं।

विवरण-III

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों में किया गया उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किया गया उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (25.11.2012 तक)
1	2	3	4	5
असम	दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी में दो चैनलों की अतिरिक्त चेन उपलब्ध कराई गई।	कोकराझार में 1 किवा के अंतरिम उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को 10 किवा (स्थाई संरचना) में अपग्रेड किया गया।		
आंध्र प्रदेश	करीमनगर और नेल्लूर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।	निजामाबाद में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।		
अरुणाचल प्रदेश			ईटानगर में भू केंद्र को एक चैनल से दो चैनल सिस्टम में अपग्रेड किया गया।	
बिहार	सहरसा में 1 किवा के अंतरिम उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को 10 किवा (स्थाई संरचना) में अपग्रेड किया गया।			
छत्तीसगढ़		बिलासपुर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (20 किवा) से प्रतिस्थापित किया गया।		
गुजरात	केबड़िया कालोनी और जामनगर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।			

1	2	3	4	5
हरियाणा			नारनौल में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड़ अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।	
जम्मू और कश्मीर		दूरदर्शन केंद्र जम्मू में अतिरिक्त स्टूडियो कमीशन किया गया। जम्मू में भू केन्द्र को एक चैनल से तीन चैनल सिस्टम में अपग्रेड किया गया।	लेह में स्थायी स्टुडियो कमीशन किया गया।	
केरल		चंगनचेरी और त्रिसुर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।	शोरानूर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड़ अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।	
कर्नाटक		सिरसी, बेलगाम और रानीबेन्नूर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।		
मध्य प्रदेश	बेतूल में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।	राजगढ़ और छिंदवाड़ा में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।	खरगौन में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।	चंदेरी में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।
महाराष्ट्र		बरशी में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीट से प्रतिस्थापित किया गया		

1	2	3	4	5
मणिपुर			इंफाल में भू केंद्र को एक चैनल से दो चैनल सिस्टम में अपग्रेड किया गया।	
नागालैंड			कोहिमा में भू केंद्र को एक चैनल से दो चैनल सिस्टम में अपग्रेड किया गया।	
पंजाब		गुरुदासपुर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।		
राजस्थान	बाड़मेर में 1 किवा के अंतरिम उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को 10 किवा (स्थाई संरचना में अपग्रेड किया गया।	सिरोही, हनुमानगढ़, झुंझनु, पाली और डीग में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 10 किवा (स्थाई संरचना में अपग्रेड किया गया।	चित्तौड़गढ़ में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रासंमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।	
सिक्किम			गंगटोक में भू केंद्र को एक चैनल से दो चैनल सिस्टम में अपग्रेड किया गया।	
तमिलनाडु	नेवेली, कोटलम, वेल्लूर और वनियमबाड़ी में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।	तिरुपत्तूर (डीडी न्यूज) में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर में प्रतिस्थापित किया गया।	कुंबकोनम में 1 किवा के अंतरिम उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को 10 किवा (स्थाई संरचना) में अपग्रेड किया गया।	

विवरण-IV

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों में किया गया उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य

वर्ष	राज्य	स्थान	उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किये गए कार्यों का विवरण
1	2	3	4
2010-11	1. तमिलनाडु	ऊटी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)

1	2	3	4
	2. उत्तराखंड	गोपेश्वर (चमोली)	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
2011-12	1. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	2. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	3. आंध्र प्रदेश	वियजवाड़ा	1 किवा मी. वेव ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
			1 किवा मी. वेव ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	4. अरुणाचल प्रदेश	तवांग	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल) स्थायी स्टूडियो सेट
	5. अरुणाचल प्रदेश	जीरो	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	6. असम	दिबरूगढ़	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	7. असम	जोरहाट	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में परिवर्तन
	8. असम	कोकराझार	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	9. असम	सिलचर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	10. बिहार	पटना	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	11. छत्तीसगढ़	रायपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	12. गुजरात	सूरत	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	13. हरियाणा	कुरुक्षेत्र	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	14. हरियाणा	रोहतक	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	15. हिमाचल प्रदेश	शिमला	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	16. जम्मू और कश्मीर	लेह	स्थायी स्टूडियो सेट

1	2	3	4
17.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
18.	झारखंड	रांची	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
19.	कर्नाटक	बंगलौर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
20.	कर्नाटक	बेल्लारी	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
21.	कर्नाटक	गुलबर्गा	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
22.	कर्नाटक	मैसूर	स्थायी स्टूडियो सेट
23.	केरल	कोच्चि	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
24.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
25.	महाराष्ट्र	नागपुर	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
26.	महाराष्ट्र	पुणे	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
27.	महाराष्ट्र	शोल्हापुर	1 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
28.	पंजाब	जालंधर	1 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
29.	राजस्थान	अलवर	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
30.	राजस्थान	बांसवाड़ा	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
31.	राजस्थान	बीकानेर	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
32.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन

1	2	3	4
	33. राजस्थान	जयपुर	स्थायी स्टूडियो सेट
	34. सिक्किम	गंगटोक	10 किवा एफ.एम. और 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	35. तमिलनाडु	मदुरै	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	36. तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	37. संघ शासित क्षेत्र	पुदुचेरी	5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	38. संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	39. उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	40. उत्तर प्रदेश	लखनऊ	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में परिवर्तन
	41. उत्तर प्रदेश	कानपुर	1 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	42. उत्तर प्रदेश	वाराणसी	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
2012-13	1. असम	दिबरूगढ़	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	2. असम	तेजपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	3. जम्मू और कश्मीर	द्रास	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	4. जम्मू और कश्मीर	कारगिल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	5. जम्मू और कश्मीर	पदम्	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	6. जम्मू और कश्मीर	त्रिसूर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	7. केरल	इदुकी (देविकुलम)	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
	8. उत्तर प्रदेश	रामपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)

[अनुवाद]

युवाओं और खेलों का विकास

1629. श्री सोमेन मित्रा :
श्री राम सिंह राठवा :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में खेलों को बढ़ावा देने और युवा कार्यक्रमों के विकास हेतु कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खेल और युवा कार्यक्रमों के क्षेत्र में अभी तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खेलों और युवा कार्यक्रमों के विकास के लिए कोई नई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) देश के विभिन्न भागों में खेलों तथा युवा कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं:—

युवा कार्यक्रम विभाग:—

(i) नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

(iii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

(iv) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)

(v) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)

खेल विभाग:

(vi) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)

(vii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम

(viii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम

(ix) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)

(x) प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण योजना

(xi) विशेष नकद पुरस्कार योजना

(xii) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार स्कीम-राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार

(xiii) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि

(xiv) नि:शक्तों के लिए खेल-कूद स्कीम

(xv) राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण (साई) को सहायता अनुदान

(xvi) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर को सहायता अनुदान

(xvii) डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को सहायता अनुदान

(xviii) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) को सहायता अनुदान

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आबंटित निधियों/किए गए व्यय और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) खेलों और युवा कार्यक्रमों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। देश में युवा विकास के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण

परिव्यय/व्यय का वर्षवार और योजनावार सारांश

(करोड़ रुपए)

योजना का नाम	2009-2010		2010-2011		2011-2012		2012-2013	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	127.83	127.83	123.31	121.24	133.97	133.67	134.50	133.42
राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	59.27	59.27	66.86	66.86	57.80	57.80	86.87	66.90
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	9.10	9.10	9.90	9.90	21.91	21.91	20.90	8.91
राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	—	—	52.25	45.98	58.00	49.42	63.50	52.72
राष्ट्रीय युवा तथा किशोर विकास कार्यक्रम	24.50	22.70	27.68	26.38	23.00	22.34	23.00	5.32

(करोड़ रुपए)

योजनाओं का नाम	2009-2010				2010-2011				2011-2012			
	एन.वाई.के.एस		एन.एस.एस		एन.वाई.के.एस		एन.एस.एस		एन.वाई.के.एस		एन.एस.एस	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	153	145	03	03	132	124	05	05	178	173	05	05
आन्ध्र प्रदेश	715	727	692	692	836	795	677	677	844	793	688	688
अरुणाचल प्रदेश	155	187	20	20	141	141	18	18	152	139	37	37
असम	731	691	81	81	691	692	00	00	806	759	96	96
बिहार	1119	1111	103	103	1189	1154	119	119	1274	1209	90	90
चंडीगढ़	60	50	31	31	39	35	47	47	33	29	47	47
छत्तीसगढ़	268	254	164	164	311	312	189	189	315	295	162	162
दादरा और नगर हवेली	29	27	02	02	25	22	04	04	33	29	04	04
दमन और दीव	48	44	03	03	48	42	05	05	62	57	05	05
दिल्ली	94	99	00	00	96	86	00	00	104	91	00	00
गोवा	62	58	53	53	53	52	60	60	64	60	48	48
गुजरात	588	555	291	291	580	521	446	446	645	601	267	267
हरियाणा	492	489	190	190	498	457	219	219	538	500	169	169
हिमाचल प्रदेश	371	401	215	215	390	335	149	149	400	371	154	154
जम्मू और कश्मीर	413	545	99	99	479	418	00	00	490	456	89	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
झारखंड	519	482	00	00	531	502	00	00	582	546	80	80
कर्नाटक	560	560	477	477	617	560	332	332	678	630	446	446
केरल	416	403	284	284	469	423	367	367	492	458	282	282
लक्षद्वीप	30	29	03	03	25	24	05	05	30	29	05	05
मध्य प्रदेश	1172	1131	238	238	1162	1138	274	274	1337	1255	225	225
महाराष्ट्र	944	922	561	561	1007	998	804	804	1038	966	520	520
मणिपुर	280	278	00	00	259	258	00	00	302	279	43	43
मेघालय	16!	189	49	49	153	151	59	59	170	156	50	50
मिजोरम	103	99	69	69	102	102	82	82	107	97	82	82
नागालैंड	255	249	21	21	209	209	25	25	238	223	19	19
ओडिशा	508	498	179	179	539	534	167	167	608	570	168	168
पुदुचेरी	87	85	12	12	89	83	39	39	125	118	33	33
पंजाब	451	435	203	203	524	477	312	312	534	503	241	241
राजस्थान	894	876	318	318	943	842	365	365	1011	939	302	302
सिक्किम	141	121	38	38	128	129	33	33	134	124	33	33
तमिलनाडु	902	885	569	569	977	927	927	927	1049	987	606	606
त्रिपुरा	117	107	69	69	108	108	82	82	110	100	62	62
उत्तर प्रदेश	1731	1763	553	553	1834	1862	553	553	1982	1865	416	416
उत्तराखंड	280	280	168	168	283	293	120	120	304	284	164	164
पश्चिम बंगाल	766	756	169	169	817	812	202	202	870	814	152	152

खेल विभाग के विभिन्न योजना और योजनेत्तर स्कीमों के अंतर्गत आबंटित निधियों और किए गए व्यय का विवरण

क: योजनागत योजना

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (31.10.202 तक)		2012-13	
		आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंचायत क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)	135.00	135.00	350.00	350.00	165.20	165.20	235.00	121.67
2.	शहरी खेल और संरचना स्कीम	0.00	0.00	15.00	15.00	40.50	40.50	40.00	6.81
3.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एनएसएफ)	51.00	50.53	87.68	81.44	100.00	100.00	110.00	43.69
4.	प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण	1.00	1.00	7.00	7.00	2.00	2.00	0.50	0.00
5.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	8.125	8.125	20.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00
6.	निःशक्त खिलाड़ियों के बीच खेलों का संवर्धन	2.00	0.74	6.27	5.96	4.40	4.40	5.00	2.30
7.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को विशेष नकद पुरस्कार	5.50	5.50	34.00	34.00	14.00	11.74	5.00	1.55
8.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन	6.50	6.50	30.25	30.25	3.50	3.50	2.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	भारतीय खेल प्राधिकरण	200.375	200.375	347.00	347.00	250.90	250.90	288.00	178.41
10.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा वि.वि. ग्वालियर	23.00	23.00	30.00	30.00	25.00	25.00	30.00	7.50
11.	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा)	1.00	1.00	2.00	2.00	0.50	0.50	1.00	0.00
12.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)	14.00	14.00	11.50	11.50	2.50	2.50	2.50	0.20
13.	विश्व डोप रोधी एजेंसी को अंशदान के लिए स्कीम	0.50	0.44	0.50	0.42	0.50	0.50	0.50	0.00
14.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	2268.00	2260.03	1137.43	872.29	0.00	0.00	0.50	0.00
	नई स्कीम:								
	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान							5.00	0.00
	राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान, पटियाला							5.00	0.00
	बहुखेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों की तैयारी							1.00	0.00
	राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता योजना-एनएनयूपीई ग्वालियर में संसाधन केन्द्र की स्थापना							5.00	0.00
	कुल	2716.00	2711.01	2099.95	1806.94	609.00	606.74	741.00	367.13

ख: योजनेतर योजना

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (31.10.202 तक)		2012-13	
		आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय
1.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना	3.00	2.78	3.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अर्जुन पुरस्कार	1.30	0.84	1.00	0.92	1.10	1.03	1.10	1.09
3.	ध्यानचंद पुरस्कार	0.20	0.19	0.20	0.16	0.20	0.19	0.20	0.20
4.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.32	0.21	0.32	0.29	0.32	0.32	0.32	0.31
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण	48.60	48.60	49.42	49.42	40.17	40.17	44.39	33.30
6.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय	10.32	10.32	9.63	9.63	8.87	8.87	8.87	6.65
7.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	1.00	1.00	1.00	1.00	0.35	0.35	1.10	0.00
8.	एनसीसी/शारीरिक शिक्षा को अनुदान	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.38	0.01
9.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	615.00	615.00	807.96	663.21	0.01	0.00	0.00	0.00
	कुल	680.12	679.19	873.01	727.78	51.29	50.93	56.26	41.55

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय मिशन

1630. श्री एल. राजगोपाल :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएफपी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और फलों और सब्जियों को खराब होने से रोकने, इनकी बर्बादी को कम करने में मिशन किस हद तक सहायता करता है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सरकार मिशन के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी पर विचार कर रही है जिससे कि भारत की विश्व में खाद्य प्रसंस्करण भागीदारी में वृद्धि हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मूल उद्देश्य हैं: (i) आगामी अपेक्षित वृद्धि प्रोत्साहन के अनुरूप मंत्रालय की अगली छलांग का अनुभव करना तथा क्षेत्र की मूल्यवृद्धि; (ii) विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण; (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक भूमिका; (iv) बेहतर आउटरीच; (v) प्रभावी पर्यवेक्षण उएवं मानीटरिंग।

वर्ष 2012-13 के दौरान एनएमएफपी के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम/स्कीमें हैं:—

(i) खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम/ हैं:—

(ii) गैर-बागवानी उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिक्षण अवसंरचना स्कीम।

(iii) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी)

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठयक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

(ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (एफपीटीसी)

(iv) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम।

(क) सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन

(ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना

(ग) प्रदर्शनियों/मेलों को सहायता

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार

(ग) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की विभिन्न स्कीमों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करती हैं और उसके पश्चात पात्र लाभभोगियों को अनुदान सहायता की मंजूरी देती हैं और उसे जारी करती हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु लाभभोगियों, परियोजना स्थलों के चयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलापन भी प्रदान करता है। मंत्रालय की यह पहल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देगी और फल एवं सब्जियों के विकृतीकरण/बर्बादी को कम करने में भी सहायता करेगी।

(घ) और (ङ) नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उद्यमियों एवं घरेलू कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित की थी। 12वीं योजना (2012-13) के दौरान, इसे केन्द्र प्रायोजित

स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत सन्निविष्ट कर दिया गया है।

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय ने देश में फल एवं सब्जी यूनिटों सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों, कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वित्तीय सहायता की यही पैटर्न राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से भी उपलब्ध है।

मिशन ऑयल पाम

1631. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑयल पाम और ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पृथक मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग ने वानस्पतिक तेल उत्पादन के सभी स्रोतों के दोहन के लिए 12वीं योजनावधि के दौरान तिलहन एवं आयलपाम संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओएंडओपी) शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस मिशन में तीन मिनी मिशन यथा प्रमुख तिलहनों के उत्पादन और उतपादकता को बढ़ाने के लिए तिलहन पर मिनी मिशन-I, आयलपाम के क्षेत्र विस्तार सहित सतत विकास के लिए आयलपाम संबंधी मिनी मिशन-II और बंजर भूमि के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए टीबीओज के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए वृक्षजनित तिलहनों (टीबीओ'ज) संबंधी मिनी मिशन-III शामिल हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

लाटरियों की बिक्री

1632. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के पास अपने राज्यों में अन्य राज्यों/देशों द्वारा आयोजित की जाने वाली पेपर आधारित लाटरियों की बिक्री पर रोक लगाने की शक्ति है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों के पास ऐसे उल्लंघन का पता चलने की स्थिति में क्या उपचार मौजूद है;

(ग) क्या सरकार राज्यों में इन लाटरियों के संचालकों द्वारा लाटरियों से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन किए जाने का पता चलने पर अन्य राज्यों और भूटान जैसे अन्य देशों द्वारा आयोजित लाटरियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां देने हेतु समुचित अधिनियम और नियमों में संशोधन करने के लिए कदम उठाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के नियम 5 और 6 के तहत, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार, दोनों ही लाटरियों पर रोक लगा सकती हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा केवल विदेशों की लाटरियों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है।

विज्ञापनों के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करना

1633. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/जारी विज्ञापनों के माध्यम से कुछ विनिर्माण कंपनियों द्वारा किए जा रहे अतिशयोक्तिपूर्ण दावों पर ध्यान दिया है/इसके बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस पर मीडिया-वार एवं कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास कंपनियों द्वारा विज्ञापनों में अपने उत्पाद के बारे में किए जाने वाले दावों की पुष्टि करने का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जहां तक प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण दावों का संबंध है, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), जोकि एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, का गठन प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत किया गया है जिसका एक उद्देश्य समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानक बनाए रखना और उनमें सुधार करना एवं प्रैस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों का संचार करना है। तदनुसार, भारतीय प्रैस परिषद ने 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' बनाए हैं जिसके दायरे में पत्रकारिता के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है। 'विज्ञापन' विषय संबंधी मानदंड 36 सहित इन मानकों का प्रिंट मीडिया द्वारा विज्ञापन स्वीकार करते समय पालन किया जाना चाहिए। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विषय-वस्तु जो पत्रकारिता आचरण के मानदंड का उल्लंघन करने वाली होती है, से संबंधित शिकायतों का न्यायनिर्णयन भारतीय प्रैस परिषद द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान भारतीय प्रैस परिषद द्वारा प्राप्त की गई भ्रामक विज्ञापनों संबंधी शिकायतों एवं उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में अंतर्विष्ट केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 द्वारा विहित विज्ञापन संहिता के तहत विनियमित किया जाता है। संहिता के नियम 7(5) में व्यवस्था है कि किसी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होंगे जिनसे आम नागरिकों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने की संभावना हो कि विज्ञापित सामग्री अथवा उसका कोई घटक कुछ विशेष या जादुई शक्ति वाला है अथवा उसमें दैवी शक्ति या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना आसान नहीं है। टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों को विज्ञापन संहिता के अनुरूप होना पड़ता है, जब कभी टीवी चैनलों द्वारा उपर्युक्त संहिता के किसी विशिष्ट उल्लंघन की जानकारी मिलती है, उक्त अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित की गई है जो विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करेगी। निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल पर प्रसारित अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करने वाले विज्ञापनों के मामले में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कई ऐसे विधान हैं जिनमें कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के संबंध में किए गए भ्रामक दावों और विज्ञापनों से निपटने के लिए प्रावधान रखे गए हैं जैसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1955, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन), अधिनियम 2003, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आदि। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मिथ्या अथवा भ्रामक निरूपण करना जिससे जनता प्रत्यक्ष तौर पर भ्रम में पड़े, मिथ्या या भ्रामक तथ्य देना आदि को अनुचित व्यापार परंपरा के रूप में अधिसूचित किया गया है और ऐसे भ्रामक विज्ञापन के कारण उपभोक्ता को हुई किसी तरह की हानि के लिए वह उपभोक्ता मंच में भरपाई की मांग कर सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर दांडिक कार्रवाई की व्यवस्था की है।

विवरण-I

भ्रामक विज्ञापन 2009-2010

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
1	2	3	4	5
1.	श्री सुखदेव सिंह पंक हाउस चरण सिंह नगर सीकर (राजस्थान)	संपादक, राजस्थान पत्रिका, केसरगढ़, नेहरु मार्ग, जयपुर	वाणिज्यिक लाभ के लिए भ्रामक/आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रकाशन	परिषद् ने अपना निर्णय 30-7-2010 को दिया इनकी प्रतिवादी समाचारपत्र के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए राय थी कि मामले में आगे कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, गांव-जमुनिया, पोस्ट-हिरदेन नगर मंडाला	संपादक, नई दुनिया	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	परिषद् ने क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण मामले को समाप्त माना गया
3.	श्री कुश कालरा, स्टैंडड बैटरीज, दुकान नं. 2 अंबाला रोड़ दर्पण सिनेमा के पास सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स	झूठे विज्ञापनों का प्रकाशन	जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने पर समाप्त
4-5.	श्री खुशाल सिंह, 426, चौथा तल गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड़, जयपुर	संपादक राजस्थन पत्रिका	फर्जी विज्ञापनों का प्रकाशन	अनिष्पादन पर समाप्त
6.	श्री दीपक छाबड़िया, अध्यक्ष, इंपलॉयमेंट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडियन पर्सोनल मुंबई	ग्लोबल जॉबस (टाइम्स ऑफ इंडिया की सहायिकी)	ओवरसीज जॉब से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन	परिषद् ने शिकायत का समर्थन करते हुए दिशानिर्देश पुन: सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है (न्यायानिर्णय की प्रति संलग्न) परिषद् ने यह भी सिफारिश की, कि न्यायनिर्णयों को सरकार के संबद्ध मंत्रालय को व्यापक प्रचार के लिए

1	2	3	4	5
		भ्रामक विज्ञापन 2010-2011		
1.	श्री एम.एस. नागरा, नई दिल्ली	मलयाला मनोरमा	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	परिषद द्वारा प्रेस तथा प्राधिकारियों द्वारा भ्रामक/अप्राधिकृत विदेशी नियोजन के मुद्दे पर पहले ही विचार किया गया है। मामला दिनांक 09.08.2012 को बंद कर दिया गया।
2-5.	डॉ. गौतम, इंदौर (मध्य प्रदेश)	राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, नई दुनिया एवं पत्रिका	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	जांच के पर्याप्त आधार के अभाव में यह मामला दिनांक 27.08.2012 को बंद कर दिया गया।
6.	श्री मधुसूदन महतो, सचिव, भारतीय विज्ञान ओ युक्तिबंदी समिति, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	पुरुलिया दर्पण	वही	मामले के निपटान करते हुए उसे दिनांक 02.12.2011 को बंद कर दिया गया।
7.	श्री इकबाल सिंह, पंजाब	मीडिया	वही	अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में मामले को दिनांक 23.01.2012 को बंद कर दिया गया।
8.	श्री दीपक छाबड़िया, अध्यक्ष, भारतीय कार्मिक रोजगार संवर्द्धन परिषद, मुंबई	एसाइनमेंट अब्रोड टाइम्स एंड मुंबई मिरर	विदेशी रोजगार से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन	परिषद ने शिकायत को स्वीकार करने की अनुसंशा करते हुए दिशा निर्देशों को पुन: सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है (न्याय-निर्णय की प्रति संलग्न है)। परिषद ने आगे व्यापक प्रचार हेतु सरकार के संबंधित मंत्रालय को इन न्याय निर्णयों को अग्रेषित करने की सिफारिश की।
9.	श्री दीपक छाबड़िया, अध्यक्ष, भारतीय कार्मिक रोजगार संवर्द्धन परिषद, मुंबई	टाइम्स ऑफ इंडिया	विदेशी रोजगार से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन	मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
		भ्रामक विज्ञापन 2011-2012		
1.	श्री सुरेश चन्द ठुकराल (सू.एव. प्र. मंत्रालय के जरिये)	इकानॉमिक टाइम्स	नशे (वाइन) के विज्ञापन के प्रकाशन	अनिष्पादन पर 7-2-2012 को समाप्त
2.	श्री सुमित कुमार रे, शक्ति नगर, भोपाल (सू.एवं प्र. मंत्रालय के जरिये)	प्रिंट मीडिया	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 7-2-2012 को समाप्त
3.	श्री रामदेव, विष्णुपुर चम्पारण	प्रभात खबर	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 27-8-2012 को समाप्त
4.	श्री वी. राजू (सू.एवं प्र. मंत्रालय के जरिये)	दिनाकरण	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 2-3-2012 को समाप्त
5.	मो. जाहिद, दहलीर महिला एवं बाल कल्याण सोसायटी जाफराबाद दिल्ली 53	राजनामा राष्ट्रीय सहारा	झूठे और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 2-3-2012 को समाप्त
6.	श्री वी.के. ठक्कर, अध्यक्ष, वी केयर राइट एंड ड्यूटी एनजीओ केवल करोडिया रोड, पी.ओ. बाजवा-391310 (उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं लोक आवंटन के जरिये)	मीडिया	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 27-8-2012 को समाप्त
7.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क निरीक्षक, झाजर	मीडिया	झूठे विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 9-10-2012 को समाप्त
		भ्रामक विज्ञापन 2012-2013		
1.	श्री मधुउरंथकम प्रभाका राव, कुकात पलली, हैदराबाद-72.	दी हिन्दु	मॉटिन नेचरगार्ड के संबंध में भ्रामक विज्ञापन और सम्पादकीय	विचाराधीन

1	2	3	4	5
2.	कार्यालय सचिव कंज्यूमर्स इंडिया ई-7/16, वसंत विहार, नई दिल्ली	दिल्ली टाइम्स	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	विचाराधीन
3.	श्री ए. अहमद सोनाली, पदीर हाटी, कोलकाता 66 (पश्चिम बंगाल)	तथ्य केन्द्र	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	विचाराधीन
4.	श्री प्रभाष कमार झा, एक्स चीफ सिंहवाडा जिला-दरभंगा (बिहार)	टाइम्स ऑफ इंडिया	आपत्तिजनक विज्ञापन	विचाराधीन
5.	श्री दीपक छाबड़िया, अध्यक्ष इम्पलॉयमेंट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया परसोनल, मुंबई	टाइम्स ऑफ इंडिया	विदेश में नौकरी के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन	29-10-2012 को समाप्त विदेश में दिशानिर्देश परिषद् द्वारा पहले ही तैयार किये जा चुके हैं।

विवरण-II

निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर भ्रामक विज्ञापन और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

वर्ष 2009

शून्य

वर्ष 2010

क्र.सं.	विज्ञापन	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	गंभीर बीमारियों के विशेष/चमत्कारिक इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन	16.04.2010 को आईबीएन टीवी चैनल को चेतावनी जारी की गई।
2.	विशेष या चमत्कारिक या अलौकिक उपचार करने वाले उत्पादों का विज्ञापन	सभी चैनलों को दिनांक 13.05.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।
		वर्ष 2011
1.	जादू टोना से रोगों से छुटकारा दिलाने या जीवन में सफलता आदि का दावा करने वाले टीवी पर दिखाए जाने वाले बाधा मुक्ति यंत्र, धन लक्ष्मी यंत्र आदि जैसे उत्पादों के कथित भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण के विरुद्ध शिकायत करते हुए श्री सौरभ जोशी से याचिका प्राप्त हुई थी।	शिकायत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) को उनके विचारों के लिए भेजी गई थी। एएससीआई ने दिनांक 11.10.2011 के पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत का समर्थन किया। i. दिव्यऋषि की कुबेर कुजी ii. बाधा मुक्ति यंत्र iii. शनि शुभ यंत्र iv. साई दर्शन पेंडेंट v. महा धन लक्ष्मी यंत्र दिनांक 17.11.2011 के पत्र के तहत प्रसारण निकायों नामत: भारतीय प्रसारण निकायों नामत: भारतीय प्रसारण फाउंडेशन और समाचार प्रसारक संघ के प्रतिनिधियों को यह सलाह देने के लिए बुलाया गया था कि उनके चैनलों पर इन विज्ञापनों और इनसे मिलते-जुलते विज्ञापनों, जो विज्ञापन संहिता केनियम 7(5) के अनुसार नहीं हैं, का प्रसारण न किया जाए।
2.	कथित भ्रामक विज्ञापनों जैसे (i) मधुमेह के इलाज के लिए जिम्नेडाइन और (ii) यौन दुर्बलता के लिए पावर प्राश का टीवी चैनलों पर प्रसारण	एएससीआई ने अपने दिनांक 16.12.2011 और 23.01.2012 के पत्रों के तहत सूचित किया कि इन विज्ञापनों के विरुद्ध की गई शिकायतें सही हैं। दिनांक 12.03.2012 के पत्र के तहत प्रसारण निकायों नामत:

1	2	3
		नामत: भारतीय प्रसारण फाउंडेशन और समाचार प्रसारक संघ के प्रतिनिधियों को यह सलाह देने के लिए बुलाया गया था कि उनके चैनलों पर इन विज्ञापनों और इनसे मिलते-जुले विज्ञापनों, जो विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) के अनुसार नहीं हैं, का प्रसारण न किया जाए।
	वर्ष 2012	
1.	टीवी चैनलों पर 'थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा' का प्रसारण	मामले को आईबीएफ और एनबीए के पास भेजा गया था। उन्होंने अपने सदस्य चैनलों से निर्मल बाबा से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करने की सलाह दी। आईबीएफ और एनबी ने इस बात की भी पुष्टि की कि उनके सदस्य चैनलों ने निर्मल बाबा से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण बंद कर दिया है।
2.	गर्नियर फ्रुक्टस शैम्पू के कथित भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध श्री वी. लाल से प्राप्त याचिका	इस शिकायत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया था। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा इस शिकायत को सही नहीं पाया गया।

स्मारकों में अतिक्रमण

1634. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बिहार सहित देश में संरक्षित स्मारकों के परिसरों से अतिक्रमणों को हटाने और निकाले गए अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास में कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या यह सच है कि असंतोषजनक पुनर्वास के कारण अतिक्रमणकारी अपने सामान के साथ एक बार पुन: परिसरों में आ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) बिहार सहित देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिसरों से अतिक्रमणों को हटाने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कानून की दृष्टि से अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास की कोई नीति नहीं है।

(ग) अतिक्रमण हटाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में मामलों को न्यायालयों में भी उठाया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिसरों से हटाए गए अतिक्रमण

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	राज्य
1	2	3	4	5
1.	हसन शाह सूरी का मकबरा	सासाराम	रोहतास	बिहार

1	2	3	4	5
2.	प्रस्तर वेधशाला, मानमहल	वाराणसी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
3.	धाराहरा मस्जिद	वाराणसी	वाराणसी	
4.	जनरल वाली कोठी	लखनऊ	लखनऊ	
5.	माहिबुल्लापुर स्मारक स्तंभ	हजरतगंज	लखनऊ	
6.	अमजद अलीशाह की समाधि का प्लेटफार्म और सीढ़ियां	लखनऊ	लखनऊ	
7.	बड़ा इमामबाड़ा का नक्कार खाना/नौबतखाना	लखनऊ	लखनऊ	
8.	सिकन्दरबाग परिसर	लखनऊ	लखनऊ	
9.	किला मच्छी भवन के नजदीक कब्रिस्तार	लखनऊ	लखनऊ	
10.	कब्रिस्तान	बरगांव	लखनऊ	
11.	बहुबेगम का मकबरा	फैजाबाद	फैजाबाद	
12.	गौरझमार किला	गौरझमार	सागर	मध्य प्रदेश
13.	शिव मंदिर	बेलपन	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
14.	चैतुरगढ़ किला	लाफा	कोरबा	
15.	तालाब, महल और हरम	सरखेज	अहमदाबाद	गुजरात
16.	प्राचीन स्थल	नेवासा	अहमदनगर	महाराष्ट्र
17.	मारकंडदेव मंदिर	मारकंड	गढ़चिरौली	
18.	सोमेश्वर महादेव मंदिर	नेर	यवतमाल	
19.	घृष्णेश्वर महादेव मंदिर	एलोरा	औरंगाबाद	
20.	लोथियन सड़क कब्रिस्तान		दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
21.	छोटा बताशे वाला गुम्बद			
22.	बड़ा बताशे वाला गुम्बद			
23.	कुदुसिया बाग मस्जिद			
24.	विजय मंडल (आंशिक)			

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

1635. **श्री नित्यानंद प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ओडिशा सहित राज्य-वार ऐसे कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) ओडिशा सहित देश में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए बनाई गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों में ऊंची इमारतों में आग से प्रभावी रोकथाम के लिए आधुनिक उपकरणों हेतु धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ओडिशा सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान/उपयोग की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 'अग्निशमन सेवाएं' राज्य का विषय है। इसे अनुच्छेद 243-ब के अनुसार भारत के संविधान की XIIवीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार अपने-अपने राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

तथापि, अपने संबंधित राज्य में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, XIIवें वित्त आयोग ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सात राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश (17 करोड़ रुपए), हरियाणा (100 करोड़ रुपए), मिजोरम (20 करोड़ रुपए), ओडिशा (150 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (20 करोड़ रुपए) और पश्चिम बंगाल (150 करोड़ रुपए) को 472 करोड़ रुपए के आबंटन की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने उपर्युक्त सात राज्यों को 124.39 करोड़ रुपए के अनुदान की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को ओडिशा सहित देश में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एक केन्द्र प्रायोजित योजना अनुमोदित की है। इस योजना में उन्नत अग्निशमन वाहन, मिस्ट टेक्नोलाजी वाले हाई प्रेशर पम्प, त्वरित कार्रवाई वाहन, तलाशी एवं बचाव के लिए काम्बी टूल जैसे आधुनिक उपकरणों के समावेश और विभिन्न स्टेकहोल्डरो की क्षमता के निर्माण के माध्यम से अग्निशमन और बचाव क्षमता की विद्यमान कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस योजना में राज्यों में ऊंची इमारतों में अग्निशमन के लिए निधियों का प्रावधान नहीं है और इसलिए ऐसे उपकरणों के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की गई है।

खरीद नीति

1636. **श्री एस. पक्कीरप्पा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में संपूर्ण देश में एकसमान नीति का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में मिलर्स सरकारी एजेंसियों की तुलना में ज्यादा खाद्यान्न खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद में सुधार करने और किसानों को खरीद मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के

राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों के जरिए धान, गेहूं और मोटे अनाजों के मूल्य समर्थन घोषित करती है। निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाए गए समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपना उतपाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, में बेचें। मिल-मालिकों/व्यापारियों से लेवी के अधीन भी चावल खरीदा जाता है।

(ग) और (घ) खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के खरीद आंकड़ों के अनुसार लेवी के अधीन चावल की खरीदारी आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कुल खरीद के 50% से अधिक हुई थी।

लेवी की प्रतिशतता केन्द्रीय पूल की जरूरत, घरेलू खपत और विपणनीय अधिशेष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है।

(ङ) सरकारी एजेंसियों की खरीदारी में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

1. राज्यों को विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम खरीदारी की जा सके और किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

2. खरीद प्रचालनों की मानीटरिंग करने और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समय-समय पर राज्य खाद्य सचिवों के साथ बातचीत की जाती है।

3. किसानों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर क्रय केन्द्र खोलने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच सीमांत/लघु किसानों तक करने के लिए धान के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5% की दर पर और गेहूं के मामले में 2% की दर पर सहकारी समितियों/स्वयं सेवी समूहों के लिए कमीशन की अनुमति दी गई है।

किसानों के उत्पाद का उन्हें समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में चेकों/इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम के जरिए किसानों को भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा भुगतान किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसानों को प्रचलित स्थानीय मंडी अधिनियम के अनुसार कच्चे आढ़तियों के जरिए भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

किसानों को राजसहायता

1637. श्रीमती राजकुमारी चौहान :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों आदि की खरीद के लिए किसानों को राजसहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में किसानों को राजसहायता देने के मानदंड और तरीका क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत किसानों को दी गई राजसहायता और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में राज्य से राज्य में राजसहायता की धनराशि के आबंटन में कोई अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (च) सरकार ने उर्वरक, बीज आदि जैसे आदानों की खरीद पर किसानों को वित्तीय

सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की है। उर्वरक राजसहायता दो योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। यूरिया के लिए नई मूल्य योजना (एनपीएस-III) और फास्फेट और पोटासिक (पी और के) उर्वरकों के लिए पोषण आधारित राजसहायता नीति। एनपीएस-III के अंतर्गत किसानों को यूरिया राजसहायता 5360 रुपये प्रति मी.टन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान की जा रही है। अधिकतम खुदरा मूल्य और यूरिया की सुपुर्दगी लागत के अंतर को सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में प्रदान की जाती है। एनबीएस नीति के अंतर्गत पी और के उर्वरकों के पौषणिक तत्व के आधार पर एक निर्धारित राजसहायता की घोषणा वार्षिक आधार पर की जाती है। इस नीति के अंतर्गत इस समय 21 पी और के उर्वरक किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध करायी जा रही है। सभी राज्यों के सभी किसानों को उर्वरक राजसहायता, उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। विगत तीन वर्षों और 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान वितरित राजसहायता राशि नीचे दी गयी है:—

(करोड़ रु.)

अवधि	वितरित राज सहायता की राशि		
	पी तथा के	यूरिया	सभी उर्वरक
2009-10	39452.06	24580.23	64032.29
2010-11	41500.00	24336.68	65836.68
2011-12	36107.94	37683.00	73790.94
2012-13 (बी-ई)	28576.12	37016.01	65592.13

अनाज, दाले, तिलहन, कपास, पटसन और मेस्टा आदि को शामिल करते हुए राज्यों द्वारा इस समय क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत बीज उत्पादन और वितरण के लिए वित्तीय सहायता/राजसहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की अधिकतम सीमा पर सहायता घटाई-चढ़ाई जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत फल, मसाले, ओषधीय और सुगंधयुक्त पौधों, काजू और कोको जैसे फसलों पर 18 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्रदान की जाती है। राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) द्वारा क्रियान्वित इस योजना में सब्जियों के बीज उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी क्षेत्र को 50,000 प्रति हैक्टेयर की अधिकतम अनुमत लागत का 100 प्रतिशत और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए ऋण संयुजित बैंक एंडेड राजसहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत है। एकीकृत पौषणिक प्रबंधन/एकीकृत कीट प्रबंधन (आईएनएम/आईपीएम) के संवर्धन के लिए 2000 रु. प्रति हैक्टेयर की अधिकतम अनुमत्य लागत के 50 प्रतिशत राजसहायता प्रति लाभार्थी 4 हैक्टेयर की सीमा तक प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों और 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान एनएचएम के अंतर्गत किसानों को साक-सब्जी बीज उत्पादन और एकीकृत कीट प्रबंधन के संवर्धन हेतु दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:—

(लाख रु.)

2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर तक)
1601.16	680.61	780.33	130.90

पूर्वोत्तर और हिमालीय राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अंतर्गत, विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे गुणवत्ता पौध सामग्री का उत्पादन, फल सहित बागवानी फसलों की खेती, पुराने और जीर्ण फलोद्यानों को पुर्नजीवित/पुनः रोपित करना, जल स्रोतों का सृजित करना, खेती संरक्षण, अर्गेनिक खेती, आईएनएम/आईपीएम का संवर्धन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मानव संसाधन विकास, कृषक दौरे, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और विपणन बुनियादी सुविधा की स्थापना। विगत तीन वर्षों और 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान एचएनएमईएच के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता नीचे दी गयी है:—

वर्ष	जारी (लाख रु.)
1	2
2009-10	32572
2010-11	39998
2011-12	49313

1	2
2012-13 (नवम्बर तक)	30692

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और बृहत कृषि प्रबंधन योजना (एमएमए) के अंतर्गत, राज्यों को उनकी क्षेत्रीय वरियताओं के आधार पर कृषि कार्यक्रमों के विकास और आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों/किसानों को भारत सरकार द्वारा सीधे कोई राजसहायता नहीं प्रदान की जाती है। भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् राजसहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वे घटक/क्रियाकलाप शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आरंभ करना प्रस्तावित है। बृहत कृषि प्रबंधन योजना के मामले में वृहत् कृषि प्रबंधन योजना के दिशानिर्देशों में अनुमोदित राजसहायता मानकों के अनुसार वृहत कृषि प्रबंधन योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना को क्रियान्वित करते समय राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को राजसहायता प्रदान की जाती है।

धनराशि का आबंटन क्षेत्र, फसल और लाभार्थी मानक पर निर्भर करते हैं।

कोयले की आपूर्ति

1638. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत उत्पादन के लिए राजस्थान को प्रतिमाह कितने पूर्वनिर्धारित कोयले की आपूर्ति की जा रही है तथा तत्संबंधी कोयले की मांग कितनी है;

(ख) क्या राज्य विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बिजली की समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि विद्युत परियोजनाओं की मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य की विद्युत परियोजनाओं के लिए मांग के अनुसार कोयले की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) चालू वर्ष (अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान राजस्थान राज्य में स्थित विद्युत संयंत्रों को कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से कोयले की औसत मासिक आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) एवं समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत 1.274 मिलियन टन के औसत मासिक करार की तुलना में 1.253 मिलियन टन रही है जो 98.39% प्राप्ति को दर्शाता है। इसलिए सीआईएल से कोयले की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता राजस्थान राज्य में विद्युत उत्पादन में कमी, यदि कोई हो, का कारण नहीं होगी।

(ग) और (घ) राजस्थान के विद्युत केन्द्रों सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति एफएसए/एमओयू के अंतर्गत दी जाती है। आपूर्ति का कार्यक्रम एफएसए का एक अभिन्न हिस्सा है। अतः एक अंतर निहित प्रावधान कोयले की समय पर आपूर्ति के लिए पहले ही बना दिया गया है।

[अनुवाद]

सीजीईडब्ल्यूएचओ की आवासीय योजनाएं

1639. **श्री सी. राजेन्द्रन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा सहित देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार कल्याण आवासीय संगठन के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने संबंधी आवासीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या योजनाओं को योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवासों के आवंटन के लिए योजना-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वियन में अत्यधिक विलंब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री (श्री अजय माकन) :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन द्वारा सूचित रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न भागों में केनद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए संगठन के अंतर्गत आवासीय योजनाएं निम्नानुसार है:—

आवास परियोजनाएं जिनके अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है		आवास परियोजनाएं जिनकी आयोजना बनाई जा रही है।	
(i)	चेन्नई (चरण-II)	(i)	विशाखापट्टनम
(ii)	मोहाली (चरण-I)	(ii)	मेरठ (चरण-II)
(iii)	भुवनेश्वर (चरण-I)	(iii)	ग्रेटर नोएडा
(iv)	मेरठ (चरण-I)	(iv)	चेन्नई (चरण-III) और
(v)	कोलकाता (चरण-II)	(v)	मोहाली (एसएएस नगर)
(vi)	भुवनेश्वर (चरण-II) और		
(vii)	मोहाली (चरण-II)		

तथापि, दिल्ली, गुड़गांव, और नोएडा के संदर्भ में कोई योजना नहीं बनाई गयी है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योजनाएं मांग आधारित सर्वेक्षण कराने पश्चात बनाई जा रही है और उसके बाद ही राज्य सरकार प्राधिकरणों से भूमि अधिप्राप्ति की कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार प्राधिकरणों से भूमि उपलब्ध न होने पर आवास योजनाएं टर्न की परियोजनाओं के अनुसार बनाई जाती हैं। जहां भूमि निर्माण अधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए ऐसीं आवास याजनाओं के लिए योजना बनाने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बनाई जा सकती है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवासों का आबंटन पात्र अभ्यर्थियों के ड्रा के बाद किया जा रहा है। किसी निश्चित परियोजना में आवासीय इकाई की संख्या का विशेष आबंटन परियोजना के पूर्ण होने के समय किया जाता है। निम्नलिखित आवास योजनाओं में आबंटन किया गया है।

स्कीम		निर्धारित समय
i.	चेन्नई (चरण-II)	योजना की औपचारिक समाप्ति के पश्चात तीन माह के अंतर्गत सभी योजनाओं के आबंटन कर दिए गए हैं।
ii.	मोहाली (चरण-I)	
iii.	भुवनेश्वर (चरण-I)	
iv.	मेरठ (चरण-I)	
v.	कोलकाता (चरण-II)	
vi.	भुवनेश्वर (चरण-II) और	
vii.	मोहाली (चरण-II)	

(घ) और (ङ) जी हां। निम्नलिखित परियोजनाओं में विलंब हुआ है:–

परियोजनाएं जिनके निर्माण में विलंब हुआ	विलंब के कारण
1	2
1. चेन्नई (चरण-II)	सामुदायिक केन्द्र को छोड़कर जिसका अनुमोदन साविधिक प्राधिकरण से लिया जाना है, परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना में निम्नांकित कारणों से विलंब हुआ था:–
	(i) स्तम्भ स्थापना के निर्माण में अधिक समय लगने के कारण जोकि अतिरिक्त कार्य है।
	(ii) भारी वर्षा और इसके कारण स्थल में बाढ़ आना
	(iii) मुख्य निर्माताओं जैसे सैल, टिस्को आदि से स्टील और सीमेंट की उपलब्धता में देरी
	(iv) रेत और अन्य भवन सामग्री का स्थान पर अभाव
	(v) सीएमडीए से 37 ब्लाकों में से 10 के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति में देरी
2. जयपुर (चरण-II)	(i) मुख्य निर्माताओं जैसे सेल, टिस्को, आदि से स्टील और सीमेंट की उपलब्धता में देरी
	(ii) स्थानीय आंदोलन
	(iii) सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रदूषण बोर्ड, आदि से स्वीकृति आदि अनुमोदन प्राप्त करने में सामान्य देरी
3. हैदराबाद (चरण-III)	(i) बेसमेंट स्थापना के निर्माण में अधिक समय लगने के कारण जोकि अतिरिक्त कार्य है।
	(ii) भारी वर्षा और इसके कारण कार्य स्थल में बाढ़ आना
	(iii) निर्माण स्थल पर दूषित सामग्री टाईलस आदि के निर्माण में कमी को बदलने से देरी हुई।
	(iv) निर्माण स्थल पर खनन पर न्यायालय के आदेश के कारण रेत की अनुपलब्धता
4. मोहाली (चरण-I	(i) परिकल्पित योजना का स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन में देरी जोकि आयोजना अनुसार सही समय में प्राप्त नहीं हुआ था।

1		2	
		(ii)	संरचनात्मक नक्शा और डिजाइन की जांच में प्रूफ कंस्लटेंट एनआईटी जालंधर के द्वारा देरी
		(iii)	मुख्य निर्माताओं जैसे सैल, टिस्को आदि से स्टील और सीमेंट की उपलब्धता में देरी
		(iv)	पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा राज्यों में खनन की समाप्ति पर न्यायालय आदेशों के कारण देरी
		(v)	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बिजली योजना के अनुमोदन में विलंब
5.	भुवनेश्वर (चरण-I)	(i)	मुख्य निर्माताओं जैसे सैल, टिस्को आदि से स्टील और सीमेंट की उपलब्धता में देरी
		(ii)	भारी वर्षा और इसके कारण कार्य स्थल में बाढ़ आना
		(iii)	गर्म जलवायु, जिसके लिए राज्य सरकार ने गर्मी के मौसम के दौरान दिन के कार्य समय की अवधि को राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया गया है।
		(iv)	स्थानीय आन्दोलन के कारण श्रम समस्या
		(v)	ओडिशा बिजली बोर्ड से बिजली योजना का अनुदोन आयोजन के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ।
6.	मेरठ (चरण-I)	(i)	आबंटित स्थान 6-8 फीट गहरे पानी में डूब गया
		(ii)	लिफट संविदा को अंतिम रूप देने में देरी

गुजरात को धनराशि

1640. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत गुजरात के आवंटन में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मेगा सिटी पुलिसिंग ओर मरुस्थल क्षेत्र पुलिसिंग के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत गुजरात सहित राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्धारण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर और अन्य बातों के साथ-साथ अन्य राज्यों में मांगों एवं सुरक्षा संबंधी परिदृश्य, संबंधित राज्य क्षरा निधियों के उपयोग और वित्त मंत्रालय से प्राप्त आबंटनों के अनुसार योजना के अंतर्गत निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान एम.पी.एफ योजना के अंतर्गत गुजरात को जारी की गई केन्द्रीय निधियां निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)
1.	2009-10	52.18
2.	2010-11	55.27
3.	2011-12	33.23

गुजरात राज्य सरकार को राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निधियां जारी की गई थी जिनमें वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अहमदाबाद शहर की महानगर पुलिस व्यवस्था और मरुस्थल पुलिस व्यवस्था के लिए प्रावधान शामिल थे। अहमदाबाद शहर की महानगर पुलिस व्यवस्था के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए गुजरात की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं में निधियों के निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए थे:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
2009-10	2.00
2010-11	7.46
2011-12	4.11

मरुस्थल पुलिस व्यवस्था के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए गुजरात की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं में निधियों के निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए थे:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
2009-10	1.62
2010-11	2.16
2011-12	शून्य

एम.पी.एफ योजना को वर्ष 2012-13 से आगे पांच वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहने तक वर्ष 2012-13 में राज्यों को कोई निश्चित आबंटन नहीं किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता

1641. श्री के. सुगुमार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु किसी परामर्शदाता की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परामर्शदाता ने उसे सौंपे गए कार्य पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा कया अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) सरकार ने निम्नलिखित को तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया है:—

(i) कैप्टिव कोयला ब्लाकों के लिए न्यूनतम मूल्य/आरक्षित मूल्य परिकलित करने की पद्धति।

(ii) सफल कोयला ब्लाक आबंटिती के चयन हेतु आदर्श टेंडर दस्तावेज तैयार करना;

(iii) कोयला मंत्रालय तथा सफल कोयला ब्लाक आबंटिती के बीच आदर्श करार तैयार करना।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीटयूट लि. (सीएमपीडीआईएल), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी को खुली निविदा के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, मैसर्स सीआरआईएसआईएल अवसंरचना सलाहकार को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। मैसर्स सीआरआईएसआईएल ने प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सीआरआईएसआईएल की प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 16.10.2012 को एक अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई थी। मैसर्स सीआरआईएसआईएल को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने की पुन: सलाह दी गई थी। यह बैठक 09.11.2012 को पुन: आयोजित की

गई थी जिसमें आदर्श टेंडर दस्तावेज के प्रावधानों पर चर्चा की गई। परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

एनवाईकेएस/युवा क्लबों का कार्यकरण

1642. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और स्थान-वार कितने नेहरु युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या देश के अनेक जिलों में नेहरु युवा केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में ऐसे केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रत्येक जिले में इनकी स्थापना कब तक होने/शुरू होने की संभावना है;

(घ) कार्यरत युवा क्लबों का ब्यौरा क्या है और क्लबों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार किस निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार युवा क्लबों के सुदृढ़ीकरण के लिए नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) इस समय नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) का एक-एक केन्द्र देश के 623 जिलों में कार्यरत है। इन केन्द्रों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश के 623 जिलों में एनवाईकेएस के केन्द्र हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 17 नए जिले बनाए गए हैं जिनमें अभी एनवाईकेएस के केन्द्र खोलने शेष हैं।

(घ) से (च) ब्लाक-वार, गांव-वार, जिला-वार, राज्य-वार और राष्ट्रीय स्तर पर युवा क्लबों की संख्या का निर्धारण करने के लिए नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा एक रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

एनवाईकेएस से संबद्ध युवा क्लब अपने हित और समाज की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुविध कार्यकलाप चलाते हैं। वे एनवाईकेएस द्वारा सौंपे गए कार्यक्रमों/कार्यकलापों का भी संचालन करते हैं। युवा क्लब अपनी आवधिक प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट एनवाईके के संबंधित जिला अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। युवा क्लबों के कार्य-निष्पादन की एनवाईकेएस द्वारा गांव स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और अखिल भारतीय स्तर पर भी बारिकी से मॉनिटरिंग की जाती है। युवा क्लबों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट युवा क्लब को पुरस्कार, मेंटर युवा क्लबों की स्कीम इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनके कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

युवा क्लबों के नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए, वर्ष 2011-12 के दौरान मेंटर यूथ क्लब (एमवाईसी) नामक एक नई स्कीम की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत देश के 5000 ब्लॉकों में 10,000 मेंटर यूथ क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक मेंटर यूथ क्लब की अवसंरचना विकास के लिए एक बारगी 10,000/- रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। इन 10,000 मेंटर क्लबों के 20,000 पदाधिकारियों को प्रभावी योजना, युवा क्लबों के प्रबंधन और प्रशासन के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए पांच दिवसीय अवधि का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे गांव विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार बन सकें।

विवरण

नेहरु युवा केन्द्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम जिनमें नेहरु युवा केन्द्र स्थापित	ने.यु.के. की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, कमोत्रा, कैम्पैबल बे, मायाबंदर (रंगत), डिगलीपुर	06

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	अनंतपुर, विजयवाड़ा, चित्तुर, कुडप्पा, गुंटूर, काकीनाडा (पूर्वी गोदावरी), करीम नगर, खम्माम, कुरनूल, महबूबनगर, निजामाबाद, मेंडक (सिद्दीपेठ), श्रीकाकूल्लम, विशाखापट्टनम, अदिलाबाद, विजयानगरम, नेल्लोर, वारंगल, हैदराबाद, नलगोंडा, गोदावरी (इल्लूरु), प्रकाशम (ओरंगल), रंगारेड्डी	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	सियांग (अलॉन), लोअर सुबानसिरी (जीरो), अप्पा सुबानसिरी (डियोपोरिजो), लोहित (तेजू, तवांग, पश्चिमी कमेंग, पूर्वी कमेंग, पापुम पारे, पूर्वी, सियांग, अप्पर सियांग, डिबंग वैली, चांगलेंग, तिरप, कुरुंग काईसे, ईटानगर	15
4.	असम	डिब्रुगढ़ दिफु (कारबी एंगलॉग), ढुबरी, कामरुप (मालीगांव), उत्तरी लखीमपुर, नौगांव, कछार (सिल्चर), तेजपुर (सोनितपुर), हॉफलॉग (एन.सी. हिल्स), करीमगंज, बारपेटा, कोकराझार, जोरहाट, सिबसागर, नलबाडी, गुआलपाडा, धीमाजी, डैरंग (मंगलदोई), हेलकांडी, गोलाघाट, मॉरीगांव, बोंगाईगांव, तिनसुकिया, चिरैंग, उदालगिरी, बक्सा, कामरुप महानगर	27
5.	बिहार	अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर(आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी, चम्पारन (मोतिहारी), गावा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, (भभुआ), कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पुर्निया, रोहतास (सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सारन (छपरा), सीतामढ़ी सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर), पश्चिमी चम्पारन (बेतिया), सिहोहर, लखीसराय, शेखपुर, अरवाल	38
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, चाम्पा, दुर्ग, कांकेर (बस्तर), रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरिया, कावर्धा, धमतरी, दंतेवाडा, कोरबा, जसपुर नगर, महासमुंद, जगदलपुर	16
7.	दिल्ली	अलीपुर, महरौली, नांगलोई, उत्तर, उत्तर पूर्वी, नई दिल्ली, सेंट्रल दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी	9
8.	गुजरात	भरुच, नडियाड (खेडा), कछ (भुज), गोधरा, साबरकांठा (हिम्मत नगर), जूनागढ़, मेहसाणा, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, भावनगर, वलसाड, सूरत गांधी नगर, अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, अमरेली, पालनपुर, राजकोट, पाटण, पोरबंदर, आनंद, दाहोद, नर्मदा, नवसारी	25
9.	हरियाणा	अम्बाला, भिवानी गुड़गांव, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, जींद, हिसार, महेन्द्रगढ़ (नारनौल), रेवाडी, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर	19

1	2	3	4
10.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला (कांगडा), हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, केलॉग (लौहोल स्पीती), मंडी, नहान (सिरमौर), सोलन, शिमला, ऊना	12
11.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ, अनंतनाग, बडगांव, बारामुला, डोडा, जम्मू, कुपवाड़ा, करगिल लेह (लद्दाख), पुलवामा, पुंच, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर	14
12.	झारखंड	बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दमुका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) गडवा, गिरहिड, गुमला, हजारीबाग, लोहारदगा पलामु (डेल्टोनगंज) रांची, साहबगंज, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबाशा), कोदरमा, पाकुर, जंतरा, लाथर, सरायकेला, सिंदेगा	22
13.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, बीदर, चिकमगलूर, गुलबर्गा, हासन, कंवर, कोडगू (मेडीकेरी), कोलार, मैंगलोर, मंडया, मैसूर, रायचूर, तुमकुर, धारवाड, चित्रदुर्गा (दावनगेर), बेल्लारी, शिमोगा, बैंगलोर (ग्रामीण) बैंगलोर (शहरी), बागलकोट, कोप्पल, गडग, हवेरी, दक्षिण कन्नड़ (दावनगेरे), कामराज नगर, उडप्पी	27
14.	केरल	अल्लेप्पी, कन्नूर, थोडुपुजहा (इडुक्की), कोजीकोड, मल्लाप्पुरम, पालघाट, पाठनमिठ्ठा त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, एर्नाकुल्लम, कोट्टायम, कासरगोडद्व वयनाड, क्यूलोन	14
15.	मध्य प्रदेश	वालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशांगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खंडवा, खरगौन, मंडला, मंदसोर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन (भोजपुरा), रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ उज्जैन, विदिशा, उमरिया, नीमच, श्योपुर, बडवानी, डिंडोरी अशोक नगर, अनूपपुर, बुरहानपुर	48
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, अलीबाग (राजगढ़), भंडारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ठाणे, जलगांव, नांदेड, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली, जालना, बुलडाणा, नागपुर, मुंबई (काल), सतारा, अहमदनगर, नासिक, परभणी, उस्मानाबाद, धुलिया, रतनागिरी, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, अकोला, चन्द्रपुर, वर्धा बीड, सांगली, नंदुरबार, गोडिंया, हिंगोली, वासिम	34
17.	मणिपुर	चुराचांदपुर, इम्फाल, सेनापति (कोंगपोकपी), तेमंगलांग, उखरुल, थोबुल, चंदेल, बिशनपुर, सेनापति-II पूर्वी इम्फाल	10

1	2	3	4
18.	मेघालय	जनतिया हिल्स (जोवाई), पश्चिमी गारो हिल्स (तुरा), पूर्वी खासी हिल्स (शिलांग), पूर्वी गारो हिल्स (विलियम नगर), पश्चिमी खासी हिल्स (नांगस्टाईंग), दक्षिणी गारो हिल्स (बाघमारा), रि भोई	07
19.	मिजोरम	एजवाल, लुंगली, घिमुट्टुईपुरी (सेहा), मामित, कोलासिब, चम्फाई, सरछिप लांगटलाई	08
20.	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग जोनहीबोटो, तुंगसांग, मोन, वोख, फाक, दिमापुर, पेरेन, किफायर, लांगलिंग	11
21.	ओडिशा	बालासोर, बालांगिर, मयुरभंज (बारीपाडा), बेहरामपुर (गंजम), कालाहांडी (भवानी पटना), धनकेनाल, क्योनझार, कोरापुट फुलबानी, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, कटक, नोपाडा, खुर्दा (भुवनेश्वर), केन्द्रपाडा, बारागढ़, झारसुबुडा, देवगढ़, भाडरक, जाजापुर, अंगल, नयागढ़, गजापति, बोधा, सोनपुर, रायगढ़, नाबारंगपुर, मलकानगिरी, जयसिंहपुर	30
22.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियापुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड, संगरुर, मानसा, फतेहगढ़ साबिह, तरन तारन, नवा शहर, मोंगा, एसएएस नगर, बरनाला	20
23.	राजस्थान	अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ चुरु, डुंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, नागौर, सीकर, झुंझुंनू, झालावाड, श्रीगंगानगर, राजसमंद, बारां, दौसा, हनुमानगढ़ करौली	32
24.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम (गंगटोक), उत्तरी सिक्किम (मंगन), पश्चिमी सिक्किम (गेजिंग), दक्षिणी सिक्किम (नामची)	04
25.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, कुड्डालोर (दक्षिण आरकोट), धर्मापुरी, मदुरै, पुड्डकोट्टाई, सेलम, सिवगंगा, त्रिचरापल्ली, थंजावूर, तिरुनलवेली, नीलगिरी (उदगामंडल्लम) ऊटी, वैल्लोर, कामराजार (विरुद्धनगर), कन्याकुमारी (नागरकोविल) चिकलपेट (एम.जी.आर.) ईरोड (पैरियार), डिंडिगुल (अन्ना), रामानाथापुरम, चिदम्बनार (टुटीकोरिल), चेन्नई (ग्रामीण), नागपट्टनम, तिरुवन्नामलाई, वेलुपुरम, तिरुवलोर, थेनी, तिरुवरुर, नामाक्कल, करुर, पैरमबल्लुर, अरियालपुर (कृष्णागिरी)	30

1	2	3	4
26.	त्रिपुरा	अगरतला (पश्चिमी त्रिपुरा), धरम नगर (उत्तरी त्रिपुरा), उदयपुर (दक्षिणी त्रिपुरा), ढलाई	04
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदांयू, बहराईच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, अमेठी, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद फरुर्खाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन (उरई), जौनपुर, झांसी, कानपुर, देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर, खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबापद, मुज्जफरनगर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभ्रद, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, ज्योतिबा फुले नगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, महोबा चित्रकूट, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, शेरावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, खुशी नगर, चंदौली, संत रविदास नगर, औरैया	71
28.	उत्तराखंड	अल्मोडा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौढ़ी गढवाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, रुद्र प्रयोग, बागेश्वर, चम्पावत उधमसिंह नगर	13
29.	पश्चिम बंगाल	बारासत (24 परगना उत्तर), बर्द्धवान, मुर्शीदाबाद, दार्जिलिंग, बरुईपुर (24 परगना दक्षिण), जलपाईगुडी, मिदनापुर, पुरुलिया, कोलकाता, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, बांकुरा, बीरभुम, हुगली, नाडिया, हावडा, मालदा, दुर्गापुर (बर्द्धवान-II), डायमंड हार्बर (24 एस परगना), तामलुक मिदनापुर-II, कोलकाता (दक्षिण), रघुनाथपुर (पुरुलिया), दक्षिणी दिनाजपुर	23
30.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1
31.	गोवा	उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा (मडगांव)	2
32.	लक्षद्वीप	कवरति	1
33.	पुदुचेरी	कराईकल, पुदुचेरी, माही, यानम	4
34.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	1
35.	दमन और दीव	दमन, दीव	2
	कुल नेहरु युवा केन्द्र		623

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के ठेके की स्थितियां

1643. श्री ए. साई प्रताप : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने अन्यों के साथ एनएसईएल के ठेके की स्थितियां में विसंगतियों के संबंध में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएसईएल ने मंत्रालय को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) वस्तु भावी सौदा बाज़ार के विनियामक वायदा बाज़ार आयोग को अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत स्पॉट एक्सचेंजों में किए गए व्यापार के संबंध में जानकारी अथवा विवरणियों का पता लगाने और दिनांक 05.06.2007 की अधिसूचना, जिसके तहत नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. को अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 27 के तहत एक दिन की अवधि की अग्रिम संविदाओं में व्यापार करने की छूट दी गई थी, में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अन्यों के साथ-साथ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. की संविदा स्थितियों संबंधी विसंगतियों के संबंध में विभाग को एक रिपोर्ट भेजने के लिए भी पदनामित किया गया था। विभाग द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई थी और सन्दर्भित रिपोर्ट के आधार पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. ने अपना उत्तर प्रस्तु कर दिया है, तथापि, सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेज दी है, तथापि, सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

'मल्टी ब्रांड रिटेल' में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1644. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाले मुद्दों के संबंध में राज्यों तथा व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषयों तथा प्रस्तावित संरचना दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित खुदरा में नियोजित लोगों के जीविकोपार्जन पर खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा उनके हितों/जीविकोपार्जन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) के माध्यम से "असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा का प्रभाव" विषय पर एक अध्ययन करवाया था। इसकी रिपोर्ट वर्ष 2008 में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी। आई.सी.आर.आई.ई.आर. द्वारा किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सरकार छोटे खुदरा व्यापारियों और विक्रेताओं पर संगठित खुदरा के प्रभाव के बारे में सभी पणधारियों की चिंताओं के संबंध में पूर्ण रूप से अवगत है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को जानती है कि बढ़ते संगठित खुदरा का छोटे खुदरा व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

विवरण

आई.सी.आर.आई.ई.आर के निष्कर्ष और सिफारिशें

अगले पांच वर्षों में जी.डी.पी के 8-10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान है जिसके परिणामस्वरूप ऐसा उपभोक्ता वर्ग, जिसकी वार्षिक घरेलू आय 90,000 से अधिक है कि 2006-07 में लगभग 370 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 620 मिलियन होने का अनुमान है। फलस्वरूप, भारत में खुदरा व्यापार 13 प्रतिशत वार्षिक बढ़कर 2006-07 के 322 मिलियन अमरीकी डॉलर से 2011-12 में 590 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। अध्ययन यह दर्शाता है कि:

- असंगठित खुदरा क्षेत्र 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़कर 2006-07 के 309 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2011-12 में 496 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।

- असंगठित खुदरा व्यापारियों की कमजोर वित्तीय स्थिति और विस्तार की प्रत्याशा पर उनके भौतिक क्षेत्र दबावों को देखते हुए, यह क्षेत्र अकेले ही खुदरा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

- अत:, संगठित खुदरा जो अब कुल खुदरा क्षेत्र का 4 प्रतिशत है, के 45-50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की काफी तेज दर से बढ़ने का अनुमान है और 2011-12 तक कुल खुदरा व्यापार में अपने 16 प्रतिशत के योगदान को चौगुना करेगा।

- यह एक सकारात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें असंगठित और संगठित खुदरा न केवल एक साथ बने रहते हैं वास्तविक आकार में भी पर्याप्त रूप से बढ़ते हैं।

- इस अध्ययन से जांचे गए प्रमुख असंगठित खुदरा व्यापारियों ने व्यापार बंद करने की बजाए व्यापार में बने रहने और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी है।

अनुभविक आधार

इस अध्ययन में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सबसे बढ़ा सर्वेक्षण सम्मिलित है जो कि खुदरा व्यापार में बड़े उद्योगपतियों के प्रवेश द्वारा प्रभावित हो सकता है। यह निष्कर्ष 10 मुख्य शहरों के 2020 असंगठित छोटे खुदरा व्यापारियों; 1318 संगठित एवं असंगठित खुदरा आऊटलेटों पर खरीददारी करने वाले उपभोक्ताओं, 100 मध्यस्थों और 197 किसानों, के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसके अलावा 805 ऐसे असंगठित खुदरा व्यापारियों का "कंट्रोल सैंपल" सर्वेक्षण किया गया जो 4 महानगरों में संगठित खुदरा आऊटलेटों के दायरे में नहीं आते।

12 बड़े विर्निमाताओं, 20 छोटे विर्निमाताओं और 6 स्थापित आधुनिक खुदरा व्यापारियों के विस्तृत साक्षात्कार भी लग गए।

इस अध्ययन में, विशेषकर प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय खुदरा अनुभवों का व्यापक पुनरीक्षण किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

असंगठित खुदरा पर प्रभाव

- असंगठित खुदरा के प्रतिवेश में असंगठित खुदरा व्यापारियों ने बड़े संगठित खुदरा व्यापारियों के आने के बाद प्रारंभिक वर्षों में व्यापार की मात्रा और लाभ में कमी का अनुभव किया है।

- समय के साथ-साथ बिक्री और लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव कमजोर पड़ता गया।

- संगठित खुदरा विक्रेताओं के प्रवेश के परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में समूचे रोजगार में गिरावट का कोई प्रमाण नहीं है।

- उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रोजगार में कुछ कमी आई है जो समय के साथ-साथ कमजोर पड़ गयी।

- असंगठित खुदरा दुकानों के बंद होने की दर कुल मिलाकर 4.2% प्रति वर्ष पाई गई जो कि छोटे व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय बंद होने की दर से काफी कम है।

- असंगठित खुदरा व्यापार से प्रतिस्पर्धा के कारण बंद होने की दर अब भी कम है जोकि 1.7 प्रतिशत है।

- उन्नत व्यापार पद्धतियों और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से परम्परागत खुदरा विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया पाई गई है।

- असंगठित खुदरा विक्रेताओं का बहुतम व्यवसाय में बने रहना और प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, जबकि वे यह भी चाहते हैं कि आगमी पीढ़ी भी इसी प्रकार करे।

- उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए छोटे खुदरा विक्रेता ऋण को बढ़ावा दे रहे हैं।

- हालांकि, केवल 12 प्रतिशत असंगठित खुदरा विक्रेता संस्थागत ऋण का प्रयोग कर रहे हैं और 37% ने वाणिज्यिक बैंक ऋण के बेहतर प्रयोग की आवश्यकता को महसूस किया।

- अधिकार असंगठित खुदरा विक्रेता स्वतंत्र रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मुश्किल से 10 प्रतिशत संगठित खुदरा विक्रेताओं के फ्रेंचाइजी बनने की इच्छा रखते हैं।

उपभोक्ता पर प्रभाव

- उपभोक्ताओं को संगठित खुदरा विक्रेताओं से निश्चित रूप से कई मायनों में लाभ मिला है।

- उपभोक्ता खुदरा के आगमन से समग्र उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई है।

- हालांकि सभी आय-वर्ग ने संगठित खुदरा खरीद के माध्यम से बचत की है, सर्वेक्षण यह प्रकट करता है कि कम आय-वर्ग ने अधिक बचत की है। अतः संगठित खुदरा व्यापार कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभकारी है।

- निकटता असंगठित बिक्री केन्द्रों का मुख्य तुलनात्मक लाभ है।

- असंगठित खुदरा विक्रेताओं के पास उल्लेखनीय स्पर्धात्मक शक्ति है जिसमें उपभोक्ता सदभाव, साख बिक्री, मोलभाव करने की क्षमता, खुली वस्तुएं बेचने की योग्यता, सुविधाजनक समय और घर तक पहुंचाना शामिल है।

बिचौलियों पर प्रभाव

- अध्ययन में अब तक संगठित खुदरा व्यापार का बिचौलियों पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं मिला है।

- हालांकि फल, सब्जियों तथा कपड़ों जैसी वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले बिचौलियों के टर्नोवर और लाभ पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- संगठित व्यापार के विस्तार द्वारा व्यापार के अवसरों को बढ़ाने की प्रतिक्रिया में लगभग दो तिहाई से भी अधिक बिचौलिए अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

- केवल 22 प्रतिशत नहीं चाहते कि आगमी पीढ़ी इस व्यवसाय में आए।

किसानों पर प्रभाव

- संगठित खुदरा विक्रेताओं को प्रत्यक्ष बिक्री के विकल्प से किसानों को उल्लेखनीय लाभ हुआ है।

- खुदरा विक्रेताओं को फूल गोभी किसानों के लिए औसत मूल्य वसूली उनके विनियमित सरकारी मंडी को बेचे गए मुनाफे से लगभग 25% अधिक है।

- किसानों को संगठित विक्रेताओं को सीधे बेची गई मुनाफा वसूली उनके मंडी में बेची गई प्राप्ति से लगभग 60% अधिक है।

- जब कमीशन एजेंट द्वारा मंडी में मांगी गई राशि सामान्यतः बिक्री मूल्य का 10% की भी गणना की जाती है तो यह अंतर और भी अधिक हो जाता है।

विनिर्माताओं पर प्रभाव

- बड़े विनिर्माताओं ने मूल्य और भुगतान दबाव के माध्यम से संगठित खुदरा व्यापार पर प्रतिस्पर्धा प्रभाव को महसूस कर लिया है।

- विनिर्माताओं ने अपनी ब्रॉड शक्ति को निर्माण और मजबूत बनाने, अपनी खुदरा उपस्थिति को बढ़ाने, छोटे खुदरा विक्रेताओं को अपना कर और आधुनिक खुदरा विक्रेताओं से लेन देन करने के लिए समर्पित टीम की स्थापना करने के माध्यम से प्रतिक्रिया दिखाई है।

- संगठित खुदरा व्यापार के प्रवेश से संभार तंत्र में बदलाव आ रहा है। ये अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सकारात्मक बहिर्मुखता का निर्माण कर रहा है।

- छोटे विनिर्माताओं ने संगठित खुदरा व्यापार पर किसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रभाव की रिपोर्ट नहीं दी है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

1645. **श्री ओ.एस. मणियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के कुंभकोणम क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) भा.कृ. अनु.प. का कुभकोणम में 'कृषि अनुसंधान केन्द्र' की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। भा.कृ.अनु.प. प्रणाली के तहत मौजूदा संसाधन विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों और इनके क्षेत्रीय/अनुसंधान/फील्ड केन्द्रों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है जो क्षेत्र की अनुसंधान, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा विस्तार जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान देता है। कुंभकोणम क्षेत्र तमिलनाडु के तंजावुर जिले में आता है और भा.कृ.अनु.प. ने पहले से ही तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया है। भा.कृ.अनु.प. के चावल अनुसंधान संस्थान, अदुथुरई, नारियल अनुसंधान केन्द्र, विप्पानकुलम; राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची के तहत तमिलनाडु में कुंभकोणम के आस-पास कुछ फसल अनुसंधान के केन्द्र भी काम कर रहे हैं।

(ग) लागू नहीं।

युवा नियोज्यता कौशल परियोजना

1646. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में युवा नियोज्यता कौशल परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम से राज्य-वार कितने युवा लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम का विस्तार देश के और अधिक राज्यों में करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू करने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) यह मंत्रालय उन 17 मंत्रालयों/विभागों में से नहीं है जिन्हें योजना आयोग द्वारा कौशल विकास के लिए चिहिन्त किया गया था/छांटा गया था। तथापि, मंत्रालय ने अपने युवा आधारित प्रमुख संगठन, नेहरु युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से वर्ष 2011-12 के दौरान एक प्रायोगिक परियोजना नामतः युवा रोजगारपरक कौशल (वाईईएस) परियोजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण युवा और युवा क्लब सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के माध्यम से विभिन्न रोजगार कौशल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला कर युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (एनएसडीसी) द्वारा अपनी सहभागी एजेंसियों के माध्यम से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रायोगिक परियोजना को पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसके अंतर्गत युवाओं को तीन महीने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यक्तित्व विकास सहित ग्रामीण रिटेल सेल एवं मार्केटिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वाईईएस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवंटित निधियों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	राज्य	कुल लागत (लाख रुपए)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	32.10

1	2	3
2.	असम	120.90
3.	मणिपुर	30.00
4.	मेघालय	30.00
5.	मिजोरम	17.40
6.	नागालैंड	31.50
7.	सिक्किम	16.50
8.	त्रिपुरा	21.60
9.	जम्मू और कश्मीर	80.70
	कुल	380.70

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान वाईईएस परियोजना के तहत लाभान्वित युवाओं की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	राज्य	लाभान्वित युवाओं की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	107
2.	असम	403
3.	मणिपुर	100
4.	मेघालय	100
5.	मिजोरम	58
6.	नागालैंड	105
7.	सिक्किम	55
8.	त्रिपुरा	72
9.	जम्मू और कश्मीर	269
	कुल	1269

युवा रोजगारपरक कौशलन (वाईईएस) परियोजना के अधीन जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले से 60 और युवा प्रशिक्षण पा रहे हैं।

(घ) से (च) पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल युवा रोजगारपरक कौशल (वाईईएस) को देश के अन्य राज्यों में भी लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भ्रामक विज्ञापन

1647. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न विद्यमान कानूनों को शामिल करते हुए नया कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की क्या भूमिका है और सरकार द्वारा एएससीआई को भेजे गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एएससीआई द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) निजी सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों में प्रदर्शित और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के कुछ उदाहरण सरकार की जानकारी में आए हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष

प्रत्येक के दौरान विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने के लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को प्राप्त हुई शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (घ)निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) में व्यवस्था है कि किसी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होंगे जिनसे जनता का यह निष्कर्ष निकल सकने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किसी घटक में कोई विशेष या जादुई या दैवी शक्ति या गुणवत्ता है जिसे साबित करना कठिन हो।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारतीय प्रेस परिषद, जो एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, का गठन प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने एवं प्रेस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों का संचार करने के लिए किया गया है। तदनुसार, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख) के अंतर्गत पत्रकारिता आचरण के मानदंड बनाए हैं जिसके दायरे में पत्रकारिता के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है। विज्ञापन स्वीकार करते समय प्रिंट मीडिया द्वारा इन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

वर्तमान में कोई नया विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) विज्ञापन का एक स्व-विनियामक निकाय है। एएससीआई द्वारा अपनाई गई संहिता केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित विज्ञापन संहिता में अंतर्विष्ट है। एएससीआई ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा एएससीआई को संदर्भित किए गए मामलों और एएससीआई द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की एक सूची संलग्न है विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर भ्रामक विज्ञापनों के मामले जहां अंतिम कार्रवाई की गई है:

क्र.सं.	विज्ञापन	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	गंभीर बीमारियों के विशेष/चमत्कारिक इलाज का दावा करने वाला विज्ञापन	आईबीएन 7 टीवी चैनल को दिनांक 16.04.2010 को चेतावनी जारी की गई थी।
2.	ऐसे उत्पादों के विज्ञापन जिनसे विशेष या चमत्कारिक या अलौकिक इलाज किया जाता है।	सभी चैनलों को दिनांक 13.05.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।
3.	श्री सौरभ जोशी से शिकायता प्राप्त हुई थी जो जादू-टोने से मुक्ति दिलाने या जीवन में सफलता पाने आदि	शिकायत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा गया था। एएससीआई ने अपने

1	2	3
	का दावा करने वाले उत्पादों जैसे 'बाधा मुक्ति यंत्र', 'धन लक्ष्मी यंत्र' आदि के तथाकथित भ्रामक विज्ञापनों का टीवी चैनलों पर प्रसारण किए जाने के बारे में थी।	दिनांक 11.10.2011 के पत्र के तहत निम्नलिखित विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत को मान लिया था: 1. दिव्यऋषि की कुबेर कुंजी 2. बाधा मुक्ति यंत्र 3. शनि शुभ यंत्र 4. साई दर्शन पेंडेंट 5. महाधन लक्ष्मी यंत्र दिनांक 17.11.2011 के पत्र के तहत प्रसारकों के प्रतिनिधि निकायों अर्थात भारतीय प्रसारण संघ (आईबीएफ) और समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) को अपने चैनलों पर इस प्रकार के विज्ञापनों एवं इनसे मिलते जुलते विज्ञापनों, जो विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) के अनुरूप नहीं है, को विज्ञापित न करने की सलाह देने के लिए बुलाया गया था।
4.	तथाकथित भ्रामक विज्ञापनों (i) मधुमेह निवारण के लिए जिम्नेडाइन (ii) यौन् दुर्बलता निवारण के लिए पावर प्राश का टीवी चैनलों पर प्रसारण	एएससीआई ने अपने दिनांक 16.12.2011 और 23.01.2012 के पत्रों के तहत सूचित किया है कि इन विज्ञापनों के विरुद्ध की गई शिकायतें मान ली गई हैं। दिनांक 12.03.2012 के पत्र के तहत प्रसारकों के प्रतिनिधि निकायों अर्थात भारतीय प्रसारण संघ (आईबीएफ) और समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) को अपने चैनलों पर इस प्रकार के विज्ञापनों एवं इनसे मिलते जुलते विज्ञापनों, जो विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) के अनुरूप नहीं हैं, को विज्ञापित न करने की सलाह देने के लिए बुलाया गया था।
5.	टीवी चैनलों पर 'थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा' के विज्ञापन का प्रसारण	मामले को आईबीएफ और एनबीए को भेजा गया था। उन्होंने अपने सदस्य चैनलों को निर्मल बाबा से संबंधित कार्यक्रमों को बंद करने की सलाह दी तथा उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि उनके सदस्य चैनलों ने निर्मल बाबा से संबंधित प्रसारण बंद कर दिए हैं।
6.	श्री वी. लाल की ओर से गार्नियर फ्रुक्ट्स शैम्पू के तथाकथित भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध याचिका।	शिकायत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के पास उनकी राय हेतु भेजा गया था। एएससीआई ने शिकायत को नहीं माना।

विवरण-II

प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन — वर्ष 2009-2010 के लिए

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
1	2	3	4	5
1.	श्री सुखदेव सिंह पंकज, हाउस चरणसिंह, नगर सीकर (राजस्थान)	संपादक, राजस्थान पत्रिका, केसरगढ़, नेहरु मार्ग, जयपुर	वाणिज्यिक लाभ के लिए भ्रामक/आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रकाशन	परिषद् ने दिनांक 30.7.2010 को अपना निर्णय दिया। प्रतिवादी समाचार पत्र के बयान को ध्यान में रखते हुए परिषद का विचार था कि मामले में आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, गांव-जमुनियां, डाकखाना-हिरदेन नगर मंडला	संपादक, नई दुनिया	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण मामले को बंद कर दिया गया है।
3.	श्री कुश कालरा, स्टैंडड बैटरीज़, दुकान नं. 2 अंबाला रोड़ नजदीक दर्पण सिनेमा, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स	जाली विज्ञापनों का प्रकाशन	जांच के लिए पर्याप्त आधारों की कमी के कारण मामला बंद कर दिया गया।
4-5.	श्री खुशाल सिंह, 426, चौथा तल गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर	संपादक राजस्थान पत्रिका	जाली विज्ञापनों का प्रकाशन	कार्रवाई न किए जाने के कारण मामला बंद कर दिया गया।
		प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन 2010-2011		
1.	डॉ. गौतम, इंदौर (मध्य प्रदेश)	राज एक्सप्रैस, दैनिक भास्कर, नई दुनिया एवं पत्रिका	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	दिनांक 07.10.2010 को प्रत्युत्तर प्राप्त हो गया है।
2.	श्री इकबाल सिंह, पंजाब	मीडिया	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	दिनांक 15.04.2011 को आवश्यकता संबंधी पत्र भेज दिया गया है।

1	2	3	4	5
		प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन 2011-2012		
1.	श्री सुमित कुमार राय, शक्ति नगर, भोपाल	प्रिंट मीडिया	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	कार्रवाई न किए जाने के कारण मामला बंद कर दिया
2.	श्री रामदेव, विष्णुपुर चम्पारण	प्रभात खबर	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	कार्रवाई की जा रही है।
3.	श्री वी. राजू	दिनाकरण	विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में	कार्रवाई न किए जाने के कारण मामला बंद कर दिया
4.	मो. ज़ाहिद, दहलीज महिला एवं बाल कल्याण सोसायटी जाफराबाद दिल्ली 53	राजनामा, राष्ट्रीय सहारा	जाली एवं भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	कार्रवाई न किए जाने के कारण मामला बंद कर दिया
5.	श्री जमीर, 1110, मोहल्ला किशनगंज तेलीवाड़ा, दिल्ली-6	संपादक, दैनिक राष्ट्रीय सहारा	विद्वेषपूर्ण और निंदात्मक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	कार्रवाई की जा रही है।
6.	श्री वी.के. ठक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड ड्यूटी एनजीओ, केवल करोड़िया रोड, पोस्ट-बाजवा-391310	मीडिया	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	आवश्यकता भेज दी गई है।
7.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क निरीक्षक, ज्गाहड़	मीडिया	जाली विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	कार्रवाई की जा रही है।
		प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन 2012-2013		
1.	श्री मधुरनतक्कम प्रभाकर राव, कुकट पल्ली, हैदराबाद-72	दी हिन्दु	मार्टियन नेचर गार्ड के संबंध में भ्रामक विज्ञापन और सम्पादकीय	कार्रवाई की जा रही है।
2.	कार्यालय सचिव कंज्यूमर्स इंडिया ई-7/16, वसंत विहार, नई दिल्ली	दिल्ली टाइम्स	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	कार्रवाई की जा रही है।
3.	श्री ए. अहमद सोनाली, पाडिर हट्टी, कोलकाता 66 (पश्चिम बंगाल)	तथ्य केन्द्र	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-III

भ्रामक विज्ञापन

क्र.सं.	विषय-सामग्री	एएससीआई से उत्तर
1	2	3
1.	निम्नलिखित आपत्तिजनक/भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत (i) दिव्यऋषि की कुबेर कुंजी (ii) बड़ा मुक्ति यंत्र (iii) शनि शुभ यंत्र (iv) साई दर्श पेंडेंट (v) महाधन लक्ष्मी यंत्र	एएससीआई से दिनांक 12.10.2011 को उत्तर प्राप्त हुआ। इसके द्वारा उक्त विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत की पुष्टि की गई।
2.	कथित भ्रामक विज्ञापनों (i) डायबिटीज के लिए उपचार के रूप में जिम्नेडापइन कैपसूल और (ii) यौन नपुसंकता के लिए उपचार के रूप में पावर प्राश के प्रसारण के खिलाफ शिकायत गई।	एएससीआई से दिनांक 16.12.2011 और 23.1.2012 को उत्तर प्राप्त हुआ। पावर प्राश और जिम्नेडाइन के विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों की पुष्टि की
3.	फिल्मी टी.वी. चैनल पर दिनांक 20.09.2011 को प्रसारित **'श्री धनलक्ष्मी यंत्र'** के विज्ञापन के खिलाफ शिकायत जो कथित रूप से भ्रामक विज्ञापन था।	एएससीआई ने 17.4.2012 को सूचित किया कि शिकायत की पुष्टि की गई थी।
4.	टी.वी. चैनल पर **थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा** के कथित अंधविश्वासी/भ्रामक कार्यक्रमों/विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत।	एएससीआई ने अपने दिनांक 14.7.2012 के पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उनके उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) द्वारा शिकायत पर विचार किया गया था, एएससीआई ने आगे यह इंगित किया कि उन्होंने विज्ञापनदाता को उक्त टीवीसी को वापस लेने या उपयुक्त रूप से संशोधित करने की सलाह दी थी।
	गार्नियर फ्रक्टश शैंपू के विज्ञापन के खिलाफ शिकायत	एएससीआई से दिनांक 10.7.2012 को शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की पुष्टि नहीं की गई।
	निम्नलिखित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत: (i) रतन रहस्य (इंडिया टी.वी) (ii) लाल किताब अमृत (स्टार न्यूज)	एएससीआई से उत्तर की प्रतीक्षा है।

1	2	3
	(iii) पावर प्राश (जी न्यूज)	
	(iv) मधु मुक्तम (न्यूज एक्सप्रेस)	
	(v) दीमार्क शक्ति प्राश (न्यूज एक्सप्रेस)	
6.	सीएनईबी पर प्रसारित **भविष्य जीवन अमृत** के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ शिकायत	एएससीआई से उत्तर की प्रतीक्षा है।
7.	टीवी. चैनलों पर ज्योतिष संबंधी विज्ञापनों/कार्यक्रमों/विज्ञापकियों के प्रसारण के खिलाफ शिकायत अर्थात्—	
	1. रत्न रहस्य	एएससीवाई से उत्तर की प्रतीक्षा है।
	2. आपके तारे	
	3. दिवस माझा	
	4. आपके तारे आपके सितारे	
	5. आपके सितारे	
	6. तंत्र मंत्र यंत्र	
	7. टेली शापिंग नेटवर्क	
	8. वेदांत ज्योतिष	
	9. गृह नक्षत्र और आप	
	10. राशि भविष्य	
	11. नक्षत्र	
	12. शुभमस्तु	
	13. अंक प्रभा	
	14. किस्मत आपकी	
	15. शुभलग्नम	
	16. आजा गुड लक निकाले	

1	2	3
17.	भविष्यवाणी	
18.	गृहों का खेल	
19.	मुकेश मित्तल लाइव	
20.	अपना का भविष्य	
21.	लाइव तारे	
22.	गुरु मंत्र	
23.	भविष्यवर बोलू काही	
24.	राशि नक्षत्र	
25.	भाग्योदय	
26.	अंक बोलते हैं	
27.	किस्मत लाइव	
28.	भाग्य भविष्य	
29.	तुम्हारे सितारे	
30.	राशिफल	
31.	जीवन ज्योति	
32.	ज्योतिष श्रीलाल	
33.	दिव्यरिशि	
34.	राशि चक्र	
35.	गृहसत्रम	
36.	लाल किताब अमृत	
37.	वेद भवेष्जवाच	
38.	अनुग्रहम	

[हिन्दी]

सीबीआई और सीवीसी जांच

1648. **श्री सज्जन वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 15 वर्षों से कोयला नियंत्रक मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सीबीआई और सतर्कता विभाग में मामले लंबित हैं; और

(ख) उक्त संस्थानों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और सतर्कता रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए 15 वर्षों के दौरान उनकी शाखाओं में उनकी पदोन्नति हो गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से प्राप्त सूचना के अनुसार बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में कोयला नियंत्रक के मुख्यालयों में पिछले 15 वर्षों से तैनात उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम जिनके विरुद्ध मामले सीबीआई तथा सतर्कता विभाग के पास लंबित हैं, नीचे दिए गए हैं:—

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	तैनाती का स्थान	सीसीओ में तैनाती की अवधि	
			से	तक
1.	श्री ए.के. सिंह, महाप्रबंधक, एसईसीएल	ओएसडी, सीसीओ, बिलासपुर	9.6.2011	आज तक
2.	श्री आर.एन. साहू, पूर्व महाप्रबंधक, एसईसीएल	ओएसडी, सीसीओ, बिलासपुर	7.6.2010	15.7.2011

सीबीआई मामले/सतर्कता आरोप पत्र के लंबित रहने के दौरान किसी अधिकारी को पदोन्नति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण

1649. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न, दलहन, फल, फूलों, सब्जियों और तिलहन जैसे कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी हां महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जिसमें महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पाद जैसे उत्पाद जैसे खाद्यान्नों, दालों, फल और सब्जियों एवं तिलहनों का प्रसंस्करण शामिल है। वित्तीय सहायता संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परंतु यह स्कीम 01.04.2012 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दी गई है और अब इसे एनएमएफपी के एक घटक के रूप में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तौर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जपा रहा है।

(ग) जी नहीं महोदया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश

1650. श्री रामसिंह राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्षेत्र-वार कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में उक्त निवेश में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कुल निवेश में से प्रसारण क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) प्रसारण सैक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा प्रसारण सैक्टर के विभिन्न खंडों में संशोधित की गई है और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रेस नोट सं.7 (2012 श्रृंखला) दिनांक 29.09.2012 में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) डीआईपीपी सचिवालय के दिनांक अगस्त, 2012 के औद्योगिक अनुमोदन (एसआईए) न्यूजलेटर के अनुसार प्रिंट मीडिया सहित सूचना और प्रसारण में एफडीआई का आगम जनवरी 2000 से जुलाई 2012 के दौरान 142852.28 मिलियन रहा।

विवरण

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

प्रेस नोट संख्या 7 (2012 श्रृंखला)

विषय : प्रसारण क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) नीति की समीक्षा।

1.0 वर्तमान स्थिति:

1.1 मौजूदा नीति के अनुसार, प्रसारण क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमाएं, दिनांक 10.04.2012 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी किए गए '2012 का परिपत्र। समेकित एफडीआई नीति' के पैराग्राफ 6.2.7 में निर्धारित की गई हैं।

2. संशोधित स्थिति:

2.1 भारत सरकार ने इस संबंध में नीति की समीक्षा की है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली निबंधन और शर्तों के अनुसार, प्रसारण कैरिज सेवाएं प्रदान कर रही कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमाओं में नीचे दी गई विधि से संशोधन करने का निर्णय लिया है:

(1) **टेलीपोर्ट (अप-लिंकिंग हब्स/टेलीपोर्ट की स्थापना); डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच): केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा जिला स्तर पर प्रचालन करने तथा डिजिटलीकरण तथा एडेसिबिलिटी के लिए नेटवर्क का उन्नयन करने वाले एमएसओ):**

इस उपबंध के साथ विदेशी निवेश (एफआई) सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना कि:

(क) 49% तक विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति प्रदान की जा रही हो, और

(ख) 49% से अधिक और 74% तक विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति प्रदान की जा रही हो।

(2) **मोबाइल टीवी:**

74% तक विदेशी निवेश (एफआई) के लिए अनुमति इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करना कि:

(क) 49% तक विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति प्रदान की जा रही हो, और

(ख) 49% से अधिक और 74% तक विदेशी निवेश

के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति प्रदान की जा रही हो।

2.2 सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों में कार्यरत कंपनियों के लिए विदेशी निवेश सीमा में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) द्वारा निवेश, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमेरिकी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीद (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीदें (जीडीआर) तथा विदेशी कंपनी द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमान शेयर शामिल होंगे।

2.3 सुरक्षा और अन्य शर्तों से जुड़ी निबंधन और शर्तें, नीचे पैरा 3.0 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रत्येक प्रसारण कैरिज सेवा के क्षेत्रीय दिशानिर्देशों में अलग से शामिल की जाएंगी।

3.0 तदनुसार, '2012 का परिपत्र1- समेकित एफडीआई नीति' के तहत पैराग्राफ 6.2.7 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:

क्र. सं.	क्षेत्र/कार्यकलाप	एफडीआई की अधिकतम सीमा/इक्विटी का %	प्रवेश मार्ग
1	2	3	4
6.2.7	**प्रसारण**		
6.2.7.1	**प्रसारण कैरिज सेवाएं**		
6.2.7.1.1	(1) **टेलीपोर्ट** (अप-लिंकिंग हब्स/टेलीपोर्ट की स्थापना)	74%	49% तक स्वतः अनुमोदन मार्ग
	(2) **डायरेक्ट-टू-होम** (डीटीएच	74%	
	(3) **केबल नेटवर्क** (राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा जिला स्तर पर प्रचालन करने तथा डिजिटलीकरण तथा एड्रेसिबिलिटी के लिए नेटवर्क का उन्नयन करने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ):		49% से अधिक और 74% तक के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग
	(4) मोबाइल टीवी;		
	(5) हैडएंड-इन-द-स्काई प्रसारण सेवा (एचआईटीएस)		
6.2.7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ जो डिजिटलीकरण तथा एड्रेसिबिलिटी के लिए नेटवर्क का उन्नयन नहीं करते और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	49%	स्वतः अनुमोदन मार्ग
6.2.7.2	**प्रसारण सामग्री सेवाएं**		
6.2.7.2.1	**क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो)** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु अनुमति देने के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन	26%	सरकारी अनुमोदन मार्ग

1	2	3	4
6.2.7.2.2	'समाचार तथा समसामयिक मामलों' से संबंधित टी.वी. चैनलों की अप-लिकिंग	26%	सरकारी अनुमोदन मार्ग
6.2.7.2.3	'गैर-समाचार तथा समसामयिक मामलों से संबंधित' टी.वी. चैनलों की अप-लिकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-लिकिंग	100%	सरकारी अनुमोदन मार्ग

6.2.7.3 टीवी चैनलों की अप-लिकिंग/डाउन लिकिंग के लिए एफडीआई, सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली प्रासंगिक अप-लिंकिंग/डाउन लिंकिंग नीति की शर्तों के अध्यधीन होगा।

6.2.7.4 पूर्वोक्त सभी सेवाओं में कार्यरत कंपनियों के लिए विदेशी निवेश (एफआई) सीमा, सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

6.2.7.5 ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों में कार्यरत कंपनियों के लिए विदेशी निवेश सीमा में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई) द्वारा निवेश, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमेरिकी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीद (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीदें (जीडीआर) तथा विदेशी कंपनी द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमान शेयर शामिल होंगे।

6.2.7.6 अन्य शर्तें:

ऊपर उल्लिखित प्रसारण कैरिज सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/निबंधनों के अध्यधीन होगा:

कंपनी के महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारियों के लिए अनिवार्य शर्तें

(i) कंपनी के निदेशक मंडल में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी प्रभारी तकनीकी नेटवर्क परिचालन तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी

(iii) कंपनी, निदेशक मंडल के सभी निदेशकों और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारियों, जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कंपनी में व्यक्तिगत तौर पर 10% अथवा अधिक प्रदत पूंजी रखने वाले शेयरधारकों तथा अन्य सभी श्रेणियों द्वारा, जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा, सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी ली जानी आवश्यक होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारियों, जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), आदि की नियुक्ति के मामले में जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति लेनी होगी।

1	2	3	4

कंपनी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह निदेशक मंडल में कोई भी परिवर्तन करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति ले।

(iv) कंपनी को ऐसे समस्त विदेशी कर्मचारियों के संबंध में नियुक्त किए जाने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी लेती होती जिन्हों वर्ष में 60 दिन से अधिक समय के लिए नियुक्ति, अनुबंध तथा परामर्शदाता के तौर पर अथवा अन्य किसी क्षमता में स्थापना, रख-रखाव, परिचालन अथवा किसी भी अन्य सेवा हेतु नियुक्त किए जाने की संभावना है। हर दो वर्ष में सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।

अनुमति बनाम सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी

(v) अनुमति की संपूर्ण वैधता अवधि के दौरान अनुमतिधारक/लाइसेंसधारक को सुरक्षा की दृष्टि से दोषमुक्त रहने की शर्त के तहत यह अनुमति होगी। यदि सुरक्षा संबंधी मंजूरी वापस ले ली जाती है तो दी गई अनुमति भी तत्काल समाप्त मानी जाएगी।

(vi) यदि अनुमतिधारक/लाइसेंसधारक से जुड़े किसी व्यक्ति अथवा विदेशी कर्मचारी को सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी देने से मना किया जाता है अथवा सुरक्षा संबंधी मंजूरी वापस ली जाती है, चाहे कारण जो भी हो, तो अनुमतिधारक/लाइसेंसधारक सुनिश्चित करेगा कि संबंधित व्यक्ति इस्तीफा दे दे अथवा सरकार से इस प्रकार के निर्देश मिलने के बाद उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं, और ऐसा न हो पाने की स्थिति में दी गई अनुमति/लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा तथा भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई भी ऐसी अनुमति/लाइसेंस के लिए कंपनी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ढंचामत सुविधाएं/नेटवर्क/सॉफ्टवेयर संबंधी अपेक्षा

(vii) लाइसेंसधारी कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारी जो सेवाओं को कानूनी तौर पर बीच में रोकने के कार्य को देखेंगे वे निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(viii) उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा सहयोगी लाइसेंसधारक कंपनी को ढांचागत सुविधाओं/नेटवर्क के डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे) केवल आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि किसी भी अन्य पार्टी को ऐसी जानकारी दी जानी है तो लाइसेंस प्रदानकर्ता से स्वीकृति लेनी होगी।

(ix) जब तक संगत कानून के तहत अनुमति नहीं होगी, कंपनी द्वारा ग्राहकों के डाटाबेस भारत से बाहर किसी भी वयक्ति को/स्थान पर हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे।

(x) कंपनी को अपने ग्राहकों की खोज योग्य पहचान उपलब्ध कराना जरूरी है।

जानकारी की मानीटरिंग, निरीक्षण तथा उसे प्रस्तुत करना

(xi) कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी सरकार को आवश्यकता होगी, किसी केन्द्रीय स्थान से सेवाओं को कानूनी तौर पर बीच में रोकने हेतु उनके उपकरणों में आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) उपलब्ध होंगे।

(xii) कंपनी सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग किए जाने पर सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या उनकी निगरानी में निरंतर मानीटरिंग अथवा प्रसारण सेवा के लिए निर्दिष्ट स्थान(नों) पर खुद की लागत पर आवश्यक उपकरण, सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।

1	2	3	4

(xiii) भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रसारण सुविधाओं के निरीक्षण का अधिकार होगा। निरीक्षण हेतु सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी पूर्वानुमति/पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होगा, तो कंपनी अपने क्रियाकलापों एवं परिचालनों के किसी खास पहलू की निरंतर मानीटरिंग हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगी। तथापि, निरंतर मानीटरिंग केवल सुरक्षा संबंधी पहलुओं तक सीमित होगी, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री की जांच भी शामिल है।

(xiv) सामान्यत: भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उचित नोटिस के बाद निरीक्षण किया जाएगा, सिवाए ऐसी स्थितियों के जहां ऐसा नोटिस देने से निरीक्षण का प्रयोजन निष्फल हो जाता हो।

(xv) कंपनी अपनी सेवाओं के संबंध में, सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी ऐसे प्रारूप में, जैसे मांगा जाएगा, समय-समय पर प्रस्तुत करेगी।

(xvi) अनुमतिधारक/लाइसेंसधारक द्वारा भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई को ऐसी रिपोर्टें, लेखे, अनुमान, विवरणियां अथवा अन्य ऐसी प्रासंगिक जानकारी ऐसी समयावधि अथवा ऐसे समय पर प्रस्तुत करनी आवश्यक होंगी, जैसा अपेक्षित होगा।

(xvii) सेवा प्रदाता को अपनी प्रणालियों के संबंधित प्रचालनों/विशेषताओं के बारे में निर्दिष्ट अधिकारियों अथवा सरकार अथवा ट्राई के अधिकारियों अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) को परिचित कराना/प्रशिक्षित करना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा शर्तें

(xviii) लाइसेंसदाता को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंसधारक कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन से प्रतिबंधित कर दे। जितनी समयावधियों के लिए भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय निर्देश देंगे, उन्हें यह अधिकार होगा कि वे जनहित में अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत अनुमतिधारक/लाइसेंसधारक की अनुमति को अस्थाई तौर पर स्थगित कर दें। कंपनी को इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निर्देश का तुरंत पालन करना होगा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में जारी की गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी तथा आगे पांच वर्षों के लिए कंपनी को ऐसी किसी भी अनुमति के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा।

(xix) कंपनी ऐसे किसी भी उपकरण का आयात अथवा प्रयोग नहीं करेगी, जिन्हें गैर-कानूनी और/अथवा सुरक्षा नेटवर्क के लिए खतरे के तौर पर चिन्हित किया जाए।

अन्य शर्तें

(xx) राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में अथवा प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान की दृष्टि से, लाइसेंसदाता को अधिकार है कि वह इन शर्तों में संशोधन कर सकता है या जरूरी समझी गईं नई शर्तें शामिल कर सकता है।

(xxi) लाइसेंसधारक सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई प्रसारण सेवा स्थापना, सुरक्षा के लिए खतरा न बने तथा वह किसी कानून, नियम या विनियम तथा सरकारी नीति का उल्लंघन न करती हो।

4.0 उपर्युक्त निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(अंजली प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

मछुआरों को एचएसडी तेल

1651. **श्रीमती ज्योति धुर्वे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछुआरों को मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों में उपयोग के लिए राजसहायता प्रापत हाई स्पीड ऑयल के लाभ नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने मछुआरों के लिए बीपीएल की शर्त को हटा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधा तथा पोस्ट-हार्वेस्ट प्रचालनों का विकास के अंतर्गत, हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) तेल पर राज्यों द्वारा प्रदान की गई बिक्री-कर छूट की राहत 50 प्रतिशत तक सीमित है जिसे 3 रुपए प्रति लीटर की अधिकतम सीमा के साथ छोटे मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों के प्रयोग के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। (i) यह राजसहायता प्रत्येक सक्रिय मत्स्यन माह के लिए 500 लीटर एचएसडी के लिए है, उन मत्स्यन जलयानों के लिए जो (ii) 20 मीटर से छोटे आकार के हों और जिन्हें दसवीं योजना से पहले पंजीकृत किया गया हो और (iii) गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) की श्रेणी के मछुआरों के स्वामित्व वाले जलयानों तक सीमित है। तथापि, इस घटक के अंतर्गत, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि 2009-10 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने कोई अनुमेय प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) से (ङ) जी नहीं: मालिक की आर्थिक स्थिति का ध्यान किए बिना सभी श्रेणी के मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को डीजल राजसहायता जारी रखने को वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।

इथेनॉल का उत्पादन

1652. **श्री समीर भुजबल** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इथेनॉल के उत्पादन, मांग और मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत इसकी मांग को ध्यान में रखकर इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश भर में इथेनॉल की खरीद हेतु अगस्त, 2010 से इसका तदर्थ कारखाना-द्वार मूल्य 27.00 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2009-10 के दौरान इथेनॉल का कारखाना-द्वार मूल्य 21.00 रुपए प्रति लीटर था। उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान शीरे के राज्यवार उत्पादन के अनुमान एवं एथेनॉल के संभावित उत्पादन तथा एथेनॉल की मांग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत में एथेनॉल का उत्पादन अधिकांशतः शीरे से किया जाता है, जो चीनी के उत्पादन में एक सह-उत्पाद है। चीनी मिलों को अपने सह-उत्पाद अर्थात शीरे के मूल्य वर्धन के जरिए अपनी व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना हेतु उन्हें परियोजना लागत के 40% तक सरल ऋण प्रदान किया जाता है।

विवरण

शीरा और इथनॉल का राज्यवार उत्पादन

राज्य	शीरा का उत्पादन (लाख टन)				अल्कोहल का उत्पादन* (मिलियन लीटर)			
	2012-13*	2011-12	2010-11	2009-10	2012-13*	2011-12	2010-11	2009-10
बिहार	2.00	2.25	1.98	1.25	48.00	54.00	47.52	30.00
उत्तर प्रदेश	32.30	38.53	32.38	28.56	775.20	924.72	777.12	685.44
उत्तराखंड	1.50	1.75	1.55	1.52	36.00	42.00	37.20	36.48
हरियाणा	2.10	2.76	2.13	1.31	50.40	66.24	51.12	31.44
पंजाब	1.50	1.91	1.53	0.93	36.00	45.84	36.72	22.32
गुजरात	5.80	4.44	5.88	5.1	139.20	106.56	141.12	122.40
महाराष्ट्र	32.00	31.54	32.90	24.41	768.00	756.96	789.60	585.84
आन्ध्र प्रदेश	4.80	5.44	4.79	2.66	115.20	130.56	114.96	63.84
तमिलनाडु और पुदुचेरी	10.00	12.49	10.08	6.89	240.00	299.76	241.92	165.36
कर्नाटक	14.50	25.23	15.20	10.74	348.00	605.52	364.80	257.76
अन्य	1.30	1.45	1.29	0.63	31.20	34.80	30.96	15.12
अखिल भारत	107.80	127.79	109.71	84.00	2587.20	3066.96	2633.04	2016.00

*वर्ष 2012-13 के लिए आंकड़े अनुमानित हैं।

अल्कोहल के उत्पादन की गणना 240 लीटर प्रति टन के मानक पर की गई है।

शीरे का उत्पादन चीनी मिलों के फाइनेंशियल मैनुफेक्चरिंग रिपोर्ट पर आधारित है जो एक सांविधिक दस्तावेज है।

अल्कोहल का सेक्टरवार उपयोग/मांग (मिलियन लीटर)

सेक्टर	2012	2011	2010	2009
शराब उद्योग	1010.00	950.00	900.00	880.00
रसायन उद्योग	775.00	750.00	720.00	700.00
मिश्रण के लिए इथनॉल	300.00	250.00	50.00	100.00
अखिल भारत	2085.00	1950.00	1670.00	1680.00

स्रोत: यूएसडीस (एफएएस) की जीएआईएन रिपोर्ट संख्या आईएन 1159 दिनांक 07.01.2012

'फिल्म फेस्टीवल' से राजस्व

1653. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में आयोजित पहले फिल्म फेस्टीवल से अब तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवल से केन्द्र और राज्य सरकारों को अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त फेस्टीवल का आयोजन करने पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा फेस्टीवल-वार कुल कितना व्यय किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय गोवा सरकार के सहयोग से वर्ष 2004 से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) का आयोजन कर रहा है।

भारत सरकार आईएफएफआई से केवल प्रतिनिधियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करती है। वर्ष 2004-2011 की अवधि के दौरान प्रतिनिधियों से प्रापत शुल्क की राशि 83,17,542/- रुपए रही।

गोवा सरकार की आईएफएफआई में वचनबद्धता गोवा मनोरंजन सोसाइटी (ईएसजी) के माध्यम से निष्पादित की जाती है। ईएसजी के माध्यम से गोवा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-2012 (29.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान प्राप्त राजस्व नीचे दिया गया है:-

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख रुपए)
1	2
2004	22.27
2005	27.25
2006	252.44
2007	95.12
2008	107.97
2009	73.85
2010	111.19
2011	120.81
2012 (29.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार)	31.68
कुल	842.58

भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी 11वीं योजना स्कीम 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के माध्यम से निर्यात संवर्द्धन' और 12वीं योजना स्कीम 'फिल्मी विषय-वस्तु का विकास, संचार और प्रचार' के अंतर्गत आईएफएफआई के आयोजन का खर्च उठा रहा है। इन योजना स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2009-11 और वर्ष 2012 की अवधि के लिए किया गया खर्च नीचे दिया गया है:-

वर्ष	खर्च (लाख रुपए)
2009-10	260.64
2010-11	327.89
2011-12	546.10
2012-13	404.85*
कुल	1539.48

*आज की तिथि के अनुसार जारी की गई खर्च संस्वीकृति

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईएफएफआई, 2011 के आयोजन में 2,39,32,361/- रुपए का योगदान किया।

गोवा सरकार द्वारा, ईएसजी के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए समारोह के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा उपगत खर्च नीचे दिया गया है:-

वर्ष	खर्च (लाख रुपए)
1	2
2009	639.65

1	2
2010	968.11
2011	875.48
2012 (29.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार)	425.11
कुल	2908.35

जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना

1654. **श्री हरिश्चंद चव्हाण** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र में जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय-सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मी

1655. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कर्मियों की पुलिस बल-वार और रैंक-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न सीएपीएफ में अलग महिला बटालियनें बनाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का भर्ती नियमों को शिथिल करके अगले दो वर्षों में उक्त बलों में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफएस) में बल-वार और रैंक-वार महिला कर्मियों की मौजूदा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (4 बटालियनों), सशस्त्र सीमा बल (7 कम्पनियों) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (35 प्लाटूनों) को महिला बटालियनों/कम्पनियों/प्लाटूनों की अलग से मंजूरी प्रदान की है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक बटालियन और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में 23 प्लाटूनों को छोड़कर इन सभी बटालियनों/कम्पनियों/प्लाटूनों का गठन कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिनांक 31.5.2011 के आदेश के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अगले तीन वर्षों के अंदर महिला कर्मियों की संख्या 5% तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लिए भर्ती नियमों में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या के ब्यौरे

क्र. सं.	रैंक	तैनात कर्मियों की संख्या
1	2	3
01.	सहायक कमांडेंट/अनुसचिवीय	04
02.	हिन्दी अधिकारी	01
03.	उप महा निरीक्षक	05

1	2	3
04.	कमांडेंट	0
05.	द्वितीय कमान अधिकारी	10
06.	उप कमांडेंट	25
07.	सहायक कमांडेंट	89
08.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	31
09.	एसएमओ	26
10.	एमओ	21
	समूह 'क' कुल	212
11.	एसएम (जीडी)/एमएएच	03
12.	निरीक्षक/एमएएच	62
13.	सहायक निरीक्षक/एमएएच	155
14.	एसएम/अनुसचिवीय	05
15.	एसएम/स्टेनो	06
16.	निरीक्षक/अनुसचिवीय	23
17.	निरीक्षक/स्टेनो	21
18.	निरीक्षक/एचटी	01
19.	सहायक निरीक्षक/अनुसचिवीय	216
20.	सहायक निरीक्षक/स्टेनो	0
21.	निरीक्षक/आरओ	01
22.	एसआई/आरओ	16
23.	एसएम/सिस. इंचार्ज	21
24.	निरीक्षक/सिस. इंचार्ज	49
25.	निरीक्षक/(जन डाएट)	01
26.	सहायक निरीक्षक (एफएसएन)	161
27.	उप निरीक्षक (फार्मा)	03
28.	उप निरक्षक (पीएसवाई)	01
29.	एसआई (बीबीटी)	01
	समूह 'ख' कुल	746
30.	सहायक उप निरीक्षक (जीडी)/एमएएच	293
31.	हेड कांस्टेबल/एमएएच	435
32.	सीटी/जीडी (एमएएच)	3003
33.	हेड कांस्टेबल/टीएलआर (एमएएच)	06
34.	कांस्टेबल/टीएलआर (एमएएच)	21
35.	कांस्टेबल/बीयूजी (एमएएच)	52
36.	कांस्टेबल/पीटीआर (एमएएच)	02
37.	कांस्टेबल/माली (एमएएच)	06
38.	कुक/महिला	85
39.	डब्ल्यू/सी (महिला)	62
40.	डब्ल्यू/एम (महिला)	24
41.	बी/बी (महिला	27
42.	एस/के (महिला)	70
43.	सहायक उप निरीक्षक/अनुसचिवीय	101
44.	सहायक उप निरीक्षक/स्टेनो	02
45.	हेड कांस्टेबल/अनुसचिवीय	221
46.	कांस्टेबल/दफ्तरी	30
47.	कांस्टेबल/चपरासी	61
48.	कांस्टेबल/एसके (एम)	09

1	2	3
49.	कांस्टेबल/फराश	02
50.	सहायक उप निरीक्षक/आरओ	02
51.	हेड कांस्टेबल/आरओ	25
52.	सहायक उप निरीक्षक (पीएसवाई)	07
53.	एएसआई (ईसीजी/टीईसी)	01
54.	सहायक उप निरीक्षक (डीटी)	01
55.	सहायक उप निरीक्षक (एलटी)	03
56.	हेड कांस्टेबल (एनए)	34
57.	हेड कांस्टेबल (एलए)	01
58.	हेड कांस्टेबल (एएनएम)	01
59.	कांस्टेबल/एनए	35
60.	हेड कांस्टेबल/डब्ल्यूबी	06
61.	हेड कांस्टेबल/कुक	05
62.	हेड कांस्टेबल/मशालची	02
63.	कांस्टेबल/एसके	18
64.	हेड कांस्टेबल/कहार	01
	समूह 'ग' कुल	4654
	कुल जोड़	5612

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला कर्मियों की संख्या

क्र. सं.	रैंक	तैनात कर्मियों की संख्या
1	2	3
1.	उप महानिरीक्षक (कार्यकारी/अग्नि)	2
2.	सहायक महानिरीक्षक/कमांडेंट	14
3.	कमांडेंट (सीएमओ)	1
4.	उप कमांडेंट	2
5.	सहायक कमांडेंट	7
6.	सहायक कमांडेंट (एमओ)	3
7.	निरीक्षक (कार्यकारी/अग्नि)	53
8.	निरीक्षक/स्टेनो	2
9.	उप निरीक्षक (कार्यकारी/अग्नि/यांत्रिकी/लैब)	463
10.	उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	60
11.	उप निरीक्षक (स्टेनो)	37
12.	उप निरीक्षक (एनएन/वीईटी)	1
13.	सहायक उप निरीक्षक (कार्यकारी/अग्नि/ऑटो इलैक्ट्रिक/लैब/फिटर)	96
14.	सहायक उप निरीक्षक/लिपिक	47
15.	सहायक उप निरीक्षक/स्टेनो	7
16.	सहायक उप निरीक्षक/फार्मासिस्ट	3
17.	सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे/लैब टेक)	1
18.	हेड कांस्टेबल/अनुसचिवीय	25
19.	हेड कांस्टेबल (जीडी/फायर/पीटीआर/पैरामैडिक/वेट)	169
20.	कांस्टेबल (जीडी/अग्नि/केनेलमेन)	3703
21.	कांस्टेबल (नर्सिंग सहायक)	1
22.	कांस्टेबल (ट्रेड्समैन)	176
	कुल	4873

सशस्त्र सीमा बल में महिला कर्मियों की संख्या

क्र. सं.	रैंक	तैनात कर्मियों की संख्या
1	2	3
1.	एरिया आर्गनाइजर	4
2.	सब एरिया आर्गनाइजर	4
3.	कमांडेंट (मेडिकल)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)	10
4.	उप कमांडेंट (मेडिकल)	1
5.	सहायक कमांडेंट (मेडिकल)	5
6.	सहायक कमांडेंट (डेंटिस्ट)	1
7.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	1
8.	सहायक सर्जन (पशु चिकित्सा)/सहायक कमांडेंट (पशु चिकित्सा)	2
9.	उप कमांडेंट (जीडी)	1
10.	चिकित्सा अधीकारी (होम्यो)	1
11.	अनुभाग अधिकारी (ग्रुप ख राजपत्रित)	2
12.	निजी सचिव (ग्रुप ख राजपत्रित)	2
13.	सहायक निरीक्षक (जीडी)	17
14.	सहायक निरीक्षक (स्टाफ नर्स)	5
15.	वैयक्तिक सहायक	10
16.	सहायक	4
17.	लेखाकार	1
18.	डिप्टी फील्ड ऑफिसर (मेडिक)	7
19.	स्टाफ नर्स	1
20.	डिप्टी फील्ड ऑफिसर (सामान्य)	5
21.	डिप्टी फील्ड ऑफिसर (सीसी)	2
22.	हिन्दी अनुवादक	1
23.	डिप्टी फील्ड ऑफिसर (डब्ल्यूटी)	4
24.	कांस्टेबल (जीडी)	768
25.	कांस्टेबल (कुक)	27
26.	कांस्टेबल (डब्ल्यू एम)	12
27.	कांस्टेबल (नाई)	10
28.	कांस्टेबल (सफाईवाला)	13
29.	कांस्टेबल (वाटर कैरियर)	15
30.	हेड कांस्टेबल (अनुसचिवीय)	10
31.	कांस्टेबल (नर्सिंग आर्डली)	7
32.	कांस्टेबल (लैब सहायक)	2
33.	कांस्टेबल (आया)	1
34.	स्टेनोग्राफर	8
35.	उच्च श्रेणी लिपिक	36
36.	अवर श्रेणी लिपिक	1
37.	सहायक फील्ड ऑफिसर (मेडिक)	5
38.	सीनियर फील्ड सहायक (मेडिक)	16
39.	लैब तकनिशियन	3
40.	नर्सिंग सहायक	5
41.	सीनियर फील्ड सहायक (पशु चिकित्सक)	3
42.	सहायक फील्ड ऑफिसर (सामान्य)	1

1	2	3
43.	वरिष्ठ फील्ड सहायक (सामान्य)	1
44.	फील्ड सहायक (सामान्य)	2
45.	प्लेट मेकर	1
46.	सहायक फील्ड ऑफिसर (डब्ल्यूटी)	12
47.	सीनियर फील्ड सहायक (डब्ल्यूटी)	13
48.	फील्ड सहायक (महिला)	14
49.	सहायक फील्ड ऑफिसर (डब्लयूएम)	5
50.	सीनियर फील्ड सहायक (डब्ल्यूएम)	5
51.	कूपन क्लर्क	1
52.	दफ्तरी	1
53.	चपरासी	41
54.	सफाईवाला	2
55.	मेड सर्वेन्ट	8
56.	वाटरवूमन	1
	कुल	1141

सीमा सुरक्षा बल में महिला कर्मियों की संख्या

क्र. सं.	रैंक	तैनात कर्मियों की संख्या
1	2	3
	मेडिकल स्टाफ	
1.	महानिरीक्षक (मेडिकल)	0
2.	सीएमओ (एसजी)	22
3.	सीएमओ	3
4.	एसएमओ	17
5.	एमओ	12
6.	विशेषज्ञ ग्रेड-I	1
7.	विशेष ग्रेड-I (सीनियर स्केल)	0
8.	विशेष ग्रेड-II (जूनियर ग्रेड)	3
9.	एसी/डेंटल सर्जन	1
10.	एसएम/सिस्टर-इन-चार्ज	9
11.	निरीक्षक/नर्सिंग सिस्टर	28
12.	निरीक्षक/फार्मेसिस्ट	2
13.	निरीक्षक/जूनियर डाइटिशियन	2
14.	उप निरीक्षक/स्टाफ नर्स	141
15.	उप निरीक्षक/ब्लड बैंक टेकनिशियन	1
16.	एएसआई/फार्मेसिस्ट	38
17.	एएसआई/एलटी	3
18.	एएसआई/ईसीजी	1
19.	हेड कांस्टेबल/एएनएम	4
20.	हेड कांस्टेबल/एएनएम/नर्स	17
21.	हेड कांस्टेबल/लैब टेकनिशियन	2
22.	हेड कांस्टेबल/रेडियोग्राफर	1
23.	कांस्टेबल/वार्ड गर्ल	10
24.	कांस्टेबल/कहार	3
25.	कांस्टेबल/आया	14
26.	कांस्टेबल/सफाई कर्मचारी	13
27.	चपरासी	2
	कुल	350

1	2	3
	अनुसचिवीय (काम्ब)	
28.	निरीक्षक (पीए)	3
29.	निरीक्षक (अनुसचिवीय)	1
30.	उप निरीक्षक (स्टेनो)	26
31.	एएसआई (स्टेनो)	20
32.	एसआई (अनुसचिवीय)	22
33.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	71
34.	हेड कांस्टेबल (अनुसचिवीय)	163
35.	कांस्टेबल (दफ्तरी)	69
	कुल	375
	सिविल स्टाफ-नान-काम्ब.	
36.	प्रशासनिक अधिकारी	1
37.	अनुभाग अधिकारी	3
38.	वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव	3
39.	सहायक	6
40.	स्टेनो ग्रेड-II	5
41.	उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	1
42.	दफ्तरी	11
	कुल	30
	अन्य काम्ब. पद	
43.	लॉ केडर	2
44.	सहायक अभियंता (सिविल)	1
45.	सहायक निरीक्षक/एयर विंग	1
46.	सहायक उप निरीक्षक (एएआरएम)/ एयर विंग	4
47.	कांस्टेबल/चपरासी	13
48.	कांस्टेबल/फराश	3
49.	कांस्टेबल/सफाई कर्मचारी	4
	कुल	28
	सामान्य ड्यूटी शाखा	
50.	उप निरीक्षक (महिला)	17
51.	कांस्टेबल (महिला)	962
	कुल	979
	कुल योग	1762

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या

क्र. सं.	रैंक	तैनात कर्मियों की संख्या
1	2	3
1.	एमओटू सीएमओ (एसजी)	43
2.	सहायक कमांडेंट	07
3.	अनुभाग अधिकारी	02
4.	सूबेदार मेजर	01
5.	निरीक्षक	64
6.	सहायक	07

1	2	3
7.	उप निरीक्षक	69
8.	सहायक उप निरीक्षक	34
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	10
10.	हेड कांस्टेबल	128
11.	कांस्टेबल	585
	कुल	950

असम राइफल्स में महिला कर्मियों की संख्या

क्र. सं.	रैंक	तैनात कर्मियों की संख्या
1	2	3
1.	कैप्टन	04
2.	सहायक कमांडेंट	15
3.	लेखा अधिकारी/रिकॉर्ड आफिसर/सीजीओ	07
4.	अधीक्षक	15
5.	अपर डिवीजन सहायक/क्लर्क	02
6.	सिस्टर	48
7.	स्टाफ नर्स	46
8.	नायब सूबेदार स्टाफ नर्स	26
9.	हिंदी अनुवादक	02
10.	वरिष्ठ अध्यापक	8
11.	हिंदी अध्यापक	9
12.	सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी	18
13.	राइफल मैन सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी	4
14.	वीएफए	01
15.	एफए	72
16.	आरएफएन/एफए	20
17.	आया	64
18.	आरएफएन/आया	28
19.	महिला सफाई	52
20.	आरएफएन/महिला सफाई	16
21.	हिंदी टाइपिस्ट	02
22.	हवलदार/हिंदी टाइपिस्ट	01
23.	कनिष्ठ अध्यापक	25
24.	ड्राफ्टमैन	02
	कुल	487

विवरण-II

अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) सीएपीएफएस द्वारा महिला कर्मचारियों को 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर' उपलब्ध कराए गए हैं। गृह मंत्रालय के दिनांक 20.1.2012 के पत्र संख्या 9/8/2011-बजट-I के तहत वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान संख्या 54 में 'क्रेच सुविधाओं' के लिए नया लेखा शीर्ष भी खोला गया है।

(ii) महिला कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित अलग आवास।

(iii) जिन क्षेत्रों में उचित स्थान उपलब्ध नहीं हैं, वहां महिला कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से टेंट गाड़कर कमोड सहित शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

(iv) एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने और पिकेटिंग की ड्यूटी के दौरान महिला कर्मियों के लिए मोबाइल शौचालय लगे हुए वाहन।

(v) केन्द्रीय सरकार में पहले से उपलब्ध प्रसूति अवकाश, चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाएं सीएपीएफएस की महिला कर्मियों पर भी लागू हैं।

(vi) गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल सहित चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा कवर के लिए लेडी डॉक्टर उपलब्ध हैं।

(vii) जहां कहीं उपलब्ध हैं, वहां उनके बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(viii) कार्य स्थल पर किसी लिंग भेद-भाव के बिना महिला कर्मियों को पुरुष कर्मियों के समान ही सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ix) वेतन और भत्तों का भुगतान कोर-बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है।

(x) विवाहित महिलाओं के मामले में, सामान्यत: पति और पत्नी को यथासम्भव एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाता है।

(x) केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.7.2009 के का.ज्ञा. संख्या 35021/2/2009-स्थापना (ग) के तहत जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है ताकि भर्ती करते समय यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएपीएफ में कार्य ग्रहण करने के लिए पर्याप्त महिलाओं को आकर्षित किया जाता है।

(xii) महिला कर्मियों की भर्ती के लिए एक महिला बोर्ड की सदस्य के रूप में रखी जाती है।

(xiii) सभी सीएपीएफएस द्वारा अपने कर्मियों को शिक्षित करने के लिए सरकारी सेवा में जेंडर सुग्राहीकरण कार्यक्रम चलाया गया है। इसे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है।

(xiv) यौन उत्पीड़न को रोकने और महिला कर्मियों की शिकायतों को निपटाने के लिए सभी स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। सभी सीएपीएफ द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है।

(xv) सीएपीएफएस में महिला कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए उचित प्रक्रिया स्थापित की गई है।

(xvi) महिला कर्मियों को अपने कैरियर में उन्नति के समान अवसर दिए जाते हैं अर्थात् उन्हें पुरुष कार्मिकों के समान प्रोन्नति/वरिष्ठता के अवर प्रदान किए जाते हैं।

(xvii) विभिन्न पाठ्यक्रमों के दौरान उचित प्रशिक्षण और वार्ताओं के माध्यम से महिला कर्मियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(xviii) केन्द्रीय सरकार की महिला कर्मचारियों को उपलब्ध महिला कर्मचारियों के लिए अलग जनरल पूल आवास सीएपीएफएस की महिला कर्मचारियों पर भी लागू हैं।

(xix) महिला कर्मचारियों को सामान्यता अत्यन्त दूर स्थित यूनिटों में तैनात नहीं किया जाता है।

गाय के वध पर प्रतिबंध

1656. **श्री वीरेन्द्र कश्यप :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री सुदर्शन भगत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गाय का वध करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गाय संतति के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल के पास ही कानून बनाने की शक्तियां हैं।

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है जहां गाय और उसकी संतुति के वध पर प्रतिबंध या रोक लगाने के लिए कानून है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण-II

में दी गई है जहां गाय के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है।

(ग) और (घ) 'गाय संतति के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम' नाम से कोई कानून नहीं है जो या तो इस विभाग द्वारा या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया हो।

विवरण-I

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुओं और उनकी संतति के वध पर प्रतिबंध या रोक लगाने के लिए कानून है, वे निम्नलिखित हैं

क्र. सं.	राज्यों के नाम	क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2.	असम	2.	चंडीगढ़
3.	बिहार	3.	दादरा और नगर हवेली
4.	गोवा	4.	दमन और दीव
5.	गुजरात	5.	पुदुचेरी
6.	हरियाणा		
7.	हिमाचल प्रदेश		
8.	जम्मू और कश्मीर		
9.	कर्नाटक		
10.	मध्य प्रदेश		
11.	महाराष्ट्र		
12.	ओडिशा		
13.	पंजाब		
14.	राजस्थान		
15.	सिक्किम		
16.	तमिलनाडु		
17.	त्रिपुरा		
18.	उत्तर प्रदेश		
19.	पश्चिम बंगाल		
20.	मणिपुर		
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
22.	उत्तराखंड		
23.	झारखंड		
24.	छत्तीसगढ़		

विवरण-II

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुओं और उनकी संतति के वध पर प्रतिबंध या रोक लगाने के लिए कानून नहीं है, वे निम्नलिखित हैं

क्र. सं.	राज्यों के नाम	क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.	लक्षद्वीप
2.	केरल		
3.	मेघालय		
4.	मिजोरम		
5.	नागालैंड		

[अनुवाद]

स्मारकों का संरक्षण

1657. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संग्रहित स्मारक के 100 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य करना निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद में चारमीनार के निकट किसी धार्मिक स्थल का निर्माण-कार्य चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने इस पर ध्यान दिया है और निर्माण-कार्य रोक दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ए.एस.आई द्वारा स्मारक के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जाति आधारित जनगणना

1658. **श्री मुरारी लाल सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें जाति आधारित जनगणना का कार्य सौंपा गया है;

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस जनगणना कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के निर्णय के अनुसरण में सम्पूर्ण देश में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है। सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के लिए फील्ड कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं। तकनीकी सहायता गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रत्येक गणना ब्लॉक में आंकड़ा एकत्रण का कार्य दो व्यक्तियों के दल द्वारा किया जा रहा है जिसमें ये प्रगणक को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नियुक्त किया गया है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जोकि प्रत्येक आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए टैबलेट पीसी पर कार्य करता है।

(ग) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास तथा क्षेत्र में आंकड़े प्रविष्टि कार्य से संबंधित कार्यकलापों को तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामतः भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलैक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संघ को सौंपा गया है। राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का फील्ड कार्य 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में यह कार्य किया जा रहा है। फील्ड कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के नोडल मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाया रखा जा रहा है। राज्य सरकारों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का फील्ड कार्य मार्च, 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

फील्ड से हैंड हैल्ड उपकरण (एचएचडी) में आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात् भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय जाति के आंकड़ों का संसाधन करेगा और श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण के लिए जाति/जनजाति विवरणियों के ब्यौरे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित विशेषज्ञ समूह को सौंप देगा।

विवरण

राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नोडल सी.पी.एस.यू.
1	2
चंडीगढ़	बी.ई.एल.

1	2
दादरा और नगर हवेली	बी.ई.एल.
दमन और दीव	बी.ई.एल.
पुदुचेरी	बी.ई.एल.
त्रिपुरा	बी.ई.एल.
हरियाणा	बी.ई.एल.
पंजाब	आई.टी.आई.
आंध्र प्रदेश	ई.सी.आई.एल.
छत्तीसगढ़	बी.ई.एल.
गोवा	आई.टी.आई.
हिमाचल प्रदेश	आई.टी.आई.
कर्नाटक	बी.ई.एल.
नागालैंड	ई.सी.आई.एल.
राजस्थान	बी.ई.एल.
सिक्किम	ई.सी.आई.एल.
उत्तराखंड	आई.टी.आई.
मध्य प्रदेश	आई.टी.आई.
महाराष्ट्र	बी.ई.एल.
ओडिशा	ई.सी.आई.एल.
मेघालय	आई.टी.आई.
अरुणाचल प्रदेश	आई.टी.आई.
असम	ई.सी.आई.एल.
बिहार	ई.सी.आई.एल.
दिल्ली	आई.टी.आई.
गुजरात	बी.ई.एल.
जम्मू और कश्मीर	आई.टी.आई.
पश्चिम बंगाल	ई.सी.आई.एल.
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ई.सी.आई.एल.
झारखंड	ई.सी.आई.एल.
लक्षद्वीप	आई.टी.आई.
मिजोरम	ई.सी.आई.एल.
केरल	आई.टी.आई.
मणिपुर	बी.ई.एल.
तमिलनाडु	बी.ई.एल.
उत्तर प्रदेश	आई.टी.आई.

कोयले पर विनियामक आयोग

1659. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने और इसकी गुणवत्ता और दरों पर नियंत्रण रखने के लिए विनियामक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इसे किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) सरकार का कोयला संसाधनों का अपेक्षाकृत अधिक आदर्शतम विकास तथा संरक्षण; अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी विनियमन; सर्वोत्तम खनन पद्धतियों को अपनाना; युक्तिसंगत मूल्य-निर्धारण, बेहतर वितरण, अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार का विकास, कोयला क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए समान अवसर सृजित करना आदि सुनिश्चित करने हेतु कोयला क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

हल्दी का मूल्य

1660. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हल्दी के मूल्य में तीव्र गिरावट और इससे किसानों को हुई हानि से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किसान किस हद तक हानि को रोक सकते हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) हल्दी सहित कृषि जिन्सों के मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे उत्पादन, मांग, उपभोक्ता वरीयताएं, खरीद करने की क्षमता आदि। पिछले तीन वर्षों के लिए तमिलनाडु तथा केरल के चुनिंदा बाजारों में हल्दी के वार्षिक औसत मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(रुपए प्रति क्विंटल)

बाजार	किस्म	2010-11	2011-12	2012-13*
चैन्नई	इरोडफिंगर	15300	9809	5915
कोचिन	ए.एफ.टी (एलिपेय फिंगर हल्दी)	13031	10302	5002

*सितंबर 2012 तक का मूल्य 2012

स्रोतः सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय

(ग) और (घ) चूंकि हल्दी एक नष्ट होने योग्य जिन्स है अतः इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत् शामिल नहीं किया गया है। तथापि, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत् इसे कवर किया जाता है, जो बाजार मूल्यों में गिरावट होने पर नष्ट होने वाले तथा बागवानी जिन्सों के प्रापण के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर इन राज्यों में हल्दी के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित की जा रही है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	प्रापण अवधि	बाजार हस्तक्षेप मूल्य (प्रति मिट्रिक टन)	प्रापण लक्ष्य
कर्नाटक	10.02.2012-10.03.2012	रुपए 4092/-	12,400 मिट्रिक टन
आन्ध्र प्रदेश	20.03.2012-20.04.2012	रुपए 4000/-	54,000 मिट्रिक टन
तमिलनाडु	01.06.2012-31.07.2012	रुपए 4000/-	35,000 मिट्रिक टन

इसके अलावा, भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रमों के अधीन राज्य बागवानी मिशन के माध्यम से अनेक विकासात्मक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा हैं। उनमें से प्रमुख हैं:— क्षेत्रीय विस्तार, आईपीएम/आईएनएम, कार्बनिक खेती, जल संसाधन का सृजन, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, बाजार यार्डों का विकास, मानव संसाधन आदि। हल्दी में कार्बनिक खेती के फ्रंटलाइन प्रदर्शन के माध्यम से हल्दी के न्यूक्लियस बीज उत्पादन, प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रों स्थित सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय द्वारा किया जाता है। हल्दी पर निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, मसाला बोर्ड के अंतर्गत किया जा रहा है।

कृषि उत्पादकता के प्रति एफ.पी.आई. का योगदान

1661. श्री जयंत चौधरी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादकता में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान अभी भी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन संभावित लाभों का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन कराया है जिससे खाद्य प्रसंस्करण से कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि विश्वविद्यालयों को इस क्षेत्र में अध्ययन करने या अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास के लिए आवंटित धनराशियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं महोदया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) पिछले दो वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास हेतु जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11		2011-12	
		एककों की संख्या	जारी की गई राशि	एककों की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	562.096	105	1904.726
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	66.42	0	0
4.	असम	26	875.701	12	242.7782
5.	बिहार	6	136.681	5	89.65674
6.	चंडीगढ़	1	25	0	0
7.	छत्तीसगढ़	27	297.574	75	841.8276
8.	दिल्ली	3	82.6	16	410.68
9.	गोवा	1	25	2	50
10.	गुजरात	52	1419.72	106	1975.034

1	2	3	4	5	6
11.	हरियाणा	14	325.28	62	828.2817
12.	हिमाचल प्रदेश	7	204.53	14	377.51
13.	जम्मू और कश्मीर	5	89.095	6	98.42
14.	झारखंड	4	85.425	1	16.57
15.	कर्नाटक	14	377.79	61	896.2926
16.	केरल	19	411.72	52	901.285
17.	मध्य प्रदेश	14	211.294	23	376.5413
18.	महाराष्ट्र	56	1006.524	202	2824.152
19.	मणिपुर	1	23.975	11	189.7182
20.	मेघालय	2	100.045	0	0
21.	मिजोरम	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	6.205	0	0
23.	ओडिशा	8	200.875	9	113.5908
24.	पुदुचेरी	0	0	1	25
25.	पंजाब	9	149.495	147	1692.902
26.	राजस्थान	48	691.123	95	1236.563
27.	सिक्किम	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	24	493.582	75	1389.79
29.	त्रिपुरा	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	47	1078.638	53	907.0513
31.	उत्तराखंड	6	168.523	5	138.047
32.	पश्चिम बंगाल	10	317.945	19	319.87
	कुल	437	9432.862	1157	17846.23

[हिन्दी]

आटा मिलें

1662. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) में पंजीकृत रॉलर आटा मिलों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने आटा मिलों को एफ.सी.आई. से गेहूं मिल रहा है एवं विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार किस मूल्य पर और प्रति सप्ताह जारी की गई औसत मात्रा कितनी है;

(ख) इन मिलों को किस दर से गेहूं दिया गया और उस समय ऐसे गेहूं का बाजार मूल्य क्या था;

(ग) क्या एफ.सी.आई. ने दिसम्बर, 2009 के दौरान बोली लगाने के बाद मिलों को सस्ते दर पर गेहूं उपलब्ध कराने के लिए प्रदूषण प्रमाण-पत्र देने के साथ-साथ कतिपय शर्तें लगाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी मिलों को अयोग्य ठहराया गया है; और

(ङ) इस कार्रवाई का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) रोलर फ्लोर मिलों आदि का पैनल बनाने की प्रक्रिया 1.12.2009 से शुरू की गई है। फिलहाल, दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के पैनल पर 56 रोलर फ्लोर मिल है। इन क्रेताओं को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं केवल दिल्ली में बेचा जाता है, न कि अन्य राज्यों में।

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान दिल्ली में निविदाओं के जरिए बेचे गए गेहूं के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

(ख) उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य अथवा निविदा देने वालों द्वारा पेशकश करने पर अधिक मूल्य पर निविदाओं के जरिए गेहूं का स्टॉक बेचा जाता है। अक्तूबर, 2009 से नवम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए गेहूं के वर्ष-वार प्रचलित थोक बिक्री मूल्य संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं। 2009-10 से 2012-13 तक आरक्षित मूल्य बताने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र) की अध्यक्षता वाली समिति को थोक उपभोक्ताओं को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। दिल्ली क्षेत्र में पात्र थोक उपभोक्ताओं का पैनल बनाते समय सक्षम समिति ने थोक उपभोक्ताओं की मिलें दिल्ली के रिहायशी/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में होने पर विचार नहीं किया था, क्योंकि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 4677/1985, एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उद्योगों को गैर-अनुरूप क्षेत्रों से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पुष्टि की थी कि 56 मिलें अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र/ गैर-रिहायशी क्षेत्रों में स्थित थी और उन्हें या तो सहमति प्राप्त थी अथवा सहमति मिलने/सहमति का नवीकरण करने के लिए विचाराधीन थे। महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र) की अध्यक्षता वाली समिति ने पैनल बनाने और खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) — थोक के अधीन बिक्री करने के लिए इन 56 मामलों पर विचार किया था। शेष 44 मिलें जो एमपीडी 2021 में रिहायशी/पुनर्विकास के लिए उद्योगों के गैर-अनुरूप समूहों में स्थित थे, को महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (दिल्ली क्षेत्र) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पात्र नहीं माना गया था। बाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक और क्रेता को पात्र के रूप में पैनल में रखा गया था।

(ङ) अक्तूबर, 2009 से अक्तूबर, 2012 तक दिल्ली में निविदाओं के जरिए लगभग 7.2 लाख टन गेहूं बेचा गया है। स्कीम के अधीन बेचे गए गेहूं से खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने में सहायता मिली है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 के दौरान निविदा के जरिए पैनल में रखे गए थोक उपभोक्ताओं को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत पेशकश/जारी किए गए गेहूं की मात्रा

(आंकड़े टन)

क्र. सं.	पार्टी का ब्यौरा नाम	31.12.09 को खोली गई निविदा जांच के प्रति आबंटित मात्रा	4.1.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	18.1.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	25.1.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	02.02.2010 को खाली गई निविदा जांच के प्रति	09.02.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	17.02.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	23.02.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	15.3.2010 को खाली गई निविदा जांच के प्रति	17.03.2010 को खोली गई निविदा जांच के प्रति	जारी की गई प्रगामी मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जीवन दास फ्लोर मिल्स	600		400	शून्य	270	शून्य					1270
2.	नरेश कुमार सुनील कुमार	1000		500	200	350	शून्य	500				2550
3.	सदाशिव ऐग्रो फूड्स प्रा. लि.	500		300	शून्य		शून्य					800
4.	जुगल किशोर हरबंस लाल	1000		1000	शून्य	500	500	500				3500
5.	विकास पुल्सेस प्रा. लि.	1000		1000	शून्य	500	400	300	200		200	3600
6.	माडर्न फ्लोर मिल प्रा. लि.	1000		1000	शून्य	500	शून्य		700			3200
7.	गोगिया फ्लोर मिल्स	1000		1000	1000	500	600	1000	1000			6100
8.	अशोक रोलर फ्लोर मिल्स	1000		1000	1000	500	500	1000	1000			6000
9.	बजरंग फ्लोर मिल्स	1000		600	600		600	500				3300
10.	अशोक फ्लोर मिल्स	1000		500	500	500	500	500	700			4200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	रमा फ्लोर मिल्स	400		350	100		शून्य					850
12.	जिंदल इंडस्ट्रीज	500		500	शून्य	350	शून्य					1350
13.	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	500		1000	शून्य		शून्य		200			1700
14.	राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स	1000		1000	1000	1000	1000	500	1000		300	6800
15.	गोल्डन फूड प्रॉडक्ट्स	1000		1000	1000		700	750				4450
16.	जे.जे. फूड्स प्रा. लि.	1000		1000	शून्य		शून्य					2000
17.	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	500		300	शून्य		200		200			1200
18.	अंजना फूड प्रॉडक्ट्स	1000		700	700		शून्य	1000				3400
19.	बावना दाल एंड फ्लोर मिल्स	1000		1000	500		शून्य	500				3000
20.	यादव फ्लोर मिल्स, बावना	500			शून्य		शून्य		1000			1500
21.	मै. सोधी फ्लोर मिल्स	1000		1000	शून्य	500	500					3000
22.	सहरावत फ्लोर मिल्स	800		700	शून्य		350					1850
23.	एस.के. फूड इंडस्ट्रीज	1000		1000	1000	1000	शून्य					4000
24.	महेंद्र फ्लोर मिल्स	1000		1000	500	500	500	600				4100
25.	मै. महावीर डाल मिल	1000		900	शून्य	500	300	350	350			3400
26.	एम.बी. फ्लोर मिल्स	900		800	शून्य	200	शून्य		200			2100
27.	हरि फ्लोर मिल	1000		500	शून्य	500	600	500				3100
28.	मै. गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	1000		1000	1000	1000	1000	500	1000			6500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	बैस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स	1000		1000	शून्य		1000	1000				4000
30.	सेरप्रोस सिरीयल्स प्रा. लि.		1000	1000	1000	1000	1000	1000	700	500		7200
31.	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	8500
32.	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स		1000	300	शून्य	350	शून्य		300			1950
33.	शिव रोलर फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	700	700		7400
34.	यादव फ्लोर मिल्स लि., बादली		1000	1000	शून्य	1000	1000					4000
35.	विक्टोरिया फूड्स प्रा. लि.		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			7000
36.	राज कुमार आहूजा		1000	1000	शून्य		शून्य		800		200	3000
37.	मोदी फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000				6000
38.	आहार कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स प्रा.लि.		1000	1000	1000	1000	100	400				4500
39.	अवंत ऐग्रो प्रा.लि.		1000	1000	500	200	500	300				3500
40.	न्यू निरंकारी ऑयल जनरल मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000				6000
41.	श्री मंगत राम इंडस्ट्रीज		200	300			350					850
42.	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स		1000	1000	300		300	400				3000
43.	शिव शक्ति रोलर फ्लोर मिल्स		1000	0			शून्य					1000
44.	ओम प्रकाश गुप्ता असोसिएट्स		1000	1000	500	250	शून्य	550				3300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	शक्ति भोग फूड्स लि.		1000	1000	1000	1000	1000	1000	900			6900
46.	जानकी दास मुकेश चंद जैन		650	850	300		150	100	100			2150
47.	गोयल फूड प्रॉडक्ट्स	500		500		180	शून्य					1180
48.	रामकरन फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	1000		850	250	500	150	350	250			3350
49.	नीलकंठ फूड प्रॉडक्ट्स	900			400	200	शून्य	200				1700
50.	श्री दुर्गा फ्लोर मिल	1000		1000			500					2500
51.	गोयल फ्लोर मिल्स	800		200			शून्य					1000
52.	दुर्गा फ्लोर मिल्स		400	1000	400	300	शून्य	300				2400
53.	राजेश फूड्स		1000	1000			शून्य		700			2700
54.	गौरव इंटरप्राइजेस	1000			1000		शून्य					2000
55.	गौरव फूड	500			300		शून्य					800
56.	ज्योति फ्लोर मिल्स	500	शून्य				200					700
	सकल जोड़	31400	17250	41050	21050	20150	19500	19600	14000	2200	1200	187400

विवरण-II

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) थोक के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान ई-निविदा के जरिए पैनल में रखे गए दिल्ली के थोक उपभोक्ताओं (57) को जारी किए गए गेहूं की मात्रा

(आंकड़े टन)

क्र. सं.	पार्टी का ब्यौरा नाम	ई-निविदा दिनांक 16.6.2010	ई-निविदा दिनांक 23.6.2010	ई-निविदा दिनांक 20.10.2010	ई-निविदा दिनांक 10.11.20210	ई-निविदा दिनांक 17.11.2010	ई-निविदा दिनांक 24.11.2010	ई-निविदा दिनांक 01.12.2010	ई-निविदा दिनांक 08.12.2010	ई-निविदा दिनांक 15.12.2010	ई-निविदा दिनांक 22.12.2010	ई-निविदा दिनांक 05.01.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आहार कजूमर प्रॉडक्ट्स प्रा.लि.					100		100				
2.	अंजना फूड प्रॉडक्ट्स					400		150		200		500
3.	अशोका फ्लोर मिल्स											500
4.	अशोका रोलर फ्लोर मिल्स											
5.	अवन्त ऐग्रो प्रा.लि.								200	200		
6.	बजरंग फ्लोर मिल्स						100		150	100		500
7.	बवाना दाल एंड फ्लोर मिल्स											300
8.	बेस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स	250	300									
9.	सेर्प्रोस सिर्एरिल्स प्रा.लि.					200	500	200	700	500	300	500
10.	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा.लि.											
11.	दुर्गा फ्लोर मिल्स		100				100		100	150		
12.	गौरव इंटरप्राइजेस					300				450		500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	गौरव फूड									100		
14.	गांगिया फ्लोर मिल्स											70
15.	गोल्डन फूड प्रॉडक्ट्स											
16.	गोयल फ्लोर मिल्स						100	100	150	150		230
17.	गोयल फूड प्रॉडक्ट्स											
18.	हरि फ्लोर मिल्स					160	200		150	300		
19.	जे.जे. फूड्स प्रा.लि.											
20.	जयश्री फ्लोर मिल्स					100		100		200		
21.	जानकी दास मुकेश चंद जैन											
22.	जिंदल इंडस्ट्रीज											
23.	जीवन दास फ्लोर मिल्स											
24.	जुगल किशोर हरबंस लाल											
25.	ज्योति फ्लोर मिल्स											
26.	एम.बी. फ्लोर मिल्स							200		250	100	
27.	मै. गंगा रोलर फ्लोर मिल प्रा. लि.					100						300
28.	मै. सोधी फ्लोर मिल					500				500		
29.	श्री महावीर दाल मिल					200	200		150	250	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स											
31.	महेंद्र फ्लोर मिल्स									150		200
32.	मॉडर्न मिल प्रा.लि.	100				300	500			400		
33.	मोदी फ्लोर मिल्स									500		700
34.	नरेश कुमार सुनील कुमार	100								350		
35.	नीलकंठ फूड प्रॉडक्ट्स							200	100	150		150
36.	न्यू निरंकारी ऑइल जनरल मिल्स											
37.	ओम प्रकाश गुप्ता असोसिएट्स			200		200	100	300		500	300	500
38.	राजकुमार आहूजा											
39.	राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स					500		500	700	1000	240	800
40.	राजेश फूड्स											
41.	रमा फ्लोर मिल्स											
42.	रामकरन फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	200		350	200	200	200	200	200	350		350
43.	एस.के. फूड इंडस्ट्रीज					100	200	200	200	310		200
44.	सदाशिव ऐग्रो फूड्स प्रा.लि.										200	300
45.	सहरावत फ्लोर मिल्स											
46.	शक्ति भोग फूड्स लि.	100										
47.	शिव रोलर फ्लोर मिल्स					1000		700	1000	600	300	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स					1000	1000	1000			1000	1000
49.	श्री मंगत राम इंडस्ट्रीज											
50.	श्री दुर्गा फ्लोर मिल							100				200
51.	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स											
52.	विक्टोरिया फूड्स प्रा.लि.											
53.	विकास पल्सेस प्रा.लि.					200				400		500
54.	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि.											
55.	यादव फ्लोर मिल्स बवाना											
56.	यादव फ्लोर मिल्स लि. (बादली)									300		700
	कुल जोड़	750	400	550	200	5560	3200	4050	3800	8380	2640	10000

-जारी

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) थोक के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान ई-निविदा के जरिए पैनल में रखे गए दिल्ली के थोक उपभोक्ताओं (57) को जारी किए गए गेहूं की मात्रा

(आंकड़े टन)

क्र. सं.	पार्टी का ब्यौरा नाम	ई-निविदा दिनांक 12.01.2011	ई-निविदा दिनांक 19.01.2011	ई-निविदा दिनांक 27.01.2011	ई-निविदा दिनांक 02.02.2011	ई-निविदा दिनांक 09.02.2011	ई-निविदा दिनांक 17.2.2011	ई-निविदा दिनांक 23.2.2011	ई-निविदा दिनांक 03.3.2011	ई-निविदा दिनांक 9.3.2011	ई-निविदा दिनांक 16.3.2011	जारी की गई प्रगामी मात्रा
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	आहार कजूमर प्रॉडक्ट्स प्रा.लि.	200	300				100		0			800
2.	अंजना फूड प्रॉडक्ट्स	480	350	200		150	100	150	200	150	100	3130
3.	अशोका रोलर फ्लोर मिल्स			100	200	200	200	100	100			1400
4.	अशोका फ्लोर मिल्स		1000	1000	500		500	1000	500	500	500	5500
5.	अवन्त ऐग्रो प्रा.लि.	300	500	200	350	100	500	200	450	250	500	3750
6.	बजरंग फ्लोर मिल्स	500	500	300	200	350	500	200	200		200	3800
7.	बवाना दाल एंड फ्लोर मिल्स	750	450							200		1700
8.	बेस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स											550
9.	सेप्रॉस सिरीयल्स प्रा.लि.	100	700	600	500	100		200				5100
10.	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा.लि.			100	100	100	180	180		200	100	960
11.	दुर्गा फ्लोर मिल्स	250	200	150	150	100		150	150	150	150	1900
12.	गौरव इंटरप्राइजेस	490	500				400	200	200	250	200	3490
13.	गौरव फूड		150				150					400

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14.	गांगिया फ्लोर मिल्स		1000	1000	500		500	1000	500	500	500	5570
15.	गोल्डन फूड प्रॉडक्ट्स		1000		300		400			390		2090
16.	गोयल फ्लोर मिल्स		350	150	120		180	180	150	120	150	2130
17.	गोयल फूड प्रॉडक्ट्स											0
18.	हरि फ्लोर मिल्स	250	350			100	150	150	100	150	150	2210
19.	जे.जे. फूड्स प्रा.लि.											0
20.	जयश्री फ्लोर मिल्स		150				150		100	100	200	1100
21.	जानकी दास मुकेश चंद जैन	200	250	200	100		150	150				1050
22.	जिंदल इंडस्ट्रीज							100				100
23.	जीवन दास फ्लोर मिल्स				100		200		100			400
24.	जुगल किशोर हरबंस लाल											0
25.	ज्योति फ्लोर मिल्स		200			100	200		100			600
26.	एम.बी. फ्लोर मिल	300	150					100	200			1300
27.	मै. गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	500	500	300	1000	0	600	1000		300	400	5000
28.	मै. सोधी फ्लोर मिल	500	300	300		300	300	300	0	300	400	3700
29.	श्री महावीर दाल मिल	300	300	200	200	200	300	300	0			2800
30.	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स			300	200	300	300	400	0	200	400	2100

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31.	महेंद्र फ्लोर मिल्स			200		200	150	200	0	200	100	1400
32.	मॉडर्न मिल प्रा.लि.	400	400	400	500	200		200				3300
33.	मोदी फ्लोर मिल्स	1000	1000	500	1000	1000	1000	200	1000	1000		8900
34.	नरेश कुमार सुनील कुमार	300	380		230	C 450	300	400			300	2710
35.	नीलकंठ फूड प्रॉडक्ट्स	100	200			100	150	200	100	100	200	1750
36.	न्यू निरंकारी ऑइल जनरल मिल्स											0
37.	ओम प्रकाश गुप्ता असोसिएट्स		300	200	300	300		300	200	250		3950
38.	राजकुमार आहूजा		200		280							480
39.	राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	0	400	11140
40.	राजेश फूड्स											0
41.	रमा फ्लोर मिल्स											0
42.	रामकरन फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	200	250	200	200	300	300	300	100	150	150	4200
43.	एस.के. फूड इंडस्ट्रीज	180	450				200			400	200	2640
44.	सदाशिव ऐग्रो फूड्स प्रा.लि.	300					200			300		1300
45.	सहरावत फ्लोर मिल्स	200	250			100	100	100				750
46.	शक्ति भोग फूड्स लि.											100
47.	शिव रोलर फ्लोर मिल्स											4600

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
48.	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15000
49.	श्री मंगत राम इंडस्ट्रीज											0
50.	श्री दुर्गा फ्लोर मिल		200	200	150		150		150		100	1250
51.	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स											0
52.	विक्टोरिया फूड्स प्रा.लि.											0
53.	विकास पल्सेस प्रा.लि.	200	1000	100	400	400	600	500	400	400	200	5300
54.	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि.			400				200		0		600
55.	यादव फ्लोर मिल्स बवाना							0	0	0		0
56.	यादव फ्लोर मिल्स लि. (बादली)		1000	1000	1000	500	500	1000	1000	1000	1000	9000
	कुल जोड़	10000	16830	9300	10580	7650	11710	11860	8000	8560	7600	141600

विवरण-III

वर्ष 2011-12 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) थोक के तहत ई-निविदाओं के जरिए दिल्ली के पैनल में शामिल बल्क उपभोक्ताओं (60) को रिलीज की गई गेहूं की मात्रा

(आंकड़े टन)

क्र. सं.	पार्टी का ब्यौरा नाम	निविदा दिनांक 18.11.2011	निविदा दिनांक 25.11.2011	निविदा दिनांक 04.01.2012	निविदा दिनांक 11.01.2012	निविदा दिनांक 18.01.2012	निविदा दिनांक 25.01.2012	निविदा दिनांक 04.02.2012	निविदा दिनांक 13.02.2012	निविदा दिनांक 18.02.2012	निविदा दिनांक 25.02.2012	निविदा दिनांक 05.03.2012	निविदा दिनांक 12.03.2013	जारी की गई प्रगामी मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आहार कजूमर प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.	200		300	300	1000	600	500	600		600		500	4800
2.	आहुजा रोलर फ्लोर मिल					500	300	300						1100
3.	अंजता फूड प्रॉडक्ट्स					600	400	300	200	1000	800		1000	4300
4.	अनुपमा इंटरप्राइजेस				150	150			160		120			580
5.	अशोका फ्लोर मिल्स				500	1000								1500
6.	अशोका रोलर फ्लोर मिल्स						600	700	600	600	1000	400	500	4400
7.	अवन्त ऐग्रो प्रा.लि.				200	300	300	600	250	300	300	250		2500
8.	बजरंग फ्लोर मिल्स	200		300	300	500	300	320	400	400		240	1000	3960
9.	सेप्रॉस सिएँरिल्स प्रा.लि.				500	500	500	700	400	500	800	500		4400
10.	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा.लि.					200		200		160	250			810
11.	दीपक फ्लोर मिल्स				300	500	300	400	400	800	400		400	3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	दुर्गा फ्लोर मिल्स				100	150	150	150	160	160	160	160		1190
13.	गौरव इंटरप्राइजेस					250	250		200	500			200	1400
14.	गोगिया फ्लोर मिल्स				500	1000	600	700	600	600	1000	400	500	5900
15.	गोल्डन फूड प्रॉडक्ट्स			500	500	500	300	500			500			2800
16.	गोयल फ्लोर मिल्स	200	120		150	150	100	150	150	150	150	150		1470
17.	गोयल फूड प्रॉडक्ट्स													0
18.	हरि फ्लोर मिल्स					600	300	585	300	800	300	200	1000	4085
19.	जे.जे. फूड्स प्रा.लि.													0
20.	जयश्री फ्लोर मिल्स							150	100	100		100	200	650
21.	जानकी दास मुकेश चंद जैन													0
22.	जिंदल इंडस्ट्रीज										110			110
23.	जीवन दास फ्लोर मिल्स										150		150	300
24.	जुगल किशोर हरबंस लाल										150			150
25.	ज्योति फ्लोर मिल्स													0
26.	एम.बी. फ्लोर मिल्स					100			300	250			150	800
27.	मै. गंगा रोलर फ्लोर मिल प्रा.लि.			500	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	8500
28.	मै. सोधी फ्लोर मिल				500		500	300		300	300	300	300	2500
29.	मै. महावीर दाल मिल		100			300	300	200			200		150	1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स					500	300	500	400	200	300	300	400	2900
31.	महेंद्र फ्लोर मिल्स					200	270	150	230	200	200	100		1350
32.	मॉडर्न फ्लोर मिल प्रा.लि.		500	200	500	400	500	400	200	300	600	600	200	4400
33.	मोदी फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	1000		1000	9600
34.	नरेश कुमार सुनील कुमार					330		160	160	240	240	240	500	1870
35.	नीलकंठ फूड प्रॉडक्ट्स					150		110	150	110	150		160	830
36.	न्यू निरंकारी ऑइल जनरल मिल्स					500			0					500
37.	ओम प्रकाश गुप्ता असोसिएट्स			250	350	450		400	400	200	400		650	3100
38.	बैस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स													0
39.	राजधानी रोलर फोल्र मिल्स			300	1000	1000	1000	1000	800	300	300	700		6400
40.	बैस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स													0
41.	रमा फ्लोर मिल्स													0
42.	रामकरन फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	100			200	300	200	200	200	250	200	150		1800
43.	एस.के. फूड इंडस्ट्रीज												950	950
44.	सदाशिव ऐग्रो फूड्स प्रा.लि.							200			300			500
45.	सहरावत फ्लोर मिल				100	150		150	100	150	150			800
46.	शक्ति भोग फूड्स लि.			500		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	8500
47.	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		10000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48.	श्री मंगत राम इंडस्ट्रीज													0
49.	श्री नाथ जी रोलर फ्लोर मिल्स			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		9000
50.	श्री दुर्गा फ्लोर मिल				300	200		200		300	200			1200
51.	विक्टोरिया फूड्स प्रा.लि.				500	1000	500	500		500			1000	4000
52.	विकास पल्सेस प्रा.लि.	200			500	100		300	300	300	100			1800
53.	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.				500	600	300	200	400	400	800			3200
54.	बावना दाल एंड फ्लोर मिल्स													
55.	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स													
56.	यादव फ्लोर मिल्स लि. (बादली)					1000								1000
	कुल जोड़	9900	2720	5850	11950	20180	12870	16225	13160	14570	16230	8790	12910	136355

विवरण-IV

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) थोक के तहत वर्ष 2012-13 के दौरान ई-निविदा के जरिए पैनल में रखे गए दिल्ली के थोक उपभोक्ताओं (56) को जारी किए गए गेहूं की मात्रा

(मात्रा टन)

क्र. सं.	पार्टी का ब्यौरा नाम	निविदा दिनांक 25.4.2012	निविदा दिनांक 4.5.2012	निविदा दिनांक 11.5.2012	निविदा दिनांक 18.5.2012	निविदा दिनांक 25.5.2012	निविदा दिनांक 4.6.2012	निविदा दिनांक 11.6.2012	निविदा दिनांक 18.6.2012	निविदा दिनांक 4.7.2012	निविदा दिनांक 9.7.2012	निविदा दिनांक 18.7.2012	निविदा दिनांक 25.7.2012	जारी की गई प्रगामी मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आहार कजूमर प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.	300	0									1500	1500	3300
2.	अंजना फूड प्रॉडक्ट्स	200	400	100					100		1000	1600	1850	5250
3.	अशोक फ्लोर मिल्स	0										1000	300	1300
4.	अशोक रोलर फ्लोर मिल्स	300	800	500		400					700	1500	1500	5700
5.	अनुपमा इंटरप्राइसिज, ए-324, डीएसआईडीसी, नरेला, दिल्ली											200	1300	
6.	अवन्त ऐग्रो प्रा.लि.											800		
7.	बजरंग फ्लोर मिल्स	240	400	240		240	240		400		400	1000	700	3860
8.	बावना दाल एंड फ्लोर मिल्स	0									200	1000	800	2000
9.	सरप्रोज़ सिरीयल्स प्रा.लि.	500	500	500	400	400			500		1000	1000	1300	6100
10.	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	0	100	100	100							300	0	600
11.	दुर्गा फ्लोर मिल्स	0										250	750	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	गौरव इंटरप्राइजेस	0	0	250	320						1000	1000	1000	3570
13.	गौरव फूड	0	200								150	150	700	1200
14.	गोगिया फ्लोर मिल्स	300	800	500		400					700	1450	1500	5650
15.	गोल्डन फूड प्रॉडक्ट्स											700	765	1465
16.	गोयल फ्लोर मिल्स	150	300		150					120		1000	500	2220
17.	गोयल फूड प्रॉडक्ट्स											1000	900	1900
18.	हरि फ्लोर मिल		150								100	1350	1350	2950
19.	जे.जे. फूड्स प्रा.लि.	250	220	300	250		300	200	300	500		1000		3320
20.	जयश्री फ्लोर मिल्स	100	200								100	300	300	1000
21.	जानकी दास मुकेश चंद जैन												700	700
22.	जिंदल इंडस्ट्रीज											500	150	650
23.	जीवन दास फ्लोर मिल्स	100	100								500	500	300	1500
24.	जुगल किशोर हरबंस लाल	500	350	400	350		500	400	300	500		1000		4300
25.	ज्योति फ्लोर मिल्स											200	300	500
26.	एम.बी. फ्लोर मिल्स											1000	500	1500
27.	मै. गंगा रोलर फ्लोर मिल प्रा.लि.	1000	1000	1000							2000	2000	2000	9000
28.	मै. सोधी फ्लोर मिल										500	500	500	1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29.	मै. महावीर दाल मिल										200	400	1000	1600
30.	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स			330		400					800	1000	1000	3530
31.	महेंद्र फ्लोर मिल्स		200									680	1250	2130
32.	मॉडर्न फ्लोर मिल प्रा.लि.	1000	0								500	1100	2000	4600
33.	मोदी फ्लोर मिल्स	1000	0	1000	1000	1000					1000	2000	2000	9000
34.	नरेश कुमार सुनील कुमार	100	240	100							500	600	500	2040
35.	नीलकंठ फूड प्रॉडक्ट्स	110	110			110						360	370	1060
36.	न्यू निरंकारी ऑयल जनरल मिल्स	0								1000		2000		3000
37.	ओम प्रकाश गुप्ता असोसिएट्स	250	400								300	600	700	2250
38.	राजधानी रोलर फोल्र मिल्स	700		1000		700						2000	2000	6400
39.	आहूजा रोलर फ्लोर मिल्स, सी-6/9, 10, 11, लारेंस रोड, दिल्ली											700	1200	1900
40.	रमा फ्लोर मिल्स												120	120
41.	रामकरन फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	200	300	200	150	120		120		200	400	930	1400	4020
42.	एस.के. फूड इंडस्ट्रीज											2000	2000	4000
43.	सदाशिव ऐग्रो फूड्स प्रा.लि.		200								200	250		650
44.	सहरावत फ्लोर मिल		110								150	800	500	1560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45.	शक्ति भोग फूड्स लि.									1000	2000	2000	2000	7000
46.	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स	1000	1000	500			1000	1000	1000		1000	2000	2000	10500
47.	श्री मंगत राम इंडस्ट्रीज											700		700
48.	श्री दुर्गा फ्लोर मिल		250									500	1000	1750
49.	विक्टोरिया फूड्स प्रा.लि.											2000	2000	4000
50.	विकास पल्सेस प्रा.लि.	300	320	100	100						300	800	900	2820
51.	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.			300		400					200	2000	2000	4900
52.	श्री नाथ जी रोलर फ्लोर मिल्स लि.	1000	1000	500					1000	1000	1000	2000	2000	9500
53.	दीपक फ्लोर मिल्स	0		240								1000	700	1940
54.	शिवशक्ति रोलर फ्लोर मिल्स							0	500		1000	2000	2000	5500
55.	बेकर्स प्राइड व्हीट फ्लोर प्रा. लि.										100	250	400	750
56.	प्रोमिला रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि.	0										2000	2000	4000
	सकल जोड़	9600	9650	8160	2820	4170	2040	1720	4100	4320	18000	56470	56305	175855

विवरण-V

माह के अंत में गेहूं के थोक मूल्य

यूनिट: (रु./क्विंटल)

केन्द्र	अक्तूबर (30) 2009	नवंबर (30) 2009	दिसंबर (31) 2009	जनवरी (29) 2010	फरवरी (26) 2010	मार्च (31) 2010	अप्रैल (30) 2010	मई (31) 2010	जून (30) 2010	जुलाई (30) 2010
दिल्ली	1330	1400	1365	1360	1430	1350	1225	1150	1230	1225

केन्द्र	अगस्त (31) 2010	सितंबर (30) 2010	अक्तूबर (29) 2010	नवंबर (30) 2010	दिसंबर (31) 2010	जनवरी (31) 2011	फरवरी (28) 2011	मार्च (31) 2011	अप्रैल (29) 2011	मई (31) 2011
दिल्ली	1235	1230	1230	1260	1320	1345	1345	1245	1230	1190

केन्द्र	जून (30) 2011	जुलाई (29) 2011	अगस्त (30) 2011	सितंबर (30) 2011	अक्तूबर (31) 2011	नवंबर (30) 2011	दिसंबर (30) 2011	जनवरी (31) 2012	फरवरी (29) 2012	मार्च (30) 2012
दिल्ली	1190	1200	1180	1200	1210	1245	1265	1280	1280	1290

केन्द्र	अप्रैल (30) 2012	मई (31) 2012	जून (29) 2012	जुलाई (31) 2012	अगस्त (31) 2012	सितंबर (28) 2012	अक्तूबर (31) 2012	नवंबर (30) 2012
दिल्ली	1280	एनआर	1280	एनआर	1600	1590	1560	1680

(स्रोत– उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट)

विवरण-VI

2009-10 से 2012-13 के दौरान दिल्ली में थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री के लिए गेहूं का प्रति क्विंटल में रिजर्व मूल्य

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) अक्तूबर, 2009 के लिए दरें	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) नवंबर, 2009 के लिए दरें	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) दिसंबर, 2009 से 24.12.2009 तक 2009 के लिए दरें	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 25.12.2009	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख जुलाई, 2010	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 12.10.2010	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 17.10.2011	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 19.10.2011
1404.14	1420.94	1437.90	1254.08	1252.15	1254.08	1186.74	1187.60

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 16.03.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 04.07.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 27.07.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 31.08.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 05.09.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 14.09.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 28.09.2012	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) प्रभावी दर की तारीख 16.11.2012
1191.50	1170.00	1285.00	1324.46	1324.46	1325.00	1328.00	1527.00

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों की शिकायतें

1663. **श्री सुशील कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन माह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जी.एन.सी.टी. को नि:शक्तों और वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त आवेदनों, याचिकाओं और शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) वरिष्ठ नागरिकों ओर नि:शक्त व्यक्तियों पर ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिली की जी.एन.सी.टी. को जारी किए गए दिशानिर्देशों ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली की जी.एन.सी.टी. नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण पर यथोचित ध्यान नहीं दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं।?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विगत तीन माह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नि:शक्तों और वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त आवेदन, याचिकाएं और शिकायतें निम्नानुसार हैं:—

(i)	वृद्धावस्था गृहों में प्रवेश और अन्य शिकायतें	17
(ii)	वृद्धावस्था पेंशन संबंधी शिकायतें	05
(iii)	नि:शक्त पेंशन संबंधी शिकायतें	18

नि:शक्त और वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त सभी आवेदनों, याचिकाओं और शिकायतों पर इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के प्रति यथापेक्षित ध्यान दे रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

फेरी दुर्घटना हेतु मुआवजा

1664. **श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में मेडारतरी फेरी दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के संबंधियों को 2.00 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पीड़ितों के संबंधित को अभी तक कोई धनराशि संस्वीकृत और जारी नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) असम सरकार के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 30.4.2012 को हुई मेडारतरी फेरी दुर्घटना में उनचास व्यक्ति मारे गए थे। इसमें से इकतालीस शवों को बरामद किया जा सका। जिन इकतालीस लोगों के शव बरामद किए गए थे, उनके प्रत्येक निकटतम संबंधी को असम सरकार ने 1.50 लाख रुपए मंजूर और जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक पीड़ित के निकटतम संबंधी को 2.00 लाख की धनराशि मंजूर और जारी की गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का निर्माण

1665. **श्री गणेश सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अपने लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति बनाने के लिए अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति बनाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे राज्यों को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां, महोदया।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास हेतु समन्वित प्रयास करने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण नीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहा है जिनका लक्ष्य ग्रामीण अवसंरचना का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को उठाना, खेत स्तर पर रोजगार सृजित करना और राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र सामर्थ्यकारी वातावरण सृजित करना है।

(ग) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार कर ली हैं। पंजाब, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ हरियाणा और ओडिशा राज्यों ने अपनी औद्योगिक नीति के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार की है। राज्यों को उनकी खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई।

[अनुवाद]

राशन भत्ता

1666. **श्री विष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनप्रतिनिधि ने द्वीप विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक में पुलिस कर्मियों के हुए समान संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों (अराजपत्रित) को 13 महीनों का वेतन, राशन भत्ता का भुगतान करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) द्वीप विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक अभी आयोजित की जानी है।

[हिन्दी]

टी.वी. पर व्यस्कों के लिए कार्यक्रम

1667. **श्री कादिर राणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास टेलीविजन चैनलों पर देर रात में व्यस्कों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का टेलीविजन पर व्यस्कों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करने को सुगम बनाने के लिए विद्यमान नियम/अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) टेलीविजन चैनलों पर देर रात में व्यस्कों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेलीविजन चैनलों में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(ण) में व्यवस्था है कि 'केबल सेवा में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त न हो'। इसमें आगे यह स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति 'अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन' का वही अभिप्राय होगा जो इसे चलचित्र अधिनियम, 1952 में दिया गया है।

कृषि विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण

1668. **श्री महेश्वर हजारी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार में डॉ. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा का आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन करने का प्रस्ताव है ताकि कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अभाव के कारण अनुसंधानकर्त्ताओं को उन्नत अनुसंधान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(घ) वर्तमान में विश्वविद्यालय में अनुसंधान संबंधी कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) डॉ. एस.सी. झा की अध्यक्षता में गठित विशेष लक्ष्य बल की रिपोर्ट के आधार पर योजना अयोग ने बिहार राज्य के पूसा में एक नए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सी.ए.यू.) की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। उसके अनुसरण में बिहार सरकार से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार को एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव है। कुछ प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के क्रम में आधुनिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है। अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए एडवांस प्रशिक्षण तथा आधुनिक प्रयोगशालाओं में अनुभव की जरूरत है।

(घ) विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों/शिक्षकों के 588 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 298 पद रिक्त हैं। कुछ पदों को भरने का विज्ञापन जारी कर दिया है तथा इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अन्य के संबंध में रोस्टर की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा गया है। सरकार द्वारा रोस्टर संबंधी स्वीकृति प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

अवैध बोरवेल

1669. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डा. संजीव गणेश नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में बोरवेल के गड्ढों में गिरने के कारण भोले-भाले बच्चों की मृत्यु का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उन सरकारी/निजी बोरवेलों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण बच्चों की मृत्यु हुई और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में अवैध-बोरवेल की खुदाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) देश में बोरवेलों में गिरने के कारण भोले-भाले बच्चों की मौत की सूचित की गई कुछ घटनाएं हुई हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बोर वेलों में गिरने के कारण भोले-भाले बच्चों की मौत के संबंध में एन.सी.आर.बी द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में खुले बोरवेलों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में सूचना केंद्रीय रूप में नहीं रखी जाती है। तथापि, बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, सरकारी एजेंसियों द्वारा खोदे गए बोरवेलों के संबंध में कोई ऐसी घटना सूचित नहीं की गई है।

संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, और इस प्रकार, बच्चों के प्रति अपराधों सहित अपराधों का निवारण करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने तथा अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराध के निवारण और नियंत्रण के मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है।

उच्चतम न्यायालय ने खुदाई कार्य करने वाले एजेंसियों का पंजीकरण करने, कुओं को भली प्रकार ढंकने, साइनबोर्ड और बाड़ लगाने, खुदाई कार्य पूरा करने के पश्चात् गडढों तथा चैनलों के भरने, छोड़े गए कुओं को मिट्टी/बालू/शिला खंडों/कंकड़ों इत्यादि से भरने जैसे कतिपय उपाय अपनाने के लिए वर्ष 2010 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, भूमि/परिसरों के मालिकों को बोरवेलों/ट्यूबवेलों का निर्माण करने के लिए कदम उठाने से पहले इस संबंध में क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारियों को अग्रिम रूप से सूचित करना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खोदे गए बोरवेलों/ट्यूब वेलों की सुरक्षा की स्थिति की निगरानी ग्राम सरपंच और कृषि विभाग के इक्जीक्यूटिव माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में कनिष्ठ अभियंता और संबंधित भूजल/स्वास्थ्य नगरनिगम इत्यादि के संबंधित विभाग के इक्जीक्यूटिव के माध्यम से की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी

1670. **श्री तूफानी सरोज :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी के अभाव में लंबित कोयला परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना-वार इनके लंबित रखे होने का कारण क्या है तथा ऐसी परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नियत लक्ष्य की तुलना में लंबित परियोजनाओं से विद्युत परियोजनाएं और कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है/प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं की शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन स्वीकृतियों के प्राप्त होने में विलंब के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं से योजनाबद्ध उत्पादन में कमी आने की संभावना है। यह परिकल्पना की गई है कि 12वीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान उत्पादन में संभावित कमी लगभग 59 मि.ट. तक होगी।

(घ) सरकार/कोल इंडिया लि. द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:—

(i) अधिग्रहण कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकारों भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सक्रिय रूप से की जा रही है।

(ii) राज्य प्राधिकारियों अर्थात् भूमि राजस्व आयुक्त, भूमि राजस्व सचिव के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं ताकि गंभीर समस्याओं का निपटारा किया जा सके।

(iii) आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रश्नों के उत्तर हेतु जिला तथा तहसीलदार स्तर पर वन अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर संपर्क किया जाता है। वन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय/एमओईएफ नई दिल्ली के साथ आवधिक संपर्क किए जाते हैं।

(iv) पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तावों विशेष रूप से अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित पीएच तारीखों एवं प्रस्तावों का गति प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य एवं एमओईएफ अधिकारियों से संपर्क किया जाता है एवं बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(v) पुनर्वास स्थल के चयन के लिए भू-स्वामियों/ग्रामीणों के साथ चर्चा की जाती है और पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित होने के लिए राजी किया जाता है।

(vi) कोयला मंत्रालय लंबित स्वीकृतियों को गति प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर राज्य स्तर और केन्द्र स्तर के संबंधित अधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाकर उनका समाधान कर रहा है।

विवरण

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	विषय	परियोजना	किस्म	फार्म-1 प्रस्तुत करने की तारीख	प्रतीक्षित
1	2	3	4	5	6	7
1.	झारखंड	सीसीएल	रैलीगारा गिडी जीओएम	काम्ब.	03.11.08	टीओआर
2.	झारखंड	सीसीएल	अग्रादा सिरका जीओएम	काम्ब.	30.11.08	सार्वजनिक परामर्शदाता
3.	झारखंड	सीसीएल	बरका सयाल जीओएम	काम्ब.	03.11.08	सार्वजनिक परामर्शदाता
4.	झारखंड	सीसीएल	उरीमरी	यूजी	24.10.08	सार्वजनिक परामर्शदाता
5.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	बिजारी ओसी	ओसी	29.07.08	सार्वजनिक परामर्शदाता
6.	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	जुनाथ एक्स.	ओसी	16.01.08	सार्वजनिक परामर्शदाता
7.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	अम्बिका ओसी	ओसी	18.10.07	अंतिम ईएमपी
8.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	बलगी	यूजी	28.01.09	अंतिम ईएमपी
9.	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	चिनचोली* (सीएसए)	ओसी	24.03.09	अंतिम ईएमपी
10.	झारखंड	सीसीएल	लॉयो	यूजी	30.10.08	अंतिम स्वीकृति
11.	झारखंड	सीसीएल	रॉय-बचरा	यूजी	22.09.08	अंतिम स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7
12.	ओडिशा	एमसीएल	बसुंधरा (डब्ल्यू) एक्स.	ओसी	25.03.08	अंतिम स्वीकृति
13.	ओडिशा	एमसीएल	बेलपाहरा एक्स.	ओसी	21.03.08	अंतिम स्वीकृति
14.	ओडिशा	एमसीएल	भुवनेश्वरी ओसीपी	ओसी	12.01.07	अंतिम स्वीकृति
15.	ओडिशा	एमसीएल	गोपाल प्रसाद	ओसी	17.03.08	अंतिम स्वीकृति
16.	ओडिशा	एमसीएल	एचबीआई (अग)	यूजी	05.06.07	अंतिम स्वीकृति
17.	ओडिशा	एमसीएल	हिंगुला एक्स. (15 एमटीवाई)	ओसी	17.05.08	अंतिम स्वीकृति
18.	ओडिशा	एमसीएल	लजकुरा एक्स. फेस-1	ओसी	21.08.08	अंतिम स्वीकृति
19.	ओडिशा	एमसीएल	ओरिएंट नं. 3	यूजी	27.03.08	अंतिम स्वीकृति
20.	ओडिशा	एमसीएल	ओरिएंट माईन नं. 1 एवं 2	यूजी	27.03.08	अंतिम स्वीकृति
21.	ओडिशा	एमसीएल	ओरिएंट माईन नं. 4	यूजी	28.12.06	अंतिम स्वीकृति
22.	ओडिशा	एमसीएल	समलेश्वरी एक्स.-3	ओसी	20.03.08	अंतिम स्वीकृति
23.	असम	एनईसी	लेखापानी	ओसी	13.08.08	अंतिम स्वीकृति
24.	असम	एनईसी	तिकाक (ईस्ट) एक्स.	ओसी	05.03.07	अंतिम स्वीकृति
25.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	दुग्गा एक्स. ओसी	ओसी	05.10.07	अंतिम स्वीकृति
26.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	जमपाली	ओसी	03.07.08	अंतिम स्वीकृति
27.	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	धंकासा (रिकास्ट)* (सीएसए)	यूजी	03.10.08	अंतिम स्वीकृति
28.	मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	हर्रादोल* (सीएसए)	यूजी	02.07.08	अंतिम स्वीकृति
29.	मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	जमुनिया* (सीएसए)	यूजी	04.03.09	अंतिम स्वीकृति
30.	झारखंड	सीसीएल	अरा सारूबेरा ग्रुप	ओसी+यूजी	24.10.08	ईएसी
31.	झारखंड	सीसीएल	कथारा ओसी	ओसी	03.11.08	ईएसी
32.	ओडिशा	एमसीएल	अंनत एक्स. (15 एमटीवाई) फेस-3	ओसी	11.08.08	ईएसी
33.	ओडिशा	एमसीएल	तालाबीरा 2 एवं 3, एमएनएच शक्ति लि.	ओसी	05.02.07	ईएसी
34.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	कोरिया ओसीपी पैच	ओसी	06.03.07	ईएसी

1	2	3	4	5	6	7
35.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	मानिकपुर	ओसी	11.10.07	ईएसी
36.	मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	भकरा* (सीएसए)	यूजी	11.02.09	ईएसी
37.	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	धूपताला (सास्ती यूजी-ओसी)* (सीएसए)	ओसी	19.12.08	ईएसी
38.	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	पेंगंगा	ओसी	11.02.09	ईएसी
39.	झारखंड	सीसीएल	पिंडरा यूजी/ओसी	काम्ब.	01.12.08	प्रारुप ईएमपी
40.	असम	एनईसी	तिराप ओसी फेस-2	ओसी	03.10.08	प्रारुप ईएमपी

वन स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित प्रस्ताव

एमओईएफ में लंबित वन भूमि के डायवर्जन के मामलों की सूची

क्र. सं.	कंपनी	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर)	चरण	आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ईसीएल	चुपरबीटा ओसी	झारखंड	245.78	चरण-I	अगस्त-04	डीजीपीएस के लिए
2.	ईसीएल	झांझरा यूजी पीएसएलडब्ल्यू फेस-2	पश्चिम बंगाल	90.3	चरण-I	सितम्बर-05	
3.	बीसीसीएल	मुरलीडीह ओसीपी	झारखंड	6.41	चरण-I	अक्तूबर-08	खनन के पश्चात् भूमि का उपयोग
4.	सीसीएल	कारो ओसीपी	झारखंड	226.67	चरण-I	मार्च-08	एफआरए
5.	सीसीएल	सौंदा डी ओसीपी	झारखंड	16.00	चरण-I	मई-06	एफआरए अग्रेषित करना
6.	सीसीएल	उरीमरी ओसी	झारखंड	34.64	चरण-I	10.11.2008 (संशोधित प्रस्ताव 24.04.09 को प्रस्तुत किया गया)	नोडल अधिकारी झारखंड द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सीसीएल	रोहिणी फेस-2 ओसी	झारखंड	74.81	चरण-I	अगस्त-07	संशोधित योजना एवं एफआरए
8.	सीसीएल	खास महल यूजी	झारखंड	14.99	चरण-I	जून-05	संशोधित योजना एवं एफआरए
9.	डब्ल्यूसीएल	सौभापुर (यूजी) (नवीकरण) कालोनी एवं अवसंरचना के लिए	मध्य प्रदेश	90.000	चरण-I	अगस्त-03	अन्य शुल्कों की एनपीवी एवं मांग
10.	डब्ल्यूसीएल	सतपुरा-2	मध्य प्रदेश	32.831	चरण-I	सितम्बर-99	भारतीय सर्वेक्षण के टोपो सीट के एसडीओ (एफ) बेतूल द्वारा प्रमाणित
11.	डब्ल्यूसीएल	सारणी (टाऊनशीप के लिए)	मध्य प्रदेश	4.180	चरण-I	सितम्बर-07	भारतीय सर्वेक्षण की टोपो सीट भेजी गई
12.	डब्ल्यूसीएल	मौरी ब्लॉक	मध्य प्रदेश	255.117	चरण-I	दिसम्बर-05	अनुपालन किया गया। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन
13.	डब्ल्यूसीएल	महाकाली यूजी	महाराष्ट्र	193.190	चरण-I	जनवरी-05	प्रश्न का उत्तर दिया गया एवं पुनर्वास मुद्दे का अग्रेषित करना
14.	एसईसीएल	कुसमुंडा ओसी	छत्तीसगढ़	324.840	चरण-I	अप्रैल-05	ग्राम सभा से एनओसी
15.	एसईसीएल	रामनगर आरओ यूजी (कालोनी)	मध्य प्रदेश	57.002	चरण-I	मई-00	मूल टोपो सीट
16.	एसईसीएल	धनपुरी यूजी	मध्य प्रदेश	65.000	चरण-I	अगस्त-04	उजड़े वन और पौधरोपण क्षेत्र का उल्लेख करते हुए टोपो सीटा पुनः प्रस्तुत करना
17.	एसईसीएल	धनपुरी ओसी (सेक्टर-डी)	मध्य प्रदेश	87.612	चरण-I	जून-04	अनुपालन किया गया
18.	एसईसीएल	अम्लाई यूजी एवं ओसी	मध्य प्रदेश	32.453	चरण-I	अप्रैल-03	प्रश्न का उत्तर दिया गया
19.	एसईसीएल	कोतमा, गोविन्द एवं कोतमा	मध्य प्रदेश	108.278	चरण-I	अक्तूबर-06	टोपो सीटी एवं एफआरए अग्रेषित करना
20.	एसईसीएल	गोविन्द, मीरा एवं कोतमा	मध्य प्रदेश	48.300	चरण-I	मई-06	एफआरए अग्रेषित करना
21.	एसईसीएल	जमुना ओसी	मध्य प्रदेश	25.262	चरण-I	जून-07	प्रश्नों का उत्तर दिया गया
22.	एसईसीएल	रामनगर आरओ यूजी (नई झिरिया इन्क्लाइन)	मध्य प्रदेश	30.583	चरण-I	जुलाई-09	एफआरए की प्रक्रिया की जांच करना

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	एसईसीएल	भदरा कोलियरी	मध्य प्रदेश	5.613	चरण-I	दिसम्बर-06	अतिरिक्त सूचना देना
24.	एनईसी	लेखापानी ओसीपी	असम	235.00	चरण-I	जनवरी-08	
25.	एनईसी	तिकाक एक्स. ओसीपी	असम	72.00	चरण-I	दिसम्बर-08	एफएसी
26.	ईसीएल	चित्रा (ईस्ट) ओसीपी	झारखंड	124.28	चरण-II	नवंबर-07	सीए से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया गया
27.	सीसीएल	गिडी ए ओसीपी (नियमितिकरण प्रस्ताव)	झारखंड	232.42	चरण-II	दिसम्बर-02	कांड. सं. 2 (ए) का संशोधन
28.	सीसीएल	केदला (नियमितिकरण प्रस्ताव)	झारखंड	168.50	चरण-II	दिसम्बर-02	भूमि की अनुसूची सहित राजस्व योजना
29.	सीसीएल	लॉयो यूजी (नियमितिकरण प्रस्ताव)	झारखंड	78.59	चरण-II	जून-02	एफआरए प्रमाण-पत्र, सीए अग्रेषित करना
30.	सीसीएल	केदला यूजी (नियमितिकरण प्रस्ताव)	झारखंड	29.19	चरण-II	जून-02	एफआरए प्रमाण-पत्र, अग्रेषित करना
31.	सीसीएल	पिपरवार रेलवे साईडिंग	झारखंड	29.50	चरण-II	दिसम्बर-04	एफआरए के अंतर्गत स्वीकृति अपेक्षित नहीं
32.	सीसीएल	झारखंड ओसी	झारखंड	6.59	चरण-II	सितम्बर-05	एफआरए अग्रेषित किया गया
33.	एसईसीएल	दिपका ओसी	छत्तीसगढ़	206.638	चरण-II	अप्रैल-05	पौध-रोपण कार्यक्रम की तैयारी
34.	एसईसीएल	घेवरा ओसी	छत्तीसगढ़	564.855	चरण-II	मार्च-05	आबादी एवं गैर-आबादी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
35.	एसईसीएल	धेलवाडीह यूजी	छत्तीसगढ़	355.463	चरण-II	दिसम्बर-99	ग्रामसभा के प्रस्ताव की एनओसी
36.	एसईसीएल	राजगमर यूजी	छत्तीसगढ़	20.000	चरण-II	दिसम्बर-03	प्रश्नों का उत्तर दिया गया
37.	एसईसीएल	राजनगर ओसी	छत्तीसगढ़	4.200	चरण-II	अक्तूबर-06	एफआरए
38.	एसईसीएल	सरायपल्ली ओसी (10वीं योजना)	छत्तीसगढ़	40.534	चरण-II	जुलाई-03	सीए की भिन्न राशि
39.	एसईसीएल	घेवरा ओसी	छत्तीसगढ़	46.198	चरण-II	सितम्बर-04	आबादी एवं गैर-आबादी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	एसईसीएल	घेवरा ओसी	छत्तीसगढ़	192.046	चरण-II	अप्रैल-05	आबादी एवं गैर-आबादी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
41.	एसईसीएल	हल्दीबारी यूजी	छत्तीसगढ़	120.000	चरण-II	मार्च-04	अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध
42.	एसईसीएल	कुर्जा शीतलधारा यूजी	मध्य प्रदेश	126.372	चरण-II	मई-00	एफआर की कार्रवाई अग्रेषित की गई
43.	एसईसीएल	न्यू झरिया यूजी	मध्य प्रदेश	747.920	चरण-II	जून-00	एफआरए की कार्रवाई एवं मूल टोपी सीट
44.	एसईसीएल	कपिलधारा यूजी	मध्य प्रदेश	4.960	चरण-II	अप्रैल-03	एफआरए की कार्रवाई एवं 2 बिन्दुओं वाले प्रश्न

राज्य स्तर पर लंबित वन भूमि के डायवर्जन के मामलों की सूची

क्र. सं.	कंपनी	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर)	चरण	आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	ईसीएल	हुर्रा-सी ओसी	झारखंड	527.04	चरण-II	अगस्त-06
2.	बीसीसीएल	बेरा कोलियरी	झारखंड	64.06	चरण-II	जनवरी-09
3.	बीसीसीएल	धानूडीह कोलियरी	झारखंड	170.02	चरण-II	जनवरी-09
4.	सीसीएल	खासमहल फेस-2 ओसी	झारखंड	26.94	चरण-II	मई-05
5.	सीसीएल	कर्मा ओसी तक संपर्क मार्ग	झारखंड	3.16	चरण-II	जुलाई-03
6.	सीसीएल	राजरप्पा ब्लॉक-2 ओसी	झारखंड	277.15	चरण-I	27.2.2004
7.	सीसीएल	पुंडी ओसी फेस-2	झारखंड	172.81	चरण-I	अक्तूबर-07
8.	सीसीएल	अशोक ओसी फेस-2	झारखंड	91.01	चरण-I	नवम्बर-07
9.	सीसीएल	सयाल-डी प्रोजेक्ट	झारखंड	14.95	चरण-I	सितम्बर-06
10.	सीसीएल	धोरी-ई ओसी	झारखंड	25.40	चरण-I	मई-08
11.	सीसीएल	पुरनाडीह ओसीपी	झारखंड	295.48	चरण-I	अगस्त-08

1	2	3	4	5	6	7
12.	सीसीएल	टोपा ओसीपी	झारखंड	71.58	चरण-I	जुलाई-08
13.	सीसीएल	झारखंड ओसीपी	झारखंड	57.94	चरण-I	दिसम्बर-05
14.	सीसीएल	केडीएच ओसीपी	झारखंड	101.41	चरण-I	फरवरी-05
15.	सीसीएल	पारेज ईस्ट ओसीपी	झारखंड	43.52	चरण-I	दिसम्बर-04
16.	सीसीएल	पिपरवार ओसीपी	झारखंड	43.30	चरण-I	अक्तूबर-05
17.	सीसीएल	सौंदाडीह प्रोजेक्ट	झारखंड	99.69	चरण-I	फरवरी-06
18.	सीसीएल	सिलेक्टेड धारी ओसीपी	झारखंड	143.05	चरण-I	अक्तूबर-05
19.	सीसीएल	उरीमरी ओसीपी	झारखंड	49.97	चरण-I	नवम्बर-05
20.	एनसीएल	निगाही	मध्य प्रदेश	386.00	चरण-I	मई-03
21.	डब्ल्यूसीएल	पीकेडी-2 खान (अवसंरचना के लिए नवीकरण)	मध्य प्रदेश	4.943	चरण-II	जून-04
22.	डब्ल्यूसीएल	शारदा ओसी (जमाई ब्लॉक)	मध्य प्रदेश	9.500	चरण-II	जुलाई-07
23.	डब्ल्यूसीएल	घोरावारी ओसी (भारत कोलियरी) जमाई ब्लॉक	मध्य प्रदेश	19.500	चरण-II	अप्रैल-98
24.	डब्ल्यूसीएल	हरदोल प्रोजेक्ट, अवसंरचना/ इन्क्लाइन के लिए और यूजी खनन के लिए	मध्य प्रदेश	40.700	चरण-II	अप्रैल-99
25.	डब्ल्यूसीएल	हिन्दुस्तान लालपेठ कोलियरी (पोस्ट फैकटो अनुमोदन)	महाराष्ट्र	216.250	चरण-II	नवम्बर-05
26.	डब्ल्यूसीएल	कन्हान काम्ब. ब्लॉक	मध्य प्रदेश	21.594	चरण-I	सितम्बर-97
27.	डब्ल्यूसीएल	टांडसी यूजी (रामपुर ब्लॉक)	मध्य प्रदेश	186.298	चरण-I	अक्तूबर-04
28.	डब्ल्यूसीएल	छत्तरपुर-1 यूजी	मध्य प्रदेश	39.817	चरण-I	सितम्बर-04
29.	डब्ल्यूसीएल	तावा खान-1	मध्य प्रदेश	107.816	चरण-I	मई-07
30.	डब्ल्यूसीएल	शोभापुर यूजी 33 केबी लाइन	मध्य प्रदेश	3.000	चरण-I	जून-02
31.	डब्ल्यूसीएल	शोभापुर यूजी भूमिगत खनन के लिए	मध्य प्रदेश	80.902	चरण-I	जुलाई-07

1	2	3	4	5	6	7
32.	डब्ल्यूसीएल	तावा-2 यूजी विस्तार	मध्य प्रदेश	201.079	चरण-I	मार्च-08
33.	डब्ल्यूसीएल	सतपुरा-2	मध्य प्रदेश	97.143	चरण-I	अगस्त-07
34.	डब्ल्यूसीएल	धनकसा	मध्य प्रदेश	355.716	चरण-I	दिसम्बर-09
35.	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर कोलियरी (नवीकरण)	महाराष्ट्र	138.030	चरण-I	अक्तूबर-02
36.	डब्ल्यूसीएल	चन्दा रैयतवारी कोलियरी (नवीकरण)	महाराष्ट्र	16.060	चरण-I	जुलाई-04
37.	डब्ल्यूसीएल	सिंघोरी ओसी	महाराष्ट्र	15.190	चरण-I	नवम्बर-04
38.	डब्ल्यूसीएल	कुभरखानी यूजी	महाराष्ट्र	46.300	चरण-I	05.10.2005 (18.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया)
39.	डब्ल्यूसीएल	तेलवासा ओसी	महाराष्ट्र	5.370	चरण-I	15.01.1998 (20.04.2009 को पुनः प्रस्तुत किया गया)
40.	डब्ल्यूसीएल	घुघस ओसी	महाराष्ट्र	104.050	चरण-I	अक्तूबर-90
41.	डब्ल्यूसीएल	गोकुल ओसी	महाराष्ट्र	11.900	चरण-I	13.04.2009 (01.03.2012 को पुनः प्रस्तुत किया गया)
42.	डब्ल्यूसीएल	घोंसा ओसी	महाराष्ट्र	24.000	चरण-I	07.07.2009 (18.01.2010 को पुनः प्रस्तुत किया गया)
43.	डब्ल्यूसीएल	दिनेश ओसी (मकरधोकरा-3)	महाराष्ट्र	69.850	चरण-I	नवम्बर-10
44.	डब्ल्यूसीएल	माजरी यूजी से ओसी	महाराष्ट्र	3.680	चरण-I	दिसम्बर-10
45.	डब्ल्यूसीएल	मोटा घाट नाला	महाराष्ट्र	1.230	चरण-I	मार्च-08
46.	एसईसीएल	मानिकपुर ओसी	छत्तीसगढ़	181.177	चरण-II	मार्च-01
47.	एसईसीएल	चुरचा कोलियरी ओरओ यूजी	छत्तीसगढ़	2600.300	चरण-II	अप्रैल-03

1	2	3	4	5	6	7
48.	एसईसीएल	राजगमर यूजी	छत्तीसगढ़	461.800	चरण-II	मार्च-01
49.	एसईसीएल	कुरेशिया कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	469.496	चरण-II	मार्च-01
50.	एसईसीएल	एनसीपीएस कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	1253.905	चरण-II	मार्च-01
51.	एसईसीएल	वेस्ट चिरीमिरी कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	101.402	चरण-II	मार्च-01
52.	एसईसीएल	नार्थ चिरीमिरी कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	550.00	चरण-II	मार्च-01
53.	एसईसीएल	कोरिया कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	232.337	चरण-II	मार्च-01
54.	एसईसीएल	दुमनहिल कोलियरी	छत्तीसगढ़	205.888	चरण-II	मार्च-01
55.	एसईसीएल	कटकोना कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	549.940	चरण-II	अप्रैल-01
56.	एसईसीएल	कटकोना कोलियरी यूजी	छत्तीसगढ़	14.221	चरण-II	अप्रैल-77
57.	एसईसीएल	झारखंड ब्लॉक	छत्तीसगढ़	256.645	चरण-II	अप्रैल-03
58.	एसईसीएल	दिपका ओसी	छत्तीसगढ़	148.866	चरण-II	फरवरी-05
59.	एसईसीएल	राजगमर यूजी	छत्तीसगढ़	419.34	चरण-II	मार्च-06
60.	एसईसीएल	दिपका विस्तार ओसी	छत्तीसगढ़	33.840	चरण-II	जुलाई-05
61.	एसईसीएल	राजनगर आरओ यूजी	मध्य प्रदेश	502.000	चरण-II	मार्च-02
62.	एसईसीएल	झरिया यूजी	मध्य प्रदेश	6.310	चरण-II	अप्रैल-06
63.	एसईसीएल	धनपुरी ओसी	मध्य प्रदेश	4.100	चरण-II	सितम्बर-94
64.	एसईसीएल	दिपका विस्तार ओसी	छत्तीसगढ़	2.306	चरण-I	अप्रैल-07
65.	एसईसीएल	कुसमुण्डा ओसी एवं लक्ष्मन ओसी	छत्तीसगढ़	72.424	चरण-I	मई-05
66.	एसईसीएल	लक्ष्मन ओसी	छत्तीसगढ़	5.702	चरण-I	फरवरी-06
67.	एसईसीएल	बरोद विस्तार ओसी (रॉय वेस्ट)	छत्तीसगढ़	236.560	चरण-I	अगस्त-08
68.	एसईसीएल	कटकोना यूजी	छत्तीसगढ़	200.209	चरण-I	जनवरी-96
69.	एसईसीएल	चुरचा आरओयूजी	छत्तीसगढ़	0.984	चरण-I	अप्रैल-05
70.	एसईसीएल	चुरचा आरओयूजी	छत्तीसगढ़	3.600	चरण-I	जून-07
71.	एसईसीएल	चुरचा आरओयूजी	छत्तीसगढ़	238.210	चरण-I	दिसम्बर-98

1	2	3	4	5	6	7
72.	एसईसीएल	केतकी यूजी	छत्तीसगढ़	211.952	चरण-I	जनवरी-95
73.	एसईसीएल	अमगांव ओसी	छत्तीसगढ़	116.820	चरण-I	नवम्बर-05
74.	एसईसीएल	बिन्कारा यूजी	छत्तीसगढ़	35.386	चरण-I	जनवरी-07
75.	एसईसीएल	दुग्गा ओसी	छत्तीसगढ़	159.392	चरण-I	अगस्त-03
76.	एसईसीएल	महामाया यूजी	छत्तीसगढ़	196.190	चरण-I	अगस्त-05
77.	एसईसीएल	महान-2 ओसी	छत्तीसगढ़	75.055	चरण-I	फरवरी-06
78.	एसईसीएल	कल्याणी यूजी	छत्तीसगढ़	130.680	चरण-I	जनवरी-06
79.	एसईसीएल	भटगांव यूजी	छत्तीसगढ़	230.780	चरण-I	अप्रैल-08
80.	एसईसीएल	चिरीमिरी ओसी	छत्तीसगढ़	12.000	चरण-I	मार्च-05
81.	एसईसीएल	अम्बिका ओसी	छत्तीसगढ़	6.281	चरण-I	नवम्बर-08
82.	एसईसीएल	जामपाली ओसी	छत्तीसगढ़	252.041	चरण-I	दिसम्बर-08
83.	एसईसीएल	एनसीपीएच कोलियरी	छत्तीसगढ़	0.940	चरण-I	अप्रैल-05
84.	एसईसीएल	चिरीमिरी यूजी (बरतुंगा हिल)	छत्तीसगढ़	104.800	चरण-I	जनवरी-09
85.	एसईसीएल	वेस्ट चिरीमिरी कोलियरी	छत्तीसगढ़	11.000	चरण-I	दिसम्बर-08
86.	एसईसीएल	मालगा यूजी	मध्य प्रदेश	182.587	चरण-I	मई-06
87.	एसईसीएल	राजनगर ओसी	मध्य प्रदेश	5.059	चरण-I	अगस्त-07
88.	एसईसीएल	कोतमा वेस्ट, जमुना यूजी, यमुना 9 एवं 10 और भद्रा	मध्य प्रदेश	255.736	चरण-I	दिसम्बर-06
89.	एसईसीएल	कंचन ओसी	मध्य प्रदेश	12.134	चरण-I	अक्तूबर-07
90.	एसईसीएल	विवेक नगर कालोनी एवं विवेक नगर इन्कलाइन	मध्य प्रदेश	32.035	चरण-I	सितम्बर-74
91.	एमसीएल	आरिएंट कोलियरी-1 खान सं. 4	ओडिशा	397.439	चरण-I	जनवरी-09
92.	एमसीएल	भरतपुर ओसी विस्तार फेस-2 (भरतपुर ओसी विस्तार फेस-3)	ओडिशा	134.590	चरण-I	अप्रैल-04

1	2	3	4	5	6	7
93.	एमसीएल	गर्जनबहल ओसी	ओडिशा	88.899	चरण-I	15.06.2001 (06.08.2010 को पुनः प्रस्तुत किया गया)
94.	एमसीएल	गोपाल प्रसाद ओसीपी (जेवी) एमजेएसजे कोल लि.	ओडिशा	86.510	चरण-I	जनवरी-09
95.	एमसीएल	तालाबीरा ओसीपी (जेवी) एमएनएच शक्ति	ओडिशा	687.624	चरण-I	फरवरी-08
96.	एनईसी	तिरप फेस-2 ओसीपी	असम	289.00	चरण-I	सितम्बर-08
97.	एनईसी	पीक्यू ब्लॉक ओसीपी	असम	24.00	चरण-I	सितम्बर-04

[अनुवाद]

कृषि मद से साल के बीजों को हटाना

1671. **श्री वैजयंत पांडा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के आलोक में सरकार निर्यात हेतु निषिद्ध कृषि मदों की सूची से 'साल के बीजों' को हटाने पर विचार कर रही है क्योंकि 'साल के बीज' अति मूल्यवान सामग्री है जिसकी यूरोपीय बाजार में काफी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सूची से साल के बीज को हटाने की समय-सीमा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, साल बीजों को एक्जिम पॉलिसी, 2009-14 की प्रतिबंधित सूची से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और वानिकी प्रजातियों का निर्यात लाइसेंस के तहत अनुमत है।

बालकों का अश्लील चित्रण

1672. **श्री वरुण गांधी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बालकों के अश्लील चित्रण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस अपराध को रोकने के लिए तत्काल कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार एन.सी.आर.बी द्वारा बालकों के अश्लील चित्रण के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2009-2011 के इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील प्रकाशन/प्रसारण (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67) के तहत दर्ज किए गए मामलों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इस प्रकार बच्चों के प्रति अपराध सहित अपराधों का निवारण करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच तथा अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों

तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराध के निवारण तथा नियंत्रण के मामले के सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। गृह मंत्रालय ने बच्चों के प्रति साइबर अपराध का निवारण करने तथा उससे निपटने के लिए दिनांक 04 जनवरी, 2012 को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर स्टाल्किंग, साइबर बुलींग, बालकों के अश्लील चित्रण तथा यौन की दृष्टि से आपत्तिजनक सामग्री के प्रदर्शन इत्यादि से विशेष रूप से निपटने का परामर्श दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील प्रकाशन/प्रसारण के तहत दर्ज किए गए मामले तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील प्रकाशन/प्रसारण					
		दर्ज मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	9	52	3	13	61
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	3	0	0	5
3.	असम	0	5	4	0	0	0
4.	बिहार	0	0	5	0	0	2
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0	2	2	0
6.	गोवा	4	10	6	0	1	2
7.	गुजरात	3	9	6	4	12	5
8.	हरियाणा	0	0	4	0	0	5
9.	हिमाचल प्रदेश	2	4	4	0	5	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	45	37	3	46	17
13.	केरल	44	103	136	37	92	80
14.	मध्य प्रदेश	8	21	40	11	42	43
15.	महाराष्ट्र	25	61	62	46	84	79

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	3	0	0	1
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1	4	3	0	1	1
21.	पंजाब	11	19	36	8	15	19
22.	राजस्थान	11	0	40	9	5	68
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3	9	9	3	9	9
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	10	25	9	26	37
27.	उत्तराखंड	3	6	1	3	3	1
28.	पश्चिम बंगाल	2	9	10	1	3	3
	कुल (राज्य)	135	325	487	139	359	439
	संघ राज्य क्षेत्र:						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	2	2	2	2	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	1	6	0	0	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	4	3	9	2	2	4
	कुल अखिल भारत	139	328	496	141	361	443

[हिन्दी]

पर्यटकों द्वारा महिलाओं और बच्चों का यौन उत्पीड़न

1673. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री लालजी टन्डन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटकों द्वारा महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इनमें से साठ प्रतिशत बच्चे पर्यटकों के अमानवीय व्यवहार के शिकार हो रहे हैं और इनसे स्वापकों की तस्करी भी करायी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, पर्यटकों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में संबंधित आंकड़े एनसीआरबी द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ''पुलिस'' और ''लोक-व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, उनके पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण के प्रति गंभीर रूप से चिन्तित है और यह विभिन्न योजनाओं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी विभिन्न परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का संबर्धन करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा गया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यालयों/संस्थानों में सुरक्षा संबंधी स्थितियों, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक परिवहनों, बच्चें के पार्कों/खेलकूद के ग्राउण्डों, रिहायशी इलाकों/सड़कों इत्यादि में सुधार लाने के सभी कदम सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध-बहुल क्षेत्रों की पहचान की जाए और विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में होने वाले उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।

उपर्युक्त के अलावा, गृह मंत्रालय ने हाल ही में, दिनांक 31 जनवरी, 2012 को गुमशुदा बच्चों के बारे में एक परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बच्चों का दुर्व्यापार रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों के संबंध में सलाह दी गई है। इसमें गुमशुदा बच्चों के पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण, डीएनए प्रोफाइलिंग, एनजीओ एवं अन्य संगठनों की सहभागिता, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने गुमशुदा एवं पाए गए बच्चों का बेहतर तरीके से मिलान करने के लिए गुमशुदा बच्चों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक प्रो-फार्मा भी परिचालित किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी गृह मंत्रालय के परामर्श के अधीन ''गुमशुदा'' और ''पाए गए'' बच्चों की तलाश करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समन्वित बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है।

अम्बेडकर संग्रहालय

1674. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर संग्रहालय के निर्माण/रख-रखाव के लिए प्रदान की गई अनुदानों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त संग्रहालय में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त संग्रहालय में आगंतुकों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय (डॉ. अम्बेडकर स्मारक के नाम से प्रसिद्ध), उस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा अनुरक्षित है। संग्रहालय के रख-रखाव की लागत, प्रतिष्ठान को दी गई कार्पस निधि पर अर्जित ब्याज के माध्यम से पूरी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान रख-रखाव पर किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	किया गया व्यय (लाख रु. में)
2009-10	9.01
2010-11	2.17
2011-12	2.05

(ख) संविदा आधार पर लगाए गए एक दीर्घा परिचर को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक एवं संग्रहालय में इसके सामान्य रख-रखाव के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) स्मारक में डॉ. अम्बेडकर के जीवन और प्रतिष्ठान के कार्यकलापों से संबंधित फोटो दर्शाने वाली फोटो दीर्घा है।

[अनुवाद]

नारियल उत्पादन

1675. **श्री एंटो एंटोनी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल उत्पादकों की स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार नारियल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का नारियल उत्पादकों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी हां। नारियल के तेजी से घटते मूल्य और रोगों एवं नाशीजीवमारों के कारण पॉमों के उत्पादकता में कमी नारियल उत्पादकों की चिंता का मुख्य कारण है।

(ग) 2006-07 से 2009-10 (नवीनतम उपलब्ध) तक देश में नारियल का राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), भारत सरकार निम्नलिखित मुख्य योजनाओं के तहत नारियल उत्पादकों को सहायता उपलब्ध करा रहा है:

प्रदर्शन प्लाट लगाने के लिए 35000/- रुपए प्रति हैक्टेयर और जैविक खाद इकाईयों की स्थापना के लिए 20000/- रुपए प्रति इकाई की दर पर सहायता देने के जरिए वैज्ञानिक नारियल कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'उत्पादकता सुधार हेतु समेकित कृषि'।

प्राकृतिक आपदाओं से नारियल खेती के बचाव के लिए 'नारियल पॉम बीमा योजना'। यह योजना 4-60 वर्ष के आयु-समूह के सभी गिरी वाले स्वस्थ पॉमों को कवर करती हैं। प्रीमियम सीडीबी, राज्य सरकार एवं किसानों द्वारा 50%, 25% एवं 25% के अनुपात में वहन किया जाता है।

लक्षित क्षेत्रों में अधिक रोग से प्रभावित, अनुत्पादक, पुराने एवं जीर्ण पॉमों को हटाने के लिए 13000/- रुपए प्रति पॉम (अर्थात पहले 20 पॉमों के लिए 500/- रुपए की दर पर और 12 पॉम प्रति हैक्टेयर की सीमा तक बाकी पॉमों के लिए 250/- रुपए प्रति पॉम) की क्षतिपूर्ण के साथ 'नारियल बागानों का पुन:रोपण एवं पुनरोद्धार', 7500/- रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर 2 वर्षों के लिए 15000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तथा पुनररोपण के लिए प्रति पौध 20 रुपए की दर पर सहायता से समेकित प्रबंधन पद्धतियों के जरिए विद्यमान बागानों का पुनरोद्धार।

उपरोक्त के अलावा, नारियल किसानों के लाभ के लिए योजनाएं जैसे 'नारियल प्रौद्योगिकी मिशन', 'बाजार संवर्धन और सांख्यिकी' तथा अन्य स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत सरकार ने मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा और पानी वाले भूसी रहित पके नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी निम्न प्रकार सब बढ़ाए हैं:

क्र. सं.	मद	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)		वृद्धि %
		2011	2012	
1.	मिलिंग कोपरा	4525	5100	12.71%
2.	बाल कोपरा	4775	5350	12.04%
3.	पानी वाला भूसीरहित पका नारियल	1200	1400	16.66%

विवरण

2006-07 से 2009-10 (नवीनतम उपलब्ध) तक देश में नारियल का राज्यवार उत्पादन

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5
केरल	6054.00	5641.00	5802.00	3992.00
तमिलनाडु	5429.90	4968.20	5365.00	3692.00
कर्नाटक	1625.00	1635.00	2176.00	1497.00
आन्ध्र प्रदेश	1326.40	1119.26	970.00	104.00
पश्चिम बंगाल	359.10	355.50	355.50	28.60
ओडिशा	275.80	275.80	275.80	51.00
महाराष्ट्र	175.00	175.1 0	175.10	21.00
असम	153.00	136.00	147.10	18.80
गुजरात	138.30	138.30	157.42	16.00
गोवा	126.70	127.60	128.18	25.60
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	89.00	80.60	82.00	21.70
लक्षद्वीप	53.00	533.00	53.00	2.70
पुदुचेरी	27.90	26.60	30.70	2.10
त्रिपुरा	07.00	11.40	11.40	5.80
नागालैंड	00.20	00.20	00.55	0.90
अखिल भारत	15840.30	14743.56	15729.75	1895.20*

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग (बागवानी प्रभाग)

*मीट्रिक टन

शहरी गरीबी

1676. श्री संजय दिना पाटील : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी गरीबी दर घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने देश में शहरी गरीबी को कम करने के लिए अनेक उपाय सुझाव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे प्रभावी कदम क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग द्वारा जारी की गई तेंदुलकर क्रिया-विधि के आधार पर गरीबी के अनुमानों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2004-05 में 25.7% से घट कर वर्ष 2009-10 में 20.09% हो गया है।

(ग) और (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को शहरी गरीबी के बारे में विश्व बैंक से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय वर्ष 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों द्वारा स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करके, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें वेतन रोजगार प्रदान करके शहरी बेरोजगार और शहरी अल्प - रोजगार प्राप्त लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है।

सीएपीएफ में आत्महत्या और नौकरी छोड़ने वाले

1677. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री धर्मेन्द यादव :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री संजय भोई :
श्री सी. शिवासामी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है/अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बल-वार और रैंक-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के पीछे कारणों को ज्ञात करने के लिए कोई अध्ययन/जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ) और असम राइफल्स (एआर) द्वारा दी गई सूचनानुसार, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) और असम राइफल्स (एआर) में आत्महत्या करने/त्याग पत्र देने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की घटनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष		अधिकारी/जी.ओ*			जेजीओ/एसओ*			ओ.आर*			कुल योग
		आत्महत्या	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति*	त्यागपत्र	आत्महत्या	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति*	त्यागपत्र	आत्महत्या	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति*	त्यागपत्र	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	सीआरपीएफ	0	16	13	2	254	35	26	3323	223	3892
	बीएसएफ	2	32	15	4	217	27	20	6070	176	6563
	आईटीबीपी	0	6	5	0	45	3	6	605	87	757

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	एसएसबी	0	2	5	1	57	16	11	305	208	605
	सीआइएसएफ	0	15	6	1	171	104	15	623	220	1155
	एसआर	0	1	1	0	82	0	9	1175	23	1291
	एनएसजी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2010	सीआरपीएफ	1	13	15	1	239	42	26	2552	271	3160
	बीएसएफ	0	18	14	3	171	34	26	5254	134	5654
	आईटीबीपी	0	2	11	0	44	7	5	418	130	617
	एसएसबी	0	7	6	1	49	18	11	391	160	643
	सीआइएसएफ	0	30	6	0	237	179	17	730	431	1630
	एसआर	0	0	4	0	16	0	8	718	19	765
	एनएसजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	सीआरपीएफ	1	26	18	0	277	56	41	2080	274	2773
	बीएसएफ	0	26	14	5	202	42	34	5649	246	6218
	आईटीबीपी	0	2	12	0	45	5	3	342	86	495
	एसएसबी	1	1	6	0	35	7	11	277	99	437
	सीआइएसएफ	0	24	9	1	256	85	10	796	352	1533
	एसआर	0	0	3	1	19	1	7	774	23	828
	एनएसजी	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
2012 (अक्तूबर,	सीआरपीएफ	0	14	29	0	280	83	35	4037	604	5082
2012 तक)	बीएसएफ	0	17	21	0	159	80	34	2519	329	3159
	आईटीबीपी	0	7	5	0	62	1	6	207	63	351
	एसएसबी	0	4	6	0	60	10	7	334	84	505

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सीआइएसएफ	0	13	3	4	155	123	12	549	291	1150
	एसआर	0	0	3	1	12	0	2	304	15	337
	एनएसजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		5	276	230	25	3144	958	386	40032	4548	49604

(*जीओ-राजकीय अधिकारी, *जेसीओ/एसओ-जूनियर कमीशन्ड अधिकारी/अधिनस्थ अधिकारी, *ओ.आर-अन्य रैंक, *वी/आर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)

अधिकांश मामलों में, इनके कारण सामान्यत: वैवाहिक मतभेद, व्यक्तिगत शत्रुता, मानसिक बीमारी, अवसाद आदि जैसी व्यक्तिगत और घरेलू समस्याएं थीं। कुछ मामलों में इनका कारण कार्य से संबंधित तनाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक बच्चों/पारिवारिक मुद्दों, अपनी या परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य/बीमारी, सामाजिक/पारिवारिक दायितव और प्रतिबद्धताओं सहित विभिन्न व्यक्तिगत और घरेलू कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तथा त्यागपत्र दे रहे हैं।

(ग) से (ङ) बलों में तनाव के कारणों के संबंध में तथा उनके बारे में उपचारी कदम सुझाने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर एंड डी) के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया था। इस दल ने जून, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिशें कीं जिन्हें मोटे तौर पर तीन शीर्षों अर्थात् संगठनात्मक (137 सिफारिशें), व्यक्तिगत (8 सिफारिशें) तथा सरकारी (3 सिफारिशें) के तहत बांटा गया है। सरकार कार्मिकों की तनाव संबंधी समस्याओं, उनके कारण और प्रभाव से निपटने के लिए इन सिफारिशों पर पहले ही विचार कर चुकी है ताकि आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके।

इस प्रकार के मामलों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं जिनमें कार्य संबंधी तनाव को कम करना तथा कार्यकरण संबंधी-परिस्थितियों, वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना शामिल है:—

(i) एक पारदर्शी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष छुट्टी नीति का कार्यान्वियन;

(ii) बल के कार्मिकों को छुट्टी प्रदान करना ताकि वे अपनी तात्कालिक घरेलू समस्याओं/मुद्दों/आवश्यकताओं से निपटान कर सके।

(iii) कमांडरों, अधिकारियों और टुकड़ियों के बीच नियमित रूप से, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह की बातचीत करना ताकि उनकी समस्याओं का पता चल सके और उनसे निपटा जा सकें;

(iv) शिकायत-निपटान-तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना;

(v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य के घंटों को विनियमित करना;

(vi) टुकड़ियों और उनके परिवारों को मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करके उनके रहन-सहन की परिस्थितियों सुधारना;

(vii) बढ़े हुए जोखिम, कठिनाई और भत्तों के माध्यम से बलों को प्रेरित करना;

(viii) टुकड़ियों को एस.टी.डी. टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करना ताकि वे परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में बने रहें और दूर-दराज स्थलों में तनाव कम रहे;

(ix) टुकड़ियों और उनके परिवारों को विशेषीकृत सुविधाओं के साथ कम्पोजिट अस्पतालों सहित बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना;

(x) डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों से बात-चीत करवाना ताकि उनकी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याएं दूर हो सकें;

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग एवं ध्यान कक्षाएं;

(xii) मनोरंजन और खेल-कूद सुविधाएं और टीम गेम्स और खेल-कूद आदि का प्रवधान;

(xiii) टुकड़ियों तथा परिवारों को केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन तथा कार्मिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति आदि जैसी कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया करना;

(xiv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक का दर्जा देना जिससे यह आशा उम्मीद है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा तथा यह भी उम्मीद है कि इससे उनकी बेहतर पहचान बनेगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी जिसके फलस्वरूप समाज में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व कार्मिको को अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा।

अवैध आप्रवासी

1678. श्री प्रतापराव गणपरात जाधव :
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध आप्रवासियों की पहचान करने में सरकारी तंत्र असफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ अवैध आप्रवासियों ने धोखाधड़ी करके राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में अवैध आप्रवासियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को वापस भेजने की शक्ति प्राप्त है। अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और वापस भेजने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, जिसे फरवरी, 2011 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। इस प्रक्रिया में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय सीमा पर पकड़े जाने वाले अवैध आप्रवासियों को वहीं से तत्काल वापस भेजना शामिल है।

(ग) से (ङ) कुछ अवैध आप्रवासियों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेने की सूचना मिली है। इस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है, तब संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानून के प्रावधानों के अनुसार यथाअधिदेशित अन्य उपयुक्त उपायों के साथ-साथ ऐसे दस्तावेजों को निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा आत्महत्या

1679. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री आधिशंकर :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री भक्त चरण दास :
श्री संजय धोत्रे :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री बलीराम जाधव :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ और देश के अन्य भागों में किसानों के आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत छह माह के दौरान सूचित ऐसी आत्महत्याओं की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक दीर्घावधि नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के किसानों को संकट में सहायता प्रदान करने के लिए क्या राहत उपाय घोषित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि क्षेत्र के पुनरुद्वार के लिए तथा देश में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2006 में अभिज्ञात जिलों में पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वियन की शुरूआत से ही और किए गए विभिन्न अन्य उपायों से कृषि संबंधी कारणों की वजह से किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की संख्या नहीं बढ़ी है जैसा कि महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ) 2007 दीर्घावधि अवसर वाली है और इसमें देश में किसानों के लाभार्थ वृद्धित उत्पादकता, लाभप्रदता, संस्थागत समर्थन, भूमि के सुधार, जल एवं समर्थन सेवाओं, समुचित मूल्य नीति, जोखिम प्रशमन आदि पर जोर दिया गया है। कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में निवेश, उत्पादकता, उत्पादन तथा आय में वृद्धि करने के लिए इस नीति के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन इत्यादि कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ङ) सरकार द्वारा 2006 में घोषित किए गए पुनर्वास पैकेज में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में छह जिले शामिल किए गए थे जिसे तब से ही कार्यान्वित किया गया है। विदर्भ गहनीकृत सिंचाई विकास कार्यक्रम, जिसमें संरक्षित सिंचाई के अधीन और अधिक कृषि क्षेत्र लाया जाना निहित है, की घोषणा बजट 2012-13 में की गई थी। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र सहित देश में किसानों के लाभार्थ सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाना, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि किया जाना, फसल ऋण पर ऋण माफी, ऋण राहत, ब्याज छूट मुहैया कराया जाना आदि शामिल हैं।

विदेशी नागरिकों का अवैध ठहराव

1680. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रामकिशुन :
श्री बैधनाथ प्रसाद महतो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत का दौरा करने वाले विदेशी नागरिकों विशेषकर पाकिस्तानियों के धर्म-वार आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत का दौरा करने वाले विदेशी नागरिकों की देश और धर्म-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त आगंतुकों में से कुछ अपनी वीजा अवधि के समाप्त होने के बाद भी ठहर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सूचित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अवैध रूप से रह रहे कुछ पाकिस्तानियों ने भारतीयों से विवाह कर लिया है और देश में रोजगार प्राप्त कर लिया है;

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का धर्म-वार आंकड़ा नहीं रखा जाता है। वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष के आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते हुए पाए गए विदेशी नागरिकों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	वर्ष के 31 दिसम्बर के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या
2009	73,441
2010	69,188
2011	71,035

चालू वर्ष के आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

(ङ) और (च) सिविल विवाह का पंजीकरण निर्धारित दस्तावेजों, जिनमें विदेशी नागरिकों के मामले में वैध पासपोर्ट और भारत में रहने के लिए वैध वीजा शामिल है, का सत्यापन कराना के बाद निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारियों के पास करना होता है। भारत में विवाह करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। भारत में विवाह करने वाले विदेशी नागरिकों के सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(छ) देश में अवैध आप्रवासियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की शक्ति प्राप्त है। अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं।

विवरण

वर्ष 2009, 2010, और 2011 के दौरान भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या का ब्यौरा

देश	भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या		
	2009	2010	2011
1	2	2	4
अफगानिस्तान	50446	73389	89605
आस्ट्रेलिया	149074	169647	192592
आस्ट्रिया	27930	32620	36483
बांग्लादेश	468899	431962	463543
बेल्जियम	34759	37709	40478
कनाडा	224069	242372	259017
चीन	100209	119530	142218
चीन (ताइवन)	23464	23915	25916
डेनमार्क	30857	35541	34683
फ्रांस	196462	225232	231423
जर्मनी	191616	227720	240235
इंडोनेशिया	20068	26171	32530
ईरान	34652	49265	43399
इराक	16400	28221	30808
इजराइल	40581	43456	48089
इटली	77873	94100	100889
जापान	124756	168019	193525
केन्या	22704	29223	30045
दक्षिण कोरिया	70485	95587	108680
मलेशिया	135343	179077	208196
मालदीव	55159	58152	53999
म्यांमार	12849	14719	25043
नेपाल	88785	104374	119131
नीदरलैंड	64580	70756	75153
न्यूजीलैंड	30876	37024	36839
नाइजीरिया	18338	23893	33537
ओमान	32971	35485	40577
पाकिस्तान	53137	51739	48640
फिलीपीन	21987	24534	31151
पौलेंड	19656	25424	28499
रूस	94945	122048	144312

1	2	2	4
सउदी अरब	15552	21599	26268
सिंगापुर	95328	107487	119022
दक्षिण अफ्रीका	44308	55688	58430
स्पेन	59047	72591	71405
श्रीलंका	239995	266515	305853
स्वीडन	43327	45028	48690
स्विटजरलैंड	38290	43134	46332
थाइलैंड	67309	76617	92404
यू.एस.ए.	827140	931292	980688
यूनाईटेड अरब अमीरात	47234	45482	66383
यूनाइटेड किंगडम	769251	759494	798249
अन्य*	386988	449861	506263
कुल	5167699	5775692	6309222

*वे देश, जहां से वर्ष 2011 में आने वालों की संख्या 25,000 से कम थी।

[अनुवाद]

समेकित कार्य योजना

1681. **श्री धनंजय सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के नकसल प्रभावित जिलों में कार्यान्वित की जा रही एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) को बंद/पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईएपी देश में नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की कमी को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि आईएपी को समाप्त कर दिया जाता है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) चुनिंदा आदिवासी एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी) जिसमें 82 जिलों को शामिल किया गया है, को फिलहाल वर्ष 2012-13 तक क्रियान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के शष चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) में आई.ए.पी सहित पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान निधि की संरचना के संबंध में निर्णय 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप प्रदान किए जाने पर लिया जाएगा।

एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी) दिनांक 25.11.2010 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें पुलिस अधीक्षक तथा जिला वन अधिकारी भी शामिल हैं, के निपटान पर रखी गई निधियों से शुरू की गई थी। जिला स्तरीय समिति को लोक अवसंरचना एवं सेवाओं के लिए ठोस प्रस्तावों वाली एक योजना तैयार करनी होती है। इस प्रकार चयनित परियोजनाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अल्प समय में ही अच्छे परिणाम दर्शाएं। एकीकृत कार्य योजना के तहत प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय सांसदों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों सहित अन्य चुनिंदा प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त विचार विमर्श किया जाना सुनिश्चित करना होता है।

दो वर्ष की अल्प अवधि में अब तक 5260.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से 3343.58 करोड़ अर्थात लगभग 63.57% (27.11.2012 की स्थिति के अनुसार) के व्यय की सूचना दी गई है। प्रारंभ किए गए लगभग 93310 कार्यों में से, 66146 कार्यों अर्थात लगभग 70.89% कार्यों को पूरा कर लिया गया है।

एकीकृत कार्य योजना अपने मौजूदा रूप में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों तथा विश्वास में कमी को पूरा करने में अहम भूमिका अदा कर रही है। जैसा कि पहले उल्लेख

किया गया है, योजना को इसके मौजूदा रूप में वित्त वर्ष 2012-13 तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष हिस्से के दौरान भी योजना को जारी रखने के संबंध में अंतिम निर्णय सभी संबंधितों से विचार विमर्श करने के उपरांत लिया जाएगा।

अवैध खनन

1682. श्री अजय कुमार :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित देश में 'इंटरजनरेशन इक्विटी' और पर्यावरण अपक्षीणन के आलोक में कोई सतत स्तरीय खनन निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों से कोयले के अवैध व्यापार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और सहायक कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन और व्यापार की प्रवृति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) एक ठोस पर्यावरणीय विधायन है जो खनन प्रचालन को अभिशासित करता है और खनन प्रचालन आरंभ करने से पहले पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। भविष्य में धारणीयता को सुनिश्चित करता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) झारखंड सहित सभी सहायक कंपनियों की अपनी खानों/परियोजनाओं में धारणीय प्रक्रियाओं को अपना रही है। इसके अलावा झारखंड में स्थित सहायक कंपनियों सहित सीआईएल की सहायक कंपनियों में कार्पोरेट पर्यावरणीय नीति का पालन किया जा रहा है। खनन प्रचालन के कारण पर्यावरणीय अवनति से बचने के लिए खनन कार्यकलापों की विभिन्न उप-प्रणालियां इस नीति के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. कोयला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के कारण निष्कर्षण की योजना विवेकपूर्ण तरीके से बनाई जाती है ताकि राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। परियोजनाओं का निर्माण आयोजना स्तर पर ही पारिस्थितिकी अनुकूल तरीके से सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान मे रखते हुए सतत् विकास के सिद्धांत पर किया जाता है।

2. उच्च और आदर्शतम क्षमता वाले नवीनतम खनन उपकरण तथा नवीनतम खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है।

3. एमओईएफ के निदेशानुसार धारणीय खनन सिद्धांतों पर प्रदूषण को कम करने के लिए सभी खानों और अन्य औद्योगिक यूनिटों के लिए ईआईए और ईएमपी तैयार किया जाता है।

4. सतत् खनन के लिए एमओसी (कोयला मंत्रालय) के निदेशानुसार सभी मौजूदा प्रचालनशील खानों/नई परियोजनाओं के लिए विस्तृत खान बंद करने की योजनाएं की जा रही हैं। तकनीकी पुनरूद्धार और जैविकीय पुनरूद्धार द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना और खान बंद करने की योजना में यथा उल्लिखित भूमि-अंत्य उपयोग-योजना के अनुसार खनित किये गए क्षेत्रों का पुनरूद्धार किया जा रहा है। बाह्य डम्पों को भी जैविकीय रूप से पुनरूद्धारित किया जाता है।

5. परित्यक्त/डीग्रेडेड भूमि/खनित क्षेत्रों पर विस्तृत पौध-रोपण किया जा रहा है। स्थानीय प्रजातियों जो खनन से पहले मौजूद थीं, द्वारा अधिमानता के आधार पर वन-रोपण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोयले का अवैध खनन चोरी-छिपे और गुप्त रूप से किया जाता है। अत: कोयले के अवैध खनन के कारण चोरी किये गए कोयले की वास्तविक मात्रा और हुई हानि का पता लगा पाना संभव नहीं है।

तथापि, सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बराम किये गये कोयले की मात्रा और उसका लगभग मूल्य निम्नानुसार है:—

कंपनी	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 जून, 2012 तक) (अनं.)	
		बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रुपए)	बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रुपए)	बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रुपए)	बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रुपए)
ईसीएल	बंगाल पश्चिम	5763.00	67.880	5650.00	113.000	644.00	12.880	0.00	0.00
	झारखंड	2398.00	28.42	1401	26.02	23.42	0.468	0.00	0.000
	कुल	8161.00	96.300	7051.00	139.020	667.42	13.348	0.00	0.000
बीसीसीएल	झारखंड	2127.18	35.932	1309.39	25.031	1182.30	23.918	227.73	4.558
	बंगाल पश्चिम	4.00	0.080	10.97	0.219	0.00	0.000	0.00	0.000
	कुल	2131.18	36.012	1320.36	25.250	1182.30	23.918	227.73	4.558
सीसीएल	झारखंड	30.00	0.300	15.00	0.150	62.00	0.620	0.00	0.000
एनसीएल	उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	मध्य प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	कुल	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	छत्तीसगढ़	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	कुल	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
एमसीएल	ओडिशा	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
एनईसी	असम	0.00	0.000	0.00	0.000	203.86	9.930	0.00	0.000
कोल इंडिया		10322.18	132.612	8386.36	164.420	2115.58	47.817	227.73	4.558

(ङ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है; इसलिए अवैध खनन को रोकने/नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तथापि, अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते है:

(1) अवैध खनन से उत्पन्न रैट होलों को, जहां भी संभव होता है, पत्थर तथा मलबे से डोज आफ किया जा रहा है तथा भरा जा रहा है।

(2) परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनायी गयी हैं, ताकि इन क्षेत्रों में पहुंच तथा अवैध खनन को रोका जा सके।

(3) सुरक्षा कार्मिकों तथा स्थिर सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियमित छापे मारे जाते हैं/जांच की जाती है और रात्रि के दौरान सशस्त्र गार्डों सहित स्थिर सुरक्षा पिकेटों को पिटहैड डिपुओं पर तैनात किया जाता है।

(4) सुरक्षा कार्मिकों और संबंधित राज्य सरकार के कानून तथा व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापे मारे जाते है/जांच की जाती है।

(5) विभिन्न अवैध खनन स्थलों की फेंसिंग की जा रही है जिस पर "खतरनाक तथा निषिद्ध स्थान" वाले साइनबोर्ड लगाये जा रहे हैं।

(6) जिन खनित क्षेत्रों में खनन किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें ओवरबर्डन डम्प किया जा रहा है।

(7) कोयले के अवैध डिपुओं तथा कोयले की अवैध ढुलाई के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करना तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए उसकी सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।

(8) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।

(9) सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा विभाग में नए भर्ती किए गए लोगों को मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(10) कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखती हैं।

(11) सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तर (ब्लॉक स्तर, उप प्रभागीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) पर समिति/कार्यबल का गठन किया गया है ताकि अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं को मॉनिटर किया जा सके।

(12) कोयले के अवैध खनन की आशंका को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोयला राज्य मंत्री और अन्यों वाली एक समिति का गठन किया है ताकि कोयले के अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा सके।

[हिन्दी]

जैव-कृषि

1683. डॉ. भोला सिंह :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि अनुसार देश में राज्य-वार खाद्यान्नों और सब्जियों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऑर्गेनिक/जैव-कृषि के अंतर्गत लाए गए भूमि क्षेत्र की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार को देश में ऑर्गेनिक/जैव कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) देश में खाद्यान्नों और सब्जियों की खेती के तहत क्षेत्र 72085.60 हजार हैक्टेयर और 8813.33 हजार हैक्टेयर है। राज्य-वार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कृषि योग्य 141 मिलियन हैक्टेयर भूमि में से कुल 0.76% भूमि जैविक खेती के तहत लाई गई है। वर्ष 2011-12 के

दौरान वन्य खेती सहित जैविक प्रमाणन के तहत राज्य-वार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जैविक खेती के तहत प्रगति संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(ङ) सरकार प्रति लाभभोगी अधिकतम 30,000/- रुपए के अध्यधीन लागत के 50% की दर पर वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पहले ही समर्थन दे रही है और जैविक खेती के अपनाने के लिए प्रति लाभभोगी 4 हैक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए अधिकतम 10,000/- रुपए प्रति हैक्टेयर के अध्यधीन लागत के 50% की दर पर निधियां भी उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत भी सहायता के इसी प्रकार के मानदंड प्रयोज्य है।

विवरण-I

2011-12 के दौरान देश में खाद्यान्नों और सब्जियों की खेती के अंतर्गत राज्य-वार क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

राज्य	खाद्यान्नों के तहत क्षेत्र चौथा अग्रिम आकलन (केवल खरीफ के लिए)	सब्जी की खेती के तहत क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4333.00	698.32
अडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	6.31
अरुणाचल प्रदेश	0.00	6.34
असम	1822.00	266.00
बिहार	3584.70	852.80
छत्तीसगढ़	4133.50	354.26
दादरा और नगर हवेली	0.00	1.10
दिल्ली	0.00	27.88
गोवा	0.00	6.50
गुजरात	2706.00	517.63
हरियाणा	1981.00	356.77
हिमाचल प्रदेश	400.60	85.68
जम्मू और कश्मीर	631.50	64.02
झारखंड	2240.50	238.55
कर्नाटक	4847.00	479.63
केरल	163.10	149.05
लक्षद्वीप	0.00	0.40
मध्य प्रदेश	4534.80	360.58
महाराष्ट्र	6161.00	546.00
मणिपुर	0.00	20.85
मेघालय	0.00	39.46
मिजोरम	0.00	37.42
नागालैंड	0.00	33.04
ओडिशा	4404.00	690.06
पुदुचेरी	0.00	1.12
पंजाब	2959.50	178.24
राजस्थान	9712.90	147.01
सिक्किम	0.00	25.03
तमिलनाडु	2516.80	170.54

1	2	3
त्रिपुरा	0.00	34.20
उत्तर प्रदेश	8787.00	1008.46
उत्तराखंड	530.00	85.91
पश्चिम बंगाल	4304.90	1324.19
अन्य	1331.80	0.00
अखिल भारत	72085.6	8813.33

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय और राष्ट्रीय बागवानी मिशन

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान जैविक प्रमाणन (वन्य फसल समेत) के अंतर्गत हैक्टेयर में राज्य-वार क्षेत्र

राज्यों के नाम	जैविक क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2
आंध्र प्रदेश	47456.77
अरुणाचल प्रदेश	520.43
असम	2260.84
बिहार	1446.97
छत्तीसगढ़	301435.49
दिल्ली	1.50
गोवा	153684.58
गुजरात	52690.66
हरियाणा	24792.26
हिमाचल प्रदेश	933798.22
जम्मू और कश्मीर	26934.26
झारखंड	29794.42
कर्नाटक	119754.32
केरल	15790.49
लक्षद्वीप	891.93
मध्य प्रदेश	440095.27
महाराष्ट्र	248564.62
मणिपुर	1296.91
मेघालय	1344.77
मिजोरम	7023.97
नागालैंड	9057.30
ओडिशा	43868.18
पंजाब	7862.14
राजस्थान	228425.58
सिक्किम	25716.55
तमिलाडु	38637.82
त्रिपुरा	4.05
उत्तर प्रदेश	2641165.31
उत्तराखंड	125011.09
पश्चिम बंगाल	19095.55
कुल	5548422.25

स्रोत: कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

विवरण-III

2005-06 से 2011-12 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जैविक खेती घटक के तहत प्रगति

राज्य	जैविक खेती अपनाना (हैक्टेयर)	वर्मी कम्पोस्ट इकाई (सं.)	प्रमाणन (हैक्टेयर)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9815.00	12640.00	1601.00
बिहार	1245.24	13053.00	1000.00
छत्तीसगढ़	8809.20	73360.00	105.00
दिल्ली	3.00	112.00	0.00
गोवा	1424.60	44.00	7.00
गुजरात	9497.16	1080.00	6000.00
हरियाणा	11540.00	3957.00	10181.00
झारखंड	4672.00	4642	42.00
कर्नाटक	18669.20	16228	7483.00
केरल	15950.22	6126	520.00
लक्षद्वीप	0.00	0	0.00
मध्य प्रदेश	10406.75	2680	3050.00
महाराष्ट्र	5827.19	8847	255.00
ओडिशा	5000.00	3712	2502.00
पुदुचेरी	0.00	0	0.00
पंजाब	6300.00	1255	3192.00
राजस्थान	4227.25	2681	1000.00
तमिलनाडु	12482.96	1217	0.00
उत्तर प्रदेश	30240.20	4520	0.00
पश्चिम बंगाल	6332.00	100166	1.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	190.00	0	0.00
कुल	162631.97	256320.00	36939.00

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), डीएसी

[अनुवाद]

राशन राशि भत्ता

1684. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री संजय भोई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सैन्य कार्मिकों की तरह ही सब्सिडी युक्त दरों पर एलपीजी सिलेंडरों की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सीआरपीएफ और अन्य सीएपीएफ ने ईंधन मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में अपनी राशन राशि भत्ते में वृद्धि का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने गृह मंत्रालय से एल.पी.

जी. की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी के मद्देनजर राशन राशि भत्ते में संशोधन के लिए रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क करने अथवा सी.ए. पी.एफ.एस की टुकड़ियों को रियायती दरों पर एल.पी.जी की आपूर्ति करने के लिए पेट्रोलियम गैस मंत्रालय से सम्पर्क करने का अनुरोध किया है।

रक्षा मंत्रालय से राशि राशि भत्ते की दरों की पुनरीक्षा और संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना

1685. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री गणेश सिंह :
श्री समीर भुजबल :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण खेल कार्यक्रम को खेल कार्यकलापों/कार्यक्रमों के आधार को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी हुई प्रतिभाओं को आकार देने के लिए प्रारंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खेल विधा-वार और राज्य-वार आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त कार्यक्रम किस स्तर तक सफल रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कबड्डी, खो-खो और क्रिकेट सहित विभिन्न खेल विधाओं के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं देने हेतु कोई नीति बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका), नामक एक योजना चला रही है। वर्ष 2008-09 में लागू की गई इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में एक चरणबद्ध तरीके से खेल मैदानों का विकास करना तथा ग्रामीण युवाओं को भागीदारी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक से राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। पायका योजना के अंतर्गत 58,153 ग्राम/ब्लॉक पंचायतें कवर की गई हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा खेल विधा-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। पायका के दो निकाय अर्थात्, सामान्य परिषद् (जीसी) और कार्यकारी परिषद् (ईसी) हैं जो इस योजना की प्रगति को मॉनीटर करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों (खेल) को भी इन निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अपनी बैठकों में जीसी और ईसी विशेषकर उनकी प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में राज्यों के कार्य निष्पादन और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समीक्षा करते हैं। राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समितियां और जिला स्तरीय कार्यकारी समितियां हैं। इस योजना को पायका प्रेक्षकों जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और मिशन निदेशालय पायका के प्रोजेक्ट अधिकारी जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का यादृच्छिक दौरा करते हैं, द्वारा भी मॉनीटर किया जा रहा है। पायका प्रेक्षकों और परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए विश्लेषण किया जाता है।

(ङ) और (च) खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण की मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों को पहले से ही सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण

पायका योजना के अधीन खेल के मैदानों के विकास और वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (31 अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जारी किया गया राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10 जारी की गई राशि		2010-11 जारी की गई राशि		2011-12 जारी की गई राशि		2012-13 (31.10.2012 तक) जारी की गई राशि	
		खेल के मैदान	प्रतियोगिता	खेल के मैदान	प्रतियोगिता	खेल के मैदान	प्रतियोगिता	खेल के मैदान	प्रतियोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12.99	0.95	25.98	11.26	25.98	—	10.63	11.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.44	—	10.51	2.05	—	—	—	—
3.	असम	3.85	—	—	3.34	—	—	10.28	—
4.	बिहार	5.02	3.42	—	6.19	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	5.06	1.17	—	2.01	—	2.23	25.27	2.31
6.	गोवा	0.18	—	—	0.26	—	—	0.18	—
7.	गुजरात	7.10	—	02.55	2.69	13.43	—	—	—
8.	हरियाणा	3.25	1.10	14.43	1.81	5.09	1.60	—	0.84
9.	हिमाचल प्रदेश	2.01	0.71	08.80	1.33	3.66	1.23	6.34	1.26
10.	जम्मू और कश्मीर	2.10	—	—	2.10	0.56	—	—	—
11.	झारखंड	2.39	—	—	3.16	2.40	—	—	—
12.	कर्नाटक	3.12	1.42	14.86	2.94	—	2.17	9.61	3.27
13.	केरल	0.80	—	11.17	1.32	—	0.23	10.36	—
14.	मध्य प्रदेश	—	2.64	—	4.79	39.99	4.92	—	4.75
15.	महाराष्ट्र	4.86	—	41.94	4.36	—	—	—	3.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	—	0.47	—	—	0.22	—	—	1.02
17.	मेघालय	1.06	—	01.19	0.79	1.72	0.09	—	0.67
18.	मिजोरम	0.21	0.37	02.27	0.71	2.07	0.10	2.07	1.29
19.	नागालैंड	0.30	0.56	02.96	0.13	4.70	—	—	1.03
20.	ओडिशा	8.05	2.11	05.98	4.27	7.34	—	11.86	4.39
21.	पंजाब	6.27	1.18	26.66	1.85	—	—	—	0.24
22.	राजस्थान	4.72	1.93	—	—	2.75	1.72	—	3.88
23.	सिक्किम	0.13	0.32	02.02	—	1.66	1.20	2.51	1.12
24.	तमिलनाडु	1.91	2.62	03.24	5.10	4.09	—	—	0.44
25.	त्रिपुरा	—	0.36	—	0.78	—	0.79	—	0.92
26.	उत्तर प्रदेश	16.96	2.55	62.27	9.47	18.39	8.20	—	—
27.	उत्तराखंड	5.90	1.03	19.43	1.47	—	1.39	3.38	1.28
28.	पश्चिम बंगाल	2.32	—	02.32	3.31	—	—	—	—
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	01.06	—	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—			0.03				
31.	दमन और दीव		—	—	—	—	—	0.14	—
32.	लक्षद्वीप		—	00.51	—	—	—	10.63	—
33.	पुदुचेरी		—	—	—	—	—	—	—
34.	एनवाईकेएस (ग्रामीण प्रतियोगिता)		—	—	3.22	—	—	—	—
35.	पायका (अंतर-स्कूल प्रतियोगिता)		—	—	4.11	—	5.10	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	साई राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए		5.09	—	—	—	—	—	—
36.	तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाओं (टीएससीबीएस) के लिए स्थांतरित निधियां		—	5.00	—	—	—	1.50	—
	कुल	105.00	30.00	260.84*	84.85**	134.05	30.97	94.13	43.65

*इसमें 69.45 लाख रुपए की वह राशि शामिल नहीं है जो साई के पास उपलब्ध बिना खर्च की गई निधि में से पुदुचेरी को जारी की गई थी।

**इसमें 3.20 करोड़ रुपए की वह राशि शामिल नहीं है जो साई के पास उपलब्ध बिना खर्च की गई शेष निधि में से एनवाईकेएस को अंतर विद्यालय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए जारी की गई थी।

[अनुवाद]

मछुआरों हेतु स्कीम

1686. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :**
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री मनोहर तिरकी :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मछली के विपणन हेतु अवसंरचना विकास जलाशय और झींगा कृषि स्कीम और राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि स्कीम के अंतर्गत स्वीकृति हेतु कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत स्कीमों के नाम क्या हैं;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या बीपीएल परिवारों के मछुआरे ऐसी स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इन स्कीमों हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियां कितनी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार को इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अधीन विचार करने के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अधीन, बचत एवं राहत घटक पूर्ण रूप से केवल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है जबकि कम लागत वाले मकानों जैसे अन्य घटकों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को तरजीह

दी जाती है। इसी प्रकार, समुद्री मात्स्यिकी के विकास के अधीन, हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी) पर सब्सिडी से संबंधित घटक पूर्ण रूप से गरीबी की रेखा से नीचे के मछुआरों के लिए है। योजना-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान में केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अधीन जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए)

योजनाओं के नाम	जारी की गई धनराशि			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास	2,074.95	2,294.31	2,985.40	2,074.62
समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों का विकास	6,211.42	7,811.43	7,592.91	5,914.86
राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना	3,623.19	4,194.48	4,456.03	3,107.94
मात्स्यिकी के क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1,008.36	947.02	432.54	292.71
बायोमीट्रिक आई.डी. कार्ड	3,300.00	—	—	—
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी)	8,232.00	11,922.00	11,920.00	7,200.00
आर.के.वी.वाई के अधीन राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन (एन.एम.पी.एस	—	—	10,002.00	20,026.00 (अनुमोदित)

अनाज भंडारण प्रबंधन

1687. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान के साथ खाद्यान्नों के उपज पश्चात् प्रबंधन हेतु कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के उपरांत खाद्यान्नों की फसल क्षतियों को किस हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार

ने खाद्यान्नों के फसलोत्तर प्रबंधन हेतु अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि खाद्यान्नों के फसलोत्तर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के नियंत्रणाधीन एक संस्थान है, को एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भंडारण निगम और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम खाद्यान्नों के फसलोत्तर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान का विकास करने के लिए इसके प्रशिक्षण कार्यों एवं संबद्ध सुविधाओं को अधिग्रहित करेगा।

कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम

1688. **चौधरी लाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम हेतु विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) हाल ही में किसानों के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि कृषि मंत्रालय की कई चालू योजनाओं में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कौशल विकास का घटक अन्तर्निहित है। इन कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर वास्तव में व्यय की गई निधियों के ब्यौरे का सार संलग्न विवरण-II में दिया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों (जिसमें किसानों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर हुआ व्यय शामिल है) के आयोजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (एससीएआर) द्वारा निर्मुक्त निधियों को संलग्न विवरण-II के भाग (x) में सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण घटक के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

किसानों के कौशल विकास एवं उन्हें प्रशिक्षण देने वाली योजनाएं

I. **कृषि और सहकारिता विभाग**

(i) **विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन:** समूचे देश में 28 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में 614 ग्रामीण जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थाएं (एटीएमए) स्थापित की गई हैं। योजना के तहत शुरू किए गए कार्याकलापों में विस्तार कार्मिकों और किसानों की क्षमता निर्माण, फ्रंटलाईन प्रदर्शन, एस्सपोजर दौरे, किसान मेले, किसान समूहों का संघटन, फार्म स्कूल एवं किसानों-वैज्ञानिकों की बातचीत शामिल है। फार्म स्कूल एक फसल मौसम की 6 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में प्रत्येक के दौरान कम से कम एक पारस्परिक वार्ता सत्र के जरिए किसानों को पूरे मौसम के दौरान तकनीकी समर्थन/प्रशिक्षण देते हैं।

(ii) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) :** एनएफएसएम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में से कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) किसानों को उनके खेतों में प्राथमिक जानकारी देने और अधिक उत्पादकता के लिए उन्हें उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के आवश्यक कौशल से परिचित कराने के लिए वृहत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें उन्नत पद्धति पैकेज (जैसे चावल सघन पद्धति) का प्रदर्शन और गेहूं, चावल एवं दलहनों की उन्नत किस्मों/संकरों का संवर्धन शामिल है। मिशन क्षेत्रों के सभी किसान एफएफएस में भाग

लेने के पात्र हैं। ये पूरे फसल मौसम में सप्ताह या पन्द्रह दिनों में एक दिन के लिए कुल 8 से 20 सत्रों में आयोजित किए जाते हैं। पौध संरक्षण योजना और कपास/पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत भी एफएफएस आयोजित किए जा रहे हैं।

(iii) **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)** : प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए मानव संसाधन विकास एनएचएम का एक अभिन्न घटक है। इस मिशन के तहत बागवानी के उभरते मुद्दों पर जिला स्तर, राज्य स्तर और राज्य से बाहर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iv) **पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)** : पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में चालू एचएमएनईएच योजना में किसानों के प्रशिक्षण/एक्सपोजर दौरे के जरिए प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण का घटक भी है।

(v) **गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण** : संकर चावल बीज उत्पादन के लिए तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों एवं बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए उनका कौशल विकास किया जाता है।

(vi) **राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना** : उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए किसानों के प्रशिक्षण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vii) **प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए कृषि मशीनीकरण का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण** : प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रदर्शन के जरिए किसानों तथा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं में कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में सूचना और नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रचार किया जा रहा है।

(vii) **'फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन** : फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को सहायता दी जा रही है।

(ix) **समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का योजना (आईसोपाम)** : नई किस्मों, नाशीजीव प्रबंधन/नियंत्रण से संबंधित नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और नए उपकरणों समेत नई पैकेज पद्धति के क्षेत्र में किसानों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

(x) **कृषि विज्ञान केन्द्र** : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 630 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के नेटवर्क का सृजन किया है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी/उत्पादों का आकलन, परिष्करण और प्रदर्शन शामिल है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किसानों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए केवीके कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च की गई वास्तविक राशि

(i) "विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" स्कीम के तहत फार्म स्कूल और प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	599.19	247.75	419.10
2.	बिहार	549.16	887.79	1176.76
3.	छत्तीसगढ़	141.10	81.07	183.98
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	58.28	175.42	561.82
6.	हरियाणा	66.81	74.85	108.41

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	129.81	81.48	187.25
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	57.80	24.36
9.	झारखंड	12.83	108.97	474.78
10.	कर्नाटक	140.55	108.10	180.10
11.	केरल	299.28	203.50	429.90
12.	महाराष्ट्र	303.65	456.94	1074.23
13.	मध्य प्रदेश	845.40	369.73	554.33
14.	ओडिशा	477.50	365.40	821.60
15.	पंजाब	107.92	83.25	113.58
16.	राजस्थान	130.82	338.53	717.59
17.	तमिलनाडु	215.50	515.65	1113.68
18.	उत्तर प्रदेश	1254.76	675.36	1397.89
19.	उत्तराखंड	196.45	143.37	153.46
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	308.19	205.76
21.	असम	95.50	68.08	115.52
22.	अरुणाचल प्रदेश	68.40	152.08	104.54
23.	मणिपुर	41.79	42.40	81.39
24.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
25.	मिजोरम	31.64	43.86	55.36
26.	नागालैंड	2.45	15.30	57.64
27.	त्रिपुरा	42.60	33.70	177.76
28.	सिक्किम	16.14	52.71	47.46
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	0.00	2.82	3.89
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.55	12.54	25.03
	कुल	5848.08	5706.64	10567.17

(ii) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" के तहत कृषक फील्ड स्कूल के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	343.72	112.383	62.039
2.	असम	22.1	82.45	62.56
3.	बिहार	171.02	0	0
4.	छत्तीसगढ़	129.42	85.88	53.57
5.	गुजरात	35.151	45.12	27.16
6.	हरियाणा	23.22	23.65	26.48
7.	झारखंड	33.99	29.41	38.59
8.	कर्नाटक	60.178	46.88	46.504
9.	मध्य प्रदेश	305.88	237.61	306.01
10.	महाराष्ट्र	194.35	149.83	240.28
11.	ओडिशा	124.78	124.44	84.49
12.	पंजाब	63.75	54.16	39.95

1	2	3	4	5
13.	राजस्थान	23.39	38.92	24.12
14.	तमिलनाडु	85.086	66.36	41.81
15.	उत्तर प्रदेश	629.934	468.294	344.587
16.	पश्चिम बंगाल	153.85	93.808	65.595
17.	जम्मू और कश्मीर	0	0	2.55
18.	केरल	8.5	3.91	2.89
19.	त्रिपुरा	0	0	0
	कुल	2408.319	1663.105	1469.185

(iii) "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	147.16	123.25	168.3
2.	बिहार	21.77	0	0
3.	छत्तीसगढ़	229.51	133.59	6.29
4.	गोवा	15.94	0.86	0.87
5.	गुजरात	0	18.28	18.28
6.	हरियाणा	101.81	37.83	67.83
7.	झारखंड	42.5	8.8	16.34
8.	कर्नाटक	191.78	24.93	42.87
9.	केरल	0	16.55	16.05
10.	मध्य प्रदेश	146.97	84.05	100.28
11.	महाराष्ट्र	29.79	6.76	138.51
12.	ओडिशा	44.63	4.76	10.2
13.	पुदुचेरी	0	0	0
14.	पंजाब	6.8	5.37	11.88
15.	राजस्थान	0	10.92	18.83
16.	तमिलनाडु	340	85	85
17.	उत्तर प्रदेश	469.2	96.52	81.3
18.	पश्चिम बंगाल	0	58.91	6.35
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	5.21
	कुल	1787.9	716.38	794.39

(iv) "पूर्वोत्तर और हिमाचली राज्यों हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन" के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	99.75	155.03	109.28
2.	असम	74	13	36
3.	मणिपुर	68.15	115.1	81.28
4.	मेघालय	225	12.25	25.58
5.	मिजोरम	82	122	85.5
6.	नागालैंड	77.5	88.95	65.45

1	2	3	4	5
7.	सिक्किम	100.5	49.05	82.93
8.	त्रिपुरा	122.5	62.39	61.99
9.	जम्मू और कश्मीर	46.74	109.94	174.78
10.	हिमाचल प्रदेश	0	118.4	345.43
11.	उत्तराखंड	81.7	20.75	189.23
	कुल	977.84	866.86	1257.45

(v) "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना" स्कीम के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	0	22
2.	बिहार	7.6	0	0
3.	छत्तीसगढ़	0	2	0
4.	गुजरात	0	0	2.5
5.	हरियाणा	0	2.1	0
6.	हिमाचल प्रदेश	3	0	0
7.	झारखंड	0.8	0	0
8.	कर्नाटक	11.7	0	0
9.	केरल	2.8	0	0
10.	मणिपुर	5	0	0
11.	त्रिपुरा	4	0	0
	कुल	45.9	4.1	24.5

(vi) "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास और सुदृढ़ीकरण-संकर चावल बीजों को बढ़ावा देने संबंधी घटक" स्कीम के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	हरियाणा	0.60	0.0	0
2.	कर्नाटक	1.35	0.45	0
3.	महाराष्ट्र	0.75	0.75	0.75
4.	तमिलनाडु	0.08	0	0
	कुल	2.78	1.20	0.75

(vii) "प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण" स्कीम के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश		49.4	0
2.	बिहार		75	16
3.	झारखंड		0	100
4.	छत्तीसगढ़		17.41	16
5.	हरियाणा		138.28	0
6.	हिमाचल प्रदेश		26.95	70
7.	जम्मू और कश्मीर		0	0
8.	झारखंड		0	0

1	2	3	4	5
9.	मध्य प्रदेश		61.2	100
10.	महाराष्ट्र		0	100
11.	मणिपुर		210	173.98
12.	मेघालय		0	0
13.	मिजोरम		0	85.05
14.	नागालैंड		2.8	13.39
15.	ओडिशा		109.09	152.55
16.	राजस्थान		0	19
17.	सिक्किम		0	113.63
18.	तमिलनाडु		32.39	18.49
19.	त्रिपुरा		116.2	0
20.	उत्तर प्रदेश		16.59	0
21.	पश्चिम बंगाल		0	150
	कुल		855.31	1128.09

(viii) "फसलोंपरान्त प्रौद्योगिकी और प्रबंधन" स्कीम के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		0	20.8
2.	अरुणाचल प्रदेश		5.42	0
3.	बिहार		0	17.26
4.	छत्तीसगढ़		66.5	0
5.	झारखंड		0	0
6.	कर्नाटक		0	128.68
7.	केरल		0	0
8.	मध्य प्रदेश		44.45	189
9.	महाराष्ट्र		0	0
10.	मणिपुर		114.78	0
11.	मेघालय		0	0
12.	नागालैंड		25	84.8
13.	ओडिशा		0	0
14.	राजस्थान		25	0
15.	उत्तराखंड		0	5.2
	कुल		281.15	445.74

(ix) "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम)" स्कीम के अधीन कृषक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.04	20.71	0
2.	बिहार	14.06	21.14	30.45
3.	छत्तीसगढ़	10.65	0	0
4.	गुजरात	25.7	62.1	65.68

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	3.75	5.7	5.25
6.	कर्नाटक	11.15	19.65	18.02
7.	मध्य प्रदेश	351.76	42.09	16.96
8.	महाराष्ट्र	71.05	76.13	0
9.	ओडिशा	35.33	235.5	318.3
10.	पंजाब	7.05	6	0
11.	राजस्थान	27.21	27.81	32.73
12.	तमिलनाडु	30	30	42.75
13.	उत्तर प्रदेश	80.69	146.86	126.98
14.	पश्चिम बंगाल	6.03	0	7.65
	कुल	680.47	693.69	664.77

(x) पिछले तीन वर्षों के दौरान "कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके)" प्रयोजक संस्थाओं को मुहैया कराई गई राज्य/संघ क्षेत्र-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केवीके के लिए वर्ष वार उपलब्ध कराई गई निधियां (लाख रुपए)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	103.55	108.68	180.4
2.	आन्ध्र प्रदेश	1033.24	2272.91	2410.8
3.	अरुणाचल प्रदेश	719.48	1320.52	1215.2
4.	असम	1207.61	2070.84	2036.03
5.	बिहार	1685.54	3548.51	2313.31
6.	छत्तीसगढ़	660.78	1518.1	1088.99
7.	दिल्ली	78.5	152.84	97.87
8.	गोवा	137.5	265.83	178.25
9.	गुजरात	1405.14	2816.89	2143.81
10.	हरियाणा	1173.09	2114.65	1481.79
11.	हिमाचल प्रदेश	812.95	1464.99	1109.93
12.	जम्मू और कश्मीर	737.61	1446.59	984.56
13.	झारखंड	1050.5	2276.66	1859.42
14.	कर्नाटक	1374.39	3172.47	2379.97
15.	केरल	769.59	1441.55	1130.99
16.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	41.8	76.65	47.75
17.	मध्य प्रदेश	1849.61	3680.82	2961.92
18.	महाराष्ट्र	1722.87	3511.66	3468.8
19.	मणिपुर	576.98	916.45	1078.91
20.	मेघालय	195.08	291.85	208.35
21.	मिजोरम	570.45	630.04	785.67
22.	नागालैंड	645.3	1291.97	753.79
23.	ओडिशा	1468.72	2891.72	2158.83
24.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	94.8	214.52	224.15
25.	पंजाब	1007.06	1793.82	1687.85
26.	राजस्थान	1944.89	4299.43	4200.2
27.	सिक्किम	327.52	624.88	361.39

1	2	3	4	5
28.	तमिलनाडु	1651.95	39.45	2642.36
29.	त्रिपुरा	138.28	252.98	206.45
30.	उत्तर प्रदेश	3153.73	6560.1	5600.28
31.	उत्तराखंड	668.54	1233.02	890.32
32.	पश्चिम बंगाल	919.57	2020.34	1303.92
	कुल	29926.62	60227.28	49192.26

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के दक्षता विकास और प्रशिक्षण घटक के अधीन उपलब्धियां

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कवर किये गए किसानों की संख्या		
		2009-10	2010-11	2011-12
I.	**कृषि एवं सहकारिता विभाग**			
1.	विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन	1107795	781110	1418429
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	444780	327540	283200
3.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)	197121	89466	70148
4.	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)	37426	99832	163813
5.	गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण-संकर चावल को बढ़ावा देना	927	400	250
6.	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना	10360	1420	4900
7.	प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण	—	27232	22260
8.	फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन	—	2540	2991
9.	समेकित तिलहन, दलहन, आयलपात एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम)	226823	231230	221590
II.	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (आईसीएआर)**			
10.	कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों का प्रशिक्षण	1437000	1523000	1468000

[हिन्दी]

कृषि सूचना केन्द्रों की स्थापना करना

1689. **श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री कादिर राणा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि सूचना केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, नहीं। तथापि, जिला स्तर पर स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और जिला स्तर तथा इससे नीचे के स्तर पर तैनात राज्य सरकार के अन्य विस्तार कर्मी कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि उद्यमियों, निजी क्षेत्रों, एनजीओ आदि के सहयोग से कृषि से संबंधित सूचना का प्रसार करते हैं। एटीएमए के तहत जिला और ब्लॉक स्तरों पर तैनात विस्तार कर्मी नीचे पंचायत/ग्राम स्तर तक दौरा भी करते हैं। किसान काल केन्द्र और प्रिन्ट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इन प्रयासों का अनुपूरण करते हैं।

इस स्कीम के तहत कृषक उन्मुखी विस्तार कार्यकलापों के कार्यान्वयन विशेषकर कृषक मित्रों और लाभभोगियों के चयन में पंचायतों को शामिल किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

कृषि विपणन

1690. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री निशिकांत दुबे :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों पर बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृषि उपज के विपणन में सुधार के लिए कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में बिचौलिए को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार कृषि विपणन में सुधार के लिए सहकारी समितियों को मजबूत करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के जरिए एक मूल्यांकन अध्ययन यह देखने के लिए किया गया कि (i) क्या एमआईएस के लक्ष्य प्राप्त किए गए? (ii) प्रचालन का आकार क्या होना चाहिए (iii) हानि कम करने के क्या संभव तरीके हैं और (iv) क्या यह एक प्लान स्कीम हो सकती है? एनसीएईआर ने जनवरी, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कई संस्तुतियां कीं। इसके पश्चात, एक कार्यदल गठित किया गया और इसकी संस्तुतियों के आधार पर जुलाई, 2001से विद्यमान एमआईएस योजना प्रचालन में है।

(ग) से (छ) 'कृषि विपणन' एक राज्य विषय है और राज्यों ने अपने-अपने उठाए गए कदमों में थोक बिक्री विपणन के विनियमन के लिए विधान लागू किए हैं। कृषि विपणन में सुधार लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 2003 में एक माडल एपीएमसी अधिनियम तैयार किया और इसे अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया। मॉडल अधिनियम में सीधे विपणन, ठेका कृषि, किसान/उपभोक्ता बाजार, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना और ई-ट्रेडिंग इत्यादि का प्रावधान है जिसका उद्देश्य मध्यस्थता घटाने के जरिए किसानों को वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी विपणन चैनल उपलब्ध कराना और प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इसी प्रकार, सहकारिता

भी एक राज्य विषय है। इसलिए संबंधित राज्यों ने अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियम लागू किए हैं जिसके तहत कृषि सहकारी विपणन समितियां कार्य करती हैं। ये कृषि सहकारी विपणन समितियां बिचौलियों को रोकने के लिए किसानों को सीधे विपणन सहायता देती हैं और सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर उनके उत्पादों के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। भारत सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी नीति को तैयार करना, प्रो. वैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन, सहकारिताओं के संदर्भ में संविधान में संशोधन और बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को लागू करना शामिल हैं। इसके साथ ही, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारिताओं के संवर्धन और विकास के लिए भी उन्हें वित्तीय सहायता देता है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) विभिन्न सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए सहकारिताओं में मानव संसाधन विकास का कार्य करती हैं।

ऋण जोखिम गारंटी निधि

1691. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री पी. लिंगम :
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि की स्थापना की गई है और सभी राज्यों को सभी शहरी क्षेत्रों में इन मानकों को लागू करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार और हरित इमारतों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन, विकास अधिकारों का अंतरण और 'फ्लोर स्पेस इंडेक्स' प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) को 1 मई, 2012 को पंजीकृत किया गया है और योजना को अधिसूचित कर दिया गया है। ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी), ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना को संचालित और प्रचालित करेगा। इस योजना के अंतर्गत निधि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय आवास समूहों को किसी तीसरे पक्षकार की गारंटी अथवा सामूहिक प्रतिभूति के बिना 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने वाली ऐसी ऋणदात्री एजेंसियों को आवास ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करेगी।

इस योजना के अंतर्गत गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थान नामत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई), राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शीर्ष सहकारी आवास वित्त सोसाईटियां तथा राष्ट्रीय आवास निगम (एनएचबी) के पास पंजीकृत आवास वित्तीय संस्थान हैं।

ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना मांग आधारित योजना है और यह शहरी क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदत्त पात्र आवास ऋण के लिए लागू होती है। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत कवरेज को सांविधिक नगरों, शहरी समूहों और आयोजना क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सहभागिता में किफायती आवास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के अंतर्गत पहले से ही आयकर से छूट दी गई है।

विकास अधिकारों के अंतरण और तल क्षेत्र सूचकांक, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भवन निर्माण के विनियमन के संबंध में राज्य सरकारों को ही अतिरिक्त तल क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) की अनुमति देनी और विकास अधिकारों के अंतरण (टीडीआर) के ढांचे का निर्माण करना आपेक्षित है ताकि अधिक हरित भवनों को प्रोत्साहित किया जा सके। राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को स्लमों का पुनर्विकास करने में निजी क्षेत्र द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने और भूमि के उपयोग के क्षेत्र, तल क्षेत्र अनुपात आदि में रिआयतें प्रदान कर सहभागिता करने के लिए नए तरीकों से प्रोत्साहित करने की लोचशीलता प्रदान की गई है।

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर

1692. शेख सैदुल हक :
श्री भक्त चरण दास :
श्री बी.वाई राघवेन्द्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन और वृद्धि दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक पद्धतियां प्रयुक्त करने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान खाद्यान्न उत्पादों के उत्पादन एवं वृद्धि दरों के ब्यौरे (केवल खरीफ) नीचे दिये गए हैं:

(मिलियन टन)

वर्ष	मौसम	खाद्यान्नों का उत्पादन	उत्पादन वृद्धि दर (%)
1	2	3	4
2009-10	खरीफ	104.0	-12.0
	रबी	114.1	-1.9
	कुल	218.1	-7.0
2010-11	खरीफ	120.9	16.3
	रबी	123.6	8.3
	कुल	244.5	12.1
2011-12*	खरीफ	129.9	7.5
	रबी	127.5	3.2
	कुल	257.4	5.3
2012-13#	खरीफ	117.2	-9.8

*चौथे अग्रिम अनुमान #प्रथम अग्रिम अनुमान।

टिप्पणी: रबी 2012-13 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के ब्यौरे को तैयार नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) देश में कृषि फसलों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार अनेक फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल एवं मक्का योजना (आईसोपॉम) आदि। इन योजनाओं के तहत्, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन/उपयोग, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएनएम), एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), फार्म अभियांत्रिकीकरण आदि के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती है। जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए कृषि आधारिक संरचना के सृजन हेतु राज्यों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

सरकार ने तापक्रम में उतार-चढ़ाव, भू/जल लवणीय, भू-अम्लीय आदि जैसे सामान्य अबायटिक दबावों के प्रति सहिष्णुता के साथ उच्च पैदावार, कीट/रोग सहिष्णु फसल किस्मों/हाईब्रिडों सहित उन्नत पद्धतियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में अनेक उपाय किये हैं। उच्चतर पोषाहार एवं जल उपयोग क्षमता वाली जल्द परिपक्व हो रही फसल किस्मों को भी विकसित किया गया है। सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों के अभियांत्रिकीकरण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए

जलवायु लचीला कृषि एवं नवाचार विस्तार सुगम्यता के लिए संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा भी दे रही है।

[हिन्दी]

खाद्य स्टॉक

1693. श्री भक्त चरण दास :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बढ़ते खाद्य मूल्यों के संकट का सामना करने और भुखमरी को रोकने हेतु पर्याप्त खाद्य स्टॉक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य मूल्य वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा जारी की है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य उपाय अपनाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) पहली नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का स्टॉक 695.29 लाख टन था, जिसमें 289.54 लाख टन चावल और 405.75 लाख टन गेहूं शामिल है। खाद्यान्नों का मौजूदा स्तर आबंटन के मौजूदा सतर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के अतिरिक्त परिवारों के लिए 50 लाख टन खाद्यान्नों और राज्यों के निर्धनतम जिलों में गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों के लिए 19.42 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की स्वीकृत संख्या को 15 किलोग्राम-35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 60 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन भी किया है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आबंटन के अलावा पर्याप्त अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों को विकृत करना

1694. श्री निशिकांत दुबे :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ऐतिहासिक स्मारकों को विकृत करने से रोकने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन दिशानिर्देशों के बावजूद देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों को लगातार विकृत किए जाने से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्मारकों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 30 के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को विकृत करने पर कारावास जिसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा उसके साथ जुर्माना, जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) हाल ही के वर्षों में ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा, नियमित पहरा तथा निगरानी,

निजी सुरक्षा और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों को भी स्मारकों पर तैनात किया गया है।

[हिन्दी]

किशोर अपराध

1695. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री जगदीश शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के मामले में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में किशोरों के बीच अपराध की बढ़ती प्रकृति के लिए कारत तत्वों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2009-2011 के दौरान देश में भारतीय दंड संहिता के तहत सूचित किशोरों द्वारा किये गए अपराधों के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच-पड़ताल करने तथा वर्तमान और लागू कानून (कानूनों) के तहत अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से इसमें शामिल अभियुक्तों/अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा बच्चों सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान किशोरों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत सूचित कुल मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1208	1369	1837
2.	अरुणाचल प्रदेश	112	78	78
3.	असम	546	365	402
4.	बिहार	935	693	964
5.	छत्तीसगढ़	2860	2128	2178
6.	गोवा	60	56	75
7.	गुजरात	1428	1459	1618
8.	हरियाणा	959	701	587
9.	हिमाचल प्रदेश	127	159	204
10.	जम्मू और कश्मीर	8	17	14
11.	झारखंड	686	79	186
12.	कर्नाटक	227	161	281
13.	केरल	441	460	494
14.	मध्य प्रदेश	4535	5554	4997
15.	महाराष्ट्र	4622	4315	4775
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	82	82	98
18.	मिजोरम	19	63	54

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	11	46	36
20.	ओडिशा	381	403	455
21.	पंजाब	135	177	158
22.	राजस्थान	1819	1787	1836
23.	सिक्किम	56	66	63
24.	तमिलाडु	1362	962	1233
25.	त्रिपुरा	42	26	73
26.	उत्तर प्रदेश	313	578	959
27.	उत्तराखंड	152	108	54
28.	पश्चिम बंगाल	135	240	487
	कुल राज्य	23261	22132	24196
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	21	8
30.	चंडीगढ़	88	113	89
31.	दादरा और नगर हवेली	13	16	12
32.	दमन और दीव	2	8	14
33.	दिल्ली संघ क्षेत्र राज्य	452	416	751
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	83	34	55
	कुल संघ क्षेत्र राज्य	665	608	929
	कुल अखिल भारत	23926	22740	25125

स्रोत: भारत में अपराध

[अनुवाद]

पैरालंपिक पदक धारकों को बढ़ावा

1696. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलंपिक पदक विजेताओं के असमान भारतीय पैरालंपिक पदक विजताओं को केंद्र/राज्य सरकारों एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा प्रयोजन के संबंध में पूर्णतया अनदेखी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे पैरालंपिक पदक विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों सहित अन्य खिलाड़ियों के प्रायोजन के संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। जहां तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से सहायता का संबंध है, ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक्स के पदक विजेताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(ग) 'अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार' की योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार की राशि के संबंध में पैरालंपिक्स के पदक विजेताओं को ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के समान पुरस्कृत किया जाता है। पैरालंपिक्स के पदक विजेता राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार तथा मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन की योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

शरणार्थियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय

1697. श्री तकाम संजय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के 1951 के अभिसमय की अभिपुष्टि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत ने शरणार्थियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के 1951 के अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभिपुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अभिसमय पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

सूखा राहत के मानदंड

1698. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे सूखा प्रभावित राज्यों के प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी राज्य को सूखा प्रभावित घोषित करने के लिए मानदंढ अथवा सूखे की समय-सीमा जैसी शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान जैसे राज्य में स्थायी और नियमित सूखे की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के तहत सहायता के संशोधित मानकों में उल्लखित मदों पर खर्च को किस प्रकार पूरा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कम वर्षा, बुआई क्षेत्रों की सीमा, वनस्पति सूचकांक में मानकीकृत अन्तर और नमी प्रयाप्तता सूचकांक को चार मानकीकृत मानीटरन तंत्र के रूप में शिफारिश की गई है जो सूखे की घोषणा के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। चूंकि ये संकेतक और सूचकांक पर तालुक/तहसील/ब्लॉक के स्तर पर उपलब्ध हैं। अत: प्रेक्षित कमियों के आधार पर इन प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा सूखे की घोषणा की जा सकती है। अन्तत: तीन संकेतकों या सूचकांक मानों को सूखे की घोषणा के लिए विचार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के पास सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तत्काल राहत उपाय करने के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अन्तर्गत निधि की सुलभ उपलब्धता है। स्थापित प्रक्रिया और विद्यमान प्रतिमानों के अनुसार गम्भीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं के लिए (एसडीआरएफ) के अलावा राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

मछली पालन का विकास

1699. **डॉ. एम. तम्बिदुरई** :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि सहित अंतर्देशीय/सामुद्रिक मछली और झींगा के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में मत्स्य क्षेत्र के विकास में कोई बाधा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में मत्स्य क्रियाकलापों को प्रेरित करने के लिए कोई स्कीम बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत संस्वीकृत/उपयोग की गई राशि का स्कीम-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग)

अन्तर्देशीय और समुद्री मछली और झींगा के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। यद्यपि कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तथापि विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिये अन्तर्देशीय और समुद्री क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि का रूख है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, क्षमता, अवसंरचना आदि कुछ सामान्य बाधाएं हैं जो मात्स्यिकी क्षेत्र के समक्ष आ रही हैं।

(घ) से (च) जी, हां। केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मात्स्यिकी क्रियाकलापों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के लिए अन्तर्देशीय/समुद्री उतपादन का राज्य-वार ब्यौरा (टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10 (अनंतिम)		2010-11	
		समुद्री	अन्तर्देशीय	समुद्री	अन्तर्देशीय	समुद्री	अन्तर्देशीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	291159	961618	293151	1012713	288637	1079565
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2880	0	2650	0	3035
3.	असम	0	206150	0	218822	0	227242
4.	बिहार	0	300650	0	297400	0	299910
5.	गोवा	83136	3078	81927	3437	89962	3308
6.	गुजरात	623055	142847	687445	84071	688930	85972
7.	हरियाणा	0	76285	0	100464	0	96195
8.	हिमाचल प्रदेश	0	7793	0	7847	0	7381
9.	जम्मू और कश्मीर	0	19270	0	19300	0	19700
10.	कर्नाटक	218137	143717	248729	171332	295570	204271
11.	केरल	583150	102842	570013	128844	560398	139475
12.	मध्य प्रदेश	0	68466	0	66119	0	56451
13.	महाराष्ट्र	395963	127138	415767	134595	446703	148546
14.	मणिपुर	0	18800	0	19200	0	20200

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	0	3959	0	4332	0	4557
16.	मिजोरम	0	2891	0	3246	0	2901
17.	नागालैंड	0	6175	0	6360	0	6585
18.	ओडिशा	135487	239335	129332	253216	133481	267284
19.	पंजाब	0	24100	0	122860	0	97040
20.	राजस्थान	0	24100	0	26908	0	23708
21.	सिक्किम	0	168	0	168	0	180
22.	तमिलनाडु	365280	168885	401128	181799	424842	189967
23.	त्रिपुरा	0	36000	0	42285	0	49231
24.	उत्तर प्रदेश	0	349274	0	392926	0	417479
25.	पश्चिम बंगाल	189290	1294710	179004	1338004	197108	1436466
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32335	157	33000	159	33735	186
27.	चंडीगढ़	0	244	0	236	0	242
28.	दादरा और नगर हवेली	0	50	0	50	0	50
29.	दमन और दीव	14060	81	15880	0	16851	124
30.	दिल्ली	0	715	0	715	0	820
31.	लक्षद्वीप	12592	0	12372	0	12372	0
32.	पुदुचेरी	34550	5750	36100	5849	36100	5849
33.	छत्तीसगढ़	0	158698	0	174246	0	228207
34.	उत्तराखंड	0	3163	0	3488	0	3818
35.	झारखंड	0	75800	0	70500	0	71886
	कुल	2978194	4637896	3103848	4894141	3224689	5197831
	कुल	7616090		7997989		8422520	

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार झींगा उत्पादन
(टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	46236	44189	47208
2.	गोवा	8693	11029	8584
3.	कर्नाटक	41100	47871	59405
4.	केरल	9812	16609	23239
5.	महाराष्ट्र	68016	67573	70677
6.	ओडिशा	92187	107400	103027
7.	तमिलनाडु	30038	31836	31947
8.	पश्चिम बंगाल	37845	38147	40486
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69048	70722	92299
10.	दमन और दीव	588	499	652
11.	पुदुचेरी	230	173	477
12.	कुल	2226	2460	1485
	कुल	406019	438508	479486

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अधीन जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए)

योजनाओं के नाम	जारी की गई धनराशि			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास	2,074.95	2,294.31	2,985.40	2,074.62
समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों का विकास	6,211.42	7,811.43	7,592.91	5,914.86
राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना	3,623.19	4,194.48	4,456.03	3107.94
मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1,008.36	947.02	432.54	292.71
बायोमीट्रिक आई.डी कार्ड	3,300.00	—	—	—
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.)	8,232.00	11,922.00	11,920.00	7,200.00
आर.के.वी.वाई के अधीन राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन (एन.एम.पी.एस	—	—	10,002.00	20,026.00 (अनुमोदित)

एफपीआई का आधुनिकीकरण

1700. श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों एवं सब्जियों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/क्या पहल की गई है;

(ख) क्या भारत ने देश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश की कोई अनुसंधान संस्था ने अपने विदेशी समकक्षों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में लागू किए जा रहे प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) देश में फल एवं सब्जी उद्योगों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित की थी। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय ने देश में फल एवं सब्जी यूनिटों, कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। उपर्युक्त स्कीम 01.04.2012 (2012-13) से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दी गई है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु कुछ विकसित देशों जैसे इटली, जर्मनी और फ्रांस के साथ समझौते किए हैं जिनमें सामान्यत: फलों और सब्जियों सहित प्रसंस्कृत खाद्य खंड शामिल हैं। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, ब्राजील के साथ अनेक व्यापक समझौते किए हैं जिनमें सामान्यत: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, शीतश्रृंखला आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने अंतर्गत दो संस्थाओं जिनके नाम भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) हैं, के साथ करार किए गए हैं। ये समझौते खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान में सहयोग से संबंधित हैं।

कोयला ब्लाकों का आवंटन

1701. श्री रुद्रमाधव राय :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत कंपनियों की कंपनी-वार संख्या कितनी है जिन्होंने अब तक कोयला ब्लाकों के लिए आवेदन दिया है और उन्हें कोयला ब्लाक का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को विद्युत क्षेत्र को अबाध और प्राथमिकता आधार पर कोयला आपूर्ति करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर अबाध कोयला आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जिन विद्युत कंपनियों ने आवेदन किया है तथा जिन्हें अब तक कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया है, उनकी कंपनी-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है

(ख) और (ग) विद्युत क्षेत्र के संबंध में अक्टूबर, 2007 में सरकार द्वारा अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति के अनुसार, विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार 100% मात्रा पर कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के माध्यम से अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(घ) विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की शर्तें कोयला कंपनी तथा विद्युत संयंत्र के बीच संपन्न ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के प्रावधानों के अनुसार निर्देशित होती है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह, जिसमें विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि होते हैं, विद्युत स्टेशनों को कोयले के प्रेषण की नियमित मानीटरिंग करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्युत स्टेशनों में कोयले के भंडार की स्थिति को ध्यान में रखकर कोयले की ढुलाई को प्राथमिकता देने के लिए आकस्मिक निर्णय लेता है।

विवरण

कंपनी का नाम	कोयला ब्लॉक के नाम आवंटित	आवंटन की तारीख	स्थिति
1	2	3	4
आरपीजी इंडस्ट्रीज/सीईएससी लिमिटेड	सरीसातोली	1993/04/10	उत्पादन हो रहा है
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज	तालाबीरा-I	1994/02/25	उत्पादन हो रहा है
डब्ल्यूबीएसईबी	तारा (पूर्व)	1995/07/14	उत्पादन हो रहा है
डब्ल्यूपीडीसीएल	तारा (पश्चिम)	1996/04/17	उत्पादन हो रहा है
सेंचुरी त्राल कोलियरीज लिमिटेड	तकली जेना - बैलोरा (दक्षिण)	1998/05/29	आबंटन रद्द कर दिया गया
उत्कल कोल लिमिटेड (पूर्व में अईसीसीएल)	उत्कल-सी	1998/05/29	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जिंदल पावर लिमिटेड	गारे पाल्मा-IV/2	1998/07/01	उत्पादन हो रहा है
जिंदल पावर लिमिटेड	गारे पाल्मा-IV/3	1998/07/01	उत्पादन हो रहा है
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	पचवारा सेंट्रल	2001/12//28	उत्पादन हो रहा है
जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (गोविंदवल साहिब)	तोकीसुद उत्तर	2002/01/07	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
डब्ल्यूपीडीसीएल	गंगारामचक	2003/06/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
डब्ल्यूपीडीसीएल	बरजोरा	2003/06/23	उत्पादन हो रहा है
डब्ल्यूपीडीसीएल	गंगारामचक-भदुलिया	2003/06/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
टेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	बदम	2003/11/03	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
केपीसीएल	बरांज-I	2003/11/10	उत्पादन हो रहा है
केपीसीएल	बरांज-II	2003/11/10	उत्पादन हो रहा है
केपीसीएल	बरांज-III	2003/11/10	उत्पादन हो रहा है
केपीसीएल	बरांज-IV	2003/11/10	उत्पादन हो रहा है
केपीसीएल	किलोनी	2003/11/10	उत्पादन हो रहा है
केपीसीएल	मनोरा दीप	2003/11/10	उत्पादन हो रहा है
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड	भंडक पश्चिम	2003/11/27	आबंटन रद्द कर दिया गया
नाल्को	उत्कल 'ई'	2004/08/27	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
सीएसईबी	गिधमुरी	2004/09/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
सीएसईबी	पटोरिया	2004/09/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एनटीपीसी	पाकरी-बरवाडीह	2004/10/11	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
दामोदर घाटी निगम	बरजोरा(उत्तर)	2005/03/03	उत्पादन हो रहा है
दामोदर घाटी निगम	कागरा जोयदेव	2005/03/03	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
दामोदर घाटी निगम	कास्ता (पूर्व)	2005/03/03	आबंटन रद्द कर दिया गया
डब्ल्यूपीडीसीएल	पचवारा उत्तर	2005/04/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
एमसीएल	तालाबीरा-II	2005/11/10	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एनएलसी	तालाबीरा-II	2005/11/10	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज	तालाबीरा-II	2005/11/10	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एमसीएल	उत्कल-क	2005/11/29	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जेएसडब्ल्यू लिमिटेड/जिंदल थर्मल पावर लिमिटेड स्टील्स	उत्कल-क	2005/11/29	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड	उत्कल-क	2005/11/29	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
श्याम डीआरआई लिमिटेड	उत्कल-क	2005/11/29	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ताडीचेरला-I	2005/06/12	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
टेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	गोंदुलपाड़ा	2006/01/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
दामोदर घाटी निगम	गोंदुलपाड़ा	2006/01/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एनटीपीसी	तलाईपाली	2006/01/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एनटीपीसी	केरनदारी	2006/01/25	आबंटन रद्द कर दिया गया.
एनटीपीसी	चट्टी बरियातु	2006/01/25	आबंटन रद्द कर दिया गया.
एनटीपीसी	दुलंगा	2006/01/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एनटीपीसी + सीआईएल जेवी	ब्राह्मिनि	2006/01/25	आबंटन रद्द कर दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड के निरूपित

1	2	3	4
एनटीपीसी + सीआईएल जेवी	चिचरा तपसीमल	2006/01/25	अटाबंटन रद्द कर दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड के निरुपित
जीएसईसीएल	महानदी मछाकाटा	2006/02/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एमएसईबी	महानदी मछाकाटा	2006/02/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एस्सार पावर लिमिटेड	महन	2006/12/04	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज	महन	2006/12/04	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	परसा	2006/08/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	गारे पेल्मा सेक्टर-II	2006/08/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	गारे पेल्मा सेक्टर-II	2006/08/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
टेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	राजभर ई एंड डी	2006/08/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	बनहरडीह	2006/08/02	आबंटन रद्द कर दिया गया.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली	मारा-II महान	2006/08/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	मारा-II महान	2006/08/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
पावर फाइनेंस कारपोरेशन ओडिशा यूएमपीपी	मीनाक्षी	2006/09/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
पावर फाइनेंस कारपोरेशन ओडिशा यूएमपीपी	मीनाक्षी-बी	2006/09/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
पावर फाइनेंस कारपोरेशन ओडिशा यूएमपीपी	मीनाक्षी की डिप साईड	2006/09/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
पावर फाइनेंस कारपोरेशन सासन यूएमपीपी	मोहर	2006/09/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
पावर फाइनेंस कारपोरेशन सासन यूएमपीपी	मोहर - अमलोरी एक्सटेंशन	2006/09/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
पावर फाइनेंस कारपोरेशन सासन यूएमपीपी	छत्रसाल	2006/09/13	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एस्सार पावर जनरेशन लिमिटेड	चकला	2007/02/20	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	जीतपुर	2007/02/20	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम	अनैस्तिपल्ली	2007/02/20	आबंटन रद्द कर दिया गया
आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम	पुंकुला - चिल्का	2007/02/20	आबंटन रद्द कर दिया गया
आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम	पेनगडप्पा	2007/05/29	आबंटन रद्द कर दिया गया.
UPRVUNL	चेंदीपादा, चेंदीपाडा-II	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
CMDC	चेंदीपादा, चेंदीपाडा-II	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
MAHAGENCO	चेंदीपादा, चेंदीपाडा-II	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
केरल राज्य चुना बोर्ड	बैतरनी पश्चिम	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
ओडिशा हाइड्रो पावर जनरेशन कोर	बैतरनी पश्चिम	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
गुजरात पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन	बैतरनी पश्चिम	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
असम मिनरल देव. कोर	मंदाकिनी-बी	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
मेघालय खनिज देव. कॉर्प	मंदाकिनी-बी	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	मंदाकिनी-बी	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन	मंदाकिनी-बी	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एनटीपीसी	चट्टी बरियातु दक्षिण	2007/07/25	आबंटन रद्द कर दिया गया
दामोदर घाटी निगम	सहारनपुर जामरपानी	2007/07/25	आबंटन रद्द कर दिया गया
ओडिशा पावर जनरेशन निगम	मनोहरपुर	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
ओडिशा पावर जनरेशन निगम	डिपसाईड मनोहरपुर	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जीएमडीसी	नैनी	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
पीआईपीडीआईसीएल	नैनी	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जेएसईबी	उरमा पहारीतोरा	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
बीएसएमडीसीएल	उरमा पहारीतोरा	2007/07/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आरआरवीयूएनएल	परसा पूर्व	2007/06/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आरआरवीयूएनएल	कांता बासन	2007/06/25	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तिलैया यूएमपीपी झारखंड	केरंदारी बीसी	2007/07/20	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
हिंडाल्को	तुबेद	2007/08/01	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
टाटा पावर लिमिटेड	तुबेद	2007/08/01	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एस्सार पावर लिमिटेड	अशोक करकत्ता सेंटल्	2007/11/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	पाताल पूर्व	2007/11/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एईएस छत्तीसगढ़ ऊर्जा प्रा. लिमिटेड	सयांग	2007/11/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
डीबी पावर लिमिटेड	दुर्गापुर-II/सरया	2007/11/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
बाल्को	दुर्गापुर-II/तराईमर	2007/11/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
अदानी पावर लिमिटेड	लोहरा पश्चिम एक्सटेंशन	2007/11/06	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	मन्दाकिनी	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जिंदल फोटो लिमिटेड	मन्दाकिनी	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	मन्दाकिनी	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड	सेरेगढ़	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (गोविंदवाल साहिब)	सेरेगढ़	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
सीईएससी लिमिटेड	महुगढ़ी	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	महुगढ़ी	2008/01/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	अमरकोंडा मुरगाडंगल	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
गगन स्पंज आयरन प्रा. लिमिटेड	अमरकोंडा मुरगाडंगल	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	रामपिया और रामपिया की डिपसाइड	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	रामपिया और रामपिया की डिपसाइड	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड (सीपीपी)	रामपिया और रामपिया की डिपसाइड	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
लैंको समूह लिमिटेड (आईपीपी)	रामपिया और रामपिया की डिपसाइडं	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
नवभारत पावर प्रा. लिमिटेड (आईपीपी)	रामपिया और रामपिया की डिपसाइडं	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	रामपिया और रामपिया की डिपसाइडं	2008/01/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
जेएलडी यवतमाल ऊर्जा लिमिटेड	फतेहपुर पूर्व	2008/01/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आर.के.एम. पॉवरजनरेशन प्रा. लिमिटेड	फतेहपुर पूर्व	2008/01/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
वीजा पावर लिमिटेड	फतेहपुर पूर्व	2008/01/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	फतेहपुर पूर्व	2008/01/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4
वंदना विद्युत लिमिटेड	फतेहपुर पूर्व	2008/01/23	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड	फ़तेहपुर	2008/06/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	फ़तेहपुर	2008//06/02	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
महाजैनको (मै औरंगाबाद कंपनी लि. एसपीवी)	भीवकुंड	2008/07/17	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
गोवा औद्योगिक विकास निगम	गारेपेल्मा सेक्टर-III	2008/12/11	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट निगम लिमिटेड (कल्याणेश्वरी)	दमोगिरिया के पूर्व	2009/02/27	आबंटन रद्द कर दिया गया सीआईएल सौंपा
रुंगटा माइन्स लिमिटेड	मेदिनिराय	2009/05/28	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
टाटा स्टील लिमिटेड	गणेशपुर	2009/05/28	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
आधुनिक थर्मल एनर्जी लिमिटेड	गणेशपुर	2009/05/28	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
करनपुरा एनर्जी लिमिटेड (जेएसईबी का एसपीवी)	मौर्या	2009/06/26	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
हिमाचल ईमटा पावर लिमिटेड	गौरंगडीह एबीसी	2009/05/28	आबंटन रद्द कर दिया गया
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	गौरंगडीह एबीसी	2009/07/10	आबंटन रद्द कर दिया गया
अकालतारा पावर लिमिटेड (छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के एसपीवी)	पुता परोगिया	2009/09/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
अकालतारा पावर लिमिटेड (छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के एसपीवी)	पिंडराखी	2009/09/09	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड (पहली अतिरिक्त उड़ीसा यूएमपीपी की एसपीवी)	बंखुई	2010/06/21	उत्पादन में अभी तक आरंभ नहीं हुआ

भुखमरी

1702. श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री जोस के. मणि :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
डॉ. रामचन्द्र डोम :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भुखमरी से सूचित हुई मौतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह देश वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) में निचले स्तर पर है और लगभग एक तिहाई गरीब और भूखे लोग यहां रहते हैं जबकि खाद्यान्नों का बड़ा स्टॉक नष्ट हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान रखे गए वास्तविक खाद्यान्न स्टॉक और नष्ट हुए स्टॉक की प्रमात्रा सहित भुखमरी सूचकांक में भारत और अन्य पड़ोसी देशों का क्रम बतलाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भुखमरी को रोकने और जीएचआई में क्रम का सुधार करने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी नागरिकों को पर्याप्त खाना देने और भुखमरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भुखमरी से कोई मौत होने की सूचना नहीं दी है।

इंटरनेशनल फूड पालिस रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडैक्स की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 29.9 अंक अर्जन के साथ 120 देशों में भारत का स्थान 65वां था। पड़ोसी देशों अर्थात चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बंग्लादेश का अंक अर्जन क्रमशः 5.1, 14.4, 19.7, 20.3 और 24.0 है। ग्लोबल हंगर इंडैक्स तीन समान भार संकेतकों पर आधारित है, अर्थात (क) आबादी के प्रतिशत के रूप में कुपोषितों के अनुपात द्वारा दर्शाया गया कुपोषण (ख) बच्चों में कम वजन- कम वजन वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के अनुपात द्वारा प्रदर्शित (ग) बाल मृत्यु - पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर द्वारा प्रदर्शित। ग्लोबल हंगर इंडैक्स के घटकों से यह स्पष्ट है कि यह कुपोषण का संकेत है। और न कि भुखमरी का तथा वह भी विशेष रूप से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। सूचकांक में देश में भुखमरी में जो रहे लोगों की संख्या अथवा खाद्यान्नों की उपलब्धता या लोगों को भोजन की उपलब्धता के अभाव को नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार भारतीय खाद्य सुरक्षा की स्थिति को दर्शाने के लिए यह उचित सूचकांक नहीं है और इसका उपयोग भुखमरी के सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों सहित शेष देशों के साथ तुलना करने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडैक्स, 2012 में भारत का अंक अर्जन 22.9 है जो ग्लोबल हंगर इंडैक्स, 2011 में 23.7 था। इस प्रकार ग्लोबल हंगर इंडैक्स में भारत के क्रम में मामूली सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2009-10 से 2011-12 तक और वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के वास्तविक स्टाक की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार)	गेहूं	चावल	जोड़
2009-10	134.29	216.04	350.33
2010-11	161.25	267.13	428.38
2011-12	153.64	288.20	441.84
2012-13	199.52	333.50	533.02

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2011, 2011-12 तक और वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान (01.11.2012 की स्थिति के अनुसार) भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य स्टाक

की मात्रा क्रमशः 6702 टन, 6346 टन, 3338.01 टन और 1363.70 टन थी।

भुखमरी की समस्या को हल करने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम-"सबला", अन्नपूर्णा, इमरजेन्सी फीडिंग कार्यक्रम आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए लक्षित आबादी को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान कर रही है। जहां तक इस विभाग का संबंध है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की मध्याह्न भोजन योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम स्कीम और राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम-सबला के अधीन इन मंत्रालयों द्वारा खाद्यान्नों की प्रक्षेपित जरूरत के अनुसार इस विभाग द्वारा केवल खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं। उपयुक्त स्कीमों के शेष घटक इन मंत्रालयों द्वारा वहन किए जा रहे हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 575.94 लाख टन खाद्यान्नों को आबंटन किया गया है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किया गया खाद्यान्नों का 50 लाख टन अतिरिक्त आबंटन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धनतम जिलों में वितरण करने के लिए राज्यों को कया गया 19.42 लाख टन का अतिरिक्त आबंटन तथा आपदा राहत, त्यौहार आदि के लिए आबंटित खाद्यान्नों की 7.10 लाख टन मात्रा शामिल है। इसके अलावा, अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 49.00 लाख टन खाद्यान्नों को आबंटन भी किया गया है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन इस विभाग द्वारा 624.94 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

नागा शांति प्रक्रिया संबंधी समझौता

1703. **डॉ. थोकचोम मैन्या :**
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री प्रेमदास राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और एनएससीएन के बीच हाल में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नागा शांति प्रक्रिया पर इसका किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला उत्पादन की निगरानी

1704. **श्री पी. कुमार :**
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने चालू वर्ष में कोयला उत्पादन की बेहतर निगरानी तंत्र/प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल नयी निगरानी प्रणाली के कारण बहुत हद तक अपनी हानियों को पाटने में सक्षम रहा है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वा किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2012-13 में कोयला उत्पादन के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सीआईएल किस हद तक सक्षम रहेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) उत्पादन, परिवहन, उठान तथा अन्य संबंधित मानदंडों की कठोर मानीटरिंग शुरू किया गया है जिससे सीआईएल चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीने अर्थात अप्रैल-सितम्बर, 2012 में पिछले

वर्ष 2011-12 की इसी अवधि में वास्तविक प्राप्ति की तुलना में 8.5% की वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हुई है।

(घ) 2012-13 के पूर्वार्द्ध के दौरान सीआईएल का सहायक कंपनी-वार कच्चा कोयला उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टन में)

कंपनी	(अप्रैल-सितम्बर) 2012
कंपनी	13.740
ईसीएल	14.030
बीसीसीएल	17.940
सीसीएल	28.400
एनसीएल	18.390
डब्ल्यूसीएल	53.520
एसईसीएल	45.350
एनईसी	0.180
सीआईएल	191.550

(ङ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में 464.1 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी उपाय करेगी।

दूध पाउडर के अधिशेष स्टॉक

1705. श्री जोस के. मणि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दूध पाउडर के अधिशेष के बड़े स्टॉक की समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन स्कीमों इत्यादि जैसी कल्याण स्कीमों को संवितरित किए जाने के बावजूद अधिशेष दूध पाउडर के निर्यात की व्यवहार्यता का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विद्यमान अधिशेष दूध पाउडर स्टॉक का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) कुछेक राज्य दुग्ध परिसंघों ने सूचित किया है कि उनके पास स्किम्ड दूध पाउडर (एस.एम.पी) का अधिशेष स्टॉक है। स्टॉक का स्तर मौसमी परिवर्तनों के आधार पर होता है। सर्दियों के मौसम में स्टॉक का स्तर अधिक होता है और गर्मियों के महीनों में स्टॉक का स्तर कम होता है। नवम्बर, 2012 के मध्य प्रमुख राज्य दुग्ध परिसंघों के पास स्किम्ड दूध पाउडर का स्टॉक दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दूध पाउडर के अधिशेष स्टॉक का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 8.6.2012 की अधिसूचना द्वारा विशेष कृषि ग्राम उपज योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) के अधीन स्किम्ड दुग्ध पाउडर का शुल्क मुक्त निर्यात करने की अनुमति दी है और 5 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन प्रदान किया है।

(2) भारत सरकार ने दिनांक 25.6.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22-4/2003-डीपी द्वारा एनडीडीबी को पुनः डेयरी वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दी है।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2012 की अधिसूचना द्वारा संपूर्ण दुग्ध पाउडर (डब्ल्यू.एम.पी), डेयरी व्हाइटनर और शिशु दुग्ध आहार सहित टैरिफ आइटम एच.एस. कोड 0402 के अधीन सभी वस्तुओं का शुल्क मुक्त निर्यात करने की अनुमति दी है।

(4) इस विभाग ने अपने दिनांक 21.11.2012 के पत्र द्वारा विदेश मंत्रालय से दुग्ध पाउडर के अधिशेष स्टॉक का विपणन करने के लिए विदेशों में बाजारों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

विवरण

नवम्बर, 2012 के मध्य प्रमुख राज्य दुग्ध परिसंघों के पास स्किम्ड दुग्ध पाउडर का स्टॉक

क्र. सं.	राज्य	स्किम्ड दुग्ध पाउडर (मी.टन में)
1	2	3
क.	**उत्तरी क्षेत्र**	
1.	हरियाणा	235.00
2.	पंजाब	4000.00
3.	उत्तर प्रदेश	983.00
4.	मध्य प्रदेश	721.00
	कुल उत्तरी क्षेत्र	5939.00
ख.	**पूर्वी क्षेत्र**	
5.	बिहार	650.99
6.	ओडिशा	449.00
7.	पश्चिम बंगाल	1767.50
	कुल पूर्वी क्षेत्र	2867.49
ग.	**पश्चिमी क्षेत्र**	
8.	गुजरात	13950.00
9.	महाराष्ट्र	5554.00
10.	राजस्थान	5492.00
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	24996.00
घ	**दक्षिणी क्षेत्र**	
11.	आन्ध्र प्रदेश	806.00
12.	कर्नाटक	13942.00
13.	केरल	450.00
14.	तमिलनाडु	4488.00
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	19686.00
	कुल	53,488.49

[हिन्दी]

डीडीके/आकाशवाणी का रिले केन्द्रों के रूप में कार्यकरण

1706. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित देश में कई दूरदर्शन केन्द्र (डीडीके) और आकाशवाणी केन्द्र कई वर्ष पूर्व पूरा होने के बाद भी रिले केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार, डीडीके और आकाशवाणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा दूरदर्शन/आकाशवाणी कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए कब तक पर्याप्त सुविधाएं और कर्मचारी प्रदान किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय देश में झारखंड के 2 केन्द्रों सहित दूरदर्शन के 67 केन्द्र (स्टूडियो केंद्र) कार्यशील हैं। तत्संबंधी राज्य-वार अवस्थितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। स्टाफ के अभाव की समस्या के कारण कुछ दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यकलाप सीमित हैं। इसके बावजूद, दूरदर्शन का उपलब्ध सीमित संसाधनों में सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने का सतत् प्रयास रहता है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, अन्य स्टेशनों से स्टाफ की पुनर्प्रतिनियुक्ति करके 11 आकाशवाणी स्टेशनों को रिले केन्द्रों के रूप में कार्यशील बनाया गया है। तत्संबंधी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। तथापि, सरकार ने हाल ही में प्रसार भारती को 1150 नए प्रचालनात्मक स्टाफ की भर्ती करने की अनुमति दी है जिससे इस मुद्दे का निदान करने में मदद मिलेगी।

विवरण-I

विद्यमान दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केंद्र)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दूरदर्शन केन्द्र
1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा*
	वारंगल*
	तिरूपति*
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	डिब्रुगढ़
	गुवाहाटी
	गुवाहाटी (पीपीसी)
	सिलचर
बिहार	पटना
	मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़	रायपुर
	जगदलपुर*
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद
	राजकोट
हरियाणा	हिसार*
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
	जम्मू
	लेह
	राजौरी*
झारखंड	रांची
	डाल्टनगजं
कर्नाटक	बंगलौर
	गुलबर्गा
केरल	तिरुवनंतपुरम
	त्रिस्सूर*
	कोझिकोड (कालीकट)*
मध्य प्रदेश	भोपाल
	इंदौर*
	ग्वालियर*
महाराष्ट्र	मुंबई
	नागपुर
	पुणे*
मणिपुर	इंफाल
मेघालय	शिलांग
	तुरा
मिजोरम	आइजोल
नागालैंड	कोहिमा
ओडिशा	भुवनेश्वर
	संबलपुर
	भवानीपटना*
पंजाब	जालंधर
	पटियाला*

1	2
राजस्थान	जयपुर
सिक्किम	गंगटोक*
तमिलनाडु	चेन्नै
	कोयम्बटूर*
	मदुरै*
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
	गोरखपुर
	बरेली
	मऊ
	इलाहाबाद*
	वाराणसी*
	मथुरा*
उत्तराखंड	देहरादून*
पश्चिम बंगाल	कोलकाता
	जलपाईगुड़ी*
	शांतिनकेतन*
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़	चंडीगढ़*
दिल्ली	दिल्ली
	दिल्ली (सीपीसी)
पुदुचेरी	पुदुचेरी

*वे दूरदर्शन केंद्र (स्टुडियों केंद्र) जिनके लिए कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया है।

विवरण-II

रिले की तरह कार्य कर रहे आकाशवाणी केन्द्रों के नाम

क्र. सं.	स्थान	राज्य	वर्तमान क्षमता
1.	मचरेला	आंध्र प्रदेश	3 किलोवाट एफएम
2.	सराईप्पली	छत्तीसगढ़	1 किलोवाट एफएम
3.	बेल्लारी	कर्नाटक	10 किलोवाट एफएम
4.	मंजरी	केरल	3 किलोवाट एफएम
5.	मण्डला	मध्य प्रदेश	1 किलोवाट एफएम
6.	राजगढ़	मध्य प्रदेश	3 किलोवाट एफएम
7.	ओरस	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफएम
8.	सोरो	ओडिशा	1 किलोवाट मिडियम मेव
9.	माउट आबू	राजस्थान	6 किलोवाट एफएम
10.	धर्मापुरी	तमिलनाडु	10 किलोवाट एफएम
11.	गोपेश्वर (चमोली)	उत्तराखंड	1 किलोवाट मिडियम मेव

[अनुवाद]

ईख की पेराई में देरी

1707. श्री एस. आर. जेयदुरई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में ईख की पेराई में देरी हुई;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां गत तीन मौसम और चालू मौसम के दौरान ईख की पेराई देर से शुरू की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेराई सत्र की शुरूआत करने में देरी के कारण चीनी उत्पादन तें कमी की संभावना है और जिसके कारण गत तीन

वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी उत्पादन में संभावित कमी को दर्शाते हुए इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में विभिन्न तारिखों पर चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य शुरू किया गया। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराट्र, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि उनके संबंधित राज्यों में गत तीन चीनी मौसमों या चालू मौसम के दौरान गन्ने की पेराई में कोई विलंब नही हुआ है। तथापि, उत्तराखंड राज्य जिसका चीनी उत्पादन में बहुत कम हिस्से का योगदान होता है, ने सूचित किया है कि संयत्रों की मरम्मत और रखरखाव के कार्य में विलंब होने के कारण चालू चीनी मौसम में गन्ने की पेराई विलंब से शुरू हुई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। गत तीन चीनी मौसमों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान चीनी का उत्पादन क्रमशः 188.0, 243.50 और 262.96 (अनंतिम) लाख टन था। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में मानसून में विलंब/सूखे की स्थिति के कारण पिछले मौसम की तुलना में चालू चीनी मौसम में चीनी उत्पादन कम होने की संभावना है और लगभग 2.30 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य विभिन्न कारकों यथा: चीनी उत्पादन, अग्रनयन स्टाक, घरेलू मांग, चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और मंडी रूझानों आदि पर निर्भर करते हैं। घरेलू बजार में पिछले तीन कैलेंडर वर्षों और वर्तमान वर्ष (29 नवंबर, 2012 तक) में चीनी के अखिल भारतीय वार्षिक औसतन खुदरा मूल्य क्रमशः 27.44 रुपये प्रति कि.ग्रा., 32.61 रुपये प्रति कि.ग्रा. 32.40 रुपये प्रति कि.ग्रा. और 35.65 रुपये प्रति कि.ग्रा. थे।

पट्टे पर लिग्नाइट खान

1708. **श्री हरिन पाठक :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्छ जिले में 3319 हेक्टेयर की लिगनाइट वाले क्षेत्रों के जीएमडीसी खनन पट्टा आवेदन पर पूर्वानुमति के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति सहित ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कच्छ जिले में 3319 हेक्टेयर लिग्नाइट वाले क्षेत्र के जीएमडीसी खनन पट्टा आवेदन पर पूर्व अनुमोदन के लिए गुजरात राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 में, यथा निर्धारित शर्तों पर प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा देने का प्रावधान किया गया है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसे अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।
- जहां किसी कंपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) दी गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली नीलामी" को 02.02.2012 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के आरंभ होने संबंध अधिसूचना को भी खान मंत्रालय द्वारा 13.02.2012 को अधिसूचित कर दिया गया है। कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों का आबंटन संशोधन अधिनियम और उपर्युक्त खनन नियमावलियों के अंतर्गत ही किया जा सकता है।

संशोधित ईंधन आपूर्ति समझौता

1709. **डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लागत-सह-आधार पर एक संशोधित ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें आयातित कोयले की उसकी वास्तविक लागत का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो एफएसए पर समझौता करने वाली विद्युत फर्मों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित एफएसए पर विद्युत फर्मों/स्टेशनों की चिंता को दूर करने और विद्युत फर्मों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) मूल्य एकीकरण तंत्र संबंधी ग्राहक की प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा कर रहा है क्योंकि इस माडल को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और स्वतंत्र उत्पादकों (आईआईपीएस) को भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) नये विद्युत संयंत्रों, जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है, के लिए लागू संशोधित ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) माडलों में प्रतिबद्धताओं और स्वदेशी स्रोतों से उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए स्वदेशी स्रोतों तथा आयातों, दोनों के द्वारा कोयले की आपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। एफएसए के अंतर्गत आयातित कोयले की आपूर्ति लागत जमा आधार पर अर्थात् उतराई बंदरगाह जमा आयातित कोयले की वास्तविक लागत जमा (सीआईएफ) लागू सेवा प्रभार पर की जाएगी जिन विद्युत संयंत्रों ने संशोधित एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा पूर्ववर्ती आदर्श करार से बाहर हो गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चूंकि, संभी संबंधित विद्युत फर्मों को यथा शीघ्र एफएसए पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया गया है। कोयला मंत्रालय ने भी सीआईएल को माडल एफएसए की उन कतिपय धाराओं के समधान पर विचार करने की सलाह दी है जिन पर फर्मों/स्टेशनों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के प्रति चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। सीआईएल बोर्ड के निदेशानुसार सीआईएल द्वारा सभी विद्युत स्टेशनों को स्वदेशी और आयातित कोयले के लिए मूल्य की पूलिंग के संबंध में सीईए के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए उन्हें पत्र भेजे गए थे। हालांकि, कई विद्युत स्टेशनों ने इस प्रस्ताव के साथ अपनी सहमति की सूचना दी है, उनमें से कुछ ने अपनी असहमति दर्शायी है। कुछ विद्युत स्टेशनों ने आगे स्पष्टीकरण मांगा है।

विवरण

अनंतिम

26-11-12 तक नये एफएसए प्रतिपादित किये जाने की स्थिति

क्र.सं.	कंपनी/यूनिट	क्षमता मेगावाट	मॉडल के प्रतिपादन की तारीख-अप्रैल, 2012	नवीनतम एफएसए माडल के प्रतिपादन/परिवर्तन की तारीख (अक्टूबर, 2012)
1	2	3	4	5
	सीसीएल			
1.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (खम्बेरखेरा यूनिट-I)	45	20/04/2012	11/10/2012
2.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (खम्बेरखेरा यूनिट-II)	45	20/04/2012	11/10/2012
3.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (मकसूदपुर यूनिट-I)	45	20/04/2012	11/10/2012

1	2	3	4	5
4.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (मकसूदपुर यूनिट-II)	45	13/6/2012	11/10/2012
5.	बजाज एनर्जी सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बरखेरा यूनिट-I)	45	20/04/12	11/10/2012
6.	रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फेस (यूनिट-I)	300	3/5/2012	5/11/2012
7.	रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फेस (यूनिट-II)	300	3/5/2012	5/11/2012
8.	रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फेस (यूनिट-III)	300	3/5/2012	5/11/2012
9.	झझर पावर लिमिटड (यूनिट-1)	660	7/6/2012	
10.	झझर पावर लिमिटड (यूनिट-2)	660	7/6/2012	
11.	रोसा टीपीपी यूनिट-4	300	13/6/2012	5/11/2012
12.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (बरखेरा यूनिट-II)	45	13/6/2012	11/10/2012
13.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (कुंडारकी यूनिट-I)	45	13/6/2012	11/10/2012
14.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (कुंडारकी यूनिट-II)	45	13/6/2012	11/10/2012
15.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उतरौला यूनिट-I)	45	13/6/2012	11/10/2012
16.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उतरौला यूनिट-II)	45	13/6/2012	11/10/2012
17.	बीना टीपीपी यू(1-2)/जेपी पावर वेंचर लिमिटेड	500	10/7/2012	26/11/12
18.	मैथोन पावर लिमिटेड, मैथोन राइट बैंक टीपीएस यू-II	525		18/09/12
19.	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड यू-I (टेपरिंग लिंकेज)	270		
	कुल	4265		
	एसईसीएल			
1.	सूरतगढ़, यूनिट-6	250		24/4/2012
2.	कोटा यूनिट-7	195		24/4/2012
3.	छबरा यूनिट-I	250		24/4/2012

1	2	3	4	5
4.	छबरा यूनिट-II	250		24/4/2012
	कुल	945		
	एनसीएल			
1.	अनपरा 'सी' यूनिट-I	600		24/4/2012
2.	अनपरा 'सी' यूनिट-II	600		24/4/2012
	कुल	1200		
	बीसीसीएल			
1.	बज बज यूनिट-3	250	10/5/2012	20/11/12
2.	मैथान राइट बैंक टीपीएस	525		21/6/2012
3.	परिछा विस्तार प्रोजेक्ट यूनिट सं.-5	250		22/11/12
4.	परिछा विस्तार प्रोजेक्ट यूनिट सं.-6	250		22/11/12
	कुल	1275		
	एमसीएल			
1.	मुंद्रा अदानी फेस III यूनिट-1	462		9/6/2012
2.	मुंद्रा अदानी फेस III यूनिट-2			462
3.	मुंद्रा अदानी फेस III यूनिट-3			462
4.	स्टरलाइट एनर्जी यूनिट-2	600		6/6/2012
	कुल	1986		
	सकल जोड़ 33	9671		

[हिन्दी]

कोयला आपूर्ति संबंधी समझौता ज्ञापन

1710. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री गजानन ध. बाबर :

श्री मधु गौड यास्खी :

श्री आनंदराव अडसुल :

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 (जून, 30 तक) के दौरान चालू विद्युत संयंत्रों के

लिए कोयले की आपूर्ति हेतु विद्युत मंत्रालय के साथ संगम ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत आपूर्तित कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला आपूर्ति के किस वर्तमान मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है और 2009 मॉडल का अनुसरण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के मुद्दे पर कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के मध्य विरोध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार/सीआईएल द्वारा मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। तथापि, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में सीआईएल की सहायक कोयला कंपनियां 31.3.2009 के पश्चात् आरंभ किये गए उन विद्युत स्टेशनों के साथ अल्पावधि एमओयू सम्पन्न कर रहीं हैं जो सीईए द्वारा किये गए आबंटन के अनुसार 'श्रेष्ठ प्रयास के आधार पर' कोयले की आपूर्ति के लिए लागू आदर्श ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक हैं। सीआईएल स्रोतों से इन एमओयू के माध्यम से प्रेषित की गई मात्रा निम्नानुसार है:—

(लाख टन)

अवधि	एमओयू मात्रा	प्रेषित मात्रा
2011-12	203.6	150.8
अप्रैल-जून, 2012	58.2	46.1

(ग) राष्ट्रपति के निदेश के आधार पर सीआईएल ने अब 31.3.2009 के पश्चात् आरंभ किये गए विद्युत संयंत्रों के लिए संशोधित एफएसए मॉडल पर कोयले की आपूर्ति की पेशकश की है जिसमें दंड के लिए ट्रिगर लेवल को वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) के 80% पर निर्धारित किया गया है और एफएसए की अवधि संशोधित करके 20 वर्ष कर दी गई है। जिन विद्युत गृहों ने या तो डिस्कॉम्स के साथ सीधे विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किये हैं अथवा डिस्काम के साथ बैक टू बैक करार वाली पॉवर ट्रेडिंग कंपनियों के माध्यम से पीपीए पर हस्ताक्षर किये हैं, वे संशोधित एफएसए मॉडल के अंतर्गत कोयला आपूर्ति के लिए पात्र हैं।

विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता और कोयले की स्वदेशी उपलब्धता के बीच भारी अंतर पर विचार करते हुए और आयातित कोयले का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करने के लिए पुराने विद्युत संयंत्रों की तकनीकी कठिनाईयों पर विचार करते हुए एमओपी की सिफारिशों के साथ 31.3.2009 से पूर्व आरंभ किये गए विद्युत स्टेशनों के लिए एफएसए मॉडल में एक व्यवस्था की गई थी। इसलिए 31.3.2009 के पश्चात् आरंभ किये गए विद्युत स्टेशनों को उक्त सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, मॉडल एफएसए की कुछ धाराओं पर समाधान के लिए कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच सतत् वार्तालाप चलती रही है।

[अनुवाद]

सीआईएल द्वारा निवेश

1711. **श्री आर. थामराईसेलवन :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की पूंजी व्यय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का इरादा 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार सीआईएल ने अतिरिक्त निवेश योजना बनायी है; और

(घ) इस निवेश योजना को बनाने में सीआईएल द्वारा किन बाधाओं, यदि कोई हो, का सामना किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की 12वीं योजनावधि के लिए कुल पूंजीगत व्यय योजना नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	कंपनी	12वीं योजनावधि (करोड़ रु.) कुल
1.	कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	25,400.00
2.	अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान विदेश में कोयला परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए किया गया	25,000.00
3.	मोजाम्बिक में कोयला ब्लाक के विकास के लिए तदर्थ प्रावधान	10,000.00
	कुल	60,400.00

(ख) और (ग) सीआईएल का उद्देश्य उपर्युक्त (क) के उत्तर में (II), (III) में यथा उल्लिखित 12वीं योजनावधि के दौरान 35,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त निवेश करने का है।

(घ) सीआईएल द्वारा निवेश योजनाओं के संबंध में सामना किए जा रहे बाधाओं में कुछ परियोजनाओं का पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, आइबी/तालचेर, नार्थ करनपुरा, मांड-रायगढ़ आदि जैसे कोलफील्डों में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन (आरएंडआर) समस्याओं, विशेष रूप से उड़ीसा तथा झारखंड में कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालय

1712. **श्री आर.के. सिंह पटेल :**
श्री कादिर राणा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में वर्तमान में केन्द्रीय और राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार भविष्य में और अधिक कृषि विश्वविद्यालयों को खोलने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि विश्वविद्यालय को खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय को खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विश्वविद्यालय के कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) देश में इस समय कुल 64 केन्द्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। राज्य-वार कृषि विश्वविद्यालयों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) उच्चतर कृषि शिक्षा सहित कृषि शिक्षा एक राज्य का विषय है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने बुन्देलखंड (झांसी) (उत्तर प्रदेश) तथा बड़ापानी (मेघालय) में 02 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। योजना आयोग सैद्धांतिक रूप से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर, पूसा बिहार को एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बदलने के प्रस्ताव पर भी सहमत हो गया है।

(घ) एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधायी अधिनियम द्वारा कृषि तथा संबद्ध विषयों में समर्पित अध्यापन के अधिदेश, अनुसंधान तथा विस्तार में की जाती है। जहां तक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) का संबंध है तो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है।

(ङ) जी, हां।

(च) झांसी (उत्तर प्रदेश) के बुन्देलखंड क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 467 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। संबद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद में बिल के पास होने के बाद की जायेगी।

विवरण

भारत में राज्य-वार कृषि विश्वविद्यालय

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) 500 030
2.	श्री वेंकाटेश्वर पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरूपति (आंध्र प्रदेश) 517 502
3.	डॉ. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटारामान्नागुडेम, पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश) 534 101
असम	
4.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट (असम) 785 013
बिहार	
5.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार) 474 002
6.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सौबोर, भागलपुर (बिहार) 813 210
छत्तीसगढ़	
7.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492 006
8.	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (कम्प. कार्या: रायपुर-492 012)
दिल्ली	
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110 012

1	2
गुजरात	
10.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद (गुजरात) 388 110
11.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ (गुजरात) 362 401
12.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी (गुजरात) 396 450
13.	सरदारक्रुषीनगर-दंतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय सरदारक्रुषीनगर दंतीवाडा (गुजरात) 385 506
हरियाणा	
14.	सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा) 125 004
15.	लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा) 125 001
मानित विश्वविद्यालय	
16.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल — 132 001 (हरियाणा)
हिमाचल प्रदेश	
17.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) 176 062
18.	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) 173 230
जम्मू और कश्मीर	
19.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू (जम्मू और कश्मीर) 180 009
20.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) 191 121
झारखंड	
21.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखंड) 834 006

1	2
कर्नाटक	
22.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर (कर्नाटक) 584 101
23.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर (कर्नाटक) 560 065
24.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धरवाड़ (कर्नाटक) 580 005
25.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बगलकोट (कर्नाटक) 587 102
26.	कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय बीदर (कर्नाटक) 585 401
27.	कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा
केरल	
28.	केरल पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तिरूवनतपुरम, 680 656 (केरल)
29.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर (केरल) 680 656
30.	केरल मात्स्यिकी और समुद्री अध्ययन विश्वविद्यालय, पपनगद, कोची 682506 (केरल)
मध्य प्रदेश	
31.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, अधरताल, जबलपुर (मध्य प्रदेश) 482 004
32.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, रेस कोर्स रोड़ ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 474 002
33.	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) 482 001
महाराष्ट्र	
34.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला (महाराष्ट्र) 444 004
35.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, जिला अहमदनगर, राहुडी (महाराष्ट्र) 413 722

1	2
36.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, रतनागिरी (महाराष्ट्र) दपोली 415 712
37.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परमणी (महाराष्ट्र) 431 402
38.	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, सेमीनरी हिल्स, नागपुर (महाराष्ट्र) 440 006
मानित विश्वविद्यालय	
39.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई 400 061 (महाराष्ट्र)
मणिपुर	
40.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर) 795 004
नागालैंड	
41.	नागालैंड विश्वविद्यालय, मेदजीफेमा, नागालैंड
ओडिशा	
42.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (ओडिशा) 751 003
पंजाब	
43.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) 141 004
44.	गुरू अंगद देव पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना (पंजाब) 141 004
राजस्थान	
45.	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) 334 006
46.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) 313 001
47.	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) 334 006

1	2

तमिलनाडु

48. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) 641 003

49. तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई (तमिलनाडु) 600 051

उत्तर प्रदेश

50. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगन, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) 224 229

51. चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208 002

52. यूपी पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा (उत्तर प्रदेश)

53. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रूड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) 250 110

54. मान्यवर श्री कशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा (उत्तर प्रदेश)

55. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यू.पी.

56. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, यू.पी.

मानित विश्वविद्यालय

57. सेम हिग्गीनबोट्टम कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) 211 007

58. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर – 243 122 (उत्तर प्रदेश)

उत्तराखंड

59. जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तराखंड) 263 145

1	2

60. उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसर, पौड़ी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

61. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया (पश्चिम बंगाल) 741 252

62. उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, पीओ पुंदबाड़ी, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) 736 165

63. पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700 037

64. विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

पत्तनों की सुरक्षा

1713. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या गृह मंत्री पत्तनों की सुरक्षा के बारे में 8/5/2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5022 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में पत्तनों हेतु सुरक्षा स्थापना संबंधी सूचना एकत्रित की गई है, जहां संस्थागत तंत्र की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक संग्रहित कर सभा पटल पर रखी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, नहीं। गुजरात राज्य सरकार और भारत सरकार के संबंधित विभागों से पूर्ण सूचना अभी तक प्रतिक्षित है। अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए इस मामले में सक्रियतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है और सूचना प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दंगों संबंधी एआरसी रिपोर्ट की सिफारिशें

1714. **श्री सुरेश कलमाडी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 'लोक व्यवस्था में सभी को न्याय और शांति' शीर्षक रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार दंगों से उत्पन्न स्थिति में सीधे हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है, जो संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पांचवीं रिपोर्ट में निहित द्वितीय प्रयशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) आयोग की "लोक व्यवस्था; प्रत्येक के लिए न्याय-सभी के लिए शांति" शीर्षक वाली रिपोर्ट लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था एवं आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अनुषंगी मुद्दों से संबंधित है। इस रिपोर्ट में 51 शीर्षकों के तहत 165 संस्तुतियां निहित हैं।

(ख) से (ङ) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश संख्या 46 (पैरा 8.2.15)-'संघ एवं राज्यों के दायित्व' के तहत सिफारिशें की हैं तथा इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति एम.एम. पंछी (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित केन्द्र-राज्य संबंधों संबंधों संबंधी द्वितीय आयोग (सीसीएसआर) को भेज दिया गया था। आयोग ने दिनांक 31.03.2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्र-राज्य संबंधों संबंधी आयोग (सीसीएसआर) की रिपोर्टों, जिनमें 273 सिफारिशें थीं, को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी टिप्पणियों/उत्तर के लिए परिचालित कर दिया गया है। चार मंत्रालयों/विभागों के अलावा सभी मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां/उत्तर प्राप्त हो गए हैं। सोलह राज्य सरकारों ने पूर्ण सूचना प्रदान की है, जबकि पांच राज्य सरकारों ने आंशिक सूचना भेजी है।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त विदेशी

1715. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री रतन सिंह :
श्री कीर्ति आजाद :
कुमारी मौसम नूर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशीले पदार्थों की तस्करी में नाइजेरियाई सहित कई विदेशियों के लिप्त होने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान पाए गए ऐसे मामलों का राष्ट्र-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने विदेशियों को गिरफ्तार किया गया एवं कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (अक्तूबर तक) के दौरान स्वापक औषधियों से संबंधित आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किए गए नाइजीरियाई व्यक्तियों सहित विदेशियों और जब्त की गई विभिन्न स्वापक औषधियों की मात्रा के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) की तस्करी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके निवारण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सीमा रक्षक बलों सहित विभिन्न स्वापक औषधि विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय।

(ii) परिचालनात्मक आसूचना के एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार में सुधार के लिए आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(iii) स्वापक औषधियों की जब्ती कराने संबंधी सूचना देने वाले मुखबिरों और अधिकारियों को मौद्रिक पुरस्कार देने की योजना कार्यान्वित करना।

(iv) आयात एवं निर्यात स्थलों पर सख्त निगरानी एवं प्रवर्तन।

(v) सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे सीमा रक्षक बलों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्वापक औषधियों के निषेध की शक्ति प्रदान की गई है।

(vi) स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों तथा प्रिकर्सर रसायनों के लाने-ले-जाने पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सूचना और जांच संबंधी सहायता के आदान-प्रदान के लिए अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

(vii) पात्र राज्यों को उनकी स्वापक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण-I

स्वापक औषधियों से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक

क्र. सं.	राष्ट्रीयता	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			
		2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	11	7	4	0
2.	आस्ट्रिया	1	1	0	0
3.	बहरीन	0	1	0	0
4.	बांग्लादेश	2	0	1	0
5.	कनाडा	1	2	1	1
6.	कैमरून	1	0	1	2
7.	कोलम्बिया	0	1	0	1
8.	कांगो	1	0	0	0
9.	कोटे डी लोवीर	1	0	0	1
10.	फिनलैंड	1	0	0	0
11.	फ्रांस	1	0	3	3
12.	जर्मनी	0	2	2	0
13.	घाना	1	1	1	4
14.	ग्रीस	1	0	0	0
15.	गुयन बिसायु	1	0	0	0
16.	हालैंड/नीदरलैंड	0	3	0	0
17.	आयवरी कोस्ट	1	0	0	0
18.	ईरान	1	8	0	1
19.	इस्राइल	0	6	2	0
20.	इटली	2	3	4	0
21.	जापान	1	2	0	0
22.	केन्या	4	4	0	1
23.	कोरिया	0	0	1	0
24.	लाइबेरिया	1	0	0	0
25.	लेस्थो	0	1	0	3
26.	माली	0	1	0	0
27.	मलेशिया	1	4	0	0
28.	मालदीव	0	2	2	2

1	2	3	4	5	6
29.	मोजम्बिक	1	1	0	0
30.	म्यांमार	50	62	40	21
31.	नामीबिया	1	0	0	0
32.	नेपाल	27	45	100	52
33.	न्यूजीलैंड	2	0	0	0
34.	नाइजीरिया	47	45	48	51
35.	नार्वे	0	1	0	0
36.	पाकिस्तान	4	1	0	0
37.	फिलीपीन	0	1	0	0
38.	पोलैंड	1	0	0	0
39.	रूस	3	3	4	0
40.	सिंगापुर	1	2	0	0
41.	श्रीलंका	5	4	4	4
42.	दक्षिण अफ्रीका	4	0	3	2
43.	स्विटजरलैंड	2	0	0	0
44.	स्वीडन	0	1	0	0
45.	तंजानिया	4	2	6	4
46.	थाइलैंड	1	0	0	0
47.	यूगांडा	0	0	3	2
48.	यूनाइटेड किंगडम	1	6	4	2
49.	यूएसए	2	1	1	3
50.	वियतनाम	0	0	0	1
51.	जाम्बिया	0	1	1	0
52.	जिम्बाबवे	1	0	0	0
53.	अन्य	1	0	0	6 बोलविया वोत्सवाना एवं सूडान आदि
	कुल	192	225	236	167

विवरण-II

विदेशी नागरिकों से जब्त की गई स्वापक औषधियां

(कि.ग्रा.)

स्वापक औषधि	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर)
1	2	3	4	5
अल्प्राक्स	—	—	20590 टैब	—
अटेवान	—	—	210 टैब	-
कोकीन	4.644	11.025	7.345	44.503

1	2	3	4	5
डायजीपाम	—	—	19580	—
इफेड्रिन	95.320	1320.50	127	5.005
गांजा	344.728	3037.73	10974.638	6640.59
हशीश	127.955	408.563	857.611	356.185
हेरोइन	170.624	102.899	67.560	64.331
लोराजीपाम	—	—	13710 टैब	—
एलएसडी	—	0.014/15 टैब	0.006/4 टैब	.001
एटीएस	—	19.958	287 टैब	2.395
एमडीएमए	0.02	0.162/34 टैब	0.1168	.006
मार्फिन	5.60	—	20.259	—
निटाजीपाम	—	—	9032 टैब	—
अफीम	1.14	49.988	8.875	5.14
प्राक्सीवान	—	28 टैब	991 टैब	13089 टैब
स्यूडोइफेड्रिन	—	62.5	10738430 टैब	40/12490038 टैब
पापी स्ट्रा	100	—	330.00	—
जोल्पीडेम	—	—	14160 टैब	—
हशीश ऑयल	—	0.924	—	.172
केटामाइन	—	—	—	8.00 कि.ग्रा./ 10 इंजेक्शन
अन्य मन:प्रभावी पदार्थ	566 बोट	—	6.588/411511 टैब	0.065

- टैब = टैबलेट/पीसीएस = पीस
- बीओटी = बोतल

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला लिंकेज

1716. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से विद्युत परियोजना के संबंध में कोयला लिंकेज हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त विद्युत परियोजना को कब तक कोयला लिंकेज उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) मध्य प्रदेश को दूसरे चरण की 2×660 मेगावाट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को कब तक कोयला लिंकेज उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों से उनकी विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले का लिंकेज देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता मेगावाट
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	7000
2.	असम	5	1750
3.	बिहार	7	10140
4.	छत्तीसगढ़	5	7700
5.	गुजरात	1	800
6.	हरियाणा	3	3260
7.	कर्नाटक	6	4960
8.	केरल	1	2400
9.	मध्य प्रदेश	5	7220
10.	महाराष्ट्र	13	16360
11.	ओडिशा	1	1200
12.	पंजाब	3	3640
13.	राजस्थान	6	7800
14.	तमिलनाडु	4	4700
15.	उत्तर प्रदेश	11	14400
16.	पश्चिम बंगाल	4	2470
	कुल	80	**95800**

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों ने कोयले की आपूर्ति के लिए 172 आश्वासन पत्र (एलओए) जिनमें 1,08,878 मेगावाट की क्षमता शामिल है, जारी किया है। 11वीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 26,000 मेगावाट की क्षमता आरंभ की गई है तथा लगभग 82,000 मेगावाट की शेष क्षमता 12वीं योजना अवधि के दौरान तथा उससे आगे प्रारंभ किए जाने की संभावना है। चूंकि विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 80,000 से अधिक मेगावाट के एलओए पहले से मौजूद हैं, अतः मध्य प्रदेश की श्री सिंगाजी तापीय विद्युत परियोजना की 2×660 मेगावाट विद्युत परियोजना सहित 12वीं योजना विद्युत परियोजनाओं के लिए नया कोयला लिंकेज/एलओए देने हेतु प्रथम दृष्टया कोई संभावना नहीं है।

बागवानी स्कीमें

1717. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी, फलों, पौधारोपण, मत्स्यपालन आदि से संबंधित किन स्कीमों को स्थान-वार लागू किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्कीम-वार एवं राज्य-वार कितनी राशि प्रदान की गयी है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या ऐसे अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा इन क्षेत्रों के लिए किसी नयी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस जानकारी को प्रदान करने तथा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में बागवानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) नामक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसमें फल, बागवानी फसलें आदि शामिल है।

पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में मछली पालन के विकास के लिए अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि के क्षेत्र में विकास और राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड (एनएफडीबी) नामक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर इन कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने नई प्रौद्योगिकी और उन्नत उत्पादन प्रणाली विकसित करने को उच्च प्राथमिकता देती है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार प्रदान की गई निधियां दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निर्मुक्त निधि

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	95.67	105.18	92.94
2.	बिहार	24.35	0.00	20.17
3.	छत्तीसगढ़	60.00	96.57	85.23
4.	गोवा	1.50	2.12	2.00
5.	गुजरात	25.21	54.97	92.98
6.	हरियाणा	56.00	51.50	76.39
7.	झारखंड	30.84	16.00	42.37
8.	कर्नाटक	80.02	93.25	99.96
9.	केरल	0.00	44.00	53.63
10.	मध्य प्रदेश	35.45	51.00	55.34
11.	महाराष्ट्र	91.73	126.14	93.99
12.	ओडिशा	35.00	32.59	46.94
13.	पंजाब	25.78	35.00	47.02
14.	राजस्थान	25.00	40.00	40.22
15.	तमिलनाडु	61.80	77.50	62.23
16.	उत्तर प्रदेश	91.43	54.00	51.37
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	28.80	25.84
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.00	1.52	3.00
19.	पुदुचेरी	0.33	0.56	0.64
	कुल	742.12	910.70	992.27

विवरण-II

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत निर्मुक्त निधि

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1.	अरुणाचल प्रदेश	1492.00	2684.60	4363.65	3700.00
2.	असम	3743.00	2995.02	2500.00	1500.00
3.	मणिपुर	3029.00	3951.00	4650.00	4400.00
4.	मेघालय	1932.00	2675.00	3444.50	2400.00
5.	मिजोरम	3500.00	3890.00	3835.15	3300.00
6.	नागालैंड	3950.00	4400.00	4555.00	3450.00
7.	सिक्किम	3428.20	2455.00	4250.66	3524.40
8.	त्रिपुरा	3000.00	2620.00	3950.00	3300.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1700.00	3000.00	3000.00	950.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1589.00	1500.00	3531.21	1085.41
11.	उत्तराखंड	1700.00	2900.00	3000.00	0
	कुल	29063.20	33070.62	41437.67	27609.81

*30.11.12 तक

विवरण-III

क. मात्स्यिकी और जल कृषि के क्षेत्र के विकास हेतु सीएसएस-विकास के अंतर्गत निर्मुक्त निधि

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	24.00	93.00	100.00
2.	असम	75.00	0.00	75.00
3.	बिहार	0.00	20.00	101.40
4.	छत्तीसगढ़	77.50	131.25	81.00
5.	हरियाणा	75.00	66.50	60.00
6.	जम्मू और कश्मीर	112.50	112.50	153.00
7.	झारखंड	50.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	33.00	0.00	0.00
9.	केरल	100.00	150.00	145.87
10.	मध्य प्रदेश	250.00	210.00	139.00
11.	महाराष्ट्र	39.35	0.00	0.00
12.	मणिपुर	75.00	75.00	106.00
13.	मिजोरम	100.00	342.00	250.00
14.	नागालैंड	200.00	195.50	355.00
15.	ओडिशा	236.25	130.00	336.73
16.	पुदुचेरी	6.95	0.00	0.00
17.	राजस्थान	0.00	8.60	8.60
18.	सिक्किम	0.00	0.00	10.00
19.	तमिलनाडु	178.75	225.00	350.00
20.	त्रिपुरा	24.00	37.81	100.00
21.	उत्तर प्रदेश	150.00	273.15	400.00
22.	उत्तराखंड	67.65	24.00	33.80
23.	पश्चिम बंगाल	200.00	200.00	180.00
	कुल	2074.95	2294.31	2985.40

ख. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति

वर्ष	रुपये लाख
2009-10	4658
2010-11	4687
2011-12	3312

विवरण-*IV*

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) क्षेत्र-वार अनुमोदित परियोजना लागत 2009-13

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		बागवानी	मात्स्यिकी	बागवानी	मात्स्यिकी	बागवानी	मात्स्यिकी	बागवानी	मात्स्यिकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	49.01	7.00	73.41	15.35	221.59	14.33	207.01	14.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.91	2.36	7.25	3.48	4.75	1.19	17.87	3.13
3.	असम	3	9.46	13.04	13.87	24.05	11.88	27.80	20.5
4.	बिहार	10.25	8.59	6.22	9.97	34.45	21.81	213.12	24.92
5.	छत्तीसगढ़	21.31	8.08	101.85	24.76	39.97	16.69	92.10	28.51
6.	गोवा	0	0	0	0.03	3.91	0.1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	7.71	4.10	33.83	8.60	69.34	1.63	137.04	1.04
8.	हरियाणा	1	1.25	10.38	1.00	13.13	1.5	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	9.44	0.50	18.41	0.45	3.34	8.28	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	13	0.42	30.52	5.60	20.72	1.94	0	0
11.	झारखंड	5.84	3.04	16.32	1.80	28.45	20.37	0	0
12.	कर्नाटक	38.13	18.69	13.70	11.00	75	14.12	0	0
13.	केरल	1.66	24.46	21.11	33.31	42.6	50.02	19.43	7.95
14.	मध्य प्रदेश	12.83	6.06	15.82	27.41	16.93	28.78	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	200.00	81.59	21.96	9.04	157.67	0
16.	मणिपुर	1.00	1.00	4.00	4.00	10.48	3.7	0	0
17.	मेघालय	2.50	0	10.00	8.00	115.54	59.11	0	0
18.	मिजोरम	0.00	0	1.07	0.40	3.50	0.40	0	0
19.	नागालैंड	0.80	0.68	0.48	1.59	8.48	2.90	9.5	12.84
20.	ओडिशा	0	0	10.64	0	20.66	60.66	31.65	0
21.	पंजाब	5.88	0.40	21.05	3.62	38.01	1.13	0	0
22.	राजस्थान	20.91	0	104.34	2.61	27.64	0	1.18	16.95
23.	सिक्किम	1.64	0	0	0.77	4.5	0	0	0
24.	तमिलनाडु	10	1.17	1.50	1.89	89.77	20.29	87.10	0
25.	त्रिपुरा	4.92	0	8.83	1.72	5.34	1.35	2.65	2.87
26.	उत्तर प्रदेश	53.56	4.22	0.06	6.84	72.71	15.16	34.99	3.01
27.	उत्तराखंड	15.91	0	0	0	41.01	0.86	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	9.25	7.64	9.11	9.30	29.51	24.99	0	0
	कुल	300.46	109.12	732.94	278.96	1087.34	392.23	1039.11	136.57

चीनी मिलें

1718. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :**
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री प्रेमदास :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री जयंत चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी मिलों पर किसानों की गन्ना राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी मिलों पर बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) चीनी मिलों द्वारा किसानों को बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं तथा इस बकाए का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गन्ने के वर्तमान मूल्य-निर्धारण तंत्र को किसानों एवं मिलों के लिए मूल्य साझा अनुपात विधि से प्रतिस्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। 15 अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी मिलों के प्रति लंबित गन्ना मूल्य बकायों की राशि दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये बकाया सामान्यत: न्यायालयों में मामलों के न्यायाधीन होने, उधारदाता बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत मिलों को लिए जाने आदि के कारण होते हैं।

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार 14 दिनों के बाद विलंबित अवधि के लिए देय राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान निर्धारित होता है। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के पास निहित हैं और प्रदत्त की गई हैं जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन है। गन्ना मूल्य बकायों के समय पर भुगतान के लिए चीनी मिलों की भुगतान क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने चीनी मौसम 2010-11 और 2011-12 में चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। तथापि, गन्ना मूल्य बकाया घट रहे हैं और राज्य-वार बकाया की स्थिति निरंतर बदल रही है। अत: इसके लिए समय-सीमा दर्शा पाना संभव नहीं है कि कब तक बकाया की स्थिति ठीक हो जाएगी।

(घ) और (ङ) डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में चीनी उद्योग समिति ने 5 अक्तूबर, 2012 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अंशशोधित और चरणबद्ध तरीके में दो से तीन वर्ष की अवधि में गन्ने के मूल्य निर्धारण के यौक्तिकीकरण की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं। इसलिए गन्ने के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण तंत्र को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (15.10.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान लंबित गन्ना बकायों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	देय गन्ना मूल्य 2011-12	भुगतान किया गया गन्ना मूल्य 2011-12	बकाया गन्ना मूल्य 2011-12	%	बकाया गन्ना मूल्य 2010-11	बकाया गन्ना मूल्य 2009-10 और पूर्व के	कुल बकाया गन्ना मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पंजाब	965.88	935.11	30.77	3.19	0.00	0.00	30.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	हरियाणा	1221.11	1221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	राजस्थान	5.99	3.92	2.07	34.53	0.00	0.00	2.07
4.	उत्तर प्रदेश	18064.12	17866.53	197.59	1.09	7.30	109.07	313.97
5.	उत्तराखंड	905.48	858.91	46.57	5.14	17.97	6.30	70.84
6.	मध्य प्रदेश	132.77	132.77	0.00	0.00	2.05	11.34	13.39
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	1717.65	1696.27	21.38	1.24	0.00	13.41	34.79
9.	महाराष्ट्र	13411.22	13407.70	3.52	0.03	30.02	15.94	49.48
10.	बिहार	1054.80	1038.15	16.65	1.58	1.42	31.78	49.85
11.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	आंध्र प्रदेश	2368.72	2306.57	62.15	2.62	0.00	33.09	95.24
13.	कर्नाटक	6768.44	6707.99	60.45	0.89	38.77	20.23	119.45
14.	तमिलनाडु	5118.83	4987.67	131.16	2.56	0.00	2.15	133.31
15.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	ओडिशा	98.10	96.08	2.02	2.06	0.00	0.00	2.02
17.	पश्चिम बंगाल	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पुदुचेरी	74.12	67.49	6.63	8.94	0.00	0.00	6.63
20.	गोवा	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	51937.50	51356.54	580.96	1.12	97.54	243.32	921.82

[अनुवाद]

अनुमान पर अंकुश

1719. **श्री संजय धोत्रे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर कृषि वस्तुएं विशेषकर दालों एवं खाद्य तेल में अनुमान एवं मूल्य में हेराफेरी को रोकने के लिए वस्तु भविष्य विनियामक वायदा बाजार आयोग (एफएससी) को अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में दालों एवं खाद्य तेल की मांग के पूर्ति से अधिक होने की संभावना को देखते हुए दालों एवं खाद्य तेल के आयात बढ़ाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दालों एवं खाद्य तेल की कितनी मात्रा आयातित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) खाद्य वस्तुओं खासकर दालों एवं खाद्य तेलों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/किए जा रहे अन्य सुधारात्मक कदम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वायदा बाजार आयोग को ऐसे कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। वायदा बाजार आयोग वस्तु वायदा बाजारों के विनियामक होने के कारण अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत एक्सचेंज प्लेटफार्म पर व्यापारित सभी वस्तुओं के मूल्यों के संचलन में होने वाले उतार-चड़ाव की निगरानी करता है और मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए दैनिक मूल्य सीमा (सर्किट सीमा) अति व्यापार को रोकने के लिए सदस्य और ग्राहक स्तर पर खुली स्थिति सीमाओं, अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए क्रेताओं और/अथवा विक्रेताओं पर विशेष मार्जिनों और अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने अथवा बाजार में किसी व्यक्ति अथवा एक समूह द्वारा बाजार के एकीकरण को रोकने के लिए विभिन्न विनियामक उपायों का प्रयोग करता है। खुली स्थितियों पर सीमाएं इस प्रकार लगाई जाती है कंसर्ट में भाग ले रहा कोई भी एकल व्यक्ति/प्रतिष्ठान अथवा व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों का समूह बाजार सिद्धांतों के विरूद्ध मूल्य खोज प्रक्रिया को प्रभावित कर पाने में समर्थ न हो सके।

(ग) और (घ) दलहन और तिलहन/खाद्य तेलों की मांग और उत्पादन के बीच अंतर होता है और इस अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है तथा इनकी मांग निरंतर बढ़ रही हे। खाद्य तेलों का आयात खुले लाइसेंस के तहत किया जाता है।

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए दालों और खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर क्रमश शून्य और 7.5% किया गया है।

(ii) सरकार ने वर्ष 2008 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम लागू की थी। इस स्कीम को बाद के वर्षों में बढ़ाया जाता रहा और अब इसे 30.09.2013 तक बढ़ाया गया है।

(iii) दालों, कच्चा पमोलीन के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया और रिफाइन्ड और हाइड्रोजनीकृत तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

(iv) खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों के साथ खाद्य तेलों 20000 टन प्रति वर्ष की क्षमता तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10 हजार टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(v) सरकार ने दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों सहित चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के मामले में राज्य सरकारों को समय-समय पर स्टाक सीमाएं अधिरोपित करने की अनुमति दी है।

(vi) उड़द और तूर दाल में वायदा व्यापार को निलम्बित किया गया है।

(vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडीकृत आयातित दालों की स्कीम को ''गरीब रेखा से नीचे के कार्यधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सहायता प्राप्त दरों पर आयतित दालों की आपूर्ति की स्कीम'' नामक बदले हुए नाम से पुनः शुरू करने का निर्णय किया गया जिसमें चालू वर्ष के शेष भाग के 20 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडीदेने और सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों की सीमा को अवधि के लिए 10 लाख टन तक खाद्य तेलों के आयात के लिए 15 रु. प्रति कि.ग्रा.की सब्सिडी के साथ 30.09.2013 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया।

[हिन्दी]

किसानों की जनगणना

1720. **श्री जयवंतराव आवले :**

श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्रीमती राजकुमारी चौहान :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों/उत्पादकों की संख्या एवं दशा जानने के लिए हाल में कोई जनगणना करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में छोटे एवं सीमान्त किसानों की राज्य-वार एवं वर्ग-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) देश में किसानों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य राहत एवं कल्याण उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) देश में प्रचालानात्मक जोतों के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए पांच वर्ष के अंतराल के बाद भारत में कृषि संगणना आयोजित की जाती है। प्रचालानात्मक जोत को कृषि उत्पादन के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इसे हक विधिक रूप, आकार या स्थान पर ध्यान दिए बिना एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य लोगों के साथ एक तकनीकी इकाई के रूप प्रचालित किया जाता है। नवीनतम कृषि संगणना 2010-11 के अनन्तिम परिणामों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों नामतः सीमान्त, छोटी, अर्द्ध-माध्यम, मध्यम एवं बृहत में प्रचालात्मक जोतों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी, सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन योजना, (iv) राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना, (v) अन्तपूर्णा शामिल है। प्रत्येक योजना से जुड़ी शर्तों को पूरा करने के बाद किसान इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ङ) किसानों की कठिनाइयों को कम करने और उनकी स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, संशोधित बृहत कृषि प्रबंधन, आदि योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। किसानों के लिए ऋण प्रवाह सरल बनाने हेतु सरकार समयबद्ध ढंग से सभी पात्र एवं इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाढ़, सूखा आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को ऋण राहत देने के लिए बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार बीजों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फसल बीमा पर प्रीमियम और उर्वरक आदि पर राज सहायता भी प्रदान करती है।

विवरण

कृषि संगणना 2010-11 अनंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में सीमान्त, छोटी, अर्द्ध-मध्यम, मध्यम बृहत् कुल प्रचालानात्मक जोतों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रचालानात्मक जोतों की संख्या					
		सीमान्त (1.00 है. से कम)	छोटी (1.00-2.00 है.)	अर्द्ध-मध्यम (2.00-4.00 है.)	मध्यम (4.00-10.00 है.)	बृहत् (10.00 है. और ऊपर)	प्रचालानात्मक जोतों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8424698	2918374	1399123	397252	35653	13175100

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	21456	19333	34038	27941	6530	109298
3.	असम	1831115	496574	303528	84869	4137	2720223
4.	बिहार	14744098	948016	414664	81484	3129	16191391
5.	छत्तीसगढ़	2182834	831118	502989	201841	27698	3746480
6.	गोवा	45396	6428	3581	1717	475	57597
7.	गुजरात	1747977	1379896	1042463	496346	71506	4738188
8.	हरियाणा	778142	314818	283828	194694	45829	1617311
9.	हिमाचल प्रदेश	669660	175167	85146	27697	3284	960954
10.	जम्मू और कश्मीर	1206612	167130	63681	11449	525	1449397
11.	झारखंड	1848324	428861	282818	128683	20242	2708928
12.	कर्नाटक	3848834	2138208	1266829	510745	67573	7832189
13.	केरल	6579692	180171	57028	12044	1854	6830789
14.	मध्य प्रदेश	3891016	2448652	1654834	789143	88732	8872377
15.	महाराष्ट्र	6709118	4049335	2157665	710001	72846	1369865
16.	मणिपुर	76735	48850	22235	2760	40	150620
17.	मेघालय	109390	61031	32021	6796	258	209496
18.	मिजोरम	50210	29753	9922	1731	264	91880
19.	नागालैंड	7626	20388	47042	77618	25150	177824
20.	ओडिशा	3368296	918647	311261	63688	5579	4667471
21.	पंजाब	164431	195439	324515	298451	69718	1052554
22.	राजस्थान	2511512	1511068	1335144	1127122	403590	6888436
23.	सिक्किम	40476	16941	10809	5922	780	74928
24.	तमिलनाडु	6266372	1181797	502332	150570	17365	8118436

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	469809	53783	24049	3907	86	551634
26.	उत्तर प्रदेश	18167072	3013634	1326531	396681	25430	22929348
27.	उत्तराखंड	672138	157330	64781	17302	1099	912650
28.	पश्चिम बंगाल	5852681	979833	267474	22657	654	7123299
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4626	2415	3137	1592	33	11803
30.	चंडीगढ़	453	133	78	47	3	714
31.	दादरा और नगर हवेली	8177	3903	1807	733	104	14724
32.	दमन और दीव	7716	458	137	36	8	8355
33.	दिल्ली	11308	4517	2979	1543	150	20497
34.	लक्षद्वीप	9854	267	130	26	8	10285
35.	पुदुचेरी	28481	2779	1449	448	71	33228
	कुल	92356335	24705047	13840048	5855536	1000403	137757369

खेल-कूद और युवा गतिविधियों में गैर-सरकारी संगठन

1721. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान युवाओं से संबंधित खेल-कूद एवं गतिविधियों के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य एवं स्कीम-वार किन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) एवं अन्य निकायों को धनराशि दी गयी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त एनजीओ एवं अन्य निकायों द्वारा किए गए कार्यों की कोई समीक्षा करायी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी एनजीओ-वार एवं संगठन-वार परिणाम क्या हैं; और

(घ) वित्तीय अनियमितताओं/आबंटित धनराशि के दुरुपयोग में लिप्त एनजीओ/अन्य निकायों के नाम क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) खेलों और युवा कार्यक्रम से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य संगठनों को निधि प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मुहैया कराई गई निधियों का राज्य एनजीओ-वार और योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी संगठनों और अन्य निकायों द्वारा कार्य की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। गैर-सरकारी संगठनों को अगला अनुदान लेखा परीक्षित लेखा विवरणी और इस आशय के उपयोगिता

प्रमाण-पत्र की छानबीन के बाद ही दिया जाता है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित मुख्य आयुक्त के कार्यालय से अनुरोध किया है कि नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित राज्यों के आयुक्तों द्वारा राज्य में स्थित संबंधित एनजीओ के दौरे/निरीक्षण की व्यवस्था की जाए और तत्संबंधी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएं। अभी तक प्राप्त रिपोर्टें स्कीम का संतोषजनक कार्यान्वयन दर्शाती हैं।

(घ) सरकार के पास महावीर ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, भद्रक, ओडिशा जिसे वर्ष 2010-11 में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए खेल-कूद स्कीम के अंतर्गत 2,36,250 रुपए संस्वीकृत किए गए थे, के पूर्व सचिव द्वारा फंड के दुर्विनियोग के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ओडिशा सरकार को मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

विवरण

2009-10 से 2011-12 तक विगत तीन वर्ष के दौरान युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) की स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उपलब्ध करायी जाने वाली निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

2009-10

दिल्ली

क्र. सं.	गारंटी के नाम व पते	राशि (रुपए)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय युवा परियोजना, नई दिल्ली	27,13,500/-
2.	स्पिक मैके, नई दिल्ली	17,50,000/-
3.	राजयोग फाउंडेशन फॉर एजूकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली	5,75,000/-
4.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	27,09,375/-
5.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली	20,63,750/-
6.	आइएमएफ, नई दिल्ली	83,11,000/-
7.	राष्ट्रीय साहस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	36,50,000/-
8.	दिल्ली साहस खेल संघ, नई दिल्ली	5,07,000/-
9.	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली	6,31,40,850/-
	चंडीगढ़	
10.	राष्ट्रीय साहस क्लब, चंडीगढ़	3,17,500/-

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
11.	समुद्र अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल	5,50,000/-
12.	एचएमआई, दार्जिलिंग	1,19,47,271/-
	जम्मू और कश्मीर	
13.	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, जम्मू और कश्मीर	4,25,000/-
	राज्य स्तरीय एनजीओ	
	महाराष्ट्र	
1.	श्री नटराज शैक्षणिक सांस्कृतिक व क्रीड़ा संस्था, अमरावती जिला	64,000/-
2.	सहयाद्री ग्रामीण विकास व बहु-उद्देशीय युवक कल्याण संस्था बहू, जिला नागपुर	32,500/-
3.	श्री वैष्णवी महिला व आदिवासी विकास संस्था, अमरावती जिला	64,000/-
4.	रसिकआश्रय सांस्कृतिक कला व बहुउद्देशीय संस्था, जिला यवतमाल	32,500/-
5.	प्रगट महिला मंडल, जिला लातूर	64,000/-
6.	जन सेवा एजुकेशन सोसायटी, जिला लातूर	64,000/-
7.	एकता युवा मंडल, जिला लातूर	23,000/-
	मध्य प्रदेश	
8.	प्रगति मानव सेवा संस्थान, जिला गुना	1,76,875/-
9.	मारूती जन कल्याण संस्थान, जिला मुरैना	65,000/-
	पश्चिम बंगाल	
10.	नंदीकर, श्याम बाजार, कोलकाता	2,15,000/-
11.	नारायणपुर मक्ती संघ, जिला दक्षिणी 24 परगना	1,76,875/-
12.	दमदम पार्क, उन्नयनी सामान्य, लेकटाउन, कोलकाता	10,350/-
13.	मोहम्मदपुर महिला समिति, दुरबाचकरी, जिला पूर्व मेदनीपुर	2,28,000/-
14.	कल्पतरू नूतन बाजार, पश्चिम मेदनीपुर	2,28,000/-

1	2	3
15.	कम्युनिटी फॉर सोशल वर्क, रविन्द्रपल्ली, 24 परगना उत्तर	64,000/-
16.	हरीपुर डॉ. अंबेडकर जन सेवा मिशन, नाबाग्राम, मुर्शीदाबाद	1,76,875/-
17.	विवेक नगर इनियशेटिव फॉर डेवलपमेंट एंड इमेनसिपेशन, विवेकानगर, कोलकाता	2,28,000/-
18.	दीपालया एकेपाल रोड, कोलकाता	64,000/-
19.	सोहन, श्याम बाजार जिला कोलकाता	65,000/-
20.	दुरबाचकरी पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिला पूर्व मेदनीपुर	64,000/-
21.	दमदमा मानव कल्याण आश्रम, (डीएमकेए) जिला दक्षिणी 24 परगना	86,500/-
22.	उदयरामपुर निवेदिता महिला समिति, जिला 24 परगना	65,000/-
राजस्थान		
23.	नेहरू युवक मंडल करेडा बुजुर्ग, जिला टोंक	1,76,875/-
24.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, जिला जोधपुर	1,46,250/-
तमिलनाडु		
25.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, जिला डीडींगुल	86,500/-
26.	मास इमपावरमेंट ग्रोथ अलटरनेटिव ट्रस्ट, जिला कांचिपुरम, चेन्नई	86,500/-
27.	गांधी दर्शन केंद्र, जिला कांचिपुरम, चेन्नई	1,46,250/-
मणिपुर		
28.	न्यू होरीजन, जिला थोउबल	2,28,000/-
29.	सेंटर फॉर बेटर लिविंग, जिला विश्नुपुर	2,28,000/-
30.	रिवायवल फाउंडेशन (रिफाउंड), जिला थोउबल	2,28,000/-
31.	इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल आरगेनाइजेशन (आईआरडीओ), जिला थोउबल	2,28,000/-
32.	आउटरिच फाउंडेशन, जिला थोउबल	1,46,250/-
33.	हुएल लांगलोन थांग-टा ऐसोसिएशन, जिला पश्चिम इंफाल	1,46,250/-

1	2	3
34.	न्यू इरा फ्रंटियर आर्गेनाइजेशन (एनईएफओ, जिला पश्चिमी इंफाल	2,28,000/-
35.	रूरल अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट, आर्गेनाइजेशन, जिला पूर्व इंफाल	2,28,000/-
36.	मायायी लांबी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जिला पश्चिमी इंफाल	2,28,000/-
37.	इस्लामिक सामाजिक शिक्षा और सांस्कृतिक विकास संस्था (आईएसईसीडीओ), विश्नुपुर	1,17,000/-
हिमाचल प्रदेश		
38.	एमडीवी जीव सेवा संस्थान, जिला सोलन	1,19,000/-
बिहार		
39.	रेपिड एक्शन फॉर हूमन एडवांशमेंट ट्रेडिशन (राहत), जिला किशनगंज	1,76,875/-
मेघालय		
40.	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, शिलांग	32,500/-
असम		
41.	पठारी व्यवसायिक संस्थान, कोर्ट परिसर के समीप, जिला नागौन	86,500/-
42.	विपणन संसाधन विकास संस्थान, जीएनबी रोड, जिला नागौन	2,28,000/-
43.	दृष्टि फाउंडेशन, जिला नागौन	1,76,875/-
44.	सुर साधना नूतन बाजार, जिला नागौन	1,17,000/-
45.	प्रहार, बीएम रोड, जिला नागौन	1,46,250/-
46.	मंगलुनिया चैरिटेबल ट्रस्ट, एटी रोड, जिला नागौन	2,28,000/-
47.	आदर्श समाज कल्याण समिति, बुलगुरी, नूतन बाजार, जिला नागौन	1,76,875/-
48.	जालुगुटी अरागामी महिला समिति, जिला मोरीगांव	86,500/-
49.	कोसमोस मिशन, जिला कामरूप	86,500/-
50.	संकल्प, जिला शिवसागर	64,000/-
51.	परिवर्तन, जिला जोरहाट	2,28,000/-
52.	अता भौमकारी समाज विकास संघ, जिला बरपेटा	86,500/-

1	2	3
नागालैंड		
53.	कुजीन महिला सोसायटी, डुंगकी, जिला परेन	2,28,000/-
54.	एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसायटी, जिला कोहिमा	1,17,000/-
55.	जनजातीय किसान संघ, नगवालवा, जिला परेन	64,000/-
	2010-11	
दिल्ली		
1.	राष्ट्रीय युवाव परियोजना, नई दिल्ली	25,00,000/-
2.	स्पिक मैके, नई दिल्ली	17,50,000/-
3.	राजयोग फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली	5,75,000/-
4.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	27,09,500/-
5.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली	10,00,000/-
6.	आइएमएफ, नई दिल्ली	40,00,000/-
7.	राष्ट्रीय साहस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	30,00,000/-
8.	उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली	5,00,000/-
9.	ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली	2,50,000/-
10.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	12,44,56,166/-
बिहार		
11.	अनुग्रह नारायण कॉलेज, बोरिंग रोड, जिला पटना	1,50,000/-
जम्मू और कश्मीर		
12.	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, जम्मू और कश्मीर	4,25,000/-
राजस्थान		
13.	फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जयपुर	22,80,000/-
उत्तराखंड		
14.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर काशी	5,80,000/-

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
15.	सी एक्सपलोरर संस्थान, पश्चिम बंगाल	7,50,000/-
	2011-12	
	दिल्ली	
1.	राष्ट्रीय युवा परियोजना, नई दिल्ली	11,37,500/-
2.	स्पिक मैके, नई दिल्ली	17,50,000/-
3.	राजयोग फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली	13,00,000/-
4.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली	16,50,000/-
5.	आइएमएफ, नई दिल्ली	96,69,543/-
6.	सष्ट्रीय साहस प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	1,03,25,000/-
7.	दिल्ली साहस खेल संघ, नई दिल्ली	6,50,000/-
8.	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली	10,52,14,950/-
9.	ऊर्जा और संसाधन संस्थान, (टेरी) नई दिल्ली	2,50,450/-
	चंडीगढ़	
10.	राष्ट्रीय साहस क्लब, चंडीगढ़	5,00,000/-
	पश्चिम बंगाल	
11.	सी एक्सपलोरर संस्थान, पश्चिम बंगाल	5,50,000/-
12.	हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान	1,04,74,000/-
	जम्मू और कश्मीर	
13.	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, जम्मू और कश्मीर	4,25,000/-
	केरल	
14.	एसपी मेमोरियल शिक्षा निकेतन समिति	19,86,000/-
	राजस्थान	
15.	फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट	27,36,000/-

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत युवा और किशोर विकास (एनपीवाईएडी) योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(रुपए)

राज्य का नाम	जारी की गई धनराशि
1	2
आंध्र प्रदेश	—
बिहार	—
छत्तीसगढ़	—
दिल्ली	3,52,37,583/-
गुजरात	—
हरियाणा	—
हिमाचल प्रदेश	4,87,500/-
जम्मू और कश्मीर	28,49,750/-
झारखंड	—
केरल	—
कर्नाटक	23,69,431/-
मध्य प्रदेश	—
ओडिशा	—
पंजाब	—
राजस्थान	21,33,472/-
तमिलनाडु	33,80,300/-
उत्तर प्रदेश	—
उत्तराखंड	—
पश्चिम बंगाल	35,09,000/-
चंडीगढ़	—
अरुणाचल प्रदेश	1,00,00,000/-
असम	86,500/-
मणिपुर	—
मेघालय	—
मिजोरम	16,00,000/-
नागालैंड	—
कुल	6,16,53,536/-

नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी अनुदान, स्कीम 2009-10 से लागू हुई और भुगतान 2010-11 से जारी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्र. सं.	संगठन का नाम	स्कीम के अनुसार जारी अनुदान (रु.)		
			2010-11	2011-12	2012-13 (31.10.12 तक)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1.	मानसिक रूप से विक्षिप्तों के लिए निर्माण एसोसिएशन, डब्ल्यू-127, एचएमटी कॉलोनी टाउनशिप, चिन्तल, हैदराबाद-054500	122700	146250	शून्य

1	2	3	4	5	6
	2.	श्रवण रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी आवासीय स्कूल, मकान नं. सी/16 से 18 असमानगढ़, मलकपट, हैदराबाद-500036	192000	शून्य	180000
	3.	चाक्षुष रूप से विकलांग व्यक्तियों के सरकारी आवासीय बालिका स्कूल, बीच रोड, विशाखापतनम-530045, आंध्र प्रदेश (एपी5)	236250	102621	146000
	4.	बधिरों के लिए सरकारी आवासीय स्कूल, आवंतिपूरम (वी), डॉ. अमृत नगर, मिर्यालगुडा, जिला नालगौंडा, आंध्र प्रदेश-508207 (एपी3)	236250	216750	188980
असम	1.	कचाजुली फिजीकली हैंडिकैप्ड (मूक और बधिर) स्कूल एंड ट्रेनिंग सैंटर, पो घबारू तुनिजान, जिला लखीमपुर, असम	236250	196000	शून्य
	2.	विकलांग कल्याण केन्द्र, गांव पहुमुरिया, पीओ, जिला पानी गांव लखीमपुर, असम-787052-पिन	236250	207890	शून्य
	3.	आशादीप स्कूल फॉर मेंटली डिसअबेल, 1 बी पिया अपार्टमेंट, कनकलता पथ, लछितनगर, गुवाहाटी, असम-781007	236250	248830	शून्य
बिहार	1.	चाइल्ड कनर्सन (बाल विकास के लिए संस्थान, मानसिक स्वास्थ्य) 103 शीला परिसर, नई बाजार बहादुरपुर, राजेन्द्र नगर, पटना, बिहार-016800	236250	शून्य	शून्य
	2.	बिहार निःशक्त खेल अकादमी, मोइनुल हक स्टेडियम, नई बहादुरपुर, बाजार समिति रोड, राजेन्द्र नगर, पटना, बिहार-016800	236250	शून्य	शून्य
	3.	बुद्धम शरणम, चांद चौरा, समीर तकिया, गया, बिहार-823001	शून्य	236250	शून्य
	4.	विकलांग सम्मान संस्थान, सिउर, कोसी, आत्मा, नवादा, बिहार-805107	शून्य	236250	275000
	5.	उमंग बाल विकास, फेयरफील्ड कालोनी, दीघा घाट, पटना, बिहार-800011	शून्य	236250	

1	2	3	4	5	6
चंडीगढ़	1.	सोसायटी फॉर ब्लाइंड, चंडीगढ़ इंस्ट्टीयूट फॉर द ब्लाइंड, सेक्टर 26, चंडीगढ़	183750	309154	236250
	2.	राजकीय वरीष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रायपुर खुर्द, चंडीगढ़-160003 (चंडीगढ़)	236250	103799	236250
	3.	प्री. राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 37-बी, चंडीगढ़, दूरभाष 0172-2677005 प्रिसीपल सुश्री इंदिरा ढींगरा	236250	शून्य	311177
दिल्ली	1.	उमराव सिंह एजुकेशन सोसायटी कोशिश विशेष स्कूल, करकरडूमा दिल्ली	230250	शून्य	
	2.	जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली-110003	236250	शून्य	175144
	3.	नि:शक्तकों के लिए स्कूल, निशक्त महिला कल्याण एसोसिएशन द्वारा चलित, 5 पीएसपी इंस्टीट्यूशनल एरिया, मधुबन चौक, रोहिणी दिल्ली-110085	शून्य	315000	शून्य
गोवा	1.	पीपुल्स एजुकेशन ट्रस्ट, स्कूल फॉर एप्रोप्रिएट लर्निंग माला, पणजी, गोवा	146250	70000	शून्य
	2.	लोक विश्वास प्रतिष्ठान, वीरानी इशानी हाई स्कूल फॉर डेफ एंड डंब चिल्ड्रन, शांतादुर्गा, कृपाश्रम, कपिलेश्वरी, धावाली, पोंडा गोवा-403401	236250	शून्य	शून्य
	3.	डैडी होम विशेष स्कूल, गोगोल, पीओ-फातोदरा, ऑप मठ परिसर मार्गो, 403602, गोवा	236250	शून्य	शून्य
	4.	गुजराती समाज फॉर एजुकेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडिकैप्ड समीप मारूती मंदिर, एक्वेम-403601 मार्गो गोवा	236250	101380	206250
	5.	करिटास गोवा सेंट जेवियर्स अकादमी सी/ओ सेंट फ्रांसिस जेवियर नि:शक्त प्रशिक्षण केन्द्र कदम्बा रोड, ओल्ड गोवा, गोवा-403402	236250	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
गुजरात	1.	खोदियर एजुकेशन ट्रस्ट, मेहसाणा, पंजरपोल बिल्डिंग, पास आजाद चौक, मेहसाणा, गुजरात-384001	शून्य	275000	236250
हरियाणा	1.	बीट्स वोकेशनल शैक्षिक संस्थान, वार्ड नं. 8 सामने गली पुलिस स्टेशन, कालानौर, रोहतक, हरियाणा-124113	146250	शून्य	शून्य
	2.	आधुनिक शिक्षा सोसायटी, "समर्थ" स्पेशल स्कूल फॉर डिसअबेल, 241 गली नं. 1, 8 वार्ड, गोपालपुर रोड, खरखोदा, सोंनीपत, हरियाणा-131403	236250	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	1.	सहयोग बाल श्रवण सहयोग बल श्रवण विकलांग कल्याण समिति सहयोग विशेष स्कूल, नागचला, राष्ट्रीय राजमार्ग-21, मंडी सदर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	236250	290960	236250
	2.	नव-चेतना पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर मेंटली चैलेंज्ड कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, मकान सं. 40 लोरन धालपुर – पीओ-175101	236250	शून्य	307363
	3.	चिन्मय ग्रामीण विकास संगठन (कार्ड), वीपीओ सिद्बारी, तहसील, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 176057	236250	शून्य	312335
	4.	चंदर आभा मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड, चंदर आभा महिला कल्याण भवन, सरवारी बाजार, कुल्लू हिमाचल प्रदेश	शून्य	236250	शून्य
	5.	प्रेम आश्रम, इंस्टिट्यूट ऑफ सिस्टरस ऑफ चैरिटी, चिल्ड्रन होम पोस्ट ऊना (हिमाचल प्रदेश) पिन-174303	शून्य	397750	236170
जम्मू और कश्मीर	1.	प्रेरणा पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान, सहयोग भारत, 56/3, दौलत भवन, आरएसपुरा, जम्मू, जम्मू और कश्मीर	शून्य	236250	शून्य
	2.	मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन, नजदीक दीनी मस्जीद, एनएच रोड बिजबेहेरा, जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर	शून्य	146250	शून्य

1	2	3	4	5	6
झारखंड	1.	आवासीय नि:शक्त जिला स्कूल, जैलहाता, मेदनीनगर, पलामू, झारखंड-822101	236250	40000	215000
	2.	मधु मुस्कान 4ए-ओम शांति अपार्टमेंट, बांग्ला स्कूल लेन, मेन रोड, रांची, झारखंड-001834	शून्य	146250	शून्य
	3.	झारखंड निशक्त खेल, कला, शिल्प, संस्कृति एवं युवा मामले एसोसिएशन, इंद्रप्रस्थ कालोनी, बरियातू, रांची-834001	शून्य	236250	शून्य
जम्मू और कश्मीर	1.	सहयोग इंडिया, (प्रेरणा पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान), 3/56ए, दौलेत भवन, आरएसपुरा, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-181102	शून्य	236250	315000
केरल	1.	करुणा स्पीच एवं हियरिंग स्कूल फॉर द डेफ, इरानीपलम, कालीकट-673006	236250	240076	275000
	2.	तालीमुल इस्लाम ट्रस्ट, कन्नूर, (करूणालय निकेतन स्कूल फॉर डेफ, वादीइस्लाम, विलायनकोड, कन्नूर, केरल-501670	शून्य	236250	108711
	3.	वायनाड अनाथालय, मुत्तील, पीओ मंडाद (वाया) कलपेटा, जिला वयनाड, केरल-122673	शून्य	236250	शून्य
मध्य प्रदेश	1.	सहयोग विशेष आवासीय विद्यालय (दृष्टिबंदीरथ), गिनी कंपाउंड, मीनाक्षी चौक, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	295000	236250	शून्य
	2.	चिंगारी ट्रस्ट, 44 संत कंवर राम नगर, बैरसिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001	236250	शून्य	220197
	3.	स्नेह शिखा और मानव सेवा संस्थान, रेवा स्नेह मंद बुद्धि एवं मूक बधिर विद्यालय रेवा, मध्य प्रदेश-486001	236250	78750	शून्य
	4.	विकलांग सेवा भारती, मध्य प्रदेश, बनर्जी भवन, 321 तिलक वार्ड, गलगला, जबलपुर एमपी-002482	236250	शून्य	शून्य
	5.	अमर ज्योति स्कूल 18, कोटेश्वर रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474012	236250	39000	शून्य

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1.	माजी विद्यार्थी संघ, पीम्पलगांव मूक बधिर आवासीय स्कूल, पीम्पलगांव (हारे), तहसील पचोरा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र-42203	146250	शून्य	शून्य
	2.	ग्रामीण बाल रोग संस्थान, 6/269, न्यूऐज रोड, जिला पुणे-बारामती-413102	236250	शून्य	शून्य
	3.	सह्याद्री ग्रामीण आदिवासी विकास प्रतिष्ठान मंचर, पीओ: मंचर, अंबेगांव तालुका, जिला पुणे, महाराष्ट्र-410201	शून्य	195000	शून्य
मणिपुर	1.	ब्लीस आइलैंड स्कूल, पीपल्स एडवांस इन सोशल सर्विस चुराचांदपुर, मणिपुर	236250	295000	315000
	2.	विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्रीय संस्थान (आरआईएचपी), यारिपोक, मणिपुर 795149	236250	121633	शून्य
	3.	एचविवमेंट ऑराइजिंग मेडन (एआरएम) क्वाकैथल/विकलांग बच्चे के लिए संस्थान (आईसीडी) (नागनप्पी, थांग इम्फाल) मणिपुर	255000	236250	शून्य
	4.	सोसायटी फॉर इमपावरमेंट ऑफ डिसअबेल फीवांगबाम, लेयकी, विष्णुपुर जिला, मोइरांग-795133 — (थांगजिंग निशक्तों के लिए स्पेशल स्कूल) मणिपुर	236250	शून्य	315000
	5.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ मणिपु घारी एयरपोर्ट रोड, पो तुलिहाल, इम्फाल पश्चिम मणिपुर	236250	शून्य	शून्य
मेघालय	1.	द्वार जिंगकेरमन, विशेष शिक्षा की जरूरत में बच्चों के लिए स्कूल, टोनी भूमि, शिलांग, मेघालय-003793	शून्य	236250	शून्य
	2.	बेथानी सोसायटी, ज्योति स्रोट स्कूल, बेथानी सोसायटी कैम्पस, लेडी वेरोनिका लेन, लेटमुखरा, शिलांग, मेघालय 793003, मेघालय-003793	शून्य	236250	शून्य
	3.	लिन्टी जिंगकरमन स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन शिक्षा, मावलंगिर, मावाकेरयात, पश्चिम खासी हिल्स जिला, मेघालय	शून्य	146250	शून्य

1	2	3	4	5	6
	4.	फर्नान्डो स्पीच एंड हियरिंग सेंटर, उमनियू ख्वान जिला, री भोई, मेघालय-793122	शून्य	236250	शून्य
मिजोरम	1.	मिजो रैम स्पास्टिक सोसायटी, गिलाद विशेष स्कूल, आइजोल, मिजोरम	295000	236250	235000
	2.	विशेष ब्लाइंड स्कूल (समारिटयनस एसोसिएशन फार ब्लाइंड), दुर्तलांग वेंगलाई, मिजोरम	137400	118125	185625
ओडिशा	1.	महासबीर प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र महावीर मूक बधिर स्कूल, इच्छापुर, भद्रक, ओडिशा	236250	शून्य	शून्य
	2.	ओपन लर्निंग सिस्टम, प्लॉट नं. जी-3ए 11 गडाकना मौजा, पीओ मांचेश्वर रेलवे कालोनी, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, ओडिशा-751017	236250	239900	शून्य
	3.	कवि नरसिंह मठ मूक बधिरस्कूल, बाकिलीकाना, पो डेंगापडारा वाया बुरूपदा, जिला गंजम, ओडिशा-761146	शून्य	236250	शून्य
	4.	ओपन लर्निंग सिस्टम्स, स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पाल्सी और इल्टेलेक्चुअल डिसअबिलिटी, प्लॉट 991 कुंडहिबंता साही, पुरानी सदर थाना लेन नियर एससीएस कालेज, पुरी, ओडिशा-752001	शून्य	236250	शून्य
पंजाब	1.	उमंग स्कूल, फरीदकोट मानसिक रूप से (मदं)	236250	128000	शून्य
	2.	उजाला स्कूल, फरीदकोट (प्रजा चक्षु)	146250	99000	शून्य
	3.	उम्मीद रोड क्रॉस स्कूल, फरीदकोट मूक और बधिर	146250	82300	शून्य
	4.	संत शैक्षिक और वेलफेयर सोसायटी 10 पक्का बाग नियर पंजाब एंड सिंध बैंक, रोपड़, पंजाब-14001	236250	शून्य	शून्य
पुदुचेरी	1.	सत्य विशेष स्कूल-59 मुथैया मुदालियर स्ट्रीट, मुथियालपेट 605003 पुदुचेरी	225000	198000	शून्य
	2.	करुणाई सोसायटी फार एजुकेशन रिसर्च एवं रिहैबिलेटाइजेशन ऑफ दि मेंटली चैलेंज्ड 30.5 क्रेस रोड, कंबन नगर, रेडियारपलायम, पुदुचेरी	236250	239900	शून्य

1	2	3	4	5	6
	3.	इंद्रधनुष फाउंडेशन ट्रस्ट, नं. 23-22, बालामुरुगन नगर) वाया (अब्दुलकलाम नगर, थेनगाइथट्टू पुदुचेरी-605004	118125	शून्य	शून्य
	4.	(सदय विशेष आवश्यकताओं के लिए स्कूल) लायंस काम्पलेक्स सेंटर फार स्पेशल अटेंशन डिर्जविंग एडेपटेबल युंगस्टर लायंस क्लब स्ट्रीट यात्री निवास के पीछे कैनेडी नगर, पुदुचेरी-40001	236250	235000	शून्य
राजस्थान	1.	मानसिक रूप से अशक्तों के लिए कल्याण सोसायटी, जयपुर, निर्मल विवेक स्कूल, दैनिक भास्कर के पीछे, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर	209290	शून्य	शून्य
	2.	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर, राजस्थान	236250	295000	शून्य
	3.	आशा का झरना (विशेष शिक्षा के लिए संस्थान), नवलगढ़, राजस्थान-333042	205000	264580	शून्य
	4.	तपोवन मनोविकास विद्यालय 15 राष्ट्रीय राजमार्ग, सूरत गढ़ रोड, श्रीगंगानगर, राजस्थान-001335	236250	201900	शून्य
	5.	राजस्थान महिला कल्याण मंडल (आरएमकेए) विश्वामित्र आश्रम गांव छाछियावास, वाया गंगवाड़ा जिला अजमेर राजस्थान-305 023	236250	शून्य	307420
तमिलनाडु	1.	सीएसआई बधिर हायर सेकेंडरी स्कूल-मायलापुर, चेन्नई-600004	236250	शून्य	शून्य
	2.	सीएसआई एचएस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डेफ, सचियापुरम, शिवकाशी	193200	227580	236250
	3.	सिवाबकयम मानसिक रूप से निशक्त के लिए विशेष स्कूल और पुनर्वास केन्द्र, इलनानगर, थिरूचेनकोडे-टीके	275000	236250	235000
	4.	कलरफुल चिल्ड्रन सेंट एनेस स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, त्रिची मेन रोड, नल्लूर नामक्कल, तमिलनाडु-637020	261750		शून्य
	5.	हेलेन केलर स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, जयकोंडम क्रॉस रोड, पीओ कोलापुरम, तालुक, उदययरपलायम, जिला अरियालुर, तमिलनाडु-612901	236250	175075	295691

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	1.	इंग्राम संस्थान सोसायटी आशा बधिर विद्यालय, गाजियाबाद	236250	183000	शून्य
	2.	संचित विकास संस्थान (मानसिक मंद विद्यालय) मदनपुर, हसनपुर पीओ, बरगाडवा, बस्ती, यूपी-172190 उत्तर प्रदेश पीओ, झलानी जिला गोंडा उत्तर प्रदेश	236250	शून्य	315000
	3.	मार्गदर्शन, डी-मानकी, जिला अस्पताल कैम्पस, जगदीशपुर, (बलिया) उत्तर प्रदेश-277001	शून्य	236250	शून्य
	4.	अमेठी ग्राम विकास संस्थान, जमाउन, जिला, छात्रपति साहूजी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश-277807	शून्य	146250	शून्य
उत्तराखंड	1.	समर्थ सेवा समिति, विद्यालय डिग्री कॉलेज, सतिकुंड, कनकल हरिद्वार	148323	114100	शून्य
पश्चिम बंगाल	1.	जनद्वीप विकलांग स्कूल और ट्रेनिंग सैंटर, कदमतला, पतलखवा, जिला, कूच बिहार-736101	228000	100859	253888
	2.	केंदुआदही विकास सोसायटी, केंदुआदही, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल-722102	226700	151800	168602
	3.	नोबल मिशन ऑफ साउथ कोलकाता, प्रतिबंधी सम्मिलनी ग्राम, ब्राखोला, कृषकपल्ली, मुकुंदपुर, कोलकाता-700099	236250	143750	शून्य
	4.	निमतौरी तामलुक उन्नयन समिति, गांव निमतौरी, पीओ कुलबेरिया, जिला पूर्बा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल पिन-721649	शून्य	236250	185888

ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

1722. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों, उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों तथा बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की राज्य-वार एवं स्थान-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान इन ट्रांसमीटरों के दोषपूर्ण कार्यकरण/अकार्यकरण के संबंध में सरकार को राज्य-वार कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उनके कार्यकरण को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित इन ट्रांसमीटरों की राज्य-वार तथा स्थान-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में और उच्च शक्ति वाले टीवी ट्रांसमीटरों के लिए कोई स्कीम मंजूर की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके नेटवर्क में 1415 ट्रांसमीटर (एचपीटी-214, एलपीटी-812, वीएलपीटी-389) हैं। तत्संबंधी राज्य-वार अवस्थियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) यद्यपि, दूरदर्शन नेटवर्क में टीवी ट्रांसमीटरों का कार्य-निष्पादन आमतौर पर संतोषजनक होता है, तथापि कुछ ट्रांसमीटरों के खराब कार्य-निष्पादन के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। दूरदर्शन द्वारा इन शिकायतों के मुस्तैदी से निदान करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों, जोकि अप्रबंधित अधिष्ठापन होते हैं, के मामले में शिकायतों का निदान करने में कुछ समय लग जाता है क्योंकि अनुरक्षण स्टाफ को निर्धारित अनुरक्षण केन्द्रों से भेजना पड़ता है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 27 नए टीवी ट्रांसमीटर अधिष्ठापित किए गए। तत्संबंधी राज्य-वार अवस्थितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) टीवी कवरेज के विस्तार हेतु नए ट्रांसमीटरों (सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछेक स्थलों को छोड़कर) की स्थापना करने की फिलहाल परिकल्पना नहीं है क्योंकि स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों और साथ ही, देश के शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीडीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के माध्यम से बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है। जम्मू और कश्मीर राज्य में (क) ग्रीन रिज़ (उरी) (ख) हिम्बोटिंगला टॉप (कारगिल) (ग) नाथा टॉप (जम्मू) और (घ) राजौरी (जम्मू) – (डीडी 1 एवं डीडी न्यूज) में पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, महबूबनगर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

विवरण-I

दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1. **आंध्र प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)

अनंतपुर

हैदराबाद

कुरनूल

नांदयाल

राजमुंदरी

तिरुपति

विजयवाड़ा

विशाखापट्टनम

वारंगल

हैदराबाद (डीडी न्यूज)

विजयवाड़ा (डीडी न्यूज)

विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)

राजमुंदरी (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (81)

आचम्पेट

अदिलाबाद

अदोनी

अलगड्डा

अमलापुरम

बांसवाड़ा

बेलमपल्ली

भद्राचलम

भैंसा

भीमाडोलू

भीमावरम

बोबिली

चित्तूर

कुडप्पा	मदनापल्ली
दारसी	मदुगुला
देवरकोंडा	मंडास्सा
इमिगानुर	मरकापुर
गड़वाल	मेडक
गिड्डालूर	महबूबनगर
गुंटकल	मिरियालगुड़ा
हिन्दूपुर	नगर कूरनूल
जदचेरला	नालगोंडा
जगितयाल	नारायणपेट
कादिरी	नेल्लूर
काकीनाडा	निर्मल
कामरेड्डी	निजामाबाद
कुंडुकुर	ओंगोल
करीमनगर	पेडापल्ली
कावली	प्रोड्डुतूर
खम्माम	पुलामनेर
कोल्हापुर	पुंगानूर
कोस्गी	राजमपेट
कोटागुडम	रामागुडंम
कुप्पम	सिद्दीपेट
एल.आर. पल्ली	सिरपुर
मचेरला	श्रीकाकुलम
मछलीपट्टनम	सिरीसिल्ला

तालकोंडापल्ली

ताम्बलापल्ली

तंडूर

तेक्काली

तिरुपति

तुनी

उदयगिरि

वेलडांडा

वेमलवाड़ा

विनुकोंडा

विशाखापट्टनम

वनपार्थी

येल्लांडु

जाहिराबाद

आत्माकुर (डीडी न्यूज)

काकीनाडा (डीडी न्यूज)

नरसारावपेट (डीडी न्यूज)

नेल्लूर (डीडी न्यूज)

पेडनंदीपाडु (डीडी न्यूज)

विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (10)

चिंतापल्ली

दत्तालूर

इच्छापुरम

काणिगिरि

माडिपार्डु

मारिपाडु

पेडरू

पार्वतीपुरम

सीतामपेट्टा

श्रीसेलम

(घ) ट्रांसपोजर (1)

विजयवाड़ा

2. **अरुणाचल प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

ईटानगर

ईटानगर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

मियाओ

पासीघाट

तेजु

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

अलांग

बसर

बडीरीजो

बोलेंग

बोमडिला

चांगलांग

च्यांगताजो

दपोरिजो

दारक

देवमाली

दिरांग

गेकु

गेंसी

हवाई

हायुलियांग

हुंली

इंकियांग

कलाकतांग

खिमयांग

खोंसा

मरियांग

मेचुका

मुक्तो

नाम्पोंग

नामसाई

पालीन

रागा

रोइंग

रूपा

सागली

संग्राम

सेईजोसा

सेप्पा

तलिहा

तवांग

तिरबीन

टुटिंग

योमचा

जीरो

(घ) ट्रांसपोजर (1)

सांखी व्यू

3. **असम**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)

डिब्रुगढ़

गुवाहाटी

कोकराझार

सिलचर

गुवाहाटी (डीडी न्यूज)

सिलचर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

बोकाखाट

बोंगाईगांव

धुबरी

दीफु

गोलपाड़ा

गोहपुर

गोलाघाट

हेफ्लांग

हटसिंहमारी

होजई

जोरहट

लमडिंग

मारगेरिटा

नागांव

नजीरा

नार्थ लखीमपुर

सतरासल

सोनारी

तेजपुर

तिनसुखिया

डिब्रुगढ़ (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

डिग्बोई

(घ) ट्रांसपोजर (1)

गुवाहाटी

4. **बिहार**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)

कटिहार

मुजफ्फरपुर

पटना

सहरसा

पटना (डीडी न्यूज)

मुजफ्फरपुर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (34)

औरंगाबाद

बांका

बेगुसराय

बेतिया

भभुवा

भागलपुर

बक्सर

दरभंगा

दाऊदनगर

फोरबेसगंज

गया

गोपालगंज

जमुई

खगड़िया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

मोतिहारी

मुंगेर

नवादा

फूलपारस

रामनगर

रक्सौल

रोसेरा

सासाराम

शेखपुर

सिकंदरा

सिमरी बख्तियारपुर

सीतामढ़ी

सिवान

सुपौल

गया (डीडी न्यूज)

दरभंगा (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसरख

मारहौरा

5. **छत्तीसगढ़**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

जगदलपुर

रायपुर

अम्बिकापुर

रायपुर (डीडी न्यूज)

बिलासपुर

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)

बेलडिला

चम्पा

डूंगरगढ़

कांकेर

खारोद

कोंटा

कोरबा

कुरसिया

मनिंदरगढ़

नारायणपुर

पांडरिया

पेंडरा रोड

रायगढ़

राजहारा झांरडिल्ली

सक्ति

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बीजापुर

देवभोग

जसपुर नगर

कोंडागांव

कोयलीबेडा

पाखंजोर

पाथलगांव

सारंगगढ़

6. गोवा

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

पणजी

पणजी (डीडी न्यूज)

7. गुजरात

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

अहमदाबाद

भुज

द्वारका

राजकोट

राधनपुर

सूरत

वडोदारा

अहमदाबाद (डीडी न्यूज)

राजकोट (डीडी न्यूज)

सूरत (डीडी न्यूज)

वडोदरा (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (54)

आहवा

अम्बाजी

आमोद

अमरेली

बांतवा

भरूच

भावनगर

बोटाड

छोटा उदयपुर

डेडियापाडा

गोधरा

इदेर

जामजोधपुर

जामनगर

झगडिया

जूनागढ़

केवाडिया कालोनी

खम्बत

खंबालिया

लिम्बडी

पलीताना

पोरबंदर

पुरांदरो (मोबाइल)

राजपिपला

राजुला

रापड़

सांजेली

शामलाजी

सोनगढ़

सुरेन्द्र नगर

दीसा

देवगढ़ बेरिया

धंधुखा

धारंगाधरा

धारी

धर्मपुर

धोराजी

दोहाद

लुनावाड़ा

महुवा

मांगरोल (जूनागढ़)

मांगरोल (सूरत)

मेहसाणा

मोदासा

मोरवी

पालनपुर

थारड़

उमरगांव

ऊना

वलसाड

विरावल

भावनगर (डीडी न्यूज)

जामनगर (डीडी न्यूज)

गांधीनगर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

काकरापर

नेतरांग

सागवाडा

8. **हरियाणा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

करनाल

हिसार

हिसार (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)

भिवानी

चरखी दादरी

फतेहाबाद

फिरोजपुर झिरका

जींद

कैथल

महेन्द्रगढ़

महम

नारनौल

रिवाड़ी

रोहतक

सिरसा

टोहाना

अम्बाला (डीडी न्यूज)

भिवानी (डीडी न्यूज)

करनाल (डीडी न्यूज)

कुरुक्षेत्र (डीडी न्यूज)

मंडी डबवाली (डीडी न्यूज)

नारनौल (डीडी न्यूज)

यमुना नगर (डीडी न्यूज)

9. **हिमाचल प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

धर्मशाला

कसौली

शिमला

शिमला (डीडी न्यूज)

कसौली (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बिलासपुर

कुल्लू

मनाली

मंडी

रामपुर

सुदंरनगर

सुजानपुर

मंडी (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

आझु फोर्ट

आशापुरी

दियार

हमीरपुर

पालमपुर

परवाणु

आवाहदेवी

बैजनाथ

बांदला

बंजार

भरमौर

भारती

बिजली महादेव

चम्बा

चौपाल

चौरीखास

चिरगांव

डलहौजी

होली

जहालमा

जतिनगिरि (फूलाधार)

जोगिन्द्र नगर

काजा

कल्पा

कारसोग

केलोंग

खारा पत्थर

कोटखाई

नेहरी

निचार

पिरभायनू

रोहरू

सरकाघाट

शिवबदर

थानेदार

तीसा

ऊना

उदयपुर

वीर

(घ) ट्रांसपोजर (2)

राजगढ़

सोलन

10. **झारखंड**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

डाल्टनगंज

रांची

जमशदपुर

जमशेदपुर (डीडी न्यूज)

राची (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (19)

बरहरवा

बोकारो

चाईबासा

देवघर

धनबाद

दुमका

घाटशिला

गिरिडीह

गोड्डा

गुमला

हजारीबाग

कोडरमा

लोहारदगा

मुशाबनी

नोआमुंडी

सरायकेला

छतरा

बोकारो (डीडी न्यूज)

धनबाद (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

सिमडेगा

रामगढ़ हिल

गढ़वा (डीडी न्यूज)

11. **जम्मू और कश्मीर**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (19)

जम्मू

कठुआ

लेह

पुंछ

श्रीनगर

सांभा

गुरेज

टिथवाल

जम्मू (डीडी न्यूज)

नौशेरा (डीडी न्यूज)

गुरेज (डीडी न्यूज)

श्रीनगर (डीडी कशीर)

टिथवाल (डीडी कशीर)

कुपवाड़ा (डीडी कशीर)

पुंछ (डीडी कशीर)

कुपवाडा

नौशेरा

सांभा (डीडी न्यूज)

श्रीनगर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)

अंनतनाग

बांदीपोर

चोकीबाल

दरहाल

कारगिल

कुलगाम

पटनीटॉप

पट्टन

काजीगुंड

सोनारवानी

पुंछ

राजौरी

रियासी

वुसन

उधमपुर

बारामूला (डीडी न्यूज)

कठुआ (डीडी न्यूज)

लेह (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (87)

अबरान

अर्धकुंवारी

अरनास

अश्मुकाम

बानी

बनिहाल

बारामुला

बेसकैंप (सियाचिन)

बास्गो

बसोली

बटालिक

बटोट

भदर्वा

बिलावर

बोध खुरबू

बोनियार

बुडहाल

चकरोई

चाननी

चुमाथांग

चुसुल

दाह

दसकित

धार

डोडा

डोमचुक

द्रास

फातुला

गुजरों नगरोट

हांले

हीरानगर

ईचर

जज्झर कोटली

कालाकोट

कंगन

कारगिल

खालसी

खतलाई

खरयु

किश्तवाड़

कोटरंका

कुद

लाती

लोलाब वेल्ली

लोरान

माचिल

महोर

मंडी

मनीगम

मंजाकोट

मंसुर

मेंढर

मोहरा

मुलबेख

नगरोटा

नीमू

नौगाम

न्येमा

पदम

पहलगाम

पनामिक

पणिक्केर

पोनी

पुलवामा

रामबन

रामकोट

रामनगर

रिंगडोम गोम्पा

शक्ति

सनासर

सांकू

सोपियां

सोलनमर्ग

सुध महादेव

तंगमार्ग

तंग्त्से

तातापानी

थानामंडी

ठाठरी

टिलेल

तिमसोगाम

तराल

तुरतुक

उर्री

उर्री (काशीर चैनल)

यूसमर्ग

जंगला

(घ) ट्रांसमीटर (1)

सुरनकोट

12. **कर्नाटक**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)

बंगलुरु

धारवाड़

शिमोगा

गुलबर्गा

हासन

मेंगलूर

मैसूर

रायचूर

बंगलुरु (डीडी न्यूज)

गुलबर्गा (डीडी न्यूज)

धारवाड़ (डीडी न्यूज)

मैसूर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (49)

अरसीकेरे

अथानी

बगलकोट

बंतवाल

बसावा कल्याण

बेलगाम

बेल्लारी

बेलथांगडी

भटकल

बीदर

बीजापुर

चिकमगलूर

चिकोडी

चित्रदुर्ग

डंडेली

दावणगेरे

गडग बेतगारी

गंगावटी

गोकक

हरफनहल्ली

हतीहाल

हिरीयुर

होलनरसीपुर

होसदुर्ग

होसपेट

हुंगोंड

इंडी

करवार

कोलार गोल्ड फील्ड

कोप्पा

कुमता

मेडीकेरी

मुधोल

मुदीगेरे

मुंडारगी

पावगडा

पुटटूर

रामदुर्ग

रानीबेन्नूर

सागर

संदूर

सिंधनूर

सिरसी

तालीकोटा

तिपतूर

तुम्कूर

उडिपी

बेल्लारी (डीडी न्यूज)

दावणगेरे (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)

बडामी

हुविन हिपारगी

कुडलिगी

मधुगिरी

सकलेशपुर

श्रृंगेरी

सुलया

13. **केरल**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

कालीकट

कोचीन

तिरुवनंतपुरम

कन्नानूर

कालीकट (डीडी न्यूज)

कोचीन (डीडी न्यूज)

तिरुवनंतपुरम (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)

अडूर

कायमकुलम

शोरनूर

अट्टापड्डी

चंगनचेरी

चेंगनूर

इडुकी

कलपेट्टा

कान्हनगढ़

कासरगौड़

कोट्टरकारा

मल्लापुरम

मंजेरी

पाला

पालघाट

पत्तनमतिट्टा

पुन्नालूर

तेल्लीचेरी

तोडुपुझा

त्रिचूर

कन्नानूर (डीडी न्यूज)

त्रिशूर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

देवीकोलम

इरत्तुपेटटा

कांजीरापल्ली

मुण्डाकायम

14. **मध्य प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)

भोपाल

ग्वालियर

इंदौर

जबलपुर

शहडोल

गुना

सागर

छतरपुर

भोपाल (डीडी न्यूज)

इंदौर (डीडी न्यूज)

जबलपुर (डीडी न्यूज)

ग्वालियर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (60)

अगर

अशोकनगर

बडा मलहेरा

बडवानी

बालाघाट

बरेली

बेतुल

भंडेर

भानपुरा

भिंड

बिजयपुर

बुरहानपुर

चंदेरी

छिंदवाडा

दमोह

दतिया

गदरवारा

गरोट

हरदा

इटारसी

जाओरा

झाबुआ

करैरा

केलारस

खंडवा

खरगौन

खुरई

कुकदेश्वर

कुक्शी

कुरवाई

लहर

लखनादोन

मैहर

मलंजखंड

मांडला

मंदसौर

मुलतई

मुरवारा

नागदा

नरसिंहपुर

नीमच

पंचमढ़ी

पन्ना

पिपरिया

राघोगढ़

राजगढ़

रतलाम

रीवा

सतना

शिवनी

शाजापुर

शिवपुर

शिवपुरी

सीधी

सिंधवा

सिंगरौली

सीतामऊ

शिरोंज

टीकमगढ़

उज्जैन

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

अलीराजपुर

अलोट

बुधनी

डायमंड माइनिंग परियोजना

पारसिया

सिंगरौली

15. **महाराष्ट्र**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)

अम्बाजोगई

औरंगाबाद

चंद्रपुर

मुंबई

नागपुर

पुणे

रत्नागिरी

जलगांव

मुंबई (डीडी न्यूज)

नागपुर (डीडी न्यूज)

पुणे (डीडी न्यूज)

औरंगाबाद (डीडी न्यूज)

अंबाजोगई (डीडी न्यूज)

मुंबई (डिजीटल)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (88)

अचलपुर

अकोट

अहेरी

अहमदनगर

अकलकोट

अकलुज

अकोला

अमलनेर

अमरावती

अर्वी

बदलापुर

बारंशी

भामरागढ़

बीड

ब्रह्मपुरी

बुल्ढ़ाणा

चंदुर

चिखली

चिपलुन

दरियापुर

देवरुख

धडगांव

धर्माबाद

धुले

दिगलुर

गढ़चिरोली

गोंडिया

हिंगनघाट

हिंगोली

इंचलकरांजी

जालना

कांकोली

कराड़

करांजा

खामगांव

खानापुर

खोपोली

किनवत

कोल्हापुर

माहाड

मालेगांव

मंगल वेढ़ा

मनगांव

मनमाड

मेहेकर

म्हासले

मोर्शी

नांदेड

नंदरबार

नासिक

नवापुर

उस्मानाबाद

पंढ़रकावडा

पंढ़रपुर

परभनी

पाटन (सतारा)

फाल्टन

पुलगांव

पुसाद

राजापुर

रावेर

रिसोड

संगमनेर

सांगली

सतना

सतारा

शहाड

शिर्डी

शिरपुर

शोलापुर

सिरोंचा

तुमसर

उमेरगा

उमरखेड

वानी

वर्धा

वाशिम

यवतमाल

अकोला (डीडी न्यूज)

अमरावती (डीडी न्यूज)

भंडारा (डीडी न्यूज)

धुले (डीडी न्यूज)

कोल्हापुर (डीडी न्यूज)

मालेगांव (डीडी न्यूज)

नांदेड (डीडी न्यूज)

नासिक (डीडी न्यूज)

सांगली (डीडी न्यूज)

शोलापुर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)

अम्बेट

अर्जुनी

अष्टी

भोकर

चिकलधारा

चिमुर

जुन्नार

करंजा (वर्धा)

करजत

खेड

गोरेगांव

करखेडा

मलकापुर

मलवान

पिम्पलनेर-साकरी

सकोली

सिंदेवाही

तिवसा

वंसतगढ़

वाई

16. **मणिपुर**

(क) उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (3)

इम्फाल

चुड़ाचांदपुर

इम्फाल (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

ऊखरुल

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

चन्देल

मोरे

कंगपोकपी

सेनापति

17. **मेघालय**

(क) उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (4)

शिलांग

तुरा (डीडी न्यूज)

तुरा

शिलांग (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

जोवई

चेरापूंजी

विलियमनगर

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

बाघमारा

नोंगस्टाइन

(घ) ट्रांसपोजर (1)

शिलांग

18. **मिजोरम**

(क) उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (3)

आइजोल

लुंगलेई

आइजोल (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

लांगत्लाई

लुंगलई (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

चम्फाई

सैहा

(घ) ट्रांसपोजर (1)

आइजोल

19. **नागालैंड**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

कोहिमा

मोकोकचुंग

कोहिमा (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दीमापुर

तुएनसांग

मोकोकचुंग (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

मोन

फेक

सताखा

शामतोर

वोखा

जुन्हेबोटा

(घ) ट्रांसपोजर (2)

कोहिमा

बड़ा बस्ती

20. **ओडिशा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

बालेश्वर

भवानीपटना

कटक

संबलपुर

बरहामपुर

कटक (डीडी न्यूज)

संबलपुर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)

आनंदपुर

अंगुल

अथामलिक

बहाल्डा

बोलंगीर

बालीगुढ़ा

बानापुर

बारगढ़

बारीपाड़ा

भद्रक

जोडा

कबिसूर्यनगर

कामाख्या नगर

करंजिया

क्योंझारगढ़

खांडपाड़ा

खरियार

कोरापुट

कोटपाड

कुचिंदा

पुरी

रायरंगपुर

राजगंगापुर

राजराणापुर

रायगढ़

रेढाखोल

राऊरकेला

सिमलीगुड़ा

सोहेला

सोनपुर

भांजनगर

भुवन

बीरमित्रपुर

बोनाई

बोध

ब्रजराजनगर

चिकति

दशरथपुर

देवगढ़

धेनकनाल

दुर्गापुर

जी उदयगिरी

गोंडिया

जेपोर

लुथेरंपक

मलकानगिरि

मोहना

नरसिंहपुर

नवरंगपुर

नौवापाड़ा

पदमपुर

पदमपुरम

पडुआ

पल्लाहारा

पारादीप

परलाखेमुंडी

पाटनगढ़

फूलबनी

सुन्दरगढ़

तलचेर

तुशारा

उमरकोट

बालेश्वर (डीडी न्यूज)

बलियापाल (डीडी न्यूज)

भुवनेश्वर (डीडी न्यूज)

धेनकनाल (डीडी न्यूज)

दुधारकोट (डीडी न्यूज)

केन्द्रपाड़ा (डीडी न्यूज)

तिरटोल (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)

ऑल

बड़ा बारबिल

चित्रकोंडा

जयापटना

कलामपुर

काशीपुर

कोकसारा

लांजीगढ़

मछकुंड

नागची

नयागढ़

पैकमल

सबडेगा

सिमलिपालगढ़

सुकिन्दा

थाऊमल रामपुर

राऊरकेला (डीडी न्यूज)

ललितगिरी (डीडी न्यूज)

(घ) ट्रांसपोजर (1)

सुनबेडा

21. **पंजाब**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

अमृतसर

भटिंडा

जालंधर

फाजिल्का

जालंधर (डीडी न्यूज)

अमृतसर (डीडी न्यूज)

भटिंडा (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (5)

फिरोजपुर

गुरदासपुर

पठानकोट

पटियाला

अबोहर (डीडी न्यूज)

(ग) ट्रांसपोजर (1)

तलवाड़ा

22. **राजस्थान**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

बाड़मेर

जोधपुर

बूंदी (डीडी न्यूज)

बूंदी

जयपुर

जैसलमेर

अजमेर

बीकानेर

अजमेर (डीडी न्यूज)

जयपुर (डीडी न्यूज)

जोधपुर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)

अलवर

अनूपगढ़

बाली

बांसवाडा

बारन

बड़ी सदरी

बाड़मेर

बसावा

भादरा

भरतपुर

भीलवाड़ा

भींमल

चिड़ावा

चित्तौड़गढ़

चुरू

डीग

डुंगरपुर

गंगानगर

गंगापुर (एस.एम. पुर)

हनुमानगढ़

हिंडोन

जैसलमेर

जालौर

झालावाड़

झुंझुनू

कर्णपुर

करौली

केसरियाजी

खाजुवाला

खेतड़ी

किशनगढ़ वास (अलवर)

कोटपुतली

कुशालगढ़

मकराना

माऊंट आबू

नगर

नागौर

नाथद्वारा

नवलगढ़

नोहर

नोखा

पाली

फलोदी

पिलानी

पिरावा

प्रतापगढ़

रायसिंह नगर

राजगढ़ (चुरू)

रतनगढ़

रावतसर

सागवाड़ा

सालुमबेर

सरदारशहर

सवाई माधोपुर

शाहपुरा

सीकर

सिरोही

सोजात

श्रीडूंगरगढ़

सुजानगढ़

सूरतगढ़

तारानगर

टोंक

उदयपुर

बल्लभनगर

अलवर (डीडी न्यूज)

बांसी (डीडी न्यूज)

बीकानेर (डीडी न्यूज)

उदयपुर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

आमेट

आंधी

भीम

चौमहला

देवगढ़

फतेहपुर

गंगापुर (भीलवाड़ा)

कोटरा

कुंभलगढ़

लक्ष्मणगढ़

मंडलगढ़

नीम का थाना

राजगढ़ (अलवर)

रावतभाटा

सिकराई

टिबी

विराटनगर

(घ) ट्रांसपोजर (2)

जमुआ रामगढ

लालसोत

23. **सिक्किम**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

गंगटोक

गंगटोक (डीडी न्यूज)

(ख) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

ग्यालशिंग

मांगन

नामची

रंगपो

सिंगटाम

जोरथांग

24. **तमिलनाडु**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10)

चेन्नै

कोडैकनाल

रामेश्वरम

कुंभकोणम (अंत)

धर्मपुरी

तिरुनेलवेली

कोडैकनाल (डीडी न्यूज)

चेन्नै (डीडी न्यूज)

चेन्नै (क्षेत्रीय चैनल)

चेन्नै (डिजिटल)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (53)

अरनी

अम्बासमुद्रम

अम्बर

आरकोट

अत्तूर

चेय्यर

चिदम्बरम

कोयम्बतूर

कुन्नूर

कोर्टलाम

कड्डालूर

धेनकनिकोट्टा

इरोड

गुडियाटम

कालाकुरचि

कृष्णागिरी

मारतंडम

मयूरम

नागपट्टिनम

नागरकोइल

नाट्टम

नेवेली

पलनी

पट्टुकोट्टै

पेरनामपेट

पोलाची

पुदुकोट्टै

राजपालयम

सेलम

शंकरन कोविल

तंजावुर

तिरुवयारू

तिंडिवनम

तिरुचेंदूर

तिरुचिरापल्ली

तिरुपट्टूर

तिरुवनामलै

तूतिकोरिन

उदगमंडलम

उदुमलपेट

वंदावासी

वनियमबाडी

वेल्लौर

विल्लुपुरम

कोयम्बटूर (डीडी न्यूज)

इरोड (डीडी न्यूज)

मदुरै (डीडी न्यूज)

सेलम (डीडी न्यूज)

तिरुचिरापल्ली (डीडी न्यूज)

तिरुनेलवेली (डीडी न्यूज)

तिरुपट्टूर (डीडी न्यूज)

तूतिकोरिन (डीडी न्यूज)

वेल्लौर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)

जिंजी

कांचीपुरम

मेट्टुपालयम

तिरुवनामलै

वलियुर

वालपरै

वाजापाडी

(घ) ट्रांसपोजर (1)

डिंडिगुल

25. **त्रिपुरा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

अगरतला

अगरतला (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

अंबासा

कैलाशहर

अमरपुर

तेलियामुरा

जोलेइबारी

कैलाशहर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

धर्मनगर

(घ) ट्रांसपोजर (1)

बेल्लोनिया

26. **उत्तर प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (18)

आगरा

इलाहाबाद

बरेली

गोरखपुर

कानपुर

लखनऊ

मऊ

वाराणसी

बांदा

लखीमपुर

फैजाबाद

आगरा (डीडी न्यूज)

इलाहाबाद (डीडी न्यूज)

बरेली (डीडी न्यूज)

गोरखपुर (डीडी न्यूज)

कानपुर (डीडी न्यूज)

लखनऊ (डीडी न्यूज)

वाराणसी (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)

अकबरपुर

अलीगढ़

अमरोहा

अथडमा

औरैया

बहराइच

बलिया

बलरामपुर

बस्ती

बिधुना

छिबरामऊ
देवरिया
दुधीनगर
एटा
इटावा
फर्रुखाबाद
जगदीशपुर
झांसी
कर्वी
कासगंज
कोसी
लालगंज (राय बरेली)
ललितपुर
महोबा
महरोनी
मैनपुरी
मथुरा
मऊ रानीपुर
मुहम्मदाबाद
मुरादाबाद
ननपाड़ा
नरौरा
रायबरेली
रामपुर

रथ
रूदौली
संभल
शाहजहांपुर
सिकन्दरपुर
सुल्तानपुर
तालबेहात
थिरवा
अलीगढ़ (डीडी न्यूज)
आजमगढ़ (डीडी न्यूज)
झांसी (डीडी न्यूज)
लालगंज (प्रतापगढ़) (डीडी न्यूज)
मऊ (डीडी न्यूज)
मुरादाबाद (डीडी न्यूज)
फतेहपुर
गंज डुंडवारा
गौरीगंज
गोंडा
हरदोई
नौगढ़
ओबरा
ओरई
पीलीभीत
पूरनपुर

रामपुर (डीडी न्यूज)

रासरा (डीडी न्यूज)

शाहजहांपुर (डीडी न्यूज)

सुल्तानपुर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

खूबिया नांगल

माणिकपुर

मनकापुर

ठाकुरद्वारा (डीडी न्यूज)

27. **उत्तराखंड**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसूरी

मसूरी (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

बछेर

चम्पावत

डाक पत्थर

हल्द्वानी

हरिद्वार

कालागढ़

काशीपुर

खेतीखान

कोटद्वार

नैनी डांडा

नैनीताल

नई टिहरी

पौड़ी

पिथौरागढ़

टनकपुर

हरिद्वार (डीडी न्यूज)

खेतीखान (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (33)

अल्मोड़ा

अरौली (बनौली)

बद्रीनाथ

बागेश्वर

बसोत

भटियारी

चौखटिया

देवप्रयाग

देवाल

धारचूला

डीडीहाट

दुगड्डा

फाटा

गज्जा

घंडयाल

गोपेश्वर

जोशीमठ

कलजीखल

कर्णप्रयाग

कौसानी

मानेश्वर

मनीला

मुनसियारी

नंदप्रयाग

नौगांवखल

ऊखीमठ

पोखरी

प्रतापनगर

राजगढ़ी

रानीखेत

रूद्रप्रयाग

थराली

उत्तरकाशी

(घ) ट्रांसपोजर (2)

मसूरी

श्रीनगर

28. **पश्चिम बंगाल**

(क) उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (14)

आसनसोल

कोलकाता

कृष्णानगर

कर्सियांग

मुर्शिदाबाद

शांतिनिकेतन

बालूरघाट

खड़गपुर

कर्सियांग (डीडी न्यूज)

मुर्शिदाबाद (डीडी न्यूज)

आसनसोल (डीडी न्यूज)

कोलकाता (डीडी न्यूज)

कोलकाता (क्षेत्रीय चैनल)

कोलकाता (डिजिटल)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

अलीपुरद्वार

बाघमंडी

बलरामपुर

बर्धमान

विष्णुपुर

कोंतई

कूचबिहार

दार्जिलिंग

फरक्का

गढ़बेटा

झाल्दा

झाड़ग्राम

कालिंपोंग

कालना

माल्दा

मेदिनीपुर

पुरुलिया

रानाघाट

रायना

शांतिनिकेतन (डीडी न्यूज)

बसंती (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

इगरा

29. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**

(क) उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (2)

पोर्टब्लेयर

पोर्टब्लेयर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

कार निकोबार

कार निकोबार (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (24)

बारातांग

कैम्पबेल बे

चौरा

डिग्लीपुर

हरीनगर

हैवलॉक

हटबे

कदमतला

कालीघाट

काचल

लॉग आईलैंड

मायाबंदर

नानकॉवरी

नील आईलैंड

राम कृष्णापुरम

रंगत

स्वराज ग्राम

ट्रेसा

कैम्पबेल बे (डीडी न्यूज)

डिगलीपुर (डीडी न्यूज)

हटबे (डीडी न्यूज)

मायाबंदर (डीडी न्यूज)

नानकॉवरी (डीडी न्यूज)

रंगत (डीडी न्यूज)

30. **चंडीगढ़**

(क) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

चंडीगढ़

31. **दादरा और नगर हवेली**

(क) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

सिलवासा

32. **दमन और दीव**

(क) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

दमन

दीव

33. **दिल्ली**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दिल्ली

दिल्ली (डीडी न्यूज)

दिल्ली (डिजीटल)

34. **लक्षद्वीप**

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

कावारती

(ख) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)

मिनीकॉय

अगात्ति

अमीनी

आंड्रोट

चेतलत

कदमत

कल्पेनी

किल्टन

अगाति (डीडी न्यूज)

अमीनी (डीडी न्यूज)

कावारत्ती (डीडी न्यूज)

मिनीकॉय (डीडी न्यूज)

आंड्रोट (डीडी न्यूज)

कदमत (डीडी न्यूज)

कल्पेनी (डीडी न्यूज)

35. **पुदुचेरी**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)

पुदुचेरी

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

कराइकल

पुदुचेरी (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

माहे

यनम

टिप्पणी:

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	—	1 कि.वा./5 कि.वा./10 कि.वा./ 20 कि.वा./30 कि.वा.
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	—	100 वाट/300 वाट/500 वाट
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	—	10 वाट/50 वाट
ट्रांसपोजर	—	10 वाट

विवरण-II

11वीं योजना अवधि (फरवरी, 2011 तक) के दौरान स्थापित किए गए ट्रांसमीटर

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कमीशंड किए गए ट्रांसमीटर
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमतला
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हरीनगर
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, आर.के. पुरम
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, लोंग आइलैंड
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नील आइलैंड
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, टेरेसा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, चौरा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हटबे (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, डिगलीपुर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मायाबंदर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रंगत (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कैम्बेल बे (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नानकौवरी (डीडी न्यूज)
लक्षद्वीप	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अमीनी (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अगाती (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मिनीकॉय (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, एंड्रोट (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमत (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कल्पेनी (डीडी न्यूज)
असम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कोकराझार
बिहार	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, सहरसा
छत्तीसगढ़	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धर्मशाला
मध्य प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, छतरपुर
राजस्थान	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बीकानेर

[अनुवाद]

कोयले का आवंटित रैक

1723. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने विभिन्न निजी कार्पोरेट घरानों को कोयले की रैकों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इन कार्पोरेट घरानों ने आवंटित कोयले को खुले बाजार में तथा कुछेक बंद उद्योगों को बेच दिया;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया (सीआईएल) की सहायक कोयला कंपनियां पात्र उपभोक्ताओं की ओर से रेलवे के साथ रेक की आपूर्ति के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना मांग पत्र भेजती है कि उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के हों अथवा निजी क्षेत्र के, जिसके आधार पर रेलवे रेकों का आबंटन और आपूर्ति करता है। रेलवे रेकों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति ऐसे उपभोक्ताओं को उनके निजी उपयोग के लिए की जाती है जिसके लिए उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अक्टूबर, 2012 तक) के लिए रेलवे द्वारा रेकों का वास्तविक आबंटन तथा आपूर्ति की तुलना में रेलवे को सीआईएल द्वारा भेजे गए मांग पत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

रेलवे द्वारा रेकों के आबंटन और आपूर्ति की तुलना में सीआईएल का वर्ष-वार मांग पत्र का ब्यौरा

(रेक प्रति दिन)

वर्ष	मांग पत्र	आबंटन	आपूर्ति
2009-10	179.7	171.3	157.5
2010-11	185.5	175.7	162.6
2010-12	105.3	176.5	100.3
2012-13 (अक्टूबर, 2012 तक)	199.6	183.9	173.4

(ग) से (ङ) सीबीआई के एक मामले में यह आरोप लगाया गया है कि 10 प्रतिष्ठानों ने झूठे और फर्जी दस्तावेज भारत कोकिंग कोल (बीसीसीएल) को प्रस्तुत किए थे जिनमे बीसीसीएल से उठाये गये कोयले की खपत को दर्शाया गया था जिसे बीसीसीएल में इसके उचित उपयोग की जांच किए बिना स्वीकार कर लिया गया था। इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, सीबीआई मामले, धनबाद में प्रस्तुत की गयी है।

नाबार्ड द्वारा राजसहायता स्कीम

1724. श्री एस. सेम्मलई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राजसहायता घटक सहित लागू स्कीमों तथा प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत संवितरित कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण गोदामों के लिए राजसहायता पर उच्च सीमा को संशोधित करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रशासित योजनाओं का ब्यौरा और गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त राज सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण गोदाम निर्माण/पुनरूद्धार योजना (आरजीएस) के अंतर्गत प्रति परियोजना पर अधिकतम राजसहायता की सीमा को संशोधित कर दिया गया है जो 20-10-2011 से लागू है। 33.33% की राजसहायता के मामले में पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा 62.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.33 करोड़ रुपए कर दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम एवं पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा, महिला किसानों/एससी/एसटी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों/सरकारी समितियों हेतु अधिकतम राजसहायता 62.50 लाख रुपए से 3.00 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। 25% राजसहाता के मामले में किसानों, कृषि (सीडब्ल्यूसी) हेतु अधिकतम राजसहायता 46.87 लाख ,रुपए से 2.25 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। 15% की राजसहायता के मामले में वैयत्विक, कम्पनियों एवं निगमों की अन्य सभी श्रेणियों कके लिए अधिकतम राजसहायता 28.12 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.35 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (31 अक्टूबर, 2012 तक) के दौरान प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राजसहायता

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31 अक्तूबर, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	शीतागार (प्याज गोदाम सहीत)	31.24	55.31	32.67	0.10
2.	ग्रामीण गोदाम	65.45	70.86	148.69	63.92
3.	कृषि विपणन अवसंरचना	1.61	1.50	5.70	3.83
4.	कृषि निदानशाला एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र	0.00	1.01	6.72	7.08
5.	छोटे जुगाली करने वाले जीवों एवं खरगोशों का समन्वित विकास	0.00	1.01	6.72	7.08
6.	ग्रामीण बेकयार्ड कुक्कट पालन हेतु कुक्कुट पालन एवं मदर यूनिट की स्थापना	0.00	0.00	0.01	0.00
7.	ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण	0.00	0.10	0.00	0.00
8.	सूअर विकास	0.00	1.22	6.17	3.15
9.	भैस के बछड़ों का बचाना और पालना	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	मृत जानवरों का सदुपयोग	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	डेयरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	47.15	27.47	114.36	120.21
12.	कुक्कुटपालन उपक्रम पूंजी कोष (राजसहायता)	10.04	48.17	4.36	9.67

1	2	3	4	5	6
13.	जैविक कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	2.59	2.29	1.56	0.00
14.	सौर आफ-ग्रिड विकेन्द्रित अनुपयोग	0.00	3.608	19.709	27.235

[हिन्दी]

खाद्य राजसहायता

1725. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री अनन्त कुमार हेगड़े :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहली छमाही के दौरान संवितरित खाद्य राजसहायता की राशि पूरे वर्ष के बजट अनुमान से अधिक हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य राजसहायता को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों और परिणामी राजसहायता को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि बढ़ते हुए खाद्य राजसहायता के भार को देखते हुए सरकार ने इसे नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद और वितरण को प्रोत्साहित करना।

(ii) नकद ऋण पर ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दर पर अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अल्पावधिक ऋण लेना।

(iii) भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1726. **श्री हेमानन्द बिस्वाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सवंर्द्धित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान फसल बीमा योजना की समीक्षा करने एवं सुधार लाने के लिए संयुक्त समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सवंर्द्धित योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) वर्तमान फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा करने एवं उनमें सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त समूह की सिफारिशों के आधार

पर रबी 2010-11 से 50 जिलों में पॉयलेट आधार पर कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) अनुमोदित की गई है। स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- प्रमुख फसलों हेतु बीमा का ईकाई क्षेत्र घटाकर ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया गया है,
- राजसहायता के साथ बीमांकिक प्रीमियम 75 प्रतिशत तक, दावों की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की है,
- न्यूनतम उपज की गणना के लिए और अधिक सक्षम आधार,
- न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर 60 प्रतिशत तक बढ़ाकर 70 प्रतिशतकर दिया गया है,
- निवार्य बुआई/रोपण जोखिम का कवरेज,
- तटीय क्षेत्रों में चक्रवात के कारण फसलोपरान्त हानि का कवरेज,
- ओलावृष्टि एवं भू-स्खलन के कारण स्थानीय हानि का कवरेज,
- तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए अग्रिम रूप में मे सम्भावित दावों को 25 प्रतिशत तक खाते (आन एकाउण्ट) में भुगतान,
- बेहतर कवरेज एवं उन्नत सेवा की सुविधा के लिए कृषि बीमा कंपनी एवं निजी कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

पीडीएस खाद्यान्नों की तस्करी

1727. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्रीमती रमा देवी :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों को नेपाल एवं बांग्लादेश में तस्करी कर भेजे जाने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों से ऐसी तस्करी हो रही है तथा इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं स्थिति क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) भारतीय खाद्यान्नों की तस्करी की कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं। सशस्त्र सीमा बल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल द्वारा जब्त खाद्यान्नें और की गई गिरफ्तारियों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल ने भी तस्करी करते समय खाद्यान्नों को जब्त करने की सूचना दी है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा जब्त खाद्यान्नों और की गई गिरफ्तारियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के कथित दुर्विनियोजन और रेल के जरिए इन्हें बांग्लादेश भेजने का एक मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण किए जाने वाले खाद्यान्नों का उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश निर्यात करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउण्डरिंग एक्ट, 2002 के अधीन मनी लाउण्डरिंग संबंधी अपराध के लिए 13 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है और मॉनीटरिंग तथा सतर्कता में तंत्र सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार-पत्र अपनाकर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग करके और उचित दर दुकानों के कार्यकरण में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए हैं। भारत से खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए सीमाओं पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारी (राजस्व विभाग) और सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखते हैं और अपेक्षित निवारक कार्रवाई करते हैं।

विवरण

गत वर्ष और वर्तमान (दिनांक 31.10.2012 तक) के दौरान सशस्त्र सीमा बल द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर जब्त किए गए खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा

वर्ष	राज्य	खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)*	मूल्य रुपए	की गई गिरफ्तारियां
2011	उत्तर प्रदेश	156.64	24,82,898	124
	बिहार	341.87	52,89,168	56
	उत्तराखंड	0.9	11,940	—
	पश्चिम बंगाल	—	—	—
2012 (31.10.2012 तक)	उत्तर प्रदेश	11.00	1,57,888	10
	बिहार	24.45	6,43,715	18
	उत्तराखंड	1.10	15,570	—
	पश्चिम बंगाल	—	—	—

*सशस्त्र सीमा बल की वर्ष रिपोर्ट में गेहूं, चावल, दालें, चीनी तथा अन्य भी शामिल है।

गत वर्ष और वर्तमान वर्ष (दिनांक 31.10.2012 तक) के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक जब्त किए गए खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है

वर्ष	राज्य	खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)*	मूल्य रुपए	की गई गिरफ्तारियां
1	2	3	4	5
2011	पश्चिम बंगाल	25.47	6,13,111	03
	असम	1.56	69,160	—

1	2	3	4	5
	मेघालय	—	—	—
	त्रिपुरा	18.32	3,44,850	02
2012 (31.10.2012 तक)	पश्चिम बंगाल	0.91	71,675	07
	असम	14.87	4,61,869	—
	मेघालय	0.35	17,500	—
	त्रिपुरा	3.68	44,820	09

[अनुवाद]

एनडीएफबी के साथ वार्ता

1728. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लंबे समय से लंबित बोडोलैंड राज्य के विवाद के सम्मानजनक एवं टिकाऊ राजनीतिक समाधान करने के इरादे से हाल के वर्षों में नेशनल डेमोक्रेटक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (प्रोग्रेसिव) के साथ शांति वार्ता प्रारंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस शांति वार्ता में प्राथमिकता पाए राजनीतिक एवं अन्य अराजनीतिक मुद्दों तथा आज की तिथि तक शांति वार्ता की नवीनतम स्थिति/परिणाम का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) नेशलन डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड/पोग्रेसिव (एनडीएफबी(पी) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है। एनडीएफबी (पी) के साथ शांति वार्ता के परणाम को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

मलिन बस्तीवासियों को आवास एवं मूलभूत सुविधाएं

1729. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :**

श्री नित्यानन्द प्रधान :

श्री ई.जी. सुगावनम :

श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

श्री नारनभाई कछाड़िया :

श्रीमती ज्योति धुर्वे :

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री कीर्ति आजाद :

श्रीमती प्रिया दत्त :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मलिन बस्ती/झुग्गीवासियों को आवास एवं मूलभूत सुविधा प्रदान करने तथा सभी शहरों/नगरों से मलिन बस्तियों से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा लागू की गयी स्कीमों का स्कीम-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के कुछेक शहरों/नगरों में मलिन बस्तिवासियों की संख्या बढ़ रही है और यह ऐसे शहरों/नगरों की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत तक पहुंच गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में शहरी मलिन बस्तीवासियों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं स्वास्थ्य सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा तथा राज्य सरकारों की राज्य-वार प्रदत्त राशि का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) भारत सरकार ने शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 65 चुनिन्दा शहरों में शहरी गरीबों/स्लम निवासियों के लिए आवास और अवस्थापनात्मक सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए 3 दिसंबर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था। अन्य शहरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया था। मिशन की कार्य अवधि 31.03.2012 तक थी और अब इसे मार्च, 2012 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दो वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 तक बढ़ा दिया गया है।

"स्लम मुक्त भारत" का निर्माण करने के प्रयोजन से 02.06.2011 को राजीव आवास योजना नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम में उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान है जो स्लम का पुनर्विकास करने के लिए स्लम निवासियों को बेहतर आश्रय और बुनियादी सिविक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें संपति अधिकार देने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए भूमि का आरक्षण करने/तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) निर्धारित करने, शहरी गरीबों/स्लम निवासियों को बुनियादी सेवाओं के लिए म्यूनिसिल बजट में 25 प्रतिशत उद्दिष्ट करने तथा शहरी गरीबों के लिए भूमि की समस्या का निवारण करने और किफायती आवास की कमियों को पूरा करने के लिए वैधानिक संशोधन करने और नीति में परिवर्तन करने के इच्छुक हैं।

राजीव आवास योजना का प्रथम चरण जिसकी कार्य अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के लिए अर्थात जून, 2013 तक है, इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है। यह राजीव आवास योजना का प्रारंभिक तैयारी का चरण है जिसमें स्लम सर्वेक्षण, जीआईएस मैपिंग, जीआईएस-एमआईएस एकीकरण और स्लम पुनर्विकास/पुनर्स्थापना योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं और स्लम मुक्त शहरी कार्य योजना तैयार करने आदि जैसे क्रियाकलापों को शुरू करने के कार्य निहित हैं। राजीव आवास योजना के प्रारंभिक तैयारी के चरण-स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक तैयारी के क्रियाकलाप शुरू करने के लिए 194 शहरों को निधियों जारी की गई हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार स्लम की जनसंख्या की गणना के अंतर्गत शामिल किए गए 20,000 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले 1743 शहरों/कस्बों की स्लम जनसंख्या 52.4 मिलियन थी। इन 1743 शहरों/कस्बों की जनसंख्या में स्लम जनसंख्या लगभग 23 प्रतिशत थी। आवास शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित स्लम सांख्यिकी/जनगणना समिति ने वर्ष 2001 में सभी शहरों और कस्बों (जिनकी संख्या 5161 है) में स्लम जनसंख्या 75 मिलियन होने तथा 2001 में सभी शहरों और कस्बों (जिनकी संख्या 5161 है) में स्लम जनसंख्या 75 मिलियन होने तथा वर्ष 2011 में 93 मिलियन होने का अनुमान लगाया था। समिति द्वारा अनुमानित स्लम जनसंख्या 26.31 प्रतिशत है।

(1) ग्रामीण-शहरी पलायन के कारण शहरीकरण में वृद्धि, प्राकृति वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण।

(2) शहरी समाज के बडे भाग, विशेषकर गरीबों द्वारा शहरों औा कस्बों में भूमि की कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने और किफायती आवास की उपलब्धता की कमी के कारण भूमि और आवास प्राप्त करने में असमर्थता।

(3) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाओं में लंबी अवधि से अपर्याप्त निवेश करने के कारण गरीबों की रिहायशी बस्तियों में अवसंरचना और बुनियादी सेवाओं की प्रदानगी की कमी।

(4) शहरों और कस्बों में पुराने क्षेत्रों का, अनुरक्षण की कमी और प्राकृतिक रूप से जीर्ण-शीर्ण होने के साथ-साथ निकृष्ट कोटि की सेवाओं के कारण जर्जर होते जाना।

स्लम निवासियों को आश्रय और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2005 को जवाहर लाल नेहरू

राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था। स्लमों ध्यान संकेध्द्रित करने के लिए 02.06.2011 को राजीव आवास योजना नामक एक नई स्कीम की गई है जिसका उद्देश्य ''स्लम मुक्त भारत'' का निर्माण करना है। यह स्कीम समस्त शहर, समस्त स्लम का अपनाती है और समग्र स्लम दृष्टिकोण मुक्त शहरी योजना तैयार करने पर आधारित है।

(घ) जेएनएनयूआरएम के संघटक बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 15.75 लाख रिहायशी एककों को निर्माण/उन्नयन करने तथा जेएनएनयूआरएम तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के कार्यक्रमों के समूचे भारत में पेयजल, शौचालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि जैसे संबंधित नागरिक सुविधाओं के लिए 22,417.66 करोड़ के केन्द्रीय अंशदान युक्त 41,812.72 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 1610 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। बीएसयूपी 65 मिशन शहरों और आईएसएसडीपी सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों पर लागू होती है।

(ङ) और (च) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों सरकारें जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग कर रही हैं। चूंकि ऐसी लागत वृद्धि को पूरा करना बीएसयूपी और आईएसएचडीपी दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं, अत: राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी निजी निधियों में से लागत वृद्धि को पूरा करें।

नई शुरू की गई राजीव आवास योजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	एसीए की पहली (केन्द्रीय अंशदान का 1/3)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	केशव स्लम की डीपीआर; स्व-स्थाने पुन: विकास आरएवई प्रयोगिक परियोजना के अंतर्गत जीएचएमसी (1198 रिहायशी इकाइयां)।	5874.59	741.59
2.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (1463 रिहायशी इंकाईया) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (महादेव नगर, इंद्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-2, निपनिया ग्राम काकड, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगार-I, और राहुल गांधी नगर (बंजरग नगर की प्रायोगिक डीपीआर)।	8433.55	1242.85

1	2	3	4	5	6
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की स्लम मुक्त शहर आयोजना (740 रिहायशी इकाईयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (1) एमएलबी स्कूल के पीछे (2) सारा पीपर (3) चौधी मोहल्ला (4) रविदास नगर) की प्रायोगिक डीपीआर।	3694.58	55765
4.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (934 रिहायशी इकाइयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म सं-1, शांति नगर वार्ड सं-21, कैंसर पहाड़ी, महलगांव की पहाड़ी) की प्रायोगिक डीपीआर।	5715.52	842.03
5.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत सागर मैट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (780 रिहायशी इकाइयां के अनुसार चिन्हांकित तीन स्लमों) (किशोर न्यायालय के पास वाली स्लम, खुटई बस स्टैंड के पीछे वाली स्लम और कसाई बस्ती) की प्रायोगिक डीपीआर।	3511.32	500.89
6.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत माथीपुरम कालोनी, विजहित गम, तिरूवनंतपुरम, केरल (1032 रिहायशी इकाइयों) के लिए प्रायोगिक परियोजना।	7186	2257.39
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	आरएवाई (प्रयोगिक परियोजना) रंगा माटिया स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए डीपीआर।	4476.61	606.86ण
8.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किरोन की धाणी स्लम जयपुर (1104 रिहायशी इकाइयां) राजस्थान के लिए प्रायोगिक परियोजना।	5729.2	919.9
	कुल				6589.16

कीटनाशकों का प्रतिकूल प्रभाव

1730. **श्री संजय निरूपम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव की खबरें हैं;

(ख) यद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव के कारण किसानों की मृत्यु होने के कई मामलों की खबरें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव को रोकने एवं इसके शिकार हुए परिवारों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण समिति का गठन किया गया है जो देश में आयात और विनिर्माण हेतु कीटनाशियों का पंजीकरण करती है। यह विषाक्तता और किसी कार्य के प्रति सावधानियों का विनिर्देशन करते हुए सूत्र की समीक्षा, प्रभाविता के दावे के सत्यापन तथा मानव जाति तथा पशुओं के प्रति सुरक्षा के बाद कीटनाशियों का पंजीकरण करती है। जहां कहीं भी यह उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावित के बारे में संतुष्ट नहीं होती है, उन कीटनाशियों का पंजीकरण नहीं किया जाता है। केवल लेबल/पर्ची के दावों के अनुसार ही नाशकजीवमारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

यदि नाशीजीवमारों का उपयोग लेबल/पर्ची में लिखे गए दावों के अनुसार किया जाता है तो प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, से बचा जस सकता है। वनस्पति संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद जो कृषि मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है व्याख्यानों, व्यापार मेलों, पोस्टर, पैम्पलेट, पुस्तिकाओं के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाता है तथा नाशीजीवमारों के सुरक्षित और उचित उपयोग तथा साथ ही चिकित्सकों हेतु नाशीजीवमार विषाक्तता के निदान और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का संचालन करता है।

सरकार वर्ष 1991-92 में शुरू की गई ''भारत में नाशीजीव प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' स्कीम के जरिए समेकित नाशाीजीव प्रबंधन की कार्यनीति को लोकप्रिय बना रही है। आईपीएम दृष्टिकोण में नाशीजीव नियंत्रण की वास्पतिक, यांत्रिक, जीवविज्ञानीय और अन्य प्रणालियां तथा नाशीजीवमारों का केवल सुरक्षित और उचित उपयोग ही शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आईपीएम कार्यक्रम को मुखत: कृषक फील्ड (एफएफएस) आयोजित करके 28 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में स्थित 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्दों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

एससी/एसटी अधिनियम का क्रियान्वयन

1731. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उच्चतम न्यायालय ने इस तत्य पर चिंता जतायी है कि दलितों पर हिंसा के अधिकतर मामलों में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में वर्णित समय-सीमा के भीतर जरूरी जांच भी नहीं पूरी की जाती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि कई राज्यों ने इस अधिकतम के अंतर्गत मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना भी नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इस प्रकार की किसी टिप्पणी की जानकारी नहीं है।

संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इसलिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों सहित अपराधों का निवारण करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने तथा अभियोजन चलाने

का प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध का निवारण तथा नियंत्रण करने के मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में परामर्शी-पत्र मे विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है जैसा कि सांविधिक तथा विद्यमान विधानों प्रावधानों का कड़ाई के साथ और निष्ठापूर्वक प्रवर्तन; सुसंगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और गोष्ठियों आदि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की दिशा में विधि प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही बनाना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों की रोकथाम करने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली विकसित करना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई विलम्ब न करना, निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना; अत्याचार के लिए उचित उपाय करना इत्यादि।

गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के परामर्श से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावकारी कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह मंत्रियों तथा सामाजिक न्याय के प्रभारी मंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

किसानों को मुआवजा

1732. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने से प्रभावित सभी किसानों को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसान तथा पंजाब राज्य सरकार और मुआवजे की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने सीमा पर उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या, किस्मों तथा किसानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, जम्मू सेक्टर को छोड़कर भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए भूमि-मुआवजा सरकार द्वारा दे दिया गया है। जम्मू सेक्टर में 179 कि.मी. सीमा पर लगभग 44 फुट चौड़ी भूमि-पट्टी अधिगृहीत की गई थी जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के संबंध में पंजाब सरकार से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा पर लगी बाड़ के बीच अपनी भूमि पर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने के कारण आय में हानि के लिए वार्षिक मुआवजा देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से स्वामित्व के ब्यौरे सहित उक्त भूमि का विशिष्ट ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च) पंजाब में गन्ना, कपास और सरसों आदि जैसी फसलों की खेती करना जिनकी ऊंचाई 4 फुट से अधिक हो, सुरक्षा संबंधी कारणों से और बाड़ के आगे स्पष्ट अवलोकन करने, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और पाक रेंजरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रतिबंधित है।

जिन किसानों की भूमि बाड़ के आगे है, उन्हें गर्मी के मौसम में प्रतिदिन 0700 बजे से और सर्दियों के मौसम में 0800 बजे से 1630 बजे तक खेती करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, कटाई/बुआई के दौरान बाड़ के दरवाजे खोलने/बंद करने के लिए किसानों को, उनके साथ परामर्श करने के पश्चात, यथोचित छूट दी जाती है।

ईंधन आपूर्ति समझौता

1711. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री पी. कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कोल इंडिया लि. के साथ अब तक ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया है;

(ख) इन एफएसए के माध्यम से सीआईएल को कुल कितनी मात्रा में कोयला आपूर्ति करनी है;

(ग) अनुमानित मांग को शास्ती दिए बगैर तथा ई-नीलामी कोयले के विपथन के बगैर पूरा करने के लिए सीआईएस को उत्पादन वृद्धि की कितनी दर हासिल करनी होगी;

(घ) क्या यह अनुमान अवास्तविक है इसके मद्देनजर कि सीआईएल की उत्पादन वृद्धि दर वर्ष 2010/12 के बीच एक प्रतिशत थी; और

(ङ) क्या एफएसए जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नीलामी कोयले के विपथन से सीआईएल का लाभ कम होगा; और

(च) यदि हां, तो विभिन्न उत्पादन वृद्धि दर पर अनुमानित हानि कितनी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कोयला कंपनियों द्वारा 31.03.2009 तक चालू किए गए तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) तथा 31.03.2009 के बाद चालू किए गए तापीय विद्युत संयंत्रों के साथ हस्ताक्षर किए गए ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) का विद्युत केन्द्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है

(ख) 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार, सीआईएल स्रोतों से एफएसए के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति की कुल बाध्यता 31.03.2009 तक चालू किए गए टीपीपी के मामले में 303.810 एमटीपीए तथा विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों छोड़कर अन्य के मामले में 107.69 एमटीपीए है। इसके अलावा, आज की तारीख के अनुसार आश्वासन पत्रों (एलओए) ने 31.03.2009 के बाद चालू किए जाने वाले विद्युत उपयेगिताओं के लिए 426 एमटीपीए तथा विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों को छोड़कर अन्य के लिए 8.4 एमटीपीए जारी किए गए हैं जो अंततः एफएसए में परिणत हो सकते हैं।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने दिनांक 17.02.2012 के अपने पत्र के माध्यम से 31.03.2009 को अथवा उसके बाद तथा 31.03.2015 तक चालू किए गए टीपीपी के मामले में एफएसए संपन्न करने के संबंध में सीआईएल को निदेश दिए थे और उसके साथ-साथ 12वीं योजना अवधि के दौरान कोयले की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा यथा प्रस्तुत ऐसे टीपीपी की सूची भी दी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, सीआईएल स्रोतों से एफएसए के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति की बाध्यता 2016-17 के लिए 280.03 मि.ट. होता है।

उपर्युक्त के आधार पर एफएसए के अंतर्गत आपूर्ति के लिए सीआईएल की कुल बाध्यता नीचे दी गई है:-

परिदृश्य-क 699.93 मि.ट. यह मानते हुए कि 17.02.2012 के कोयला मंत्रालय के पत्र में सूचीबद्ध केवल उन टीपीपी के एलओए, जो एफएसए में परिणत होते हैं तथा मौजूदा सभी एलओए जो विद्युत उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य के लिए परिणित होते हैं।

परिदृशय-ख 845.90 मि.ट. यह मानते हुए कि सभी मौजूदा एलओए विद्युत उपयोगिता तथा विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों दोनों के लिए सही समय पर एफएसए में परिणित हों।

(ग) और (घ) सीआईएल ने 2011-12 में उनके उत्पादक की तुलना में संयोजित वार्षिक औसत विकास दर (सीएजीआर) परिदृश्य-क के लिए 7.5% तथा परिदृश्य-ख के लिए 11.6% होती है। सीआईएल ने योजना आयोग को सूचित किया है कि सीआईएल स्रोतों से चालू होने वाली विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए समय पर सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने तथा भूमि अधिग्रहण के आधार पर 2016-17 में संभव आशावादी उत्पादन 2011-12 में उनके उत्पादन की तुलना में 7.1% के सीएजीआर के साथ 615 मि.ट. होगा। संशोधित एफएसए माडल करार के अंतर्गत सीआईएल ने आयात के माध्यम से घाटे को पूरा करने का प्रस्ताव किया है जो नई कोयला वितरण नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।

(ङ) और (च) जी, हां, हालांकि घाटे का आकलन करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ई-नीलामी के अंतर्गत बेचे गए कोयले का मूल्य बाजार पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक नीलामी में यह अलग होता है जबकि कोयले की आपूर्ति सीआईएल के अधिसूचित मूल्य पर एफएसए के अंतर्गत की जाती है। उसे एफएसए के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने अतिरिक्त कोयला के कारण अपेक्षाकृत विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देखे जाने की आवश्यकता है।

विवरण-I

हस्ताक्षर किए गए ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) का विद्युत केन्द्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	टीपीपी का नाम	उपयोगिता का नाम	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार क्षमता (मेवा)
1	2	3	4
1.	बदरपुर	एनटीपीसी	705.0
2.	आईपी	डीवीबी	247.5
3.	राजघाट	डीवीबी	135.0
4.	फरीदाबाद	एचपीजीसीएल	120.0
5.	पानीपत	एचपीजीसीएल	1360.0
6.	यमुना नगर	एचपीजीसीएल	600.0
7.	भटिंडा	पीएसईबी	440.0
8.	एलएसए मोहब्बत	पीएसबीई	920.0
9.	रोपड़	पीएसईबी	1260.0
10.	कोटा	यूपीआरवीयूएनएल	1045.0
11.	सूरतगढ़	यूपीआरवीयूएनएल	1250.0
12.	हरदुआ गंज	यूपीआरवीयूएनएल	255.0
13.	पनकी	यूपीआरवीयूएनएल	210.0
14.	परिचा	यूपीआरवीयूएनएल	640.0
15.	ओबरा	यूपीआरवीयूएनएल	1362.0
16.	अनपारा	यूपीआरवीयूएनएल	1630.0
17.	टांडा	एनटीपीसी	440.0
18.	ऊंचाहार	एनटीपीसी	1050.0
19.	दादरी	एनटीपीसी	840.0
20.	रिहंद	एनटीपीसी	2000.0
21.	सिंगरौली	एनटीपीसी	2000.0
22.	गांधीनगर	जीएसईसीएल	870.0
23.	ऊकई	जीएसईसीएल	850.0
24.	वानकबोडी	जीएसईसीएल	1470.0
25.	सिक्का	जीएसईसीएल	240.0
26.	अमरकंटक	एमपीजीसीएल	450.0
27.	एस. गांधी	एमपीजीसीएल	1340.0
28.	सरनी	एमपीजीसीएल	1142.5
29.	बिंध्याचल	एनटीपीसी	3260.0
30.	कोरबा (ई.)	सीएसईबी	400.0
31.	कोरबा (ई.) विस्तार	सीएसईबी	500.0
32.	कोरबा (वेस्ट)	सीएसईबी	840.0
33.	सीपीत-2	एनटीपीसी	2100.0

1	2	3	4
34.	एनटीपीसी कोरबा	एनटीसीपी	2100.0
35.	भुसावल	महाजैनको	475.0
36.	चन्द्रपुर	महाजैनको	2340.0
37.	कोराडीह	महाजैनको	1040.0
38.	कापड़खेड़ा	महाजैनको	840.0
39.	नाशिक	महाजैनको	880.0
40.	पर्ली	महाजैनको	920.0
41.	पारस	महाजैनको	305.0
42.	विजयवाड़ा	एपीजैनको	1260.0
43.	मुद्दनूर	एपीजैनको	840.0
44.	आरडीएम एसटीपीएस-3	एनटीपीसी	500.0
45.	सिमहाद्री	एनटीपीसी	1000.0
46.	रायचूर	केपीसीएल	1470.0
47.	एन्नोर	टांनजैनको	450.0
48.	तूतीकोरीन	टांनजैनको	1050.0
49.	मैत्तूर	टांनजैनको	840.0
50.	नार्थ चून्नई	टांनजैनको	630.0
51.	बरौनी	बीएसईबी	110.0
52.	मुजफ्फरपुर	बीएसईबी	110.0
53.	पतरातु	जेएसईबी	840.0
54.	तेनूघाट	टीवीएनएल	420.0
55.	कहलगांव	एनटीपीसी	1840.0
56.	बोकारो	डीवीसी	630.0
57.	चन्द्रपुरा	डीवीसी	750.0
58.	दुर्गापुर	डीवीसी	340.0
59.	मेजिया	डीवीसी	1340.0
60.	ओपीजीसी-आईबी	ओपीजीसी	420.0
61.	तालचेर	एनटीपीसी	470.0
62.	तालचेर एसटीपीएस	एनटीपीसी	3000.0
63.	बांडेल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	450.0
64.	संथालडीह	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	730.0
65.	कोलाघाट	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1260.0
66.	सागरडीगी	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	600.0
67.	बारकेश्वर	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	840.0
68.	डीपीएल	डीपीएल	395.0
69.	फरक्का	एनटीपीसी	1600.0
70.	अहमदाबाद	टोरंट पावर	390.0
71.	दहानू	रिलायंस पावर	500.0
72.	बजबज	सीईएससी	500.0
73.	कोलकाता	सीईएससी	160.0
74.	एस.जैन	सीईएससी	135.0
75.	टीटागढ़	सीईएससी	240.0
	सकल योग		66192.0

विवरण-II

26.11.12 तक नये एफएसए प्रतिपादित किये जाने की स्थिति

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्षमता मेगावाट
1	2	3
1.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (खम्बेरखेरा यूनिट-I)	45
2.	बजाज एनर्जी सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (खम्बेरखेरा यूनिट-II)	45
3.	बजाज एनर्जी लिमिटेड (खम्बेरखेरा यूनिट-I)	45
4.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (मकसूदपुर यूनिट-II)	45
5.	बजाज एनर्जी सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बरखेरा यूनिट-I)	45
6.	रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिडेट, फेस I (यूनिट-I)	300
7.	रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिडेट, फेस I (यूनिट-II)	300
8.	रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिडेट, फेस II (यूनिट-III)	300
9.	झझर पावर लिमिटेड (यूनिट 1)	660
10.	झझर पावर लिमिटेड (यूनिट 2)	660
11.	रोसा टीपीपी II यूनिट-4	300
12.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (बरखेरा यूनिट-II)	45
13.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (कुंडारकी यूनिट-I)	45
14.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (कुंडारकी यूनिट-II)	45
15.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उतरौला यूनिट-I)	45
16.	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उतरौला यूनिट-II)	45
17.	बीना ओपीपी यू (1-2)/जेपी पावर वेंचर लिमिटेड	500
18.	मैथोन पावर लिमिटेड, मैथोन राइट बैंक टीपीएस यू-II	525
19.	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिमेटेड यू-I (टेपरिंग लिंकेज)	270
20.	सूरतगढ़, यूनिट-6	250

1	2	3
21.	कोटा यूनिट-7	195
22.	छबरा यूनिट-I	250
23.	छबरा यूनिट-II	250
24.	अनपरा 'सी' यूनिट-I	600
25.	अनपरा 'सी' यूनिट-II	600
26.	बज बज III यूनिट 3	250
27.	मैथान राइट बैंक टीपीएस	525
28.	परिछा विस्तार प्रोजेक्ट यूनिट सं.-5	250
29.	परिछा विस्तार प्रोजेक्ट यूनिट सं.-6	250
30.	मुंद्रा अदानी फेस III यूनिट-1	462
31.	मुंद्रा अदानी फेस III यूनिट-2	462
32.	मुंद्रा अदानी फेस III यूनिट-3	462
33.	स्टरलाइट एनर्जी यूनिट-2	600
	कुल	9671

दूरदर्शन की प्रचालनात्मक स्थिति

1734. श्री शिवकुमार उदासी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन (डीडी) की प्रचालनात्मक लागतें बढ़ रही हैं जबकि इसके राजस्व में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण है; और

(ग) दूरदर्शन को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के योजनेतर व्यय में वर्ष 2010-11 में उपगत व्यय की तुलना में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपगत व्यय और अर्जित राजस्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)
योजनेतर	1276.32	1339.96	1639.09	906.27
राजस्व योजना	79.39	61.27	133.87	43.22
पूंजी योजना	65.29	68.10	137.90	41.01
कुल	1421.00	1469.33	1910.86	990.50

राजस्व अर्जन निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	सकल राजस्व (करोड़ रुपए)
2009-10	828.48
2010.11	944.44
2011.12	990.76
2012.13 (31/10/2012 तक)	577.37

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि का कारण छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के द्वारा दूरदर्शन के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में हुई सामान्य वृद्धि था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 2003 से 2007 तक की अवधि से संबंधित विगत पांच वर्षों के लिए सेवा कर के संचित बकाए के रूप में 160 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

(ग) प्रसार भारती की वित्तीय पुनर्संरचना के अंतर्गत सरकार ने हाल ही में प्रसार भारती, जिसका दूरदर्शन एक अंशभूत एकक है, के लिए कई उपायों को अनुमोदित किया है जिनकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

- अगले पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतन और वेतन संबंधी स्थापना व्ययों का 100% खर्च पूरा किया जाएगा जबकि संचालन खर्चों की अन्य सभी मदों का व्यय प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से बहन किया जाएगा।
- प्रसार भारती को दिए गए पूंजी ऋण को केवल सहायता अनुदान के रूप में अंतरित किया जाएगा।
- भविष्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना पूंजी सहायता, सहायता अनुदान के रूप में होगी।
- निरंतर चलने वाले ऋण पर संचित ब्याज जो 2980.66 करोड़ रुपए है, को माफ किया जाएगा।
- पूंजी ऋण पर संचित ब्याज और उस पर दांडिक ब्याज, जो 1102.22 करोड़ रुपए है, को माफ किया जाएगा।
- 31.03.2011 तक प्रसार भारती के अंतराल सेगमेंट और स्पेक्ट्रम प्रभार का संचित बकाया (1349.54 करोड़ रुपए) माफ किया जाएगा।

सरकार के उपरोक्त निर्णय से दूरदर्शन सहित प्रसार भारती एक वित्तीय रूप से जीवनक्षम और संधारणीय संगठन बन जाएगा।

एंटी पर्सोनल ग्रेनेड

1735. श्री आनन्दराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एंटी पर्सोनल ग्रेनेडों के इस्तेमाल में गड़बड़ी के बाद ऐसे 50,000 से अधिक ग्रेनेडों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) ने वापस लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस गड़बड़ी के कारण घायल हुए/मरे कर्मियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एंटी पर्सोनल ग्रेनेडों में गड़बड़ी के कारणों का पता करने के लिए कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं तथा इसके आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दोषों के कारण एचई नं. 36 हथगोलों में सहायक उपकरण के रूप में प्रयुक्त 711 'इग्नाइटर सेट 4 सेकेंड डिले' को वापस ले लिया है।

(ख) हाई एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री किरकी (एचईएफके) द्वारा विनिर्मित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा धारित 'इग्नाइटर सेट्स 4 सेकेंड डिले' प्रूफ जांच के अध्यधीन थे। फैक्ट्री द्वारा आपूर्ति किए गए 79 खेपों में से, 59 खेप प्रूफ जांच में सही पाए गए हैं। प्रूफ जांच में सही पाए गए 59 खेपों में से, एक इग्नाइटर सेट 4 सेकेंड डिले में दिनांक 15.10.2012 को असमय विस्फोट हो गया। 'इग्नाइटर सेटों' के सही ढंग से कार्य नहीं करने के कारण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

में विभिन्न घटनाओं में 10 कार्मिक घायल हो गए और 01 कार्मिक की मृत्यु हो गई।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एचईएफ के द्वारा विनिर्मित लगभग, 1,70,000 'इग्नाइटर सेटों' के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने भी विनिर्माण दोषों के कारण 36.983 'इग्नाइटर सेंट 4 सेकेंड डिले' को अलग कर दिया है।

(ग) और (घ) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सभी घटनाओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा धारित 'इग्नाइटर सेटों' का निरीक्षण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा किया गया है तथा दोषपूर्ण 'इग्नाइटर सेटों को अलग कर दिया गया है। आयुध फैक्टरी, जिसने ग्रनेडों का विनिमार्ण एवं आपूर्ति की थी, से इस मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

महिलाओं के बीच फुटबाल/कुश्ती को बढ़ावा देना

1736. **श्रीमती मेनका गांधी :**
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के बीच फुटबाल और कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान इस सिलसिले में क्या उपलब्धि हासिल हुई;

(ग) क्या सरकार की ऐसे खिलाडियों के लिए कोई प्रोत्साहन-नीति है जो ओंलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल-प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत योजना-वार और जिले-वार कितने खिलाड़ी लाभान्वित हुए?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार पहले ही पुरूष और महिला खिलाड़ियों में कोई भेदभाव किए बिना सभी खिलाड़ियों को समान अवसर उपलब्ध करा रही है। जहां तक खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने का संबंध है, खेलों को बढ़ावा देने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने का जहां तक संबंध है, इसका दायित्व राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) का है। अतः राष्ट्रीय खेल परिसंघ अपनी संबंधित खेल विधाओं के समग्र प्रबंधन, विनियमन, संर्वधन और विकास के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह हैं। अधिकांश मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रतिभा की खोज, भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए टीमों का चयन और प्रशिक्षण, उपस्करों की खरीद आदि का निष्पादन करते हैं। तथापि, इन सभी प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर आश्रित हैं। सरकार विभिन्न कार्यकलापों, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं, के लिए 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों कर सहायता' योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है:

(i) सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर (पुरुष और महिला) श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन।

(ii) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों/टीमों का प्रशिक्षण तथा भागीदारी।

(iii) स्वदेशी स्रोतों या आयात के माध्यम से खेल सामान तथा खेल विज्ञान उपस्करों की खरीद।

(iv) राष्ट्रीय कोचों की नियुक्ति।

(v) विदेशी कोचों/विशेषज्ञों की नियुक्ति।

(vi) राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहायक/संयुक्त सचिव के वेतन का संवितरण।

फुटबाल और कुश्ती खिलाड़ियों सहित पुरुष और महिला श्रेणी के सभी खिलाड़ियों को एक समान सहायता दी जाती है।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान फुटबाल और कुश्ती के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु.)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर 2012, तक)	कुल
1.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, दिल्ली	41.90	610.51	174.99	206.22	1033.62
2.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, दिल्ली	470.00	153.98	983.00	449.38	2056.36

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके खिलाड़ियों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों का विशेष पुरस्कार की योजना' का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार प्राप्त कर चुके खिलाड़ियों और उनके कोचों की संख्या निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	खिलाड़ियों की संख्या	कोचों की संख्या	वितरित धनराशि		
			खिलाड़ी	कोच	कुल
2009-10	520	141	8.39	1.41	9.80
2010-11	613	145	27.45	5.95	33.40
2011-12	373	—	6.43	—	643
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	28	—	2.13	—	2.13

[हिन्दी]

दूरदर्शन स्टूडियों का श्रेणीकरण/वर्गीकरण

1737. श्री महाबल मिश्रा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे दूरदर्शन के स्टूडियोज़ की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त स्टूडियोज़ को किस प्रकार वर्गीकृत/श्रेणीकृत किया गया है;

(ग) इनमें उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कौन-कौन से स्टूडियो संबंधित राज्य विशेष की भाषा में क्षेत्रीय समाचार प्रसारित नहीं करते तथा इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय, देश में 67 दूरदर्शन केंद्र (स्टूडिया केंद्र) कार्यशील हैं। तत्संबंधी राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:—

(1)	राष्ट्रीय स्टूडियो केंद्र (दिल्ली)	—	1
(2)	केंद्रीय कार्यक्रम-निर्माण केन्द्र (दिल्ली)	—	1
(3)	स्टूडियो केन्द्र जहां से क्षेत्रीय चैनल/ राज्य नेटवर्क मूल रूप से संचालित होते हैं	—	27
(4)	अन्य कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र	—	38

स्टूडियो में कार्यक्रमों के निर्माण की तथा साथ ही, क्षेत्र-कार्यक्रम निर्माण की सुविधाएं दूरदर्शन के सभी स्टूडियो केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। सैटेलाइट अपलिंक की सुविधा सभी दूरदर्शन केंद्रों पर उपलब्ध हैं जहां से क्षेत्रीय चैनल/राज्य नेटवर्क मूल रूप से संचालित होते हैं। 28 दूरदर्शन केंद्रों पर क्षेत्रीय समाचार एकक भी उपलब्ध है।

(घ) दूरदर्शन के पास 28 क्षेत्रीय समाचार एकक हैं जो उस राज्य विशेष की भाषाओं में क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण करते हैं। इसके अतिरिक्त, लद्दाख स्थित दूरदर्शन केंद्र से स्थानीय भाषा में हाल ही में समाचार बुलेटिन शुरू किए गए हैं।

विवरण

राज्य-वार स्टूडियो केंद्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टूडियो केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	4
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	2
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	3
15.	महाराष्ट्र	3
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	ओडिशा	3
21.	पंजाब	2
22.	राजस्थान	1
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	3
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	7
27.	उत्तराखंड	1

1	2	3
28.	पश्चिम बंगाल	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	1
31.	दिल्ली	2
32.	पुदुचेरी	1
	कुल स्टूडियो	67

[अनुवाद]

पशु-चिकित्सा अस्पताल

1738. श्री अनंत कुमार :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पशु चिकित्सकों/अस्पतालों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों व देश में पशु-चिकित्सा अस्पतालों, चिकित्सकों एवं अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की राज्यवार अनुमानत: कितनी कमी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) देश में 59704 पशुचिकित्सक/पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनर हैं। विभाग के पास मौजूदा सूचना के अनुसार देश में 9958 पशुचिकित्सा अस्पताल/पालिक्लिनिक और 22200 पशुचिकित्सा दवाखाने हैं। पशुधन गणना (2007) के अनुसार, भारत के पास लगभग 336 मिलियन गोपशु यूनिटें हैं (प्रति गोपशु यूनिट एक बड़े पशु या 5 सूअर या 10 भेड़ और बकरी अथवा 100 कुक्कुट की समतुल्य है)। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) की सिफारिशों के अनुसार 2000 ई. तक प्रति 5000 गोपश यूनिट पर कम से कम एक पशुचिकित्सा होना चाहिए और इस प्रकार 336 मिलियन गोपशु यूनिटों को पशुचिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए करीब 67200 पशुचिकित्सकों की आवश्यकता है। अत: इस समय देश में पशुचिकित्सकों और पशुचिकित्सा अस्पतालों की काफी कमी है। पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पशुचिकित्सा अस्पतालों/पालीक्लिनिकों और पशुचिकित्सा दवाखानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पशुचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए पशुचिकित्सकों की नियुक्ति और तैनाती सहित पशुचिकित्सा अस्पतालों/पालिक्लिनिकों और दवाखाना आदि की स्थापना राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तथापि, नए पशुचिकित्सा अस्पतालों/दवाखानों को स्थापित करने और ऐसे मौजूद अस्पतालों/दवाखानों को सुदृढ़/सुसज्जित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभाग ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी)' के हिस्से के तौर पर अगस्त, 2010 से नया घटक नामत: 'मौजूद पशुचिकित्सा अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी) आरंभ किया है और विभाग अब पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, केन्द्र व राज्य के बीच अनुदान 90:10 आधार पर प्रदान किया जाता है, राज्यों को केन्द्र और राज्यों के बीच योजना के लागत मानक 75:25 आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों को नए पशुचिकित्सा अस्पतालों/दवाखानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 9726.50 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 9881.36 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस घटक के लिए 9100.00 लाख रुपए का प्रावधान है।

विवरण-I

*देश में राज्यवार पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों की संख्या**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत पशुचिकित्सकों की संख्या*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5487

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	117
3.	असम	2440
4.	बिहार	3196
5.	छत्तीसगढ़	316
6.	गोवा	135
7.	गुजरात	1869
8.	हरियाणा	1934
9.	हिमाचल प्रदेश	888
10.	जम्मू और कश्मीर	**
11.	झारखंड	960
12.	कर्नाटक	4145
13.	केरल	3562
14.	मध्य प्रदेश	2803
15.	महाराष्ट्र	7976
16.	मणिपुर	352
17.	मेघालय	300
18.	मिजोरम	193
19.	नागालैंड	228
20.	ओडिशा	1901
21.	पंजाब	2833
22.	राजस्थान	3587
23.	सिक्किम	91
24.	तमिलनाडु	5005
25.	त्रिपुरा	197
26.	उत्तर प्रदेश	4544
27.	उत्तराखंड	549
28.	पश्चिम बंगाल	2732
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	74
30.	चंडीगढ़	13
31.	दादरा और नगर हवेली	4
32.	दमन और दीव	1
33.	दिल्ली	719
34.	लक्षद्वीप	23
35.	पुदुचेरी	318

*भारतीय पशुचिकित्सा परिषद द्वारा रख-रखाव किए गए भारतीय पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनर रजिस्टर के अनुसार।

**जम्मू और कश्मीर में कार्यरत 332 पशुचिकित्सक भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत नहीं हैं।

विवरण-II

राज्यवार पशुचिकित्सा अस्पतालों/पालीक्लिनिकों और पशुचिकिसा औषधालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुचिकित्सा अस्पतालों/ पालीक्लिनिक	पशुचिकित्सा औषधालय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	303	1826
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	93
3.	असम	22	452
4.	बिहार	39	783

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	210	757
6.	गोवा	5	21
7.	गुजरात	23	597
8.	हरियाणा	942	1809
9.	हिमाचल प्रदेश	367	1764
10.	जम्मू और कश्मीर	303	1585
11.	झारखंड	23	405
12.	कर्नाटक	371	1941
13.	केरल	275	868
14.	मध्य प्रदेश	649	1738
15.	महाराष्ट्र	203	1738
16.	मणिपुर	55	109
17.	मेघालय	4	91
18.	मिजोरम	5	33
19.	नागालैंड	11	20
20.	ओडिशा	58	482
21.	पंजाब	1379	1485
22.	राजस्थान	1833	285
23.	सिक्किम	14	40
24.	तमिलनाडु*	167	2256
25.	त्रिपुरा	15	59
26.	उत्तर प्रदेश	2200	268
27.	उत्तराखंड	307	12
28.	पश्चिम बंगाल	110	610
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	12
30.	चंडीगढ़	5	8
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0
32.	दमन और दीव	0	2
33.	दिल्ली	45	28
34.	लक्षद्वीप	3	6
35.	पुदुचेरी	—	17
	कुल	9958	22200

स्रोत: मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी-2012.

*राज्यों द्वारा प्रदत्त ब्यौरे के अनुसार अद्यतन।

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

1739. श्री भर्तृहरि महताब : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता-सेनानी के रूप में मान्य करने के लिए क्या मानदंड अपनाएं गए हैं तथा सरकार द्वारा स्वतंत्रता-सेनानियों और उनके आश्रितों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि स्वतंत्रता-सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें मिलें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को स्वतंत्रता-सेनानियों और उनके आश्रितों को उक्त सुविधाओं से वंचित करने की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) केन्द्रीय "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के अंतर्गत पात्रता

मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कम से कम छह माह का कारावास/भूमिगत यातना/(महिला एवं अनु.जा./अनु.ज.जा. के मामले में तीन माह), कम से कम 6 माह तक घर में कैद/जिला-निष्कासन, सम्पत्ति जब्त करना, स्थायी अपंगता अथवा नौकरी से निकाल देना शामिल है, जिनको दावेदार ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में सहन किया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, जब कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों को देय सुविधाओं के अस्वीकार करने की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस मामले को शिकायत के निराकरण हेतु तत्काल संबंधित मंत्रालय के साथ उठाया जाता है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सुविधाएं

(i) स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को एक साथी/अनुचर के साथ (राजधानी में एसी-II टायर, शताब्दी/जन शताब्दी ट्रेनों में चेयरकार और अन्य सभी ट्रेनों में प्रथम श्रेणी/II एसी स्लीपर) का आजीवन निःशुल्क रेलवे पास।

(ii) सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम नियंत्रण ब्यूरो के अधीन पीएसयू द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सीजीएचएस सुविधाएं भी दी गई हैं।

(iii) स्थापना प्रभार के बगैर और केवल आधा किराया के भुगतान पर उपलब्धता के अध्यधीन टेलीफोन कनेक्शन।

(iv) दिल्ली में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी को सामान्य पूल रिहायशी आवास (समग्रत: 5% विवेकाधीन कोटा के भीतर)। संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद छह माह तक आवास को रखने की अनुमति है।

(v) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनको दिल्ली में बने स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास।

(vi) पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह घूमने के लिए वर्ष में एक बार साथी के साथ निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा।

स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध ये सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी दी जाती है।

[हिन्दी]

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

1740. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आईसीडीपी-चावल) का कार्यान्वियन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों और कीटनाशकों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए किन-किन क्षेत्रों और ब्लॉकों को शामिल किया गया है और शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) जी, हां। समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आईसीडीपी-चावल) देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वियनाधीन है।

संशोधित सूक्ष्म कृषि प्रबंधन मोड (एमएमए) स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तातंरण के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्यों के क्षेत्रों/ब्लॉकों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आईसीडीपी-चावल) के कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकारों के प्रयत्नों को अनुपूरित करने के लिए भारत सरकार सहायता प्रदान करती है।

कृषि यंत्रीकरण (उपकरण) एवं समेकित नाशीजीवमार प्रबंधन (कीटनाशक) हेतु सहायता का उपयोग करने हेतु एमए के अंतर्गत पर्याप्त लचीलापन प्रदान करने का प्रावधान है और वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदत्त सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान एमएमए के अंतर्गत आईसीडीपी-चावल, कृषि यंत्रीकरण एवं समेकित नाशीजीवमारक प्रबंधन

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	आईसीडीपी-चावल	आईपीएम	कृषि यंत्रीकरण
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	296.65	204.00	4365.00

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	90.00	147.00	352.00
बिहार	0.00	0.00	3376.14
छत्तीसगढ़	427.83	0.00	450.00
गुजरात	61.60	76.40	1246.97
हरियाणा	136.00	89.90	0.00
हिमाचल प्रदेश	50.90	0.00	264.19
जम्मू और कश्मीर	176.42	102.42	1092.74
झारखंड	0.00	0.00	47.00
कर्नाटक	718.00	0.00	1014.31
केरल	0.00	0.00	150.00
मध्य प्रदेश	640.00	0.00	1725.00
महाराष्ट्र	440.00	192.00	1740.00
मणिपुर	238.12	161.29	238.30
मिजोरम	42.40	0.00	135.00
मेघालय	173.00	0.00	400.50
नागालैंड	113.60	120.00	200.00
ओडिशा	606.68	0.00	1514.49
पंजाब	0.00	100.00	342.01
राजस्थान	0.00	154.00	250.00
सिक्किम	120.80	26.00	22.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	958.35
त्रिपुरा	203.40	5.00	513.60
उत्तर प्रदेश	691.88	48.50	1100.00
उत्तराखंड	121.37	0.00	273.00
पश्चिम बंगाल	1104.48	51.00	1675.00
कुल	6453.13	1477.51	23445.60

[अनुवाद]

जिला स्तर/राज्य स्तर पर खेल-प्रतिस्पर्धाएं

1741. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खेल-प्रतिभाओं को पहचानने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा आयोजित करने की कोई स्कीम/योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र से चयनित खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा 2008-09 में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) नामक स्कीम की शुरूआत की गई है। स्कीम के अंतर्गत देश भर में ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं से बड़ी संख्या में युवाओं (पुरूष और महिलाओं दोनों) को जमीनी स्तर से खेलों में भागीदारी के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने और खेल-प्रतिभाओं को पहचानने के लिए विस्तृत आधार मिलता है।

(ग) और (घ) जी, हां। चुने गए खिलाड़ियों को सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) और प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना (एसआरटीएस एवं टी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की खिलाड़ी-वार/खेल विधा-वार विस्तृत सूचना क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II से V में दी गई है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में सूचना का रिकार्ड मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता।

विवरण-I

2009-10 से 2012-13 के दौरान एनएसडीएफ के अंतर्गत दी गई खिलाड़ी-वार और खेल विधा-वार वित्तीय सहायता

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	वर्ष-वार				
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनिल कुमार	एथलीट	640,977.00		226,984.00		867,961.00
2.	अनूप श्रीधर	बैडमिंटन	73,808.00		38,515.00		112,323.00
3.	परिमार्जन नेगी	शतरंज	1,685,418.00	505,208.00	1,095,234.00		3,285,860.00
4.	तान्या सचदेव	शतरंज	673,869.00		3,168.00		677,037.00
5.	अभिनव बिंद्रा	निशानेबाजी	9,054,728.00	6,379,820.00	7,288,274.00	5,869,478.00	28,592,300.00
6.	अंजलि भागवत	निशानेबाजी	90,177.00				90,177.00
7.	अवनीत कौर	निशानेबाजी	126,277.00				126,277.00
8.	गगन नारंग	निशानेबाजी	116,973.00				166,973.00
9.	मानवजीत सिंह संधू	निशानेबाजी	5,419,244.00	6,148,666.00	4,807,475.00	8,542,882.00	24,918,267.00
10.	मनशेर सिंह	निशानेबाजी	3,450,038.00	3,973,507.00	1,947,758.00		9,371,303.00
11.	रोंजन सोढ़ी	निशानेबाजी	4,720,986.00	5,978,644.00	4,831,041.00	8,384,362.00	23,915,033.00
12.	संजीव राजपूत	निशानेबाजी	117,511.00			1,107,484.00	1,224,995.00

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	समरेश जंग	निशानेबाजी	64,801.00				64,801.00
14.	जोरावर सिंह संधू	निशानेबाजी			64,620.00		64,620.00
15.	नरेश कुमार शर्मा	निशानेबाजी (पैरालंपिक्स)	1,636,489.00			3,427,942.00	5,064,431.00
16.	शिव केशवन केंपी	लुगे (शीतकालीन खेल)	1,624,008.00		269,384.00		1,893,392.00
17.	जमयांग नाम्गियाल	अल्पाइन स्कीइंग	869,322.00				869,322.00
18.	तासी लुंडुप	क्रास कंट्री स्कीइंग	756,805.00				756,805.00
19.	सोमदेव देववर्मन	टेनिस		619,005.00	3,330,592.00		3,949,597.00
20.	बलजीत सिंह	हाकी		3,308,301.00			3,308,301.00
21.	लियंडर पेस	टेनिस		2,208,675.00	825,581.00		3,034,256.00
22.	महिला हाकी खिलाड़ी	हाकी	9,020,000.00				9,020,000.00
23.	ओम प्रकाश सिंह करहाना	एथलीट			4,078,692.00	1,772,792.00	5,851,484.00
24.	कृष्णा पूनिया	एथलीट			3,107,509.00	3,251,776.00	6,359,285.00
25.	विकास गौडा	एथलीट			2,584,596.00	2,632,941.00	5,217,537.00
26.	महेश भूपति	टेनिस			1,567,565.00	2,571,573.00	4,139,138.00
27.	सानिया मिर्जा	टेनिस			1,094,807.00	2,372,617.00	3,467,424.00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	रोहन बोपन्ना	टेनिस			1,738,315.00		1,738,315.00
29.	युकी भाम्बरी	टेनिस			713,678.00	1,203,293.00	1,916,971.00
30.	मयूखा जानी	एथलीट			1,719,647.00	1,667,980.00	3,387,627.00
31.	9 जिम्नास्ट	जिम्नास्टिक			8,991,000.00		8,991,000.00
32.	4 एथलीट (परीजा श्रीधरन, कविता राउत, ओपी जैशा, सुधा सिंह)	एथलीट			2,227,724.00	5,008.229.00	7,235,953.00
33.	सनम सिंह	टेनिस			543,329.00	432,251.00	975,580.00
34.	शगुन चौधरी	निशानेबाजी			779,740.00	2,282,953.00	3,062,693.00
35.	जे विष्णुवर्धन	टेनिस				724,459.00	724,459.00
36.	करन रस्तोगी	टेनिस				674,486.00	674,486.00
37.	जॉयदीप कर्माकर	निशानेबाजी				2,231,872.00	2,231,872.00
38.	हिना सिद्धू	निशानेबाजी				736,025.00	736,025.00
39.	दीपिका पैलिकाल	स्कवैश				147,926.00	147,926.00
	कुल		40,141,431.00	29,121,826.00	53,875,228.00	55,043,321.00	178,181,806.00

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के लिए प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना (एसआरटीएसटी) के अंतर्गत व्यय

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	कुल संस्वीकृत धनराशि
1.	मास्टर एम.आर. ललित बाबू	शतरंज	500000
2.	मास्टर वैंकट अय्यर	टेनिस	500000
3.	मास्टर विदित गुजराती	शतरंज	500000
4.	मास्टर जी.वी.साई कृष्णा	शतरंज	500000
5.	मास्टर आदित्य उदेशी	शतरंज	500000
6.	श्री संजय बेनिवाल, कोच	कैनोइंग और क्याकिंग	500000
7.	डा. पी. पुरुषवानी	संकाय सदस्य	500000
8.	श्री बी. झाझरिया	संकाय सदस्य	500000
9.	डा. निबू आर.कृष्णा	संकाय सदस्य	500000
	कुल		4500000

विवरण-III

वर्ष 2009-10 के लिए प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना (एसआरटीएसटी) के अंतर्गत व्यय

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	कुल संस्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1.	क्रुतिका नादिग	शतरंज	500000
2.	सुश्री भक्ति कुलकर्णी	शतरंज	500000
3.	सुश्री सौमिया स्वामीनाथन	शतरंज	500000

1	2	3	4
4.	श्री बी. आधिबन	शतरंज	500000
5.	मास्टर सहज ग्रोवर	शतरंज	500000
6.	सुश्री तारिनी गोयल	शतरंज	500000
7.	मास्टर एस.पी. सेतुरमन	शतरंज	500000
8.	सुश्री गुरबाणी सिंह	गोल्फ	500000
9.	डा. अल्का बेओत्रा और सुश्री शोभा आही	वैज्ञानिक एनडीटीएल	500000
10.	डा. शिला जैन	वैज्ञानिक एनडीटीएल	500000
11.	श्री सचिन दिबे	वैज्ञानिक एनडीटीएल	500000
12.	डा. एम. काशिफ	वैज्ञानिक एनडीटीएल	500000
13.	54 साई, आरएसपीबी और पायका कोच	कोच	27000000
14.	शायन मसूद	निशानेबाजी	500000
15.	श्री विक्रम भटनागर	निशानेबाजी	500000
16.	सान्या शेख	निशानेबाजी	500000
17.	सुश्री अयोनिका पाल	निशानेबाजी	500000
18.	सुश्री जुही तलवार	निशानेबाजी	500000
19.	क्यनन डी चेन्नई	निशानेबाजी	500000
20.	सुश्री कांची देसाई	तैराकी	500000
21.	सुश्री गौरी देसाई	तैराकी	500000
22.	मास्टर साई कार्तिक	टेनिस	500000
23.	श्री विस्पी डोगरा और श्री विजय शर्मा, कोच	भारोतोलन	35291
24.	हंगरी के लिए 35 साई और राज्य कोच	कोच	19200000
25.	श्री माहीपत	कुश्ती	120000
26.	श्री हरदीप	कुश्ती	120000

विवरण-IV

वर्ष 2011-12 के लिए प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना (एसआरटीएसटी) के अंतर्गत व्यय

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	कुल संस्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1.	सुश्री अन्या पाणिग्राही	19.1.2011	500000
2.	22 साई प्रशिक्षु और 06 साई अधिकारी	9.3.2011	500000
3.	1. श्री खालिद जमील	06.05.2011	500000
	2. श्री प्रदीप कुमार ब्रह्मा	11.05.2011	
	3. श्री असलम अहमद खान		
4.	सुश्री ताहिर भट्टी	9.5.2011	500000
5.	तारामति सुबास माटीवाड़ा	7.4.2011	500000
6.	श्री मिराज अहमद खान	20.5.2011 और 24.5.2011	500000
7.	डा. (सुश्री) बेनु गुप्ता	7.4.2011	500000
8.	समित सिंह	27.6.2011	500000
9.	मास्टर सहेज ग्रोवर	5.10.11	500000
10.	श्री ऐश्वर्या नेदुनचझिअयन	19.1.11	500000
11.	श्री बिरेनदीप सिंह सोढ़ी	27.06.11	500000
12.	सुश्री सोम्या स्वामीनाथन	07.12.2011	500000
13.	श्री गजेन्द्र शर्मा	12.8.11	500000
14.	रिंचा पुजारी		500000
15.	सुश्री आन्या पाणिग्राही	तैराकी	500000
16.	मास्टर एम.आर. ललित बाबू	शतरंज	500000
17.	मास्टर शाही हरशल	शतरंज	500000
18.	मास्टर दिपत्यान घोष	शतरंज	500000

1	2	3	4
19.	सुश्री तेजेन्द्र कौर	वैज्ञानिक	500000
20.	श्री दीपक शर्मा	विशानेबाजी	500000
21.	सुश्री ज्योत्सना पंसारे	तैराकी	500000
22.	श्री दीपक सिंह पटियाल	फेन्सिग कोच	500000
23.	श्री अश्विनी कुमार	फेन्सिग कोच	500000

विवरण-V

वर्ष 2012-13 के लिए प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना (एसआरटीएसटी) के अंतर्गत व्यय

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	कुल संस्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1.	सुश्री ज्योतसना पनसारे	तैराकी	500000
2.	श्री अश्विनी कुमार	फेनसिंग कोच	500000
3.	सुश्री चित्रा चंद्रा मोहन, कोच	भारोतोलन	50000
4.	शरमदा बालू	टेनिस	500000
5.	सुश्री रतनिका बत्रा	टेनिस	500000
6.	श्री नारायण सी. नवालगुंड	शतरंज	500000
7.	श्री जी.एल. खन्ना	वैज्ञानिक	150000
8.	श्री मुकेश अग्रवाल	वैज्ञानिक	150000
9.	श्री ओम प्रकाश	निशानेबाज	500000
10.	श्री राजकुमारी राठौर	निशानेबाज	500000
11.	श्री परिमार्जन नेगी	शतरंज खिलाड़ी	500000
12.	श्री सहज ग्रोवर	शतरंज खिलाड़ी	500000
13.	सुश्री अदिति अशोक	गोलफर	500000

1	2	3	4
14.	सुश्री सानिया शेख	निशानेबाज	
15.	सुश्री श्रेयसी सिंह	निशानेबाज	500000
16.	श्री दीपक शर्मा	निशानेबाज	500000
17.	श्री समित सिंह	निशानेबाज	500000
18.	श्री सरन सुशील ज्ञानचंद	निशानेबाज	500000

ताप विद्युत-संयंत्र को स्वीकृति

1742. **श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के चतरा जिले के पीपरवार में 2000 मेगावाट क्षमता का बृहत् ताप-विद्युत संयंत्र एक दशक से भी अधिक समय से मंत्रालय की स्वीकृति की समीक्षा में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) टांडवा (पीपरवार के पास) ब्लाक, झारखंड के चतरा जिले में नार्थ करनपुरा सुपरथर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनकेपीएसटीपीपी) के परियोजना स्थल को नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा जुलाई, 2013 में अंतिम रूप दिया गया था। कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने प्रस्तावित परियोजना स्थल के रूप में कोयला धारक क्षेत्र के मुद्दे पर साइट लोकेशन के मामले को उठाया। जलाशय और विद्युत कोरीडोर लगभग 6 बिलियन टन कोयला भंडार को अवरूद्ध कर रहे थे। इसलिए कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने स्थल का पुन: पता लगाने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से अनुरोध किया।

इस मुद्दे का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने आयोजित कई बैठकों के पश्चात कोयला मंत्रालय ने इस मामले को मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ उठाया था और वैकल्पिक गैर-कोयला धारक क्षेत्र में प्रस्तावित संयंत्र का पुन: पता लगाने के लिए विद्युत मंत्रालय को निदेश देने के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) के विचारार्थ एक नोट परिचालित किया क्योंकि परियोजना के निर्माण में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस माामले को कोयला खनन और अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और विकास संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) के विचारार्थ भेज दिया। जीओएम की 01.03.2012 को आयोजित बैठक में एनकेपीएसटीपीपी के मुद्दे की जांच करने के लिए उनके द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर कतिपय सुरक्षा के साथ प्रस्तावित स्थल पर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तथापि, कोयला मंत्रालय जीओएम के निर्णय से सहमत नहीं था और कोयला मंत्रालय ने इस मुद्दे को अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) के विचारार्थ पुन: उठाया है।

[हिन्दी]

मुंबई हमले की जांच

1743. **श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुंबई आतंकवादी हमले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक दल पाकिस्तान भेजने हेतु वहां की सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए गृह मंत्रालय की एक टीम के दौरे का प्रस्ताव किया

गया है, जिनके तहत पाकिस्तान के न्यायिक आयोग द्वारा दौरा किया जाएगा। इस मामले में पाकिस्तान सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

त्वरित कार्य बल

1744. **श्री महेश जोशी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में त्वरित कार्य बल हेतु और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कौन-कौन से स्थान चिन्हित किए गए हैं और उक्त केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान में देश में त्वरित कार्रवाई बल के और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शीतागारों की स्थापना

1745. **श्री पूर्णमासी राम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और देश में शीतागारों का राज्य-वार क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिहार सहित देश में शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता-अनुदान प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शीतागारों की कमी के कारण कितनी मात्रा में खाद्यान्न खराब/बर्बाद हो गया;

(ङ) क्या सरकार का देश में और अधिक शीतागार स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) वर्तमान में बिहार सहित देश में 303.80 लाख मीटरी टन क्षमता वाले लगभग 6488 शीतागार भंडार है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है जिसके तहत बिहार सहित देश में शीतागारों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान-सहायता प्रदान की जाती है:—

(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम);

(2) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच);

(3) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी);

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम (एमओएफपीआई);

(5) कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड़ा) की स्कीम;

(6) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्कीम (एनसीडीसी)

(घ) फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्ययन कराया एवं सितम्बर, 2012 में रिपोर्ट मुद्रित कराई। अध्ययन के अनुसार फसलों की अनुमानित कटाई एवं कटाई पश्चात् हानि व पशुधन उत्पाद हानि वर्ष 2007-08 के मूल्य एवं उत्पादन मूल्य पर 44143 करोड़ रुपए थी।

(ङ) और (च) सरकार ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के माध्यम से शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करके एवं सेवा शुल्क, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में अन्य रियायत प्रदान करके देश में विद्यमान शीतागार क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

विवरण

शीतागारों की राज्य संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शीतागारों की संख्या	क्षमता मीटरी टन
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	2	210
2.	आंध्र प्रदेश	371	13,97,011

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	5,000
4.	असम	28	1,08,402
5.	बिहार	299	13,96,178.5
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	6	12,216
7.	छत्तीसगढ़	82	3,99,549
8.	दिल्ली	95	1,26,158
9.	गुजरात	514	18,34,290.1
10.	गोवा	29	7,705
11.	हरियाणा	266	4,65,196
12.	हिमाचल प्रदेश	18	19,858
13.	जम्मू और कश्मीर	24	64,769
14.	झारखंड	55	2,17,280
15.	केरल	194	63,105
16.	कर्नाटक	180	4,87,262
17.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	1	15
18.	महाराष्ट्र	488	6,04,300
19.	मध्य प्रदेश	244	10,35,664
20.	मेघालय	3	3,200
21.	मिजोरम	1	3,471
22.	नागालैंड	2	6,150
23.	ओडिशा	106	3,11,139
24.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	3	85
25.	पंजाब	569	19,01,934.54
26.	राजस्थान	139	4,36,247.6
27.	सिक्किम	1	2,000
28.	तमिलनाडु	162	2,95,371
29.	त्रिपुरा	12	34,181
30.	उत्तर प्रदेश	2084	1,32,21,609.78
31.	उत्तराखंड	16	70,899
32.	पश्चिम बंगाल	493	58,49,818
	कुल	6488	3,03,80,274.527

पूजा-स्थलों का संरक्षण

1746. श्री सतपाल महाराज : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के राज्य-वार कितने पूजा-स्थलों में सौंदर्यीकरण/संरक्षण-कार्य किया गया; और

(ख) इस कार्य हेतु स्वीकृत और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) 3678 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/स्थलों के रूप में घोषित किया गया है। जिनमें अन्य स्मारकों/स्थलों के साथ-साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च तथा मठ शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का वार्षिक अनुरक्षण और छोटी-मोटी मरम्मत करता है, साथ ही नींव का सुदृढ़ीकरण, दीवारों का सुदृढ़ीकरण तथा तलों, खम्भों, छतों की मरम्मत, जल रोधन, टेक लगाना, टीपकारी आदि जैसे संरक्षण कार्य भी करता है। स्मारक में तथा इसके आस-पास पर्यावरणीय विकास भी नियमित रूप से किया जाता है। पर्यावरणीय विकास सहित गत तीन वर्षों के दौरान संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों तथा मठों सहित स्मारकों के संरक्षण पर किए गए खर्च और चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2009-11	व्यय 2010-11	व्यय 2011-12	आबंटन 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	738.00	758.00	544.49	655.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1371.00	1706.99	1208.00	1010.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	590.00	315.00	310.7	370.00
4.	महाराष्ट्र	मुबंई मंडल	500.00	389.99	359.00	375.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1200.00	1245.95	1041.00	1020.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	619.46	981.88	943.98	792.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	674.33	654.87	607.9	707.50
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	276.49	261.36	289.98	400.00
9.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	कोलकाता मंडल	435.23	504.59	446.28	404.00
10.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	चैन्नई मंडल	460.50	530.00	530.00	455.00
11.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	694.46	687.04	529.99	630.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	70.87	79.8	62.81	77.00
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली मंडल	1747.00	1849.84	927.39	1030.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	120.61	110.00	110.00	106.00
15.	सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहटी मंडल	135.08	159.01	213.32	136.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	275.55	350.00	445.49	435.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	610.00	664.86	640.00	800.00

1	2	3	4	5	6	7
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	314.99	364.99	383.96	300.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	338.44	335.44	355.00	328.00
20.	केरल	त्रिशूर मंडल	300.01	337.01	301.5	363.00
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	459.98	509.93	574.97	480.00
22.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	130.52	147.18	139.99	105.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	332.00	341.00	303.58	363.00
24.	झारखंड	रांची मंडल	64.75	64.98	62.58	58.00
25.		विज्ञान शाखा, देहरादून	655.45	507.46	485.40	440.50
26.		उद्यान शाखा, आगरा	2185.71	1796.70	1580.44	1950.00
27.		आरक्षित (पूर्वोत्तर कार्यकलाप)				87.00
		जोड़	15300.43	15653.87	13397.75	13877.00

[अनुवाद]

महानिदेशक-स्तरीय बैठक

1747. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और बांग्लादेश के स्वापक नियंत्रण महानिदेशकों की एक बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी सतत कदमों के माध्यम से आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कदमों पर अमल किए जाने के पश्चात् नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार पर किस हद तक अंकुश लगेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत और बांग्लादेश के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशकों के बीच दिनांक 04.10.2012 को एक बैठक हुई थी।

(ख) भारत द्वारा बैठक के दौरान सीमा पर नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार के अद्यतन मार्गों एवं स्थलों की जानकारी का आदान-प्रदान करने, सही समय पर आपरेशनल आसूचना का आदान-प्रदान करने, सीमा पर स्थित इन क्षेत्रों कस संयुक्त दौरा आरंभ करने के लिए योजना तैयार करने, नशीले पदार्थों के दुर्व्यापारियों और नशीले पदार्थों

की नई-नई मदों का दुर्व्यापार करने से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करने, क्षमता संवर्धन में सहयोग करने आपूर्ति एवं मांग की कमी में अपनायी जाने वाली सर्वोत्तम परम्पराओं का आदान-प्रदान करने तथा वर्ष 2006 में संपन्न हुए द्विपक्षीय करार की कार्यान्वियन स्थिति के मुद्दे उठाए गए।

(ग) से (ङ) दोनों पक्ष प्रभावकारी एवं सतत उपायों के माध्यम से नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार को रोकने की दिशा में आपसी सहयोग बढ़ाने, सीमा पार नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना का सतत आदान-प्रदान करने और इस हेतु समन्वित रणनीति अपनाने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके क्षमता संवर्धन में सहयोग बढ़ाने इत्यादि पर सहमत हुए।

फसलगत जैव-प्रौद्योगिकी

1748. श्री पी. करूणाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि युवा पीढ़ी अपने करिअर के रूप में कृषि-जैव प्रौद्योगिकी की बजाय जीनीय-अभियांत्रिकी को प्राथमिकता दे रही है; और

(ख) छात्रों के बीच फसलगत जैव-प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) इस तरह का कोई विशेष अध्ययन उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाये कि युवा पीढ़ी अपने करियर के रूप में कृषि जैव प्रौद्योगिकी की बजाय आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को प्राथमिकता देता है।

(ख) सरकार विभिन्न तरीकों के जरिए फसल जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकास अनुदान के तहत निधि सहायता, स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना तथा स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी शिक्षावृत्तियां देना शामिल है।

गंगटोक दूरदर्शन-केन्द्र का प्रचालन

1749. श्री प्रेमदास राय : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगटोक में स्थापित दूरदर्शन केन्द्र के प्रचालन में बहुत अधिक विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गंगकोट दूरदर्शन के पूरी तरह से कब तक कार्य करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जी नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गंगकोट स्थित दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो सेंटर) नवंबर, 2004 में प्रचालित किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, गंगटोक, जिसका हालांकि आज की तारीख तक औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है, एक पूरी तरह से कार्यरत केन्द्र है और वर्तमान में सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज 1 घंटे 15 मिनट के कार्यक्रमों का आयोजन और प्रसारण कर रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी योजना

1750. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री एस. अलागिरी :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समीक्षा के दौरान क्या कमियां पाई गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन कमियों के समाधान के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने कस प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरण दास महंत) : (क) और (ख) इस विभाग में स्थापित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा 27.6.2112 को राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 (एनडीपी-1) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी। यह योजना हाल में मार्च, 2012 के दौरान शुरू की गई है और योजना के कार्यान्वयन के लिए की गई पहलें अनुसूची के अनुसार है।

(ग) 'ख' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर दूध के उत्पादन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

दलहनों और तिलहनों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

1751. **डा. मन्दा जगन्नाथ :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) ने फसल-पद्धति को विविधिकृत करने के उद्देश्य से दलहनों और तिलहनों हेतु उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के पक्ष में सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार धान की खेती के क्षेत्र को सीमित करने और उसके एम.एस.पी. को घटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से परामर्श के आधार पर 2012-13 में मुख्य दलहनों एव तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। 2011-12 तथा 2012-13 के मुख्य दलहनों एवं तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ब्यौरे नीचे दिये हैं।

(रु. प्रति क्विंटल)

फसल	2011-12	2012-13
अरहर (तूर)	3200*	3850
मूंग	3500*	4400
उड़द	3300*	4300
चना	2800	3000
मूंगफली	2700	3700
सुरजमुखी बीज	2800	3700
सायाबीन (काला	1650	2200
सोयाबिन (पीला)	1690	2240
रेपसीड/सरसों	2500	3000

*दो महिनों की फसल कटाई/आगमन अवधि के दौरान प्रापण एजेंसियों को बेचे गये 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय है।

(ग) जी, नहीं महोदया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों का प्रकाशन

1752. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और देश में प्रकाशित पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें विज्ञापन हेतु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा इन पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों को राज्य-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि डीएवीपी द्वारा छोटे और मध्यम स्तर की पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों को कम मूल्य के विज्ञापन दिए जाते है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों को विज्ञापन प्रदान करने के विषय में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) आरएनआई के रिकॉर्ड के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में पंजीकृत किए गए प्रकाशन की संख्या संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए प्रकाशनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा अपने पैनल में शामिल समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन पर 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (29.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार) उपगत खर्च का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(ग) और (घ) लघु और मध्यम समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशकों से कम विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में अनेक शिकायतें/ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) लघु और मध्यम सामाचारपत्रों की विज्ञापन नीति अर्थात् प्रदर्शन विज्ञापन के बजट का 35% और 15% क्रमशः मध्यम और लघु श्रेणी के समाचारपत्रों को आबंटन, के अनुसार विज्ञापन जारी करता है।

सरकार के अधिकांश विज्ञापन तारीख विशेष के लिए होते हैं और दैनिक समाचारपत्रों को दिए जाते हैं जबकि पत्रिकाओं को सामान्य, संचार संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन देने के लिए पत्रिकाओं/समाचारपत्रों का चयन लक्षित श्रोता, बजट, पहुंच और ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

(ङ) डीएवीपी चयन-प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए पत्रिकाओं की वितरण, पृष्ठों की संख्या, रंगीन पृष्ठ आदि जैसे गुणवत्ता और मानकों के बारे में सूचना एकत्र कर रहा है। डीएवीपी प्रत्येक माह सार्वजनिक सूचना के लिए प्रत्येक समाचारपत्र/पत्रिका को दिए गए विज्ञापनों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष पंजीकृत के दौरान प्रकाशनों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2009-10 (अर्थात् 1.4.2009 से 31.3.2010 तक) के दौरान कुल 4,253 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2010 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-77,399)

वित्तीय वर्ष 2010-11 (अर्थात् 1.4.2010 से 31.3.2011 तक) के दौरान कुल 4,823 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2011 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-82,222)

वित्तीय वर्ष 2011-12 (अर्थात् 1.4.2011 से 31.3.2012 तक) के दौरान कुल 4,532 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2012 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-86,754)

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 (अर्थात् 1.4.2012 से 31.10.2012 तक) के दौरान कुल 4,715 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.10.2012 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-91,469)

महाराष्ट्र राज्य से पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष 2009-10 के दौरान 517 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2010 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-9,445 थी)

वर्ष 2010-11 के दौरान 890 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2011 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-10,335 थी)

वर्ष 2011-12 के दौरान 894 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2012 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-11,229 थी)

वर्ष 2012-13 (अर्थात् 1.4.2012 से 31.10.2012 तक) के दौरान 826 प्रकाशन पंजीकृत किए गए। (दिनांक 31.3.2012 तक कुल प्रकाशनों की संख्या-12,055 थी)

विवरण-II

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत प्रकाशनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.10.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	331	400	397	297
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	0	1
4.	असम	22	24	16	10
5.	बिहार	20	22	24	28
6.	चंडीगढ़	17	7	10	10
7.	छत्तीसगढ़	70	111	97	159
8.	दादरा और नगर हवेली	6	3	1	3
9.	दमन और दीव	1	0	0	0
10.	दिल्ली	303	342	334	295
11.	गोवा	3	5	1	3
12.	गुजरात	211	191	257	243
13.	हरियाणा	59	49	39	75
14.	हिमाचल प्रदेश	5	11	11	12
15.	जम्मू और कश्मीर	51	50	65	75
16.	झारखंड	10	12	17	35
17.	कर्नाटक	273	343	265	239
18.	केरल	122	129	88	95
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	2
20.	मध्य प्रदेश	305	502	640	851

1	2	3	4	5	6
21.	महाराष्ट्र	517	890	894	826
22.	मणिपुर	5	1	1	2
23.	मेघालय	2	4	1	3
24.	मिजोरम	12	11	5	3
25.	नागालैंड	1	0	0	1
26.	ओडिशा	100	67	80	59
27.	पुदुचेरी	9	4	4	7
28.	पंजाब	64	79	40	32
29.	राजस्थान	238	236	161	201
30.	सिक्किम	2	2	5	5
31.	तमिलनाडु	236	298	210	174
32.	त्रिपुरा	2	4	8	3
33.	उत्तर प्रदेश	875	649	474	542
34.	उत्तराखंड	256	229	298	338
35.	पश्चिम बंगाल	122	144	85	82
	कुल	4,253	4,823	4,532	4,715

विवरण-III

2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों पर किए गए व्यय का ब्यौरा (दिनांक 28.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार)

2009-10

क्र. सं.	राज्य का नाम	दैनिक समाचारपत्रों की संख्या	दैनिक समाचारपत्रों पर किया गया व्यय	पत्रिकाओं/मैगजीनों की संख्या	पत्रिकाओं/मैगजीनों पर किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1961693	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	183	134621719	15	158952
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	4560828	0	0
4.	असम	41	32505706	12	139381
5.	बिहार	54	72162603	7	296026
6.	चंडीगढ़	20	44469439	3	72528
7.	छत्तीसगढ़	64	48543864	5	107107
8.	दमन और दीव	2	4009936	0	0
9.	दिल्ली	185	659032555	402	253292709
10.	गोवा	8	9175081	0	0
11.	गुजरात	113	141407934	86	1007424
12.	हरियाणा	36	26545131	14	227426
13.	हिमाचल प्रदेश	10	11435401	10	89127
14.	जम्मू और कश्मीर	53	52336285	12	116068
15.	झारखंड	32	34389241	6	44865
16.	कर्नाटक	67	82992464	2	3711
17.	केरल	65	61496583	10	2727645
18.	मध्य प्रदेश	224	124337653	133	2145279
19.	महाराष्ट्र	179	291563191	26	1525229
20.	मणिपुर	9	8115482	0	0
21.	मेघालय	6	7398708	1	13200
22.	मिजोरम	5	7047884	0	0
23.	नागालैंड	5	6419741	0	0
24.	ओडिशा	68	77859050	39	1116137
25.	पुदुचेरी	5	4474073	0	0

1	2	3	4	5	6
26.	पंजाब	39	70516923	20	802720
27.	राजस्थान	136	143122799	258	3046124
28.	सिक्किम	5	6991597	1	16506
29.	तमिलनाडु	84	133606181	2	172293
30.	त्रिपुरा	15	15295319	2	13272
31.	उत्तर प्रदेश	360	227807043	988	16564314
32.	उत्तराखंड	49	38253036	177	2153119
33.	पश्चिम बंगाल	62	178279015	31	1087688
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0

2010-11

क्र. सं.	राज्य का नाम	दैनिक समाचारपत्रों की संख्या	दैनिक समाचारपत्रों पर किया गया व्यय	पत्रिकाओं/मैगजीनों की संख्या	पत्रिकाओं/मैगजीनों पर किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2455672	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	236	164246225	13	452130
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	5315107	0	0
4.	असम	45	42895179	16	430189
5.	बिहार	57	85082495	10	650281
6.	चंडीगढ़	23	57485352	4	149544
7.	छत्तीसगढ़	70	59799817	8	218089
8.	दमन और दीव	3	2842582	0	0
9.	दिल्ली	214	847738672	424	185421521
10.	गोवा	10	10167133	0	0

1	2	3	4	5	6
11.	गुजरात	122	160038582	89	1707521
12.	हरियाणा	41	33809417	17	413884
13.	हिमाचल प्रदेश	11	13623374	14	167484
14.	जम्मू और कश्मीर	59	73293178	8	202196
15.	झारखंड	37	46694424	8	248506
16.	कर्नाटक	72	101573677	1	16143
17.	केरल	74	67963081	15	4613297
18.	मध्य प्रदेश	236	149085827	127	3110132
19.	महाराष्ट्र	198	342428722	33	2182710
20.	मणिपुर	9	8585901	1	77684
21.	मेघालय	7	9374087	2	24067
22.	मिजोरम	5	7362373	0	0
23.	नागालैंड	5	7293221	0	0
24.	ओडिशा	73	91713652	44	1648810
25.	पुदुचेरी	5	4137389	0	0
26.	पंजाब	40	72851090	22	988624
27.	राजस्थान	152	161098044	264	5472737
28.	सिक्किम	9	9397151	1	45231
29.	तमिलनाडु	93	146662726	4	409164
30.	त्रिपुरा	16	19287332	1	26241
31.	उत्तर प्रदेश	401	282333535	993	21816957
32.	उत्तराखंड	54	46015478	206	3538141
33.	पश्चिम बंगाल	66	199792817	27	1298599
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	2	116794

2011-12

क्र. सं.	राज्य का नाम	दैनिक समाचारपत्रों की संख्या	दैनिक समाचारपत्रों पर किया गया व्यय	पत्रिकाओं/मैगजीनों की संख्या	पत्रिकाओं/मैगजीनों पर किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1920787	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	285	176991147	21	471620
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	6793953	0	0
4.	असम	54	51035613	20	776278
5.	बिहार	67	83104009	12	622659
6.	चंडीगढ़	25	52637656	8	369521
7.	छत्तीसगढ़	83	66746969	9	383633
8.	दमन और दीव	3	2102736	0	0
9.	दिल्ली	252	866850812	509	221262003
10.	गोवा	10	10916081	0	0
11.	गुजरात	132	162057732	116	1546465
12.	हरियाणा	47	42846498	20	612178
13.	हिमाचल प्रदेश	12	17339851	16	263944
14.	जम्मू और कश्मीर	73	82134686	12	288945
15.	झारखंड	42	48235655	9	454893
16.	कर्नाटक	83	94397661	6	22016
17.	केरल	81	79378242	17	4493168
18.	मध्य प्रदेश	277	158065456	162	3498013
19.	महाराष्ट्र	227	372156813	52	1658414
20.	मणिपुर	10	8723003	1	48901
21.	मेघालय	10	10939078	2	54409

1	2	3	4	5	6
22.	मिजोरम	5	9736175	0	0
23.	नागालैंड	5	7730221	0	0
24.	ओडिशा	83	90623439	58	1986935
25.	पुदुचेरी	5	5835991	0	0
26.	पंजाब	49	70907225	34	1580012
27.	राजस्थान	181	172345355	300	4725520
28.	सिक्किम	10	12995567	1	46002
29.	तमिलनाडु	103	169220535	8	265086
30.	त्रिपुरा	17	19986931	3	39690
31.	उत्तर प्रदेश	488	273627903	1088	28789182
32.	उत्तराखंड	86	45546286	310	4615782
33.	पश्चिम बंगाल	72	198676556	32	1225378
34.	दादरा और नगर हवेली	2	137154	3	304869

2012-13

क्र. सं.	राज्य का नाम	दैनिक समाचारपत्रों की संख्या	दैनिक समाचारपत्रों पर किया गया व्यय	पत्रिकाओं/मैगजीनों की संख्या	पत्रिकाओं/मैगजीनों पर किया गया व्यय*
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	876431	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	302	87811842	28	573764
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	3286417	0	0
4.	असम	56	19014252	21	437504
5.	बिहार	73	37893098	12	316909
6.	चंडीगढ़	27	23948827	8	175166

1	2	3	4	5	6
7.	छत्तीसगढ़	86	30416993	11	163034
8.	दमन और दीव	3	1095439	0	0
9.	दिल्ली	281	361760512	574	136266605
10.	गोवा	10	4699010	0	0
11.	गुजरात	146	80355819	117	1661507
12.	हरियाणा	49	19489374	25	431078
13.	हिमाचल प्रदेश	12	7225978	16	232856
14.	जम्मू और कश्मीर	80	33459672	11	142111
15.	झारखंड	46	23596444	11	301013
16.	कर्नाटक	90	45256306	8	110483
17.	केरल	88	31581681	20	1954177
18.	मध्य प्रदेश	293	78510717	160	2988959
19.	महाराष्ट्र	238	179515204	53	1410600
20.	मणिपुर	10	4527933	1	31358
21.	मेघालय	10	4668799	2	53282
22.	मिजोरम	5	3488261	0	0
23.	नागालैंड	5	4242633	0	0
24.	ओडिशा	91	48539835	64	1628960
25.	पुदुचेरी	4	2406960	0	0
26.	पंजाब	50	31741260	37	962203
27.	राजस्थान	192	74020637	310	4488835
28.	सिक्किम	10	5335696	1	54025
29.	तमिलनाडु	101	80780212	8	262839
30.	त्रिपुरा	16	8473152	3	44807

1	2	3	4	5	6
31.	उत्तर प्रदेश	560	118666032	1146	25620900
32.	उत्तराखंड	95	21258353	384	5213406
33.	पश्चिम बंगाल	77	92535485	35	827118
34.	दादरा और नगर हवेली	2	311479	3	62599

*चालू वर्ष (दिनांक 29 नवम्बर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार)

खरीद केन्द्र

1753. **डॉ. संजय जायसवाल :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री अजय कुमार :
डॉ. संजय सिंह :
श्री हरीश चौधरी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खाद्यान्नों-क्रय हेतु पर्याप्त संख्या में खरीद-केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने केन्द्र खोले गए और कितने खाद्यान्न की खरीददारी हुई तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों में कुछ खरीद-केन्द्र तब से बंद पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किसानों को उनके खाद्यान्न की खरीद हेतु किए गए/किए जा रहे प्रबंधों व इसकी प्रक्रिया की जानकारी देने सहित अन्य क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम ने पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खरीदारी के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले हैं।

(ख) पिछले तीन विपणन मौसमों और वर्तमान विपणन मौसम में धान और गेहूं की खरीदारी के लिए खोले गये क्रय केंद्रों की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान खरीदी गई धान और गेहूं की मात्रा संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

(ग) क्रय केन्द्र बंद करने के बारे में कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालनों की पहुंच का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

1. राज्य की खरीद संभावना और भौगोलिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए खरीद मौसम शुरू होने से पहले भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों/इनकी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले जाते हैं।
2. राज्यों को विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम खरीदारी की जा सके और किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
3. किसानों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर क्रय केंद्र खोलने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच सीमांत/लघु किसानों तक करने के लिए धान के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5% की दर पर और गेहूं के मामले में 2% की दर पर सहकारी समितियों/स्वयं सेवी समूहों के लिए कमीशन की अनुमति दी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रचलित/चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों की संख्या

क्र. सं.	क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2009-10				खरीफ विपणन मौसम 2010-11			खरीफ विपणन मौसम 2011-12				खरीफ विपणन मौसम 2012-13		
		भा.खा.नि.	संयुक्त	राज्य एजेंसियां	कुल	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	कुल	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	संयुक्त	कुल	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	168	—	350	518	168	366	—	534	168	1,250	1,418	171	1,256	1,427
2.	असम	11	—	—	11	21	—	—	21	13	—	13	14	—	14
3.	बिहार	101	—	2,813	2,914	74	475	—	549	91	8,943	9,034	—	—	—
4.	छत्तीसगढ़	—	—	1,577	1,577	—	1,589	—	1,589	—	1,888	1,888	0	1,900	1,900
5.	दिल्ली	2	—	—	2	4	—	—	4	4	—	4	4	—	4
6.	गुजरात	—	—	—	—	8	2	—	10	—	46	46	—	53	53
7.	हरियाणा	11	38	132	181	6	76	101	183	7	85	182	37	146	183
8.	हिमाचल प्रदेश	5	—	—	5	5	—	—	5	5	—	5	4	—	4
9.	झारखंड	26	—	3	29	10	—	—	10	18	610	628	10	—	10
10.	जम्मू और कश्मीर	15	—	—	15	15	—	—	15	10	—	10	5	—	5
11.	कर्नाटक	—	—	32	32	—	40	—	40	—	63	63	—	50	50
12.	केरल	—	—	450	450	—	470	—	470	—	475	475	—	512	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	महाराष्ट्र	15	—	857	872	—	857	—	857	—	641	641	15	—	15
14.	मध्य प्रदेश	—	—	475	475	—	473	—	473	—	734	734	—	750	750
15.	ओडिशा	150	—	2,117	2,267	84	1,938	—	2,022	31	2,539	2,570	20	—	20
16.	पुदुचेरी	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	पंजाब	80	169	1,339	1,588	118	1,255	348	1,721	16	1,526	1,750	—	—	—
18.	राजस्थान	शून्य	शून्य	—	—	—	—	—	—	12	—	12	12	—	12
19.	तमिलनाडु	—	—	1,364	1,364	—	1,503	—	1,503	—	1,500	1,500	—	1,700	1,700
20.	उत्तर प्रदेश	98	—	3,743	3,841	46	2,189	—	2,235	32	2,950	2,982	48	1,865	1,913
21.	उत्तराखंड	10	—	49	59	9	43	—	52	9	43	52	9	74	83
22.	पश्चिम बंगाल	38	—	1,462	1,500	—	1,921	—	1,921	—	2,141	2,141	38	235	273
	कुल योग	740	207	16,763	17,710	568	13,197	449	14,214	416	25,434	26,148	387	8,541	8,928

विवरण-II

रबी विपणन मौसम 2008-09 से रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान भा.खा.नि./राज्य एजेंसियों द्वारा प्रचालित खरीद केन्द्रों की सूची

क्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	कुल	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	कुल	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	कुल	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	कुल
पंजाब	380 (हिस्सेदारी के 93 सहित)	1,230	1,610	387 (संयुक्त सहित)	1,315	1,702	392	1,348	1,740	432	1,338	1,770
हरियाणा	74 (संयुक्त 34 सहित)	291	365	81 (37 संयुक्त)	286	367	70	297	367	71	300	371
उत्तर प्रदेश	508	3,901	4,409	73	4,425	4,498	60	4,513	4,573	60	4,570	4,630
राजस्थान	119	178	297	119	185	304	120	188	308	106	212	318
मध्य प्रदेश	42	1,206	1,248	22	1,206	1,228	0	1,966	1,966	0	2,317	2,317
दिल्ली	4	—	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
बिहार	150	2,702	2,852	111	456	567	90	560	650	0	8,997	8,997
हिमाचल प्रदेश	7	—	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
गुजरात	—	153	153	0	188	188	24	188	212	25	228	253
झारखंड	18	—	18	8	0	8	10	0	10	6	0	6
छत्तीसगढ़	—	1,333	1,333	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	*	*	*
जम्मू और कश्मीर	15	—	15	15	0	15	3	0	3	15	0	15
महाराष्ट्र	—	85	85	0	58	58	0	456	456	0	46	46
उत्तराखंड	33	167	200	33	167	200	24	179	203	19	178	197
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	लागू नहीं	लागू नहीं	0	150	150
कुल	1,350	11,246	12,596	860	9,619	10,479	802	11,028	11,830	743	18,336	19,079

विवरण-III

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान धान की खरीद

(आंकड़े लाख टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4.52	24.47	21.23	1.54
2.	असम	0.12	0.23	0.34	0.00
3.	बिहार	10.68	11.44	22.87	0.00
4.	चंडीगढ़	0.20	0.13	0.19	0.18
5.	छत्तीसगढ़	44.28	51.16	59.71	2.15
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.05	0.00
8.	हरियाणा	26.36	24.82	29.67	37.94
9.	झारखंड	0.14	0.00	4.11	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.04	0.02	0.02
11.	कर्नाटक	0.15	0.35	2.29	0.00
12.	केरल	3.89	3.93	5.54	0.00
13.	मध्य प्रदेश	2.07	4.28	9.39	0.00
14.	महाराष्ट्र	2.33	1.94	2.60	0.10
15.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	ओडिशा	35.99	36.14	42.10	0.00
17.	पुदुचेरी	0.01	0.00	0.00	0.00
18.	पंजाब	138.06	128.86	115.39	125.25

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	18.53	23.03	23.82	0.02
20.	उत्तर प्रदेश	13.99	14.46	23.24	1.03
21.	उत्तराखंड	0.35	0.15	0.19	0.19
22.	पश्चिम बंगाल	8.32	11.76	14.43	0.00
	कुल	310.00	337.20	377.18	168.44

*दिनांक 27.11.2012 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गेहूं की खरीद

(आंकड़े लाख टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	107.25	102.05	109.58	128.34
2.	हरियाणा	69.24	63.35	69.28	86.65
3.	उत्तर प्रदेश	38.82	16.73	34.61	50.63
4.	मध्य प्रदेश	19.68	35.38	49.65	84.93
5.	बिहार	4.97	1.83	5.56	7.72
6.	राजस्थान	11.52	4.76	13.03	19.64
7.	उत्तराखंड	1.45	0.86	0.42	1.39
8.	चंडीगढ़	0.12	0.09	0.07	0.17
9.	दिल्ली	—	0.10	0.08	0.31
10.	गुजरात	0.75	0.01	1.05	1.56
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	0.02

1	2	3	4	5	6
12.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.01
13.	जम्मू और कश्मीर	0.01	—	—	0.09
14.	पश्चिम बंगाल	—	0.09	—	0.01
	कुल	253.81	225.25	283.35	381.48

टीवी चैनलों पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम

1754. श्री धनश्याम अनुरागी :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के चैनलों सहित विभिन्न निजी टी.वी. चैनल जादू-टोने, बाजीगरी और अंधविश्वास पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चैनल-वार कितने मामले सूचित किए गए और इन क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) निजी सैटेलाइट/केबिल टेलीविजन में दिखाए गए कार्यक्रमों के ऐसे कुछ उदाहरण सरकार की जानकारी में लाए गए हैं जिनमें अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रमों को दिखाने के लिए विभिन्न टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, दूरदर्शन ने सूचित किया है कि जादू-टोना, बाजीगरी और अंधविश्वास पर आधारित कार्यक्रमों पर विचार नहीं किया जाता या दूरदर्शन चैनलों पर इनका प्रसारण नहीं किया जाता है।

(ग) टीवी चैनलों पर प्रसारित कैबिल टीवी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुन: प्रसारित सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को कैबिल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है। अधिनियम में निजी सैटेलाइट/कैबिल टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों या विज्ञापनों के पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, जब कभी संहिता के किसी उल्लंघन, की जानकारी सरकार को मिलती है, नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इस मंत्रालय ने एक अंतरमंत्रालयीय समिति (आईएमसी) गठित की है जो कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के खिलाफ विशिष्ट शिकायत पर या अपनी ओर से संज्ञान लेती है और यदि उल्लंघन साबित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार ने एक इलैक्ट्रानिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) भी गठित किया है जो कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संदर्भ में निजी टेलीविजन चैनल की विषयवस्तु का मॉनीटरण करता है। 16 राज्यों और 5 संघ शसित प्रदेशों में राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियां गठित की गई हैं और पूरे देश के 274 जिलों में जिला स्तर की मॉनीटरिंग समितियां गठित की गई हैं जो निजी सैटेलाईट/कैबिल टेलीविजन चैनलों में प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करती है।

इस मंत्रालय ने भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) और समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) को 17.11.2011 को एडवाइजरी भी जारी की है और निजी टेलीविजन चैनलों को कहा है कि दैवी शक्ति/गुणवत्ता का दावा करने वाले विज्ञापन और इस तरह के विज्ञापन न दिखाए जाएं जो विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) के अनुसार न हों।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी उपग्रह टीवी चैनलों पर अंध विश्वास को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

वर्ष 2009

शून्य

वर्ष 2010

क्र.सं.	विज्ञापन	की गई कार्रवाई
1.	गंभीर बीमारियों के विशेष/चमत्कारिक उपचार का दावा करने वाले विज्ञापन	आईबीएन7 टीवी चैनल को दिनांक 16.4.2010 को चेतावनी जारी की गई
2.	विशेष या चमत्कारिक या अलौकिक उपचार वाले उत्पादों का विज्ञापन	सभी चैनलों को दिनांक 13.5.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।

वर्ष 2011

क्र.सं.	विज्ञापन	चैनलों के नाम	की गई कार्रवाई
1.	टीवी चैनलों पर किसी के बुरी नज़र से बचाने या जीवन में सफलता प्राप्त करने आदि जैसे 'बाधा मुक्ति यंत्र', 'धन लक्ष्मी यंत्र' जैसे उत्पादों के कथित भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण के विरुद्ध श्री सौरभ जोशी की शिकायत याचिका प्राप्त हुई।	1. 9 एक्स 2. चैनल वन न्यूज 3. चड्दीकला टाईम टीवी 4. महुआ 5. निक 6. एसएस म्यूजिक 7. समय 8. सेट मैक्स 9. सोनी 10. स्टार माजा 11. जी सिनेमा 12. जी मराठी 13. जी पंजाबी 14. बंसल न्यूज 15. ईटीसी पंजाबी 16. जी 24 टास 17. जींग	शिकायत को अवलोकनार्थ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) को भेजा गया। एएससीआई ने दिनांक 11.10.2011 के पत्र के तहत निम्नलिखित विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत की पुष्टि की है:— (i) दिव्यार्षि कुबेर यंत्र (ii) बाधा मुक्ति यंत्र (iii) शनि शुभ यंत्र (iv) साईं दर्शन पेंडेंट (v) महाधन लक्ष्मी यंत्र इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) तथा न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) नामक प्रसारकों के प्रतिनिधि निकायों को दिनांक 17.11.2011 के पत्र के तहत परामर्श दिया गया कि उनके चैनलों द्वारा इन विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) के अनुसार नहीं हैं।

वर्ष 2012

क्र.सं.	विज्ञापन	चैनलों के नाम	की गई कार्रवाई
1.	टीवी चैनलों पर यर्थ आईआफ निर्मल बाबा नामक विज्ञापन का प्रसारण	1. आईबीएन7 2. आज तक 3. हिस्ट्री टीवी18 4. सोनी टीवी 5. सब टीवी 6. स्टार उत्सव 7. सहारा समय 8. नेपाल वन 9. न्यूज 24 10. दिव्या 11. सहारा यूपी 12. सहारा बिहार 13. सहारा एमपी 14. सहारा राजस्थान 15. सहारा समय मुंबई 16. सौभाग्य 17. प्रार्थना ओडिशा 18. पी7 न्यूज 19. टोटल टीवी 20. कात्यायनी 21. आज तक तेज 22. ए टू जैड 23. कलर्स (केवल यूएसए) 24. आज तक (केवल यूएसए) 25. सोनी (केवल यूएसए) श्री सुरेंद्र द्वारा श्री निर्मलजीत सिंह नरुला उर्फ निर्मल बाबा के विरुद्ध दर्ज कराए गए अपराधिक मामले के संबंध में न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बीना, जिला-सागर (मध य प्रदेश) से प्राप्त ज्ञापन की प्रति सहित इन चैनलों के नाम प्रस्तुत सूची में दिए गए थे।	मामले को आईबीएफ और एनबीए को भेजा गया उन्होंने अपने सदस्य चैनलों को निर्मल बाबा से संबंधित कार्यक्रमों को बंद करने का परामर्श दिया। आईबीएफ और एनबीए ने पुष्टि की है कि उनके सदस्य चैनलों ने निर्मल बाबा से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण बंद कर दिया है। मामले को एएससीआई को भेजा गया। एएससीआई ने अपने दिनांक 24.07.2012 के पत्र में सूचित किया है कि उपभोक्ता शिकायत परिषद् (सीसीसी) की जून, 2012 में आयोजित बैठक में शिकायत पर विचार किया गया। उनके निर्णयानुसार शिकायत का समर्थन किया गया है क्योंकि विज्ञापन एएससीआई संहिता के अध्याय 1.5 का उल्लंघन करता है। उपभोक्ता शिकायत परिषद् ने यह निष्कर्ष निकाला कि टीवीसी से अंध विश्वास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही यह उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में गंभीर और व्यापक निराशा पैदा कर सकती है। एएससीआई ने आगे कहा कि उन्होंने विज्ञापनदाता को कथित टीवीसी को वापस लेने अथवा उसमें उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी है। एएससीआई ने उनके दिनांक 29.08.2012 के पत्र के तहत यह कहा है कि विज्ञापनदाता ने उन्हें सूचित किया है कि उनके द्वारा कोई विज्ञापन नहीं भेजा गया था और न ही चैनलों ने उनके कार्यक्रम की क्लिपिंग को न्यूज आइटम के रूप में दिखाया था। अतः मामला बंद माना जाता है।

[अनुवाद]

गोदामों का किराया

1755. **श्री नरहरि महतो :**
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय भांडागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के समान किराए और अन्य प्रभारों का भुगतान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में एफ.सी.आई. द्वारा क्या प्रविधि तय की गई है;

(ग) क्या एफ.सी.आई. द्वारा कतिपय राज्यों को बढ़े किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में ऐसे गोदामों के लिए राज्यों को एक समान किराए का भुगतान करने के लिए एफ.सी.आई. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) सरकार ने निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों/अन्य राज्य एजेंसियों के जरिए भंडारण क्षमता का निर्माण करने की निजी उद्यमी गारंटी स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन जहां कहीं केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/अन्य राज्य एजेंसियों के पास यदि भूमि है और यदि पहचान किए गए स्थानों के अंदर है और भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित भंडारण अंतर मौजूद है तो वे गोदाम का निर्माण कर सकते हैं जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम संगत वर्ष हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संस्तुत दरों पर किराया प्रभाव/किराया अदा करेगा। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन विभिन्न स्थानों पर गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्य भंडारण निगमों/अन्य राज्य एजेंसियों को केंद्रीय भंडारण निगम के बराबर किराया अदा कर रहा है।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी

1756. **श्री बिभू प्रसाद तराई :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री प्रबोध पांडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एन.आर.सी.) को अद्यतन करने का कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कार्य के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) एन.आर.सी. को अद्यतन करने के कार्य को पूरा करने के लिए लक्षित तिथि नियत की गई है; और

(घ) एन.आर.सी. में केवल वास्तविक नागरिकों को सम्मिलित करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) असम समझौते के कार्यान्यवन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 05.05.2005 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में असम सरकार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), 1951 को अद्यतन करने के लिए सहमत हुई थी। उपर्युक्त के अनुसरण में, संबंधित रिकार्डों के आधार पर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), 1951 को अद्यतन करने के संबंध में असम सरकार से प्राप्त माडलटीज के आधार पर नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 को संशोधित किया गया था। दो ब्लाकों (कामरूप और बारपेटा जिलों में से प्रत्येक में एक-एक) में एनआरसी के उन्नयन की प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई थी। तथापि, बारपेटा जिले में कानून एवं व्यवस्था की वजह से एनआरसी के अद्यतनीकरण का कार्य रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने इन मुद्दों की जांच करने और अद्यतनीकरण कार्य में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय-उप-समिति का गठन

किया। राज्य मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। असम सरकार ने राज्य मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया था और उन्हें अगली कार्रवाई हेतु भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को भेज दिया गया था। आरजीआई ने राज्य सरकार की सिफारिशों की जांच की है और राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगें हैं जो अभी प्रतीक्षित हैं।

पुलिस सुधार

1757. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री जयंत चौधरी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जांच को पुलिस के कानून और व्यवस्था संबंधी कार्यों से अलग करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार की कार्य योजना क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) 2007 द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों ने उक्त सिफारिशें लागू करने के लिए राज्य-वार क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विभिन्न समितियों/आयोग द्वारा पुलिस सुधारों के संबंध में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्यिन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2004 में एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। समिति ने पुलिस सुधारों से संबंधित पूर्व समितियों/आयोग की सिफारिशों में से उन 49 सिफारिशों का चयन किया जो पुलिस को पेशेवर रूप से सक्षम और सेवा-उन्मुख संगठन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण थीं। समीक्षा समिति की एक सिफारिश 'जांच-पड़ताल संबंधी पुलिस को कानून एवं व्यवस्था संबंधी पुलिस से अलग करने' से संबंधित थी। समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2005 में प्रस्तुत की थी। उक्त सिफारिशें कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई थीं।

(ग) और (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) 310-प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 22.09.2006 के अपने निर्णय में प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की सिफारिशों से पहले पुलिस सुधारों के संबंध में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार को कई निदेश जारी किए थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रति विचारार्थ और उपयुक्त कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई थी।

पुलिस सुधारों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें पुलिस सुधारों संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशों और भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों में पहले ही शामिल कर ली गई हैं और भारत संघ पर पहले ही पर्याप्त कार्रवाई कर चुका है।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय होने की वजह से, विभिन्न पुलिस सुधार उपायों से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है। केन्द्र सरकार अधिक से अधिक पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार करने के लिए समय-समय पर राज्यों से आग्रह कर सकती है।

पैकेज्ड माल की बिक्री

1758. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री संजय भोई :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजमर्रा के उपयोग की 19 वस्तुओं की खुली अथवा अमानकीकृत पैकेज में बिक्री पर पाबंदी लगाने संबंधी एक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आदेश में क्या-क्या वस्तुएं शामिल हैं तथा इसके कारण और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस आदेश के तहत रोजमर्रा की अधिक वस्तुओं को शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आदेश कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां, सरकार ने आदेश जारी करते हुए यह उल्लेख किया है कि निम्नलिखित 19 सामाग्रियों का विनिर्माण एवं बिक्री केवल आकारों में होगी। ये सामाग्रियां इस प्रकार हैं (1) शिशु आहार, (2) वीनिंग फूड, (3) बिस्किट, (4) ब्राउन ब्रेड सहित ब्रेड, किन्तु बन को छोड़कर, (5) मक्खन और मार्जरीन के गैर-डिब्बाबंद पैकेज, (6) अनाज और दालें, (7) काफी, (8) चाय, (9) ऐसी सामाग्रियां जिन्हें पेय पदार्थों के रूप निर्मित या पुनः निर्मित किया जा सकता है, (10) खाद्य तेल, वनस्पति, घी, बटर आयल, (11) मिल्क पाउडर, (12) गैर-सोपी डिटरजेंट (पाउडर), (13) चावल (पिसा हुआ), मैदा, आटा, रवा और सूजी, (14) नमक, (15) साबुन, (क) लाड्री साबुन (ख) गैर-सोपी डिटरजेंट टिकिया/बार (ग) सभी प्रकार के नहाने के साबुन सहित टायलेट साबुन, (16) एरियाएटिड साफ्ट ड्रिंक्स, गैर-अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, (17) मिनरल वाटर और पेय जल, (18) सीमेंट के थैले और (19 पैंट, वार्निश इत्यादि (क) पेंट (पेस्ट पेंट अथवा ठोस पेंट को छोड़कर), वार्निश, वार्निश सटेन्स, एनेमल्स, (ख) पेस्ट पेंट और ठौस पेंट (ग) बेस पेंट।

आम उपभोक्ता के हित में, नियमों में किया गया संदर्भित संशोधन अधीनस्थ विधायक संबंधी समिति की सिफारिशों और राज्य सरकारों, जोकि पैक्ड कमोडिटी नियम के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, की सहमति से किया गया है।

इस संशोधन का कारण यह था कि विभिन्न मंचों और उपभोक्ता संगठनों से कंपनियों/निर्माताओं के विरूद्ध कीमत वही रखते हुए वस्तु का भार कम करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसका उद्देश्य विभिन्न विनिर्माताओं/आयातकों की वस्तु के भार की तुलना में कीमतें सही रखने में उपभोक्ताओं की मदद करना है। संदर्भित संशोधन पहले से पैक्ड की गई वस्तु के संबंध में है और यह उस बाजार पर प्रभाव नहीं डालेगा जहां वस्तुएं खुली बेची जाती हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में सरकार के पास इस आदेश के तहत अधिक सामाग्रियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरी गरीबों के लिए आवासीय सुविधाएं

1759. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्रीमती कमला देवी पटले :

श्री रामसिंह राठवा :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी गरीबों और झुग्गियों में रहने वालों के लिए आवासीय सुविधाओं के प्रावधान की महानगरों सहित राज्य-वार और नगर/कस्बे-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या बारहवीं योजना अवधि के लिए आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए प्रो. अमिताभ कुंडु की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित तकनीकी समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने बारहवीं योजनावधि में आवास उपलब्ध करवाने हेतु नियत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत इस प्रयोजनार्थ संस्वीकृत, की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार और/कस्बे-वार क्या उपलब्धि रही?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआर) के घटक कार्यक्रमों शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएससडीपी) के अंतर्गत महानगरों सहित देश के शहरी गरीब/स्लमवासियों को आवास और इससे संबंधित नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के शहरी स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार और शहर/कस्बे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

स्लम मुक्त भारत बनाए रखने के लक्ष्य से 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (आरएववाई) नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, जो स्लम पुनर्विकास के लिए उपयुक्त आश्रय और बुनियादी नगरीय और सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिए तथा किफायती आवास का स्टाक का निर्माण करने के लिए स्लम निवासियों को संपत्ति अधिकार सौंपने की इच्छुक हैं। इस समय, राजीव आवास योजना का प्रारंभिक चरण स्लम सर्वेक्षण, जीआईएस मानचित्रण, स्लम मुक्त शहर योजनाएं तैयार करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों को शुरू करने एवं पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत महानगरों सहित देश के शहरी गरीब/स्लम वासियों को आवास और इससे संबंधित नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत पायलट परियोजनाओं का राज्यवार और शहर/कस्बे वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। प्रो. अमिताभ कुंडु की अध्यक्षता में तकनीकी समूह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के प्रारंभ में देश में कुल 18.78 मिलियन आवासों की कमी का अनुमान लगाया है।

तकनीकी समूह द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क. आवास को अवसंरचना क्षेत्र का एक भाग बनाया जाना चाहिए अथवा एक उद्योग घोषित किया जाना चाहिए, ताकि आवासीय गरीबी में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवासीय एककों के मिश्रण के वितरण के लिए निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना संभव हो सके;

ख. कराधान और प्रोत्साहनात्मक नीतियों के माध्यम से खाली पड़े आवासों को आवासीय बाजार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए;

ग. संकुलता की समस्या से ग्रसित परिवारों को लोक अभिकरणों से मिलने वाली सहायता के माध्यम से अतिरिक्त स्थान को बढ़ानने अथवा अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने के लिए समर्थ बनाना आवश्यक है; और

घ. 80 वर्षों से पहले निर्मित मकानों में रह रहे परिवारों को नई एककों में स्थानांतरण करना।

तकनीकी समूह की रिपोर्ट संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के ध्यान न में लायी गई है।

(घ) और (ङ) आवास एक राज्य विषय है, इसलिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी घटकों के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा सूचित आबंटन के आधार पर 15 लाख आवासीय एककों की स्वीकृति के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। 16.11.2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 15,74,596 आवासीय एकक स्वीकृत की गई हैं, 6,42,181 आवासीय एकक पूरी की गई हैं और 3,50,698 आवासीय एकक का कार्य प्रगति पर है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी घटकों और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत निधियों, जारी निधियों और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

27.11.2012 की स्थिति

(करोड़ रु में)

एक दृष्टि में : अखिल भारत (अनन्तिम)

		बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल
		1	2	3
1.	7 वर्षीय एसीए आबंटन (2005-12)	16,356.35	6828.31	23184.66
2.	शामिल मिशन शहरों की संख्या	65	927	992
3.	अनुमोदित परियोजना की संख्या	527	1083	1610
4.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	29875.81	11936.91	41812.72
5.	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	14757.58	7660.08	22417.66
6.	अनुमोदित कुल राज्य अंश	15100.22	4234.58	19334.80
7.	स्वीकृत एसीए की प्रथम किस्त	3689.95	3836.07	7526.02
8.	स्वीकृत एसीए की द्वितीय किस्त	2592.61	1690.38	4282.99
9.	स्वीकृत एसीए की तृतीय किस्त	1617.50	0.00	1617.50
10.	स्वीकृत एसीए की चतुर्थ किस्त	1004.60	0.00	1004.60
11.	जारी एसीए (परियाजनाएं)	8895.20	5376.67	14271.87
12.	स्वीकृत पीएमयू की संख्या	29	0.00	29
13.	जारी पीएमयू	7.66	0.00	7.66
14.	स्वीकृत पीआईयू की संख्या	124	0.00	124
15.	जारी पीआईयू	27.56	0.00	27.56
16.	स्वीकृत ओपीआईएमए की संख्या	22		22
17.	टीपीआईएम	1.43		1.43
18.	डीपीआर तैयारी प्रभाव-(20) जारी	9.46	0.00	9.46

	1	2	3
19. क्षमता निर्माण कार्यक्रम-जारी	2.01		2.01
20. जारी कुल एसीए	8943.32	5376.67	14319.99
21. शेष एसीए (कालम 1 से 5)	1598.77	-831.77	767.00
22. निर्माण के लिए अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (नई+उन्नयन)	1010789	563807	1574596
23. पूर्ण रिहायशी यूनिट	453410	188771	642181
24. प्रगतिशील रिहायशी यूनिट	224146	126552	350698
25. कब्जा की गई रिहायशी यूनिट	277523	140137	417660

*जेएनएनयूआरएम परियोजना-सेल एनबीओ
134वी सीएसएमसी बैठक और 130 सीएससी दिनांक 14.09.2012 तक अनुमोदित परियोजनाएं।

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)
(उप-मिशन II)-अनुमोदित कुल परियोजनाएं

27.11.2012 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (एन+यू)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय आंशदान	जारी की गई कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	39	3559.51	139854	1605.31	1266.78
2.	असम	1	2	108.44	2260	97.60	48.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	4	66.81	1092	59.60	15.29
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	4	1033.03	25728	446.13	374.28
5.	छत्तीसगढ़	1	10	461.50	19474	362.08	169.29
6.	बिहार	2	18	709.98	22372	312.76	78.19
7.	दिल्ली	1	17	3244.98	67784	1472.72	531.60
8.	गुजरात	5	27	2067.09	113488	1015.47	737.23

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	गोवा	1	1	10.22	155	4.60	1.15
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18	31.18
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27	7.37
12.	जम्मू और कश्मीर	2	5	162.39	6677	134.44	47.15
13.	झारखंड	3	14	530.38	16724	328.74	82.18
14.	कर्नाटक	2	19	854.43	28288	412.64	326.26
15.	केरल	2	7	343.67	23577	233.56	165.80
16.	मध्य प्रदेश	4	22	705.08	41446	344.26	228.42
17.	महाराष्ट्र	5	62	5927.53	145560	2862.57	1752.70
18.	मणिपुर	1	1	51.23	1250	43.91	32.93
19.	मेघालय	1	3	51.74	768	40.35	26.12
20.	मिजोरम	1	4	91.32	1096	80.11	40.06
21.	नागालैंड	1	1	133.08	3504	105.60	79.20
22.	ओडिशा	2	6	74.62	2508	54.18	31.20
23.	पंजाब	2	4	168.86	7376	84.37	38.45
24.	पुदुचेरी	1	3	135.98	2964	83.20	31.00
25.	राजस्थान	2	3	289.21	11151	172.67	85.47
26.	सिक्किम	1	3	33.58	254	29.06	21.79
27.	तमिलनाडु	3	52	2339.08	92668	1047.68	651.33
28.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96	13.96
29.	उत्तर प्रदेश	7	58	2353.80	68217	1149.04	823.49
30.	उत्तराखंड	3	11	75.54	1658	58.37	18.90
31.	पश्चिम बंगाल	2	112	4187.78	158756	2053.16	1137.63
	कुल	65 शहर	527	29875.81	1010789	14757.58	8895.20

1	2	3	4	5	6	7	8
	डीपीआर प्रीपेशन चार्ज		24 जारी	0.00	0	0.00	9.46
	पीएमयू		29	0.00	0	30.57	7.66
	पीआइयू		124	0.00	0	79.76	27.56
	टीपीआईएमए		22				1.43
	सीबीपी						2.01
	सकल योग	65 शहर	527	29875.81	1010789	14867.91	8943.81

जेएनएनयूआरएस-शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं) उप मिशन-II

अनुमोदित कुल परियोजनाएं

27.11.2012 तक की स्थिति

(करोड रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नवीन+उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंशदान	जारी किया गया कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	17	1879.59	78746	806.78	665.47
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	8	743.43	31525	366.64	284.06
3.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	2	172.27	5160	113.07	0.00
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	12	764.22	24423	318.81	317.25
	उप-योग		39	3559.51	139854	1605.31	1266.78
1.	असम	गुवाहाटी	2	108.44	2260	97.60	48.80
	उप-योग	1	2	108.44	2260	97.60	48.80
1.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	4	66.81	1092	59.60	15.29
	उप-योग	1	4	66.81	1092	59.60	15.29

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	4	1033.03	25728	446.13	374.28
	उप-योग	1	4	1033.03	25728	446.13	374.28
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	10	461.50	19474	362.08	169.29
	उप-योग	1	10	461.50	19474	362.08	169.29
1.	बिहार	पटना	17	655.41	20372	274.05	68.51
2.	बिहार	बोध गया	1	54.57	2000	38.71	9.68
	उप-योग	2	18	709.98	22372	312.76	78.19
1.	दिल्ली	दिल्ली	17	3244.98	67784	1472.72	531.60
	उप-योग	1	17	3244.98	67784	1472.72	531.60
1.	गुजरात	अहमदाबाद	5	567.68	33824	276.21	259.81
2.	गुजरात	राजकोट	3	193.32	8664	93.77	47.40
3.	गुजरात	पोरबन्दर	1	81.25	2448	62.49	15.62
4.	गुजरात	सूरत	12	699.30	46856	332.48	284.51
5.	गुजरात	वडोदरा	6	525.54	21696	250.51	129.89
	उप-योग	5	27	2067.09	113488	1015.46	737.23
1.	गोवा	पणजी	1	10.22	155	4.60	1.15
	उप-योग	1	1	10.22	155	4.60	1.15
1.	हरियाणा	फरीदाबाद	2	64.23	3248	31.18	31.18
	उप-योग	1	2	64.23	3248	31.18	31.18
1.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2	24.01	636	18.27	7.37
	उप-योग	1	2	24.01	636	18.27	7.37

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	3	49.09	1455	41.40	23.89
2.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	2	113.30	5222	93.05	23.26
	उप-योग	2	5	162.39	6677	134.44	47.15
1.	झारखंड	रांची	6	263.58	8928	200.60	50.15
2.	झारखंड	जमशेदपुर	3	148.86	4176	71.98	17.99
3.	झारखंड	धनबाद	5	117.94	3620	56.16	14.04
	उप-योग	3	14	530.38	16724	323.74	82.18
1.	कर्नाटक	बंगलौर	15	595.80	20154	241.27	173.10
2.	कर्नाटक	मैसूर	4	258.63	8134	171.36	153.16
	उप-योग	2	19	854.43	28288	412.64	326.26
1.	केरल	तिरूवनंतपुरम	4	208.01	13187	165.73	115.50
2.	केरल	कोची	3	135.66	10390	67.83	50.30
	उप-योग	2	7	334.67	23577	233.56	165.80
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल	14	443.45	23609	212.28	145.07
2.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	3	156.70	8017	75.03	54.72
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	4	87.53	8500	43.69	18.68
4.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	1	17.41	1320	13.26	9.95
	उप-योग	4	22	705.08	41446	344.26	228.42
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	18	2862.86	55291	1213.36	746.12
2.	महाराष्ट्र	नागपुर	11	495.64	6246	182.67	111.12
3.	महाराष्ट्र	नासिक	7	257.89	11380	108.27	77.21
4.	महाराष्ट्र	नान्देड	11	1095.95	27985	775.07	401.11
5.	महाराष्ट्र	पुणे	15	1215.20	44658	583.20	417.13
	उप-योग	5	62	5927.53	145560	2862.57	1752.70

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मणिपुर	इम्फाल	1	51.23	1250	43.91	32.93
	उप-योग	1	1	51.23	1250	43.91	32.93
1.	मेघालय	शिलांग	3	51.74	768	40.35	26.12
	उप-योग	1	3	51.74	768	40.35	26.12
1.	मिजोरम	आइजवाल	4	91.32	1096	80.11	40.06
	उप-योग	1	4	91.32	1096	80.11	40.06
1.	नागालैंड	कोहिमा	1	133.08	3504	105.60	79.20
	उप-योग	1	1	133.08	3504	105.60	79.20
1.	ओडिशा	भुवनेश्वर	4	63.60	2153	46.16	29.20
2.	ओडिशा	पुरी	2	11.02	355	8.02	2.00
	उप-योग	2	6	74.62	2508	54.18	31.20
1.	पंजाब	लुधियाना	2	104.86	5728	52.38	29.73
2.	पंजाब	अमृतसर	2	63.99	1648	31.98	8.72
	उप-योग	2	4	168.85	7376	84.36	38.45
1.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	3	135.98	2964	83.20	31.00
	उप-योग	1	3	135.98	2964	83.20	31.00
1.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	1	107.71	5337	84.57	42.28
2.	राजस्थान	जयपुर	2	181.50	5814	88.11	43.18
	उप-योग	2	3	289.21	11151	172.68	85.46
1.	तमिलनाडु	चैन्नई	24	1385.07	37887	600.41	366.44
2.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	17	574.80	28887	265.62	137.76

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	तमिलनाडु	मदुरै	11	379.21	25894	181.64	147.13
	उप-योग	3	52	2339.08	92668	1047.67	651.33
1.	सिक्किम	गंगटोक	3	33.58	254	29.06	21.79
	उप-योग	1	3	33.58	254	29.06	21.79
1.	त्रिपुरा	अगरतला	1	16.73	256	13.96	13.96
	उप-योग	1	1	16.73	256	13.96	13.96
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	5	68.46	1635	31.66	20.77
2.	उत्तर प्रदेश	आगरा	10	605.55	16793	280.46	189.54
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	8	371.72	14044	172.57	93.54
4.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	7	214.10	4598	158.49	115.37
5.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	14	391.86	10838	180.49	176.89
6.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	14	456.12	14346	211.51	155.35
7.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	10	246.00	5963	113.86	72.02
	उप-योग	7	68	2353.80	68217	1149.04	823.49
1.	उत्तराखंड	देहरादून	9	62.62	1362	48.04	13.13
2.	उत्तराखंड	हरिद्वार	1	3.62	96	2.90	2.17
3.	उत्तराखंड	नैनीताल	1	9.30	200.00	7.43	3.60
	उप-योग	3	11	75.54	1658	58.37	18.90
1.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	101	3609.64	136028	1766.24	958.73
2.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	11	578.14	22728	286.92	178.90
	उप-योग	2	112	4187.78	158756	2053.16	1137.63
	0	65	527	29875.81	1010789	14757.58	8895.20

जेएनएनयूआरएम परियोजना प्रकोष्ठ-एनबीओ।

134वी सीएसएमसी बैठक दिनांक 14.09.2010 तक 1/3 अनुमोदित परियोजनाएं।

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं
कुल अनुमोदित परियोजनाएं

27.11.2012 को स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नवीन+उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	(संशोधित) हैदराबाद प्रभाग (1 से 4)	22.65	0	11.32	7.70
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	(संशोधित) हैदराबाद प्रभाग (5 से 8)	29.88	0	14.94	12.83
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	(संशोधित) हैदराबाद प्रभाग (9 से 412)	26.34	0	13.17	11.04
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद में बीएएमबीएवाई के तहत निर्मित मकानों का बुनियादी सुविधा विकास	49.73	0	24.86	24.86
5.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (रंगा रेडी)	जीएचएमसी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के जवाहरनगर 7 गाची बाबली में बीएसयूपी के अंतर्गत आवास और अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान	95.35	2800	47.68	23.84
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (रंगा रेडी)	जीएचएमसी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अब्दुल्लापुरमेन्ट में बीएसयूपी के अंतर्गत आवास और अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान	95.58	2800	47.79	23.90
7.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (रंगा रेडी)	जीएचएमसी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के जगतगिरीगुट्टा और कोथवलगुडा में बीएसयूपी के अंतर्गत आवास और अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान	97.40	2800	48.70	24.35

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (23239) संशोधित	23239 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए संशोधित बीएसयूपी परियोजना तथा 49000 मकान बीएसयूपी परियोजना के अंतर्गत ग्रेटर हैदराबाद नगरनिगम (जीएचएमसी) द्वारा जीएचएसमी क्षेत्र तथा रंगारेडी जिला, फेज-1 में अवस्थपना सुविधाओं का प्रावधान	339.50	23239	2.75 116.20	209.65
9.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (25761) संशोधित	25761 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए संशोधित बीएसयूपी परियोजना तथा 49000 मकान बीएसयूपी परियोजना के अंतर्गत ग्रेटर हैदराबाद नगरनिगम (जीएचएमसी) द्वारा जीएचएसमी क्षेत्र तथा रंगारेडी जिला, फेज-2 में अवस्थपना सुविधाओं का प्रावधान	414.62	25761	128.81	35.36
10.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	4550 आवासों के निर्माण के लिए संशोधित बीएसयूपी परियोजा तथा जीएचएमसी हैदराबाद में अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान	120.27	4550	59.30	59.30
11.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1976 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए हैदराबाद (फेज-II) हेतु बीएसयूपी स्कीम, आंध्र प्रदेश	69.32	1976	34.66	25.99
12.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1942 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए हैदराबाद (फेज-II) हेतु बीएसयूपी स्कीम, आंध्र प्रदेश	68.91	1942	34.45	25.84
13.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1856 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए हैदराबाद (फेज-II) हेतु बीएसयूपी स्कीम, आंध्र प्रदेश	65.41	1856	32.71	24.53
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1856 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए हैदराबाद (फेज-II) हेतु बीएसयूपी स्कीम, आंध्र प्रदेश	95.31	2624	47.54	23.77

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जीएचएससी क्षेत्र, हैदराबाद में 2784 मकानों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के प्रावधान हेतु बीएसयूपी परियोजना (फेज-V)	96.26	2784	48.13	48.13
16.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जीएचएमसी क्षेत्र, हैदराबाद में 2814 मकानों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के प्रावधान हेतु बीएसयूपी परियोजना (फेज-VI)	95.95	2814	47.97	47.97
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जीएचएमसी क्षेत्र, हैदराबाद में 2800 मकानों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के प्रावधान हेतु बीएसयूपी परियोजना (फेज-VII)	97.12	2800	48.56	36.42
18.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा में कृष्णा और बुडामेरु बेगू नदियों के बाढ पीडितों का पुनर्वास	258.74	15000	129.37	129.37
19.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जेएनएनयूआरएम चरण-II के अंतर्गत विजयवाड़ा नगर निगम (आंध्र प्रदेश में जक्कमपुडी गांव में अलंकार इंडस्ट्रीज के सामने गरीबों के लिए 100 ब्लाकों में 3200 आवास यूनिटों हेतु आवास और अवस्थापना सुविधाएं	97.97	3200	48.98	24.49
20	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जेएनएनयूआरएस फेज- के अंतर्गत विजयवाडा नगर निगम (आंध्र प्रदेश के जक्कमपुडी गांव में गोलापुडी, जक्कमपुडी गांव में गरीबों के लिए 100 ब्लाकों में 3200 आवास यूनिटों हेतु आवास और अवस्थापना सुविधाएं	97.98	3200	48.99	36.74
21	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सर्कल 1 एरिया, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश में शहरी गरीबों के मूल सेवाओं हेतु विस्तृत डिजाइन और प्राक्कलन	3.81	0	1.85	1.85
22	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सर्कल 2 शहरी गरीबों के मूल सेवाओं हेतु विस्तृत डिजाइन और प्राक्कलन	59.83	0	29.04	29.04

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सर्कल 2 और 3 शहरी गरीबों के मूल सेवाओं हेतु विस्तृत डिजाइन और प्राक्कलन	26.48	0	12.86	12.86
24.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सर्कल 1, बीएससी, जेएनएनयूआरएस, बीएसयूपी में मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों हेतु जी+3 ग्रुप हाउसिंग तथा मूल सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	190.88	6752	91.68	45.84
25.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	अजीत सिंह नगर, विजयवाड़ा में बीएएमबीएवाई के तहत निर्मित आवासीय यूनिटों की मरम्मत संबंधी विस्तृत परियोना रिपोर्ट	7.74	3373	3.87	3.87
26.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	तिरूपति आंध्र प्रदेश में 1800 रिहायसी इकाइयों के निर्माण के लिए विक्रुतमाला ले-आऊट में बीएसयूपी आवास-विकास परियोजना।	73.03	1800	54.13	
27.	आंध्र प्रदेश	तिरूपती (परिपाड़ा और अविला-I)	परिपाड़ा और अविला-I, तिरूपति जिला चितौड़ आंध्र प्रदेश में पुनर्स्थापन स्थल पर स्लमविासियों के लिए आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान।	99.24	3360	58.94	0.00
28.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम (संशोधित)	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (पैकेज 5) में 22 शहरी गरीब बस्तियों में 7352 रिहायशी इकाइंया और आवास एवं बुनियादी अवस्था मुहैया कराने के लिए संशोधित विस्तुत परियोजना रिपोर्ट	142.28	7352	45.33	45.33
29.	आंध्र प्रदेश	विशाखाट्टनम (संशोधित)	ग्रेटर विशाखापट्नम में 6 शहरी गरीब बस्तियों में 7968 रिहायशी इकाइयां और आवास एवं बुनियादी अवस्थापना मुहैया करने के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	167.12	7968	48.29	48.29
30.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश के यथापलेम में बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं	5.50	0	2.70	2.70

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के श्रीनगर में बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं	2.40	0	1.18	1.18
32.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	बदलापुडी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्टील प्लांट पुनर्वास कालोनी में शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	28.00	0	13.73	13.73
33.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	(संशोधित) पेडगन ताडा, गंगावरम, भानुजीथाओटा, टीजीआर नगर, सेबिस्टियन कालोनी, चकीरतु-कोंडा, शिवशक्ति नगर, सिद्धार्थ नगर, एके एंड एस कालोनी, अगनमपुडी (यूपीजी) तथा जीवीएमसी क्षेत्र में रासालम्मा कालोनी की गरीब बस्तियों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।	94.83	0	46.48	46.48
34.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जीवीएमसी क्षेत्र अगनामपुडी में अवस्थापना सुविधाओं के साथ 3616 मकान मुहैया कराने के लिए	90.71	3616	45.14	45.14
35.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जीवीएमसी क्षेत्र कोम्मादी में अवस्थापना सुविधाओं के साथ 1024 मकान मुहैया कराने के लिए	27.68	1024	13.77	13.77
36.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जीवीएमसी क्षेत्र परदेसी प्लेमिन एसवाई सं. 178 गरीब बसाव में अवस्थापना सुविधाओं के साथ 2080 मकान मुहैया कराने के लिए	48.79	2080	24.32	24.32
37.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	(संशोधित) जीवीएससी क्षेत्र परदेसी प्लेमिन एसवाई सं. 179 गरीब बसाव में अवस्थापना सुविधाओं के साथ 544 मकान मुहैया कराने के लिए	12.75	544	6.26	4.70
38.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	(संशोधित) जीवीएमसी क्षेत्र परवादा में अवस्थापना सुविधाओं के साथ 1839 मकान मुहैया करने के लिए	48.88	1839	24.29	24.29

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	आगनमपुडी, डुवाडा, कम सं. 179 और जीवीएएमसी क्षेत्र में बीएमबीएवाई कालोनी मधुरवाडा गरीब बसावों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध करना	95.28	0	47.33	47.33
40.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	ईटानगर में बीएसयूपी स्कीम (100 रिहायशी मकान) का कार्यान्वयन	4.10	100	3.36	2.52
41.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	करशिंगा ईटानगर में बीएसयूपी	45.15	752	40.59	10.15
42.	अरुणाचल प्रदेश	(नीरजुली) ईटानगर फेज-II	"नीरजुली अरूणाचल प्रदेश ने 96 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवास स्कीम" फेज-II के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।	5.87	96	5.13	0.00
43.	अरुणाचल प्रदेश	(नीरजुली) ईटानगर फेज-1	"नीरजुली, बांडेरदेवा, ईटानगर अरूणाचल प्रदेश ने 144 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवास स्कीम" फेज-II के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	11.68	144	10.52	2.63
44.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी फेज-2, असम में स्लमों के बीएसयूपी एकीकृत आवास एवं अवस्थापना विकास	54.49	1028	49.04	24.52
45.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी में तीन स्लमों में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं	53.95	1232	48.56	24.28
46.	बिहार	पटना	पटना शहरी समूह के अंतर्गत फूलवारी सरीफ (फेज-I) में बीएसयूपी स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	11.57	496	5.25	1.31
47.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम अदालतगंज, पटना	19.61	416	7.85	1.96

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-1, फेज-V, वेस्ट पटना	42.52	992	16.71	4.18
49.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-2, फेज-V, वेस्ट पटना	38.44	832	14.43	3.61
50.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-3, फेज-V, वेस्ट पटना	40.19	928	15,77	3.94
51.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-4, फेज-V, वेस्ट पटना	40.19	928	15.77	3.94
52.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-1, फेज-VI, साउथ पटना	42.52	992	16.71	4.18
53.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-2, फेज-VI, साउथ पटना	38.44	832	14.43	3.61
54.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-3, फेज-VI, साउथ पटना	40.19	928	15.77	3.94
55.	बिहार	पटना	बीएसयूपी स्कीम सेक्टर-4, फेज-VI, साउथ पटना	40.19	928	15.77	3.94
56.	बिहार	पटना	पटना शहरी समूह के अंतर्गत दानापुर (फेज-I) में बीएसयूपी स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	4.15	176	1.88	0.47
57.	बिहार	पटना	पटना शहरी समूह के अंतर्गत खागौल (फेज-I) में बीएसयूपी स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	2.29	96	1.04	0.26
58.	बिहार	पटना	पटना में पुनर्वास के माध्यम से 2500 नए रिहायशी इकाइयों के लिए बीएसयूपी हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (फेज-I)	62.21	2500	28.28	7.07
59.	बिहार	पटना	पटना में पुनर्वास के माध्यम से 2000 नए रिहायशी इकाइयों के लिए बीएसयूपी हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (फेज-II)	49.76	2000	22.62	5.66
60.	बिहार	पटना	पटना शहरी समूह के अंतर्गत दानापुर (फेज-II) में बीएसयूपी स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	11.45	480	5.15	1.29

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	बिहार	पटना	पटना में बीएसयूपी स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (फेज-III)	64.03	2736	28.62	7.15
62.	बिहार	पटना	पटना में बीएसयूपी स्कीम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (फेज-IV)	107.69	4112	47.99	12.00
63.	बिहार	बोधगया	बोधगया (फेज-I) बिहार में बीएसयूपी स्कीम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	54.57	2000	38.71	9.68
64.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़	(संशोधित) फेज-1 में पुनर्स्थापना द्वारा 6368 स्लम परिवारों का पुनर्वास	247.93	6368	99.80	72.01
65.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़	(संशोधित) स्लम पुनर्वास परियोजना चंडीगढ़-19360 फ्लैटों का निर्माण	300.43	10016	151.21	300.11
66.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़	(संशोधित) फेज-III के अंतर्गत 9344 स्लम परिवारों के पुनर्वास के लिए परियोजना।	473.12	9344	186.49	—
67.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	धनास, चंडीगढ़	(संशोधित) चंडीगढ़ में 19360 फ्लैटों के स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत धनास में 8448 रिहायशी इकाइयों के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण के लिए अनुपूरक डीपीआर।	11.55	0	8.62	2.16
68.	छत्तीसगढ़	नया रायपुर	नया रायपुर छत्तीसगढ़ में बीएसयूपी परियोजना	28.79	888	23.03	5.76
69.	छत्तीसगढ़	रायपुर	(संशोधित) नया रायपुर छत्तीसगढ़ में बीएसयूपी परियोजना फेज-2 (1136 मकान),	41.64	976	29.60	7.44
70.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर सिटी (स्थिति 1-15), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्लमों में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं,	39.09	2416	31.27	23.24
71.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर सिटी (स्थिति 16-30) छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्लमों में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं	38.89	2336	31.11	43.22

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर सिटी (स्थिति 16-30) छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्लमों में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं,	66.40	5322	53.12	60.92
73.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर सिटी (स्थिति 16-30) छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्लमों में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं,	27.91	2288	22.38	28.72
74.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छ.ग.) डीपीआर-I में 512 रिहायसी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	21.12	512	16.61	0.00
75.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छ.ग.) डीपीआर-II में 1648 रिहायसी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	69.40	1648	54.33	0.00
76.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छ.ग.) डीपीआर-III में 2048 रिहायसी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	86.01	2048	67.39	0.00
77.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छ.ग.) डीपीआर-IV में 1040 रिहायसी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	42.24	1040	33.27	0.00
78.	दिल्ली	दिल्ली	बीएसयूपी के अंतर्गत बवाना, नरेला एवं भोरगढ दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए आवास	113.27	3868	46.17	46.17
79.	दिल्ली	दिल्ली	पूथखुर्द फेज-1 में स्लमवासियों के लिए 5 मंजिले कम लागत मकान के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजन रिपोर्ट	350.61	6480	164.81	41.20
80.	दिल्ली	दिल्ली	स्लम पुनर्स्थापना परियोजना-खंजावला में ईडब्ल्यूएस आवास	229.83	3600	102.68	—
81.	दिल्ली	दिल्ली	पूर्थखुर्द फेज-2 में स्लम वासियों के लिए 5 मंजिले कम लागत मकान के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	254.56	4560	115.52	28.88

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	दिल्ली	दिल्ली	पूर्थखुर्द फेज-2 में स्लम वासियों के लिए 5 मंजिलें कम लागत मकान के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजन रिपोर्ट	416.29	7720	195.76	48.94
83.	दिल्ली	दिल्ली	(संशोधित परियोजना) बीएसयूपी के अंतर्गत सावदा घेरवा फेज-3 में स्लमवासियों के लिए 5 मंजिलें ईडब्ल्यू आवास 7620 मकान (भूतल+4) के निर्माण हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट	407.69	7620	192.96	48.24
84.	दिल्ली	दिल्ली	बीएसयूपी के अंतर्गत सुल्तानपुरी स्थल संख्या ए-3 में स्लमवासियों के लिए 5 मंजिलें ईडब्ल्यू आवास 1180 मकान (भूतल+4) के निमार्ण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	58.44	1180	27.94	6.98
85.	दिल्ली	दिल्ली	बीएसयूपी के अंतर्गत सुल्तानपुरी स्थल संख्या फेज-1 में स्लमवासियों के लिए 5 मंजिलें ईडब्ल्यू आवास का निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	490.21	8420	219.96	54.99
86.	दिल्ली	दिल्ली	बक्कडवाला दिल्ली में स्लमवासियों के लिए 240 ईडब्ल्यूएस रिहायशी आवास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	21.89	240	7.87	1.97
87.	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-16 बी फेज-2 द्वारका में स्लमवासियों के लिए 5 मंजिलें ईडब्ल्यूएस आवास 980 मकान (भूतल+4) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	50.69	980	23.42	5.85
88.	दिल्ली	दिल्ली	पाकेट-2 भलसबा, जहांगीर पुरी दिल्ली में जेएनएनयूआरएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवास 4700 मकान (भूतल+4) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	366.84	7400	173.48	43.37
89.	दिल्ली	दिल्ली	(संशोधित) बीएसयूपीके अंतर्गत कंझावला, घोघा एवं बपौला में स्लम पुनर्स्थापना परियोजना	132.83	7104	58.56	55.18

1	2	3	4	5	6	7	8
दिनांक 27.04.2011 की 108वीं सीएसएमसी में बैठक परियोजना को रद्द किया गया।		दिल्ली	डेरामंडी दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना परियाजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट				25.43
दिनांक 27.04.2011 की 108वीं सीएसएमसी में बैठक परियोजना को रद्द किया गया।		दिल्ली	नांगली सरकारवती नजफगढ दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट				2.58
दिनांक 27.04.2011 की 108वीं सीएसएमसी में बैठक परियोजना को रद्द किया गया।		दिल्ली	सेक्टर-23 रोहणी एक्सटेशन में स्लमवासियों के लिए चार मंजिलें ईडब्ल्यू आवास के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट				3.93
दिनांक 27.04.2011 की 108वीं सीएसएमसी में बैठक परियोजना को रद्द किया गया।		दिल्ली	नेब सराय दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना परियोजना हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट				2.03
परियोजना को रद्द 28.03.12		दिल्ली	समसपुर दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट				17.42
दिनांक 30.05.2011 की 110वीं सीएसएमसी बैठक में परियोजना को रद्द किया गया।		दिल्ली	जोनापुर दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट				19.17
90.	दिल्ली	दिल्ली	नरेला फेज-3 सिरसपुर गांव के नजदीक दिल्ली में बीएसयूपी स्कीम के अंतर्गत स्लम पुनर्स्थापना परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	196.06	4740	77.31	19.33
91.	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-16बी स्थल संख्या-2 द्वारका में स्लमवासियों के लिए अल्पलागत चार मंजिलें के निर्माण हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट	20.46	736	9.73	7,30
92.	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-16बी स्थल संख्या-2 द्वारका में स्लमवासियों के लिए अल्पलागत चार मंजिलें के निर्माण हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट	7.99	288	3.77	2.83

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	दिल्ली	दिल्ली	बपरौला फेज-2 दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना परियोजना हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट	98.45	2144	40.96	40.96
94.	दिल्ली	दिल्ली	बवाना (704 मकान) फेज-2 दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापना परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	28.87	704	11.84	8.88
95.	गुजरात	सूरत	सूरत (एमसी सूरत) गुजरात में स्लमों का पुनर्स्थापना	56.45	5424	28.00	28.00
96.	गुजरात	सूरत	जेएनएनयूआरएम बीएसयूपी स्कीम-सूरत के अंतर्गत शहरी गरीबों के पुनर्वास के लिए सूरत शहर के चार स्थानों का 2240 मकानों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	60.95	2240	28.39	7.10
97.	गुजरात	सूरत	सूरत डीपीआर-1, गुजरात में स्लम पुनर्स्थापना हेतु डीपीआर				
98.	गुजरात	सूरत	कसौढ़ (एच-2 और एच-3) डीपीआर-4 सूरत में शहरी गरीबों के लिए आवास	91.50	6752	43.55	43.55
99.	गुजरात	सूरत	कसौढ़ (एच-1 और एच-3) डीपीआर-3 सूरत गुजरात में शहरी गरीबों के लिए आवास	72.03	5280	34.29	34.29
100.	गुजरात	सूरत	कसौढ़ (एच-4 और एच-5) डीपीआर-5 सूरत गुजरात में शहरी गरीबों के लिए आवास	98.88	7392	47.06	47.06
101.	गुजरात	सूरत	सूरत के विभिन्न 15 स्थानों नामत: वेसू, टीपी न.-6, एफ पी न.-6, उन्न, वतोद, इत्यादि शहरी गरीबों के लिए मकान के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	114.25	7704	54.37	54.37
102.	गुजरात	सूरत	सूरत के 11 विभिन्न स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए डीपीआर-6 स्लम पुनर्वास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	61.66	4032	29.93	29.93

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	गुजरात	सूरत	भमनगर, वसाहट, आरएस सं.-150 उधना उद्योग नगर संघ सूरत के पुनर्विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	29.48	1176	12.84	3.21
104.	गुजरात	सूरत	एकतानगर नवी एवं एकता नगर अदाजन सूरत के पुनर्विकास हेतु टीपीएस संख्या 14 (पाल) एफपी-153 (2), टीपीएस न.-31 (अदाजन) एफपी-51 टीपीएस संख्या-13, एफपी-13 में 544 मकानों के निर्माण हेतु डीपीआर	17.03	544	7.45	1.86
105.	गुजरात	सूरत	कोसाढ एवं भेसटान-सूरत में डीपीआर 2-5 एवं भाग-6के बीएसयूपी परियोजना स्थान के भौतिक पर्यावरण के उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर-11)	10.58	0	5.04	1.22
106.	गुजरात	सूरत	कमरुन गागर वसाहट सूरत में पुनर्विकास स्कीम के अंतर्गत आवास के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	25.76	[illegible]	10.18	2.55
107.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद फेज-2 के नजदीकी क्षेत्र में वस्ट्राल एवं निकोल के आठ स्थानों पर शहरी गरीबों (ईब्ल्यूएस) के लिए आवास के निर्माण हेतु डीपीआर	87.06	5664	42.26	42.26
108.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद, गुजरात फेज-1 में, शहरी गरीबों के लिए आवास	98.13	8000	47.64	47.64
109.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए 1184 मकान के निर्माण हेतु डीपीआर फेज-2	40.00	1184	20.00	5.00
110.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर शहरी गरीबों (ईडब्ल्यूएस) के लिए मकान के निर्माण हेतु डीपीआर (फेज-1)	338.76	18976	164.45	164.45

1	2	3	4	5	6	7	8
111	गुजरात	अहमदाबाद	सामाजिक अवस्थापना कार्य निर्माण हेतु अनुपूरक डीपीआर जो पहले नहीं शुरू किया जा सका अहमदाबाद नगर निगम अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर शहरी गरीबों के 18976 मकान (फेज-1) हेतु स्वीकृत डीपीआर	3.73	0	1.87	0.47
112	गुजरात	राजकोट	राजकोट में विभिन्न कस्बा नियोजन स्कीम के लिए संरक्षित भू खंडों पर प्रस्तावित ईडब्ल्यूएस मकानों के लिए बीएसयूपी आवास स्कीम	34.16	2640	16.58	12.44
दिनांक 12.09.2011 की सीएसएमसी बैठक में परियोजना का रद्द किया गया।		राजकोट	राजकोट में 2624 नए मकान के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवासीय स्कीम में स्लमवासियों के लिए स्व-स्थाने विकास				0.00
113.	गुजरात	राजकोट	राजकोट में 2624 नए मकान के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवासीय स्कीम में स्लम वासियों के लिए स्व-स्थाने विकास	94.52	2624	45.86	11.47
114.	गुजरात	राजकोट	बाढ़ प्रभावित स्लम वासियों के पुनर्स्थापन हेतु डीपीआर के लिए विस्तृत परियोजना राजकोट में विभिन्न नगर नियोजन, स्कीम आरक्षित भू-खंडों पर प्रस्तावित ईडब्ल्यूएस आवास के लिए बीएसयूपी हाउसिंग आवासीय स्कीम (3400 नए मकानों का निर्माण)	64.64	3400	31.33	23.50
115.	गुजरात	पोरबंदर	बोखिरा पोरबंदर के आरएस संख्या 603/1 में 2448 मकानों के निर्माण हेतु बीएसयूपी आवासीय स्कीम	81.25	2448	62.49	15.62
116.	गुजरात	वडोदरा	बडोदरा, फेज-1, गुजरात में स्लम (आवासीय विकास) का संशोधित आवासीय विकास एव उन्नयन	73.50	5392	33.96	33.96

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	गुजरात	बडोदरा	बीएसयूपी फेज-1 (आगंनवाडी एवं काम्पाउंड दिवार) बडोदरा के लिए आड्डी परियोजना अनुपूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1.31	0	0.64	0.16
118.	गुजरात	बडोदरा	2336 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बडोदरा, चरण-IV में स्लमों के आवास विकास और उन्नयन हेतु बीएसयूपी	92.84	2336	44.15	11.04
119.	गुजरात	बडोदरा	2208 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बडोदरा, बडौदरा, चरण-V में स्लमों के आवास विकास और उन्नयन हेतु बीएसयूपी परियोजना	87.87	2208	41.21	10.30
120.	गुजरात	बडोदरा	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं आवासीय विकास की स्व-स्थाने परियोजना एवं स्लमों आवासीय विकास फेज-3 का उन्नयन: 2009-2011	155.24	6096	74.83	18.71
121.	गुजरात	बडोदरा	आवासीय विकास एवं स्लमों के उन्नयन (आवासीय विकास) फेज-3 : 2008-2010 हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	114.78	5664	55.72	55.72
122.	गोवा	पणजी	पणजी शहर गोवा में बीएसयूपी परियोजना	10.22	155	4.60	1.15
123.	हरियाणा	फरीदाबाद	दबुआ कालोनी शहरी नवीकरण परियोजना	38.96	1968	18.91	18.91
124.	हरियाणा	फरीदाबाद	शहरी नवीकरण परियोजना-बापूनगर	25.27	1280	12.26	12.26
125.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	आशियाना-शिमला कस्बे के गरीबों के लिए आवीस स्कीम	9.99	252	7.05	1,76
126.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	अशियाना-2 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट: शिमला कस्बे में धल्ली-2 में गरीबों के लिए आवासीय स्कीम	14.01	384	11.21	5.61

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	बीएसयूपी के अंतर्गत राजीव नगर जम्मू के स्लम वासियों का पुनर्वास	14.25	608	11.53	8.65
128.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	बीएसयूपी के अंतर्गत भगवती नगर जम्मू के स्लम वासियों का पुनर्वास (जेएनएनयूआरएम)	1.44	36	1.23	0.92
129.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	बीएसयूपी के अंतर्गत विभिन्न स्थानों, जम्मू शहर जम्मू के स्लम वासियों का पुनर्वास (जेएनएनयूआरएम)	33.41	811	28.64	14.32
130.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	दाल के स्लम वासियों के पुनर्वास एवं पुनर्वास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	90.93	4600	73.36	18.34
131.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	बीएसयूपी के अंतर्गत श्रीनगर शहर में शहरी गरीबों के लिए आवास	22.38	622	19.69	4.92
132.	झारखंड	धनबाद	धनबाद में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं	20.51	758	9.77	2.44
133.	झारखंड	धनबाद (फेज-II)	धनबाद में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं फेज-II, झारखंड	34.28	1090	16.32	4.08
134.	झारखंड	धनबाद (फेज-III)	धनबाद में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं फेज-III, झारखंड	20.55	672	9.79	2.45
135.	झारखंड	धनबाद (फेज-IV)	धनबाद में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं फेज-IV, झारखंड	16.65	442	7.93	1.98
136.	झारखंड	धनबाद (फेज-V)	धनबाद में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं फेज-V, झारखंड	25.95	658	12.36	3.09
137.	झारखंड	जमशेदपुर (फेज-II)	जमशेदपुर में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं फेज-I, झारखंड	15.09	336	7.19	1.80
138.	झारखंड	जमशेदपुर (फेज-II)	जमशेदपुर नोटिफाइड आर कमेटी (जेएनएसई) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली बीएसयूपी जमशेदपुर फेज-2 (17 स्लम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	94.00	2888	45.85	11.46

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	झारखंड	जमशेदपुर फेज-II (आदित्यपुर)	जमशेदपुर फेज-2 आदित्यपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	39.77	952	18.94	4.73
140.	झारखंड	रांची (फेज-II)	रांची (फेज-2) में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	67.47	2358	51.90	12.98
141.	झारखंड	रांची	रांची झारखंड में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	34.13	1616	25.28	6.32
142.	झारखंड	रांची (फेज-III)	रांची फेज-3 में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	38.89	1396	29.63	7.41
143.	झारखंड	रांची (फेज-IV)	रांची फेज-4 में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	27.56	856	21.00	5.25
144.	झारखंड	रांची (फेज-V)	रांची फेज-5 शहरी गरीबों के लिए [illegible]	40.14	1080	30.58	7.64
145.	झारखंड	रांची (फेज-VI)	रांची (फेज-6) झारखंड में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	55.40	1622	42.21	10.55
146.	कर्नाटक	मैसूर रिवाइस्ड	मैसूर कर्नाटक में बीएसयूपी के अंतर्गत 20 चुनिंदा स्लमों का पुनर्विकास	67.58	2788	33.13	33.13
147.	कर्नाटक	मैसूर रिवाइस्ड	मैसूर सिटी फेज-2 में 46 स्लमों को कवर करने वाली बीएसयूपी स्कीम	90.93	2500	65.42	65.42
148.	कर्नाटक	मैसूर	1806 मकानों के निर्माण के लिए मैसूर नगर निगम द्वारा मैसूर सिटी फेज-4 के लिए बीएसयूपी स्कीम	52.36	1806	38.08	28.56
149.	कर्नाटक	मैसूर	1040 मकानों के निर्माण के लिए एकलव्य नगर स्लम, मैसूर में बीएसयूपी स्कीम	47.77	1040	34.74	26.05

1	2	3	4	5	6	7	8
150.	कर्नाटक	बैंगलूरू रिवाइस्ड	बैंगलोर फेज-1 में 28 स्लम क्षेत्रों को कवर करने वाली शहरी गरीबों के लिए बीएसयूपी स्कीम	261.17	11603	90.09	90.09
151.	कर्नाटक	बैंगलूरू	डोडडाविदारीकल्लु, बेंगलौर में कामगारों के लिए आवास।	10.96	170	4.68	0.00
152.	कर्नाटक	बैंगलूरू	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं-बीएसपी पायलेट स्लम (2 स्लमों नामत: कल्याणी और जस्मा भवन के लिए)	4.38	120	2.19	1.64
153.	कर्नाटक	बैंगलूरू	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं-बीएसपी पायलेट स्लम-कोदीहल्ली, बक्शी गार्डन और नेताजी सुभाष चन्द्र स्लम-मल्लश्वरम	5.35	160	2.67	2.00
154.	कर्नाटक	बैंगलूरू	घुवनेश्वरी नगर उत्तराहल्ली, बंगलौर में 880 बीएसयूपी मकानों (ग्रउंड+3) का निर्माण तथा विकास कार्य	37.68	880	17.13	4.28
155.	कर्नाटक	बैंगलूरू रिवाइस्ड	बीएसयूपी स्कीम जिसमें बंगलुरू में 16 स्लम क्षेत्र शामिल है (फेज-II)	20.72	680	9.42	7.06
156.	कर्नाटक	बैंगलूरू रिवाइस्ड	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं-वृहत बंगलौर महानगर पालिका (बीबीएमपी) स्लम फेज-1, बंगलौर	52.87	1524	22.98	5.75
157.	कर्नाटक	बैंगलूरू रिवाइस्ड	बीएसयूपी स्कीम जिसमें बंगलुरू में 16 स्लम क्षेत्र शामिल हैं (फेज-II)	124.28	3151	56.49	42.37
158.	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरू फेज-III कर्नाटक में चेल्लघट्टा स्लम में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम	19.19	464	8.72	2.18
159.	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरू फेज-III कर्नाटक में 100 रिहायसी इकाइयों के निर्माण के लिए भोवी कालोनी एसजी पल्लिया	3.05	100	1.39	1.39

1	2	3	4	5	6	7	8
			स्लम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम				
160·	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरु में 208 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए हक्की-पिक्की कालोनी स्लम में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम	10·03	208	4·56	2·28
161·	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरू में 310 रिहायशी इकार्यों के लिए महालिंगेश्वरा स्लम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम	9·45	310	4·29	2·15
162·	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरु में 208 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए नगरेश्वरा नगेनहल्ली स्लम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम	9·85	208	4·48	4·48
163·	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरु में 320 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए रोशन नगर स्लम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम	15·00	3·20	6·82	3·41
164·	कर्नाटक	बैंगलूरू	बंगलुरु में 256 बीरभद्र नगर स्लम क्षेत्र, बैगलुरु की जगह भेम्माकुपी क्र.सं. 73 में रिहायशी इकाइयों के निमर्ण के लिए में शहरी गरीबों के लिए बुनियाद सेवाओं संबंधी स्कीम	11·84	256	5·38	4·04
165·	केरल	तिरूवंतपुरम	तिरुवंतपुरम केरल के लिए बीएसयूपी कार्यक्रम	5·29	340	4·03	2·01
166·	केरल	तिरूवंतपुरम	तिरुवंतपुरम केरल के लिए बीएसयूपी कार्यक्रम, फेज-2	37·29	2680	29·84	22·38
167·	केरल	तिरूवंतपुरम	तिरुवंतपुरम केरल के लिए बीएसयूपी कार्यक्रम, फेज-3	125·87	8798	100·69	75·52
168·	केरल	तिरूवंतपुरम	तिरुवंतपुरम केरल के लिए बीएसयूपी कार्यक्रम, फेज-4	39·55	1369	31·18	15·59
169·	केरल	कोच्ची	कोच्ची, केरल के लिए बीएसयूपी कार्यक्रम	26·61	1728	13·31	9·98

1	2	3	4	5	6	7	8
170.	केरल	कोच्ची	कोच्ची केरल में बीएसयूपी (फेज-II)	104.45	8086	52.22	39.17
171.	केरल	कोच्ची	कोच्ची केरल में बीएसयूपी (फेज-III)	4.60	576	2.30	1.15
172.	मध्य प्रदेश	भोपाल	श्यामनगर भोपाल मध्य प्रदेश में बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं सहित आवास	16.00	1440	8.00	8.00
173.	मध्य प्रदेश	भोपाल	कल्पना नगर, भोपाल मध्य प्रदेश में बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं सहित आवास	2.54	212	1.27	1.27
174.	मध्य प्रदेश	भोपाल	चिन्हित स्लम (आवास विकास) भाग-1 भारत माता नगर, नया बसेरा अर्जुन नगर के स्लम पुनर्विकास एवं पुनर्वास	55.68	2858	26.51	6.63
175.	मध्य प्रदेश	भोपाल	चिन्हित स्लम (आवास विकास) भाग-2 के स्लम पुनर्विकास एवं पुनर्वास	46.76	2299	22.26	11.13
176.	मध्य प्रदेश	भोपाल	रोहनपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश के सामुदायिक केन्द्र सहित बुनियादी अवस्थापना सेवा सहित आवास	47.15	3600	23.44	5.86
177.	मध्य प्रदेश	भोपाल	कोटरा, भोपाल, मध्य प्रदेश के साप्ताहिक बाजार सहित बुनियादी अवस्थापना सेवा सहित आवास	9.36	512	4.68	4.68
178.	मध्य प्रदेश	भोपाल	स्लम एवं गरीब क्षेत्र समेकित क्षेत्र विकास स्कीम फेज-1, भोपाल	41.11	0	19.96	19.96
179.	मध्य प्रदेश	भोपाल	स्लम एवं गरीब क्षेत्र समेकित क्षेत्र विकास स्कीम फेज-2, भोपाल	41.11	0	19.96	19.96
180.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में, चिन्हित स्लमों (अर्जन नगर, भीमनगर, मद्रासी कलोनी, एवं राहुल नगर) के पुनर्विकास हेतु डीपीआर	52.63	3528	25.55	19.16

1	2	3	4	5	6	7	8
181.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में, बाबा नगर स्लम	26.61	1872	12.52	112.52
182.	मध्य प्रदेश	भोपाल	कोटरा, सुल्तानाबाद भोपाल में गंगा नगर एवं आराधना नगर स्लम क्षेत्र के पुनर्वास हेतु डीपीआर	24.73	1848	11.14	8.36
183.	मध्य प्रदेश	भोपाल	इंदिरा नगर, नगर निगम भोपाल, मध्य प्रदेश में वासियों के लिए रिहायशी कालोनी का विकास	17.10	1216	7.77	5.83
184.	मध्य प्रदेश	भोपाल	अटल अयुब नगर, स्लम पुलिस लाइन, इत्यादि का पुनर्वास तथा ईदगाह हिल्स, भोपाल में बाजपेयी नगर स्लम का उन्नयन	50.84	3326	23.96	17.97
185.	मध्य प्रदेश	भोपाल	इंदिरा नगर, नगर निगम भोपाल, मध्य प्रदेश [illegible] में स्लमवासियों के लिए आवासीय कालोनी का विकास	13.43	896	6.05	4.54
186.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	(संशोधित) स्कीम संख्या 134, इंदौर, मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए आवास	13.23	885	6.21	3.11
187.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	निर्धारित स्लमों (आवास विकास) का स्लम पुनर्विकास एवं पुनर्वास)	81.54	3000	38.83	29.12
188.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इंदौर में विभिन्न स्थानों पर स्लम पुनर्विकास स्कीम				
189.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर (लाल कुआ, मध्य प्रदेश) में बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं समेत मकान का निर्माण	24.72	2136	12.36	6.18
190.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर (बागरा दफाई मध्य प्रदेश) में बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं समेत मकान का निर्माण	23.14	2076	11.57	5.79

1	2	3	4	5	6	7	8
191	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर, मध्य प्रदेश, में बसौर मुहल्ला, इत्यदि का स्लम पुनर्वास	25.43	2144	12.68	3.17
192	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर, मध्य प्रदेश, में छुई खदान मडिया, इत्यदि का स्लम पुनर्वास	14.24	2144	7.09	3.54
193	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन में ओल्ड ट्रंचिंग मैदान तथा गौड़ बस्ती में दो स्थानों पर 30 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के दो मकान: जी+2 पुनर्वास के अंतर्गत 1320 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयां	17.41	1320	13.26	9.95
194	महाराष्ट्र	नागपुर	(संशोधित)महाराष्ट्र नागपुर में सावित्री बाई फुले नगर स्लम में 1080 मकान के निर्माण हेतु की बीएसयूपी स्कीम।	37.44	630	11.99	5.97
195	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर महाराष्ट्र के 3 स्लमों नामत: श्रीवस्ती नगर, संजय नगर और सेवादल नगर में 850 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	50.79	850	22.31	0.00
196	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर महाराष्ट्र के स्लमों नामत: वेजन वाग II (गौतम नगर) और लुम्बिनी नगर स्लम में 376 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	28.06	376	12.33	0.00
197	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर महाराष्ट्र के 1 स्लमों नामत: न्यू पांडराबोधी स्लम में 360 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	19.79	360	8.69	0.00
198	महाराष्ट्र	नागपुर (रिवाइस्ड)	सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर नागपुर में 6357 मकान का बीएसयूपी का कार्यान्वयन	116.72	1694	45.92	45.72
199	महाराष्ट्र	नागपुर	(संशोधित) नागपुर,महाराष्ट्र 642 मकान के निर्माण के लिए गोपाल नगर एवं आंनद कौशल्यान में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की समेकित सुपुर्दगी	26.85	365	9.32	3.43

1	2	3	4	5	6	7	8
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया।	नागपुर	बीएसयूपी के अंतर्गत नागपुर (उत्तर) में स्लमों में रहने वाले लोगों के लिए एककीकृत पुनर्वास परियोजना				5.95
200.	महाराष्ट्र	नागपुर	बीएसयूपी के अंतर्गत नागपुर (वेस्ट) में स्लमों में रहने वाले लोगों के लिए एककीकृत पुनर्वास परियोजना	15.25	456	5.19	5.81
201.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर में बीएसयूपी का कार्यान्वियन	120.81	0	37.07	27.80
202.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर महाराष्ट्र में जाट टरोडी स्लम में 279 मकान के निर्माण हेतु बीएसयूपी स्कीम	12.42	279	5.67	1.42
203.	महाराष्ट्र	नागपुर	(संशोधित) नागपुर महाराष्ट्र में 4 स्लम में 1282 मकान के निर्माण हेतु बीएसयूपी स्कीम	56.88	1017	19.37	6.93
204.	महाराष्ट्र	नागपुर	(संशोधित) नागपुर महाराष्ट्र में 567 मकानों के निर्माण के लिए पंचजोपडा एवं नेहरू नगर स्लम में बीएसयूपी समेकित सुपुर्दगी	10.61	219	4.82	2.95
	23.03.12 को रद्द किया गया	नागपुर	नागपुर महाराष्ट्र में 858 मकानों के निर्माण के लिए जय बंजरण नगर, कुम्भार टोली 1 एवं 2 स्लम में बीएसयूपी की समेकित सुपुर्दगी				5.15
205.	महाराष्ट्र	नासिक (रिवाइस्ड)	वडाला, नासिक नगर निगम, में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	67.29	2800	25.82	16.59
206.	महाराष्ट्र	(भंगुर) नासिक	भागुर कस्बा नासिक क्षेत्र महाराष्ट्र में बीएसयूपी का कार्यान्वियन	9.44	180	4.29	0.00
207.	महाराष्ट्र	नासिक (रिवाइस्ड)	भारतवाडी, नासिक नगर निगम, में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	13.49	560	4.91	1.89

1	2	3	4	5	6	7	8
208.	महाराष्ट्र	नासिक (रिवाइस्ड)	नासिक, (क्र.सं. 809) नासिक नगर निगम में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	27.28	1120	9.91	10.18
209.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक, (क्र.सं. 809) नासिक नगर निगम में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	86.91	4160	39.21	29.41
210.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक, (क्र.सं. 814/815) नासिक नगर निगम में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	15.04	720	6.79	5.09
211.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक, (क्र.सं. 907) नासिक नगर निगम में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	38.44	1840	17.34	13.01
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	नासिक	भिवंडी, नासिक नगर निगम, में पारिस्थिकी रूप से खतरनाक स्थानों पर गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना				0.94
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	नासिक	शिवाजीवाड़ी नासिक नगर निगम, में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना				0.11
212.	महाराष्ट्र	मुंबई	जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी उप मिशन मिशन के अंतर्गत मुंबई में 6832 अस्थायी आश्रयों का निर्माण	245.54	6832	114.20	114.20
213.	महाराष्ट्र	बेलीवाली, कुलगांव बदलापुर (मुंबई एमआर)	बेलीवली, कुलगांव बदलापुर, थाणे, जिलामहाराष्ट्र में 1728 मकानों के निर्माण हेतु बीएसयूपी स्कीम	61.22	1280	27.58	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
214.	महाराष्ट्र	खारवाई, कुलगांव बदलापुर (मुंबई एमआर)	प्रकाश नगर एवं स्वामी नगर, अम्बर नाथ (मुंबई महानगर क्षेत्र), थाणे जिला, मुंबई में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की समेकित सुपुर्दगी	80.78	1728	36.48	0.00
215.	महाराष्ट्र	अमरनाथ (मुंबई एमआर)	मुंबई में बीएसयूपी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासीय स्कीम हेतु एलआईजी मकानों के लिए बीएसयूपी प्रस्ताव	49.42	896	22.19	5.55
216.	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई में बीएसयूपी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासीय स्कीम हेतु एलआईजी मकानों के लिए बीएसयूपी प्रस्ताव	163.15	4179	71.23	71.23
217.	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई में टैक्सटाइल मिल कामगारों के लिए एलआईजी मकानों तथा पुराने जीर्ण-शीर्ण मकानों के निवासियों के लिए अस्थायी आश्रय के लिए बीएसयूपी प्रस्ताव	737.78	12000	247.46	247.46
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	नवी मुम्बई (ग्रेटर मुंबई का भाग)	बीएसयूपी के अंतर्गत नवी मुंबई में नगर निगम की भूमि पर शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना				34.86
218.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई (कल्याण-डोम्बिवली)	कल्याण-डोम्बिली नगर निगम क्षेत्र जिला-थाणे में बीएसयूपी के अंतर्गत एकीकृत आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन	338.88	8142	154.59	77.30
219.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई (कल्याण-डोम्बिवली)	कल्याण-डोम्बिवली म्यूनिसिल कारपोरेशन क्षेत्र जिला-थाणे महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत एकीकृत आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन-फेज-I	73.97	1195	31.55	7.89
220.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई (कल्याण-डोम्बिवली)	कल्याण-डोम्बिवली म्यूनिसिपल कारपोरेशन क्षेत्र जिला-थाणे महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत एकीकृत आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन-फेज-IV	112.06	1756	47.62	23.81

1	2	3	4	5	6	7	8
221.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (मीरा भयंदर)	मीरा भयंदर, ग्रेटर मुंबई महाराष्ट्र में जनता नगर और काशी चर्च स्लमों में 4136 रिहायशी इकाइयों के निर्माण हेतु बीएसयूपी स्कीम	279.55	4136	114.30	28.58
222.	महाराष्ट्र	थाणे (ग्रेटर मुंबई का भाग)	(संशोधित) बीएसयूपी के अंतर्गत थाणे में 155.62 कि.मी. पर नाले के तटों के पारिस्थितिकीय रूप से खतरनाक स्थलों की सार्वजनिक प्रयोजना भूमि पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए एकीकृत पुनर्वास परियोजना	193.91	4621	96.96	50.45
	125वीं बैठक में बीएसयूपी भी परियोजना रद्द	थाणे (ग्रेटर मुंबई का भाग)	थाणे म्यूनिसिपल कारपोरेशन, थाणे, महाराष्ट्र में अनुमोदित 9426 रिहायशी इकाइयों के लिए बीयूए में परिवर्तन किए जाने के कारण निर्माण अतिरिक्त लागत के लिए अतिरिक्त धनराशि			16.97	
223.	कार्रवाई	थाणे	बीएसयूपी डीपीआर IV (डायगढ़ और कोसा में बीएसयूपी का कार्यान्वियन)	98.22	1142	49.11	0.00
224.	कार्रवाई	थाणे	बीएसयूपी डीपीआर III (बीएसयूपी के अंतर्गत नोपाडा में स्लम का पुनर्विकास), थाणे महाराष्ट्र	98.70	1160	49.35	0.00
225.	कार्रवाई	उल्लासनगर (थाणे)	राजीव गांधी और बालकृष्ण नगर, अल्लासनगर महाराष्ट्र में शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाओं की एकीकृत सुपुर्दगी	47.99	792	22.69	0.00
226.	कार्रवाई	थाणे (ग्रेटर मुंबई का भाग))	थाणे में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं का कार्यान्वयन	34.43	822	15.65	15.65
227.	कार्रवाई	ग्रेटर मुंबई (कुलगांव-बदलपुर)	कुलगांव-बादलपुर, जिला-थाणे महाराष्ट्र के लिए के लिए बीएसयूपी स्कीम	77.33	1634	35.15	17.57
228.	कार्रवाई	ग्रेटर मुंबई (कल्याण डोम्बिली)	डोम्बिवली जिला-थाणे महाराष्ट्र में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	134.55	2376	61.16	30.58

1	2	3	4	5	6	7	8
229.	कार्रवाई	ग्रेटर मुंबई (उल्लासनगर)	उल्लाहासनगर, जिला-थाणे महाराष्ट्र में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	35.38	600	16.08	4.02
230.	कार्रवाई	पुणे	वेटल नगर स्लम पिपरी चिंचवाड में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	36.12	1440	16.38	16.38
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	पुणे (पिंपरी चिंचवाड)	सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर भोसारी, पुणे में पुणे में पिंपरी चिंचवाड सेकटर 12 में बीएसयूपी का कार्यान्वयन				35.60
231.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड (पुणे) में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	28.38	672	12.90	9.67
232.	महाराष्ट्र	पुणे	उद्योग नगर स्लम, पिंपरी चिंचवाड में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	20.13	800	9.13	6.85
233.	महाराष्ट्र	पुणे	मिलिंद नगर स्लम, पिंपरी चिंचवाड में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	31.70	1280	14.37	14.37
234.	महाराष्ट्र	पुणे	विठ्ठल नगर स्लम, पिंपरी चिंचवाड में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	36.23	1440	16.43	16.43
235.	महाराष्ट्र	पुणे	अंजता नगर स्लम, पिंपरी चिंचवाड में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	35.69	1440	16.18	12.14
236.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर में पारिस्थितकीय रूप से खतरनाक स्थानों पर रह रहे शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	99.25	6000	49.63	24.81
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	पुणे	लोहागांव में पुणे, महाराष्ट्र में समेकित पुनर्वास परियोजना				4.10
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	पुणे	हिगरी कोथुर्द, पुणे, महाराष्ट्र में समेकित पुनर्वास परियोजना				10.91

1	2	3	4	5	6	7	8
237.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंवाड (फेज-3) पुणे महाराष्ट्र में समेकित पुनर्वास परियोजना	94.98	4960	45.23	45.23
238.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड (फेज-2) पुणे महाराष्ट्र में समेकित पुनर्वास परियोजना	94.98	4960	45.23	33.92
239.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड (फेज-3) पुणे महाराष्ट्र में समेकित पुनर्वास परियोजना	35.23	1840	16.78	16.78
	दिनांक 12.9.2011 को रद्द किया गया	पुणे	(कंधवा स्लम), पुणे नगर निगम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना				5.15
240.	महाराष्ट्र	पुणे	वरजे स्लम, पुणे नगर निगम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	63.09	2576	29.34	14.67
241.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर में शहरी फेरी वालों के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	27.04	0	12.58	3.14
242.	महाराष्ट्र	पुणे	बीएसयूपी के अंतर्गत पुणे शहर में आने वाले शहरी गरीबों के लिए डारमोटरीस	21.85	0	10.16	2.54
243.	महाराष्ट्र	पुणे	बीएसयूपी के अंतर्गत पिंपरी चिंचवाड में शहरी गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार के लिए शहरी किफायती आवास स्टाक का सृजन के लिए समेकित पुनर्वास परियोजना	449.71	13250	224.85	112.43
244.	महाराष्ट्र	पुणे	यरवदा, पार्वती, मंधवा, कोथरूद स्लम, पुणे महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत पुणे शहर में स्व स्थाने स्लम पुनर्वास	140.82	4000	64.01	32.00
245.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड, महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत स्लम के विकास हेतु पुनर्विचार	87.06	4132	66.33	66.33

1	2	3	4	5	6	7	8
246.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड सिटी, जिला नांदेड, महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत एकीकृत आवास परियोजनाओं का कार्यान्वयन	94.33	1678	71.87	0.00
247.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण के नांदेण टेक्सटाइल मिल स्लम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए 5136 मकानों का निर्माण	217.01	5136	135.08	33.77
248.	महाराष्ट्र	नांदेड (वागला सिटी)	एनडबल्यूसीएमसी, नांदेड, महाराष्ट्र के नए क्षेत्र नांदेण तरोड (केएचएनबीके) में शहरी गरीबों के लिए 2100 मकानों का निर्माण	124.77	2100	71.56	35.78
249.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी फेज-2 महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना हेतु कार्यान्वयन	256.83	7820	200.45	150.34
250.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी, नांदेण जिला महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना 1567 मकान हेतु कार्यान्वयन	71.38	1567	51.91	25.95
251.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी, नांदेण जिला महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना 1621 मकान हेतु कार्यान्वयन	76.87	1621	55.91	27.95
252.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी, नांदेण जिला महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना 958 मकान हेतु कार्यान्वयन	42.02	958	30.56	15.28
253.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी, नांदेण जिला महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना 1002 मकान हेतु कार्यान्वयन	39.82	1002	28.96	14.48
254.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी, नांदेण जिला महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना 1183 मकान हेतु कार्यान्वयन	53.44	1183	38.87	19.43

1	2	3	4	5	6	7	8
255.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेण सिटी, नांदेण जिला महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत समेकित आवासीय परियोजना 788 मकान हेतु कार्यान्वयन	32.43	788	23.58	11.79
256.	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल मणिपुर हेतु शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं	51.23	1250	43.91	32.93
257.	मेघालय	शिलांग	नागमिसांग, शिलांग में स्लम पुनर्वास	13.76	300	11.47	8.60
258.	मेघालय	शिलांग	नागमिगंसांग, शिलांग मेघालय (फेज-2) में स्लम पुनर्वास सहित ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं शहरी गरीबों के लिए आवास	16.68	300	12.31	9.23
259.	मेघालय	शिलांग	5 अधिसूचित स्लमों नामतः मारवाह, लोवर मापरेम, डिमसियांग, कंजात फुटबाल, एवं पिथरू मखड़ में समेकित स्लम विकास कार्यक्रम पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1.30	168	16.58	8.29
260.	मिजोरम	आइजोल	बीएसयूपी-चाइट ईडब्ल्यूएस आवास परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	13.76	200	10.40	5.20
261.	मिजोरम	आइजोल	बीएसयूपी के अंतर्गत मिजोरम के "लावीपू आवास परियोजना" परियोजना रिपोर्ट	20.57	208	18.51	9.26
262.	मिजोरम	आइजोल	डर्टलांग, बीएसयूपी आवास परियोजना, आईजोल, मिजोरम	26.24	320	23.57	11.78
263.	मिजोरम	आइजोल	रंगवामौल, बीएसयूपी आवास परियोजना, आईजोल, मिजोरम	30.75	368	27.63	13.82
264.	नागालैंड	कोहिमा	(संशोधित) नागालैंड, कोहिमा में शहरी गरीबों के लिए आवास	133.08	3504	105.60	79.20
265.	ओडिशा	पुरी	पुरी ओडिशा में मट्टीटोटा एवं शाही स्लम के लिए बीएसयूपी स्कीम	1.74	60	1.27	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8
266.	ओडिशा	पुरी	पुरी कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम (फेज-II)	9.28	295	6.75	1.69
267.	ओडिशा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर ओडिशा में नया पल्ली सबर साही में बीएसयूपी स्कीम	1.92	73	1.35	0.68
268.	ओडिशा	(बीडीए) भुवनेश्वर	भुवनेश्वर ओडिशा में 192 मकानों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	7.45	192	5.41	2.71
269.	ओडिशा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर ओडिशा में भरतपुर विकास नगर में बीएसयूपी स्कीम	33.08	1135	24.06	18.04
270.	ओडिशा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर ओडिशा में दमदमा (रघुनाथ नगर, सूखविहार, सत्यनगर, शास्त्रीनगर, बराबरी) के लिए बीएसयूपी स्कीम	21.15	753	15.34	7.77
271.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	लम्बर्ड सर्वानन नगर, रेडीयार पलायम आल ग्रेड नगर निगम, पुदुचेरी में 1136 मकान का निर्माण तथा अवस्थापन सुविधाओं का प्रावधान	37.38	1136	28.05	14.03
272.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी के अनुसूचित जाति लाभार्थी के लिए 1660 मकानों का निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाएं	92.00	1660	50.89	12.72
273.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	कुरूची उद्यम बजहाकुलम, पुदुचेरी में 168 बहुमंजिले मकान का निर्माण	6.60	168	4.25	4.25
274.	पंजाब	अमृतसर	रसूलपुर अमृतसर में बीएसयूपी-3 स्लम के अंतर्गत स्लम विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	5.79	320	2.88	1.44
275.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर, पंजाब में बीएसयूपी के अंतर्गत स्लम पुनर्स्थापन परियोजना (1328 रिहायशी इकाई)	58.20	1328	29.10	7.27530
276.	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना, पंजाब में बीएसयूपी के अंतर्गत स्लम पुनर्स्थापन परियोजना (896 रिहायशी इकाई)	38.22	896	19.11	4.78

1	2	3	4	5	6	7	8
277.	पंजाब	लुधियाना	बीएसयूपी (भगत सिंह नगर राजीव गांधी कालोनी, जमुना कालोनी एवं लेवर कालोनी (सराभा नगर) के अंतर्गत स्लम विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	66.64	4832	33.27	24.95
278.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर पुष्कर में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं हेतु डीपीआर	107.71	5337	84.57	42.28
279.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर में, जेडीए के अंतर्गत 17 स्लमों का बीएसयूपी परियोजना पुनर्स्थापन	94.00	2922	45.63	11.41
280.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर में, जेडीए के अंतर्गत 14 स्लमों का बीएसयूपी परियोजना पुनर्स्थापन	87.50	2892	42.48	10.62
दिनांक 12.09.2011 की 166वीं सीएसएमसी बैठक में परियोजना को रद्द किया गया		जयपुर (संशोधित)	जयपुर संजय नगर भट्टा बस्ती हेतु पुनर्विकास परियोजना				21.16
281.	सिक्किम	गंगटोक	बीएसयूपी के अंतर्गत सिक्किम राज्य के ओल्ड स्लाटर हाउस क्षेत्र, गंगटोक के समेकित आवास एवं स्लम विकास पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, फेज-1	52	2.79	2.09	
282.	सिक्किम	गंगटोक	अधिसूचित स्लम क्षेत्र रंगपर-गंगटोक-1 के लिए समेकित आवास एवं स्लम विकास	25.17	202	21.78	16.33
283.	सिक्किम	गंगटोक	बीएसयूपी के अंतर्गत सिक्किम राज्य के ओल्ड स्लाटर हाउस क्षेत्र के समेकित आवास एवं स्लम विकास विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, फेज-2	5.16	0	4.49	3.37
284.	तमिलनाडु	कुनराथुर (चेन्नई)	(संशोधित) 1500 नए बीएसयूपी आवासों का निर्माण स्व-स्थाने कुनराथुर नगर पंचायत चेन्नई	4.78	500	2.39	1.79

1	2	3	4	5	6	7	8
285.	तमिलनाडु	पालिका रानाई (चेन्नई)	396 नए बीएसयूपी आवासों का निर्माण (इन-सीटू) पालिका रानाई नगर पंचायत चेन्नई, कांचीपुरम जिला तमिलनाडु	4.80	396	2.40	0.60
286.	तमिलनाडु	मंगाडू (चेन्नई)	197 नए बीएसयूपी आवासों का निर्माण (इन-सीटू) मंगाडू नगर पंचायत चेन्नई, कांचीपुरम जिला तमिलनाडु	2.52	197	1.26	1.26
287.	तमिलनाडु	चेन्नई	ईजिल नगर चेन्नई में 9936 आवास इकाइयों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं	257.54	9936	96.26	96.26
288.	तमिलनाडु	थिरूनीरमला (चेन्नई)	405 नए आवासों का निर्माण (इन-सीटू) थिरूनीरमलाई नगर पंचायत चेन्नई, तमिलनाडु	3.45	405	1.73	1.73
289.	तमिलनाडु	सेमबक्कम (चेन्नई)	(संशोधित 217 नए बीएसयूपी आवासों का निर्माण (इन-सीटू) सेबक्कम नगर पंचायत चेन्नई, कांचीपुरम जिला तमिलनाडु	2.37	217	1.19	1.00
290.	तमिलनाडु	मिंजूर (चेन्नई)	आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुधार मिंजूर नगर पंचायत चेन्नई महानगर क्षेत्र तमिलनाडु	2.43	182	1.22	1.22
291.	तमिलनाडु	थिरूवोटियूर (चेन्नई)	अवसंरचना सुविधाओं के लिए प्रावधान थिरूवोटियूर नगरपालिका चेन्नई	1.70	0	0.85	0.85
292.	तमिलनाडु	अम्बाटूर, चेन्नई	अम्बाटूर नगरपालिका चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं	4.75	414	2.38	2.38
293.	तमिलनाडु	अलन्दुर, चेन्नई	अलंदुर नगरपालिका चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं	15.79	5.00	7.89	1.97

1	2	3	4	5	6	7	8
294.	तमिलनाडु	कातीवक्कम, चेन्नई	कातीवक्कम नगरपालिका चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए प्रावधान	10.19	827	5.09	3.82
295.	तमिलनाडु	मेधावरम, चेन्नई	मेधावरम नगरपालिका चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए प्रावधान	0.93	0	0.47	0.47
296.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई निगम की 44 स्लमों में 1370 बीएसयूपी आवास निर्माण 236 स्लमों में अवसंरचना सुविधाएं	5.43	433	2.42	2.42
297.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरुमबक्कम, चेन्नई में 1045 बीएसयूपी आवास का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं (फेज-I)	127.44	1370	50.71	50.71
298.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरुमबक्कम, चेन्नई में 9476 आवास का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान (फेज-II)	440.61	10452	203.38	101.69
299.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरूवक्कम (फेज-II) चेन्नई में 9476 रिहायशी इकाइयों का निर्माण और अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान	374.24	9476	159.73	39.93
300.	तमिलनाडु	चेन्नई (चेन्नई निगम)	चेन्नई निगम में 186 स्लम (फेज-II) के लिए अवसंरचना सुविधाओं हेतु प्रावधान	72.63	0	34.55	34.55
301.	तमिलनाडु	चेन्नई (अवाडी नगर पालिका)	पल्लावरम (सीएमए) कांचीपुरम तमिलनाडु हेतु 300 नए आवासों का निर्माण तथा का उन्नयन तथा अवसंरचना सुविधाएं	9.50	398	4.75	4.75
302.	तमिलनाडु	चेन्नई (पल्लावरम)	पल्लावरम (सीएमए) कांचीपुरम तमिलनाडु हेतु 300 नए आवासों का निर्माण तथा 98 का उन्नयन तथा अवसंरचना सुविधाएं	6.64	398	3.32	2.49

1	2	3	4	5	6	7	8
303.	तमिलनाडु	चेन्नई (तम्बारम)	तम्बारम नगर पालिका, तमिलनाडु हेतु 690 आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना	15.06	690	7.53	5.65
304.	तमिलनाडु	चेन्नई (पम्मल नगर पालिका)	पम्मल नगर पालिका, कांचीपुरम, तमिलनाडु हेतु 276 आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	6.56	276	3.05	3.05
305.	तमिलनाडु	चेन्नई (अनकापुथुर नगर पालिका)	अनकापुथुर नगर पालिका, कांचीपुरम, तमिलनाडु हेतु 189 नए आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	4.88	189	2.44	2.44
306.	तमिलनाडु	चेन्नई (पोनामाली नगर पालिका)	पोनामाली नगर पालिका, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु हेतु 189 नए आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	3.74	191	1.87	1.87
307.	तमिलनाडु	चेन्नई (थिरुवेकडु नगर पालिका)	थिरुवेरकडु नगर पालिका, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु हेतु 440 नए आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	7.10	440	3.55	3.55
308.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै नगर निगम हेतु मकान का निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान	26.86	2515	13.42	13.42
309.	तमिलनाडु	मदुरै	पेरियार नगर मदुरै हेतु मकान का निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान	39.77	1566	14.17	14.17
310.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै नगर निगम हेतु मकान का निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं (फेज-2) का प्रावधान	103.58	9563	50.92	38.19
311.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै नगर निगम के लिए 10688 मकानों का निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाएं (फेज-3)	176.75	10688	87.13	65.34

1	2	3	4	5	6	7	8
312.	तमिलनाडु	मदुरै	विलंगुडी नगर पंचायत मदुरै, तमिलनाडु हेतु आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	0.95	43	0.46	0.46
313.	तमिलनाडु	मदुरै	परवई नगर पंचायत मदुरै, तमिलनाडु हेतु आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहया करना	1.60	80	0.79	0.79
314.	तमिलनाडु	मदुरै	शोलावंदन नगर पंचायत मदुरै, तमिलनाडु हेतु आवासों निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहया करना	1.72	78	0.80	0.80
315.	तमिलनाडु	मदुरै (अनईयूरं नगर पालिका)	अनईयूर नगर पालिका, मदुरै, तमिलनाडु हेतु 485 नए आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	10.38	485	5.18	5.18
316.	तमिलनाडु	मदुरै (अवनीपुरम नगर पालिका)	अवानीपुरम नगर पालिका, मदुरै, तमिलनाडु हेतु 236 आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं मुहैया करना	4.94	236	2.46	2.46
317.	तमिलनाडु	मदुरै (तिरुमंगलम)	तिरुमंगलम नगर पालिका, मदुरै, तमिलनाडु हेतु 413 नए आवासें का निर्माण	7.99	413	3.99	3.99
318.	तमिलनाडु	मदुरै (थिरुप्पा रामकुंदरम)	थिरुप्पारामकुंदरम नगर पालिका, मदुरै, तमिलनाडु हेतु 27 नए आवासों का निर्माण	4.69	227	2.33	2.33
319.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं उक्कडम कोयम्बटूर	55.36	2232	20.69	20.69
320.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं अम्मनकुलम कोयबटूर	41.03	1608	15.56	15.56

1	2	3	4	5	6	7	8
321.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं (फेज-I) कोयम्बटूर निगम तमिलनाडु	2907	28.615	14.33	
322.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	आवास निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं (फेज-II) कोयम्बटूर	199.94	10973	96.59	48.30
323.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	उक्कडम कोयम्बटूर में 9600 बीएसयूपी आवासों का निर्माण तथा अवसंरचना सुविधाएं (फेज-III)	184.81	9600	86.75	21.69
324.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (गोड्यम पलायम, नगर निगम)	179 नए मकान का निर्माण तथा गोड्यम पलायम, नगर निगम तमिलनाडु में अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करना	3.95	179	1.96	1.96
325.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (कुनियामाथुर)	कुनियामाथुर नगर निगम, कोयम्बटूर के लिए 303 नए मकान का निर्माण	6.37	303	3.17	3.17
326.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (कुरेची)	कुरेची, कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए 300 मकान का निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करना	6.75	300	3.36	3.36
327.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (ईडगरी डाउन)	ईडगरी आउन पंचायत कोयूम्बटर तमिलनाडु के लिए 135 नए मकान का निर्माण	3.10	135	1.55	1.55
328.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (कन्नापलायम	कन्नापलायम टाउन पंचायत कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए 41 नए मकान का निर्माण	0.95	41	0.48	0.48
329.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (मदुकराई टाऊन)	मधुकरैई कस्बा पंचायत, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के लिए 28 नए घरों का निर्माण	2.09	88	1.04	1.04
330.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (परियानईके नपलियमक स्बा)	पेरियानईकेनपलियम कस्बा पंचायत कोयम्बटूर, तमिलनाडु के लिए 129 नए घरों को निर्माण	2.77	129	1.38	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
331.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (वेदापट्टी कस्बा)	वेदापट्टी कस्बा पंचायत, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के लिए 36 नए घरों का निर्माण	0.91	36	0.46	0.46
332.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (वीराकेरलम)	वीराकेरलम कस्बा पंचायतत्र कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए 57 घरों का निर्माण	1.38	57	0.69	0.52
333.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (वीरापंडी सं.-4 कस्बा)	वीरापंडी सं.-4 कस्बा पंचायत, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के लिए 129 घरों का निर्माण	2.74	129	1,37	1.37
334.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (वेल्लोर कस्बा)	वल्लोर कस्बा पंचायत, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के लिए 57 घरों का निर्माण	2.92	131	1.46	1.46
335.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (सरवनमपट्टी कस्बा)	सरवनतपट्टी कस्बा पंचायत, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के लिए 39 घरों का निर्माण	0.92	39	0.46	0.46
336.	त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला में मौझा कुंजाबन स्लम सुधार स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	16.73	256	13.96	13.96
337.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	बीएसयूपी के अंतर्गत इलाहाबाद में स्लम में रह रहे शहरी गरीबों के लिए एकीकृत पुनर्वासन परियोजना	3.34	264	1.52	0.38
338.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	411 डीयू के निर्माण के लिए इलाहाबाद सिटी में बीएसयूपी का कार्यान्वयन, इलाहाबाद, यूपी	19.15	411	8.87	4.43
339.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद सिटी, यूपी में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ 483 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी का कार्यान्वयन	23.44	483	10.85	8.14
340.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (नैनी)	नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 233 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	7.39	233	3.42	2.56

1	2	3	4	5	6	7	8
341.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 244 डीयू के निर्माण के बीएसयूपी स्कीम	15.14	244	7.01	5.26
342.	उत्तर प्रदेश	आगरा	कांशीराम ताज नगरी फेज-II के एकीकृत विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	14.79	608	6.78	6.78
343.	उत्तर प्रदेश	आगरा	माननीय श्री कांशीराम जी नगरी फेज-II के एकीकृत के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	19.04	632	7.88	7.88
344.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा, उत्तर प्रदेश में 2335 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	95.18	2335	44.06	22.03
345.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा, उत्तर प्रदेश में 1536 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	71.34	1536	33.03	24.77
346.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर यूपी के 6 स्लमों में 2950 आवासीय इकाइयों के पुनर्वासन के लिए बीएसयूपी परियोजना	59.86	2950	27.21	6.80
347.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	3 स्लमों में 816 डीयू के निर्माण के लिए कानपुर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन, जिला कानपुर यूपी	28.50	816	13.20	13.20
348.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर कस्बे में 2 स्लमों के लिए बीएसयूपी स्कीम जिला कानपुर यूपी	31.36	793	14.72	14.72
349.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर कस्बे में 3 स्लमों के लिए बीएसयूपी स्कीम जिला कानपुर उत्तर प्रदेश	30.66	726	14.40	10.80
350.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	3 स्लमों में 753 डीयू के निर्माण के लिए कानपुर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन, जिला कानपुर यूपी	28.56	753	13.22	13.22

1	2	3	4	5	6	7	8
351.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	6 स्लमों में 704 डीयू के निर्माण के लिए कानपुर में बीएसयूपी का कार्यान्वियन, जिला कानपुर यूपी	29.39	704	13.61	13.61
352.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के 7 स्लमों के लिए कानपुर के कस्बों हेतु बीएसयूपी स्कीम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के 3 स्लमों में 343 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु कानपुर में बीएसयूपी	36.07	854	16.93	16.93
353.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के 3 स्लमों के 343 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु कानपुर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	14.02	343	6.49	6.49
354.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के 7 स्लमों के 887 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु कानपुर में बीएसयूपी परियोजनाओं का कार्यान्वयन	36.68	887	16.98	16.98
355.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के 6 स्लमों के 3050 आवासीय इकादयों के पुनर्वास हेतु बीएसयूपी परियोजना	60.42	3050	27.47	6.87
356.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	बीएसयूपी के तहत कानपुर में स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए एकीकृत पुनर्वास प्रस्ताव	8.85	544	4.02	1.01
357.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश कानपुर में 4 स्लमों के लिए बीएसयूपी स्कीम	36.51	871	17.14	12.86
358.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश कानपुर में 2 स्लमों बारगड़िया पुरवा एवं बड़ा सिरोही के लिए कानपुर में बीएसयूपी परियोजना	19.71	416	9.13	9.13
359.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर, उत्तर प्रदेश में 7 स्लमों बीएसयूपी परियोजना	32.53	1632	14.78	11.09
360.ए	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बीएसयूपी के तहत लखनऊ में स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए एकीकृत पुनर्वास परियोजना	11.67	0	5.40	2.70

1	2	3	4	5	6	7	8
360.बी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ के बीएसयूपी स्कीम में अतिरिक्त अवसंरचना घटक (8 वीसीएसएमसी में अनुमोदित)	11.67	0	5.40	2.70
361.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ के लिए राधाखंड शारदा नगर, हरदोई रोड सैक्टर एच एवं पी के लिए स्लमवासियों अन्यत्र भेजने के लिए बीएसयूपी	177.53	8896	82.19	41.09
362.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (चक मलूहरी)	उत्तर प्रदेश जिले के चाक मलहौरी कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	12.56	336	5.96	4.47
363.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (नई बस्ती)	नई बस्ती, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कस्बे लिए बीएसयूपी स्कीम	49.57	1408	23.49	5.87
364.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (उमराव हाटा टाऊन	उमराव हाटा कस्बा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	5.95	176	2.82	2.12
365.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ शहर, यू.पी. में अवसंरचना सुविधा के साथ 763 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी का कार्यान्वयन	35.96	763	16.65	12.48
366.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ शहर, यू.पी. में अवसंरचना सुविधा के साथ 346 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी का कार्यान्वयन	19.33	346	8.95	4.47
367.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ शहर, यू.पी. में अवसंरचना सुविधा के साथ 487 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी का कार्यान्वयन	26.62	487	12.33	9.24
368.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	बीएसयूपी के अधीन मथुरा में स्लमों में शहरी गरीब के ठहरने के लिए स्वीकृत पुनर्स्थापना परियोजना	4.58	240	3.33	3.33
369.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	राधे श्याम कालोनी, मथुरा शहर, यूपी में 2018 डीयू की बीण्ययूपी परियोजना निर्माण का कार्यान्वयन	88.10	2018	65.26	48.95

1	2	3	4	5	6	7	8
370.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	जयसिंगपुर, यूपी में बीएसयूपी स्कीम	5.01	108	3.71	2.78
371.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा यूपी में 6 स्लमों (534 डीयू) के लिए बीएसयूपी स्कीम	23.66	534	17.53	13.14
372.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा यूपी में 5 स्लमों (530 डीयू) के लिए बीएसयूपी स्कीम	23.42	530	17.32	8.66
373.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	गोपाल नगर मथुरा, यूपी के लिए बीएसयूपी स्कीम	31.70	560	23.48	17.61
374.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	लक्ष्मी नगर मथुरा, यूपी के लिए बीएसयूपी स्कीम	37.63	608	27.87	20.90
375.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	बीएसयूपी, यूपी अधीन मेरठ में 5 स्लमों (तारापुरी, श्याम नगर, जाकिर कालोनी जयभीम नगर एवं लखीपुर) में शहरी गरीबों के लिए एकीकृत उन्नयन एवं आवास परियोजना	32.84	2000	14.93	14.93
376.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	अचरोंदा एवं कांशी, मेरठ यूपी, बीएसयूपी स्कीम				
377.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	अब्दुल्लापुर एवं करिमनगर, मेरठ, यूपी स्कीम				
378.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ, जिला मेरठ, यूपी में 852 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	30.45	852	14.36	14.36
379.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ, उत्तर प्रदेश के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	18.25	744	8.37	8.37
380.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में शहरी गरीब के लिए बीएसआईसी सेवाएं	23.56	1008	10.81	10.81

1	2	3	4	5	6	7	8
381.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 768 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	33.08	768	15.83	15.83
382.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 723 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	37.70	723	18.04	18.04
383.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 629 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	30.98	629	14.82	14.82
384.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 655 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	29.01	655	13.88	13.88
385.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 694 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	28.84	694	13.80	13.80
386.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 677 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन	31.66	677	14.91	14.91
387.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	"किदवई नगर जिला, मेरठ (यूपी) में अवसंरचना सुविधाओं के साथ 255 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना के कार्यान्वयन" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	11.28	225	4.80	1.20
388.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ जिला, यूपी के 731 डीयू के निर्माण के लिए मेरठ शहर में बीएसयूपी का कार्यान्वयन				
389.	उत्तर प्रदेश	आगरा	नराईच, आगरा में 3640 डीयू के निर्माण के लिए शहरी गरीब स्कीम के लिए आधारभूत सेवाएं	127.27	3640	59.47	44.60

1	2	3	4	5	6	7	8
390.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा शहर (2420 डीयू), आगरा जिला, यूपी में देवरी में बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	34.78	2420	16.10	12.08
391.	उत्तर प्रदेश	आगरा	जिला आगरा उत्तर प्रदेश में 950 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए आगरा नगर निगम में बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	39.78	950	18.41	13.81
392.	उत्तर प्रदेश	आगरा	शास्त्री पुरम सेक्टर एफ, आगरा में 1360 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं स्कीम	51.98	1360	24.64	18.48
393.	उत्तर प्रदेश	आगरा	जिला आगरा उत्तर प्रदेश में (604) रिहायशी इकाईयां (गोवर चौकी), आगरा नगर निगम में बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	35.14	604	16.27	12.20
394.	उत्तर प्रदेश	आगरा	जिला आगरा उत्तर प्रदेश में (2708) रिहायशी इकाइयां (आगरा नगर निगम में) बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	116.25	2708	53.82	26.91
395.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी यूपी में बीएसयूपी के अंतर्गत स्व-स्थाने विकास और पुनर्स्थापन सहित नट बस्ती नेवड़ा का एकीकृत विकास	5.69	192	2.60	1.30
396.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर, जिला वाराणसी में 768 रिहायशी इकाइयों के निर्माण सहित बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	32.26	768	14.93	7.47
397.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर, जिला वाराणसी में 1109 रिहायशी इकाइयों के निर्माण सहित बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	43.36	1109	20.07	10.04
398.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश, नगर स्लम के लिए बीएसयूपी स्कीम	5.11	135	2.36	1.77

1	2	3	4	5	6	7	8
399.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश, महेशपुर स्लम के लिए बीएसयूपी स्कीम	4.68	124	2.17	1.63
400.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश, रूपनपुर स्लम के लिए बीएसयूपी स्कीम	8.45	241	3.91	2.93
401.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी उत्तर प्रदेश, 585 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी का स्कीम	24.81	585	11.49	8.61
402.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सुविधाओं सहित 776 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन	30.59	776	14.16	10.62
403.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी (1305 रिहायशी इकाईयां (शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम)	56.74	1305	26.27	19.70
404.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सुविधाओं सहित 728 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजन का कार्यान्वयन	34.32	728	15.89	7.94
दिनांक 23.3.2012 को परियोजना रद्द कर दी गई।		नैनीताल	बीएसयूपी के अंतर्गत नारायण नगर नैनीताल में स्लम वासियों के लिए रिहायशी इकाईयों का निर्माण और अवसंरचनात्मक कार्य				1.74
405.	उत्तराखंड	नैनीताल	बीएसयूपी के अंतर्गत दुर्गापुर और नैनीताल के लिए विस्तृत परियोजना	9.30	200	7.43	1.86
406.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में 'काठबंग्ला' स्लम) मलिन बस्ती (के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)	6.23	148	4.85	1.21
407.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में निरंजनपुर ब्रहमपुरी, फेज-II का स्लम उन्नयन हेतु डीपीआर	16.67	421	13.06	3.26

1	2	3	4	5	6	7	8
408.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में निरंजनपुर ब्रहपुरी, फेज-I का स्लम उन्नयन	11.15	240	8.76	2.19
409.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में रामनगर स्लम) मलिन बस्ती (के लिए विस्तृत बीएसयूपी डीपीआर)	11.60	224	8.54	2.13
410.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य 'खाला बस्ती' स्लम मलिन (के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)	3.73	80	2.91	0.73
411.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में रोटरी कस्थ्रोग आश्रम, के लिए विस्तृत बीएसपीएस डीपीआर	1.63	34	1.16	0.58
412.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में शांती कुष्ठ आश्रम, के लिए विस्तृत बीएसयूपी डीपीआर	1.37	28	1.10	0.82
413.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्यों में राम मंदिर कुष्ठ आश्रम, (मलिन बस्ती), के लिए विस्तृत बीएसयूपी डीपीआर	1.64	27	1.12	0.56
414.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में चच्छा नगर स्लम (मलिन बस्ती), के लिए विस्तृत बीएसयूपी डीपीआर	8.60	160	6.55	1.64
415.	उत्तराखंड	हरिद्वार	देहरादून, उत्तराखंड राज्य में पाण्डेवाला, हरिद्वार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	3.62	96	2.90	2.17
416.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल, आसनसोल शहरी क्षेत्र, आसनसोल में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	88.95	4000	44.47	33.34
417.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	बीएसयूपी घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए कम लागत पर आवास	33.79	1371	16.09	4.02
418.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल-कुलटी	कुलटी आसनसोल, में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा स्कीम (संशोधित)	17.49	1024	8.22	5.44

1	2	3	4	5	6	7	8
419.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल-कुलटी-II	कुल्टी (फेज-II) (पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम)	49.73	1937	24.87	12.43
420.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, आसनसोल	असानसोल दुर्गापुर, नगर निगम, पश्चिम बंगाल में दुर्ग्रापुर में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	106.02	4000	53.01	53.01
421.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल (जमुरीया)	जमुरिया, फेज-I, के लिए बीएसयूपी स्कीम	18.00	1057	8.19	4.09
422.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल (जमुरीया फेज-II)	जमुरिया, फेज-II, आसनसोल, शहरी समूह के लिए बीएसयूपी स्कीम	27.81	1169	13.90	3.48
423.	पश्चिम बंगाल	जमुरिया (दुर्गापुर)	दुर्गापुर, जिला वर्धमान, आसनसोल शहरी क्षेत्र पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	11.55	400	5.77	5.77
424.	पश्चिम बंगाल	जमुरीया	आसनसोल (फेज-II), (2232) रिहायशी इकाईयों (वर्धमान, पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम)	58.16	2232	29.08	14.54
दिनांक 28.2.2012 को निरस्त की गई (सीएसएमसी की 125वीं)		आसनसोल (दुर्गापुर)	दुर्गापुर, जिला वर्धमान, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम				5.58
425.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल (फेज-III), (4626) रिहायशी इकाईयों (वर्धमान, पश्चिम बंगाल) के लिए बीएसयूपी स्कीम	130.86	4626	65.43	32.72
426.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर (फेज-IV), कोलकाता	दुर्गापुर (फेज-IV), जिला वर्धमान, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	35.78	912	17.89	4.47
427.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बरूईपुर)	बरूईपुर (कोलकाता मेट्रोपोलिटन एरिया) पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	10.08	543	4.85	4.85
428.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (कमरहाटी)	कमरहाटी (कोलकाता) पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए (संशोधित) बीएसयूपी स्कीम	32.39	1738	16.15	10.19

1	2	3	4	5	6	7	8
429.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बिधाननगर)	विधाननगर (फेज-II) नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	13.58	500	6.79	1.70
430.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"सेनपल्ली (सरदार बस्ती) के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट	2.10	36	1.02	0.26
431.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"महेन्द्र राय लेन के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	17.67	300	8.49	2.12
432.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"धारापारा के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	7.43	112	3.54	0.89
433.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"चेराहाट के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1.72	16	0.83	0.21
434.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"केनाल साऊथ रोड के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	30.00	500	14.47	3.62
435.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बल्ली)	बल्ली (फेज-II) कोलकाता मेट्रोपोलिटन एरिया, हावड़ा पश्चिम बंगाल कस्बे के लिए बीएसयूपी	32.44	1108	16.22	4.06
436.	पश्चिम बंगाल	बारासात, कोलकाता	बारासात (फेज-I) कोलकाता पश्चिम बंगाल में 3 स्लमों का पुनर्वास	14.38	868	6.54	4.90
437.	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर, कोलकाता	बैरकपुर (फेज-I) कोलकाता पश्चिम बंगाल में 16 स्लमों का पुनर्वास	14.48	740	6.58	4.94
438.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बैरकपुर-II)	बैरकपुर फेज-II पश्चिम बंगाल कस्बा के लिए बीएसयूपी स्कीम	35.04	1434	17.52	8.76
439.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता दानकुनी (फेज-I)	दानकुनी फेज-I हुगली पश्चिम बंगाल कस्बा के लिए बीएसयूपी स्कीम	76.31	1499	38.16	9.54

1	2	3	4	5	6	7	8
440.	पश्चिम बंगाल	रिशरा (फेज-I), कोलकाता	रिशरा (फेज-I), कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1 स्लम का पुनर्वास	2.40	128	1.09	1.09
441.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (फेज-II),	रिशरा फेज-II पश्चिम बंगाल कस्बा के लिए बीएसयूपी स्कीम	41.29	1643	20.65	15.48
442.	पश्चिम बंगाल	हाबड़ा, कोलकाता	हाबड़ा (फेज-I), कोलकाता पश्चिम बंगाल में 16 स्लमों के पुनर्वास	64.04	3248	29.11	7.28
443.	पश्चिम बंगाल	राजरहाट गोपालपुर, कोलकाता	राजरहाट, गोपालपुर (फेज-I), कोलकाता पश्चिम बंगाल में 9 स्लमों का पुनर्वास	18.85	973	8.57	6.43
444.	पश्चिम बंगाल	राजपुर, सोनापुर कोलकाता	राजपुर, सोनापुर (फेज-I), कोलकाता पश्चिम बंगाल में 15 स्लमों का पुनर्वास	48.90	2135	22.23	16.67
445.	पश्चिम बंगाल कोकाता	साऊथ दमददम	साऊथ दमदम (फ़ेज-I), कोलकाता पश्चिम बंगाल में 4 स्लमों का पुनर्वास	11.10	585	5.04	1.26
446.ए	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (कुमोरतुली कोलकाता का भाग)	कुमोरतुली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्लम का पुनर्वास	18.47	524	5.91	1.48
446.बी	पश्चिम बंगाल	कुमोरतुली कोलकाता का भाग (अतिरिक्त)	कुमोरतुली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्लम का पुनर्वास	8.33	0	4.17	1.04
446.सी	पश्चिम बंगाल	कुमारतुली ट्रांसिट एससीओ, (अतिरिक्त)	कोलकाता मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण द्वारा रविन्द्र सरानी, कोलकाता में जेएनएनयूआरएम के एसयूपी स्कीम के अंतर्गत कुमारतुली के आरटीशन के लिए कुमारतुली (अस्थायी आवास) का पुनर्वास परियोजना	6.08	200	3.04	1.52
447.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (न्यू बैरकपुर)	न्यू बैरकपुर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में बीएसयूपी के अंतर्गत स्लम विकास कार्यक्रम	54.15	2191	27.08	13.54

1	2	3	4	5	6	7	8
448.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी (फेज-I), कोलकाता	कल्याणी (फेज-I) कोलकाता में 13 स्लमों का पुनर्वास	17.80	899	8.90	8.90
449.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (चेताला कोलकाता का भाग)	चेताला आवासीय परियोजना कोलकाता में स्लम पुनर्वास	8.24	416	3.82	1.91
450.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता चंदननगर (फेज-I)	चंदननगर (फेज-I) कोलकाता में 47 स्लमों का पुनर्वास	39.13	1905	19.56	19.56
451.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता गायसपुर-कोलकाता का भाग)	गायसपुर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्लम का सुधार	20.03	958	10.01	10.01
452.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (गायसपुर-फेज-II	गायसपुर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	70.15	2485	35.07	26.31
453.	पश्चिम बंगाल	खरदा, कोलकाता,	खरदा पश्चिम बंगाल में कस्बे के लिए (संशोधित) बीएसयूपी सीम	16.55	1246	8.13	4.72
454.	पश्चिम बंगाल	नानदंगा, कोलकाता	नानदंगा आवासीय परियोजना पश्चिम बंगाल	41.72	2848	20.86	20.86
455.	पश्चिम बंगाल	भाद्रेश्वर, कोलकाता	भाद्रेश्वर पश्चिम बंगाल कस्बे के लिए संशोधित बीएसयूपी स्कीम	62.62	4110	28.75	19.24
456.	पश्चिम बंगाल	भाटपारा, कोलकाता	भाटपारा नगरपालिका क्षेत्र भाटपारा, (फेज-I) 6 स्लम पश्चिम बंगाल में स्लमों का समेकित विकास	17.91	797	8.96	6.72
457.	पश्चिम बंगाल	भाटपारा (फेज-II) कोलकाता	भाटपारा (फेज-II) नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	69.56	1947	34.78	17.39
458.	पश्चिम बंगाल	भाटपारा नगरपालिका (फेज-I) कोलकाता	भाटपारा नगरपालिका (फेज-III) के 8 स्लमों में 1034 रिहायशी इकाइयों (स्व-स्थाने) के निर्माण हेतु बीएसयूपी परियोजना	43.19	1034	21.59	5.40

1	2	3	4	5	6	7	8
459.	पश्चिम बंगाल	भाटपारा नगरपालिका (फेज-IV) कोलकाता	भाटपारा नगरपालिका (फेज-IV) के 5 स्लमों में 799 रिहायशी इकाइयों (स्व-स्थाने के निर्माण हेतु बीएसयूपी परियोजना	38.11	799	19.06	4.76
460.	पश्चिम बंगाल	कंचरपारा, कोलकाता	कंचरपारा नगरपालिका क्षेत्र (फेज-I) 10 स्लम पश्चिम बंगाल में स्लम का समेकित विकास	18.03	787	9.01	9.01
461.	पश्चिम बंगाल	कंचनपारा (फेज-II) कोलकाता	कंचरपारा फेज-II नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	10.77	240	5.38	2.69
462.	पश्चिम बंगाल	कंचनपारा, (फेज-III) कोलकाता	कंचनपारा नगरपालिका (फेज-III) के 7 स्लमों में 1031 रिहायशी इकाइयों (स्व-स्थाने) के निर्माण हेतु बीएसयूपी परियोजना	43.33	1031	21.66	5.42
463.	पश्चिम बंगाल	नार्थ दमदम, कोलकाता	नार्थ दमदम नगरपालिका क्षेत्र (फेज-I) 6 स्लम पश्चिम बंगाल में स्लम को समेकित विकास	16.68	721	8.34	8.34
28.02.2012 को रद्द किया गया (125वीं सीएसएमसी)		चंदननगर (फेज-II) कोलकाता	चंदननगर नगरपालिका क्षेत्र फेज-II में स्लम का पुनर्स्थापन				0.65
464.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी (चरण-II), कोलकाता	कल्याणी म्यूनिसिपैलिटी एरिया, चरण-II (06 स्लमों) पश्चिम बंगाल में स्लमों का एकीकृत विकास	26.82	1412	13.41	13.41
465.	पश्चिम बंगाल	उत्तरपाड़ा कोटरूंग, कोलकाता	उत्तरपाड़ा, म्यूनिसिपैलिटी एरिया, चरण-I कोलकाता (25 स्लमों) पश्चिम बंगाल में स्लमों का एकीकृत विकास	21.67	1286	10.84	8.13
466.	पश्चिम बंगाल	अलुबेरिया, म्यूनिसिपैलिटी टी, (फेज-I) कोलकाता	अलुबेरिया, म्यूनिसिपैलिटी एरिया, चरण-I कोलकाता में स्लमों का एकीकृत विकास	42.18	2120	19.17	19.17

1	2	3	4	5	6	7	8
467.	पश्चिम बंगाल	परिहाटी म्यूनिसिपैलिटी, चरण-I कोलकाता	परिहटी कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम (संशोधित) पश्चिम बंगाल	48.30	2523	23.57	9.93
468.	पश्चिम बंगाल	कोननगर, कोलकाता	कोननगर (चरण-I), कोलकाता में 2 स्लमों का पुनर्वास	2.28	128	1.04	1.04
469.	पश्चिम बंगाल	कोननगर, कोलकाता चरण-III	कोननगर (चरण-III), हुगली, पश्चिमी बंगाल कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम संशोधित	49.30	1197	24.65	6.16
470.	पश्चिम बंगाल	बैद्यबाटी म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I) कोलकाता	बैद्यबाटी म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I), कोलकाता में 5 स्लमों का पुनर्वास	10.23	631	4.65	3.49
471.	पश्चिम बंगाल	विधान नगर म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I) कोलकाता	विधान नगर म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I), कोलकाता में 1 स्लमों का पुनर्वास	3.91	210	1.78	1.33
472.	पश्चिम बंगाल	चम्पदनी म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I) कोलकाता	चम्पदनी म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I), कोलकाता में 1 स्लमों का पुनर्वास	13.99	882	6.36	4.77
473.	पश्चिम बंगाल	चम्पदनी म्यूनिसिपैलिटी (चरण-I), कोलकाता	चम्पदनी (चरण-II) कोलकाता मैट्रो एरिया के कस्बे के लिए बीएयसूपी स्कीम	68.07	3452	34.04	17.02
474.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में शहरी गरीबों के लिए आवास का पुनर्निमाण	15.77	1280	7.89	5.92
475.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (रानीगंज)	रानीगंज (चरण-I) कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	19.24	977	8.75	4.37
476.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (रानीगंज-II)	रानीगंज (चरण-I) कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	31.12	1306	15.56	7.78

1	2	3	4	5	6	7	8
477.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (पुजाली)	पुजाली कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम (संशोधित)	17.07	1103	8.46	6.84
478.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बल्ली)	बल्ली चार स्लमों के एक स्लम में पुन:स्थापन	2.65	136	1.20	1.20
479.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (हुगली-चिनसुरा)	हुगली-चिनसुरा, कोलकाता कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	29.65	2021	13.44	10.08
480.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (हुगली-चिनसुरा)-(चरण-II)	हुगली चिनसुरा (चरण-II) कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	21.30	858	10.65	2.66
481.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (सेरामपुर)	सेरामपुर (चरण-I), 2 स्लमों का पुन:स्थापन	11.05	640	5.02	2.51
482.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (सेरामपुर) (चरण-II)	सेरामपुर (चरण-II), पश्चिम बंगाल कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	48.66	2002	24.33	18.25
483.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (सेरामपुर) (चरण-III)	सेरामपुर (चरण-III), हुगली, पश्चिम बंगाल कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	77.54	1598	38.77	9.69
484.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (महेशतला)	महेशतला (चरण-I) कस्बे के लए बीएसयूपी स्कीम	63.37	2622	28.73	21.55
485.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बज-बज)	बज-बज कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम, पश्चिम बंगाल	4.32	190	1.96	1.47
486.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बज-बज)	बज-बज चरण-II, जिला 24-परगना (दक्षिण) कोलकाता मैट्रा एरिया, पश्चिमी बंगाल हेतु बीएसयूपी स्कीम	32.76	1130	16.38	4.10
487.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बांसबेरिया)	बांसबेरिया कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	28.07	1341	12.70	12.70
488.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (नार्थ)	कोलकाता क्षेत्र में तीन कलस्टर में 29 स्लमों में उत्तर बैरकपुर के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	28.01	1526	13.32	9.99

1	2	3	4	5	6	7	8
489.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (हलीशहर)	पूर्वी बंगाल (कोलकाता क्षेत्र), 24 उत्तरी परगना हलीशहर जिले के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	57.23	4394	27.29	13.64
490.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (हलीशहर-II)	हलीशहर (फेज-II) 24 परगना (उत्तरी), पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	26.82	500	13.41	6.71
491.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एमए (हलीशहर फेस-III)	हलीशहर (फेज-III) 24 परगना (उत्तरी), पूर्वी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	98.48	2192	49.24	12.31
492.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (दम-दम)	दमदम पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	15.14	748	6.92	3.46
493.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीएसयूपी के अधीन राजरघाट, कच्छारिपारा एवं हातगछिए क्षेत्रों के स्लम के लिए एकीकृत आवास परियोजना	120.92	6480	54.97	13.74
494.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बन्सबेरिए)	बन्सबेरिए (फेज-II) पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	13.78	562	6.89	3.45
495.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (कमरहट्टी)	बीएसयूपी के अधीन कमरहट्टी (फेज-I) के स्लम निवासियों के लिए एकीकृत आवास परियोजना	7.50	256	3.75	0.94
28-02-2012 को रद्द किया गया (125वीं सीएसएमसी)		कोलकाता (उल्टादांगा)	उल्टादांगा, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम				3.53
496.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (उल्टादांगा)	1000 डीयू के लिए कोलकाता सुधार के अधीन उल्टादांगा के लिए बीएसयूपी परियोजना	47.06	1000	23.53	5.88
497.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बरानगर)	बरानगर (फेज-I), पश्चिमी बंगाल शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	4.31	202	2.16	2.16
498.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बरानगर) (फेज-II)	बरानगर (फेज-II), 24 परगना (उत्तरी), पश्चिम बंगाल	36.92	837	18.46	4.62

1	2	3	4	5	6	7	8
499.	पश्चिम बंगाल	मध्यमग्राम, कोलकाता	मध्यमग्राम पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	24.54	1253	11.86	10.02
500.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (मध्यमग्राम) फेस-II	मध्यमग्राम फेस-II, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	39.73	1435	19.87	19.87
501.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (मध्यमग्राम) फेस-III	"मध्यमग्राम फेस-III, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	75.01	1406	37.51	18.75
502.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (खरदाह)	खरदाह फेस-II, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	33.55	1330	16.78	12.58
503.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (नैहटी)	नैहटी, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	52.57	2325	26.28	13.14
504.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (आनन्दनगर)	आनन्दनगर, जलपरा एवं गार्डेन रीच पश्चिमी बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	55.84	2500	25.38	6.35
28.02.2012 को रद्द किया गया (125वीं सीएसएमसी)		कोलकाता (झारो बुस्ते)	के.एम.सी. वार्ड सं. 94, झोरो बुस्ते, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में स्लम निवासियों के लिए बीएसयूपी स्कीम				0.71
505.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बरसात, फेस-II)	बरसात, फेस-II, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	58.85	2486	29.43	22.07
506.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (कल्याणी, फेस-III)	कल्याणी (फेस-III) पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	84.04	3488	42.02	21.01
507.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (पुजिल, फेस-II)	पुजिल, (फेस-III) पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	13.01	550	6.51	3.25
508.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (राजपुर-सोनारपुर फेस-II)	राजपुर-सोनारपुर (फेस-II) पश्चिमी बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	44.48	1788	22.24	11.12

1.	2	3	4	5	6	7	8
509.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (राजपुर-सोनारपुर, फेस-III)	"1728 डीयू के लिए राजपुर-सोनारपुर नगर निगम के लिए बीएसयूपी परियोजना" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	98.53	1728	48.90	12.23
510.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (महेशतला-II)	महेशतला (फेस-II), पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	56.00	2167	28.00	14.00
511.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एमए (महेशतला, फेस-III)	महेशतला (फेस-III), 24 परगना (दक्षिण) पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	27.42	500	13.71	3.43
512.	पश्चिचन बंगाल	कोलकाता (महेशतला नगर निगम फेस-IV)	1184 डीयू के लिए महेशतला नगर निगम (फेस-IV) के लिए बीएसयूपी परियोजना	60.78	1184	30.22	7.56
513.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (उलुबेरिया, फेस-II)	उलुबेरिया (फेस-II), पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	53.69	2100	26.85	13.42
514.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (चंदेरनगोर फेस-III)	चन्देरनगोरे (फेस-III), पश्चिमी बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	30.41	1177	15.20	7.60
515.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (चंदेरनगोर, फेस-IV)	चन्देरनगोरे नगर निगम के तीन स्लमों में 154 डीयू एवं अवसंरचना विकास के स्व-स्थाने निर्माण के लिए बीएसयूपी फेस-IV	5.92	154	2.96	0.74
516.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (पमिहटि, फेस-II)	पमिहटि (फेस-II), पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	35.51	1206	17.75	8.88
517.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (राजरहाट-गोपालपुर, फेस-II)	राजरहाट-गोपालपुर (फेस-II), कोलकाता पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	57.28	2180	28.64	28.64
518.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (राजरहाट-गोपालपुर, फेस-III)	राजरहाट-गोपालपुर (फेस-III), उत्तरी 24 परगना, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	77.45	1573	38.72	19.36

1	2	3	4	5	6	7	8
519.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (राजरहाट-गोपालपुर, फेस-IV)	राजरहाट गोपालपुर (फेस-IV), उत्तरी 24 परगना, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	71.36	1469	35.68	17.84
520.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (नार्थ दमदम)	नार्थ दमदम (फेस-II), केएमए, कोलकाता के लिए बीएसयूपी स्कीम	58.13	1974	29.06	21.80
521.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (नार्थ दमदम) (फेस-III)	नार्थ दमदम (फेस-III), 24 परगना (उत्तरी), पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी स्कीम के अधीन स्लमों का एकीकृत विकास	90.55	2000	45.27	11.32
522.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बरीपुर)	बरीपुर (फेस-II), केएमए, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	55.84	1982	27.92	13.96
523.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बरीपुर)	बरीपुर (पुन:स्थापना), केएमए, कोलकाता पश्चिमी बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	2.66	78	1.33	0.33
524.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (गरूलिआ एमए)	गरूलिया (कोलकाता एमए), पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	32.76	1120	16.38	12.28
525.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (कोननगर एमए)	कोननगर (कोलकाता एमए), कोलकाता, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	12.61	428	6.31	4.73
	28.03.12 को रद्द किया गया	कोलकाता (कोननगर पुनर्स्थापन)	कोलकाता (पुनर्स्थापन) के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल				40.22
526.	पश्चिम बंगाल	(टीटागढ़ नगर निगम) कोलकाता म्युनिसिपल टी एरिया	"बीएसयूपी-जेएनएनयूआरएम के अधीन टीटागढ़ नगर निगम क्षेत्र, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल के लिए 17 स्लमों में शहरी गरीब के लिए आधारभूत सेवाओं" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	43.81	899	21.90	5.48
527.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (टीटागढ़)	टीटागढ़, (फेस-I), 24 परगनाओं (नार्थ), कोलकाता, पश्चिमी बंगाल के शहर के लिए बीएसयूपी स्कीम	16.74	562	8.37	8.37
	कुल	65 शहर		29875.81	1010789	14757.58	8895.20

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) अनुमोदित कुल परियोजनाएं

27.12.2012 तक की स्थिति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कस्बों/स्थानीय शहरी निकायों की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (एन+यू)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंशदान	जारी किया गया केन्द्रीय अंशदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	56	74	989.68	39945	677.30	629.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	9.95	176	8.96	4.48
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	15.15	40	13.64	5.53
4.	असम	16	16	84.99	8668	70.22	35.11
5.	बिहार	28	32	757.89	28623	380.79	211.89
6.	छत्तीसगढ़	17	18	225.60	17922	158.83	118.31
7.	दादरा और नगर हवेली	1	2	5.74	144	3.34	1.67
8.	दमन और दीव	1	1	0.69	16	0.58	0.29
9.	गोवा	1	1	4.10	70	1.40	0.70
10.	गुजरात	43	44	425.71	26002	254.65	195.17
11.	हरियाणा	15	25	318.42	16611	244.89	153.86
12.	हिमाचल प्रदेश	8	9	75.11	2043	50.09	24.39
13.	जम्मू और कश्मीर	37	50	147.60	7623	107.41	71.66
14.	झारखंड	10	10	217.93	11544	131.33	65.66

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	कर्नाटक	32	34	410.30	17237	222.56	218.60
16.	केरल	45	53	273.32	26295	201.60	149.49
17.	मध्य प्रदेश	53	56	376.28	22998	257.43	136.43
18.	मिजोरम	9	11	56.07	2550	41.05	29.78
19.	राजस्थान	59	67	1046.61	46437	639.20	373.21
20.	मेघालय	3	3	41.48	912	22.43	11.21
21.	मणिपुर	7	7	70.21	4214	52.20	32.35
22.	महाराष्ट्र	91	127	2558.87	109612	1604.11	863.13
23.	नागालैंड	4	4	101.86	3431	60.99	29.92
24.	ओडिशा	35	38	289.50	13097	194.53	124.16
25.	पंजाब	11	16	340.12	10909	145.64	72.82
26.	पुदुचेरी	1	1	17.03	432	5.48	2.74
27.	सिक्किम	1	1	19.91	39	17.92	8.96
28.	तमिलनाडु	93	94	566.11	37715	400.45	359.50
29.	त्रिपुरा	5	5	43.64	3115	38.05	34.55
30.	उत्तर प्रदेश	143	164	1325.10	47399	846.08	683.22
31.	उत्तराखंड	19	22	177.55	5410	97.92	65.55
32.	पश्चिम बंगाल	81	95	944.36	52666	709.02	646.36
	कुल	927	1083	11936.91	563807	7660.08	5376.67

130वीं सीएसएमसी बैठक दिनांक 14.09.2012 तक अनुमोदित परियोजनाएं।

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

27.11.2012 के अनुसार
(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	शहर/कस्बों की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (एन + यू)	कुल केन्द्रीय अंश	कुल जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	अदोनी (संशोधित)	1	4.75	0	3.80	3.80
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	अनकपल्ले (चरण-1)	1	1.65	384	1.23	0.92
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	अनकपल्ले (चरण-2) (संशोधित)	1	3.50	0	2.80	2.80
4.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	बापतला-अवसंरचना (संशोधित)	1	8.32	0	6.10	6.10
5.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	बीमुनिपत्नम (संशोधित)	1	3.39	0	2.72	2.72
6.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	बोधन जिला आदिलाबाद (संशोधित)	1	5.74	0	4.60	4.60
7.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	भुवनगिरी अवसंरचना (संशोधित)	1	10.80	0	8.64	8.88
8.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	चिलकलुरिपेत (संशोधित)	1	15.38	0	12.00	12.00
9.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	चिरल	1	3.52	0	2.82	2.82
10.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	चित्तोर	1	4.22	0	3.38	3.38
11.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	धोले जिला कुरनूल (संशोधित)	1	1.12	0	0.89	1.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	गडवाला (चरण-1) (संशोधित)	1	8.30	513	5.00	3.92
13.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	गडवाल अवसंरचना (चरण-2) (संशोधित)	1	3.88	0	2.84	1.42
14.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	गुडुर (संशोधित)	1	17.84	1536	9.53	9.61
15.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	गुंटूर अवसंरचना चरण-1	1	19.83	0	15.86	11.90
16.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	गुंटूर सिटी (चरण-2) (संशोधित)	1	47.45	2432	24.47	16.24
17.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	इंदिरा प्रियदर्शिनिन कालोनी, रजम्पेत (संशोधित)	1	5.63	510	4.50	1.47
18.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	जनगांव (संशोधित)	1	14.11	0	11.29	12.80
19.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कुडप्पा-बुग्ग वंक (चरण-1) (संशोधित)	1	6.94	600	5.55	2.83
20.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कडप्पा-मृत्युजंय कटा वंक (चरण-2) (संशोधित)	1	8.18	534	6.54	3.05
21.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कडप्पा अवसंरचना चरण-3 (संशोधित)	1	9.38	0	7.51	8.95
22.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कडप्पा आजाद नगर कालोनी चरण-4 (संशोधित)	1	2.23	0	1.78	1.86
23.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कडप्पा मामिलापल्ली हाउसिंग कालोनी चरण-5 (संशोधित)	1	5.84	0	4.67	5.00
24.	आंध्र प्रदेश		काकीनाडा (दुमुलपेट चरण-1) (संशोधित)	1	10.70	662	6.32	6.69
25.	आंध्र प्रदेश	इंस्ट गोदावरी	काकीनाडा नेल्लोर चरण-2 (संशोधित)	1	11.79	0	8.51	6.38
26.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा शहर चरण-3 (संशोधित)	1	67.56	3120	28.59	11.87
27.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	करीमनगर (संशोधित)	1	27.11	2304	21.69	17.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	कवली (चरण-1) (संशोधित)	1	1.53	0	1.22	1.22
29.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	कवली (चरण-2) (संशोधित)	1	4.33	0	3.46	3.46
30.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	खम्माम (पोलेपल्ले) (संशोधित)	1	11.78	1118	9.17	4.29
31.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	कोठगुडम (संशोधित)	1	9.37	938	7.50	7.50
32.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल (चरण-1) (संशोधित)	1	21.24	2112	16.99	16.99
33.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल (चरण-2) (संशोधित)	1	18.55	0	14.84	7.91
34.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	मचेर्ल (संशोधित)	1	16.81	0	11.99	11.99
35.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मचिलिपत्नम (संशोधित)	1	9.17	0	7.34	3.85
36.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	मदनपल्ले (संशोधित)	1	4.29	0	3.43	3.80
37.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	महबूबनगर (चरण-1) (संशोधित)	1	9.36	525	7.48	3.86
38.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	महबूबनगर अवसंरचना (चरण-2) (संशोधित)	1	12.22	0	9.78	10.83
39.	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	मंचेरियल अवसंरचना	1	15.49	0	11.82	12.52
40.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	मिर्यलगुद, चरण-1 (संशोधित)	1	11.69	986	6.20	6.20
41.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	मिर्यलगुद अवसंरचना चरण-2 (संशोधित)	1	14.50	0	11.60	11.60
42.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	नलगोंडा (चरण-1) (संशोधित)	1	4.99	401	2.71	1.35
43.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	नलगोंडा, अवसंरचना, (चरण-2) (संशोधित)	1	12.28	0	9.82	10.87
44.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	नरसारापेट अवसंरचना (संशोधित)	1	19.67	0	15.68	15.68
45.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	नारायणपेट (संशोधित)	1	12.58	0	10.07	10.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	निर्मल (संशोधित)	1	10.26	0	8.21	4.45
47.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	निजामाबाद (संशोधित)	1	9.48	1020	7.55	5.66
48.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	ओंगोले	1	2.84	0	2.27	2.27
49.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	पल्वंच टाउन जिला, खम्माम	1	4.50	0	3.60	2.50
50.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	पेड्डापुरम (संशोधित)	1	28.18	1416	15.41	15.98
51.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	पोन्नुर (संशोधित)	1	13.27	0	10.62	10.62
52.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	पुलिवेंदुल (संशोधित)	1	14.69	0	11.75	11.75
53.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	प्रोड्डातुर कदप (संशोधित)	1	18.12	1500	12.84	12.85
54.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	रजह्मुंद्रय सिटी (चरण-1) (संशोधित)	1	40.17	3023	24.52	19.23
55.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	रजह्मुंद्रय सिटी (चरण-2) (संशोधित)	1	58.74	2832	29.40	12.44
55.	आंध्र प्रदेश	मेडक	रमचंद्र पुराम (संशोधित)	1	9.62	720	5.84	4.61
57.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	रायचोटी (संशोधित)	1	11.96	1013	9.57	5.67
58.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	रेपल्ले जिला गुंटूर (संशोधित)	1	5.82	0	4.65	5.00
59.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	समल्कोत (चरण-1) (संशोधित)	1	13.02	912	8.30	6.47
60.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	समल्कोत टाउन (चरण-2) (संशोधित)	1	19.79	888	9.58	9.30
61.	आंध्र प्रदेश	मेडक	सांगरेड्डी जिला मेडक (संशोधित)	1	7.35	480	3.96	3.41
62.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	सत्तेनपल्लि (संशोधित)	1	14.10	0	11.14	11.14
63.	आंध्र प्रदेश	मेडक	सिपिट	1	3.97	0	3.18	3.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	सिरिचिल्ला (संशोधित)	1	13.22	1111	10.57	4.33
65.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा	सुर्यपेठ (चरण-1) (संशोधित)	1	18.50	1556	9.82	4.98
66.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा	सूर्यपेठ अवसंरचना चरण-2 (संशोधित)	1	21.18	0	16.94	18.62
67.	आंध्र प्रदेश	रंगरेड्डि	तंडुरू (संशोधित)	1	12.75	0	10.20	11.06
68.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	तेनाली जिला गुंटूर (संशोधित)	1	5.16	0	4.13	4.13
69.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	तिरुपति (चरण-1) (संशोधित)	1	55.36	4087	37.75	37.75
	28.3.2012 को परियोजना रद्द कर दी गई	चित्तूर	तिरुपति (चरण-2)					12.83
	28.3.2012 को परियोजना रद्द कर दी गई	चित्तूर	तिरुपति (चरण-3)					9.19
	दिनांक 20.01.2012 की सीएसी की 112वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	चित्तूर	तिरुपति (पडीपेटा एवं अवीला) चरण-4					36.29
70.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	विनुकोंडा (संशोधित)	1	14.71	0	11.75	11.75
71.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	वनपर्थी (चरण-1) (संशोधित)	1	3.60	384	2.79	2.85
72.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	वनपथ्य-इंफ्रास्ट्राक्चर चरण-2 (संशोधित)	1	11.74	0	9.39	9.39
73.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	वायलनाडू, जिला खम्माम	1	2.86	0	2.29	1.14
74.	आंध्र प्रदेश	मेडक	जेडएएचआईआरएबीएडी, मेडक (आरइवीआईएसइडी)	1	5.71	323	4.57	3.84
	कुल		56	74	989.68	39945	677.30	629.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंदमंस	पोर्ट ब्लेयर	1	9.88	0	8.90	3.16
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंदमंस	पोर्ट ब्लेयर	1	5.27	40	4.74	2.37
	कुल		1	2	15.15	40	13.64	5.53
1.	अरुणाचल प्रदेश	दिबंग वल्लेय	रोइंग टाउन		9.95	176	8.96	4.48
	कुल		1	1	9.95	176	8.96	4.48
1.	असम	करीमगंज	बदरपुर	1	1.23	56	1.11	0.55
2.	असम	कर्बी अंगलोंग	बोकजन	1	10.49	1010	8.61	4.30
3.	असम	नौगांव	धिंग	1	3.00	790	2.57	1.28
4.	असम	धुब्री	धुब्री	1	5.46	99	4.68	2.34
5.	असम	गोलाघाटा	गोलाघाट	1	3.59	839	3.08	1.54
6.	असम	नौगांव	कमपुर टाउन	1	1.81	384	1.55	0.78
7.	असम	कोकराझार	कोकराझार	1	17.92	1301	13.73	6.87
8.	असम	करीमगंज	करीमगंज	1	5.55	458	4.99	2.50
9.	असम	नौगांव	लंक	1	2.66	409	2.28	1.14
10.	असम	दरंग	मंगलादोइ	1	3.85	949	3.30	1.65
11.	असम	नौगांव	नौगांव	1	14.38	802	11.48	5.74
12.	असम	नलबाड़ी	नलबाड़ी	1	2.94	201	2.52	1.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	असम	कम्रुप	पलश्बरि	1	2.07	108	1.76	0.88
14.	असम	बरपेटा	सर्थेबरि टाउन	1	1.62	260	1.39	0.70
15.	असम	नलबाड़ी	थिउ	1	3.89	162	3.29	1.65
16.	असम	तिनसुकिया	तिनसुकिया	1	4.52	840	3.88	1.94
	कुल		16	16	84.99	8668	70.22	35.11
1.	बिहार	भोजपुर	आरा	1	31.22	754	15.06	7.53
2.	बिहार	अररिया	अररिया सिटी	1	21.26	728	11.13	5.56
3.	बिहार	औरंगाबाद	औरंगाबाद	1	3.08	247	2.43	2.43
4.	बिहार	बाढ़	बाढ़ फेस-1	1	34.66	1154	15.42	7.71
5.	बिहार	बाढ़	बाढ़ फेस-2	1	20.30	500	10.69	5.34
6.	बिहार	किशनगंज	बदरपुरगंज	1	5.00	294	3.63	3.63
7.	बिहार	सीतामढ़ी	बेल्संद	1	50.55	1487	20.87	10.43
8.	बिहार	बेगुसराय	बेगुसराय	1	24.50	853	15.86	7.93
9.	बिहार	भागलपुर	भागलपुर	1	16.56	1188	11.72	11.72
10.	बिहार	नालंदा	बिहारशरीफ	1	24.54	810	16.08	16.08
11.	बिहार	गया	गया	1	44.59	1747	19.18	0.00
12.	बिहार	अररिया	फर्बेसगंज	1	21.53	870	9.02	4.51
13.	बिहार	जमुई	जमुई	1	25.30	960	11.17	5.58
14.	बिहार	अररिया	जोगबनी	1	12.71	321	6.64	3.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	बिहार	मुजफ्फरपुर	कांति	1	3.20	143	2.56	2.56
16.	बिहार	किशनगंज	किशनगंज (फेस-1)	1	12.02	552	8.74	8.74
17.	बिहार	किशनगंज	किशनगंज (फेस-2)	1	30.55	1255	12.62	6.31
18.	बिहार	मधेपुरा	मधेपुरा (फेस-1)	1	12.43	319	6.44	3.22
19.	बिहार	मधेपुरा	मधेपुरा (फेस-2)	1	20.32	776	9.99	4.99
20.	बिहार	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	1	5.44	520	4.29	4.29
21.	बिहार	पटना	मोकमा	1	69.54	1950	34.25	17.13
22.	बिहार	मुंगेर	मुंगेर	1	20.19	868	8.55	4.28
23.	बिहार	पटना	नौबतपुर	1	49.07	1500	22.21	11.11
24.	बिहार	औरंगाबाद	नबीनगर	1	43.67	1277	21.70	10.85
25.	बिहार	पश्चिम चम्पारन	नरकटियागंज	1	3.84	300	2.93	1.46
26.	बिहार	पुर्णिया	पुर्ने (फेस-1)	1	14.90	1487	10.83	10.83
27.	बिहार	पुर्णिया	पुर्ने (फेस-2)	1	50.87	1615	22.65	11.33
28.	बिहार	समस्तीपुर	रोसड़ा	1	14.32	1562	10.76	5.38
29.	बिहार	सहरसा	सहरसा	1	19.33	820	8.84	4.42
30.	बिहार	शेखपुरा	शेखपुरा	1	2.38	207	1.87	1.87
31.	बिहार	सुपौल	सुपौल	1	7.99	207	4.12	2.06
32.	बिहार	किशनगंज	ठाकुरगंज	1	42.04	1352	18.54	9.27
	कुल		28	32	757.89	28623	380.79	211.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	अभनपुर	1	2.61	210	1.92	1.92
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बलोद	1	2.58	200	1.91	1.91
3.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बेमतारा	1	2.58	200	1.91	1.911
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	भाटपाड़ा	1	4.98	450	3.62	3.62
5.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	भिल्लै	1	12.16	1168	8.79	8.79
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर (फेस-1)	1	17.85	1344	12.13	9.10
7.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर (फेस-2)	1	79.33	6492	53.08	39.81
8.	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव	रोंगरगांव	1	7.99	480	6.01	3.00
9.	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव	दोंगरगढ़	1	2.58	200	1.91	1.43
10.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	दुर्ग	1	18.14	1638	13.20	13.20
11.	छत्तीसगढ़	बस्तर	जगदलपुर	1	9.02	880	6.51	6.51
12.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	जमुल	1	2.95	228	2.18	2.18
13.	छत्तीसगढ़	कवर्धा	कवर्धा	1	15.63	1032	11.68	5.84
14.	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव	खैरगर्ह	1	7.52	492	5.62	2.81
15.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	कुम्हरि	1	3.40	320	2.46	2.46
16.	छत्तीसगढ़	धमतरी	कुरूड़	1	2.38	204	1.74	1.74
17.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	रायगढ़	1	15.93	1312	10.65	5.32
18.	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1	17.97	1072	13.52	6.76
	कुल		17	18	225.60	17922	158.83	118.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	सिल्वसा (फेस-1)	1	0.50	0	0.45	0.23
2.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	सिल्वसा (फेस-2)	1	5.24	144	2.89	1.45
	कुल		1	2	5.74	144.00	3.34	1.67
1.	दमन और दीव	दमन	दमन	1	0.69	16	0.58	0.29
	कुल		1	1	0.69	16	0.58	0.29
1.	गुजरात	अमरेली	अमरेली (संशोधित)	1	3.39	281	2.40	3.65
2.	गुजरात	आनंद	अंक्लव (संशोधित)	1	5.61	416	4.31	3.86
3.	गुजरात		आनंद	1	11.64	464	6.16	3.08
4.	गुजरात	अमरेली	बगसर (संशोधित)	1	5.28	376	3.62	3.69
5.	गुजरात	आनंद	बोरिअवि	1	8.33	611	4.40	4.40
6.	28.3.2012 को रद्द की गई परियोजना	भावनगर	भावनगर					5.41
7.	गुजरात	जुनागढ़	चोर्वद	1	28.17	1088	15.78	7.89
8.	गुजरात	सुरेंद्रनगर	चोटिला	1	5.61	240	3.17	1.59
9.	गुजरात		देहगम	1	7.45	256	4.45	2.23
10.	गुजरात	दोहद	दाहोद	1	12.32	480	8.01	4.01
11.	गुजरात	अहमदाबाद	धंदुक (संशोधित)	1	1.33	96	0.72	3.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	28.3.2012 को रद्द की गई परियोजना	वलसाड़	धरमपुर					0.58
13.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	धरंगधरा	1	6.11	564	4.85	4.85
14.	गुजरात	राजकोट	गोंदल	1	18.68	1775	14.46	14.46
15.	गुजरात	पंचमहल	हलोल	1	6.09	446	4.87	2.44
16.	गुजरात	सुरेंद्रनगर	हलवाड	1	14.86	828	9.82	4.91
17.	गुजरात	सबरकंथ	हिम्मतनगर	1	15.20	1296	9.82	4.91
18.	गुजरात		इंदर	1	24.72	1056	13.99	6.99
19.	गुजरात	जामनगर	जामनगर	1	10.06	864	7.33	5.50
20.	गुजरात	जामनगर	जामनगर एमसी (स्कीम 18631) यूएनडीइआर वम्बय	1	3.31	254	0.51	0.51
21.	गुजरात	राजकोट	जेतपुर (संशोधित)	1	14.10	963	9.41	8.07
22.	गुजरात		कोदिनर	1	13.76	512	7.92	3.96
23.	गुजरात	पोरबंदर	कुतिअन	1	11.90	608	6.73	3.37
24.	गुजरात	वडोदरा	कर्जन	1	12.28	512	6.52	3.26
25.	गुजरात	गांधीनगर	कालोल	1	5.97	400	4.03	2.02
26.	गुजरात	महेसाना	कदि	1	14.06	664	8.62	4.31
27.	28.3.2012 को रद्द की गई परियोजना	आनंद	खमबात					2.35
28.	गुजरात	सुरेंद्रनगर	लिम्दि	1	5.18	384	2.95	1.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	गुजरात	भावनगर	महुवा	1	6.66	500	3.65	1.83
30.	28.3.2012 को रद्द की गई परियोजना	कच्छ	मांडवी					6.58
31.	गुजरात	साबरकंठा	मोदस (संशोधित)	1	3.69	240	2.09	4.88
32.	गुजरात	राजकोट	मोर्बि	1	27.52	1008	15.53	7.76
33.	गुजरात	नवसारी	नवसारी (संशोधित)	1	5.48	368	3.71	4.96
34.	गुजरात	नवसारी	नवसारी एमसी (स्कीम 18794) यूएनडीइआर वम्बय	1	2.27	387	0.77	0.77
35.	गुजरात		पाडरा	1	4.14	168	2.25	1.12
36.	गुजरात	पाटन	पाटन (संशोधित)	1	3.20	240	2.31	4.57
37.	गुजरात	आनंद	पेल्लद (संशोधित)	1	5.21	224	3.28	4.10
38.	गुजरात	सबरकंठा	प्रांतिज	1	5.09	449	3.45	1.72
39.	गुजरात	राजकोट	राजकोट एमसी (स्कीम 18881) यूएनडीइआर वम्बय	1	11.60	1160	2.90	2.90
40.	गुजरात	पंचमहल	संत्रमपुर	1	5.38	272	3.05	1.53
41.	गुजरात	सूरत	सोंगध	1	11.54	784	7.16	3.58
42.	28.3.2012 को रद्द की गई परियोजना	आनंद	उम्रेथ					3.75
43.	गुजरात	जूनागढ़	उना (संशोधित)	1	10.76	1008	7.75	4.84
44.	गुजरात	महेसाना	उंच	1	9.40	624	5.55	5.55
45.	गुजरात	राजकोट	उपलेता	1	5.62	396	3.47	1.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा एमसी (स्कीम 18020) उंदेर वम्बय	1	0.88	86	0.22	0.22
47.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा एनओ (संशोधित) (स्कीम 18021) यूएनडीइआर वम्बय	1	5.76	768	1.92	1.92
48.	गुजरात	जुनागढ़	वीरवाल-पाटन	1	24.01	960	13.28	6.64
49.	गुजरात	वलसाड	वलसाड	1	12.10	926	7.47	3.73
	28.3.2012 को रद्द की गई परियोजना	वलसाड	वापी					3.59
	कुल	43		44	425.71	26002	254.65	195.17
1.	गोवा	दक्षिण गोवा	चुंचोलिम	1	4.10	70	1.40	0.70
	कुल	1		1	4.10	70	1.40	0.70
1.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	बद्दि	1	14.75	480	8.91	4.45
2.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	धर्मशाला	1	9.42	328	6.62	3.31
3.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	हमीरपुर	1	4.43	152	3.41	1.71
4.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	नालागढ़	1	5.47	128	3.75	1.88
5.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	पर्वनू	1	11.68	192	8.22	4.11
6.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	सुंदरनगर	1	9.99	208	6.63	3.32
7.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	सर्कघत (फेज-1)	1	7.39	130	5.08	2.54
8.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	सर्कघत (फेज-2)	1	2.39	89	1.30	
9.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	सोलन	1	9.58	336	6.16	3.08
	कुल	8		9	75.11	2043	50.09	24.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला सिटी (फेज-1)	1	15.40	495	12.32	12.32
2.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला सिटी (फेज-2)	1	5.94		4.70	2.35
3.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला सदर (फेज-1)	1	11.41	423	9.13	9.13
4.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला सदर (फेज-2)	1	6.15		4.87	2.44
5.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला-बंधू नगर					1.27
6.	हरियाणा	अम्बाला	नारायणगढ़ (एएमबीएएलए) पीएचएएसई-आई	1	7.19	611	5.76	5.76
7.	हरियाणा	अम्बाला	नारायणगढ़ फेज-2	1	5.19		4.11	2.05
8.	हरियाणा	भिवानी	भिवानी	1	28.92	1679	23.14	23.14
9.	हरियाणा	भिवानी	दद्रि	1	12.11	605	9.69	9.69
10.	हरियाणा	हिसार	हिसार (फेज-1)	1	26.81	1360	18.95	9.48
11.	हरियाणा	हिसार	हिसार (फेज-2)	1	17.93	195	12.88	0.00
12.	हरियाणा	यमुनानगर	जगाधरी (फेज-1)	1	26.52	968	18.80	18.80
13.	हरियाणा	यमुनानगर	जगाधरी (फेज-2)	1	5.94	0	4.76	2.38
14.	हरियाणा	झज्जर	झज्जर	1	8.07	431	5.73	2.86
15.	हरियाणा	जींद	जींद	1	18.67	933	14.93	7.47
16.	हरियाणा	पंचकुला	कालका पीएचएएसइ-आई	1	2.59	130	2.07	1.04
17.	हरियाणा	पंचकुला	कालका पीएचएएसइ-इइ	1	0.98	0	0.71	0.36
18.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	लदवा	1	3.56	200	2.85	1.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला (पीएचएएसइ-आई)	1	21.52	2388	17.22	8.61
20.	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला (पीएचएएसइ-आईआई)	1	22.09	2449	17.67	8.84
21.	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला (पीएचएएसइ-आईआई)	1	22.16	2457	17.73	8.86
22.	हरियाणा	पंचकुला	पिंजोर (पीएचएएसइ-आई)	1	3.79	150	3.03	1.51
23.	हरियाणा	पंचकुला	पिंजोर (पीएचएएसइ-इइ)	1	0.83	0	0.60	0.30
24.	हरियाणा	रेवाड़ी	रेवाड़ी	1	27.09	485	19.20	19.20
25.	हरियाणा	यमुनानगर	यमुनानगर (पीएचएएसइ-आई)	1	11.20	652	8.96	4.48
26.	हरियाणा	यमुनानगर	यमुनानगर (पीएचएएसइ-इइ)	1	6.37	0	5.10	2.55
	कुल		15	25	318.42	16611	244.89	166.29
1.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	अनंतनाग	1	3.47	53	3.08	3.08
2.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	बंदिपोर	1	5.16	413	3.35	3.35
3.	जम्मू और कश्मीर	डोडा	बनिहल	1	4.13	57	3.11	2.33
4.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	बारामूला (पीएचएएसइ-आई)	1	8.40	672	5.44	2.72
5.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	बारामूला (पीएचएएसइ-आईआई)	1	3.47	0	3.12	1.56
6.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	बशोली	1	4.64	592	3.34	2.51
7.	जम्मू और कश्मीर	डोडा	बतोते	1	3.57	114	3.02	2.26
8.	जम्मू और कश्मीर	बदगाम	बुद्रम (एचओयूएसआईएनजी)	1	1.06	85	0.69	0.69
9.	जम्मू और कश्मीर	बुद्रम	बुद्रम (आईएनएफआरएएसटीआरयूसीटीयूआरइ)	1	0.75	0	0.67	0.34
10.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	चेननि	1	2.38	103	1.77	0.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	उरि	1	1.55	51	1.21	0.60
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	अर्निअ	1	2.81	124	2.08	1.04
13.	जम्मू और कश्मीर	डोडा	भदेर्वह	1	2.45	103	1.83	0.91
14.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	बील्लावर	1	3.53	175	2.54	1.27
15.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	चक मलाल	1	2.12	92	1.57	0.78
16.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	दूरु वेरिनग	1	2.49	82	1.94	0.97
17.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	कलकोते	1	3.34	140	2.49	1.25
18.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	कोकेर्नग	1	2.63	83	2.07	1.03
19	जम्मू और कश्मीर	लेह	लेह	1	9.85	0	8.86	4.43
20.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	डीएलबी, कश्मीर (स्कीम 18064) उंदेर वम्बय	1	1.58	292	0.66	0.66
21.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	गंदरबल (आवास)	1	1.38	110	0.89	0.89
22.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	गंदरबल (इंफ्रस्ट्राक्चर)	1	1.34	0	1.20	0.60
23.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	हजिन (फेज-1)	1	0.89	71	0.58	0.58
24.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	हजिन (फेज-2)	1	0.75	0	0.68	0.34
25.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	हंद्वर (फेज-1)	1	2.45	196	1.59	1.59
26.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	हंद्वर (फेज-2)	1	1.77	0	1.59	0.80
27.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	खोउर	1	4.53	313	3.43	2.57
28.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	कुलगाम (फेज-1)	1	3.20	256	2.07	2.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	कुलगाम (फेज-2)	1	2.24	0	2.01	1.01
30.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	1	2.83	226	1.83	1.83
31.	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	मगम (फेज-1)	1	1.75	140	1.13	1.13
32.	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	मगम (फेज-2)	1	0.84	0	0.76	0.38
33.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	मत्तन (फेज-1)	1	0.55	44	0.36	0.36
34.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	मत्तन (फेज-2)	1	0.63	0	0.57	0.28
35.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	नौशेरा	1	3.24	110	2.24	1.68
36.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	परोले	1	6.70	1001	4.84	3.63
37.	जम्मू और कश्मीर	पुंच	पुंच	1	7.06	270	5.06	3.79
38.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	रामगढ़	1	1.29	50	1.05	0.79
39.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	रामनगर (फेज-1)	1	2.34	187	1.51	1.14
40.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	रामनगर (फेज-2)	1	2.24	0	2.02	1.01
41.	जम्मू और कश्मीर	उधमपर	रियासी (फेज-1)	1	2.79	223	1.81	1.35
42.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	रियासी (फेज-2)	1	2.72	0	1.39	0.70
43.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	शोपिअन (फेज-1)	1	1.65	132	1.07	1.07
44.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	शोपिअन (फेज-2)	1	1.43	0	1.29	0.64
45.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	सोपोरे (फेज-1)	1	5.58	446	3.61	1.81
46.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	सोपोरे (फेज-2)	1	3.41	0	3.07	1.53
47.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर द (स्कीम 18632) यूएनडीइआर वम्बय	1	4.64	316	0.71	0.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	सुम्बल (आवास)	1	2.59	207	1.68	1.68
49.	जम्मू और कश्मीर	बारामुला	सुम्बल (इंफ्रस्ट्रक्चर)	1	1.66	0	1.49	0.75
50.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	थाना मंडी	1	3.76	94	3.07	2.30
	कुल		37	50	147.60	7623	107.41	71.66
1.	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा	1	12.99	736	7.51	3.76
2.	झारखंड	चतरा	चतरा पीएच-आई	1	19.83	932	11.72	5.86
3.	झारखंड	गिरिडीह	गिरिडीह	1	19.96	1132	12.24	6.12
4.	झारखंड	गुमला	गुमला	1	19.67	1292	15.58	7.79
5.	झारखंड	हजारीबाग	हजारीबाग	1	19.83	1230	11.38	5.69
6.	झारखंड	लोहरदगा	लोहरदगा	1	35.05	1623	19.54	9.77
7.	झारखंड	जामताड़ा	मिहिजाम	1	27.07	1391	15.48	7.74
8.	झारखंड	पलामु	मेदिनिनगर	1	19.90	969	12.39	8.19
9.	झारखंड	बोकारो	फुसरो	1	15.94	886	9.34	4.67
10.	झारखंड	शकरिया-कारसगांव	सरायकेला	1	27.69	1353	16.15	8.07
	कुल		10	10	217.93	11544	131.33	65.66
1.	केरल	अलापुजा	अलापुजा	1	12.37	950	8.03	4.02
2.	केरल	एर्नाकुलम	अंगमल्य	1	2.80	380	2.24	2.24
3.	केरल	तिरुवनंतपुरम	अतिंगल	1	1.56	201	1.25	1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	केरल	एर्नाकुलम	अलुव	1	0.58	90	0.43	0.43
5.	केरल	अलापुजा	चेर्थल	1	4.82	454	3.45	1.72
6.	केरल	कोट्टायम	चंगनस्सेर्य (फेज-1)	1	3.73	388	2.69	2.69
7.	केरल	कोट्टायम	चंगनस्सेर्य (फेज-2)	1	9.64	850	6.44	3.22
8.	केरल	थ्रिसूर	चवक्कद	1.60	135	1.27	1.27	
9.	केरल	थ्रिसूर	चलकुद्य	1	3.81	534	2.65	1.32
10.	केरल	पलक्कद	चित्तूर-तातागनलम	1	12.74	1313	9.77	9.77
11.	केरल	थ्रिसूर	गुरुवयूर	1	1.84	123	1.35	0.68
12.	केरल	थ्रिसूर	इरिंजलकुद (फेज-1)	1	1.09	151	0.87	0.87
13.	केरल	थ्रिसूर	इरिंजलकुद (फेज-2)	1	3.78	394	2.52	1.26
14.	केरल	थ्रिसूर	कोदुंगल्लूर	1	5.69	285	3.48	1.74
15.	केरल	कोट्टायम	कोट्टायम	1	7.77	831	5.34	2.67
16.	केरल	कासरगौड़	कान्हनगढ़ (फेज-1)	1	2.06	221	1.65	1.65
17.	केरल	कासरगौड़	कान्हनगढ़ (फेज-2)	1	5.53	855	4.13	2.06
18.	केरल	वयनाड	कालपेट्ठा	1	1.72	78	1.18	0.59
19.	केरल	कन्नूर	कन्नूर	1	1.95	301	1.56	0.78
20.	केरल	कासरगौड़	कसरगोद	1	1.33	174	1.02	1.02
21.	केरल	एर्नाकुलम	कोथमंगलम	1	1.83	192	1.47	0.73
22.	केरल	कोझीकोड	कोयिलंदि	1	3.08	435	2.46	2.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	केरल	कोझीकोड	कोज्हिकोद्दे	1	7.15	511	5.47	2.74
24.	केरल	थ्रिसूर	कुन्नमकुलम	1	1.88	206	1.43	1.43
25.	केरल	कन्नूर	कुथुपरम्ब	1	0.82	43	0.66	0.66
26.	केरल	मलप्पुरम	मल्प्पुरम (फेज-1)	1	10.46	1229	8.36	8.36
27.	केरल	मलप्पुरम	मल्प्पुरम (फेज-2)	1	7.54	726	5.37	5.37
28.	केरल	कन्नूर	मत्तनुर (फेज-1)	1	1.31	128	1.05	1.05
29.	केरल	कन्नूर	मत्तनुर (फेज-2)	1	6.76	620	4.74	2.37
30.	केरल	एर्नाकुलम	मुवत्तुपुजा	1	5.98	874	4.78	4.77
31.	केरल	तिरुवनंतपुरम	नेदुमनगड	1	5.40	532	4.32	2.16
32.	केरल	तिरुवनंतपुरम	नेय्यतिंकर	1	7.97	744	5.95	5.95
33.	केरल	कोल्लम	उत्तर परवुर फसेइइ	1	2.89	389	2.29	2.29
34.	केरल	कोल्लम	उत्तर परवुर फसेइइ	1	5.85	743	4.06	4.06
35.	केरल	पलक्कड	ओत्तपलम (फेज-1)	1	9.36	607	7.17	7.17
36.	केरल	पलक्कड	ओत्तपलम (फेज-2)	1	6.65	619	4.64	2.32
37.	केरल	कन्नूर	पय्यन्नुर	1	3.54	314	2.30	1.15
38.	केरल	पलक्कड	पलक्कद	1	21.13	2001	16.10	8.05
39.	केरल	पथनम्थित्त	पथनम्थित्त	1	6.58	749	5.24	2.62
40.	केरल	मलप्पुरम	पेरिंथलमन्न (फेज-1)	1	5.80	500	4.46	4.46
41.	केरल	मलप्पुरम	पेरिंथलमन्न (फेज-2)	1	8.77	879	6.36	6.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	केरल	एर्नाकुलम	पेरुमबवूर	1	3.07	344	2.45	1.23
43.	केरल	मलप्पुरम	पोन्नि	1	4.40	229	3.52	3.52
44.	केरल	कोल्लम	पुनलुर	1	8.93	922	7.14	7.14
45.	केरल	पलक्कद	शोरनुर	1	10.15	596	7,09	7.09
46.	केरल	कोल्लम	दक्षिण परवूर	1	2.64	373	2.11	2.11
47.	केरल	कन्नूर	तालिपरम्बा	1	2.43	242	1.95	1.95
48.	केरल	थ्रिसूर	थ्रिसूर	1	4.86	246	3.14	1.57
49.	केरल	कन्नूर	थलस्सेर्य (संशोधित)	1	2.47	104	1.61	0.81
50.	केरल	इदुक्की	थोडुपुझा	1	3.90	420	3.12	1.56
51.	केरल	मलप्पुरम	तिरुर सिटी	1	3.72	257	2.65	1.32
52.	केरल	तिरुवंनतपुरम	वर्कल	1	8.72	661	6.19	3.09
53.	केरल	कोझीकोडे	वतकर	1	0.87	62	0.61	0.30
	कुल		45	53	273.32	26205	201.60	149.49
1.	कर्नाटक	बागलकोट	बगक्ककोते (संशोधित)	1	8.43	240	4.78	4.78
2.	कर्नाटक	बीदर	बसवकल्य	1	2.37	170	1.68	1.68
3.	कर्नाटक	बेलगाम	बेलगाम (संशोधित)	1	3.03	138	1.67	1.67
4.	कर्नाटक	बेल्लारी	बेल्लारी	1	8.66	620	5.37	5.37
5.	कर्नाटक	गडग	बेतगिरि (संशोधित)	1	22.77	738	13.13	13.13
6.	कर्नाटक	बीदर	भलकी (संशोधित)	1	3.56	150	2.03	2.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	कर्नाटक	गुलबर्ग	चिंचोली (संशोधित)	1	4.24	200	2.33	2.33
8.	कर्नाटक	कोलार	चिंथमनि (संशोधित)	1	19.49	798	10.58	10.58
9.	कर्नाटक	बैंगलौर रूरल	दोद्बल्लपुर (संशोधित)	1	12.56	648	6.37	6.37
10.	कर्नाटक	गडग	गजेंद्रगद (संशोधित)	1	9.17	500	4.54	4.54
11.	कर्नाटक	कोलार	गोव्रिबिदनुर (संशोधित)	1	1.94	0	1.44	1.44
12.	कर्नाटक	गुलबर्ग	गुलबर्ग (संशोधित)	1	16.63	786	9.12	9.12
13.	कर्नाटक	हासन	हासन (संशोधित)	1	18.40	1000	9.17	9.17
14.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	हिरियूर टाऊन	1	3.93	123	2.16	2.16
15.	कर्नाटक	हासन	होलेनर्सिपुर (संशोधित)	1	18.40	1000	9.17	9.17
16.	कर्नाटक	धारवाड़	एचयूबीएलआई (फेज-1)	1	16.00	600	7.41	7.41
17.	कर्नाटक	धारवाड़	एचयूबीएलआई (फेज-2)	1	3.50	109	1.84	1.84
18.	कर्नाटक	धारवाड़	एचयूबीएलआई (फेज-3)	1	14.86	430	7.81	7.81
19.	कर्नाटक	चिकमगलूर	कदुर (संशोधित)	1	12.28	500	6.65	6.65
20.	कर्नाटक	बैंगलौर रूरल	कनकपुर	1	22.33	727	11.23	11.23
21.	कर्नाटक	कोपाल	कोपाल	1	4.07	265	2.68	2.68
22.	कर्नाटक	मंडया	मंडया	1	13.95	558	7.92	3.96
23.	कर्नाटक	कोलार	मुलुबगिलु (संशोधित)	1	12.52	600	6.36	6.36
24.	कर्नाटक	मंडया	नागमंगला (संशोधित)	1	7.91	420	3.92	3.92
25.	कर्नाटक	मैसूर	नंजगुद (संशोधित)	1	9.88	540	4.90	4.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	कर्नाटक	तुमकुर	पवगडा	1	19.97	508	11.62	11.62
27.	कर्नाटक	बैंगलौर रूरल	रमनगर (संशोधित)	1	33.46	1800	16.54	16.54
28.	कर्नाटक	बेलगाम	सौंदत्ती	1	2.56	145	1.59	1.59
29.	कर्नाटक	गुलबर्गा	शाहपुर	1	3.71	207	2.44	2.44
30.	कर्नाटक	शिमोग	शिकारीपुरा	1	12.65	330	7.22	7.22
31.	कर्नाटक	शिमोग	शिमोग	1	23.05	600	13.17	13.17
32.	कर्नाटक	कोलार	सिद्लगत्त (संशोधित)	1	4.30	200	2.37	2.37
33.	कर्नाटक	रायचूर	सिंध्नौर	1	19.66	1005	12.04	12.04
34.	कर्नाटक	तुमकुर	सिरा	1	20.07	682	11.32	11.32
	कुल		32	34	410.30	17237	222.56	218.60
1.	मेघालय	रि भोई	नोंग्पोह	1	9.18	240	7.10	3.55
2.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	तुरा	1	21.82	456	8.97	4.49
3.	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	विलियमनगर	1	10.48	216	6.36	3.18
	कुल		3	3	41.48	912	22.43	11.21
1.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बालाघाट	1	12.98	966	8.30	4.16
2.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	बरेल	1	2.25	120	1.80	1.80
3.	मध्य प्रदेश	भोपाल	बेरसिया	1	1.75	160	1.35	0.68
4.	मध्य प्रदेश	इंदौर	बेत्म	1	3.14	96	2.44	1.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मध्य प्रदेश	ईस्ट निमर	बुरहानपुर	1	13.66	833	9.65	4.82
6.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	1	6.57	274	3.82	1.91
7.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	चौरी	1	5.73	266	3.98	1.99
8.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	चंदमेत	1	6.76	212	4.29	2.15
9.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	1	7.42	500	5.88	2.94
10.	मध्य प्रदेश	दमोह	दमोह	1	2.30	104	1.69	0.85
11.	मध्य प्रदेश	इंदौर	देपालपुर	1	4.00	96	3.11	3.11
12.	मध्य प्रदेश	देवास	देवास (परियोजना-I)	1	17.15	1216	11.07	5.54
13.	मध्य प्रदेश	देवास	देवास (परियोजना-II)	1	19.33	1384	12.44	6.22
14.	मध्य प्रदेश	नीमच	दिकेन	1	3.82	124	2.36	1.18
15.	मध्य प्रदेश	विदिशा	गंजबसोदा	1	1.71	110	1.31	1.31
16.	मध्य प्रदेश	इंदौर	गौतम्पुर	1	3.96	96	3.07	2.31
17.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	1	53.62	4576	36.66	18.33
18.	मध्य प्रदेश	छिंद्वरे	हराय	1	3.39	139	1.98	0.99
19.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1	5.18	297	3.74	3.74
20.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	इटारसी	1	3.64	153	2.77	1.38
21.	मध्य प्रदेश	नीमच	जीरन	1	3.77	126	2.31	1.16
22.	मध्य प्रदेश	नीमच	रतनगढ़	1	4.18	135	2.59	1.29
23.	मध्य प्रदेश	राजगढ़	जीरपुर	1	4.00	145	2.39	1.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	मध्य प्रदेश	रतलाम	जओरा	1	2.48	167	1.74	1.30
25.	मध्य प्रदेश	खरगोने	खरगोने	1	4.91	200	2.85	1.43
26.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कतंगी	1	2.50	160	1.99	1.00
27.	मध्य प्रदेश	कटनी	कटनी	1	29.18	2182	22.91	11.45
28.	मध्य प्रदेश	ईस्ट निमर	खांडवा (परियोजना-I)	1	17.38	1296	11.08	5.54
29.	मध्य प्रदेश	ईस्ट निमर	खांडवा (परियोजना-II)	1	10.74	812	6.82	3.41
30.	मध्य प्रदेश	राजगढ़	खुजनेर	1	2.41	100	1.88	1.88
31.	मध्य प्रदेश	विदिशा	कुरवई	1	0.96	48	0.73	0.37
32.	मध्य प्रदेश	विदिशा	लतेरी	1	0.45	0	0.35	0.35
33.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	मंदसौर	1	12.50	500	7.28	3.64
34.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मझोली	1	2.15	140	1.72	0.86
35.	मध्य प्रदेश	रैसेन	मंडीदीप	1	3.31	202	2.37	1.19
36.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	मोहगांव	1	6.16	267	4.50	2.25
37.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	महिदपुर	1	8.38	441	5.93	2.97
38.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	मल्हारगढ़	1	4.40	144	2.55	1.27
39.	मध्य प्रदेश	नरसिम्हापुर	नरसिंहपुर	1	8.40	651	6.70	3.35
40.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	ओर्छ	1	3.45	274	2.56	1.28
41.	मध्य प्रदेश	बारवानी	पानसेमल	1	2.94	128	2.28	1.14
42.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	पंधुरना	1	3.00	140	2.08	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मध्य प्रदेश	मंदसौर	पिप्लियमंदि	1	2.73	88	1.64	
43.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	पाटन	1	2.28	120	1.81	0.91
44.	मध्य प्रदेश	झाबुआ	पेत्वद	प	3.42	240	2.74	2.74
45.	मध्य प्रदेश	रीवा	रीवा	1	6.67	248	3.73	1.92
46.	मध्य प्रदेश	सतना	सतना	1	7.33	270	4.44	2.22
47.	मध्य प्रदेश	सागर	सागर	1	7.77	480	6.11	3.05
48.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	सौसर	1	7.13	461	5.39	2.70
49.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	शहपुर	1	1.54	104	1.20	0.60
50.	मध्य प्रदेश	नीमच	सिंगोली	1	3.69	120	2.28	1.14
51.	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	1	7.33	300	4.29	2.14
52.	मध्य प्रदेश	विदिशा	सिरोंजि	1	1.61	114	1.23	1.23
53.	मध्य प्रदेश	विदिशा	सिरोंजि (अतिरिक्त)	1	0.19	0	0.15	0.15
54.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	तेंदुखेड़ा	1	6.75	256	3.68	
55.	मध्य प्रदेश	विदिशा	विदिशा	1	1.85	217	1.41	1.06
	कुल		53	56	376.28	22998	257.43	136.43
1.	मिजोरम	चम्फै	चम्फै (फेज-1)	1	1.54	74	1.33	1.33
2.	मिजोरम	चम्फै	चम्फै (फेज-2)	1	6.23	376	5.39	5.39
3.	मिजोरम	कोलासिब	कोलासिब (फेज-1)	1	5.76	250	4.23	4.23
4.	मिजोरम	कोलासिब	कोलासिब (फेज-2)	1	1.29	50	0.97	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मिजोरम	लुंग्लेइ	लुंग्लेई	1	8.27	500	6.21	6.21
6.	मिजोरम	लवंग्त्लै	लवंग्त्लै	1	6.20	200	4.01	
7.	मिजोरम	ममित	ममित	1	3.52	150	2.60	2.60
8.	मिजोरम		सैतुअल	1	7.30	300	5.12	
9.	मिजोरम		सैहा	1	3.30	100	2.14	
10.	मिजोरम	सैहा	सैहा	1	5.55	200	3.90	3.90
11.	मिजोरम	सेर्छिप	सेर्छिप	1	7.10	350	5.16	5.16
	कुल		9	11	56.07	2550	41.05	29.78
1.	मणिपुर	बिश्नुपुर	बिश्नुपुर	1	6.15	375	4.73	4.73
2.	मणिपुर	इम्फाल ईस्ट	जिरिबम	1	4.48	288	3.38	3.38
3.	मणिपुर	थोबल	कक्चिंग	1	8.64	548	6.61	6.61
4.	मणिपुर	बिश्नुपुर	मोइरंग	1	10.83	663	8.33	8.33
5.	मणिपुर	मणिपुर	मुद (स्कीम 18884) यूएनडीइआर वम्बय	1	1.26	140	0.32	0.32
6.	मणिपुर	थोबल	थोबल-इइ	1	26.83	1385	19.85	
7.	मणिपुर	थोबल	थोबल	1	12.02	815	8.99	8.99
	कुल		7	7	70.21	4214	52.20	32.35
	दिनांक 12.09.2012 की सीएसई की 112वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	अलवर	अलवर			7.30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्थान		अंत	1	27.62	963	11.61	5.81
2.	राजस्थान	भीलवाड़ा	असिंद	1	5.08	694	3.91	1.95
3.	राजस्थान	श्री गंगानगर	अनूपगढ़	1	16.39	592	10.75	5.37
4.	राजस्थान	जोधपुर	बिलरा	1	13.96	574	9.35	4.68
5.	राजस्थान	हनुमानगढ़	भद्र	1	37.69	1332	24.25	12.12
6.	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1	4.23	217	2.66	1.33
7.	राजस्थान	पाली	बाली नगर	1	3.30	523	2.64	1.32
8.	राजस्थान	बाड़मेर	बलोत्र	1	8.48	447	5.47	5.47
9.	राजस्थान	बरन	बरन	1	9.70	407	7.37	7.37
10.	राजस्थान	बाड़मेर	बाड़मेर	1	23.71	1281	15.22	7.61
11.	राजस्थान	झालावर	भवानी मंडी	1	1.82	114	1.43	1.43
12.	राजस्थान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1	19.13	1704	15.10	15.10
13.	राजस्थान	बीकानेर	बीकानेर कोलासिब, फेज-1	1	3.32	0	2.66	2.66
14.	राजस्थान	बीकानेर	बीआईकेएएनइआर (कोलासिब, फेज-3)	1	35.57	1216	21.89	10.95
15.	राजस्थान	जलोरे	भीनमल	1	10.59	639	5.38	2.69
16.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	बेगुन	1	22.71	529	12.57	
17.	राजस्थान	प्रतापगढ़	छोति सद्रि	1	9.22	380	6.20	3.10
18.	राजस्थान	बरन	छाबरा	1	4.47	312	3.58	3.58
19.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़, फेज-1	1	6.70	540	5.12	5.12

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ कोलासिब, फेज-2	1	10.93	433	7.33	3.66
21.	राजस्थान	बीकानेर	देश्नोक	1	16.20	391	9.29	4.65
22.	राजस्थान	पाली	फल्न	1	4.46	361	3.52	3.52
23.	राजस्थान	सवाई माधोपुर	गंगापुर	1	3.52	161	2.46	1.23
24.	राजस्थान	भीलवाड़ा	गुलब्पुर	1	1.24	0	1.00	1.00
25.	राजस्थान	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	1	22.25	651	17.54	17.54
26.	राजस्थान	जैसलमेर	जैसलमेर, फेज-1	1	16.76	1042	12.64	6.32
27.	राजस्थान	जैसलमेर	जैसलमेर, फेज-2	1	32.81	1497	21.87	10.94
28.	राजस्थान	पाली	जैतरना	1	4.84	214	3.23	1.61
29.	राजस्थान	झालावर	झलर्पतन	1	4.21	413	3.16	1.58
	दिनांक 12.09.2012 की सीएसई की 112वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	झालावर	झालावर					1.74
30.	राजस्थान	जलोरे	झलोरे	1	7.90	263	4.89	2.45
31.	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर, फेज-1	1	20.56	883	12.14	6.07
32.	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर, फेज-2	1	44.40	1832	26.52	13.26
33.	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर, फेज-3	1	12.58	373	5.51	2.75
34.	राजस्थान	कोटा	कैथून	1	5.06	327	3.45	1.73
35.	राजस्थान	अजमेर	केकरी	1	18.60	871	12.77	6.38
36.	राजस्थान	कोटा	कोटा, फेज-1	1	21.62	1478	17.04	8.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	राजस्थान	कोटा	कोटा, फेज-2	1	28.58	845	15.14	7.57
38.	राजस्थान	कोटा	कोटा, फेज-3	1	33.91	752	13.34	6.67
39.	राजस्थान	बरन	मंगरोल	1	23.40	476	12.40	6.20
40.	तेंपर्जींद	चित्तौड़गढ़	नीमबहेड़ा	1	11.06	457	7.59	3.79
41.	राजस्थान	जोधपुर	पिपर	1	24.76	654	12.73	6.36
42.	राजस्थान	पाली	पाली	1	22.06	2722	17.64	17.64
43.	राजस्थान	जोधपुर	फलोदी, फेज-आई	1	23.27	764	13.79	6.90
44.	राजस्थान	जोधपुर	फलोदी, फेज-इइ	1	25.45	626	11.00	5.50
45.	राजस्थान	जैसलमेर	पोक्रनं	1	21.83	737	12.20	6.10
46.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	1	11.20	711	7.20	5.40
47.	राजस्थान	सिरोही	पिंडवारा	1	13.26	686	8.00	4.00
48.	राजस्थान	सिरोही	पिलिबंग	1	6.41	244	4.27	2.14
49.	राजस्थान	कोटा	रामगंज मंडी	1	2.69	75	1.48	0.74
50.	राजस्थान	हनुमानगढ़	रवत्सर	1	30.69	1398	18.51	9.26
51.	राजस्थान	पाली	रानी नगर	1	0.79	19	0.63	0.63
52.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	रवत्भत	1	36.55	1439	25.16	12.58
53.	राजस्थान	चुरू	सर्दर्सहर	1	49.44	1802	21.47	10.74
54.	राजस्थान	भीलवाड़ा	शाहपुर	1	11.16	317	5.25	2.63
55.	राजस्थान	पाली	सद्रि	1	1.29	46	1.03	1.03
56.	राजस्थान		शेवगंज	1	16.03	489	7.03	3.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	राजस्थान	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	1	13.48	976	9.93	9.93
58.	राजस्थान	सीकर	सीकर	1	5.44	556	4.35	2.18
59.	राजस्थान	जलोरे	संचोर	1	9.47	390	5.31	2.66
60.	राजस्थान	कोटा	सांगोड़	1	9.01	442	6.09	3.04
61.	राजस्थान	पाली	सोजत	1	3.16	196	2.53	2.53
62.	राजस्थान	पाली	सुमरपुर	1	10.36	529	6.64	3.32
63.	राजस्थान	गंगानगर	सूरतगढ़	1	35.05	1493	22.10	11.05
64.	राजस्थान	पाली	तखतगढ़	1	16.69	635	9.25	4.63
65.	राजस्थान	टोंक	टोंक पएचएएसई-आईआई	1	4.46	136	3.57	3.57
66.	राजस्थान	टोंक	टोंक पीएचएएसई-इइ	1	9.45	384	5.97	2.99
67.	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर	1	24.55	1737	16.07	8.03
	कुल		59	67	1046.61	46437	639.20	373.21
1.	महाराष्ट्र	अमरावती	अचलपुर पीएचएएसइ-आई	1	24.34	965	15.74	7.87
2.	महाराष्ट्र	अमरावती	अचलपुर पीएचएएसइ-इइ	1	33.24	1165	18.96	9.48
3.	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला सीआईटीवाय (पीएचएएसइ-आई)	1	6.98	803	5.59	2.79
4.	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला सिटी (पीएचएएसइ-आईआई)	1	29.68	1118	20.11	10.05
5.	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला (पीएचएएसइ-इइइ)	1	33.36	1413	22.25	11.12
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	पुणे	आलन्दी					0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	महाराष्ट्र	जलगांव	अमलनेर	1	12.05	462	7.72	7.72
	प्रोजेक्ट कैंसिल ऑन 106वीं सीएससी मिटिंग दिनांक 30.5.11	जालना	आमबाद					0.00
	प्रोजेक्ट कैंसिल ऑन 129जी सीएससी मिटिंग दिनांक 19.07.12	अमरावती	अमरावती (फेज-1)					0.00
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग	अमरावती	अमरावती (फेज-2)					0.00
	में निरस्त परियोजना	अमरावती	अमरावती (फेज-3)					0.00
7.	महाराष्ट्र	अमरावती	एएनजेएएनजीएओएन-सुर्जि	1	21.91	816	14.28	7.14
8.	महाराष्ट्र	वर्धा	आरवी	1	8.78	329	5.73	2.87
9.	महाराष्ट्र	सांगली	आश्ता (फेज-1)	1	15.99	1256	12.73	12.73
10.	महाराष्ट्र	सांगली	आश्ता (फेज-2)	1	17.23	950	11.64	5.82
11.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	1	11.84	617	8.88	4.44
12.	महाराष्ट्र	अहमदपुर	अहमदपुर	1	3.38	81	2.04	1.02
13.	महाराष्ट्र		अहमदपुर (फेज-1)	1	13.21	480	8.12	4.06
14.	महाराष्ट्र		अहमदपुर (फेज-2)	1	12.36	372	6.93	3.47
15.	महाराष्ट्र	पुणे	बारामती	1	3.41	259	2.31	2.31
16.	महाराष्ट्र	भांदरा	भांदरा (फेज-1)	1	23.00	1169	17.05	8.53
17.	महाराष्ट्र	भांदरा	भांदरा (फेज-2)	1	38.75	1544	26.44	13.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	थाना	भिवंडी (फेज-1)					0.00
		थाना	भिवंडी (फेज-2)					0.00
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	जालना	भोकर्धन					0.00
18.	महाराष्ट्र	बुल्दन	बुलढाणा (फेज-1)	1	12.52	892	10.02	10.02
19.	महाराष्ट्र	बुल्दन	बुलढाणा (फेज-2)	1	37.11	1395	19.90	9.95
20.	महाराष्ट्र	अकोला	बालापुर	1	40.38	1652	24.12	12.06
21.	महाराष्ट्र	जलगांव	चोपडा (फेज-1)	1	13.22	504	8.61	8.61
22.	महाराष्ट्र	जलगांव	चोपडा (फेज-2)	1	21.07	630	12.23	6.11
23.	महाराष्ट्र	जलगांव	चालिसगांव	1	39.95	1392	23.60	11.80
24.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	1	29.64	1179	20.22	10.11
25.	महाराष्ट्र	चिखली	चिखली	1	45.94	1924	22.64	11.32
26.	महाराष्ट्र	अमरावती	चंदूर रेलवे टाउन (फेज-1)	1	17.24	985	11.17	5.58
27.	महाराष्ट्र	अमरावती	चंदूर रेलवे टाउन (फेज-2)	1	6.82	347	4.50	2.25
28.	महाराष्ट्र	यवतमाल	दव्ह सिटी	1	10.15	380	6.62	3.31
29.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	देओललि प्रवर (आरइवीआईएसइडी)	1	4.60	333	3.68	3.02
30.	महाराष्ट्र	यवतमाल	दिगरास	1	22.06	952	13.87	6.94
31.	महाराष्ट्र	वर्धा	देवली	1	6.77	370	5.02	2.51
32.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	देसाईगंज	1	12.05	504	7.73	3.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	महाराष्ट्र	बुल्दन	देउलगांव राजा सिटी	1	19.86	749	12.89	6.44
34.	महाराष्ट्र	धुले	धुले (फेज-1)	1	23.57	966	14.76	14.76
35.	महाराष्ट्र	धुले	धुले (फेज-2)	1	34.96	1200	20.61	0.00
36.	महाराष्ट्र	धुले	दोंदैच वर्वदे (फेज-1)	1	16.77	1050	11.43	11.43
37.	महाराष्ट्र	धुले	दोंदैच वर्वदे (फेज-2)	1	23.97	1050	15.30	14.46
38.	महाराष्ट्र	धुले	दोंदैच वर्वदे (फेज-3)	1	27.00	1100	16.88	8.44
39.	महाराष्ट्र	धुले	दोंदैच वर्वदे (फेज-4)	1	17.47	596	10.53	5.26
40.	महाराष्ट्र	जलगांव	एरंदोल	1	9.65	288	5.69	2.85
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	औरंगाबाद	गंगापुर					0.00
		बिद	गेओरै					0.00
41.	महाराष्ट्र	वर्धा	हिंगघाट	1	4.79	369	3.83	5.59
42.	महाराष्ट्र	हिंगोली	हिंगोली (फेज-1)	1	33.39	1814	25.44	12.72
43.	महाराष्ट्र	हिंगोली	हिंगोली सिटी (फेज-2)	1	25.59	1063	16.49	8.24
44.	महाराष्ट्र	सांगली	इस्लामपुर	1	6.42	503	5.06	5.06
45.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इचलकरंजे	1	0.50	1488	20.19	10.10
46.	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव सिटी	1	11.97	472	7.27	3.54
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	जालना	जालना					0.00
47.	महाराष्ट्र	जलगांव	जामनेर	1	15.60	1238	12.10	12.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिनांक 30.05.11 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	कोल्हापुर	जयसिंगपुर					0.00
48.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कागल	1	24.10	1002	16.64	8.32
49.	महाराष्ट्र	नागपुर	कलमेश्वर	1	4.75	201	2.87	1.43
	दिनांक 12.09.12 की सीएससी की 106वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	औरंगाबाद	कन्नद सिटी					0.00
50.	महाराष्ट्र	सतारा	कराद	1	1.68	152	1.33	1.33
51.	महाराष्ट्र	वाशिम	केएआरएएनजेए, डीआईएसटीटी. वाशिम	1	20.43	768	13.07	6.54
52.	महाराष्ट्र	नागपुर	कतोल	1	19.68	1418	15.75	7.87
53.	महाराष्ट्र	बुलढाणा	खेमगांव (फेज-1)	1	27.38	1430	18.05	18.05
54.	महाराष्ट्र	बुलढाणा	खेमगांव (फेज-2)	1	22.24	710	12.99	6.50
55.	महाराष्ट्र	नागपुर	खप	1	2.21	176	1.76	1.76
	दिनांक 18.8.11 की सीएससी की 112वीं मीटिंग में निरस्त परियोजना	अहमदनगर	खोपरगांव					0.00
56.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर (फेज-1)	1	24.62	2206	19.69	9.85
57.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर (फेज-2)	1	6.07	0	4.86	15.45
58.	महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	1	57.26	0	43.62	43.62
59.	महाराष्ट्र	बुल्दन	लोनर टीओडब्ल्यूएन, जिला-बुलढाणा (फेज-1)	1	17.84	700	11.58	5.79
60.	महाराष्ट्र	बुल्दन	लोनर (फेज-2)	1	23.53	606	13.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिनांक 18.8.11 की सीएससी की 112वीं मीटिंग में निरस्त परियोजना	पुणे	लोनावाला					0.00
61.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-1)	1	28.92	1440	19.80	9.90
62.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-2)	1	28.69	1440	19.62	19.62
63.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-3)	1	28.24	1440	19.26	19.26
64.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-4)	1	28.44	1440	19.42	9.71
65.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-5)	1	29.31	1440	20.11	10.05
66.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-6)	1	28.76	1440	19.67	9.84
67.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-7)	1	28.92	1440	19.80	9.90
		नासिक	मालेगांव (फेज-8)					0.00
68.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-16)	1	55.60	1440	24.21	
69.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-17)	1	53.44	1440	23.23	
70.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-18)	1	51.96	1440	22.15	
71.	महाराष्ट्र	नासिक	मालेगांव (फेज-19)	1	53.05	1440	22.94	
72.	महाराष्ट्र	बुल्दन	मेहकर	1	52.20	1584	28.57	
73.	महाराष्ट्र	बुल्दन	मलकापुर सिटी	1	5.10	207	3.47	1.74
74.	महाराष्ट्र	नागपुर	मोहप	1	6.52	281	4.56	2.28
75.	महाराष्ट्र	नांदेद	मुदखेद	1	19.73	810	11.92	5.96
76.	महाराष्ट्र	अकोला	मुर्तिजापुर (आरइवीआईएसइडी) फेज-1	1	24.56	1003	15.83	7.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.	महाराष्ट्र	अकोला	मुर्तिजापुर फेज-2	1	21.34	620	12.53	6.27
78.	महाराष्ट्र	नागपुर	मोवद	1	8.09	378	5.02	2.51
79.	महाराष्ट्र	नंदुरबार	नंदुरबार	1	27.02	1176	15.22	7.61
80.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	नल्दुर्ग	1	20.69	1206	13.78	6.89
81.	महाराष्ट्र	नागपुर	नारखेड़ (फेज-1)	1	6.95	611	5.56	3.05
82.	महाराष्ट्र	नागपुर	नारखेड़ (फेज-2)	1	38.66	1603	25.67	12.84
83.	महाराष्ट्र	नागपुर	नारखेड़ (फेज-3)	1	26.65	1189	17.50	8.75
84.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	1	21.68	2399	17.35	8.67
85.	महाराष्ट्र	यावतमाल	पंढरकवाडा	1	14.58	625	9.36	4.68
	दिनांक 18.8.11 की सीएससी की 112वीं मीटिंग में निरस्त परियोजना	परभनी	परभनी					0.00
86.	महाराष्ट्र	अकोला	पतुर	1	14.62	572	8.81	4.40
87.	महाराष्ट्र	जालना	परतूर	1	20.14	800	12.78	6.39
	दिनांक 18.8.11 की सीएससी की 106वीं मीटिंग में निरस्त परियोजना	परभनी	पथ्रि					0.00
88.	महाराष्ट्र	भांदरा	पाउनी, जिला भांदरा (फेज-1)	1	1.54	76	1.17	0.52
89.	महाराष्ट्र	भांदरा	पाउनी, जिला भांदरा (फेज-2)	1	25.98	978	16.70	8.35
90.	महाराष्ट्र	सतारा	फलटन	1	9.04	895	7.23	3.62
91.	महाराष्ट्र	वर्धा	पुलगांव	1	8.12	302	5.30	2.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92.	महाराष्ट्र	सतारा	पंचानि	1	4.33	76	2.08	0.00
93.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	राजुरा	1	17.68	777	11.31	5.65
94.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	रहत	1	15.98	672	9.11	4.55
95.	महाराष्ट्र	नागपुर	रामटेक	1	5.11	265	3.89	1.94
96.	महाराष्ट्र	वाशिम	रिसोद	1	9.02	458	7.15	8.12
97.	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली (बीएएल हनुम कालोनी 1 एवं 2) (फेज-1)		2.25	175	1.75	0.88
	(दो परियोजनाएं निरस्त की गईं और परियोजना संख्या 83 में मिला दी गई. 83)		सांगली अत दुर्गा एनएजीएआर, संजय एनएजीएआर (फेज-2)					2.75
			सांगली अत इंदिरा नगर पीएआरटी-1 एवं 2 (फेज-3)					3.51
98.	महाराष्ट्र	सांगली	संगि (फेज-4)	1	93.88	37.98	49.83	31.18
99.	महाराष्ट्र	नागपुर	सॉनेर	1	2.85	222	2.28	2.94
100.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	1	1.34	62	0.81	0.81
101.	महाराष्ट्र	अमरावती	शेंदुर्जन घाट	1	11.05	460	7.12	3.56
102.	महाराष्ट्र	धुले	शीरपुर वर्वदे (फेज-1), जिला धुले	1	4.86	210	3.10	3.30
103.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	श्रिअमपुर	1	21.88	1798	14.33	7.16
104.	महाराष्ट्र	बुल्दन	सिंदखेद राजा सिटी	1	11.73	435	7.63	3.81
105.	महाराष्ट्र	सोलापुर	सोलापुर	1	11.63	1289	9.30	4.65
106.	महाराष्ट्र	सतारा	सतारा	1	36.78	1473	22.19	11.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	शिर्दि	1	7.74	376	4.84	2.42
108.	महाराष्ट्र	नंदुरबार	शहद	1	33.91	1020	18.58	9.29
109.	महाराष्ट्र	सांगली	तासगांव	1	4.42	393	3.52	3.52
110.	महाराष्ट्र	अकोला	तेल्हर	1	27.54	945	14.59	7.29
111.	महाराष्ट्र	गोंदिया	तिरोरा (फेज-1)	1	8.68	557	6.17	3.08
112.	महाराष्ट्र	गोंदिया	तिरोरा शहर, (फेज-2) जिला गोंडिया	1	10.72	551	8.12	4,06
113.	महाराष्ट्र	गोंदिया	तिरोरा (फेज-3)	1	17.95	900	11.88	5.94
114.	महाराष्ट्र	गोंदिया	तिरोरा (फेज-4)	1	21.91	948	14.80	7.40
115.	महाराष्ट्र	भांदरा	तुमसर	1	6.34	234	4.14	1.84
116.	महाराष्ट्र	उसमानाबाद	तुलजापुर	1	25.06	920	13.21	6.60
117.	महाराष्ट्र	नांदेड़	उम्रि	1	16.09	656	9.34	4.67
118.	महाराष्ट्र	नागपुर	उम्रेद सिटी	1	7.24	276	4.96	2.48
119.	महाराष्ट्र	सांगली	विता	1	13.77	396	6.10	3.05
120.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	वज्जपुर	1	29.41	1212	18.96	9.48
121.	महाराष्ट्र	सतारा	वाई	1	6.89	342	4.53	2.26
122.	महाराष्ट्र	वर्धा	वर्धा	1	12.50	634	9.53	9.53
123.	महाराष्ट्र	अमरावती	वरुद	1	5.89	253	4.21	3.00
124.	महाराष्ट्र	वाशिम	वाशिम (फेज-1)	1	33.94	1318	22.04	11.02
125.	महाराष्ट्र	वाशिम	वाशिम (फेज-2)	1	25.72	699	14.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.	महाराष्ट्र	यवतमल	यवतमल	1	20.47	972	14.40	9.31
127.	महाराष्ट्र	नासिक	येवला	1	1.37	132	1.09	4.13
	कुल		92	127	2558.87	109612	1604.11	863.13
1.	नागालैंड	दीमापुर	दीमापुर (आरइवीआईएसइडी)	1	69.47	2496	40.70	29.32
2.	नागालैंड		त्सेमिंयु	1	15.00	320	9.97	
3.	नागालैंड		मेदि्जफेम	1	15.00	350	9.73	
4.	नागालैंड	कोहिमा	सुद (एससीएचइएमएइ एनओ-18885) यूएनडीइआर वम्बय	1	2.39	265	0.60	0.60
	कुल		4	4	101.86	3431	60.99	29.92
1.	ओडिशा	अंगुल	अंगुल नच (फेज-1)	1	5.66	334	4.12र	2.06
2.	ओडिशा	बालेश्वर	बालासोर (फेज-1)	1	3.28	162	2.15	1.61
3.	ओडिशा	बालेश्वर	बालासोर (फेज-2)	1	9.15	387	6.18	3.09
4.	ओडिशा	बारगढ़	बागढ़ (फेज-1)	1	10.41	732	7.57	3.80
5.	ओडिशा	मयूरभंज	बारिपाड़ा	1	11.18	474	7.75	3.88
6.	ओडिशा	गंजम	बरहामपुर	1	31.01	1202	20.63	10.32
7.	ओडिशा	भद्रक	भद्रक (फेज-1)	1	5.14	238	3.36	1.68
8.	ओडिशा	भद्रक	भद्रक (फेज-2)	1	3.99	166	2.65	1.32
9.	ओडिशा	कलहंदि	भवानीपटना	1	4.24	164	2.82	2.82
10.	ओडिशा	सुंद ई	बिरमित्रपुर	1	3.52	200	2.40	2.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	ओडिशा	बोलांगीर	बोलांगीर	1	8.37	324	5.57	2.79
12.	ओडिशा	झारसुगुडा	ब्रजराज नगर	1	3.46	177	2.34	1.76
13.	ओडिशा	बौध	बोउध्गई	1	3.81	149	2.51	1.25
14.	ओडिशा	कटक	कटक (फेज-1)	1	16.99	456	9.45	4.72
15.	ओडिशा	धेंकानल	धेंकानल (फेज-1) (संशोधित)	1	10.39	608	7.55	5.61
16.	ओडिशा	जाजपुर	जाजपुर	1	5.09	295	3.70	3.70
17.	ओडिशा	खोर्ध	जत्नि (फेज-1)	1	1.24	72	0.90	0.45
18.	ओडिशा	खोर्ध	जत्नि (फेज-2)	1	3.40	132	2.26	1.13
19.	ओडिशा	जजपुर	जेय्पोर	1	7.07	323	5.04	2.52
20.	ओडिशा	झारसुगुडा	झारसुगुडा	1	19.83	786	13.17	13.17
21.	ओडिशा	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	1	4.19	162	2.78	1.39
22.	ओडिशा	केंदुझर	जोद	1	4.87	174	3.05	1.52
23.	ओडिशा	सम्बलपुर	कुचिंद एनएसी/सम्बलपुर	1	4.58	177	3.04	1.52
24.	ओडिशा	केंद्रपारा	केंद्रपारा (फेज-1)	1	1.56	87	1.05	1.05
25.	ओडिशा	केंदुझर	केओंझगर्ह	1	6.70	261	4.43	7.45
26.	ओडिशा	नुअपाडा	खरिअर रोड (फेज-1)	1	4.32	305	3.14	1.57
27.	ओडिशा	खोर्ध	खुर्द (फेज-1)	1	2.03	91	1.19	0.59
28.	ओडिशा	मलकानगिरि	मलकानगिरि	1	6.07	236	4.04	2.02
29.	ओडिशा	नबरंगपुर	नबरंगपुर	1	5.56	532	4.02	2.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	ओडिशा	नयागढ़	नयागढ़	1	4.66	226	3.07	1.53
31.	ओडिशा	बोलंगीर	पाटनगढ़	1	4.11	159	2.72	1.36
32.	ओडिशा	कंधमाल	फूलबनी	1	4.06	157	2.70	1.35
33.	ओडिशा	गजपति	पारलेखमुंडी	1	7.53	307	4.98	2.49
34.	ओडिशा	सुंदर्गह	राउरकेला (फेज-1)	1	2.31	124	1.52	1.52
35.	ओडिशा	सम्बलपुर	सम्बलपुर	1	15.44	613	10.25	5.12
36.	ओडिशा	सोनापुर	सुबर्नपुर	1	23.63	934	15.69	7.85
37.	ओडिशा	अंगुल	तल्चर	1	3.14	155	2.02	1.01
38.	ओडिशा	जजपुर	व्यसनगर	1	17.51	1016	12.74	12.74
	कुल.		35	38	289.50	13097	194.53	124.16
1.	पंजाब	भटिंडा	भटिंडा (फेज-1)	1	26.32	592	9.89	4.94
2.	पंजाब	भटिंडा	भटिंडा (फेज-2)	1	59.85	1328	23.27	11.64
3.	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	1	11.65	383	7.65	3.82
4.	पंजाब	मनसा	बुद्लद	1	17.92	384	6.90	3.45
5.	पंजाब	मनसा	भिखि (डब्ल्यूएआरडी-5)	1	5.02	64	2.42	1.21
6.	पंजाब	मनसा	भिखि (डब्ल्यूएआरडी-12)	1	15.01	304	5.91	12.96
7.	पंजाब	मनसा	बरेत (फेज-1)	1	19.75	400	7.91	3.96
8.	पंजाब	मनसा	बरेत (फेज-2)	1	12.14	240	4.86	2.43
9.	पंजाब	जालंधर	जालंधर (फेज-1)	1	12.35	1627	7.15	3.58

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	पंजाब	जालंधर	जालंधर (फेज-2)	1	30.05	2311	18.40	9.20
11.	पंजाब	फजिल्का	जलालाबाद	1	12.04	542	4.46	2.23
12.	पंजाब	मनसा	मनसा	1	12.99	240	5.37	2.68
13.	पंजाब	बथिंद	मोउर	1	30.47	672	11.74	5.87
14.	पंजाब	पटियाला	राजपुरा	1	21.01	720	8.22	4.11
15.	पंजाब	मनसा	सरदुलगढ़ (फेज-1)	1	34.52	704	14.08	7.04
16.	पंजाब	मनसा	सरदुलगढ़ (फेज-2)	1	19.03	400	7.41	3.71
	कुल		11	16	340.12	10911	145.64	72.82
1.	पुदुचेरी	करइकाल	करइकाल	1	17.03	432	5.48	2.74
	कुल		1	1	17.03	432	5.48	2.74
1.	सिक्किम	ईस्ट	सिंगतम	1	19.91	39	17.92	8.96
	कुल		1		19.91	39	17.92	8.96
1.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	अचरपक्कम	1	2.25	186	1.80	1.80
2.	तमिलनाडु	नमक्काल	अलम्पलयम	1	2.25	149	1.56	1.51
3.	तमिलनाडु	थिरुवलुर	अरनि टाउन पंचायत	1	1.69	139	1.36	1.36
4.	तमिलनाडु	अरियालुर	अरियालुर	1	7.89	378	6.04	6.04
5.	तमिलनाडु	विरुधुनगर	अरुपुक्कोत्तै	1	20.89	879	15.30	15.30
6.	तमिलनाडु	इरोड	अवल्पूंदुरै	1	1.67	90	1.19	1.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	तमिलनाडु	थेनी	बोदिनयकन्नूर	1	4.63	326	3.52	3.52
8.	तमिलनाडु	थेनी	चिन्नमनुर	1	15.82	950	10.48	5.24
9.	तमिलनाडु	कुड्डालोर	चिदम्बरम	1	4.17	392	3.34	3.34
10.	तमिलनाडु	दी निल्गिरिस	चूनूर	1	5.35	398	3.62	3.53
11.	तमिलनाडु	थेनी	कुमबुम	1	5.19	325	3.86	3.86
12.	तमिलनाडु	इरोड	धरपुराम	1	3.60	188	2.77	2.77
13.	तमिलनाडु	धर्मपुरी	धर्मपुरी	1	2.67	433	2.13	2.13
14.	तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	1	9.72	590	7.45	6.98
15.	तमिलनाडु	इरोड	इरोड	1	5.03	454	4.03	4.03
16.	तमिलनाडु	सालेम	गंगवेल्लि	1	2.66	140	1.91	1.91
17.	तमिलनाडु	इरोड	गोबिचेट्टीपलायम	1	2.56	177	1.95	1.95
18.	तमिलनाडु	कृष्णागिरि	होसुर	1	13.39	608	9.27	4.64
19.	तमिलनाडु	सालेम	इदप्पदि	1	4.74	225	3.62	3.53
10.	तमिलनाडु	कपुर	इनाम करूर	1	5.00	240	3.87	3.87
11.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	कांचीपुरम	1	4.57	299	3.42	3.40
22.	तमिलनाडु	सिवगंगा	करइकुडी	1	4.15	195	3.21	3.21
23.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	करूंगुज्हि	1	4.14	342	3.31	3.31
24.	तमिलनाडु	सालेम	करूपपुर	1	1.57	148	1.12	1.12
25.	तमिलनाडु	कपुर	करूर	1	3.29	185	2.53	2.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोड़इकानाल (फेज-1)	1	1.87	67	1.34	1.34
27.	तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडइकानाल (फेज-2)	1	18.89	900	12.45	12.09
28.	तमिलनाडु	इरोड	कोदुमुदी टाउन	1	1.40	75	1.00	0.97
29.	तमिलनाडु	नमक्काल	कोमरपलयम	1	0.76	80	0.61	0.61
30.	तमिलनाडु	तूथुकुदि	कोविलपट्टी	1	2.39	112	1.85	1.81
31.	तमिलनाडु	धर्मपुरी	कृष्णागिरि	1	4.96	262	3.82	3.72
32.	तमिलनाडु	करूर	कुलिथलइ	1	7.41	306	5.34	2.67
33.	तमिलनाडु	इरोड	कुगलुर	1	1.29	65	0.93	0.93
34.	तमिलनाडु	थंजापुर	कुम्बकोनम (फेज-I, II & III)	1	13.14	849	6.72	5.04
35.	तमिलनाडु	इरोड	लक्कम्पत्ति	1	1.44	131	1.02	1.02
36.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	एमएएमएएलएएलएपीयूआरएएम	1	2.56	320	2.05	2.05
37.	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्लि	मनप्पैरै	1	2.01	120	1.57	1.57
38.	तमिलनाडु	थिरुवरुर	मन्नारगुडि	1	1.49	69	1.19	1.19
39.	तमिलनाडु	मदुरै	मेलुर	1	7.99	502	6.39	6.39
40.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	मेत्तूपालयम	1	1.48	72	1.12	1.09
41.	तमिलनाडु	सालेम	मेत्तुर	1	2.42	113	1.87	1.83
42.	तमिलनाडु	नामक्काल	मोहनुर	1	2.80	161	1.98	1.92
43.	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	नागपट्टिनम	1	0.78	0	0.62	0.62
44.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	नगेर्चोइल	1	3.47	214	2.66	2.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	तमिलनाडु	नामक्कल	नामक्कल	1	5.93	440	3.46	3.46
46.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	नंधिवराम गुदुवंचेरि टाउन पीएएनसीएचएवायएओ	1	3.69	326	2.95	2.95
47.	तमिलनाडु	डिंडिगुल	पलानी	1	16.36	874	11.11	5.56
48.	तमिलनाडु	इरोड	पी. मेतूपालयम	1	1.27	78	0.89	0.86
49.	तमिलनाडु	सालेम	पी.एन. पत्त्य	1	1.62	153	1.15	1.15
50.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	पल्लचि (आरइवीआईएसइडी)	1	5.73	669	4.58	5.17
51.	तमिलनाडु	इरोड	पल्लपयलम टाउन	1	2.35	120	1.69	1.64
52.	तमिलनाडु	तंजावुर	पतुक्कोत्तै	1	11.24	940	8.76	8.67
53.	ज्ंउपसछंकन	पेरम्बलुर	पेरम्बलुर	1	6.26	580	4.98	4.98
54.	तमिलनाडु	पुदुक्कोट्टी	पुदुक्कोट्टी (आरइवीआईएसइडी)	1	10.82	625	8.65	9.80
55.	तमिलनाडु	थेनी	पेरियकुलम	1	2.16	118	1.42	0.71
56.	तमिलनाडु	रमनथपुरम	परमकुडी	1	7.15	520	4.54	2.27
57.	तमिलनाडु	नमक्काल	आर.पीयूडीयूपीएटीटीवाय, नमक्काल	1	2.14	153	1.46	1.40
58.	तमिलनाडु	नमनथपुरम	रमनथपुरम	1	5.21	277	3.99	3.77
59.	तमिलनाडु	वेल्लौर	रानीपेट	1	2.58	121	2.00	1.95
60.	तमिलनाडु	नमक्काल	रसिपुरम	1	3.34	136	2.37	1.18
61.	तमिलनाडु	विरुधुनगर	सतुर	1	6.58	341	4.57	2.28
62.	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	1	15.58	1006	10.87	7.75
63.	तमिलनाडु	इरोड	सथ्यमंगलम	1	3.76	260	2.81	2.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	तमिलनाडु	नमक्काल	सीरपल्लि	1	2.16	121	1.54	1.54
65.	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	सिर्कलि	1	1.28	52	1.02	1.02
66.	तमिलनाडु	सिवगंगा	सिवगंगै	1	2.90	155	2.22	2.16
67.	तमिलनाडु	विरुधुनगर	शिवकासी	1	4.57	223	3.13	3.04
68.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	एसआरआईपीइआरयूएमबीयूडीयूआर	1	4.28	370	3.42	3.42
69.	तमिलनाडु	तंजावुर	तंजावुर (आरइवीआईएसइडी)	1	12.25	1180	9.78	6.89
70.	तमिलनाडु	कपुर	थंथोनि	1	4.10	200	3.17	3.17
71.	तमिलनाडु	सालेम	टीएचइडीएवीओओआर, सालेम	1	2.30	115	1.65	1.65
72.	तमिलनाडु	थेनी	थेनी अल्लिनगरम	1	3.85	180	2.92	2.78
73.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	थिरपुर	1	20.68	2060	15.83	15.83
74.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	थीरु क्कज्हुक्कुंदराम	1	2.89	276	2.31	2.31
75.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	1	20.00	2003	15.58	15.28
76.	तमिलनाडु	तिरुवनमलै	तिरुवनमलै	1	8.76	832	6.63	6.63
77.	तमिलनाडु	तिरुचिरपल्ली	थुरैयुर	1	8.61	602	6.54	6.06
78.	तमिलनाडु	नमक्काल	तिरुचेंगोदे	1	8.87	422	6.86	6.86
79.	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	1	19.96	1208	10.94	10.94
80.	तमिलनाडु	वेल्लौर	तिरुपत्तौर	1	3.45	240	2.74	2.74
81.	तमिलनाडु	थिरुवरूर	थिरुवरूर (आरइवीआईएसइडी)	1	6.24	560	4.99	5.03
82.	तमिलनाडु	चेन्नई	तंस्व (एससीएचइएमइ एनओ, 18496) उंदेर वम्बय	1	20.09	1443	3.43	3.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	तमिलनाडु	तूतिकोरिन	तूतिकोरिन	1	8.02	500	5.80	5.64
84.	तमिलनाडु	दी निल्गिरिस	उधगमंदलम	1	12.68	1082	10.14	10.14
85.	तमिलनाडु	मदुरै	उसिलम्पत्ति	1	10.02	460	6.86	3.43
86.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	उदुम्ल्पेत	1	2.81	160	2.16	2.16
87.	तमिलनाडु	इरोड	उथुकुलि टाउन	1	1.12	61	0.80	0.77
88.	तमिलनाडु	वेल्लौर	वनियाम्बदी	1	2.25	105	1.74	1.74
89.	तमिलनाडु	सालेम	वीरगनुर टीओडब्ल्यूएन, सालेम	1	3.75	231	2.63	2.63
90.	तमिलनाडु	नमक्काल	वेलूर	1	1.37	86	0.96	0.96
91.	तमिलनाडु	वेल्लौर	वेल्लौर	1	10.94	513	6.76	3.38
92.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	1	8.56	502	6.57	6.52
93.	तमिलनाडु	विरुधुनगर	विरुधुनगर	1	11.37	676	8.09	7.82
94.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	वलजबाद	1	4.80	506	3.84	3.84
	कुल		93	94	566.11	37715	400.45	359.50
1.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	बेलोनिया टाउन	1	8.74	499	7.67	7.67
2.	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	रनिबजर	1	11.27	651	9.93	9.93
3.	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	सोनमुर	1	8.29	820	7.11	7.11
4.	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	तेलिअमुर	1	7.19	400	6.33	6.33
5.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	उदयपुर	1	8.15	745	7.00	3.50
	कुल		5	5	43.64	3115	38.05	34.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश	औरया	अचल्द	1	3.59	132	2.38	2.38
2.	उत्तर प्रदेश	जालौन	अदल्सरै कालपी टीओडब्ल्यूएन, जिला जालौन	1	3.29	120	2.10	2.10
3.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	अफ्जलगर्ह	1	2.57	184	1.96	1.96
4.	उत्तर प्रदेश	कौशम्बी		1	3.45	144	2.28	2.28
5.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ (फेज-1)	1	4.40	168	2.92	2.92
6.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ (फेज-2)	1	17.77	660	11.85	11.32
7.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ (फेज-3)	1	15.37	558	10.16	10.16
8.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	अम्रौध	1	1.79	72	1.18	1.18
9.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर	अमरोहा	1	3.13	115	2.06	2.06
10.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	अंतु	1	15.05	579	9.99	9.99
11.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	अर्थल	1	5.62	208	3.76	3.76
12.	उत्तर प्रदेश	एटा	अवगर्ह	1	2.59	96	1.72	1.65
13.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	आजमगढ़	1	12.65	465	8.39	8.39
14.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	अक्रमपुर सिटी	1	12.88	345	6.99	3.49
15.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	बिलरिया गंज	1	4.68	125	2.53	1.26
16.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	बछ्वन	1	11.40	284	7.02	3.51
17.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	सेओरहि (एएमबीइडीकेएआरएनएजीएआर) (फेज-1)	1	2.00	100	1.32	1.32
18.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	सेओरहि (एएमबीइडीकेएआरएनएजीएआर) (फेज-2)	1	2.00	81	1.36	1.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	उत्तर प्रदेश	औरया	बाबरपुर	1	4.88	180	3.24	3.24
20.	उत्तर प्रदेश	बलिया	बलिया	1	9.07	313	5.67	2.83
21.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	बनत	1	10.36	476	6.50	6.50
22.	उत्तर प्रदेश	बागपत	बड़ौत	1	4.41	208	3.00	2.84
23.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	बस्ती	1	4.58	163	3.01	3.01
24.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	बीइकेएपीयूआर, जिला फैजाबाद	1	2.22	84	1.51	1.44
25.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	बेल्ह	1	18.19	676	12.12	12.12
26.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	भतवाली	1	5.43	199	3.60	3.60
27.	उत्तर प्रदेश	औरया	भिकमपुर	1	1.18	48	0.81	0.81
28.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	बीआईसीएचएचएआरआई, मुगल्सरै	1	7.45	273	4.93	4.93
29.	उत्तर प्रदेश	औरया	बिधूना	1	14.73	600	9.98	9.98
30.	उत्तर प्रदेश	बांदा	बीआईएसएएनडीए ऑफ डीआईएसटीटी, बीएएनडीए, यू.पी.	1	2.77	96	1.78	1.78
31.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	बीआईएसडब्ल्यूएएन डीआईएसटीटी, सीतापुर	1	6.44	252	4.40	4.40
32.	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	बीआईएसडब्ल्यूएएन, डआईएसटीटी, कानपुर	1	2.86	108	1.95	1.95
33.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुग्रसि (फेज-1)	1	3.65	192	2.64	2.64
34.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुग्रसि (फेज-2)	1	9.26	239	4.99	2.50
35.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुलंदशहर	1	23.87	750	14.85	7.42
36.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चकिया	1	1.18	48	0.77	0.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चंदौली (फेज-1)	1	6.88	263	4.50	4.50
38.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चंदौली (फेज-2)	1	3.95	168	2.55	1.27
39.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	चतरि	1	2.69	112	1.95	1.95
40.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	छत्त	1	1.55	48	0.96	0.96
41.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	चिब्रमौ (फेज-1)	1	5.90	240	4.00	4.00
42.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	चिब्रमौ (फेज-2)	1	15.91	648	10.80	10.80
43.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	चुनर	1	5.97	216	3.91	3.91
44.	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	दद्रि (फेज-1)	1	3.07	216	2.34	2.34
45.	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	दद्रि (फेज-2)	1	17.43	637	11.54	11.54
46.	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	दनकौर	1	0.66	48	0.50	0.50
47.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	दरन	1	4.29	204	2.78	2.78
48.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	देरपुर	1	1.85	72	1.22	1.22
49.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्रा	दुद्धि	1	15.48	451	8.05	4.03
50.	उत्तर प्रदेश	औरया	दिबियपुर	1	1.75	72	1.15	1.15
51.	न्जजंज च्त्तंकमी	एटा	एटा	1	2.58	96	1.72	1.72
52.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद (फेज-1)	1	17.24	393	12.28	9.06
53.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद सीआईटीवाय, (फेज-2)	1	41.95	1197	25.31	12.65
54.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	फरीद नगर	1	7.54	288	5,02	5.02
55.	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद टी.ए.	1	1.89	72	1.28	1.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	फतेहपुर	1	5.17	216	3.31	3.31
57.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	घिरोर	1	16.10	450	9.62	4.81
58.	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	जीएचएएसआईजीएएनजे, सुलतानपुर	1	3.14	116	2.08	1.04
59.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	1	18.37	1236	14.00	14.00
60.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	गाजीपुर	1	11.99	420	7.48	3.74
61.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्रा	घोरवल	1	15.42	656	9.40	9.40
62.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	गोकुल	1	2.83	88	1.76	1.76
63.	उत्तर प्रदेश	खेरी	गोल टीओडब्ल्यूएन, जिला लखीमपुर	1	3.12	120	2.13	1.07
64.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	गोपमौ	1	3.80	144	2.53	1.26
65.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर (फेज-1)	1	16.75	611	11.09	11.09
66.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर (फेज-2)	1	17.44	628	10.79	5.40
67.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	गोसैगंज	1	1.92	72	1.30	1.24
68.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (फेज-1)	1	1.97	72	1.34	1.34
69.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (जेएडब्ल्यूएएचएआर एनएजीएआर) (फेज-2)	1	2.00	72	1.42	1.42
70.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (पीएटीड़एल एएजीएआर) (फेज-3)	1	1.84	60	1.29	1.24
71.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (फेज-4)	1	8.47	252	5.72	2.86
72.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर	हासनपुर	1	0.81	36	0.53	0.53
73.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	हस्तिनापुर (फेज-1)	1	19.10	582	10.90	10.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	हस्तिनापुर (फेज-2)	1	13.18	306	7.66	3.83
75.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	हैदराबाद	1	4.21	168	2.79	2.79
76.	उत्तर प्रदेश	इटावा	जसवंत नगर (फेज-1)	1	6.02	240	4.11	4.11
77.	उत्तर प्रदेश	इटावा	जसवंत नगर (फेज-2)	1	5.66	228	3.72	1.86
78.	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	जेवर	1	6.70	272	4.32	4.32
79.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	झलु (फेज-1)	1	1.50	56	1.02	1.02
80.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	झलु (फेज-2)	1	5.78	450	3.77	3.56
81.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	झिंझक	1	10.71	492	7.15	7.15
82.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर	जोय	1	0.93	42	0.61	0.61
83.	उत्तर प्रदेश	जालौन	कदौर टीओडब्ल्यूएन, जिला जालौन	1	4.25	156	2.71	2.71
84.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	कक्रि	1	16.95	629	11.20	11.20
85.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खानपुर	1	2.21	96	1.61	1.61
86.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	खर्खुद	1	2.66	96	1.81	1.81
87.	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	किछौच	1	1.88	72	1.24	1.24
88.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	किश्नि	1	21.04	748	13.06	6.53
89.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	केओएसआई-कलन	1	8.82	384	5.45	5.45
90.	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	कोएरिपुर	1	6.08	180	3.63	1.82
91.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	कुंद टीओडब्ल्यूएन, जिला प्रतापगढ़	1	6.43	272	3.95	3.95
92.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खुर्जा	1	6.89	119	4.32	2.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	कुराँन	1	4.97	209	3.24	3.24
94	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	केयूआरएआरए, जिला हमीरपुर	1	3.58	132	2.29	2.18
95.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	लालगंज	1	9.62	246	6.31	3.15
96.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	लार	1	28.01	1527	18.70	14.02
97.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लाल गोपालगंज	1	8.03	396	5.11	5.11
98.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	लवर	1	8.38	359	5.36	5.36
99.	उत्तर प्रदेश	मउ	मउ सिटी	1	19.22	479	10.73	5.37
100.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	महवन	1	1.66	72	1.03	1.03
101.	उत्तर प्रदेश	माहोबा	माहोबा टीओडब्ल्यएन, जिला महोबा उत्तर प्रदेश	1	2.61	84	1.69	1.63
102.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	महोन	1	20.82	762	13.78	13.78
103.	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	महाराजगंज	1	11.42	399	7.10	3.55
104.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	मलीहाबाद	1	4.05	148	2.68	2.68
105.	उत्तर प्रदेश	चित्रकुट	मानिक पीयूआर, जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश	1	3.86	144	2.45	2.45
106.	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	मंझनपुर	1	3.19	120	2.13	1.07
107.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	मिर्जापुर	1	20.71	536	14.27	14.27
108.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	मिर्जापुर सिटी	1	25.52	853	16.31	16.31
109.	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	1	3.19	132	2.15	2.04
110.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	1.31	48	0.87	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	मुगलसराय	1	4.22	168	2.75	1.37
112.	उत्तर प्रदेश	छत्रपति शाहुजि महाराज नगर	मुसाफिर खान	1	15.86	534	9.91	4.95
113.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर (03 एसएलयूएमएस)	1	10.44	255	6.15	3.08
114.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	नंदगांव	1	6.93	224	4.27	4.27
115.	उत्तर प्रदेश	बांदा	नरैनी	1	2.10	72	1.35	1.35
116.	उत्तर प्रदेश	बरेली	नवाबगंज	1	1.38	48	0.87	0.87
117.	उत्तर प्रदेश	बरेली	नवाबगंज	1	3.60	144	2.39	2.39
118.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	नेहतौर	1	0.70	48	0.53	0.53
119.	उत्तर प्रदेश	एटा	निधौलि कलां	1	1.62	60	1.08	1.03
120.	उत्तर प्रदेश	पिलीभीत	नुरिय एचयूएसएआईएनपीयूआर, एचयएसएआईएनपीयूआर जिला पिलीभीत	1	25.37	886	15.76	15.76
121.	उत्तर प्रदेश	जालौन	औरइ टाउन (एलएएचएआरआईवायएपीयूआर) जिला जालौन, उत्तर प्रदेश	1	7.16	288	4.50	4.50
122.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	पी.पी. गंज	1	19.02	544	11.29	5.65
123.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	पच्पेर्व	1	1.02	48	0.77	0.77
124.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	पर्सदेपुर	1	34.50	1028	21.78	21.78
125.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	पीएएलआई, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	1	3.92	144	2.50	2.50
126.	उत्तर प्रदेश	औरया	फफूंद	1	1.50	60	0.98	0.98
127.	उत्तर प्रदेश	जालौन	पिछोर नियर बजरंग सीओएलओएनवाय, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश	1	4.01	144	2.57	2.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1	14.13	531	9.41	9.41
129.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	पडरौना	1	29.94	912	17.73	8.87
130.	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	रबुपुर	1	0.84	72	0.64	0.64
131.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली (फेज-1)	1	1.52	100	1.16	1.16
132.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली (फेज-2)	1	20.85	353	14.87	14.87
133.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	राम नगर	1.	2.59	96	1.72	1.72
134.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर (फेज-1)	1	4.14	156	2.69	1.35
135.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर (फेज-2)	1	11.29	462	7.37	7.37
136.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	रसूलबाद	1	5.24	216	3.59	1.79
137.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	रय	1	1.53	48	0.95	0.95
138.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	रायबरेली	1	37.38	1031	22.42	11.21
139.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	रायबरेली (07 एसएलयूएम)	1	19.19	429	12.08	6.04
140.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	सदत्त	1	0.93	36	0.61	0.61
141.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	सहारनपुर (फेज-1)	1	3.90	208	2.54	2.54
142.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	सहारनपुर (फेज-2)	1	11.75	456	7.32	7.32
143.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	सलारगंज	1	7.93	336	5.40	5.13
144.	उत्तर प्रदेश	संत रविदास नगर	संत रविदास नगर	1	8,76	360	5.73	5.73
145.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	एनएएनडीआईएलए, हरदोई	1	8.00	252	4.68	2.34
146.	उत्तर प्रदेश	बरेली	सॉन	1	4.17	160	2.59	1.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	सरायमीर	1	3.85	144	2.56	1.28
148.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	सौरिख	1	3.47	144	2.35	2.35
149.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	सेहजंव	1	1.94	72	1.18	1.18
150.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	शंकर्गर्ह	1	9.17	407	5.93	5.93
151.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	शीवली	1	3.33	132	2.15	2.15
152.	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	शिवजपुर	1	3.34	132	2.26	2.26
153.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	सिकंदरा	1	5.28	204	3.42	3.42
154.	उत्तर प्रदेश	खेरी	सिंगहि	1	3.13	108	2.01	1.01
155.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	थकुर्द्वर (फेज-1)	1	5.57	210	3.69	3.69
156.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	थकुर्द्वर (फेज-2)	1	29.26	846	15.20	7.60
157.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	तिर्व	1	7.37	312	4.98	2.49
158.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	तिर्व खस	1	11.73	528	7.86	3.93
159.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उगु	1	3.06	120	2.03	2.03
160.	उत्तर प्रदेश	बुदौन	उझनि	1	1.29	128	0.98	0.98
161.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	उम्रि कला	1	7.79	306	5.11	5.11
162.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उन्नाव	1	2.51	96	1.72	1.72
163.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	उतरौल	1	1.74	60	1.21	1.16
164.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	वृंदावन	1	6.31	276	3.90	3.90
	कुल		143	164	1325.10	47399	846.08	683.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तराखंड	अलमोड़ा	अलमोड़ा	1	8.33	217	4.22	2.11
2.	उत्तराखंड	चम्पावत	चम्पावत	1	3.81	73	2.15	1.07
3.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	दिनेशपुर	1	11.78	387	6.99	3.50
4	उत्तराखंड	नैनीताल	एचएएलडीडब्ल्यूएएनआई, इंदिरा नगर	1	13.47	501	6.51	3.26
5.	उत्तराखंड	नैनीताल	एचएएलडीडब्ल्यूएएनआइ, काठगोदाम	1	11.85	422	5.95	2.97
6.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	जसपुर (फेज-1)	1	6.30	192	4.06	3.05
7.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	जसपुर (फेज-2)	1	1.57	48	0.94	0.94
8.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	किच्च	1	5.63	159	3.42	2.56
9.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	काशीपुर	1	11.96	428	6.97	3.48
10.	उत्तराखंड	नैनीताल	कलदुंगि	1	10.48	290	6.37	6.37
11.	उत्तराखंड	नैनीताल	लल्कुअन	1	3.59	100	2.40	1.80
12.	उत्तराखंड	नैनीताल	लंदौर (फेज-1)	1	10.10	264	6.33	4.74
13.	उत्तराखंड	नैनीताल	लंदौर (फेज-1)	1	2.58	100	1.26	1.26
14.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	महुअखेर गंज	1	11.87	403	6.93	6.93
15.	उत्तराखंड	देहरादून	मुस्सोरिए	1	5.10	96	2.67	1.33
16.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	महुदब्र	1	9.25	266	5.59	5.59
17.	उत्तराखंड	हरिद्वार	मंगलौर	1	13.45	461	6.47	3.23
18.	उत्तराखंड	गर्हवल	पौड़ी	1	4.52	178	2.25	2.25
19.	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	पिथौर्गह नगर	1	10.96	200	6.26	6.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	उत्तराखंड		रूद्रपुर	1	16.27	378	7.35	3.68
21.	उत्तराखंड	गर्ह्वल	श्रीनगर	1	1.33	53	0.66	0.66
22.	उत्तराखंड	देहरादून	विकास नगर	1	3.34	194	2.17	2.17
	कुल		19	22	177.55	5410	97.92	69.23
1.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	अलीपुरद्वार (फेज-1)	1	8.24	420	5.92	5.92
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	जलपाईगुड़ी	अलीपुरद्वार (फेज-2)					0.00
2.	पश्चिम बंगाल	हुगली	आरामबाग	1	10.00	522	8.00	4.00
3.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	अशोकनगर कल्यंगर्ह (फेज-1)	1	16.40	848	11.76	8.82
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	उत्तर चौबीस परगना	अशोकनगर कल्यंगर्ह (फेज-2)					0.00
4.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बदुरिअ (फेज-1)	1	10.30	516	7.41	7.41
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	उत्तर चौबीस परगना	बदुरिअ (फेज-2)					0.00
5.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	बलुरघाट (फेज-1)	1	15.77	790	12.62	12.62
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	दक्षिण दिनाजपुर	बलुरघाट (फेज-2)					0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	बांकुरा (फेज-1)	1	6.58	415	4.92	4.92
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	बांकुरा	बांकुरा (फेज-2)					0.00
7.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बसीरहाट (फेज-1)	1	15.46	1069	11.35	11.35
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	उत्तर चौबीस परगना	बसीरहाट (फेज-2)					0.00
8.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	बेल्दंग (फेज-1)	1	6.17	362	4.94	4.94
9.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	बरहामपुर	1	4.12	168	2.04	1.02
10.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	बिरनगर (फेज-1)	1	5.93	300	4.27	4.27
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	नाडिया	बिरनगर (फेज-1)					0.00
11.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बिश्नुपुर	1	7.00	364	5.02	2.51
12.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	बोलपुर	1	9.92	573	7.02	7.02
13.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बोनगांव	1	14.64	767	11.71	5.86
14.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	बर्दवान	1	22.46	1629	17.03	17.03
15.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	चक्दह (फेज-1)	1	15.20	887	12.16	12.16
16.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	चक्दह (फेज-2)	1	8.69	440	6.39	6.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	चंद्रकोन	1	6.99	350	5.03	5.03
18.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	कोंटाई (फेज-1)	1	12.35	636	9.60	8.99
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	मेदिनीपुर	कोंटाई (फेज-2)					0.00
19.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	चूच्बेहर (फेज-1)	1	9.34	632	6.75	6.75
20.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	चूच्बेहर (फेज-2)	1	6.90	320	5.11	2.55
21.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	चूपेर्स कैम्प	1	8.90	450	6.40	6.40
22.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	दैंहत (फेज-1)	1	7.21	390	5.14	5.14
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	बर्द्धमान	दैंहत (फेज-2)					0.00
23.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	दलखोला (फेज-1)	1	6.44	360	4.58	4.58
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	उत्तर दिनाजपुर	दलखोला (फेज-2)					0.00
24.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	1	20.66	890	15.18	7.59
25.	पश्चिम बंगाल	हॉर	धुलियन	1	8.00	400	5.76	5.76
26.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	धुपुरि	1	10.16	509	7.31	7.31
27.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण चौबीस परगना	डायमंड हार्बर	1	9.98	591	7.98	3.99
28.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	दिनहाटा	1	6.25	319	4.49	4.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	पश्चिम बंगाल	बिर्भुभ	दुब्रजपुर	1	8.12	416	5.83	5.83
30.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	एग्र (फेज-1)	1	8.64	332	4.78	4.78
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		मेदिनीपुर	एग्र (फेज-2)					0.00
31.	पश्चिम बंगाल	मल्दह	एंग्लिश्बजर	1	16.74	852	13.40	13.40
32.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	जीएएनजीएआरएएमपीयूआर (फेज-1)	1	12.06	685	8.74	8.74
33.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	जीएएनजीएआरएएमपीयूआर (फेज-2)	1	9.91	467	7.33	7.33
34.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	घातल (फेज-1)	1	5.06	352	3.69	3.69
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		मेदिनीपुर	घातल (फेज-2)					0.00
35.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	गोबर्दग (फेज-1)	1	7.70	500	5.57	5.57
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		उत्तर चौबीस परगना	गोबर्दग (फेज-2)					0.00
36.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	गुश्कर	1	8.50	450	6.80	6.80
37.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	हावड़ा	1	15.21	896	10.57	10.57
38.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	एचएएलडीआईए (फेज-1)	1	8.61	645	6.89	6.89
39.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	एचएएलडीआईए (फेज-2)	1	15.89	795	12.72	12.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	हल्दिबरि (फेज-1)	1	5.70	304	4.08	4.08
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		कूच बिहार	हल्दिबरि (फेज-2)					0.00
41.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	इस्लामपुर	1	6.70	370	4.77	4.77
42.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी (फेज-1)	1	15.69	625	11.55	11.55
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी (फेज-2)					0.00
43.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जंगिपुर (फेज-1)	1	7.19	344	5.33	5.33
44.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जंगिपुर (फेज-2)	1	10.05	650	8.04	8.04
45.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	झालदा	1	7.98	408	6.38	3.19
46.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	झारग्राम (फेज-1)	1	9.62	645	7.00	7.00
47.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	झारग्राम (फेज-2)	1	4.00	205	3.20	3.20
48.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जेआईएजीएएनजे-अजिमगंज (फेज-1)	1	11.11	593	7.94	7.94
49.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जेआईएजीएएनजे-अजिमगंज (फेज-2)	1	10.20	521	8.16	3.16
50.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण चौबीस परगना	जोयनगर	1	4.68	225	3.22	3.22
51.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	कलिम्पोंग	1	11.99	567	9.59	9.59
52.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	कलियागंज	1	7.95	400	6.36	6.36
53.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	कालना	1	14.68	1060	10.69	10.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	कांदी (फेज-1)	1	8.98	555	7.18	6.74
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		मुर्शिदाबाद	कांदी (फेज-2)					0.00
55.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	कातवा	1	10.90	650	8.72	8.72
56.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	खरर	1	5.32	300	3.77	3.77
57.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	खर्गपुर (फेज-1)	1	4.67	272	3.42	3.42
58.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	खर्गपुर (फेज-2)	1	4.02	232	2.95	2.95
59.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	खर्गपुर (फेज-3)	1	5.32	306	3.86	3.86
60.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	खिपै	1	5.21	300	3.69	3.69
61.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	कृष्णनगर (फेज-1)	1	12.80	640	9.22	9.22
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		नाडिया	कृष्णनगर (फेज-2)					0.00
62.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	कुर्सेओंग	1	11.99	565	9.59	9.59
63.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	मल मुनिचिपलित्य	1	7.00	465	4.86	4.86
64.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	मथभंगा	1	3.19	181	2.32	2.32
65.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	मथभंगा	1	8.56	402	6.34	3.17
66.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	मेखलीगंज	1	5.22	294	3.71	3.71
67.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	मेमरि (फेज-1)	1	11.25	621	8.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		बर्द्धमान	मेमरि (फेज-2)					0.00
68.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	मिद्नपोर (फेज-1)	1	15.73	948	11.63	11.63
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		मेदिनीपुर	मिद्नपोर (फेज-2)					0.00
69.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	मिरिक	1	7.96	423	6.36	6.36
70.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद	1	8.74	497	6.74	6.74
71.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	नवद्वीप (फेज-1)	1	10.53	735	7.25	3.63
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		नाडिया	नवद्वीप (फेज-2)					0.00
72.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	नलहाटी	1	6.78	330	4.89	4.89
73.	पश्चिम बंगाल	मालदा	ओल्ड मालदा	1	10.78	550	8.63	8.63
74.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	पंस्कुर (फेज-1)	1	7.31	498	5.29	5.29
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		मेदिनीपुर	पंस्कुर (फेज-2)					0.00
75.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	पुरुलिया	1	8.07	611	6.18	3.09
76.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	रघुनाथपुर	1	7.90	400	6.32	3.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	रायगंज (फेज-1)	1	26.28	2000	19.81	19.81
	दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना	उत्तर दिनाजपुर	रायगंज (फेज-2)					0.00
78.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	रम्जिबनपुर	1	5.34	300	3.79	3.79
79.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	रम्पुर्हत	1	10.89	603	8.71	4.35
80.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राणाघाट (फेज-1)	1	2.97	155	2.17	2.17
81.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राणाघाट (फेज-2)	1	5.75	297	4.60	2.30
82.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	सैंथिअ	1	6.67	340	4.79	4.79
83.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	शांतिपुर	1	7.13	357	5.13	2.57
84.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	सिलीगुड़ी (फेज-1)	1	39.15	1998	29.46	29.46
85.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	सिलीगुड़ी (फेज-2)	1	19.99	1206	14.06	14.06
86.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	सिलीगुड़ी (फेज-3)	1	35.99	1859	28.79	28.79
87.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	स्लद (योजना सं. 18665)	1	0.64	75	0.15	0.15
88.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	सोनमुखि	1	3.74	200	2.72	2.72
89.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	सुरी	1	14.47	728	11.58	5.79
90.	पश्चिम बंगाल	नाडिया	तहेरपुर (फेज-1)	1	7.76	390	4.97	4.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		नाडिया	तहेरपुर (फेज-2)					0.00
91.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	तकि (फेज-1)	1	5.42	307	3.94	3.94
92.	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	तकि (फेज-2)	1	6.99	504	5.59	5.59
93.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	तामलुक	1	8.94	456	7.15	7.15
94.	पश्चिम बंगाल	हुगली	तरकेश्वर (फेज-1)	1	9.89	584	7.91	7.91
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		हुगली	हुगली					0.00
95.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	तुफगंज चरण-1	1	6.11	308	4.39	4.39
दिनांक 18.08.11 की सीएससी की 110वीं मिटिंग में निरस्त परियोजना		कूच बिहार	कूच बिहार					0.00
	कुल		81	95	944.36	52666	709.02	646.36
	सकल योग		927	1083	11936.91	563807	7660.08	5376.67

विवरण-II

रे के *अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं*

क्र. सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	केशव नगर स्लम की डीपीआर; स्व-स्थाने पुन: विकास आरएवाई प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत जीएचएमसी
2.	मध्य प्रदेश	इंदौर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (1463 रिहायशी इकाइयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (महोदव नगर, इंद्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-2, निपनिया ग्राम काकड, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-1 ओर राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर की प्रायोगिक डीपीआर)
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की स्लम मुक्त शहर आयोजना (740 रिहायशी इकाइयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (1) एमएलबी स्कूल के पीछे (2) साररा पीपर (3) चौधीर मोहल्ला (4) रविदास नगर की प्रायोगिक डीपीआर
4.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) ग्वालियर नगर निगम की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (934 रिहायशी इकाइयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म सं.-1, शांति नगर वार्ड सं. 21, कैंसर पहाड़ी, महलगांव की पहाड़ी) की प्रायोगिक डीपीआर
5.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत सागर मेट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (780 रिहायशी इकाइयां के अनुसार चिन्हांकित तीन स्लमों) (किशोर न्यायालय के पास वाली स्लम, खुटई बस स्टैंड के पीछे वाली स्लम और कसाई बस्ती) की प्रायोगिक डीपीआर
6.	केरल	तिरुवंनतपुरम	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत माथीपुरम कालोनी, विजहित गम, तिरुवंनतपुरम, केरल (1032 रिहायशी इकाइयों) के लिए प्रायोगिक परियोजना
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	आरएवाइ (प्रायोगिक परियोजना) रंगा माटिया स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए डीपीआर
8.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किरोन की धाणी स्लम जयपुर (1104 रिहायशी इकाइयां) राजस्थान के लिए प्रायोगिक परियोजना

विवरण-III

जेएनएनयूआरएम

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

दिनांक 27.11.2012 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-2010			2010-2011			2011-2012			2012-2013		
		कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश			240.89			306.93	172.27	113.07	197.36			15.46
2.	अरुणाचल प्रदेश			10.99			0.84	17.55	15.65	0			2.62
3.	असम			24.40			12.26						
4.	बिहार			0.00									
5.	छत्तीसगढ़	41.64	29.6	83.80			7.44	218.77	171.61				
6.	चंडीगढ़			89.91			38.28	11.55	8.62	147.06			
7.	दिल्ली			0	1905.13	893.88	183.69	741.92	330.51	116.05			58.36
8.	गोवा												
9.	गुजरात	216.19	103.22	137.25	27.61	12.49	158.44	401.52	216.22	23.41			57.14
10.	हरियाणा						7.79						
11.	हिमाचल प्रदेश									2.80			
12.	जम्मू और कश्मीर			4.92			3.19			10.35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	झारखंड			1.80	159.71	77.15	37.48						
14.	कर्नाटक			74.37			49.97	10.96	4.68	102.29			9.51
15.	केरल			24.00			50.72			7.46			32.97
16.	मध्य प्रदेश			51.63			56.65			32.73			1.95
17.	महाराष्ट्र	807.37	400.11	232.55			293.87	638.74	326.88	313.40			3.23
18.	मेघालय			10.09						10.09			
19.	मणिपुर			10.98						21.95			
20.	मिजोरम			12.80			7.23			12.80			
21.	ओडिशा			0			9.95			7.71			
22.	पंजाब			8.32			9.04	96.42	48.21				12.05
23.	पुदुचेरी	92.00	50.89	13.78			1.07			7.01			1.06
24.	सिक्किम			6.56			7.96			6.57			
25.	नागालैंड			0			26.40						
26.	राजस्थान			0	181.5	88.11	43.17						
27.	तमिलनाडु			126.71			162.36	15.79	7.89	87.31			1.97
28.	त्रिपुरा			6.98									
29.	उत्तर प्रदेश			71.14	11.67	5.40	284.49	11.28	4.80	183.98			
30.	उत्तराखंड	39.42	30.36	0.00			10.61			1.29			
31.	पश्चिम बंगाल			87.84	710.33	355.17	150.33	558.67	277.71	289.00			137.17
	कुल	1196.6	614.18	1381.73	2996.45	1432.20	1920.16	2898.44	1528.85	1580.62	0.00	0.00	333.49

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

दिनांक 27.11.2012 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-2010			2010-2011			2011-2012			2012-2013		
		कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश			195.03			114.86			1.82			13.66
2.	अरुणाचल प्रदेश						4.48						
3.	असम	17.92	13.73	11.17									
4.	बिहार	81.10	38.51		156.63	67.40	19.26	326.04	150.91	24.11			106.54
5.	छत्तीसगढ़			43.57			13.74						
6.	गोवा							4.10	1.40	0			0.70
7.	गुजरात	23.83	6.32	13.99			6.46	176.58	98.83	19.94			49.42
8.	हरियाणा			13.37			19.81	49.33	37.73	29.20			12.43
9.	हिमाचल प्रदेश			10.44	17.38	11.71	5.85	2.39	1.30				
10.	जम्मू और कश्मीर	25.72	17.86	9.61	36.88	29.72	5.38			26.75			
11.	झारखंड				74.59	43.35	13.94			10.60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक			38.46			37.84			69.42			
13.	केरल	80.59	55.29	8.24			30.72			13.13			5.66
14.	मध्य प्रदेश	48.90	28.87	12.48	26.46	16.78	6.77	30.56	18.82	18.23			2.47
15.	महाराष्ट्र	30.50	20.19	92.29			84.06	1145.05	641.2	52.14			136.52
16.	मणिपुर	16.04	11.66	4.48			5.66	26.83	19.85	16.02			
17.	मेघालय			6.72									
18.	मिजोरम			11.12				16.80	11.26	14.89			
19.	नागालैंड	2.39	0.60	7.85				30.00	19.69				
20.	ओडिशा	16.99	9.45	17.92	8.17	5.42	4.73	17.45	11.37	22.80			8.46
21.	पंजाब				253.01	99.76	50.46	23.70	12.10				6.05
22.	राजस्थान	81.85	45.94	43.94	304.28	196.00	122.00	265.95	123.69	4.96			55.56
23.	सिक्किम	19.91	17.92	8.96									
24.	तमिलनाडु	40.97	18.73	90.85			70.92	93.18	62.71	11.59			31.36
25.	त्रिपुरा	16.44	14.11	19.02			12.36						
26.	उत्तर प्रदेश	160.35	100.63	18.49	299.77	177.76	198.20	59.92	33.70	198.97			
27.	उत्तराखंड	155.42	87.66	26.99			16.84	16.27	7.35	17.47			6.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	0.64	0.15	72.14			34.15			147.58			
29.	दिल्ली												
30.	पुदुचेरी			0.43									
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			3.16									
32.	चंडीगढ़												
33.	दादरा और नगर हवेली	5.24	2.89				1.44						
34.	लक्षद्वीप												
35.	दमन और दीव												
	कुल	824.80	490.51	780.72	1177.17	647.50	879.93	2284.14	1231.91	499.62	0.00	0.00	435.31

विवरण-IV

राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	एसीए की (केन्द्रीय अंशदान का 1/3)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	केशव नगर स्लम की डीपीआर; स्व-स्थाने पन: विकास आरएवाई प्रयोगिक परियोजना के अंतर्गत जीएचएमसी (1198 रिहायशी इंकाईया)	5874.59	741.59
2.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (1463 रिहायशी इंकाईया) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (महादेव नगर, इंद्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-2, निपनिया ग्राम काकड, अन्नस भाउ साठे चिकित्सा नगर-I, और राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर की प्रयोगिक डीपीआर)	8433.55	1242.85
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना (आरएवाई) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की स्लम मुक्त शहर आयोजना (740 रिहायशी इकाईयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (1) एमएलबी स्कूल के पीछे (2) साररा पीपर (3) चौधी मोहल्ला (4) रविदास नगर) की प्रायोगिक डीपीआर	3694.58	557.65
4.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम की स्लम मुक्त शहरी आयोजा (934 रिहायशी इकाइंया) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म सं-1, शांति नगर वार्ड सं-21, कैंसर पहाड़ी महलगांव की पहाडी) की प्रयोगिक डीपीआर	5715.52	842.03
5.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवस योजना (आरएवाई) के अंतर्गत सागर मैट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (780 रिहायशी इकाईया के अनुसार चिन्हांकित तीन स्लमों) (किशोर न्यायालय के पास वाली स्लम, खुरई बस स्टैंड के पीछे वाली स्लम और कसाई बस्ती) की प्रयोगिक डीपीआर	3511.32	500.89

1	2	3	4	5	6
6.	केरल	तिरूवनन्त पुरम	राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत माथीपुरम कालोनी, विजहिनजाम गम, तिरूवंतपुरम, केरल (1032 रिहायशी इकाइयों) के लिए प्रायोगिक परियोजना	7186·94	1157·39
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	आरएववाई (प्रयोगिक परियोजना) रंगा ताटिया स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए डीपीआर	4476·61	606·86
8.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवा योजना के अंतर्गत किरोन की धाणी स्लम जयपुर (1104 रिहायशी इकाइयां) राजस्थान के लिए प्रयोगिक परियोजना	5729·2	919·9

भंडारण क्षमता

1760. श्री पी.के. बिजू :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री मंगली लाल मंडल :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री बलीराम जाधव :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें नए खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण हेतु चुनौतियों का सामना कर रही हैं क्योंकि वर्तमान भंडारण क्षमता गत वर्ष के स्टॉक से भरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्टॉक, भंडारण हेतु उपलब्ध क्षमता और आगामी खरीद सत्र में खाद्यन्नों की अनुमानित खरीद सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या कनाडा सहित किसी अन्य देश ने भारत में भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी करने के काम में रूचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भंडारण क्षमता के सृजन हेतु राज्यों को सहायता और वर्तमान स्टॉक को समाप्त करने सहित अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) जी, नहीं। दिनांक 301.10 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कवर्ड कवर तथा प्लिंथ में भंडारण क्षमता 374·55 लाख टन थी। खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टॉक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर्ड और कैप, दोनों भंडारण क्षमता 341.35 लाख टन थी। इस प्रकार खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टॉक के भंडारण के लिए कुल लगभग 716 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है जबकि 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार 695.29 लाख टन स्टॉक

है। खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के चालू मौसम में 401.31 लाख टन चावल की खरीद होने का अनुमान है।

खाद्यान्नों की खरीदारी बढ़ने के कारण देश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए कवर्ड भंडारण गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम तैयार की है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशकों को 10 वर्ष के लिए भंडारण प्रभारों की गारंटी देता है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन 19 राज्यों में गोदामों का निर्माण करने के लिए 181.08 लाख टन क्षमता की मंजूरी दी गई है, जिसमें साइलोज के लिए 20 लाख टन भंडारण क्षमता शामिल है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अलावा भारतीय खाद्य निगम के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में 5.40 लाख टन कुल अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन की योजना स्कीम भी है जिसके अधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन कुछ अन्य कमी वाले राज्यों को भी कवर किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने अल्पकालिक किराए की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वर्ष के लिए खुली निविदाओं के जरिए प्राइवेट गोदाम किराए पर लेने की स्कीम को भी अंतिम रूप दिया है, इस अवधि को एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक खाद्यान्नों करो जारी करने के संबंध है, सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। इसने पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राज्यों को 50 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों का आबंटन भी किया है। वर्ष 202-13 के दौरान सूखा राहत, बाढ़ राहत, त्यौहार आदि के लिए राज्यों को 7.1 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन भी किया गया है। भारत सरकार ने 2012-13 के दौरान आज की तारीख तक सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन 49 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन भी किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार और वाधवा समिति की सिफारिशों पर विभाग ने 2011-12 के दौरान अतिरिक्त गरीबी रेखाा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 23.69 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। इसके अलावा वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने 19.42 लाख टन खाद्यान्नों का और आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त, 2012-13 में खुला बाजार बिक्री योजना-खुदरा और थोक के अधीन वितरण करने के लिए 100 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल का आबंटन किया गया है।

सितम्बर, 2010 में कनाडा के कृषि एवं कृषि खाद्य मंत्री के भारत दौरे के दौरान कनाडा पक्ष ने भंडारण में अपनी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने में रूचि दिखाई थी। तथापि, कनाडा अथवा किसी अन्य देश के साथ खाद्यान्नों के भंडारण के लिए कोई प्रस्ताव तय नहीं हुआ है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु स्पैक्ट्रम शुल्क

1761. श्री गजानन ध. बाबर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक संगठनों ने देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के लिए स्पैक्ट्रम शुल्क समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्पैक्ट्रम शुल्क माफ करने हेतु संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी विंग ने सूचित किया है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के लिए संशोधित स्पेक्ट्रम प्रभार वापस लेने हेतु सामुदायिक रेडियो मंचों सहित विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस मंत्रालय ने दिनांक 10 मई, 2012 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क में की गई वृद्धि को वापिस लेने हेतु अनुरोध किया था।

(घ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसे अभ्यावेदनों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए दूरसंचार विभाग में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सामुदायिक

रेडियो स्टेशनों के लिए स्पेक्ट्रम प्रभारों के संबंध में निर्माण लेने की कार्रवाई चल रही है।

खराब खाद्यान्न

1762. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अजय कुमार :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री निलेश नारायण राणे :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री जयप्रकाश अग्रवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बफर/सामरिक और फालतू स्टॉक रखने की नीति, भंडारण क्षमता की कमी और माल गोदामों की खराब स्थिति के कारण खाद्यान्नों के खराब होने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार खरीदे गए खाद्यान्न, बफर, सामरिक और फालतू स्टॉक की मात्रा, भंडारण स्थल की उपलब्धता और खुले में रखे गए खाद्यान्न और खराब हुए खाद्यान्नों की मात्रा का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्ना के खराब होने के बारे में राज्यों से रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल में विभिन्न राज्यों में गोदामों की उपलब्धता, उनके कार्यकरण और स्थिति की समीक्षा की है/आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वास्तव में पिछले वर्षों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा में गिरावट आ रही है। 2002-03 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में 1.35 लाख टन खाद्यान्नों की मात्रा क्षतिग्रस्त हुई, जो 2011-12 के दौरान कम होकर 0.03 लाख टन रह गई है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाजों) की राज्यवार खरीदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है। केन्द्रीय पूल के लिए खाद्य सुरक्षा रिजर्व सहित बफर मानदंड वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार, निर्धारित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए बफर मानदंड और केन्द्रीय पूल का स्टॉक संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। दिनांक 31.03.2010, 31.03.2011, 31.03.2012 और 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता के राज्यवार ब्यौरे क्रमश विवरण V, VI, VII और VIII में दिए गए हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कवर तथा प्लिथ भंडारण में भंडारित खाद्यान्नों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-IX में दिए गए हैं।

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास कैंप भंडारण में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों के स्टॉक का ब्यौरा संलग्न विवरण-X में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमशः 6702, 6346 टन और 3338 टन मात्रा क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुई है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हुई क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की मात्रा के राज्य-वार संलग्न विवरण-XI में दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम में नियमित और औचक निरीक्षणों के कारण घटिया/क्षतिग्रस्त स्टॉक से संबंधित मामलों का पता लगाया जा सका था और पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी:-

वर्ष	उन अधिकारियों की संख्या जिनके खिलाफ खाद्यान्नों के सड़ने/क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्रवाई की गई है
2009-10	28
2010-11	20
2011-12	19
2012-13 (30.09.212 तक)	10

(ङ) और (च) केन्द्रीय पूल के लिए भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद स्तर, बफर स्टॉक और उपभोक्ता राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पर निर्भर करती है। निजी उद्यमियों के जरिए भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन अपेक्षित भंडारण क्षमता का आकलन किया गया है।

प्रत्येक राज्य की खपत/खरीद जरूरत को पूरा करने के लिए जिला-वार भंडारण अंतर की गणना की गई थी। खपत वाले क्षेत्रों के लिए भंडारण अंतर का आकलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की 4 माह की जरूरत के आधार पर किया गया है जबकि खरीद राज्यों के लिए भंडारण अंतर का आकलन पिछले 3 वर्षों में उच्चतम स्टॉक स्तर के आधार पर और खरीद की संभावना को देखते हुए किया गया है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशकों को 10 वर्षों के लिए भंडारण प्रभारों की गारंटी देता है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन 19 राज्यों में गोदामों का निर्माण करने के लिए 181.08 लाख टन क्षमता की मंजूरी दी गई है। भारतीय खाद्य निगम की समूची भंडारण जरूरत के अन्दर साइलोज में भी 20 लाख टन क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन अनुमोदित कुल क्षमता अर्थात् 181.08 लाख टन क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-XII में दिए गए हैं।

निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन अनुमोदित 181.00 लाख टन क्षमता में से निजी निवेशकों के लिए 93.96 लाख टन क्षमता के लिए निविदाएं मंजूर की गई हैं। केन्द्रीय और राज्य भंडारण निगमों को अपनी भूमि पर गोदामों का निर्माण करने के लिए क्रमशः 6.50 लाख टन और 28.02 लाख टन क्षमता आवंटित की गई है (कुल मंजूर/आवंटित क्षमता 128;48 लाख टन है)। दिनांक 31.10.2012 तक 31.56 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है।

निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन क्षमता का सृजन करने की गति में तेजी लाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. नोडल एजेंसियों को बदलना: निजी उद्यमी गारंटी स्कीम में निवेशकों को आकर्षित करने में राज्य भंडारण निगमों से इधर कुछ राज्य स्तरीय एजेंसियों की विफलता को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति ने नोडल एजेंसियों को बदलने और भारतीय खाद्य निगम को नामित करने का निर्णय लिया है और इसके परिणामस्वरूप उत्तर मिलने में सुधार हुआ है।

2. भूमि संबंधित मुद्दों के मामले में इन्हें संबंधित राज्य के मुख्य सचिवों/सचिव (खाद्य) के साथ लगातार उठाया गया है ताकि समन्वय का तंत्र स्थापित किया जा सके और उनसे अनुरोध किया है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें तथा भूमि संबंधों मुद्दों को हल करने के लिए सचिव (राजस्व) और जिला कलेक्टर को इस अनुरोध के साथ शामिल करें कि तिमाही में कम से कम एक बार निजी उद्यमी गारंटी स्कीम की प्रगति की समीक्षा की जाए।

3. निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को कम से कम एक राष्ट्रीय और एक संबंधित राज्य में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा के प्रमुख क्षेत्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करने तथा इसे वैबसाइट पर डालकर इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया गया है। भावी निवेशकों को प्रोत्साहित करने और उनकी शंकाओं, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य एजेंसियों के सहयोग में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर निवेशक बैठकें/सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे।

4. भारतीय खाद्य निगम में मुख्यालय स्तर पर निवेशकों की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है और यदि आवश्यक हो तो शिकायतों की यथाशीघ्र जांच और निपटान के लिए फील्ड कार्यालय और नोडल एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान चावल की खरीद

(आंकड़े लाख टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	75.55	96.09	75.41	3.11
2.	असम	0.08	0.16	0.23	0.00
3.	बिहार	8.90	8.83	15.34	0.00
4.	चंडीगढ़	0.14	0.10	0.13	0.12
5.	छत्तीसगढ़	33.57	37.46	41.15	1.44
6.	दिल्ली	—	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	—	0,00	0.04	0.00
8.	हरियाणा	18.19	16.87	20.07	25.55
9.	हिमाचल प्रदेश	—	0.01	0.01	0.00
10.	झारखंड	0.23	0.00	2.75	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	—	0.11	0.09	0.02
12.	कर्नाटक	0.86	1.80	3.56	0.00
13.	केरल	2.61	2.63	3.72	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2.55	5.16	6.35	0.00
15.	महाराष्ट्र	2.29	3.08	1.78	0.07
16.	नागालैंड	—	0.00	0.00	0.00
17.	ओडिशा	24.96	24.65	28.65	0.00
18.	पुदुचेरी	0.08	0.40	0.05	0.00
19.	पंजाब	92.75	86.35	77.31	84.74
20.	राजस्थान	—	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	12.41	15.43	15.96	0.01
22.	उत्तर प्रदेश	29.01	25.54	33.57	1.22

1	2	3	4	5	6
23.	उत्तराखंड	3.75	4.22	3.78	0.31
24.	पश्चिम बंगाल	12.40	13.10	20.41	0.01
	कुल	320.34	341.98	350.35	116.62

नगण्य - 500 टन से कम।

*दिनांक 27.11.2012 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

पिछले चार रबी विपणन मौसम के लिए केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं की खरीद

(आंकड़े लाख टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	पंजाब	107.25	102.05	109.58	128.34
2.	हरियाणा	69.24	63.35	69.28	86.65
3.	उत्तर प्रदेश	38.82	16.73	34.61	50.63
4.	मध्य प्रदेश	19.68	35.38	49.65	84.93
5.	बिहार	4.97	1.83	5.56	7.72
6.	राजस्थान	11.52	4.76	13.03	19.64
7.	उत्तराखंड	1.45	0.86	0.42	1.39
8.	चंडीगढ़	0.12	0.09	0.07	0.17
9.	दिल्ली	—	0.10	0.08	0.31
10.	गुजरात	0.75	0.01	1.05	1.56
11.	झारखंड	नगण्य	0.00	—	—
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	0.02
13.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.01
14.	जम्मू और कश्मीर	0.01	—	—	0.09
15.	पश्चिम बंगाल		0.09	-	0.01
	कुल	253.82	225.25	283.35	381.48

नगण्य - 500 टन से कम।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मोटे अनाजों की खरीद

(आंकड़े टन)

वर्ष	जिंस	महाराष्ट्र	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	राजस्थान	गुजरात	हरियाणा	बिहार	कुल
2009-10	ज्वार	638									638
	बाजरा	4		26					76996		77026
	मक्का	5431	1042	266	6869	315250					328858
	रागी					306					306
2010-11	ज्वार	366		38							404
	बाजरा						11		73653		73664
	मक्का	2331	2610	8875		37657					51473
	रागी					2284					2284
2011-12	ज्वार										0
	बाजरा								17385		17385
	मक्का	139	450	16803							17392
	रागी					1157					1157
2012-13	ज्वार	1322		661							1983
	बाजरा										0
	मक्का			389							389
	रागी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण-IV

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए रणनीतिक रिजर्व सहित बफर मानदंड तथा स्टॉक की स्थिति

(आंकड़े टन)

तारीख	जिंस	बफर मानदंड (रणनीतिक रिजर्व सहित)*	खाद्यान्न का उपलब्ध स्टॉक			
			2009	2010	2011	2012
1 जनवरी	गेहूं	112	182.12	230.92	215.40	256.76
	चावल	138	175.76	243.53	255.80	297.18
	कुल	250	357.88	474.45	471.20	553.94
1 अप्रैल	गेहूं	70	134.29	161.25	153.64	199.52
	चावल	142	216.04	267.13	288.20	333.50
	कुल	212	350.33	428.38	441.84	533.02
1 जुलाई	गेहूं	201	329.22	335.84	371.49	498.08
	चावल	118	196.16	242.66	268.57	307.08
	कुल	319	525.38	578.50	640.06	805.16
1 अक्तूबर	गेहूं	140	284.57	277.77	314.26	431.53
	चावल	72	153.49	184.44	203.59	233.73
	कुल	212	438.06	462.21	517.85	665.26

*बफर मानदंडों में 30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का खाद्य सुरक्षा रिजर्व शामिल है।

विवरण-V

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन)

भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)			राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमताओं को छोड़कर)			सकल जोड़
	ढकी	कैप	कुल	ढकी	कैप	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश (अंडमान और निकोबार सहित)	35.56	2.62	38.18	6.03	0.00	6.03	44.21
अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.22	0.05	0.00	0.05	0.27
असम	2.73	0.00	2.73	0.40	0.00	0.40	3.13
बिहार	5.75	0.97	6.72	6.30	0.00	6.30	13.02
छत्तीसगढ़	8.43	0.00	8.43	9.42	0.00	9.42	17.85
दिल्ली	3.36	0.31	3.67	0.04	0.00	0.04	3.71
गुजरात	6.53	0.27	6.80	2.47	0.10	2.57	9.37
हरियाणा	21.11	3.34	24.45	19.78	51.29	71.07	95.52
हिमाचल प्रदेश	0.25	0.00	0.25	0.56	0.00	0.56	0.81
जम्मू और कश्मीर	1.31	0.00	1.31	1.12	0.00	1.12	2.43
झारखंड	1.17	0.02	1.19	0.02	0.00	0.02	1.21
कर्नाटक	7.21	1.16	8.37	2.70	0.00	2.70	11.07
केरल	5.17	0.20	5.37	1.46	0.00	1.46	6.83

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	9.15	0.35	9.50	22.16	0.20	22.35	31.86
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	19.11	1.02	20.13	10.67	0.00	10.67	30.80
मणिपुर	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.40
मेघालय	0.26	0.00	0.26	0.06	0.00	0.06	0.32
मिजोरम	0.23	0.00	0.23	0.56	0.00	0.56	0.79
नागालैंड	0.34	0.00	0.34	0.06	0.00	0.06	0.40
ओडिशा	6.43	0.00	6.43	3.78	0.00	3.78	10.21
पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	66.63	9.66	76.29	24.17	91.28	115.45	191.74
राजस्थान	12.95	3.13	16.08	2.25	0.11	2.36	18.44
तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	9.68	0.61	10.29	6.51	0.00	6.51	16.80
त्रिपुरा	0.51	0.00	0.51	0.39	0.00	0.39	0.90
उत्तर प्रदेश	21.57	5.30	26.87	26.16	1.11	27.27	54.14
उत्तराखंड	2.07	0.30	2.37	0.20	0.22	0.42	2.79
पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	10.66	0.51	11.17	3.67	0.00	3.67	14.84
कुल	258.59	29.77	288.36	151.19	144.31	295.50	583.8

*स्रोत: कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथा प्रस्तुत स्रोत।

#उपर्युक्त कॉलम 1 में उल्लिखित 31.3.10 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (कवर्ड/कैप एवं अपनी/किराए की) के पास उपलब्ध क्षमता संबंधी स्थिति मुख्यालय के रिकार्ड के अनुसार है। तथापि, पाई गई भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित राज्यों के आंकड़ों का मिलान करना अपेक्षित है।

तमिलनाडु - 0.4, केरल - 0.09, पश्चिम बंगाल - 0.60, बिहार - 0.32, मध्य प्रदेश - 0.08, गुजरात - 0.07, छत्तीसगढ़ - 0.03, महाराष्ट्र - 3.36 (अपनी 3.31, केन्द्रीय भंडारण निगम - 0.05), उत्तर प्रदेश - 0.17 (अपनी 0.12, केन्द्रीय भंडारण निगम - 0.07), उत्तराखंड - 0.05, जम्मू और कश्मीर - 0.02 कवर्ड और 0.10 कैप, दिल्ली - 0.21, असम - 0.07) एसटी-1

विवरण-VI

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन)

अंचल	क्र. सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगम सहित (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमताओं को छोड़कर) राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता		सकल जोड़		
			कवर्ड		कैप		कुल						
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	ढकी	कैप	ढकी	कैप	ढकी	कैप	ढकी + कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.32	1.00	0.00	5.98	1.00	6.96	0.00	12.94	1.00	13.94
	2.	झारखंड	0.66	0.63	0.05	0.00	1.29	0.05	0.08	0.00	1.37	0.05	1.42
	3.	ओडिशा	3.02	3.14	0.00	0.00	6.16	0.00	3.64	0.00	9.80	0.00	9.80
	4.	पश्चिम बंगाल	8.69	2.01	0.51	0.00	10.70	0.51	3.90	0.00	14.60	0.51	15.11
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.71	0.00	0.00	2.78	0.00	0.41	0.00	3.19	0.00	3.19
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.23	0.00	0.05	0.00	0.28	0.00	0.28
	8.	मेघालय	0.14	0.12	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.23	0.00	0.56	0.00	0.79	0.00	0.79
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.19	0.00	0.00	0.48	0.00	0.40	0.00	0.88	0.00	0.88
	11.	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.21	0.00	0.20	0.00	0.41	0.00	0.41
	12.	नागालैंड	0.20	0.13	0.00	0.00	0.33	0.00	0.07	0.00	0.40	0.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.31	0.00	3.36	0.31	0.00	0.00	3.36	0.31	3.67
	14.	हरियाणा	7.68	15.12	3.33	0.11	22.80	3.44	23.03	45.08	45.83	48.52	94.35
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.11	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	0.00	1.21	0.10	1.26	0.00	2.47	0.10	2.57
	17.	पंजाब	22.24	50.27	7.31	3.40	72.51	10.71	23.88	92.70	96.39	103.41	199.80
	19.	राजस्थान	7.06	6.69	1.85	1.72	13.75	3.57	0.00	0.00	13.75	3.57	17.32
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	17.30	5.19	0.00	32.25	5.19	4.11	0.00	36.36	5.19	41.55
	21.	उत्तराखंड	0.66	!38	0.21	0.11	2.04	0.32	0.91	0.00	2.95	0.32	3.27
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	29.20	2.62	0.00	41.93	2.62	11.55	0.00	53.48	2.62	56.10
	24.	केरल	5.17	0.00	0.20	0.00	5.17	0.20	0.00	0.00	5.17	0.20	5.37
	25.	कर्नाटक	3.78	3.44	1.16	0.00	7.22	1.16	2.17	0.00	9.39	1.16	10.55
	26.	तमिलनाडु	6.24	3.56	0.67	0.00	9.80	0.67	6.50	0.00	16.30	0.67	16.97
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	!76	0.27	0.00	6.76	0.27	3.92	0.00	10.68	0.27	10.95
	29.	महाराष्ट्र	12.05	8.11	1.02	0.10	20.16	1.12	18.35	0.00	38.51	1.12	39.63
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	4.28	0.36	0.00	7.65	0.36	31.35	0.00	39.00	0.36	39.36
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	3.87	0.00	0.00	8.99	0.00	10.24	0.00	19.23	0.00	19.23
		कुल	129.91	154.59	26.16	5.44	284.50	31.60	153.54	137.78	438.04	169.38	607.42

नोट: 1 भारतीय खाद्य निगम के जोनल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

2. असम के संबंध में सूचना दिनांक 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार दी गई है क्योंकि 31.3.2011 की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-VII

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन)

राज्य	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगम सहित (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमताओं को छोड़कर) राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता*		सकल जोड़	
	कवर्ड		कैप		कुल		राज्य एजेंसियां			
	अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	3.66	2.49	1.00	0.00	6.15	1.00	6.58	0.00	12.73	1.00
झारखंड	0.67	0.66	0.05	0.00	1.33	0.05	0.18	0.00	1.51	0.05
ओडिशा	3.02	2.94	0.00	0.00	5.96	0.00	5.36	0.00	11.32	0.00
पश्चिम बंगाल	8.69	2.02	0.51	0.00	10.71	0.51	3.32	0.00	14.03	0.51
असम	2.12	0.72	0.00	0.00	2.84	0.00	2.55	0.00	5.39	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.04	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00
मेघालय	0.14	0.12	0.00	0.00	0.26	0.00	0.15	0.00	0.41	0.00
मिजोरम	0.25	0.01	0.00	0.00	0.26	0.00	0.56	0.00	0.82	0.00
त्रिपुरा	0.29	0.19	0.00	0.00	0.48	0.00	0.43	0.00	0.91	0.00
मणिपुर	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.13	0.00	0.33	0.00
नागालैंड	0.20	0.13	0.00	0.00	0.33	स0.00	0.07	000	0.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दिल्ली	3.36	0.00	0.31	0.00	3.36	0.31	0.00	0.00	3.36	0.31
हरियाणा	7.68	15.93	3.33	0.16	23.61	3.49	26.60	51.61	50.21	55.10
हिमाचल प्रदेश	0.14	0.12	0.00	000	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	0.00	1.21	0.10	1.26	0.00	2.47	0.10
पंजाब	22.24	51.60	7.31	2.82	73.84	10.13	34.46	95.57	108.30	105.70
राजस्थान	7.06	8.86	1.85	4.27	15.72	6.12	2.48	0.00	18.20	6.12
उत्तर प्रदेश	14.95	27.18	5.19	0.21	42.13	5.40	1.37	0.00	43.50	5.40
उत्तराखंड	0.66	1.09	0.21	0.05	1.75	0.26	2.59	0.00	4.34	0.26
आंध्र प्रदेश	1273	34.18	2.62	0.00	46.91	2.62	16.07	0.00	62.98	2.62
केरल	5.17	0.00	0.20	0.00	5.17	0.20	0.00	0.00	5.17	0.20
कर्नाटक	3.81	3.34	1.36	0.00	7.15	1.36	5.85	0.00	13.00	1.36
तमिलनाडु	6.24	3.82	0.67	0.00	10.06	0.67	10.09	0.00	20.15	0.67
गुजरात	5.00	1.91	0.27	0.00	6.91	0.27	3.97	0.00	10.88	0.27
महाराष्ट्र	12.05	8.16	1.02	0.00	20.21	1.02	15.21	0.00	35.42	1.02
मध्य प्रदेश	3.37	1.87	0.36	0.00	5.24	0.36	44.34	0.00	49.58	0.36
छत्तीसगढ़	5.12	4.77	0.01	0.00	9.89	0.01	10.55	0.00	20.44	0.01
कुल	130.03	172.13	26.37	7.51	302.16	33.88	194.17	147.18	496.33	181.06
सकल जोड़	302.16		33.88		336.04		341.35		677.39	

*31.05.2012 की स्थिति के अनुसार भंडारण क्षमता।

नोट: कार्यकारी निदेशक (जोन), भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथा प्रस्तुत स्रोत।

विवरण-VIII

30.09.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और 31.05.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता

(आंकड़ें लाख टन)

क्र. सं.	राज्य	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगम सहित (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमताओं को छोड़कर) राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता*		सकल जोड़	
		कवर्ड		कैप		कुल		राज्य एजेंसियां			
		अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बिहार	3.66	2.55	1.00	—	6.21	1.00	6.58	—	12.79	1.00
2.	झारखंड	0.67	0.63	0.05	—	1.30	0.05	0.18	—	1.48	0.05
3.	ओडिशा	3.02	3.20	—	—	6.22	—	5.36	—	11.58	—
4.	पश्चिम बंगाल	8.69	2.00	0.51	—	10.69	0.51	3.32	—	14.01	0.51
5.	असम	2.12	0.74	—	—	2.86	—	2.55	—	5.41	—
6.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.04	—	—	0.22	—	—	—	0.22	—
7.	मेघालय	0.14	0.12	—	—	0.26	—	0.15	—	0.41	—
8.	मिजोरम	0.25	0.01	—	—	0.26	—	0.56	—	0.82	—
9.	त्रिपुरा	0.29	0.19	—	—	0.48	—	0.43	—	0.91	—
10.	मणिपुर	0.20	0.07	—	—	0.27	—	0.13	—	0.40	—
11.	नागालैंड	0.20	0.13	—	—	0.33	—	0.07	—	0.40	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	दिल्ली	3.36	—	0.31	—	3.36	0.31	—	—	3.36	0.31
13.	हरियाणा	7.68	20.84	3.33	0.12	28.52	3.45	26.60	51.61	55.12	55.06
14.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.15	—	—	0.34	—	—	—	0.34	—
15.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	—	1.21	0.10	1.26	—	2.47	0.10
16.	पंजाब	22.24	58.58	7.31	2.92	80.82	10.23	34.46	95.57	115.28	105.80
17.	राजस्थान	7.06	12.15	1.85	6.20	19.21	8.05	2.48	—	21.69	8.05
18.	उत्तर प्रदेश	14.95	37.15	5.19	4.51	52.10	9.70	1.37	—	53.47	9.70
19.	उत्तराखंड	0.66	1.09	0.21	0.04	1.75	0.25	2.59	—	4.34	0.25
20.	आंध्र प्रदेश	12.73	35.65	2.62	—	48.38	2.62	16.07	—	64.45	2.62
21.	केरल	5.17	—	0.20	—	5.17	0.20	—	—	5.17	0.20
22.	कर्नाटक	3.81	3.59	1.36	—	7.40	1.36	5.85	—	13.25	1.36
23.	तमिलनाडु	6.24	4.01	0.67	—	10.25	0.67	10.09	—	20.34	0.67
24.	गुजरात	5.00	3.27	0.27	—	8.27	0.27	3.97	—	12.24	0.27
25.	महाराष्ट्र	12.05	9.48	1.02	—	21.53	1.02	15.21	—	36.74	1.02
26.	मध्य प्रदेश	3.37	4.19	0.36	—	7.56	0.36	44.34	—	51.90	0.36
27.	छत्तीसगढ़	5.12	5.00	0.01	—	10.12	0.01	10.55	—	20.67	0.01
	कुल	130.08	205.01	26.37	13.79	335.09	40.16	194.17	147.18	529.26	187.34
		335.09		40.16		375.25		341.35		716.60	

नोट: 1 भारतीय खाद्य निगम के जोनल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

2. असम, शिलांग, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों में 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थिति।

विवरण-IX

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कैप (भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य एजेंसियों) में भंडारित खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े लाख टन)

क्र. सं.	क्षेत्र	1.11.2009 की स्थिति के अनुसार	1.11.2010 की स्थिति के अनुसार	1.11.2011 की स्थिति के अनुसार	1.11.2012 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	12000	4209	0	0
2.	झारखंड	0	0	0	0
3.	ओडिशा	0	0	0	0
4.	पश्चिम बंगाल	5514	228	0	0
5.	असम	0	0	0	0
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	0	0	0	0
7.	नागालैंड और मणिपुर	0	0	0	0
8.	दिल्ली	6986	0	4700	16302
9.	हरियाणा	4146616	3924410	5015091	6254786
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	1200	1553	1510	0
12.	पंजाब	8031823	6870388	7560037	9600154
13.	राजस्थान	207072	326831	547949	590653
14.	उत्तर प्रदेश	154675	160269	224625	407121
15.	उत्तराखंड	26415	13669	13139	3686
16.	आंध्र प्रदेश	0	57247	123956	85592
17.	कर्नाटक	74144	84584	89763	114991
18.	केरल	0	0	0	0
19.	तमिलनाडु	63025	44310	39166	70153

1	2	3	4	5	6
20.	गुजरात	151028	40702	41359	45013
21.	महाराष्ट्र	42870	75945	2931	57888
22.	मध्य प्रदेश	21397	1655	47710	520346
23.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
	कुल	12759251	11606000	13711936	17766685

विवरण-X

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य पाए गए खाद्यान्नों का क्षेत्रवार ब्यौरा

(आंकड़े मी.ट. में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2012-13 (01.10.12 की स्थिति के अनुसार)	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	0	0	0	0
2.	झारखंड	0	0	0	0
3.	ओडिशा	0	0	0	0
4.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
5.	असम	0	0	0	0
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	0	0	0	0
7.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
8.	दिल्ली	0	0	0	0
9.	हरियाणा	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
12.	पंजाब	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
13.	राजस्थान	0	0	0	0
14.	उत्तर प्रदेश	0	0	15	0
15.	उत्तराखंड	0	0	0	0
16.	आंध्र प्रदेश	0		0	0
17.	केरल	0	0	0	0
18.	कर्नाटक	15.45	0	0	0
19.	तमिलनाडु	0	0	0	0
20.	गुजरात	195	195	137	671
21.	महाराष्ट्र	0	1346	21	45
22.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
23.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
	देश जोड़	210.45	1556	158	716

विवरण-XI

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य पाए गए खाद्यान्नों का क्षेत्रवार ब्यौरा

(आंकड़े टन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1.11.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	726	200	0	319.3
2.	झारखंड	17	39	29	1.42
3.	ओडिशा	0	18	36	1
4.	पश्चिम बंगाल	1357	922	477	11
5.	असम	38	49	442	51.54
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	77	175	0	195
7.	नागालैंड और मणिपुर	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	दिल्ली	5	1	10.9	6.18
9.	हरियाणा	0	53	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	11	0	0	0
12.	पंजाब	2273	182	37	89
13.	राजस्थान	12	21	30	103.23
14.	उत्तर प्रदेश	14	520	258	18.3
15.	उत्तराखंड	0	1338	72	221
16.	आंध्र प्रदेश	0	3	4.33	9.69
17.	केरल	19	99	200	0
18.	कर्नाटक	70	17	0	69.34
19.	तमिलनाडु	1	12	29	16.66
20.	गुजरात	814	2595	226	195
21.	महाराष्ट्र	245	97	1473	47
22.	मध्य प्रदेश	49	2	0	0.06
23.	छत्तीसगढ़	974	2	13.78	8.98
	कुल	6702	6346	3338.01	1363.7

विवरण-XII

पीईजी स्कीम के तहत अनुमोदित राज्यवार भंडारित क्षमता

(आंकड़े लाख टन)

क्र. सं.	राज्य	उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित क्षमता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4,51,000
2.	बिहार	9,40,000
3.	छत्तीसगढ़	5,42,600
4.	गुजरात	80,000
5.	हरियाणा	40,06,000
6.	हिमाचल प्रदेश	1,42,550
7.	जम्मू और कश्मीर	3,61,690

1	2	3
8.	झारखंड	1,75,000
9.	कर्नाटक	4,16,500
10.	केरल	15,000
11.	मध्य प्रदेश	23,87,000
12.	महाराष्ट्र	6,55,500
13.	ओडिशा	3,00,000
14.	पंजाब	49,99,000
15.	राजस्थान	2,50,000
16.	तमिलनाडु	3,45,000
17.	उत्तर प्रदेश	18,60,000
18.	उत्तराखंड	25,000
19.	पश्चिम बंगाल	1,56,600
	कुल	1,81,08,440

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की समीक्षा

1763. **श्री लालजी टन्डन :**
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री संजय निरुपम :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की कोई समीक्षा की है अथवा इनकी मॉनीटरिंग कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इसके राज्य-वार क्या परिणाम रहे?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय मकान) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने समय-समय पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर पुनरीक्षाएं की हैं जिसमें बिहार में कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी शामिल है। ऐसी पुनरीक्षा के आधार पर बिहार सहित राज्य सरकारों को निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:—

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी), शहरी महिला स्वयं सेवी कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) और शहरी गरीबों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी) के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना और समुदाय और गैर-सरकारी/समुदाय आधारित संगठनों का सहयोग लेते हुए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करने में संतुप्ति का दृष्टिकोण अपनाना।

(2) शहरों और राज्यों में शीर्ष 10-12 व्यवसायों की बाजार स्केनस और पहचान करने में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की सहायता प्राप्त करना जिनके लिए विद्यमान जॉब हेतु बाजार में मांग है तथा शहरी गरीबों के लिए कौश्ल प्रशिक्षण कार्यनीति विकसित करना।

(3) ऐसे अत्यंत प्रतिष्ठित कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की पहचान करना जिनके प्रत्यय-पत्र उद्योग क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उद्योग के परामर्श से उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाना, शिक्षण का मूल्यांकन करने, प्रमाणन, प्रणालियों की सुदृढ़ व्यवस्था का डियाजन बनाना, प्रभावशाली ढंग से तैनाती-संबद्ध कार्यक्रमों का आयोजन करना और कौशल प्रशिक्षित कामगारों द्वारा की गई प्रगति का जायजा लेना।

(4) विभिन्न शहरों में विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण पर व्यय के विभिन्न संघटकों को युक्तिसंगत बनाना।

(5) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और अन्य योजना के अंतर्गत स्थापित प्रकोष्ठों के समाभिरूप

प्रयासों से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करना।

(6) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत शहरी गरीबों को ऋण स्वीकृत करने के मुद्दे को राज्य और जिला स्तरीय बैंकरों की समिति की बैठकों की कार्यसूची की नियमित मद बनाना।

(7) समवर्ती मूल्यांकन और सामाजिक लेखा-परीक्षण के तंत्रों के माध्यम से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थानों का कार्यकरण

1764. श्री हरीश चौधरी :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/संगठनों द्वारा क्या मुख्य अनुसंधान और विकास कार्य किए गए हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में इन अनुसंधान संस्थानों के कार्यकरण का आवधिक समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(च) इन संस्थानों के कार्यकरण में क्या त्रुटियां पाई गई हैं; और

(छ) इन संस्थानों के प्रभावी कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारत का कृषि अनुसंधान में बहुत ही मजबूत और बड़ा आधार है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष का है। कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के समेकन के साथ भारत न केवल साठ और सत्तर के दशकों में हरित क्रांति ला सका बल्कि हाल के वर्षों में 254 मि.मै. टन से भी अधिक खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, फसल और बागवानी विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और मात्स्यिकी तथा पशु उत्पादन प्रणाली में भारतीय विज्ञान के योगदान पूरे विश्वभर में पहचान मिली है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प.) के अनुसंधान संस्थान प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्यान्न और बागवानी फसलों, पशुपालन और मात्स्यिकी, कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। भा.कृ.अ़ु.प. उच्च कृषि शिक्षा और अग्रपंक्ति के विस्तार कार्य को समन्वित करता है। भा.कृ.अनु.प., संस्थानों और विश्वविद्यालयों दोनों में स्थित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और नेटवर्क परियोजनाओं को भी चलाती है। हाल के वर्षों के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) और जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए)। परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने और प्रौद्योगिकियों के व्यवसायिकरण के लिए भी एक कंपनी एग्रीइन्नोवेट इंडिया का गठन किया गया है।

हाल के वर्षों में प्रमुख अनुसंधान कही कुछ उपलब्धियां हैं चावल और अरहर के जीनोम की डिकोडिंग; भैस क्लोनिंग; अनेक पौधों और पशु रोगों के लिए नैदानिक और टीके; कोबिया और सिल्वर पोम्पैनो जैसी समुद्री मछली प्रजातियों का प्रजनन तथा सीबास का समुद्री पिंजड़ा पालन; जिला स्तर पर मैक्रो, सैकेंडरी और सूक्ष्म पोषण तत्वों के लिए मृदा उर्वरता मानचित्रण आधारित जीआईएस, तरल जैव उर्वरक तैयार करना; शून्य-जुताई, उभरी क्यारी रोपाई और लेतर भूमि समललीकरण की संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी; पोषण आधारित सब्सिडी के लिए प्रोटोकाल बनाना; शुष्क भूमियों और

अंत:फसलीय माडलों में छोटे किसानों के लिए कृषि प्रणाली माड्युल्स; तापमान, लवणता, सूखा और जलमग्नता तथा कीटों और रोगों जैसे अजैविक दबावों के लिए चावल, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहनों, गन्ना, पटसन, फलों और सब्जियों की अनुकूल किस्में; समेकित पोषण प्रबंधन, कृषि और कीट प्रबंधन रणनीतियां, कृषि उपकरणों जैसे कि लेजर लैंड लेबलर, स्वयं चालित छिड़कावक यंत्र, उत्कृष्ट सीडर और प्लांटर, चावल और सब्जी की पौध के लिए प्रतिरोपण यंत्र, बहु फसल थ्रेशर, अनाज और गन्ने के लिए कटाई यंत्र, खेत में खाद के एक समान छिड़काव के लिए बैलगाड़ी पर लगा खाद छिड़काव यंत्र, पैडल द्वारा चालित गन्ने का बड-चिपिंग उपकरण, मूंगफली और अरंडी का छिलका निकालने वाला यंत्र, मक्का शेलर और संबंधित उपकरणों को बनाना और तैयार करना।

(घ) से (च) जी, हां भा.कृ.अनु.प. के अनुसंधान संस्थानों के कार्यकलापों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। संस्थान के कार्यक्रमों की पंचवर्षीय समीक्षा संबंधित विज्ञान विषय के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वर्ष 2009 से 60 संस्थानों के पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों पर भा.कृ.अनु.प. के शासी निकाय (जीबी) द्वारा गहराई से विचार-विमर्श किया गया है और पंचवर्षीय समीक्षा दल तथा शासी निकाय दोनों की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। प्रत्येक अनुसंधान संस्थान में एक अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) भी है जो अनुसंधान की प्रति की समीक्षा और भावी अनुसंधान रूपरेखा पर सलाह देती है।

इसके अलावा, अन्य निष्पादन निगरानी प्रेक्रिया तंत्र जैसे तिमाही आधार पर परिणाम ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी), अर्धवार्षिक प्रगित निगरानी (एचवाईपीएम) तथा परियोजना सूचना प्रबंध प्रणाली (पीआईएमएस) भी हैं जो नियमित सुधार के लिए इनपुट प्रदान करते हैं। इन समीक्षाओं द्वारा की गई कुछ प्रमुख टिप्पणियों में शामिल हैं उभरते, हुए मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, रोग, समस्या-समाधान मोड में सस्योत्तर नुकसान पर ध्यान देने के लिए बहुविषयक अनुसंधान कार्य का सुदृढ़ीकरण, समस्त कौमोडिटी के लिए अधिक इनपुट उपयोग दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी; नाशीजीव और रोगों के विरूद्ध इंस्यूलेटिंग कृषि उत्पादन; सैकेंडरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए लाभप्रदता के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम; नए क्षेत्रों जैसे नैनोटैक्नोलाजी, कृषि और कृषि प्रणालियों के संरक्षण के नए क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास; नीति उन्मुख अनुसंधान, बौद्धिक संपदा प्रबंधन तथा उद्यमशील दक्षता विकास; बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण; और किसानों की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा करना।

(छ) भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के विषय संबद्ध प्रभाग के मार्गदर्शन के तहत भा.कृाअनु.प के संस्थानों द्वारा सुझाव के अनुसार सुधार कार्य किए जाते है। इसके अलावा कमियों के समाधान के लिए अनुसंधान संस्थानों के प्रभावशाली संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मध्यवधि सुधार भी किए जाते हैं। प्रणाली की दक्षता में और अधिक सुधार के लिए बारहवीं योजना में संस्थान विशिष्ट निष्पादन संकेत, संशोधित अनुसंधान प्रोमार्मा, अनुसंधान कंसोर्टिया प्लेटफार्म, अंत: विभागीय अनुसंधान सहयोग, मिशन परियोजनाएं, एक्स्ट्राम्यूरल फंडिंग, 'पहले किसान' तथा 'तैयार दात्र' कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हॉकी/फुटबाल खेल को बढ़ावा देना

1765. **श्री इज्यराज सिंह :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री हरीश चौधरी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हॉकी और फुटबाल खेल को अपर्याप्त सहायता दिए जाने के कारण युवक इन खेलों में रुचि नहीं ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विदेशी कोच उपलब्ध कराने और देश के विभिन्न भागों में अधिक हॉकी और फुटबाल स्टेडियमों का निर्माण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो खेल स्पर्धा-वार मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का 2016 में होने वाले ओलम्पिक खेलों और अन्य हॉकी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय हॉकी टीम के बेहतर प्रदर्शन हेतु एक रणनीति बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) देश के युवा हॉकी और फुटबाल में रूचि ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता', 'शहरी खेल अवसंरचना योजना', 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि', और 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' के माध्यम से इन खेल विधाओं को सहायता दे रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण भी अपनी योजनाओं के माध्यम से हॉकी और फुटबाल को बढ़ावा दे रहा है।

(ग) और (घ) सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए हॉकी और फुटबाल टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी कोचों की सेवाएं पहले से ही प्रदान कर रही है। सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैम्पों के माध्यम से राष्ट्रीय टीमों की गहन कोचिंग के लिए पूरी सहायता भी देती है।

खेल राज्य का विषय है। फिलहाल इस मंत्रालय का देश के विभिन्न भागों में हॉकी और फुटबाल के और स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) किसी खेल को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की है। सरकार भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ सहमति द्वारा तय दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार उपकरणों और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय परिसंघों को उनके प्रयासों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हॉकी प्रतियोगिताओं सहित राष्ट्रीय टीमों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रयास करना सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

1766. श्री संजय भोई :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में एक राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एन.एफ.एच.एम) शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(घ) एनएफएचएम के कब तक शुरू करने/कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) का उद्देश्य भारतीय सिनेमा कर विपुल विरासत का परिरक्षण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में 100 से अधिक वर्षों के दौरान निर्मित फिल्मों का भावी पीढ़ी के लिए परिरक्षण करना है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत की फिल्म विरासत के रूप में फिल्मी विषय-वस्तु, वीडियो टेपों, इश्तहारों तथा अन्य संबंधित सामग्री के सूचीपत्र तैयार करने तथा उनके डिजिटलीकरण, डिजिटल पुप:स्थापन, संरक्षण, प्रसार एवं मुद्रीकरण हेतु व्यापक मंच व समाधान मुहैया कराना है।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में इस स्कीम को प्रारंभ करने व कार्यान्वित करने के लिए कुल 291.0 करोड़ रु. का परिव्यय उद्दिष्ट किया गया है।

नक्सलवाद को रोकने हेतु उपाय

1767. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीणों तक पहुंच बनाने और उन्हें माओवादी

विचारधारा से दूर रखने के लिए रेडियो जिंगल कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार, पामपंथी उग्रावाद प्रभावित राज्यों में आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) पर, सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे विकास कार्यक्रमों के फायदों और माओवादियों द्वारा भड़काए जा रहे हिंसा के रास्ते के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने की दृष्टि से रेडियों संदेशों का प्रसारण करती रही है। ये संदेश वर्ष 2009-10 से प्रसारित किए जा रहे हैं।

चालू वर्ष 2012-13 के दौरान, संदेशों की विषयवस्तु को स्थानीय लोगों के प्रति और अधिक प्रभावकारी बनाने के इन्हें संशोधित किया गया और इन्हें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 60 दिन की अवधि तक 9 भाषाओं/बोलियों में प्रसारित किया गया जिस पर 1,71,88,070 रुपए का व्यय हुआ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

1768. श्री राकेश सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :
श्री गणेश सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) उक्त मिशन के तहत बरहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चावल और गेहूं के उत्पादन के बारे में नियत लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चावल, गेहूं और दालों के अतिरिक्त चारा फसलों जैसे मोटे अनाजों को भी इस मिशन के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस मिशन के तहत राज्य-वार आबंटित/उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मिशन के तहत किसानों की किसी प्रकार की सहायता दी जाती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त मिशन के तहत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश 27 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यान्वित कियाक जा रहा है।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के प्रस्ताव के अनुमोदन पर चावल और गेहूं के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगें।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव में चावल, गेहूं और दलहन फसलों के अलावा मोटे अनाज शामिल हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएफएसएम के तहत आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) एनएफएसएम के तहत बीज, पोषक तत्व, मृदा सुधारकों, पौध संरक्षण रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की खरीद के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। खेतों पर किए गए प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों और प्रशिक्षणों से भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। स्कीम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकार उनकी स्थानीय आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देती है।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य	चावल			गेहूं			दलहन		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग
1.	आंध्र प्रदेश	46.69	38.32	36.84	0	0.00	0.00	95.54	84.02	91.07
2.	असम	41.3	36.11	41.07	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3.	बिहार	19.83	0.00	17.13	57.54	25.00	50.94	48.26	18.34	21.67
4.	छत्तीसगढ़	49.88	20.66	20.09	0	0.00	0.00	42.55	0.00	13.22
5.	गुजरात	1.92	0.00	0.65	6.58	4.51	5.87	14.19	10.47	7.89
6.	हरियाणा	0	0.00	0.00	23.21	20.35	18.41	10.74	8.30	8.35
7.	झारखंड	16.95	4.68	8.17	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	25.05	12.48	18.81	0	0.00	0.00	39.2	34.67	39.26
9.	केरल	3.91	2.78	2.55	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10.	मध्य प्रदेश	14.59	0.00	6.90	56.42	25.00	37.23	53.97	34.33	39.70
11.	महाराष्ट्र	25.63	22.13	26.54	21.26	18.69	21.75	68.18	65.05	64.67
12.	ओडिशा	40.25	40.25	40.20	0	0.00	0.00	24.74	22.16	22.61
13.	पंजाब	0	0.00	0.00	52.96	50.30	46.51	11.64	10.92	8.40
14.	राजस्थान	0	0.00	0.00	31.95	26.38	22.87	20.25	11.68	17.14
15.	तमिलनाडु	29.69	17.79	27.11	0	0.00	0.00	14.92	12.28	9.65
16.	उत्तर प्रदेश	77.16	41.17	33.41	164.27	135.92	153.37	71.08	49.19	40.88
17.	पश्चिम बंगाल	72.02	51.82	56.60	7.83	7.27	6.27	20.19	12.56	11.37
	कुल	464.87	288.19	336.07	422.02	313.42	363.22	535.45	373.97	395.88

वर्ष 2010-11 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य	चावल			गेहूं			दालें			ए2पी		
		आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	49.93	39.52	46.33	0.00	0	0	52.47	47.1	48.1	32.8	32.80	12.54
2.	असम	59.15	58.92	28.51	0.00	0	0	6.00	5.48	5.48	2.18	2.18	1.09
3.	बिहार	18.59	15.08	16.83	35.61	29.37	30.4	15.11	1.1	11.92	6.01	6.01	6.01
4.	छत्तीसगढ़	37.67	5.46	14.33	0.00	0	0	17.07	5.33	7.3	8.75	8.75	5.12
5.	गुजरात	1.65	0	1.94	6.64	4.44	5.21	17.68	6.34	12.61	13.12	13.11	10.40
6.	हरियाणा	0.00	0	0	24.09	22.08	22.56	10.82	9.3	9.67	4.37	4.37	3.97
7.	झारखंड	10.69	5.78	3.94	0.00	0	0	11.59	5.79	4.66	4.92	4.92	1.61
8.	कर्नाटक	19.53	9.63	13.54	0.00	0	0	41.82	33.92	34.12	28.97	28.97	28.66
9.	केरल	2.62	2.1	1.99	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
10.	मध्य प्रदेश	11.32	7.9	7	44.58	28	28.89	92.18	58.14	60.13	66.68	66.68	55.25
11.	महाराष्ट्र	23.92	19.13	18.26	26.40	21.12	19.94	61.41	50.02	51.18	56.85	56.85	56.78
12.	ओडिशा	43.13	39.45	41.56	0.00	0	0	17.42	13.07	15	6.01	6.01	6.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	पंजाब	0.00	0	0	41.34	34	37.21	6.52	3.02	5.88	0.55	0.55	0.55
14.	राजस्थान	0.00	0	0	22.20	9	16.62	52.60	34.25	38.89	32.8	32.80	23.24
15.	तमिलनाडु	26.00	17.86	22.52	0.00	0	0	15.33	5.11	9.99	7.11	7.11	6.93
16.	उत्तर प्रदेश	80.56	10	44.22	121.62	98.77	102.31	58.05	34.91	40.16	33.89	33.89	27.25
17.	पश्चिम बंगाल	49.04	24.8	40.23	8.02	5.86	6.57	5.09	0	3.09	3.28	3.28	2.72
	कुल	433.80	255.63	301.2	330.50	252.64	269.71	481.16	312.88	358.18	308.29	308.28	248.13

वर्ष 2011-12 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य	चावल			गेहूं			दलहन			ए3पी		
		आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	राशि निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	39.27	35.00	35.44	0.00	—	0.00	47.12	42.19	38.62	23.97	11.68	38.28
2.	असम	25.24	25.24	55.57	0.00	—	0.00	9.49	9.49	9.44	3.02	1.85	2.93
3.	बिहार	19.26	17.79	15.39	37.47	36.10	35.06	14.96	16.44	8.14	4.72	4.54	2.93
4.	छत्तीसगढ़	34.48	30.00	24.97	0.00	—	0.00	23.68	22.45	15.11	5.13	2.80	5.04
5.	गुजरात	1.90	1.18	1.94	6.15	6.07	5.31	13.52	15.51	14.48	8.70	5.55	7.49
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	21.28	14.37	14.6	9.80	9.38	4.14	3.87	3.32	8.15
7.	जम्मू और कश्मीर	3.59	2.69	0.81	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	झारखंड	8.29	0.00	9.54	0.00	—	0.00	16.00	11.20	8.52	2.81	1.00	7.77
9.	कर्नाटक	17.38	12.31	9.79	0.00	—	0.00	45.35	45.35	35.79	17.58	15.60	15.70
10.	केरल	3.04	2.28	2.04	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	10.61	8.57	10.08	43.53	31.74	38.09	78.79	72.83	79.84	41.10	33.68	45.61
12.	महाराष्ट्र	20.45	19.17	19.50	22.17	16.28	16.68	74.35	69.20	69.44	34.70	31.20	30.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ओडिशा	35.97	38.03	37.58	0.00	—	0.00	20.41	22.29	15.01	4.63	4.44	9.85
14.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	38.39	27.53	14.59	8.83	7.17	0.44	0.50	0.48	0.00
15.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	22.65	22.44	16.15	50.23	45.60	31.08	21.79	11.24	21.79
16.	तमिलनाडु	21.44	21.58	21.13	0.00	0.00	0.00	11.44	9.66	9.16	3.70	3.30	2.80
17.	त्रिपुरा	3.63	3.63	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	66.55	61.34	58.63	118.51	101.21	98.57	77.69	68.39	52.65	20.97	14.02	20.25
19.	पश्चिम बंगाल	40.84	30.63	25.60	7.43	5.50	3.89	6.70	1.05	3.46	2.06	1.40	0.69
	कुल	351.94	309.44	330.96	317.58	261.24	242.94	508.36	468.20	395.32	199.25	146.10	220.20

वर्ष 2012-13 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय

(रुपये करोड़)

30.11.2012 तक

क्र. सं.	राज्य	एनएफएसएम-चावल			एनएफएसएम-गेहूं			एनएफएसएम-दालें			खरीफ दालों की योजना			रबी/ग्रीष्म ऋतु के दौरान दालों का अतिरिक्त कवर किया गया क्षेत्र			त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी)		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	47.20	26.37	26.52	0.00	0	0	58.18	23.57	27.08	8.40	8.40		7.48			37.26	21.66	14.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.33	7.36		0.00	0	0										0.00	0.00	0
3.	असम	30.94	23.27	4.89	0.00	0	0	6.44	0.29	0.29				3.50			0.98	0.42	0
4.	बिहार	25.84	21.91	20.76	47.44	30.27	15.98	17.15	0.84	5.35	0.99	0.99		6.40			7.08	0.00	0.24
5.	छत्तीसगढ़	40.63	30.36	16.27	0.00	0	0	21.09		1.94	0.63	0.63		2.40			12.66	3.18	0
6.	गुजरात	2.39	2.31	1.3	6.88	4.75	2.01	19.24	12.95	7.28	6.34	6.34		6.40			19.94	12.35	0
7.	हरियाणा	0.00			24.66	22.29	0	9.95	6.96		2.61			10.86			9.64	0.00	0
8.	हिमाचल प्रदेश	4.95	4.95		17.04	15.3	0										0.00	0.00	0
9.	जम्मू और कश्मीर	3.17	1.24	1.55	14.17	10.63	0										0.00	0.00	0
10.	झारखंड	8.51	5.28	4.17	0.00	0	0	12.92	6.05	4.94				9.05			3.62	0.91	1.56
11.	कर्नाटक	12.08	0.88	5.85	0.00	0	0	50.55	33.46	17.78	9.87	9.87		8.35			42.20	31.44	32.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	केरल	2.59			0.00	0	0										0.00	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	13.41	12.02	7.36	63.14	49.31	7.8	97.95	20.57	20.34	16.94	16.94		5.64			52.48	8.28	7.76
14.	महाराष्ट्र	26.51	26.51	12.28	20.63	13.77	0	89.95	89.27	42.53	21.83	21.83		10.94			58.92	35.40	27.98
15.	मणिपुर	12.16	11.45		0.00	0	0										0.00	0.00	0
16.	मेघालय	9.30	3.75		0.00	0	0										0.00	0.00	0
17.	मिजोरम	6.04	3.80	3.4	0.00	0	0										0.00	0.00	0
18.	नागालैंड	11.64	2.97		0.00	0	0										0.00	0.00	0
19.	ओडिशा	43.11	39.64	21.69	0.00	0	0	19.58	12.45	5.68	0.14	0.14	0.04	7.20			5.94	4.09	1.71
20.	पंजाब	0.00			47.82	19.05	0	7.35			0.20			2.73			5.76	0.00	0
21.	सिक्किम	2.08			0.00	0	0										0.00	0.00	0
22.	राजस्थान	0.00			27.65	15.56	0.22	82.30	48.39	13.76	12.01	12.01		6.40			26.00	19.50	6.88
23.	तमिलनाडु	22.63	19.10	4.94	0.00	0	0	16.88	2.26	1.09	2.27	2.27		4.40			5.88	2.81	0.54
24.	त्रिपुरा	21.88	10.79	8.41	0.00	0	0										0.00	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	81.24	64.17	27.38	84.73	71.36	6.25	78.64	0.00	14.02	7.32			6.40			32.58	7.54	0.25
26.	उत्तराखंड	12.44	12.44	2.18	9.48	3.81	0.04										0.00	0.00	0
27.	पश्चिम बंगाल	36.63	17.58	10.85	8.32	0.69	1.78	8.97		1.21							5.40	0.00	0.39
	उप-कुल	487.70	348.15	179.80	371.96	256.79	34.08	597.14	257.06	163.29	89.55	79.42	0.04	98.15	0.00	0.00	326.34	147.58	94.21

प्रतिबंधित और काली सूची में डाले गए एनजीओ'ज

1769. श्री गोरखनाथ पाण्डेय :
श्री निशिकांत दुबे :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी धन प्राप्त करने वाले अनेक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ'ज) को प्रतिबंधित कर दिया है और काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो एनजीओ-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न एनजीओज पर लगाए गए उक्त प्रतिबंध को हाल ही में विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालयों ने निरस्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने 72 संगठनों को विदेशी निधि प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने रूरल अपलिट सेंटर, नागेरकोइल एंड गुड विजन, कन्याकुमारी से संबंधित अपने दिनांक 16.10.2012 के निर्णय में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। तथापि, न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी (गृह मंत्रालय) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, कोई भी कार्रवाई (यदि आवश्यक हो) करने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिबंधित किये गये संगठनों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता
1	2
1.	एक्शन फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड एन्वायरमेंटल केयर, ए-62, अशोका मरीन ड्राईव, एरनाकुलम, कोचिन, केरल
2.	सोशल एक्शन मूवमेंट ऑफ इदुक्की, पुलियनमेला-685565 जिला इदुक्की, केरल
3.	सोसायटी फॉर एक्शन विद दा पुअर, म.न. 126, वार्ड, नं. V, मंगलथ, पन्नीविजा, अदूर पो.ऑ., पथनामिथिट्टा जिला, केरल पिन-591523
4.	इस्लामिया कॉलेज कुट्टियाडि, कालीकट जिला, केरल
5.	कम्यूनिटी सर्विस सोसायटी, एस/83, कीलापेरूविल्लतई, असारीपल्लम 629201, नागेरकोईल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
6.	सोसायटी फॉर पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट, 11-4-5, डोनिका रोड, चेन्चुपेट, तेनाली, जिला-गुंटूर, आंध्र प्रदेश
7.	विकास परिषद् गांधी नगर, कोरापुट-764020 जिला-कोरापुट, ओडिशा
8.	चिल्ड्रनस डेवलपमेंट कम्युनिटीज इंडिया, 134, एस.एन. बैनर्जी रोड, कलकत्ता
9.	एसोसिएशन मद्रास चर्च ऑफ क्राइस्ट, सं. 11, सिनॉय रोड, नुंगामबक्कम, मद्रास-600034
10.	न्यू लाईफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, मुबारक बाग, अजमेर रोड जयपुर-302006
11.	तिब्बतन कल्चर एंड एजुकेशन फाउंडेशन, सी-10, देवथा प्लाजा, रेजीडेंसी रोड, बेंगलौर
12.	जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस वजीराबाद, म.न. 114, सरदार मंजिल, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
13.	फलाह-ए-आम ट्रस्ट मार्फत जी.एम. बट्ट, ग्राम लथिशाह, सापोर, बारामुला (जम्मू और कश्मीर)
14.	पब्लिक रिलीफ ट्रस्ट मार्फत प्रो. यूनस-अल-उमर, इस्लामिक स्टडी सर्कल, अवगाफ भवन, बादशाह चौक, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
15.	अकन्दर ट्राईस्ट मार्फत मुस्लिम अवगाफ ट्रस्ट, मुजाहिद मंजिल, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)

1	2
16.	अंजुमन हशामिया एजुकेशनल एसोसिएशन, 22-6-785, हशामिया मंजिल, पंजेशाह, हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)
17.	एशियन एड आर्गेनाईजेशन वेलफेयर ट्रस्ट, सं. 55, कोडनदरम गार्डन, सेकण्ड स्टेज, कोक्सटाऊन, जीवनाहल्ली, बैंगलूरू-560005
18.	क्राइस्ट्स् हेल्पिग हैंड चिल्ड्रन्स होम, नजदीक बी.जी.आर. हाई स्कूल, अलकोट गार्डन्स राजामुन्द्री, आंध्र प्रदेश
19.	प्रगति ऑरफन होम, प्रगति नगर, ओल्ड टाऊन, टनुकु-534211, आंध्र प्रदेश
20.	अवेयर (इंडिया) फाउंडेशन (एआईएफ) एच. 8-2-703/ए/सी/बी 5, बंजारा हिल्स रोड नं. 12, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
21.	वाच टावर बाईबल एंड ट्रेक्ट सोसायटी एच-58, ओल्ड खंडाला रोड, लोनावला, महाराष्ट्र-410401
22.	तमिलनाडु मुस्लिम मुत्रित्रकजगम (टीएमएमके) नं. 6, वदरईकय्यार स्ट्री, चेन्नई
23.	द एसोसिएशन, सोसायटी फॉर अवेयरनैस ऑफ ह्यूमन सोसायटी एंड रूरल एडवांसमेंट (सहारा), कालाहांडी, पो.ओ. नुमपर विस एम. रामपुर कालाहांडी, ओडिशा-766102
24.	एम.ए. बहाब इस्लामिक पब्लिक स्कूल उस्मानगंज, लिलोंग, मणिपुर-795130
25.	हरियाणवी आर्गनाईजेशन फॉर प्रोग्रेस एंड इकॉलॉजी (एचओपीई) हाउस नं. 1592, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा-131001
26.	इदर-अ-तालिमेत इस्लामिया, (दारूल-उल्म शाहे-आलम) जमालपुर रोड, अहमदाबाद-380001
27.	ऐपस्टॉलिक क्रिश्चन असेम्बिली, चंडीगढ़ मिनिस्ट्री, 123/1 सेक्टर-55, चंडीगढ़
28.	कांग्रेसन ऑफ द डाटर्स ऑफ सेंट ऐनी कान्वेंट असामोर, पो. ओ. मोहित नगर, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल-735101

1	2
29.	जमाई अतुल फलाह, बिलारीगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
30.	डवलेपमेंट आर्गनाईजेशन फॉर विमन (डीओडब्ल्यू), पो.ओ. बटलागुण्डा जिला, डिन्डीगुल, तमिलनाडु
31.	सरस्वती चेरीटेबल ट्रस्ट, एम-109, ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली-48
32.	आदिमा जनी सेवा समिति (एजेएसएस), सर्क्युलर रोड, फुलबानी साही, कन्धमाल, ओडिशा-76002
33.	हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी, ए-6, त्रिवेणी, शहीद नगर, भुवनेश्वर, खुरदा, ओडिशा
34.	रीच वेली व्यू अकेडमी, 21/बी श्रीराम नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश
35.	रीच इन द नीलगिरीस, प्लॉट नं. 99, साई दीप अपार्टमेंटस, वीजीपी सर्वानन नगर, मदमबक्कम, चेन्नई-600073
36.	श्रीमती जशोदा देवी फाउंडेशन सोसायटी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड
37.	ख्वाजा कुशल चेरीटेबल ट्रस्ट, ग्राम-बिहारगढ़, पो.आ. मोरना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251316
38.	इकरा एजुकेशन सोसायटी, हाजी गुलाम नगर, मेहरून, जलगांव-425135
39.	चर्च ऑफ क्राइस्ट ट्रस्ट, करमेल नगर, सिलवथुर, डिन्डीगुल, तमिलनाडु
40.	जमेश राशिदिया ट्रस्ट, सूरत-वाया-किम एट/पोस्ट ऑफिस नानी नारोली, सूरत, गुजरात-394110
41.	खैर-ए-उम्मत ट्रस्ट (केईयूटी), 51-55, बी.आई.टी. चावल, द्वितीय तल, इमामवाडा, कम्पाउंड, कम्बेरकर स्ट्रीट, मुम्बई-400009
42.	एक्शन फॉर वेलफेयर एंड अवेकनिंग इन रूरल इन्वायरमेंट (अवेयर), प्रशासनिक कार्यालय, 5-9-24/78, लेक हिल रोड, हैदराबाद-500463

1	2
43.	गुड समारीतन इवेन्जलिकल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, साथ्यावेडु, कृष्णा जिला-517-588 (आंध्र प्रदेश)
44.	जॉन अब्राहम मेमोरियल बेथानी होम, तन्दुआ, पो.ओ. सं. 3, तन्दुआ-501141, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश
45.	जॉन अब्राहम मेमोरियल बेथानीहोम, मकान सं. 6-19, प्लॉट सं. 342, विवेक नगर कॉलोनी, कुक्कटपल्ली, पो.ओ. हैदराबाद-500072
46.	सोसायटी फॉर डेवलपमेंट एक्शन (एसओडीए), लिंदापाही, पोस्ट बैग नं. 16, बारीपाडा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
47.	इदर-ए-तालिमेत इस्लामिया (दारूल-उल शाही-आलम), जमालपुर रोड, अहमदाबाद-380001
48.	समाधान फाउंडेशन, चिलाकोट ब्लॉक नं. 1564-डी, खड्डा कॉलोनी, दाहोद, गुजरात-389160
49.	श्रीमती जशोदा देवी फाउंडेश्न (सोसायटी), पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड
50.	माँ रीचर्स फाउंडेशन, 31/10 सिद्धांत कॉलोनी, आर्य समाज रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251002
51.	भारतीय कैटल रीसॉर्स डवेलपमेंट, डी-37, साऊथ एक्टेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली
52.	हरपावत चेरीटेबल ट्रस्ट, 30सी, मधुबन, भारतीय लोक कलामंडल के पीछे, उदयपुर, राजस्थान
53.	राजस्थान हारवेस्ट मिनिस्ट्रीज, डोर नं. 4/56, अरूलिल्लम 5वां क्रॉस स्ट्रीट, शान्ति नगर, पलायमकोटई, थिरूनेलवेली, तमिलनाडु-627002/डोर नं. 15सी, वर्ल्ड जिम के सामने, रतनाड़ा सब्जी मंडी, जयपुर, राजस्थान-342011
54.	कलकत्ता अरबन सर्विस, 14/2, प्रथम तल, सुद्दर स्ट्रीट, कोलकाता-700016
55.	हेरिटेज फाउंडेशन, ग्राम-बधवार, बाइपास रोड, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

1	2
56.	धीचेन छोकर कग्युपामॉनस्ट्री, क्लीमेंट टाउन, देहरादून
57.	अगापे हेल्पिंग मिनिस्टरीज, 80-24-4/1, जय श्री गार्डन्स, ए. वी.ए. रोड, राजामुन्द्री, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश
58.	मत्स्यगांधी महिला वेलफेयर एसोसिएशन, अप्पू घर फिशरमैन कॉलोनी, विशाखापत्तनम (यू), आंध्र प्रदेश
59.	आईजीईपी फाउंडेशन, सी 3ए/86सी, जनकपुरी, नई दिल्ली
60.	मदरसा जमियाद रावतुल-ए-हत, पोरबंदर बाइपास रोड, न्यू माईक्रो टाऊन, जिला-मोंगरल, जूनागढ़-362225, गुजरात
61.	समस्त मुस्लिम खलीफा सुन्नतवाल जमात नवसारी, 1/1057, चारपुल रोड, नवसारी, गुजरात-396445
62.	एवेन्जेलिकल लुथेरन चर्च इन मध्य प्रदेश, लुथर भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 30, छिंडवाड़ा-480001
63.	माऊंट व्यू अकेडमी, मदुरै एंड रीच इंटरनेशनल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कोडीमंगलम, मदुरै, तमिलनाडु
64.	क्रिश्चयन आऊटरीच सेंटर, रायडुपेलम, काकीनाडा-5, आंध्र प्रदेश
65.	क्रिश्चयन आऊटरीच मिनिस्ट्रीज प्रोपर्टीज ट्रस्ट म.नं. 11-6-23, लक्ष्मीपुर, वारंगल, आंध्र प्रदेश
66.	क्रिश्चयन आऊटरीच मिनिस्ट्रीज, म.न. 11-6-23, लक्ष्मीपुर, वारंगल, आंध्र प्रदेश
67.	तूतीकोरिन डायोसीज एसोसिएशन, तूतीकोरिन
68.	रूरल अपलिफ्ट सेंटर, नागरकोइल
69.	गुड विजन, कन्याकुमारी
70.	ट्रस्ट फॉर रूरल अपलिफ्ट एंड फाउंडेशन, तिरुनेलवेली
71.	एड इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु
72.	सासेर, नागरकोइल, तमिलनाडु

स्मारकों पर व्यय

1770. श्री रतन सिंह :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री महेश जोशी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मंदिरों और स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं/मूलभूत सुविधाएं देने हेतु राज्य-वार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में राज्य-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित अनेक पुरातत्व संबंधी स्मारकों और मंदिरों की मरम्मत, उनके पुनरुद्धार और विकास की तत्काल आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) देश में पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित मंदिरों और स्मारकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं/सुख-सुविधाएं शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान नई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनतालीस और वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन के लिए तेरह स्मारकों की पहचान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे क्रियाकलापों पर राज्य-वार किया गया व्यय और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और प्रत्येक वर्ष आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता तथा आबंटित निधि पर निर्भर करते हुए मरम्मत, संरक्षण/पुनरुद्धार और विकास के लिए स्मारकों और स्थलों की पहचान की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के संरक्षण और सुविधाएं/सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किए गए व्यय और चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के संरक्षण पर किए गए खर्च और चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आबंटन

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	व्यय 2011-12	आबंटन 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	777.00	828.00	579.48	739.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1434.00	1820.99	1309.10	1074.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	658.90	642.59	617.91	628.50
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	547.00	431.18	399.00	415.00
5.	कर्नाटक	बंगलुरु मंडल	1308.94	1386.56	1161.99	1129.20

1	2	3	4	5	6	7
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	686.44	1076.86	1105.92	874.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	718.31	700.99	659.90	760.50
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	315.21	300.06	333.48	440.00
9.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	कोलकाता मंडल	464.51	544.00	500.01	454.00
10.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	चैन्नई मंडल	510.60	580.00	583.25	505.00
11.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	756.43	753.25	583.48	688.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	79.72	87.80	67.81	86.50
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली मंडल	1804.01	1970.94	1077.53	1142.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	142.34	131.00	128.98	132.00
15.	सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	152.38	189.94	257.82	180.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	318.84	400.93	495.52	484.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	640.00	695.77	694.00	860.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	345.99	414.99	438.96	345.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	373.44	315.12	293.88	269.00
		लघु मंडल लेह	—	56.63	89.61	88.50
20.	केरल	त्रिशूर मंडल	325.01	367.05	332.50	378.50
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	489.97	549.93	638.21	529.00
22.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	154.50	172.30	160.74	128.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	373.99	383.55	350.37	384.00
24.	झारखंड	रांची मंडल	72.75	73.84	79.58	67.00
25.		विज्ञान शाखा, देहरादून	655.45	584.61	669.00	716.00

1	2	3	4	5	6	7
26.		उद्यान शाखा, आगरा	2185.71	1901.70	1685.44	2025.00
27.		आरक्षित (पूर्वोत्तर कार्यकलाप)	—	—	—	146.80
		जोड़	16291.44	17360.58	15293.47	15668.50

आतंकवादी हमले

1771. **श्री हरि मांझी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री रमेश बैस :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
प्रो. सौगत राय :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में हुई आतंकवादी गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन घटनाओं में आतंकवादियों के साथ-साथ राज्य-वार कितने नागरिक एवं सुरक्षा कार्मिक मारे गए;

(ग) उन आतंकवादी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके देश में सक्रिय होने की रिपोर्ट है;

(घ) क्या उक्त आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान और चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों से सहायता मिल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कार्मिकों के लिए बनाई गई मुआवजा नीति का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दिए गए मुआवजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में आतंकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अंत:प्रदेश में सूचित आतंकवादी हमलों/बम विस्फोटों तथा उक्त अवधि में उक्त घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान समय में अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठनों की सूची को समय-समय पर यथा संशोधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में अधिसूचित किया जाता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त जानकारियों से यह पता चलता है कि कुछ आतंकवादी गुटों को देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए सीमा पार से मदद भी मिलती है। ये गुट, अन्य बातों के साथ-साथ, हवाला, सीमा पार तस्करी, नारकोटिक्स इत्यादि के जरिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(च) सरकार ने आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों/पीड़ितों के परिवारों को सहायता देने संबंधी केन्द्रीय योजना नामक एक केन्द्रीय योजना तैयार की है जिसे दिनांक 01.04.2008 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को 22.06.2009 से नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों के लिए लागू किया गया है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रभावित परिवार को किसी विशेष घटना में एक परिवार में हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए 3.00 लाख रुपए

की राशि प्रदान की जाती है। तथापि, यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य पृथक-पृथक घटनाओं/अवसर पर मर जाता है/स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो परिवार को प्रत्येक अवसर पर सहायता मिलने का हक होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दी गई सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत प्रदत्त 1.00 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त है। इसके साथ ही, केन्द्रीय सरकार का सिविलियन कर्मचारी जो उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों इत्यादि के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में मर जाता है, के परिवार को 15.00 लाख रुपए का एकमुश्त मुआवजा भी मिलता है।

अत: प्रदेश में आतंकवादी हमलों में आतंकवाद के पीड़ितों को दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:—

(छ) हालांकि, कानून एवं लोक व्यवस्था राज्य का विषय है और प्राथमिक दायित्व सरकारों का रहता है, तथापि आन्तरिक सुरक्षा विवक्षाओं पर विचार करते हुए आतंकवाद का मुकाबला करना एक साझा उत्तरदायित्व है। भारत सरकार, राज्य पुलिस बलों में आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या का संवर्धन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हबों की स्थापना, आकस्मिकता की स्थिति में एनएसजी के कार्मिकों के आने-जाने के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एनएसजी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-अभिकरण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन ताकि यह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ सही समय पर आसूचना का संग्रहण एवं उसका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे प्रतिदिन 24x7 आधार पर कार्य कर सके, कठोर आप्रवासन नियंत्रण, सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्त करके प्रभावी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, अधुनातन एवं उच्च प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरणों की तैनाती, आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दण्डात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 2008 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधों की जांच करने एवं अभियोजन चलाने हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है। आतंकवादी खतरों का दमन करने के एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत आने वाले कतिपय अपराधों को प्रेडिकेट अपराध के रूप शामिल किए जाने हेतु वर्ष 2009 में धन-शोधन निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं एवं इसके वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों को विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों पर उठाती रहती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुए आतंकवादी हमलों और बम धमाकों में मारे गए लोगों के साथ-साथ उन्हें दिए गए मुआवजे

क्र. सं.	घटना	मारे गए व्यक्ति	आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को दिया गया मुआवजा (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	16.10.2009: मडगांव में बम विस्फोट	2	शून्य
2.	13.02.2010: जर्मन बेकरी, पुणे में बम विस्फोट	17	85.00

1	2	3	4
3.	29.03.2010: महरौली, नई दिल्ली में बम विस्फोट	शून्य	शून्य
4.	17.04.2010: एम.सी. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बैंगलुरु में बम विस्फोट	शून्य	शून्य
5.	19.09.2010 जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट गोलीबारी और बम विस्फोट	शून्य	शून्य
6.	07.12.2010: शीतलाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट	2	2.00
7.	25.05.2011: उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के बाहर पार्किंग स्थल में बम विस्फोट	शून्य	शून्य
8.	13.07.2011: मुम्बई में सिलसिलेवार बम विस्फोट	27	75.00
9.	07.09.2011: दिल्ली उच्च न्यायालय में बम विस्फोट	15	134.00
10.	17.09.2011: आगरा में विस्फोट	शून्य	शून्य
11.	13.02.2012: इजराइल दूतावास की कार में विस्फोट	शून्य	शून्य
12.	01.08.2012: पुणे में सिलसिलेवार बम विस्फोट	शून्य	शून्य

पंचायत के प्रतिनिधियों को धमकियां

1772. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जगदीश शर्मा :
प्रो. सौगत राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में पंचायत के प्रतिनिधियों को धमकियां मिलने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य में आतंकवादी/पृथकवादी संगठनों ने अनेक पंचायत प्रतिनिधियों पर हमला किया है और उन्हें मार दिया है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उक्त प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध हुई हिंसा की घटनाओं में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा दो सरपंचों (कुलगाम एवं बारामुला) तथा एक पंच (बारामुला) की हत्या की गई है। इस वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या पंचायत के सदस्यों की हत्या का संबंध उग्रवाद से था या इन घटनाओं के पीछे कोई आपराधिक संबंध था अथवा इसका कारण व्यक्तिगत दुश्मनी थी। राज्य सरकार ने पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें ऐसे हमलों के प्रति संवेदनशील समझे जाने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा रात्रि के समय गश्त तथा उन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना शामिल है। सरपंचों/पंचों को खतरे संबंधी सभी विशिष्ट रिपोर्टों पर राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है।

जाली मुद्राएं

1773. डॉ. बलीराम :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जोस के. मणि :

श्री भर्तृहरि महताब :

डॉ. एम. तम्बिदुरई :

श्री पुलीन बिहारी बासके :

डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

श्री जगदीश शर्मा :

कुमारी मौसम नूर :

श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों से जाली मुद्राओं की तस्करी की अनेक घटनाओं की रिपोर्टें हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जब्त जाली मुद्राओं की सीमा-वार मात्रा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बांग्लादेश सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर और द्विपक्षीय मंचों पर उक्त मामलों की चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ङ) सीमाओं पर जाली मुद्राओं की तस्करी और देश में इसके प्रचलन को रोकने के साथ-साथ आम जनता को इसके खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की तस्करी के मामलों के सीमा-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

जब्त किए गए जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन)

वर्ष	भारत-बांग्लादेश सीमा	भारत-पाकिस्तान सीमा	भारत-नेपाल सीमा	भारत-भूटान सीमा	भारत-म्यांमार सीमा	भारत-चीन सीमा
2009	2843390	6423500	शून्य	शून्य	716700	शून्य
2010	3226900	13783500	शून्य	शून्य	11900	शून्य
2011	4486300	4445500	शून्य	शून्य	7000	शून्य
2012 (आज तक)	5599800	462100	शून्य	शून्य	158000	शून्य

(ग) और (घ) बांग्लादेश से भारत में जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। जिनमें गृह मंत्री, गृह सचिव, महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), महानिदेशक (डीजी), सीमा रक्षक बांग्लादेश (बीजीबी) के स्तर पर वार्ताएं, संयुक्त कार्यकारी दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक, महानिरीक्षकों बीएसएफ — डीडीजी, बीजीबी स्तरीय बैठक और सेक्टर कमाण्डर स्तरीय बैठकें शामिल हैं।

(ङ) सीमा पार से जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

- बीएसएफ द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुभेद्य बीओपी

की पहचान की गई है। इन बीपीओ का अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करके, विशेष निगरानी उपस्करों, वाहनों और अन्य अवसंरचनात्मक सहायता देकर सुदृढ़ीकरण किया गया है।

- संदिग्ध मार्गों की पहचान की गई है और उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्रवाई योग्य सूचना का सहायक एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है और जाली भारतीय करेंसी नोटों के जालसाजों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की जाती है।
- ग्रामीण/स्थानीय लोगों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं और उन्हें जाली भारतीय करेंसी नोटों के गलत प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है।
- गश्त नाकाओं (सीमा पर घात) द्वारा चौबीसों घंटे सीमा की चौकसी करके और समस्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रेक्षण चौकियों की तैनाती करके सीमाओं पर प्रभावी अधिपत्य।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी तटीय खंडों पर सीमा सुरक्षा बल के जल स्कन्धों के जलयानों/तेज नौकाओं/तैरती सीमा चौकियों (फ्लोटिंग बीओपी) की सहायता से गश्त लगाई जाती है और उन पर अधिपत्य स्थापित किया जाता है।
- लांग रेंज रिकोनेसा एंड अवजरवेशन सिस्टम (एलआंआरआरओएस), बैटल फील्ड सर्विलेंस राडार (बीएसएफआर), हैण्ड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), नाइट विजन डिवाइस/गोगल्स (एनवीडीएस/एनवीजीएस) आदि जैसे बल वर्धक (फोर्स मल्टीप्लायर) और हाई-टेक निगरानी उपकरणों का समावेश-सीमा पर अधिपत्य को और बढ़ाने के लिए आधुनिकतम निगरानी उपकरणों के प्रापण के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा के अधिपत्य को और बढ़ाने हेतु ऐसे आधुनिकतम निगरानी उपकरणों के प्रापण हेतु सतत् प्रयास किए जाते हैं जो दिन और रात में अवलोकन के यंत्रों से पूर्णतया सुसज्जित हों।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रभावी अधिपत्य हेतु जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर दो अतिरिक्त बटालियनें तैनात की गई हैं।

साइबर धोखाधड़ी

1774. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराधों के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों में विदेशियों, विशेषकर नाइजीरियाई नागरिकों की संलिप्तता बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में पकड़े गए विदेशियों सहित व्यक्तियों की राष्ट्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन अपराधों को रोकने तथा विदेशियों द्वारा ऐसे अपराध किए जाने पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज किए गए साइबर अपराध के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विदेशियों, विशेष रूप से नाइजीरियाई नागरिकों, की संलिप्तता के संबंध में कोई विशेष सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) भारत सरकार द्वारा किए गए उपचारी उपाय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-2011 के दौरान साइबर अपराध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड सहिता की धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामले और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटी अधिनियम (मामले)			आईटी अधिनियम (गिरफ्तार व्यक्ति)			भा.द.सं. की धाराएं (मामले)			भा.दं.सं. धाराएं (गिरफ्तार व्यक्ति)		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	30	105	349	8	81	242	8	66	23	4	126	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	13	1	2	7	0	0	1	0	0	0
3.	असम	2	18	31	0	4	6	2	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	2	25	0	2	6	0	0	13	0	0	2
5.	छत्तीसगढ़	4	4	2	7	7	2	46	46	76	44	44	102
6.	गोवा	8	15	16	3	2	4	4	1	2	1	0	2
7.	गुजरात	20	35	52	11	45	36	16	20	15	25	18	19
8.	हरियाणा	0	1	42	0	0	15	0	0	3	0	0	8
9.	हिमाचल प्रदेश	6	17	12	5	20	5	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	5	14	0	2	3	0	1	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	8	0	0	9	0	0	25	0	0	43
12.	कर्नाटक	97	153	151	21	95	34	0	23	9	0	22	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	64	148	227	47	105	135	7	8	18	0	4	5
14.	मध्य प्रदेश	16	30	90	24	49	97	1	5	13	2	10	6
15.	महाराष्ट्र	53	142	306	78	143	226	108	104	87	89	64	85
16.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	2	7	7	1	24	1	11	5	5	12	3	1
21.	पंजाब	28	41	59	17	34	38	28	27	20	48	42	21
22.	राजस्थान	27	52	122	20	35	110	1	3	24	2	3	22
23.	सिक्किम	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0
24.	तमिलनाडु	18	52	37	11	44	43	19	25	8	5	17	11
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	14	32	101	24	64	123	3	9	13	7	24	36
27.	उत्तराखंड	7	10	6	4	11	3	0	1	0	0	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	13	49	43	2	3	11	10	11	14	21	14	16
	कुल राज्य	411	922	1725	284	772	1161	264	356	370	260	394	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	3	10	2	2	5	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	5	41	50	2	25	15	12	0	49	3	0	36
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	9	44	66	4	27	23	12	0	52	3	0	37
	कुल अखिल भारत	420	966	1791	288	799	1184	276	356	422	263	394	446

स्रोत: भारत में अपराध।

विवरण-II

भारत सरकार द्वारा किए गए निवारक उपाय

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 दिनांक 27.10.2009 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को सुलझाने के लिए विधिक ढांचे तथा ऐसे अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान है।

(ii) भारतीय कम्प्यूटर आपातिक कार्रवाई टीम (सीईआरटी-इन) साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों के संबंध में अलर्ट, परामर्शी-पत्र और दिशानिर्देश जारी करता है तथा साइबर घटनाओं को रोकने और सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय भी करता है।

(iii) साइबर विधि विज्ञान उपकरणों के विकास, जांच के लिए अवसंरचना की स्थापना करने और साक्ष्य एकत्र करने तथा उनका विश्लेषण करने और उन्हें न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए इस उपकरण के प्रयोग के लिए प्रयोक्ताओं, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(iv) विधि प्रवर्तन एजेंसियों, विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं तथा न्यायपालिका को डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने तथा उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्य प्रणाली के संबंध में बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए इंडियन कम्प्यूटर आपातिक कार्रवाई टीम (सीईआरटी- इन) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सीडेक) लगे हुए हैं।

(v) साइबर विधिविज्ञान तथा सीबीआई से जुड़े पुलिस अधिकारियों के साइबर अपराधों की जांच के संबंध में आधारभूत तथा उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्रशिक्षण अकादमी में साइबर विधिविज्ञान प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा, राज्यों में विधि प्रवर्तन और न्याय पालिका के प्रशिक्षण के लिए केरल, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर राज्यों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(vi) भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद् (डीएससीआई), नासकॉम के सहयोग से मुंबई, बैंगलूरु, पुणे और कोलकाता में साइबर विधिविज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। डीएससीआई ने साइबर अपराध जांच और जागरुकता पर 242 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 7104 पुलिस अधिकारी, न्यायपालिका, लोक अभियोजकों को प्रशिक्षित किया गया है। साइबर कानूनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए साइबर अपराधों पर कई जागरुकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बैंगलौर और नालसर विधि विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

(vii) डिजीटल साक्ष्य खोजने, जब्त किए गए साक्ष्यों का विश्लेषण करने तथा उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं के साथ जांच मैनुअल का एक सेट बनाया है। ये मैनुअल सभी राज्यों में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को परिचालित किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र जारी किया है। राज्य सरकारों को तकनीकी अवसंरचना, साइबर पुलिस स्टेशनों और साइबर अपराधों का पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच और अभियोजन चलाने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति सहित साइबर अपराध से निपटने के लिए उचित तकनीकी क्षमता का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

1775. **श्री मधु कौड़ा :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में महाराष्ट्र, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में बागवानी उत्पादों जैसे सब्जियों और फलों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत राज्य-वार क्या मुख्य कार्यकलाप किए गए;

(ग) देश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सब्जियों और फलों की खेती की जाती है;

(घ) इस मिशन के तहत विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नियत लक्ष्य और उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ङ) उक्त मिशन के तहत उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी राशि आबंटित और जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) सरकार देश में वर्ष 2005-06 से बागवानी फसलों के समग्र विकास के लिए केंद्रीय प्रोयोजित स्कीम "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एनएचएम) कार्यान्वित कर रही है। मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र और झारखंड और तीन संघ शासित प्रदेशों सहित 18 राज्य शामिल हैं। एनएचएम के अंतर्गत बागवानी फसलें जैसे फल, मसाले, पुष्प, औषधीय और सुगंधित पौधे, क्षेत्र विस्तार के लिए काजू और कोको की बागानी फसलें शामिल हैं। इस स्कीम में बीज उत्पादन, संरक्षित कृषि, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित नाजीजीव प्रबंधन (आईएनएम/आईपीएम) और सब्जियों के लिए जैविक कृषि शुरू की गई है।

एनएचएम के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के अलावा, गुणवत्ताप्रद बीजों और पौधरोपण सामग्रियों की आपूर्ति, जर्जर बागानों का पुनरुद्धार, जल संसाधनों का सृजन, प्रशिक्षण और प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों का क्षमता निर्माण करना उत्पादकता सुधार के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम है। पैक हाउसों की स्थापना करने/फार्म संकलन/भंडारण ईकाई, स्थिर/चल पूर्व शीतित इकाई, शीतागारों, सीए/एमए भंडारण, प्रशीतित वाहन, मंडी अवसंरचना अर्थात् टर्मिनल, थोक, ग्रामीण मंडी/अपनी मंडिया/खुदरा मंडियों/दुकानों की स्थापना के साथ अलग से प्राथमिक/चल प्रसंस्कृत इकाइयों की स्थापना सहित बागवानी उत्पादों की कटाई पश्चात् हानियों को कम करने के लिए कार्यक्लापों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ग) फलों और सब्जियों के अंतर्गत राज्य-वार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

(घ) वर्ष 2009-12 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत मुख्य कार्यकलापों के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां और वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण संलग्न-II में दिए गए हैं।

(ङ) वर्ष 2009-13 के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया है।

विवरण-I

देश में फलों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र

(क्षेत्र 000' हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	फल	सब्जी
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.24	6.31
आंध्र प्रदेश	671.58	698.32
अरुणाचल प्रदेश	85.11	6.34
असम	142.76	266.00
बिहार	303.10	852.80
छत्तीसगढ़	182.45	354.26
दादरा और नगर हवेली	0.00	1.10
दमन और दीव	0.00	0.00
दिल्ली	0.06	27.88
गोवा	11.13	6.50
गुजरात	353.73	517.63
हरियाणा	47.79	356.77
हिमाचल प्रदेश	214.30	85.68
जम्मू और कश्मीर	423.82	64.02
झारखंड	83.77	238.55
कर्नाटक	399.77	479.63
केरल	296.14	149.05
लक्षद्वीप	0.35	0.40

1	2	3
मध्य प्रदेश	154.90	360.58
महाराष्ट्र	1560.00	546.00
मणिपुर	49.49	20.85
मेघालय	32.31	39.46
मिजोरम	43.68	37.42
नागालैंड	33.70	33.04
ओडिशा	328.99	690.06
पुदुचेरी	0.70	1.12
पंजाब	73.79	178.24
राजस्थान	48.76	147.01
सिक्किम	13.40	25.03
तमिलनाडु	199.19	170.54
त्रिपुरा	54.50	34.20
उत्तर प्रदेश	347.81	1008.46
उत्तराखंड	197.98	85.91
पश्चिम बंगाल	216.64	1324.19
कुल	6574.90	8813.33

विवरण-II

प्रमुख घटकों के लिए वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (2009-13)

क्र. सं.	घटक	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	क्षेत्र कवरेज	हैक्टेयर	336760	383612	203839	252891	221166	253341	110063	63017
2.	पुररुद्धार	हैक्टेयर	29436	75501	61943	49005	57245	66840	63434	13104
3.	आईएनएम/ आईपीएम	हैक्टेयर	200594	203811	106952	116726	75262	86582	71802	31097
4.	नर्सरियां	संख्या	450	328	202	183	5705	155	357	19
5.	जल संसाधन	संख्या	5093	4840	4625	3509	3427	3524	3916	830
6.	आईपीएम अवसंरचना	संख्या	71	67	55	39	46	31	58	3
7.	पीएचएम	संख्या	2032	816	4896	2062	6661	5329	29588	1377
8.	मंडी	संख्या	138	104	498	8	222	7	664	2

विवरण-III

राज्य-वार आबंटन और निर्मुक्ति (2009-13)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	134.06	95.67	105.19	105.18	105.40	92.94	116.45	87.34
2.	बिहार	38.25	24.35	38.25	0.00	34.00	20.17	46.75	19.88
3.	छत्तीसगढ़	69.90	60.00	97.75	96.57	93.50	85.23	106.25	53.00
4.	गोवा	3.36	1.50	4.25	2.12	2.98	2.00	3.40	1.25
5.	गुजरात	63.00	25.21	62.90	54.97	76.50	92.98	106.25	48.00
6.	हरियाणा	85.48	56.00	68.85	51.50	80.75	76.39	90.95	90.62
7.	झारखंड	47.66	30.84	42.50	16.00	51.00	42.37	63.75	26.50
8.	कर्नाटक	112.20	80.02	112.20	93.25	106.25	99.96	119.00	57.71
9.	केरल	47.41	0.00	71.30	44.00	65.45	53.63	72.25	35.00
10.	मध्य प्रदेश	68.00	35.45	85.00	51.00	72.25	55.34	55.25	22.25
11.	महाराष्ट्र	163.48	91.73	127.50	126.14	127.50	93.99	136.00	65.43
12.	ओडिशा	65.20	35.00	55.25	32.59	53.55	46.94	68.00	31.80
13.	पंजाब	38.54	25.78	42.50	35.00	46.75	47.02	62.90	26.00
14.	राजस्थान	59.79	25.00	59.50	40.00	59.50	40.22	80.75	31.20
15.	तमिलनाडु	102.00	61.80	110.50	77.50	123.25	62.23	68.00	34.00
16.	उत्तर प्रदेश	114.77	91.43	106.25	54.00	102.00	51.37	110.15	10.00
17.	पश्चिम बंगाल	36.27	0.00	44.10	28.80	42.50	25.84	38.25	19.00
18.	दिल्ली	2.87	0.00	0.00*	0.00	0.00*	0.00	2.57	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लक्षद्वीप	2.64	0.00	1.36	0.00	0.00*	0.00	0.97	0.00
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.35	2.00	3.40	1.52	4.00	3.00	6.97	2.65
21.	पुदुचेरी	1.13	0.33	0.84	0.56	1.28	0.64	0.91	0.00

*वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निधियां

1776. **श्री रवनीत सिंह :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्य सरकारों को धन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजाब और गुजरात सहित राज्य-वार अलग-अलग आवासीय सुविधाओं सहित कुल कितनी राशि आबंटित की गई/उपभोग में लाई गईं;

(ग) क्या पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त राशि संस्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और राज्य-वार अतिरिक्त निधियां कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा उनके पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने, विशेषकर, आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के रूप में आन्तरिक सुरक्षा के प्रति उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक योजना (एमपीएफ) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस स्टेशनों, चौकियों, बैरकों, पुलिस लाइनों, अवर एवं प्रवर अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निमार्ण, वाहनों, संचार उपकरणों, सुरक्षा/निगरानी उपकरणों, अधुनातम हथियारों के प्रापण, प्रशिक्षण अवसंरचना सुविधाओं इत्यादि के लिए अनुदान जारी किया गया है। विगत तीन वर्षों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आवासीय सुविधाओं सहित एमपीएफ स्कीम के तहत राज्यो को जारी की गई निधियों और वर्ष 2009-10 और 2010-11 के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोग के संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 2011-12 में जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2013 को देय हो जाएंगे। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक अगले पांच वर्षों के लिए योजना को जारी रखने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने की वजह से, चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में योजना के तहत राज्यों को अभी तक निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) एमपीएफ योजना के तहत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराए जाने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए थे। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान, आंन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और पंजाब राज्य सरकारों से राज्य पुलिस बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य आबंटन के अतिरिक्त, एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों का प्रावधान करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए थे। निधियों की उपलब्धता और जरूरतों का आकलन करने

के आधार पर, वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों को एमपीएफ स्कीम की आकस्मिकता आरक्षित निधि में से अतिरिक्त निधियां जारी की गई हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) एमपीएफ योजना के तहत मंजूर और जारी की गई निधियों के यथासमय एवं यथोचित उपयोग की निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही से योजना की तिमाही समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली प्रारंभ की है।

विवरण-I

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना-वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आवंटित/जारी केन्द्रीय निधियां और वर्ष 2009-10, 2010-11 के संबंध में उपयोग (30.1.2012 तक अद्यतनीकृत)

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12
	जारी निधियां	व्यय राशि	व्यय न हो पाई राशि	जारी निधियां	व्यय राशि	व्यय न हो पाई राशि	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	115.54	103.02	12.52	89.96	56.88	33.08	6.35
अरुणाचल प्रदेश	11.50	11.30	0.20	10.75	6.28	4.47	7.08
असम	60.79	840	52.39	48.51	32.28	16.23	48.02
बिहार	59.34	59.34	0.00	63.67	63.67	0.00	28.50
छत्तीसगढ़	17.04	17.04	0.00	29.8	19.37	10.43	12.48
गोवा	7.09	7.09	0.00	2.3	1.58	0.72	0.08
गुजरात	52.18	47.36	4.82	55.27	46.35	8.92	33.23
हरियाणा	46.63	43.21	3.42	30.41	7.07	23.34	5.23
हिमाचल प्रदेश	7.10	7.10	0.00	8.36	4.35	2.01	5.91
जम्मू और कश्मीर	111.18	111.18	0.00	148.25	132.24	16.01	109.73
झारखंड	33.49	28.59	4.90	36.9	0.29	36.61	6.58
कर्नाटक	63.96	63.77	0.19	83.01	58.32	24.69	53.37
केरल	32.54	32.54	0.00	42.68	41.55	1.13	27.05
मध्य प्रदेश	54.87	50.60	4.27	72.41	51.93	20.48	37.54

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	72.48	70.48	2.00	42.26	35.30	6.96	64.72
मणिपुर	27.44	17.34	10.10	26.63	24.44	2.19	38.76
मेघालय	9.73	8.33	1.40	8.48	0.00	8.48	6.69
मिजोरम	11.48	11.48	0.00	19.55	0.00	19.55	13.18
नागालैंड	31.50	31.50	0.00	33.77	33.77	0.00	30.08
ओडिशा	51.86	51.83	0.03	54.24	54.24	0.00	20.28
पंजाब	33.50	33.49	0.01	26.08	19.08	7.00	32.12
राजस्थान	51.18	48.66	2.52	47.88	45.23	2.65	33.17
सिक्किम	4.72	4.12	0.60	2.17	1.24	0.93	5.02
तमिलनाडु	60.67	50.76	9.91	92.52	64.11	28.41	43.19
त्रिपुरा	22.92	22.92	0.00	23.08	18.54	4.54	16.35
उत्तर प्रदेश	125.17	101.34	23.83	77.61	33.02	44.59	61.76
उत्तराखंड	5.29	5.29	0.00	6.35	6.35	0.00	5.75
पश्चिम बंगाल	48.81	48.76	0.05	43.73	0.00	43.73	47.78
कुल	1230.00	1096.84	133.16	1224.63	857.48	367.15	800.00

वर्ष 2011-12 में जारी निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2013 को देय हो जाएंगे।

विवरण-II

गृह मंत्रालय में प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, विगत 3 वर्षों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान एमपीएफ स्कीम के तहत, आरक्षित निधियों से राज्य सरकारों को जारी की गई अतिरिक्त निधियां

(लाख रुपए)

वर्ष	राज्य का नाम	जारी निधियां	प्रयोजन
1	2	3	4
2009-10	हरियाणा	2323.00	राष्ट्रमंडल खेल-2011 के लिए सुरक्षा इंतजाम हेतु सुरक्षा उपकरणों के प्रापण हेतु।

1	2	3	4
2010-11	आन्ध्र प्रदेश	749.99	आंध्र प्रदेश को असंहारक हथियारों/गोलाबारूद की पूर्ति हेतु ओएफबी एवं सेनवोस्टों, बीएसएफ को जारी की गईं।
-तदैव-	जम्मू और कश्मीर	100.72	जम्मू और कश्मीर को दंगारोधी बंदूकों और प्लास्टिक गोलियों के प्रापण हेतु ओएफबी को जारी की गईं।
-तदैव-	-तदैव-	999.25	जम्मू और कश्मीर को असंहारक हथियारों के प्रापण हेतु निधियां जारी की गईं।
-तदैव-	-तदैव-	2001.00	असंहारक हथियारों और शरीर रक्षा कवचों की खरीद हेतु निधियां जारी की गईं।
-तदैव-	-तदैव-	162.00	शरीर रक्षा कवचों के प्रापण हेतु निधियां जारी की गईं।
-तदैव-	मणिपुर	625.00	एमपी-5 राइफलों के प्रापण हेतु निधियां जारी की गईं।
-तदैव-	मिंजोरम	670.90	दंगा-रोधी उपकरणों की खरीद/आवासीय/गैर-आवासीय भवनों और पुराने वाहनों की मरम्मत कराने हेतु।
-तदैव-	पंजाब	120.00	6 जैमरों की खरीद।
2011-12	हरियाणा	500.00	मधुबन पुलिस खेल-कूद परिसर में स्पोर्टस अवसंरचना का उन्नयन।
2011-12	पंजाब	450.00	स्विच बेस्ड विधिसम्मत अंतराविरोधन प्रणाली/मोबाइल ट्रैनिंग एंड लोकेटर प्रणाली (एमटीएलएस) हेतु निधियां जारी की गईं।
-तदैव-	मणिपुर	1217.54	मणिपुर में पुलिस स्टेशनों के लिए वाहनों के प्रापण हेतु निधियां जारी की गईं।
-तदैव-	मेघालय	89.00	डुअल बैंड जीएसएम लोकेटर के प्रापण हेतु निधियां जारी की गईं।

दुग्ध उत्पादन हेतु विश्व बैंक सहायता

1777. **कुमारी मौसम नूर :**

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और विश्व बैंक ने देश में राष्ट्रीय डेयरी सहायता परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना सभी राज्यों में लागू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के तहत विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) संघ सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) के बीच राष्ट्रीय डेयरी समर्थन परियोजना के लिए 13.4.2012 को 218.8 मिलियन एसडीआर (158 करोड़ रुपए के समतुल्य) के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संघ सरकार के साथ वित्तीय समझौते के संबंध में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 13.4.2012 को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक परियोजना समझौता पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 (एनडीपी) को 16.3.2012 को केन्द्र सरकार द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से आरंभ किया गया था ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादक को बढ़ाया जा सके और इसके द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके।

इस विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को 65.00 करोड़ रुपए (2011-12 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए और 2012-13 के दौरान 61.00 करोड़ रुपए) की राशि जारी की है। वर्ष 2012-13 में एनडीपी-1 के लिए बजट प्रावधान 130.00 करोड़ रुपए है।

(ग) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरल एनडीपी-1 के तहत सहायता के पात्र हैं। तथापि, योजना का लाभ इन सभी राज्यों को मिलेगा।

(घ) इस योजना के तहत निधियों का राज्यवार आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। 26.11.2012 तक 27,179.90 लाख रुपए के कुल परिव्यय से राज्यों में 39 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 5,710.54 लाख रुपए की राशि अनुदान सहायता के रूप में जारी की जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपए)

राज्य	उप-परियोजनाओं की संख्या	अनुदान सहायता	ईआईए योगदान	कुल	अनुदान सहायता 2012-13
गुजरात	10	10,604.81	0.00	10,604.81	2,863.27
कर्नाटक	7	4,763.63	1,135.18	5,898.81	1,009.84
मध्य प्रदेश	4	586.43	180.65	766.99	170.37
महाराष्ट्र	5	644.09	92.86	736.95	154.10
ओडिशा	1	400.57	274.37	674.94	120.81
पंजाब	6	1,268.21	263.46	1,531.66	319.36
तमिलनाडु	2	4,574.21	0.00	4,574.21	572.25
उत्तर प्रदेश	4	2,383.26	8.27	2,391.53	500.53
कुल	39	25,225.20	1,954.79	27,179.90	5,710.54

[हिन्दी]

भारत विरोधी प्रचार

1778. **श्री प्रेमदास :**
श्री विश्व मोहन कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय पड़ोसी देशों द्वारा रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की तुलना में बेहतर रूप से ग्रहण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क के उन्नयन हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के प्रचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं/कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि सीमा-पार क्षेत्र से जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत विरोधी दुष्प्रचार प्राप्त होता है। ऐसे दुष्प्रचार को निष्फल करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने नेटवर्क को सुदृढ़ बना करके जम्मू और कश्मीर तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में अपनी कवरेज में सुधार ला रहे हैं।

(ग) से (ङ) सीमा-पार से देश के कुछ क्षेत्रों में टीवी/रेडियो सिग्नल प्राप्त होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के सिगनल उपलब्ध हैं और इनकी गुणवत्ता विदेशी सिगनलों की तुलना में बेहतर है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में टीवी/आकाशवाणी की असंतोषजनक कवरेज के बारे में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तथापि, दूरदर्शन के सिगनलों की तुलना में पड़ोसी देशों के टीवी सिगनलों के बेहतर अभिग्रहण के संबंध में विगत हाल ही में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। स्थलीय ट्रांसमीटरों (बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित) द्वारा कवर न किए सभी क्षेत्रों और साथ ही, देश के शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा, "डीडी डायरेक्ट प्लस" की जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है, जिसके सिगनल लघु आकार की एक डिश अभिग्रहण प्रणाली की मदद से देश में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

दूरदर्शन और आकाशवाणी समय-समय पर निरूपित विभिन्न विस्तार योजनाओं के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी कवरेज के विस्तार को प्राथमिकता देते रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं के विस्तार व सुधार हेतु विशेष पैकेजों का कार्यान्वियन किया गया है। इस समय, सीमावर्ती जिलों में विभिन्न क्षमता के 273 टीवी ट्रांसमीटर कार्यशील हैं।

जम्मू और कश्मीर में रेडियो और टीवी की कवरेज को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 11वीं योजना में 100 करोड़ रु. के परिव्यय की एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम में, अन्य के साथ-साथ, जम्मू और कश्मीर के पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों (राजौरी में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त कश्मीर क्षेत्र-1, जम्मू क्षेत्र-1; लद्दाख क्षेत्र-1) की स्थापना करने की परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि में कमी

1779. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में उपलब्ध कृषि योग्य/खेती योग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत वर्षों में देश में औद्योगिकीकरण और अन्य विकास प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कम हुई कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में उपलब्ध अप्रयुक्त और बंजर भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कृषि योग्य भूमि में विस्तार करने और अप्रयुक्त और बंजर भूमि के कृषि योग्य प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से क्या उपाय किए गए हैं/योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित अद्यतन भू उपयोग सांख्यिकी आंकड़ों (2009-10) के अनुसार, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए क्षेत्र में अंतरण के कारण पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में उपलब्ध कृषि/खेती योग्य भूमि 2006-07 के दौरान 182.51 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में मामूली रूप से घटकर 2009-10 के दौरान 182.47 मिलियन हेक्टेयर हो गयी है। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए देश में कृषि/खेती योग्य भूमि, गैर-उपयोगी (मौजूदा परती एवं मौजूदा परती भूमि को छोड़कर परती भूमि) तथा बंजर एवं गैर-खेती योग्य भूमि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ङ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथा इसलिए, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है वे गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के अंतरण को रोकने के लिए उपयुक्त नीति/अधिनियम/नियम बनाए। गैर कृषि भूमि के अंतरण की रोकथाम करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने भी अनेक उपाये किये हैं; अर्थात,

राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 (एनपीएफ 2007) : राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 ने यह सिफारिश की है कि "अपवादयुक्त परिस्थितियों को छोड़कर प्राथमिक कृषि भूमि को कृषि के लिए संरक्षित रखा जाए, बशर्ते कि ऐसी एजेंसियां जिन्हें गैर-कृषि योजनाओं के लिए कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जा रही है वे समतुल्य गैर-उन्नत/बंजर भूमि के उपचार एवं समग्र विकास के लिए मुआवजा दें। गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए, जहां तक संभव हो, खेती हेतु कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को निर्धारित तथा उनका आवंटन किया जाएगा"। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण क्रियाकलापों सहित गैर-कृषि विकास क्रियाकलापों के लिए गैर-कृषि योग्य भूमि, क्षारीय, अम्लीय प्रभावित भूमि आदि जैसी कम जैविकीय क्षमता वाले भूमि को निर्धारित करें।

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं बंदोबस्त नीति, 2007 (एनआरआरपी, 2007) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू संसाधन विभाग द्वारा तैयार राष्ट्र पुनर्वास एवं बंदोबस्त नीति 2007 में सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो, परियोजनाओं को बंजर भूमियों, गैर-उन्नत भूमि व गैर-सिंचित भूमि पर स्थापित किया जाए। परियोजना में गैर-कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाए; ऐसे प्रयोजनों के लिए बहु-फसलीकृत भूमि को हर संभव टाला जाए तथा सिंचाई युक्त भूमि का अधिग्रहण, यदि इसे टाला नहीं जाता है तो न्यूनतम पर रखा जाय। इन नीतियों को क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेज दिया गया है।

इसके अलावा, देश के कृषि भूमि क्षेत्र में बढ़ोतरी करने तथा भिन्न-भिन्न प्रकारों के भू-उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के लिए, सरकार विभिन कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित कर रही है यथा, (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना (एनडब्लूडीपरआरए), (ii) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ग्रस्त नदियों के केचमेंटों में भू-संरक्षण (आरवीपी एंड एफपीआर), (iii) क्षारिय एवं अम्लीय भूमि का पुनर्रूद्धार एवं विकास (आरएडीएएस) तथा (iv) झूम खेती क्षेत्रों में अन्तरिक करने में वाटरशेड विकास परियोजना (डब्लूडीपीएससीए)।

विवरण

देश में कृषि/खेती योग्य भूमि, गैर-उपयोगी तथा बंजर एवं गैर-खेती योग्य भूमि का राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-उपयोगी भूमि		बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि	कृषि/खेती योग्य भूमि
	मौजूदा परती भूमि को छोड़कर परती भूमि	मौजूदा परती भूमि		
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
2006-07	1583	3166	2098	15911
2007-08	1500	2719	2059	15939
2008-09	1488	2624	2056	15928
2009-10	1627	3361	2043	15921
अरुणाचल प्रदेश				
2006-07	73	37	42	422
2007-08	69	41	39	423
2008-09	70	40	39	422
2009-10	70	40	38	424
असम				
2006-07	59	126	1447	3224
2007-08	59	126	1408	3211
2008-09	50	79	1408	3211
2009-10	50	79	1408	3211
बिहार				
2006-07	120	566	436	6638
2007-08	119	569	432	6637

1	2	3	4	5
2008-09 .	122	655.	432	6620
2009-10	122	858	432	6601
छत्तीसगढ़				
2006-07	238	271	313	5581
2007-08	258	255	312	5585
2008-09	258	265	284	5581
2009-10	262	272	309	5570
गोवा				
2006-07		7		197
2007-08		10		197
2008-09		9		197
2009-10		12		197
गुजरात				
2006-07	19	623	2595	12422
2007-08	16	379	2519	12680
2008-09	16	379	2519	12680
2009-10	16	379	2519	12680
हरियाणा				
2006-07	8	141	103	3782
2007-08	8	104	103	3746
2008-09	5	105	103	3728
2009-10	5	133	104	3730
हिमाचल प्रदेश				
2006-07	15	64	658	821
2007-08	18	60	656	824

1	2	3	4	5
2008-09	18	60	656	824
2009-10	18	60	656	824
जम्मू और कश्मीर				
2006-07	16	74	289	1048
2007-08	26	67	289	1040
2008-09	23	65	288	1044
2009-10	26	84	274	1058
झारखंड				
2006-07	966	1402	564	4299
2007-08	913	1428	564	4302
2008-09	962	1394	569	4289
2009-10	1045	1564	569	4288
कर्नाटक				
2006-07	515	1565	788	12894
2007-08	505	1262	788	12891
2008-09	516	1500	788	12892
2009-10	484	1301	788	12891
केरल				
2006-07	47	82	26	2329
2007-06	45	83	26	2316
2008-09	46	68	25	2305
2009-10	45	77	22	2303
मध्य प्रदेश				
2006-07	612	769	1406	17312
2007-08	643	790	1379	17310

1	2	3	4	5
2008-09	621	582	1351	17322
2009-10	608	547	1341	17298
महाराष्ट्र				
2006-07	1199	1325	1719	21162
2007-08	1188	1327	1718	21151
2008-09	1188	1372	1716	21149
2009-10	1189	1373	1729	21130
मणिपुर				
2006-07	0	0	1	232
2007-08	0	0	1	242
2008-09	0	0	1	243
2009-10	0	0	1	240
मेघालय				
2006-07	169	68	137	1057
2007-08	161	67	136	1056
2008-09	157	59	134	1053
2009-10	155	58	133	1052
मिजोरम				
2006-07	166	41	9	373
2007-08	166	45	9	379
2008-09	171	60	9	348
2009-10	181	66	8	415
नागालैंड				
2006-07	76	82		657
2007-08	87	100	4	677

1	2	3	4	5
2008-09	89	73	3	659
2009-10	101	59	2	671
ओडिशा				
2006-07	229	526	840	7126
2007-08	229	556	840	7126
2008-09	229	576	840	7126
2009-10	229	606	840	7126
पंजाब				
2006-07	1	35	27	4229
2007-08	1	41	24	4236
2008-09	0	37	24	4215
2009-10	4	37	25	4206
राजस्थान				
2006-07	2265	1939	2427	25600
2007-08	2167	1724	2418	25576
2008-09	2108	1565	2295	25578
2009-10	2048	2055	2292	25569
सिक्किम				
2006-07	4	5		98
2007-08	4	5		98
2008-09	4	5		98
2009-10	4	5		98
तमिलनाडु				
2006-07	1493	907	502	8148
2007-08	1499	981	492	8149

1	2	3	4	5
2008-09	1498	1013	492	8146
2000-10	1542	1117	490	8131
त्रिपुरा				
2006-07	1	1	3	310
2007-08	1	1	3	310
2008-09	1	1	3	310
2009-10	1	1	3	310
उत्तराखंड				
2006-07	64	44	312	1509
2007-08	72	36	224	1549
2008-09	71	35	224	1547
2009-10	80	34	225	1548
उत्तर प्रदेश				
2006-07	542	1285	507	19213
2007-08	540	1408	507	19179
2008-09	539	1263	499	19166
2009-10	537	1232	494	19148
पश्चिम बंगाल				
2006-07	22	341	21	5751
2007-08	20	311	22	5721
2008-09	22	287	21	5639
2009-10	20	323	22	5684
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
2006-07	3	1	3	47
2007-08	3	2	2	26

1	2	3	4	5
2008-09	3	3	2	27
2009-10	3	3	2	28
चंडीगढ़				
2006-07	0	0		2
2007-08	0	0		2
2008-09	0	0		2
2009-10	0	0		2
दादरा और नगर हवेली				
2006-07	1	2	0	24
2007-08	2	2	0	24
2008-09	2	2	0	24
2009-10	2	1	0	24
दमन और दीव				
2006-07	0	0		3
2007-08	0	0		3
2008-09	0	0		5
2009-10	0	0		4
दिल्ली				
2006-07	8	12	16	54
2007-08	8	12	16	54
2008-09	8	12	16	54
2009-10	8	12	16	53
लक्षद्वीप				
2006-07				3

1	2	3	4	5
2007-08				3
2008-09				3
2009-10				3
पुदुचेरी				
2006-07	3	2	0	31
2007-08	2	3	0	30
2008-09	2	3	0	30
2009-10	3	3	0	30
अखिल भारत				
2006-07	10516	15509	17290	182508
2007-08	10329	14512	16990	182691
2008-09	10286	14191	16798	182514
2009-10	10484	15753	16783	182466

स्रोत: एलयूएस 2009-10, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

टिप्पणी: "0" शून्य का तात्पर्य 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र से है।

खाली स्थान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से आंकड़ों की गैर उपलब्धता अथवा गैर जानकारी इंगित करता है।

राष्ट्रीय खेल विकास निधि

1780. **श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :**
श्री शिवकुमार उदासी :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की मुख्य विशेषताएं और संरचना क्या है और एनएसडीएफ द्वारा इसके गठन से लेकर अब तक सरकार से प्राप्त अनुदानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों और अन्य स्रोत्रों से प्राप्त निधियों का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त खेल प्रशिक्षण-सह प्रतिस्पर्धाओं के लिए उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत खेल विद्या-वार सहायता प्रदान किए गए/अग्रिम धनराशि पाने वाले खिलाड़ियों के नाम क्या हैं;

(घ) योजना के अंतर्गत निधि स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या एनएसडीएफ को दिया गया योगदान आयकर के भुगतान से मुक्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की स्थापना भारत सरकार की दिनांक 12.11.1998 की अधिसूचना द्वारा पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 के अंतर्गत की गई थी। इस निधि की स्थापना देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग देने पर बल दिया गया है। इस निधि के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास के लिए सहायता का भी प्रावधान है।

इस निधि का प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा गठित एनएसडीएफ की परिषद का है। इस परिषद का पिछला पुनर्गठन मार्च, 2012 में किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। इस परिषद के सदस्यों में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शीर्ष उद्योग निकायों और कुछ संगठनों के खेल संवर्धन बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस निधि के दिन प्रतिदिन का कार्य संचालन का प्रबंधन संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता संबंधी विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों से संबंधित विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान खेल प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को दी गई वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों और संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को कार्यकारी समिति द्वारा योग्यता के आधार पर मंजूर किया जाता है बशर्ते कि ये प्रस्ताव निधि के उद्देश्यों के दायरे में आते हों।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय खेल विकास निधि को दी गई सहायता को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी (2) के उपबंधों के अनुसार आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है।

विवरण-I

राष्ट्रीय खेल विकास निधि को इसकी स्थापना से भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता

वर्ष	सरकारी योगदान (रु.)
1998-99	2,00,00,000 (सीड मनी)
1999-00	11,60,000
2000-01	1,25,00,000
2001-02	25,00,000
2002-03	—
2003-04	19,46,050
2004-05	19,83,599
2005-06	28,79,027
2006-07	—
2007-08	5,00,00,000
2008-09	10,25,00,000
2009-10	8,12,00,000
2010-11	20,00,00,000
2011-12	—
2012-13	5,00,00,000
कुल	52,66,68,676

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान और उसके बाद विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सहायता

वर्ष	स्त्रोत का नाम जहां से निधियां प्राप्त की गईं (दानदाता का नाम)	दी गई धनराशि (रु.)
1	2	3
2009-10	आरएआई फाउंडेशन	10,00,000
	मध्य प्रदेश सरकार	1,00,00,000
	हरियाणा सरकार	1,00,00,000
	कुल (2009-10)	2,10,00,000
2010-11		—
	कुल (2010-11)	—
2011-12	महाराष्ट्र सरकार	1,00,00,000
	जेपी स्पोर्टस ईटरनेशनल लिमिटेड	10,00,00,000
	कुल (2011-12)	11,00,00,000
2012-13	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लिमिटेड	10,00,00,000
	कुल (2012-13)	10,00,00,000
	कुल	23,10,00,000

विवरण-III

खिलाड़ियों को एनएसडीएफ

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विद्या	वर्ष-वार				
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनिल कुमार	एथलीट	640,977.00		226,984.00		867,961.00
2.	ओमप्रकाश सिंह करहाना	एथलीट			4,078,692.00	1,772,792.00	5,851,484.00
3.	कृष्णा पूनिया	एथलीट			3,107,509.00	3,251,776.00	6,359,285.00
4.	विकास गौडा	एथलीट			2,584,596.00	2,632,941.00	5,217,537.00
5.	मयूखा जोनी	एथलीट			1,719,647.00	1,667,980.00	3,387,627.00
6-9.	4 एथलीट्स (परीजा श्रीधरन, कबिता राऊत, ओ.पी. जैशा, सुधा सिंह)	एथलीट			2,227,724.00	5,008,229.00	7,235,953.00
10.	अनूप श्रीधर	बैडमिंटन	73,808.00		38,515.00		112,323.00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	परिमार्जन नेगी	शतरंज	1,685,418.00	505,208.00	1,095,234.00	—	3,285,860.00
12.	तान्या सचदेव	शतरंज	673,869.00	—	3,168.00	—	677,037.00
13-21.	9 जिम्नास्ट	जिम्नास्टिक्स	—	—	8,991,000.00	—	8,991,000.00
22.	जमयांग नामग्याल	अल्पाइन स्कीइंग	869,322.00	—	—	—	869,322.00
23.	ताशी लंडूप	क्रास कंट्री स्कीइंग	756,805.00	—	—	—	756,805.00
24.	शिवा केशवन केपी	लूगे (शीतकालीन खेल)	1,624,008.00	—	269,384.00	—	1,893,392.00
25.	अभिनव बिन्द्रा	निशानेबाजी	9,054,728.00	6,379,820.00	7,288,274.00	5,869,478.00	28,592,300.00
26.	अंजनी भागवत	निशानेबाजी	90,177.00	—	—	—	90,177.00
27.	अवनीत कौर	निशानेबाजी	126,277.00	—	—	—	126,277.00
28.	गगन नारंग	निशानेबाजी	116,973.00	—	—	—	116,973.00
29.	मानवजीत सिंह संधू	निशानेबाजी	5,419,244.00	6,148,666.00	4,807,475.00	8,542,882.00	24,918,267.00
30.	मनशेर सिंह	निशानेबाजी	3,450,038.00	3,973,507.00	1,947,758.00	—	9,371,303.00
31.	रोजन सोढ़ी	निशानेबाजी	4,720,986.00	5,978,644.00	4,831,041.00	8,384,362.00	23,915,033.00
32.	संजीव राजपूत	निशानेबाजी	117,511.00	—	—	1,107,484.00	1,224,995.00
33.	समरेश जंग	निशानेबाजी	64,801.00	—	—	—	64,801.00
34.	जोरावर सिंह संधू	निशानेबाजी	—	—	64,620.00	—	64,620.00
35.	शागुन चौधरी	निशानेबाजी	—	—	779,740.00	2,282,953.00	3,062,693.00
36.	जयदीप कर्माकर	निशानेबाजी	—	—	—	2,231,872.00	2,231,872.00
37.	हिना सिद्धू	निशानेबाजी	—	—	—	736,025.00	736,025.00
38.	नरेश कुमार शर्मा	निशानेबाजी (पैरालंपिक्स)	1,636,489.00	—	—	3,427,942.00	5,064,431.00
39.	दीपिका पालीकल	स्कवैश	—	—	—	147,926.00	147,926.00
40.	सोमदेव देवरमन	टेनिस	—	619,005.00	3,330,592.00	—	3,949,597.00
41.	लिएंडर पेस	टेनिस	—	2,208,675.00	825,581.00	—	3,034,256.00

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	महेश भूपति	टेनिस	—	—	1,567,565.00	2,571.573.00	4,139.138.00
43.	सानिया मिर्जा	टेनिस	—	—	1,094,807.00	2,372,617.00	3,467,424.00
44.	रोहन भूपन्ना	टेनिस	—	—	1,738,315.00	—	1,738,315.00
45.	यूकी भामबरी	टेनिस	—	—	713,678.00	1,203,293.00	1,916,971.00
46.	सनम सिंह	टेनिस	—	—	543,329.00	432,251.00	975,580.00
47.	जे. विष्णुवर्धन	टेनिस	—	—	—	724,459.00	724,459.00
48.	कर्ण रस्तोगी	टेनिस	—	—	—	674,486.00	674,436.00
	कुल		29,302,630.00	22,985,845.00	50,879,906,00	55,043,321.00	158,211,702.00

दहेज के लिए हत्या और घरेलू हिंसा के मामले

1781. श्री मानिक टैगोर :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में दहेज के लिए महिलाओं की हत्या और उनके प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों, गिरफ्तार किए गए अभिमुक्तों, दोष व्यक्तियों और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी मामलों की संख्या का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या परामर्श जारी किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान दहेज हत्या के कुल क्रमशः 8,383, 8,391 और 8,618 मामले दर्ज किए गए थे जो इनकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। इन मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

वर्ष 2009 से 2011 के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा के कुल क्रमशः 7,803, 11,718 और 9,431 मामले दर्ज किए गए थे जो इनकी मिश्रित प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इन मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

सरकार, ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने, सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत करने और चिकित्सा सुविधाओं को अधिसूचित करने इत्यादि के संबंध में अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा है जिसमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए लोगों को त्वरित और प्रभावकारी दंड संबंधी यथोचित उपाय अपनाने, जांच पड़ताल की गुणवत्ता में सुधार लाने, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति जांच-पड़ताल में होने वाले विलम्ब को कम करने, जिलों में ''महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ'' स्थापित करने, पुलिस कर्मियों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला अदालतों स्थापित करने, काल सेंटरों में रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कदम उठाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ''महिला प्रकोष्ठ'' स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तर पर ''समस्त महिला पुलिस स्टेशन'' और पुलिस स्टेशन स्तर पर ''महिला सहायता डेस्क'' स्थापित किए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-2011 के दौरान दहेज हत्या के प्रति कुल अपराधों के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	546	500	62	1220	1270	284	588	543	80	1322	1383	230	599	522	56	1400	1240	265
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	170	95	20	297	181	51	175	132	13	263	192	24	121	77	13	146	134	30
4.	बिहार	1295	705	140	2908	2166	433	1257	831	146	2508	2658	351	1413	1454	163	3900	3309	323
5.	छत्तीसगढ़	128	136	31	353	354	78	115	108	31	277	261	81	104	110	26	287	305	57
6.	गोवा	3	2	0	3	2	0	1	0	1	5	0	1	1	2	0	2	6	0
7.	गुजरात	24	20	0	53	55	0	19	15	1	28	34	4	30	26	0	62	58	0
8.	हरियाणा	281	253	63	633	635	142	284	253	89	589	590	223	255	215	78	457	449	160
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	1	3	5	5	2	2	0	4	4	0	4	3	0	8	8	0
10.	जम्मू और कश्मीर	12	18	1	46	45	1	9	9	0	26	24	0	11	4	0	12	12	0
11.	झारखंड	295	281	80	562	541	167	276	235	74	567	585	186	282	228	63	536	483	137
12.	कर्नाटक	264	205	13	666	537	33	248	246	32	621	717	62	267	265	36	642	660	55
13.	केरल	20	21	2	32	33	3	22	26	1	34	47	2	15	16	1	25	21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	858	938	257	2474	2473	621	892	877	230	2564	2574	656	811	797	332	2144	2155	910
15.	महाराष्ट्र	341	334	30	1233	1205	83	393	401	22	1438	1377	63	339	359	33	1261	1276	85
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	384	346	47	857	850	81	388	485	50	988	1048	131	465	406	49	858	849	111
21.	पंजाब	126	97	61	323	248	154	121	104	56	288	292	138	143	119	48	364	295	127
22.	राजस्थान	436	331	93	553	550	188	462	347	100	616	610	183	514	380	105	673	673	186
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	194	190	35	430	479	113	165	151	46	313	300	102	152	113	26	336	217	52
25.	त्रिपुरा	29	27	7	60	57	14	25	23	3	62	56	6	30	37	5	57	46	16
26.	उत्तर प्रदेश	2232	1786	823	9203	6518	3245	2217	1757	992	9250	5958	3828	2322	1892	1024	9795	6260	3514
27.	उत्तराखंड	94	84	42	218	194	87	75	60	39	168	163	104	83	75	12	233	196	67
28.	पश्चिम बंगाल	506	372	36	1002	825	92	507	486	24	1124	1101	55	510	461	41	1118	1110	91
	कुल राज्य	8239	6743	1844	23129	19223	5875	8242	7091	2030	23057	19974	6430	8473	7562	2111	24324	19763	6187
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30.	चंडीगढ़	2	2	2	3	6	6	5	4	2	10	10	5	2	0	1	3	0	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	141	144	35	242	255	64	143	136	27	209	199	68	142	130	51	246	221	113
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	3	1	0	4	4	1	1	0	4	1	0	1	0	0	5	0	0
	कुल राज्य	144	150	38	245	266	74	149	141	29	223	210	73	145	132	52	254	223	119
	कुल अखिल भारत	8383	6893	1832	23374	19489	5949	8391	7232	2059	23280	20184	6503	8618	7694	2163	24578	19986	6306

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2009 के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोषसिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप-पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2710	608	97	0	103	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	8	3	12	8	3
3.	असम	1	1	0	5	5	0
4.	बिहार						
5.	छत्तीसगढ़	22	23	0	18	18	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	67	67	0	234	234	0
8.	हरियाणा	32	10	0	13	13	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	4	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके प्रावधान लागू नहीं हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक	18	6	8	1	4	
13.	केरल	53	46	0	61	72	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	1395		121			
16.	मणिपुर	25	0	0	28	0	0
17.	मेघालय	23	28	0	76	45	0
18.	मिजोरम	4	4	1	4	4	1
19.	नागालैंड	6	6	3	6	6	3

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	38	34	1	76	77	0
22.	राजस्थान	45	29	1	37	37	1
23.	सिक्किम	6	6	0	8	8	0
24.	तमिलनाडु	2376	729	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	923	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	7761	1608	235	583	638	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36	29	1	53	53	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	6	4	0	5	4	0
34.	लक्षद्वीप*						
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	42	33	1	58	57	1
	कुल अखिल भारत	7803	1641	236	641	695	9

टिप्पणी: '*' अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2010 के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोषसिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप-पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2683	141	1	1	141	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	8	1	11	8	1
3.	असम	1	1	0	2	2	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़*						
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	25					
8.	हरियाणा	39	7	0	12	12	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	0	3	0
10.	जम्मू और कश्मीर			केन्द्रीय अधिनियम और इसके प्रावधान लागू नहीं हैं।			
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	44	35	1	41	48	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	3505	2127	408	—	—	—
16.	मणिपुर*						
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम	3	3	1	3	3	1
19.	नागालैंड	6	6	1	6	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	19	11	0	38	30	0
22.	राजस्थान	45	20	0	25	25	0
23.	सिक्किम	3	2	0	3	2	0
24.	तमिलनाडु	4136	1198	2	0	0	0
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	3	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1164	744	0	1	1	0
	कुल राज्य	11690	4307	415	143	284	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28	23	0	39	39	0
30.	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव*						
33.	दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	28	23	0	39	39	0
	कुल अखिल भारत	11718	4330	415	182	323	5

टिप्पणी: अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

'**' आईपीसी के मामले भी शामिल है।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2011 के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोषसिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप-पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	8	0	16	8	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़*						
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	3266	2340	15	2	85	1
8.	हरियाणा	314	165	0	500	480	0
9.	हिमाचल प्रदेश	14	8	0	0	8	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके प्रावधान लागू नहीं हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	96	74	1	96	93	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र*						
16.	मणिपुर	18	0	0	18	0	0
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम*						
19.	नागालैंड*						

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब*						
22.	राजस्थान	39	18	0	23	22	0
23.	सिक्किम	3	3	1	3	3	1
24.	तमिलनाडु	3983	1252	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1661	618	0	11	0	0
	कुल राज्य	9412	4486	17	669	699	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	13	0	26	14	0
30	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली*						
32.	दमन और दीव*						
33.	दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी*						
	कुल राज्य	19	13	0	26	14	0
	कुल अखिल भारत	9431	4499	17	695	713	3

टिप्पणी: अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

'**' आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

जनजातियों का शोषण

1782. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवादियों द्वारा जनजातियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातियों के शोषण की रोकथाम और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। नक्सलियों द्वारा आदिवासी समुदायों के शोषण की गई घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। ऐसी घटनाओं में मुख्यतया माओवादी शिविरों में यौन शोषण शामिल है, जिनका खुलासा ओडिशा, महाराष्ट्र बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों के कई आत्मसमर्पण करने वाली महिला सीपीआई (माओवादी) काडरों के बयानों के माध्यम से हुआ है। इसकी व्यापक रूप से सूचना समय-समय पर मीडिया में भी दी गई है। यौन शोषण की ऐसी घटनाओं में वरिष्ठ पुरुष सीपीआई (माओवादी) काडरों द्वारा बलात्कार, जबरदस्ती शादी और छेड़छाड़ शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले कुछ सीपीआई (माओवादी) पुरुष काडरों ने यह खुलासा किया है कि उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा महिला काडरों के साथ शादी करने की पूर्व शर्त के रूप में वैसक्टामी आपरेशन कराने के लिए बाध्य किया गया था। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा नीलिगुडा वन, थाना पोडिया, जिला मलकानगिरी, ओडिशा में नक्सलियों के छिपने के स्थान पर जनवरी, 2012 में चलाए गए अभियान के दौरान बड़ी संख्या में गर्भ धारण जांच किट, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां आदि बरामद की गई थीं। अन्य राज्यों में भी ऐसी बरामदगियां की गई हैं। ये आरोप हैं कि गर्भवती हुई सीपीआई (माओवादी) के महिला काडरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया जाता है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला काडरों ने भी यह खुलासा किया है कि पुरुष काडरों से शादी करने के बाद भी उन्हें बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि सीपीआई (माओवादी) के वरिष्ठ नेतृत्व यह महसूस करते हैं कि इससे उनकी लड़ने की क्षमता और गतिशीलता क्षीण हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, माओवादी द्वारा समाज के निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों की जबरदस्ती भर्ती की सूचना भी प्राप्त हुई है।

उनके आधिपत्य वाले क्षेत्रों में भय की भावना उत्पन्न करने के लिए नक्सली, सिविलियनों को पुलिस मुखबरी का नाम देकर उनकी हत्या भी कर देते हैं। माओवादियों द्वारा वर्ष 2010 से मारे गए 5745 सिविलियनों में से आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है।

माओवादियों ने वास्तव में ऐसे हजारों निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी है जिनके हित की रक्षा करने का वे वादा करते हैं। इस दु:खद वास्तविकता की माओवादी अग्रणी संगठनों और शहरों ओर नगरों में उनके समर्थकों द्वारा अनदेखी की गई है जिन्होंने भारत देश के विरुद्ध दुष्प्रचार शुरू किया है।

(ग) उपर्युक्त समस्या को वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह के समग्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। केन्द्रीय सरकार वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की गहन निगरानी करती है तथा सुरक्षा और विकास दोनों क्षेत्रों में कई मुद्दों पर राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, राज्य बलों के क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकार की सहायता और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कई विकास योजनाओं का कार्यान्वियन शामिल है। राज्य सरकारों को जब आदिवासियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती है, तो वे नियम के संगत उपबंधों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई करती है। जहां तक बच्चों को जबरदस्ती भर्ती करने का संबंध है, इस मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो सिविल अशांति के क्षेत्रों में "बाल बंधु परियोजना" कार्यान्वित कर रहा है, के ध्यान में लाया गया था। आदिवासियों के शोषण की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र भी जारी करती है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे उन इच्छुक माओवादी काडरों जिनका जबरदस्ती बन्ध्याकरण किया गया था, के वैसेक्टोमी आपरेशन को निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं। सरकार ने वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पाम्परिक वन निवासियों, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं, किन्तु जिनके अधिकारों को लेखबद्ध नहीं किया जा सका है, के वन भूमि में उनके अधिकारों और व्यवसाय को मान्यता प्रदान करने और उनको ये अधिकार सौंपने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006

भी अधिनियमित किया है। जनजाति मामले मंत्रालय ने वन अधिकारों को त्वरित रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे बांस को एक गौण वन उत्पाद मानें और उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार समुदायों को मिले अधिकारों का सम्मान करें।

[अनुवाद]

रेल पुलों का संरक्षण

1783. **श्री अब्दुल रहमान :**
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल पुलों, जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के उदाहरण हैं और जिनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को सामाजिक और मानवाधिकार मंचों सहित विभिन्न संगठनों से आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बने पुल सहित इन रेल पुलों के संरक्षण हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें युनेस्को को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है कि इन सदियों पुराने पुलों को विश्व विरासत स्मारक घोषित किया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पुलों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) रेल मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि देश में 33,395 रेलवे पुल हैं जो कि 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उन पुलों के बारे में से कोई सूचना नहीं रखी गई है जो कि 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और विशेषरूप से उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कोटि के हैं। रेलवे पुलों की सूचना क्षेत्रवार रखी जाती है, राज्य-वार नहीं।

(ख) रेल मंत्रालय अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के खाद्यान्नों की खरीद

1784. **श्री भूपेन्द्र सिंह :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान घटिया किस्म के खाद्यान्नों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घटिया किस्म/खराब खाद्यान्न की खरीद के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और उक्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की खरीद और सुरक्षित भंडारण पर व्यय की गई निधियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा विहित एक समान गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार की जाती है। तथापि, विगत वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान की गई विभिन्न विशेष जांचों तथा निरीक्षणों के दौरान खरीदे गए खाद्यान्नों की कुछ मात्रा निर्धारित मानकों से अलग पायी गई है। ऐसी घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है:—

(ग) विगत वर्षों के दौरान घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की खरीद के लिए जिम्मेवार ठहराए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के द्वारा खाद्यान्नों की खरीद तथा सुरक्षित भंडारण पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	खाद्यान्नों की खरीद पर व्यय की गई निधि (करोड़ रुपए)	भंडारण लागत (करोड़ रुपए)
2009-10	59877.39	1663.21
2010-11	69996.32	2180.22
2011-12	83526.09	2364.40

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की क्षेत्र-वार मात्रा

(आंकड़े टन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1.11.2012 की स्थिति के अनुसार)
1.	बिहार	250	3603	966	0
2.	झारखंड	0	0	96	0
3.	ओडिशा	1754	0	27	0
4.	हरियाणा	2743	5197.80	6147	0
5.	पंजाब	86000	35000	17000	0
6.	राजस्थान	0	0.35	0	0
7.	उत्तर प्रदेश	5527.50	23582	89904	0
8.	महाराष्ट्र	3618	27	54	216
9.	छत्तीसगढ़	2051	5939	6143	0
	कुल	101943.50	73349.15	120337	216

विवरण-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खराब गुणवत्ता वाले/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की खरीद के लिए जिम्मेदार पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा

दंड की प्रकृति	कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध अवमानक स्टॉक/क्षतिग्रस्त स्टॉक खरीदने के लिए कार्रवाई की गई है			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1.8.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
निलम्बित किया गया	2	0	0	0

1	2	3	4	5
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त	2	2	1	0
रैंक कम किया गया	9	9	6	0
वेतनवृद्धि रोक दी गई	15	54	15	5
वेतन में कमी की गई	136	147	116	17
निन्दा की गई	265	215	79	22
वसूली की गई	257	515	306	119
दोषमुक्त किया गया	29	31	14	5
चेतावनी दी गई	46	68	10	4
कुल	761	1041	547	172

खेती की लागत में वृद्धि

1785. **श्री देवजी एम. पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के परिणामस्वरूप खेती की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मनरेगा और कृषि के बीच संपर्क स्थापित करने और इसके अंतर्गत किसानों के खेतों में कृषि कार्य आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों को किस प्रकार से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने यह सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को शामिल करने के बाद 2006-07 से कृषि मजदूरी दर में महत्वपूर्ण वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। जैसाकि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा जानकारी मिली है 2007-08 से 2011-12 के दौरान मजदूरी दर में वार्षिक वृद्धि लगभग 14.5 प्रतिशत से 21.5 तक घट-बढ़ रही है।

(ग) से (ङ) कृषि मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ मनरेगा को मिलाने के संबंध में दिशानिर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत 30 नये कार्यों को अधिसूचित किया है जिसमें से अधिकांश कार्य कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों से संबंधित है।

[अनुवाद]

एफ.एम. रेडियो की विषय-वस्तु की निगरानी

1786. **श्री आधि शंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ.एम. रेडियो चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) अनुमति मंजूरी करार (गोपा) के खंड 7.6 के अनुसार, सभी प्रसारक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रसारण चैनलों में प्रसारित होने वाली कोई भी विषय-वस्तु, संदेश, विज्ञापन या संचार भारत के कानूनों के तहत आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत या असंगत न हो। प्रसारक आकाशवाणी द्वारा यथा अनुसरित, समय-समय पर यथा संशोधित कार्यक्रम व विज्ञापन संहिता का ही अथवा प्रवृत्त होने वाली किसी अन्य अनुप्रयोज्य संहिता का अनुपालन करेंगे।

अनुमति मंजूरी करार (गोपा) के खंड 13.1 व 13.2 में अलग-अलग प्रसारकों द्वारा अपने-अपने स्टूडियो केन्द्रों में प्रसारित सामग्री की रिकॉर्डिंग के परिरक्षण के अतिरिक्त, एफ.एम. रेडियो स्टेशनों पर स्वचालित लॉगर्स का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, प्रत्येक प्राइवेट एफ.एम. चैनल ने अपने स्टूडियो में लॉगर्स अधिष्ठापित करवा लिए हैं ताकि गोपा के अनुसार, कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग को तीन माह तक परिरक्षित किया जा सके और किसी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित रिकॉर्डिंग को मंगवाया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऑफ-एयर रिकॉर्डिंग व मॉनीटरिंग के प्रयोजनार्थ सांझी ट्रांसमिशन अवसंरचनाके प्रत्येक स्थल पर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) द्वारा प्रत्येक प्राइवेट एफ.एम. चैनल ट्रांसमीटर में लॉगर्स अधिष्ठापित कर दिए गए हैं। इन रिकॉर्डिंगों को 3 माह के लिए भंडारण किया जाता है और उनमें किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए बेसिल द्वारा मासिक आधार पर उनकी जांच की जाती है। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसकी जानकारी मंत्रालय को आगे की कार्रवाई हेतु दी जाती है।

ई.एम.एम.सी. का कार्यकरण

1787. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ई.एम.एम.सी) निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की चौबीस घंटे निगरानी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निजी सैटेलाइट टेलीविजन-चैनलों द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन हेतु ई.एम.एम.सी द्वारा संसूचित/निगरानी किए गए मामलों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान ई.एम.एम.सी द्वारा इस पर चैनल-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ई.एम.एम.सी के कार्य/कार्यकरण के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसका परिणाम क्या रहा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र (ईएमएमसी) प्राइवेट सैटेलाइट टीवी द्वारा प्रसारित विषय-वस्तु की चौबिसों घंटे निगरानी करता है। हाल ही में, ई.एम.एम.सी की निगरानी-क्षमता में वृद्धि कर दी गई है जिसके फलस्वरूप अब यह केन्द्र क्रमावर्तन आधार पर 300 चैनलों की निगरानी करता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ई.एम.एम.सी के कार्यकरण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। नियमित समीक्षाओं से सरकार को ई.एम.एम.सी की जनशक्ति, वित्तीय व तकनीकी क्षमता का आवर्धन करने में मदद मिली है। ई.एम.एम.सी को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए 12वीं योजना में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ताकि ई.एम.एम.सी अपने अधिदेश के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से व कारगर ढंग से जारी रख सके।

विवरण

वर्ष 2009

क्र. सं.	चैनल का नाम	कारण बताओं नोटिस जारी करने की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	स्टार न्यूज	23.03.2009	मुंबई में आंतकवादी हमलों के विरुद्ध प्रदर्शन पर समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया।
2.	एमटीवी	31.03.2009	एमटीवी रोडीस नामक अश्लील, आपत्तिजनक तथा अभद्र कार्यक्रम का प्रसारण।	दिनांक 01.07.2009 के आदेश के तहत चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया था।
3.	स्टार न्यूज	31.03.2009	मुलायम सिंह यादव एवं अन्य के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले के संबंध में समाचार का प्रसारण। इस समाचार कार्यक्रम पर आधा सच दिखाने और सीबीआई की तथाकथित अवमानना करने का आरोप है।	किसी कार्यक्रम कोड का उल्लंघन नहीं पाया गया।
4.	सीएनएन	31.03.2009	मुलायम सिंह यादव एवं अन्य के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले के संबंध में समाचार का प्रसारण। इस समाचार कार्यक्रम पर आधा सच दिखाने और सीबीआई की तथाकथित अवमानना करने का आरोप है।	किसी कार्यक्रम कोड का उल्लंघन नहीं पाया गया।
5.	आईबीएन7	24.04.2009	भारतीय आसूचना एजेंसी की संवेदनशील सूचना को शेयर करने वाले समाचार का प्रसारण और इस मुद्दे को सनसनीखेज बना कर चैनल के दर्शकों में संत्रास और भय पैदा करने की कोशिश की।	गृह मंत्रालय की टिप्पणी मांगी जा रही है।

1	2	3	4	5
6.	इंडिया टीवी	20.05.2009	धार्मिक गुटों की अवमानता और तिरस्कार करने वाले दृश्यों और शब्दों का प्रयोग करने वाले समाचार का प्रसारण।	चैनल ने अपनी ओर से क्षमा याचना की है।
7.	एमटीवी चैनल	02.06.2009	'वोडाफोन एमटीवी स्पिलिटसविला-2' कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें एक प्रतिभागी द्वारा दूसरे पर अनुचित टिप्पणी की गई थी।	दिनांक 04.01.2010 की चेतावनी के तहत चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया था।
8.	सोनी चैनल	16.06.2009	'एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस' के विज्ञापन का प्रसारण।	किसी विज्ञापन संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया।
9.	इंडिया टीवी	23.06.2009	'रजनीगंधा पान मसाला' उत्पाद के विज्ञापन का प्रसारण।	किसी विज्ञापन संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया।
10.	रियल टीवी	30.06.2009	'सरकार की दुनिया' नामक आपत्तिजनक रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
11.	एनडीटीवी	30.06.2009	'सरकार का दुनिया' नामक आपत्तिजनक रियल्टी शो पर आधारित समाचार का प्रसारण	चैनल को दिनांक 16.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
12.	स्टार प्लस	22.07.2009	'सच का सामना' नामक अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक रियल्टी गेम शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 27.11.2009 को चेतावनी जारी की गई। चैनल को यह भी निदेश दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय फार्मेट् पर आधारित कार्यक्रम की फोर्मेटिंग करते समय भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाए।
13.	स्टार विजय	27.07.2009	अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने वाले 'नदंदादु एना' नामक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल के उत्तर से मंत्रालय संतुष्ट था।
14.	9xटीवी	27.07.2009	डरावने दृश्य दर्शाने वाले 'ब्लैक' नामक धारावाकि का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.01.2010 को चेतावनी जारी की गई है।

1	2	3	4	5
15.	ईटीवी उड़िया	27.07.2009	अश्लील दृश्य दर्शाने वाले समाचार का प्रसारण।	किसी कार्यक्रम कोड का उल्लंघन नहीं पाया गया।
16.	ईटीवी मराठी	27.07.2009	एक व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या पर आधारित समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.01.2010 को सलाह पत्र जारी कर दिया गया था।
17.	मेगा टीवी	28.07.2009	अश्लील दृश्य दर्शाने वाले समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.01.2010 को सलाह पत्र जारी कर दिया गया था।
18.	एनडीटीवी इमेंजिन	28.07.2009	'बंदिनी' नामक धारावाहिक में अशोभनीय दृश्यों का प्रसारण	चैनल को दिनांक 01.12.2010 को सलाह पत्र जारी कर दिया गया था।
19.	बिंदास	29.07.2009	'सुन यार चिल मार' नामक अशोभनीय धारावाहिक का प्रसारण	चैनल को दिनांक 29.01.2010 को सलाह पत्र जारी कर दिया गया था।
20.	चैनल [वी]	29.07.2009	'लांच पैड' नामक अशोभनीय कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
21.	चैनल [वी]	29.07.2009	शालीनता भंग करने वाले समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 29.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
22.	कलर्स	29.07.2009	अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने वाले 'कोई आने को है, नामक' धारावाहिक का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 29.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
23.	एशियानेट न्यूज	31.07.2009	आपराधिक रिपोर्टों पर आधारित और अभद्र दृश्य दर्शाने वाले 'एफआईआर' नामक समाचार कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 29.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
24.	अमृता टीवी	31.07.2009	खतरनाक कलाबाजी के दृश्य दर्शाने वाले 'सुपर टेलेंट' नामक कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को पत्र जारी किया गया था।
25.	वीएच 1	19.08.2009	'सेटरडे नाइट लाइव' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें अशोभनीय दृश्य दिखाए गए थे।	चैनल को दिनांक 08.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
26.	बिंदास	26.08.2009	'दादागिरी सीजन2-' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.03.2010 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
27.	सोनी	26.08.2009	'इस जंगल से मुझे बचाओ' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
28.	नेशनल जियोग्राफिक चैनल	04.09.2009	गलत नक्शा दर्शाने वाले दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 05.01.2010 को चेतावनी जारी की गई।
29.	वीएच 1	11.09.2009	'साउथ पार्क' नामक कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 05.03.2010 के आदेश के तहत कार्यक्रम का प्रसारण बंद करने का निदेश दिया। चैनल ने निर्देशों के अनुपालन किया।
30.	एफटीवी	11.09.2009	महिला मॉडलों के ऊपरी अंगों के नग्न दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 10.03.2010 के आदेश के तहत दिनांक 12.03.2010 से 21.03.2010 तक 9 दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के निदेश दिए।
31.	एनडीटीवी इमेजिन	06.10.2009	'पति पत्नी और वो' नामक धारावाहिक का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 2010 को चेतावनी जारी की गई।
32.	साधना टीवी	09.10.2009	समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.03.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।
33.	सोनी	16.10.2009	'एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा' नामक कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.03.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।
34.	स्टार प्लस	23.10.2009	'सपना बाबुल का - बिदाई' नामक धारावाहिक का प्रसारण जिसमें किसी समुदाय के विरुद्ध संवाद थे।	चैनल को दिनांक 04.03.2010 को चेतावनी जारी की गई।
35.	कलर्स	26.10.2009	'बिग बॉस सीजन-3' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
36.	कलर्स	29.10.2009	'ना आना इस देश लाडो' नामक धारावाहिक का प्रसारण।	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
			2010	
1.	स्टार आंनदो	05.01.2010	ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी नामक विज्ञापन में मदिरा उत्पाद के छद्म विज्ञापन का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
2.	एनडीटीवी गुड टाइम्स	05.01.2010	ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी नामक विज्ञापन में मदिरा उत्पाद के छद्म विज्ञापन का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
3.	आईबीएन 7	13.01.2010	मिस्टर मुनीर खान द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के गंभीर बीमारियों के उपचार और उसकी वकालत करने वाले कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
4.	कलर्स	22.01.2010	'बैरी पिया 'नामक धारावाहिक का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
5.	बिंदास	02.02.2010	'इमोशनल अत्याचार सीजन1-' नामक रियलिटी शो का प्रसारण।	चैनल को रियलिटी शो का समय रात्रि 11.00 बजे करने का निदेश दिया गया। चैनल ने कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे कर दिया।
6.	एनडीटीवी इमेजिन	03.02.2010	'राज पिछले जन्म का' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	किसी कार्यक्रम का कोड का उल्लंघन नहीं पाया गया।
7.	एमटीवी	03.02.2010	स्पिलिट्सविला-3 नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 26.04.2010 को तीन दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने इसका अनुपालन किया।
8.	टीवी.5	25.02.2010	चितांमणि और बिग स्क्रीन नामक कार्यक्रमों में अभ्रद दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.08.2010 को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने इसका अनुपालन किया।
9.	स्टार आनंदो	02.04.2010	चैनल पर संघ रेल मंत्री का व्यक्तिगत मोबाइल नं. दिखाना	चैनल को दिनांक 30.09.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
10.	सेट मैक्स	05.04.2010	'हेवर्ड 5000-सोडा 'और 'किंग फिशर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर 'उत्पादों के विज्ञापनों का छद्म रूप से प्रसारण।	छद्म विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक संबंधी नियम का अनुपालन करने के लिए सभी चैनलों, एनबीए और आईबीएफ को दिनांक 17.6.2010 को निदेश जारी किया गया।

1	2	3	4	5
11.	स्टार गोल्ड	05.04.2010	'मैकडॉल सोडा 'उत्पाद के विज्ञापन का छद्म रूप से प्रसारण।	छद्म विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक संबंधी नियम का अनुपालन करने के लिए सभी चैनलों, एनबीए और आईबीएफ को दिनांक 17.6.2010 को निदेश जारी किया गया।
12.	एनडीटीवी इंडिया	26.04.2010	टेनिस खिलाड़ी 'सेरेना विलियम्स' के नग्न दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.11.2010 को चेतावनी जारी की गई।
13.	फॉक्स हिस्ट्री	26.04.2010	'मैडवेंचर्स' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों का प्रसारण जिसमें एक नंगे आदमी पर 'सुशी' लेटी हुई है।	चैनल को दिनांक 23.082010 को चेतावनी जारी की गई।
14.	जय हिंद टीवी	26.04.2010	लाइफ स्केचेज नामक कार्यक्रम में महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 23.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
15.	एसएस म्यूजिक	13.05.2010	'सिज़लिंग हिट्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अभद्र और अश्लील था।	चैनल को दिनांक 08.02.2010 के आदेश के तहत 15 से 22 फरवरी, 2012 तक चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
16.	कलर्स	02.6.2010	'बालिका वधु 'धारावाहिक की एक कड़ी का प्रसारण जिसमें बच्चों की छवि को धूमिल किया गया है।	कोई उल्लंघन स्थापित नहीं हो पाया।
17.	जी तेलुगु	14.06.2010	'आता' रियल्टी शो में अभद्रता और अश्लीलता का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.11.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
18.	स्टार प्लस	30.06.2010	'प्रतिज्ञा' नामक धारावाहिक का प्रसारण जिसमें एक समुदाय के विरुद्ध टिप्पणी की गई है।	कोई उल्लंघन सिद्ध नहीं हुआ। तथापि, चैनल को दिनांक 16.11.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
19.	हंगामा	06.07.2010	एनीमेटेड धारावाहिक 'शिन चैन' का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र दृश्य दिखाए गए।	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
20.	स्टार प्लस	26.08.2010	'तेरे लिए' धारावाहिक में एक समुदाय के विरुद्ध टिप्पणी का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 28.02.2011 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
21.	टीवी-5	11.10.2010	आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री डॉ. वाई.एस. रेड्डी की मृत्यु के समाचार का प्रसारण जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था।	उपयुक्त कार्रवाई हेतु एनबीए को दिनांक 16.03.2011 को पत्र भेजा गया।
22.	कलर्स	09.12.2010	बिग बोस 4रियल्टी शो का प्रसारण जो कि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं था।	दिनांक 23.12.2010 को चैनल को कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद किसी भी समय करने के निदेश के साथ क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का आदेश जारी किया। चैनल ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।
23.	कलर्स	29.12.2010	'रिश्तों से बड़ी प्रथा' धारावाहिक का प्रसारण जिसमें महिलाओं की खराब छवि का प्रदर्शन किया गया जो कि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है।	चैनल को दिनांक 12.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
24.	इमेजिन टीवी	30.12.2010	'अरमानों का बलिदान-आरक्षण' धारावाहिक का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 23.02.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
			2011	
1.	न्यूज लाइव	12.01.2011	किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 28.05.2012 को सलाहपत्र जारी किया गया।
2.	टेन-क्रिकेट	25.01.2011	चैनल ने साउथ अफ्रीका और भारत के बीच क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण करते समय विज्ञापन संहिता के नियम (10)7 का उल्लंघन किया।	चैनल ने आईएमसी को यह आश्वासन दिया हे कि वह स्क्रीन और प्रोग्राम क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रसार नहीं करेगा।
3.	बिंदास	22.02.2011	'इमोशनल अत्याचार सीजन-2' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों, असभ्य और अश्लील भाषा का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 26.07.2011 को सात दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए आदेश दिए गए। चैनल ने निदेशों का अनुपालन किया।

1	2	3	4	5
4.	ईएसपीएन	16.03.2011	कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण।	चैनल ने आईएमसी को यह आश्वासन दिया हे कि वह स्क्रीन और प्रोग्राम क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रसार नहीं करेगा।
5.	स्टार क्रिकेट	16.03.2011	कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण।	चैनल ने आईएमसी को यह आश्वासन दिया हे कि वह स्क्रीन और प्रोग्राम क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रसार नहीं करेगा।
6.	इंडिया टीवी	19.04.11	'टीवी पर साक्षात लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें अंधविश्वास दिखाया गया है।	चैनल को दिनांक 23.09.2012 को सलाहपत्र जारी किया गया।
7.	बिंदास	19.04.2011	'दादागीरी-रिवेंज आफ सेक्सेस' कार्यक्रम में असभ्य विषय का वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 03.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
8.	टीएलसी	19.04.2011	'गेट आउट' 'ब्रिजेट्स' 'सैक्सिएस्ट' 'बीचिस' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में अश्लीलता का प्रसारण	चैनल को दिनांक 09.08.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
9.	सोनी टीवी	20.04.2011	'कामेडी सर्कस महासंग्राम' रियलिटी शो में असभ्य और बच्चों को छवि खराब करती विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
10.	बिंदास	05.05.2011	'लव लॉक अप' नामक असभ्य रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 28.07.2011 को चेतावनी जारी की गई।
11.	चैनल [वी]	05.05.2011	'फुल टॉस वेला ब्वायज़' रियलिटी शो में अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को चेतावनी जारी की गई।
12.	पीपल टीवी	19.05.2011	'अज्ञाता कझचा' कार्यक्रम में अश्लील विषय वस्तु का प्रसारण	चैनल को दिनांक 19.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
13.	बिंदास	27.05.2011	'मेरी तो लग गई नौकरी' कार्यक्रम में अभद्रता एवं अश्लीलता और असभ्यता का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 20.09.2011 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
14.	न्यूज9	01.06.2011	'शीला साइज प्रोब्लम्स' कार्यक्रम जो अभद्र एवं अश्लील प्रतीत हुआ। इसके दृश्य महिलाओं की छवि को विकृत करते प्रतीत होते हैं।	दिनांक 23.09.2011 के आदेश के तहत चैनल को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया।
	सोनी पिक्स	11.07.2011	कुछ अंग्रेजी फिल्मों में अभद्र एवं असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.05.2011 को चेतावनी जारी की गई।
10.	एफएक्स चैनल	18.07.2011	विभिन्न कार्यक्रमों हार्पर आइलैंड, क्रैश, 'मैड मैन सूत्र', फ्राजियर', सेविग ग्रेस और 'स्कांउड्रेल्स' में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.04.2011 को चेतावनी जारी की गई।
17.	एनडीटीवी	26.07.2011	'लाइफ इज ए बीच' कार्यक्रम में अीद्र एवं असभ्य दृश्यों का प्रसारण।	कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए इएमएसमसी को एक पत्र भेजा गया है। मामले को आईएमसी की आगामी बैठक में रखा जाएगा।
18.	स्टार वर्ल्ड	27.07.2011	विभिन्न कार्यक्रमों 'डेक्स्टर', 'द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल', 'लॉस वेगास', 'टू एंड ए हॉट मैन' और हाउ आई मैट यूअर मदर में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 14.12.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
19.	फाक्स क्राइम चैनल	28.07.2011	'स्लीपर सैल एंड 1000 वेज टू' डाई' कार्यक्रमों में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 08.05.2011 को चेतावनी जारी की गई।
20.	चैनल [वी]	12.09.2011	'लव नेट 2' कार्यक्रम में अभद्र अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 28.05.2011 को चेतावनी जारी की गई।
21.	जी ट्रेंड्स	12.09.2011	'बिकिनी डेस्टीनेशन' कार्यक्रम में अभद्र अश्लील और असभ्य दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 05.11.2012 को सलाहपत्र जारी किया गया।
22.	स्टार क्रिकेट	13.09.2011	केबल नियम 1994 के नियम 7(10) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए विज्ञापनों का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
23.	एमटीवी	14.09.2011	'रोडिजह 8 - शार्टकट टू हैल' कार्यक्रम में अभद्र अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	आईएमसी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। मामला बंद कर दिया।
24.	सोनी	29.09.2011	सीबीएफसी द्वारा 'ए' प्रमाणित फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के प्रोमोशनल ट्रेलर का प्रसारण	चैनल ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और आश्वासन दिया हे कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। मामला बंद कर दिया।
25.	टाइम्स नाउ	29.09.2011	सीबीएफसी द्वारा 'ए' प्रमाणित फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के प्रोमोशनल ट्रेलर का प्रसारण	चैनल ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और आश्वासन दिया हे कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। मामला बंद कर दिया।
26.	एफ टीवी	03.11.2011	'डिजाइनर्स इन हाइ डेफीनिशन', 'शानतेली लांजरी', पैरिस' और 'लांजरी' कार्यक्रमों का प्रसारण जो अश्लील थे।	मामला विचाराधीन है।
27.	सहारा समय	11.11.2011	अश्लील दृश्यों वाले न्यूज आइटम का प्रसारण	चैनल को दिनांक 21.11.2011 को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए आदेश दिए गए। चैनल ने इसका अनुपालन किया।
28.	पी-7	11.11.2011	अश्लील दृश्यों वाले न्यूज आइटम का प्रसारण	चैनल को दिनांक 21.11.2011 को 3 दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए आदेश दिए गए। चैनल ने इसका अनुपालन किया।
		2012		
1.	एंटर 10	27.01.2012	'ए' प्रमाणित हिन्दी फीचर फिल्म मुसाफिर और 'प्लान' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
2.	जिंग	18.04.2012	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'हवस' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
3.	मनोरंजन टीवी	18.04.2012	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'टॉपलैस' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
4.	एमटीवी	24.04ए2012	'एक्स शावर जेल 'विज्ञापन' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
5.	एंटर 10	24.04.2012	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'आशिक बनाया आपने' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
6.	एसएसटीवी	25.04.2012	टीवी चैनलों पर 'फ्रैंड्स विद बेनेफिट्स' फिल्म के ट्रेलर का प्रसारण जिसे सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।	मामला विचाराधीन है।
7.	बिंदास	10.05.2012	'क्लीन एंड' ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
8.	इंडिया टीवी	10.05.2012	'क्लीन एंड' ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
9.	जी टीवी	10.05.2012	'क्लीन एंड' ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
10.	एमटीवी	10.05.2012	'क्लीन एंड' ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
11.	स्टार प्लस	10.05.2012	'क्लीन एंड' ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
12.	जिंग	10.05.2012	'क्लीन एंड' ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
13.	ईटी नाउ	16.05.2012	'किंगफिशन बियर' का प्रत्यक्ष प्रचार दिखाते प्रमोशनल कार्यक्रम (विज्ञापन) का प्रसारण।	12.09.2012 को चेतावनी जारी की गई।
14.	स्टार क्रिकेट	16.05.2012	'बी बेस्ट कोल्ड बियर' के विज्ञापन का प्रसारण।	12.09.2012 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
15.	आईबीएन7	28.05.2012	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
16.	वीएच-1	28.05.2012	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
17.	कलर्स	28.05.2012	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
18.	मनोरंजन टीवी	28.05.2012	'ए 'प्रमाणित हिन्दी फीचर फिल्म 'एक चतुर नार 'का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
19.	एफटीवी	05.06.2012	'फिफ्टींथ एनवीर्सरी - टॉप' डिजाइनर्स 'नामक कार्यक्रम का प्रसारण।'	मामला विचाराधीन है।
20.	कमेडी सेंट्रल	22.06.2012	'स्टैंड अप क्लब 'नाम कार्यक्रम' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
21.	निओ प्राइम	11.7.2012	कार्ल्सबर्ग बीयर नामक विज्ञापन का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
22.	टीसीएम टीवी चैनल	18.7.2012	सीबीएफसी प्रमाण पत्र का प्रदर्शन न करते हुए ए प्रमाणित फिल्म 'रिच एंड फेमस' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
23.	साधना टीवी	03.08.2012	दिनांक 03.12.2011 तथा 4.12.2011 को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक कार्यक्रम का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
24.	जया मैक्स	12.09.12	06.11.2011 को अश्लील फिल्मी गाने 'इंगेयम इपोडम अंगीथम संथोसम' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
25.	एएक्सएन	20.09.12	'ए 'प्रमाणित हिन्दी फीचर फिल्म 'डार्कनस फाल्स' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
26.	मूवीज ओके	20.09.12	'ए 'प्रमाणित हिन्दी फीचर फिल्म 'दिल जले' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
27.	वर्ल्ड मूवीज	20.09.12	'ए 'प्रमाणित हिन्दी फीचर फिल्मों 'द गुड गर्ल्स' और 'ला जोना' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
28.	महुआ	20.09.12	'ए 'प्रमाणित हिन्दी फीचर फिल्मों 'औलाद' और 'एक और कुरुक्षेत्र' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।
29.	कामेडी सेंट्रल	10.10.12	04.07.2012 को अश्लील और अभद्र कार्यक्रम 'पापकॉर्न' का प्रसारण।	मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पोषक आहार

1788. श्रीमती कमला देवी पटले :
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

क्या **उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा सामान्य रूप से चुस्त व्यस्कों और बालकों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए निर्धारित किए गए पोषण के न्यूनतम मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और अन्य श्रेणियों के लोगों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी पोषण आवश्यकताओं के अनुसार खाद्यान्नों का आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 वर्ष 2005-06 में किया गया अंतिम सर्वेक्षण है जो राज्य स्तर पर पोषाहार संकेतकों के संबंध में आंकड़ें प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के 42.5% बच्चे कम वजन वाले हैं और कम भार की मौजूदगी पिछड़े वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 54.5% और 45.6% है।

15-49 वर्ष की आयु समूह की 35.6% महिलाएं चिरकालिक ऊर्जा कमी (शरीर के कम वजन सूचकांक से मापी गई) से पीड़ित हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिरकालिक ऊर्जा कमी 35.7% और 40.6% है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार भारतीयों के लिए संस्तुत दैनिक छूट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों के आधार पर देश में गरीबी रेखा से नीचे (2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना सहित) के सभी स्वीकृत 6.52 करोड़ परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल ये आबंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में है। वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को कवर करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 499.42 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आबंटनों के अलावा अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को वितरण करने के लिए 69.42 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। इसके अलावा बाढ़/सूखा राहत, त्यौहार आदि के लिए 7.10 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम-सबला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम और इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन 49.00 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

विवरण

भारतीयों के लिए संस्तुत भोजन संबंधी छूट
(बृहत् पोषक तत्व और खनिज)

समूह	विवरण	शरीर का भार कि.ग्रा.	निवल ऊर्जा कि. कैलरी/ प्रति दिन	प्रोटीन ग्रा./प्रति दिन	दृश्य वसा ग्रा./प्रति दिन	कैल्सियम मि.ग्रा./प्रति दिन	लोह मि.ग्रा./प्रति दिन
1	2	3	4	5	6	7	8
पुरुष	धीमा कार्य	60	2320	60	25	600	17
	हल्का कार्य		2730		30		
	भारी कार्य		3490		40		
महिला	धीमा कार्य	55	1900	55	20	600	21
	हल्का कार्य		2230		25		
	भारी कार्य		2850		30		
	गर्भवती महिलाएं		+350	82.2	30	1200	35
	स्तनपान 0-6 माह		+600	77.9	30	1200	25
	6-12 माह		+520	70.2	30		
शिशु	0-6 माह	5.4	92 कि. कैलरी/ कि.ग्रो./प्रति दिन	1.16 ग्रा./ कि.ग्रा./प्रति दिन	—	500	—
	6-12 माह	8.4	80 कि. कैलरी/ कि.ग्रो./प्रति दिन	1.69 ग्रा./ कि.ग्रा./एफ	19	—	46 μजी/ कि.ग्रा./प्रति दिन
बच्चे	1-3 वर्ष	12.9	1060	16.7	27	600	09
	4-6 वर्ष	18	1350	20.1	25		13
	7-9 वर्ष	25.1	1690	29.5	30		16
लड़के	10-12 वर्ष	34.3	2190	39.9	35	800	21

1	2	3	4	5	6	7	8
लड़कियां	10-12 वर्ष	35.0	2010	40.4	35	800	27
लड़के	13-15 वर्ष	47.6	2750	54.3	45	800	32
लड़कियां	13-15 वर्ष	46.6	2330	51.9	40	800	27
लड़के	16-17 वर्ष	55.4	3020	61.5	50	800	28
लड़कियां	16-17 वर्ष	52.1	2440	55.5	35	800	26

[अनुवाद]

मत्स्य बंदगाहों का विकास

1789. **श्री एन. पीताम्बर कुरुप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से मत्स्य बंदरगाहों/फिश लेंडिंग सेन्टरों के विकास की विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमोदन हेतु अभी तक लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल में इस प्रकार की मत्स्य बंदगाहों की स्थापना/विकास हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय ने 20 नवम्बर, 2012 को केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत तीन नए मात्स्यिकी बंदरगाहों (एफ.एच)/और एक मछली उतारने के केन्द्र (एफ.एल.सी) के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव की अनुमति प्रदान की है:—

(लाख रुपए)

क्र. सं.	मात्स्यिकी बंदरगाह/ मछली उतारने के केन्द्र की स्थिति	जिला	अनुमोदित परियोजना लागत	वर्ष 2012-13 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय हिस्सेदारी
1.	थनूर	मालापुरम	4487.00	300.00
2.	वेलायिल	कोझीकोड	3930.20	300.00
3.	अर्थुगल	अलाप्पुझा	4939.00	300.00
4.	मुनक्काककादाऊ	थ्रिसूर	231.00	73.25

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष में केरल सरकार को मात्स्यिकी बंदरगाहों (एफ.एच) और एक मछली उतारने के केन्द्रों (एफ.एल.सी) के निर्माण के लिए राज्य को जारी की गई केन्द्रीय निधि का विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (लाख रुपए)
1.	2009-10	1661.800
2.	2010-11	1310.775
3.	2011-12	590.425
4.	2012-13	1973.250

[हिन्दी]

पद्म पुरस्कारों को दिए जाने में पक्षपात

1790. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद्म पुरस्कारों को दिए जाने में पक्षपात की शिकायतें प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) पद्म पुरस्कारों को विनियमित करने वाली मौजूदा प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार, पुरस्कारों के लिए नामांकन सभी के लिए खुला है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों जैसे संस्थागत स्रोतों तथा भारत रत्न और पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्त्ताओं से नामांकन मंगाने के अतिरिक्त, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, निजी संस्थानों/निकायों और व्यक्ति-विशेष आदि जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से भी भारी संख्या में सिफारिशें प्राप्त होती हैं। मंत्रालय में प्राप्त सभी नामांकनों/सिफारिशों को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार समिति सभी नामांकनों की संवीक्षा करती है और अपनी सिफारिशें अनुमोदन हेतु गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। पद्म पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अनुसार, पद्म पुरस्कार किसी भी विषय/गतिविधि के क्षेत्र में विशिष्ट/उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कुक्कुट उत्पादों का मूल्य

1791. **श्री आर. ध्रुवनारायण :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुक्कुट के मूल्य में वृद्धि उन्हें खिलाए जाने वाले चारे में अत्यधिक वृद्धि के कारण होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस वृद्धि का कुक्कुट पालकों और कुक्कुट उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) कुक्कुट के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) कुक्कुट को खिलाए जाने वाले आहार के मूल्य में वृद्धि का कुक्कुट के मूल्य में वृद्धि या कुक्कुट पालकों और कुक्कुट उद्योग पर मूल्य-वृद्धि के प्रभाव के बीच सहसम्बंध के बारे में कोई विशेष अध्ययन उपलब्ध नहीं है। तथापि, सामान्यतया यह माना जाता है कि आहार अवयवों के मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। यह भी माना जाता है कि उत्पादन की लागत बढ़ने के परिणामस्वरूप कुक्कुट पालकों का लाभ कम हो सकता है या कुक्कुट उत्पादों की मांग और उनका उठान कम हो सकता है।

(घ) कुक्कुट आहार के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं। हाल में, अगस्त-सितम्बर, 2012 में, भारत सरकार ने उद्योग के लिए आपूर्ति में वृद्धि करने तथा आहार की लागत को स्थिर रखने के लिए वितेलित सोया एक्सट्रेक्ट/मूंगफली की खली/तेल की खली का आहार, सूरजमुखी की खली/तेल की खली का आहार, कनोला की खली/तेल की खली का आहार, सरसों की खली/तेल की खली का आहार और मक्का की भूसी का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन महीनों के दौरान सोयाबीन और मक्का जैसे आहार अवयवों की लागत कम हुई है।

टी.वी. चैनलों पर पेड न्यूज

1792. **श्री सोमेन मित्रा :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न टेलीविज़न चैनलों पर पेड न्यूज की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी वर्ग से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार के टी.वी. चैनलों के विरुद्ध और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर पेड न्यूज की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) मीडिया में रिपोर्टें देखने को मिली हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को ''समाचारों'' के रूप में छद्मवेशित अनिवार्यत: ''विज्ञापन'' को विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों या कारपोरेट संस्थाओं के पक्ष में प्रकाशित या प्रसारित करने हेतु मौद्रिक लाभ प्राप्त हुए हैं। इसे आमतौर पर पेड न्यूज कहा जाता है। यह एक नयी घटना नहीं है और इस देश भर में व्यापक रूप से विचार-विमर्श व चर्चा की जा रही है।

(ङ) इस मुद्दे के व्यापक संभावित परिणामों का संज्ञान लेते हुए तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय प्रैस परिषद ने इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है और 30 जुलाई, 2010 को 'पेड न्यूज पर अपनी रिपोर्ट' जारी की है। भारतीय प्रैस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में पेड न्यूज के संकट को एक दंडनीय निर्वाचन अनाचार बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने तथा परिषद को और अधिक शक्तियों से संपन्न करने हेतु प्रैस परिषद अधिनियम में भी संशोधन करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में पेड न्यूज की घटना को रोकने के लिए अन्य अनेक उपायों के बारे में सुझाव भी दिया गया है जिनमें पेड न्यूज की शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने हेतु निर्वाचन आयोग में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना, मीडिया द्वारा स्व-विनियमन करना, मतदाताओं को शिक्षित करना तथा स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है ताकि वे वास्तविक समाचारों और पेड न्यूज के समाचारों के बीच अंतर को समझ सकें।

भारतीय प्रैस परिषद द्वारा उसकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें पेड न्यूज पर गठित मंत्री-समूह (जीओएम) को प्रस्तुत की गईं जोकि पेड न्यूज के खतरे को रोकने के लिए इस मुद्दे की जांच करेगा और एक व्यापक संस्थागत तंत्र की स्थापना करने के बारे में सुझाव देगा। मंत्री-समूह द्वारा इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। तथापि, मंत्री-समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

कॉट्न लीफ कर्ल वायरस

1793. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कपास की फसल को कॉट्न लीक कर्ल वायरस रोग का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम करने और प्रतिरोध किस्म विकसित करने और वायरस धारण करने वाली खरपतवार के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। कॉट्न लीफ कर्ल वायरस (सीएलसीवी) पहले 1993 में राजस्थान के श्री गंगानगर में सूचित किया गया था जहां से यह अन्य कपास उत्पादक उत्तर भारतीय क्षेत्र अर्थात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैल गया। भारत में सीएलसीवी संक्रमण के कारण राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में वर्ष 1997 के दौरान काफी क्षति की सूचना दी गई थी।

कॉट्न लीफ कर्ल वायरस है जो व्हाइट फ्लाई (बीमेशिया टबाकी) नामक एक रोग वाहक जो कई अन्य फसलों से सब्जियों (बैंगन, टमाटर, भिंडी आदि), पुष्प और फल (नीबू वंशीय) जिन्हें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कपास उत्पादक क्षेत्रों में अधिकता से उगाया जाता है, का एक नाशीजीव है, के माध्यम से फैलता है जो कपास फसलों में सीएलसीवी के जोखिम को बढ़ता है।

(ग) इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

1. लीफ कर्ल वायरस की गहनता और व्हाइट फ्लाई की संख्या को निरंतर नाशीजीव निगरानी तंत्र के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है।

2. राज्य सरकार के प्राधिकारियों, किसानों को लीफ कर्ल

वायरस और व्हाईट फ्लाई को पोषित करने वाले खरपतवारों को समूल नष्ट करने की सलाह दी गई है।

3. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर द्वारा लीफ कर्ल वायरस सह्य और प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं।

4. परंपरागत तरीकों जैसे - वानस्पतिक प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली, येलो ट्रैप के माध्यम से ट्रैपिंग, रासायनिक एवं जैव-नाशीजीव मारों जैसे- नीम उत्पादों के उपयोग के माध्यम से व्हाइट फ्लाई की संख्या की नियंत्रण करना। रासायनिक नाशीजीव मारों के विलम्बित उपयोग, रासायनिक जीव मारों के स्थान पर वानस्पति एवं जैव-नाशी जीव मारों के उपयोग और स्वच्छ खेती को अपना कर व्हाइट फ्लाई के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करना।

नेशनल सेन्टर ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स

1794. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में एक नेशनल सेन्टर ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के अनुमानित लागत और प्रस्तावित कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्र की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का बारहवीं योजना अवधि में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में मेगा संस्कृति परिसरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय मंच कला केन्द्र (एनसीपीए) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह संस्कृति मंत्रालय की एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय मंच कला केन्द्र एक अत्याधुनिक 'सांस्कृतिक मल्टीप्लेक्स' होगा जो विभिन्न आकार और विशेषताओं वाले सभागार/कला प्रस्तुति स्थलों के एक सेट से संपन्न होगा। यह पूरे वर्ष भारत के विभिन्न कला रूपों के विश्व-स्तरीय निर्माणों को प्रस्तुत करेगा। आगंतुक सांस्कृतिक प्रदर्शनों की मेजबानी के अतिरिक्त, यह अपने रंगपटल का निर्माण भी करेगा और एक जीवंत सांस्कृतिक केन्द्र बनेगा जिसमें भारतीय और विदेशी, दोनों प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

तथापि, इस परियोजना का अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है और विशेष प्राक्कलन अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) राष्ट्रीय मंच कला केन्द्र की स्थापना करना एक उपर्युक्त भूखंड तय किए जाने पर निर्भर है। अत: इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

धान और गेहूं पर बोनस

1795. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धान और गेहूं की खरीद पर अतिरिक्त बोनस दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) सरकार ने 2011-12 में धान की सामान्य किस्म के लिए 1080 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा ग्रेड 'ए' किस्म के लिए 1110 रुपए क्विंटल की तुलना में 2012-13 में धान की सामान्य किस्म के लिए 1250 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड 'ए' किस्म के लिए 1280 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। 2012-13 के लिए गेहूं हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

धान एवं गेहूं के प्रापण पर बोनस के भुगतान के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला क्षेत्रों की खोज

1796. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नए कोयला क्षेत्रों की खोज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन खोजों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत निजी लोगों और उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, हां। सरकार विभिन्न राज्य एजेंसियों अर्थात भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीटयूट लि. (सीएमपीडीआई), खनिज अन्वेषण निगम लि. (एमईसीएल) के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश तथा कुछ राज्य सरकारों सहित देश के विभिन्न राज्यों नए कोयला क्षेत्रों का अन्वेषण कर रही है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय कोयला संसाधनों के संबंध में नवीनतम राष्ट्रीय संसाधन सूची के अनुसार, 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार देश में आकलित कुल कोयला संसाधन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लगभग 2,93,497 मिलियन टन है:—

(मिलियन टन में)

राज्य	कोयले का भू-गर्भीय संसाधन			
	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
1	2	3	4	5
(क) गोंडवाना कोलफील्ड्स				
आन्ध्र प्रदेश	9566.61	9553.91	3034.34	22154.86
असम	0	2.79	0	2.79
बिहार	0	0	160.00	160.00
छत्तीसगढ़	13987.85	33448.25	3410.05	50846.15
झारखंड	40163.22	33609.29	6583.69	80356.20
मध्य प्रदेश	9308.70	12290.65	2776.91	24376.26
महाराष्ट्र	5667.48	3104.40	2110.21	10882.09
ओडिशा	25547.66	36465.97	9433.78	71447.41
सिक्किम	0	58.25	42.98	10123
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0	1061.80
पश्चिम बंगाल	12425.44	13358.24	4832.04	30615.72

1	2	3	4	5
(ख) टर्शियरी कोलफील्ड्स				
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
असम	464.78	42.72	3.02	510.52
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48
नागालैंड	8.76	0	8.60	315.41
कुल (क+ख)	118144.82	142168.85	33183.49	293497.15

हालांकि, अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष-दर-वर्ष नए संसाधन जुड़ते जाते हैं।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) बनाने के लिए कोयला एवं लिग्नाइट संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार संवर्धनात्मक/क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत 5.85 लाख मी. ड्रिलिंग के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा लगभग 22.0 बिलियन टन नए कोयला संसाधनों का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तय किया गया है। विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत 54.46 लाख मी. ड्रिलिंग के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और आशा है कि 76.80 बिलियन टन का कोयला भंडार सीएमपीडीआई तथा इसकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से "प्रमाणित" किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। हालांकि सीएमपीडीआईएल कुछ अन्वेषण क्रियाकलापों को बाहरी एजेंसियों से करवा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एन.एस.एन.आई.एस. का कार्यकरण

1797. **श्री नारनभाई कछाड़िया :**
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.एस.एन.आई.एस.) पटियाला के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इसके कार्यकरण में क्या खामियां चिन्हित की गई हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त संस्थान में अभी तक कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया है और पर्याप्त में अच्छे प्रशिक्षित तैयार करने के लिए एन.एस.एन.आई.एस. के इष्टतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में एन.एस.एन.आई.एस. की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है और इस हेतु अभी तक पता लगाए गये स्थानों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोफेसर मूल चंद शर्मा, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता वाली एक 12 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन. एस.एन.आई.एस.), पटियाला के कार्यकरण की समीक्षा की और संस्थागत इंतजातों, मानव संसाधन जरूरतों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के

संबंध में अपनी सिफारिशें दी। इसके अंतर्गत अन्य बातों सहित निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:—

(i) पटियाला, इम्फाल, कोलकाता, बंगलौर और पुणे या गांधी नगर में पूर्ण स्वायत्तता युक्त राष्ट्रीय महत्व के पांच संस्थानों की स्थापना करना;

(ii) संसद द्वारा अधिनियम के जरिए एनआईएस (पटियाला) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करना;

(iii) इन संस्थानों के शिक्षण संकाय को भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य कैडर में न रखते हुए यूजीसी की तर्ज पर इनका अलग कैडर बनाना;

(iv) अनुप्रयुक्त विज्ञान, खेल औषध तथा खेल विज्ञान में नए पाठ्यक्रमों को शामिल करके शैक्षणिक कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

(ग) चूंकि, वर्तमान एन.एस.एन.आई.एस., पटियाला उच्च गुणवत्ता युक्त कोचिंग शिक्षा देने की तकनीकों के तेजी से होते आधुनिकीकरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहा है, इसलिए सरकार ने भारत में विस्तृत उन्नत कोचिंग शिक्षा मुहैया कराने के लिए एन.एस.एन.आई.एस., पटियाला को भा.खे.प्रा. से अलग करने तथा पटियाला में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) एन.एस.एन.आई.एस. में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अभी तक प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
1	2	3
1.	नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम	17125
2.	मास्टर कोर्स	189
3.	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	25042
4.	खेल औषध में पी.जी. डिप्लोमा	91

(ङ) फिलहाल देश में एन.एस.एन.आई.एस. की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजमार्गों पर अपराध

1798. **श्री एस. पक्कीरप्पा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राजमार्गों पर विभिन्न अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारात्मक और अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। राजमार्गों पर होने वाले अपराधों के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" तथा "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण एवं जांच के लिए तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने एवं नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध के निवारण संबंधी मामले को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए केन्द्र सरकार निरंतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध करती रही है कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार की ओर अधिक ध्यान दें तथा अपराध के निवारण एवं नियंत्रण के लिए यथावश्यक उपाय करें।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान राजमार्गों पर हुए अपराधों के संबंध में सूचित किए गए मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009					2010					2011				
		डकैती	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	कुल	डकैती	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	कुल	डकैती	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	31	115	80	314	540	40	88	172	506	806	28	135	64	842	1069
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	5	0	7	13	0	3	3	7	13	5	7	2	23	37
3.	असम	22	60	47	207	336	26	50	82	208	366	20	89	57	79	245
4.	बिहार	165	827	14	475	1481	207	1051	37	475	1770	194	1043	0	574	1811
5.	छत्तीसगढ़	17	115	33	33	198	2	78	7	108	195	11	62	0	117	190
6.	गोवा	1	3	0	9	13	0	12	0	17	29	0	3	0	9	12
7.	गुजरात	15	60	5	202	282	21	54	5	107	187	23	49	5	68	145
8.	हरियाणा	37	113	0	226	376	42	136	111	471	760	58	132	0	776	966
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	25	26	0	0	0	38	38	1	1	0	28	30
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	31	32	0	4	7	37	48	0	0	0	23	23
11.	झारखंड	116	360	7	651	1134	111	376	15	647	1149	84	333	0	226	643
12.	कर्नाटक	31	92	140	544	807	34	81	0	95	210	24	121	5	413	563
13.	केरल	13	30	1	84	128	9	24	0	75	108	10	18	0	52	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	मध्य प्रदेश	22	300	18	470	810	16	245	15	845	1121	21	273	12	912	1218
15.	महाराष्ट्र	88	314	11	242	655	85	360	0	370	815	81	364	0	422	867
16.	मणिपुर	0	0	0	59	59	0	1	0	60	61	1	0	6	87	94
17.	मेघालय	18	29	0	21	68	13	20	1	13	47	27	16	4	28	75
18.	मिजोरम	0	3	0	0	3	1	7	0	0	8	1	4	0	0	5
19.	नागालैंड	3	34	0	8	45	1	37	0	23	61	2	28	11	55	96
20.	ओडिशा	88	420	10	351	869	103	453	1	93	650	111	511	0	190	812
21.	पंजाब	10	25	1	101	137	2	22	7	121	152	3	27	4	95	129
22.	राजस्थान	18	77	0	0	95	10	70	0	311	391	8	59	0	182	249
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	17	84	0	238	339	14	150	3	551	718	26	279	3	1353	1661
25.	त्रिपुरा	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	58	891	0	11312	12261	55	1014	6	14090	15165	71	1265	0	17390	18726
27.	उत्तराखंड	3	75	0	12	90	3	112	0	9	124	0	32	0	16	48
28.	पश्चिम बंगाल	24	81	1	108	214	34	171	2	114	321	20	89	0	47	156
	कुल राज्य	798	4116	368	15730	21012	830	4619	474	19391	25314	830	4942	173	24007	29952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1	10	0	0	11	2	29	0	142	173	2	26	0	169	197
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1309	6946	557	29987	38799	1324	7795	531	37025	46675	1323	8390	218	45696	55627
	कुल अखिल भारत	2107	11062	925	45717	59811	2154	12414	1005	56416	71989	2153	13332	391	69703	85579

स्रोत: भारत में अपराध।

लक्षद्वीप में तटीय पुलिस द्वारा निगरानी

1799. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप द्वीपसमूह में तटीय पुलिस आधुनिक नौकाएं होने के बावजूद डीजल की अनुपलब्धता के कारण तटीय सीमा की निगरानी नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डीजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि द्वीपसमूह की सुरक्षा को कोई खतरा न हो; और

(ग) उपलब्ध नौकाओं, लगाए गए स्टाफ, सूचित घटनाओं तथा की गई पैट्रोलिंग की संख्या के मद्देनजर गत तीन वर्षों में तटीय पुलिस के प्रचालन का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तटीय पुलिस व्यवस्था का कार्य 12 टन वाली नौकाओं और मत्स्यन नौकाओं का इस्तेमाल करके किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चार तटीय पुलिस स्टेशनों अर्थात कावरत्ती, मिनिकाय, किल्टन और अंड्रोथ को क्रमशः दिनांक 15.8.2009, 10.10.2010, 10.10.2010 और 25.04.2012 से कार्यरत बनाया गया है।

उपलब्ध नौकाएं

12 टन वाली नौकाएं	—	2
5 टन वाली नौकाएं	—	4

तैनात कर्मचारी

कार्यपालक	—	78
तकनीकी	—	27

सूचित घटनाएं

2010	—	11
2011	—	4
2012	—	3

लगाई गई गश्त की संख्या

कुल 732 घंटे की गश्त लगाई गई है।

सीआईएसएफ कार्मिकों का व्यवहार

1800. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार हैं कि विमानपत्तनों तथा दिल्ली मेट्रो में नियुक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कार्मिक संसद सदस्यों तथा आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कार्मिकों को आम जनता से व्यवहार करने तथा विनम्रता दिखाने का प्रशिक्षण दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीआईएसएफ में निचले स्तर पर मानव मर्यादा के प्रति आदर तथा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) विमानपत्तनों पर सी.आई.एस.एफ की असंगत कार्यप्रणाली मुख्यतः सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं और उनके व्यवहारगत रवैये के संबंध में यात्रियों से प्राप्त कुछेक छोटी शिकायतों के अलावा, कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2012 के दौरान माननीय संसद सदस्यों से सी.आई.एस.एफ को 05 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी मामलों को पूर्णरूपेण जांच की गई और यह पाया गया था कि समग्रतः सभी घटनाएं, जिन्हें दुर्व्यवहार की संज्ञा की गई, ऐसे मामलों से संबंधित थीं जहां मानकों के अनुसार, टर्मिनल भवन में प्रवेश के दौरान माननीय संसद सदस्यों से पहचान पत्र दिखाने का अनुरोध किया गया था। 05 संसद सदस्यों की शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दिल्ली मेट्रो में माननीय संसद सदस्यों से दुर्व्यवहार का कोई भी मामला अभी तक सूचित नहीं किया गया है। दिल्ली मेट्रो में आम जनता के साथ सी.आई.एस.एफ का समग्र रवैया संतोषजनक रहा है। दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन 21 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं जबकि (प्रतिमाह) सी.आई.एस.एफ. द्वारा दुर्व्यवहार की 20-30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों की जांच की जाती है।

(ग) और (घ) यथोचित प्राधिकरण अर्थात नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा संस्तुत बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण एवं उपायों के अतिरिक्त, सीआईएसएफ सभी विमान-पत्तनों पर सीआईएसएफ के संरक्षण में साफ्ट स्किल के संबंध में विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सीआईएसएफ कार्मिकों को सैनिक सम्मेलनों और सभाओं के दौरान विनम्रतापूर्ण व्यवहार के सभी पहलुओं पर नियमित रूप से ब्रीफ किया जाता है। इन पहलुओं के बारे में प्रतिशक्षण में श्रव्य-दृश्य प्रणालियों के बृहत प्रभाव पर विचार करते हुए, सीआईएसएफ द्वारा साफ्ट स्किल के संबंध में एक प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई है जिसे विमानपत्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।

(ङ) विमानपत्तनों पर तैयार सीआईएसएफ स्टाफ को सुरक्षा प्रक्रियाओं से समझौता किए बगैर माननीय संसद सदस्यों और अन्य यात्रियों के साथ अपेक्षित शिष्टाचार बरतने का निदेश दिया गया है। उन्हें व्यवहार में विनम्र रहने किन्तु सुरक्षा प्रक्रियाओं में दृढ़ रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) में तैनात सीआईएसएफ कार्मिकों को शिष्ष्तापूर्ण व्यवहार के संबंध में स्टेशन प्रभारी, कम्पनी कमाण्डरों और सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ब्रीफ किया जा रहा है।

विवरण

05 माननीय संसद सदस्यों की शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	शिकायकर्ता	घटना का सार	जांच का निष्कर्ष
1	2	3	4
1.	श्री मरोत्रावकोवासे संसद सदस्य	माननीय संसद सदस्य ने आरोप लगाया कि दिनांक 23.01.2012 को नागपुर विमानपत्तन पर सी.आई.एस.एफ स्टाफ ने उन्हें बोर्डिंग कार्ड दिखाने के लिए कहते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें प्रस्थान गेट पर रोके रखा।	जांच से पता चला कि माननीय संसद सदस्य को ड्यूटी पर स्टाफ की भूमिका और उसके आशय के प्रति कुछ गलतफहमी हुई थी। सी.आई.एस.एफ स्टाफ ने विमानपत्तन पर माननीय संसद सदस्य के प्रति शिष्टाचार के संबंध में बी.सी.ए.एस द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2009 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने सदाशयतापूर्ण कर्त्तव्य का निर्वहन किया।
2.	मि. आर नारायनन अपर निजी सचिव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो.के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	दिनांक 12.02.2012 को त्रिची विमानपत्तन पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को यथोचित शिष्टाचार पूर्ण प्रोटोकॉल प्रदाान नहीं किया गया।	जांच से पता चला कि सी.आई.एस.एफ और प्रथम वैयक्तिक सहायक/राज्य अधिकारियों के बीच परिसंवाद-अन्तराल की वजह से यह घटना हुई। विमान पत्तन से माननीय मंत्री के आने के बारे में किसी भी

1	2	3	4
			सी.आई.एस.एफ कर्मचारी को जानकारी नहीं थी। यदि प्रथम वैयक्तिक सहायक, जो पहले विमानपत्तन पहुंच गए थे, ने सी.आई.एस.एफ को जानकारी दी होती तो माननीय मंत्री को किसी प्रकार की असुविधा न होती।
3.	श्री ए.के.एस. विजयन, संसद सदस्य (लोक सभा)	माननीय संसद सदस्य ने आरोप लगाया कि दिनांक 08.05.2012 को सी.आई.एस.एफ स्टाफ ने आई.जी.आई विमान-पत्तन पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें प्रस्थान गेट पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसे गेट पर भी रोक दिया गया।	जांच से पता चला कि सी.आई.एस.एफ और माननीय संसद सदस्य के बीच परिसंवाद अन्तराल के कारण यह घटना हुई। माननीय संसद सदस्य ने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी सी.आई.एस.एफ कार्मिक ने हिन्दी में कहा वह उसे समझ रहे थे। जांच के दौरान आरोपित कोई भी दुर्व्यवहार सामने नहीं आया।
4.	श्री अब्दुल रहमान संसद सदस्य (लोक सभा)	माननीय संसद सदस्य ने आरोप ने आरोप लगाया कि दिनांक 09.0.2012 को चेन्नई विमान पत्तन पर सी.आई.एस.एफ स्टाफ द्वारा उन्हें अपने परिवार के सदस्यों का टिकट दिखाने के लिए कहकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें प्रस्थान गेट पर रोक दिया गया।	जांच से पता चला कि सी.आई.एस.एफ और माननीय संसद सदस्य के बीच परिसंवाद अन्तराल के कारण यह घटना हुई। उन्हें एवं उनके परिवार के सदस्यों को विमान पत्तन में प्रवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी गई थी। तथापि, साथ जा रहे यात्रियों के टिकट सही नहीं थे। मैनीफेस्ट की जांच की गई। पहले उन्होंने बताया कि वे ईमीरात एअरलाइन्स से जा रहे हैं और जब यह इमीरात मैनीफेस्ट में नहीं पाया गया तो उन्होंने कहा कि यह एअर इंडिया फ्लाइट थी। इसी कारण विलम्ब हुआ।
5.	श्री गोबिन्द चन्द्र नासकर, संसद सदस्य	माननीय संसद सदस्य ने आरोप लगाया कि दिनांक 26.06.2012 को सी.आई.एस.एफ स्टाफ ने माननीय संसद सदस्य का बोर्डिंग पास फेंकते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया।	मामले की जांच कि गई। जांच के दौरान तथाकथित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का पता नहीं चला।

खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

1801. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्र द्वारा अनुमोदित ऐसे खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें बारहवीं पंचपर्षीय योजना में स्थानीय किसान अपनी उपज को दूर-दराज के स्थानों तक भेज सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आन्ध प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी नहीं महोदया। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचारधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का निर्यात

1802. **डॉ. पी. वेणुगोपाल** :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2011-12 के दौरान निर्यात की अनुमति प्राप्त दो मिलियन टन गेहूं का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन सालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें खाद्यान्नों का आयात इन्हें निर्यात किए जाने के मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान निर्यातित तथा आयातित खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय पूल के स्टॉक से वाणिज्यिक शर्तों पर गेहूं का निर्यात करने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल की आवश्यकता हेतु खाद्यान्नों (गैर-बासमती चावल और गेहूं) का आयात नहीं किया है।

[हिन्दी]

सीआरएस पर समाचार

1803. **श्री हंसराज गं. अहीर** :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के माध्यम से समाचार सेवा प्रदान करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीआरएस द्वारा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियम बनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सामुदायिक रेडियो की स्थापना करने हेतु मौजूदा नीतिगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए राजनीतिक स्वरूप के समाचारों व समसामयिक विषयों एवं कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। इस समय, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से समाचार संबंधी सेवाएं मुहैया कराने के लिए अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए आकाशवाणी के संबंध में यथा निर्धारित

कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशन के अनुमतिधारक के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों को प्रसारण की तारीख से तीन माह तक निगरानी के प्रयोजनार्थ परिरक्षित करना आवश्यक होता है। अनुमतिधारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रसारित कार्यक्रमों में कोई ऐसी सामग्री शामिल न हो जिसमें किसी धर्म पर प्रहार किया गया हो या जिससे सामुदायिक असंतोष या असामंजस्य उत्पन्न होता हो। यदि नीतिगत दिशा-निर्देशों की किसी शर्त का उल्लंघन होता है, तो सरकार स्व-प्रेरणा से या शिकायतों के आधार पर उसका संज्ञान ले सकती है तथा वह उल्लंघन संबंधी मामले को उपयुक्त शास्तियों की अनुशंसा करने हेतु कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के संबंध में गठित अंतर-मंत्रालयीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

[अनुवाद]

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

1804. **श्री पी. विश्वनाथन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की बैठक में मध्य प्रदेश में महान तथा छत्रसाल में कोयला ब्लॉकों के आबंटन पर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए बिना इन कोयला ब्लाकों को किस प्रकार मंजूरी दी गई;

(ग) कोयला ब्लॉक आबंटन के लाभार्थी कौन हैं तथा बोली प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आबंटियों ने वनाधिकार विनियमों का पालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश स्थित महान कोयला ब्लॉक अन्त्य उपयोग विद्युत सयंत्रों के लिए 01.3.2005 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की 27वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर 12.3.2006 को मैं. एस्सार पॉवर लिमिटेड और मै. हिंडोल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आबंटित किया गया था। छत्रसाल कोयला ब्लॉक टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से 26.10.2006 को सासन अल्ट्रा मैगा पॉवर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए मैं. पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आबंटित किया गया था। मध्य प्रदेश स्थित महान और छत्रसाल कोयला ब्लॉकों से संबंधित पर्यावरणीय और विकास के मुद्दों पर विचार करने के लिए 30.5.2012 को आयोजित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की 7वीं बैठक के निर्णय के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने महान और छत्रसाल कोयला ब्लॉक के भीतर स्थित वन भूमि के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण-I अनुमोदन प्रदान किया। उक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए प्रदान किया गया अनुमोदन, अन्य बातों के साथ-साथ, उन शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है कि राज्य सरकार डायवर्ट की गई वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006, यदि कोई हो, से संबंधित अधिकारों का पूरा निपटारा करेगी और उसके समर्थन में दिनांक 03.8.2009 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/1988-एफसी (पार्ट) द्वारा यथा निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।

छत्रसाल कोयला ब्लॉक के डायवर्जन के लिए एमओईएफ द्वारा प्रदान किये गए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण-I अनुमोदन में एमओईएफ द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि चरण-II स्वीकृति प्रदान करने से पहले एमओईएफ को पूर्णत: संतुष्ट हो जाना चाहिए कि सभी वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है और आगे कोई एफआरए शिकायत शेष नहीं है।

दुग्ध उत्पादन

1805. **श्री निलेश नारायण राणे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादित दुग्ध के 80 प्रतिशत पर अभी भी देश में असंगठित क्षेत्र का नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादित और वितरित दुग्ध की गुणवत्ता कैसी है; और

(ग) सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को असंगठित क्षेत्र से सहकारी तथा संगठित क्षेत्र में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय डेयरी योजना के परियोजना क्रियान्वयन योजना के अनुसार दुग्ध खरीद का लगभग 70% असगठित क्षेत्र द्वारा हैंडल किया जाता है।

(ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01 अगस्त, 2012 को अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक नियम और विनियम, 2011 राज्यों के संबंधित खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाद्य व्यापार प्रचालक द्वारा उत्पादित और आपूर्त दूध की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और योज्य) विनियम, 2011 में बताए गए विशिष्टताओं के अनुसार होगा।

(ग) यह विभाग दुध उत्पादकों को असंगठित क्षेत्र से सहकारिता और संगठित क्षेत्र में लाने के लिए राज्य दुग्ध परिसंघों/जिला सहकारिता दुग्ध संघों के जरिए संघन डेयरी विकास कार्यक्रम नामक डेयरी विकास योजना को क्रियान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दुधारु पशुओं की संख्या बढ़ाने और इसके द्वारा दुध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए और दुग्ध उत्पादकों की बाजार में व्यापार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 2011-12 से 2016-17 तक अभिष्ट क्रियान्वयन एजेंसियों (ईआईए) के माध्यम से एनडीडीबी द्वारा क्रियान्वित करने के लिए करीब 2242 करोड़ रुपए की कुल लागत से फरवरी, 2012 में राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-। (एनडीपी-1) भी आरंभ किया है। बढ़े हुए दूध उत्पादन को ग्राम दुग्ध खरीद प्रणाली के विस्तार द्वारा दूध उत्पादकों को संगठित क्षेत्र को अधिशेष दूध की बिक्री के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होने का समर्थन मिलेगा जिससे स्वच्छ और पारदर्शी लेन देन सुलभ हो सकेगा। इस गतिविधि के तहत 747 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

अंतर-मंत्रालयीय कृतक बल

1806. श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला संबंधी अंतर-मंत्रालयी कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट किस तिथि को प्रस्तुत की गई है तथा इसमें दी गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा स्त्रोतों की समीक्षा करने तथा इन स्त्रोतों के यौक्तिकीकरण की व्यवहायता पर विचार करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स ने 24 अगस्त, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। टास्क फोर्स की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:—

(i) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्पांज आयरन संयंत्रों तथा सीमेंट संयंत्रों से प्राप्त आवेदनों के संबंध में मौजूदा स्त्रोतों के यौक्तिकीकरण के संबंध में कोल इंडिया लि. के कार्यशी निदेशकों की सिफारिशों को स्वीकार करना।

(ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (एमपीपीजीसीएल) के संजय गांधी एवं सतपुरा तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति को युक्त संगत बनाना।

(iii) सी/डी ग्रेड के कोयले को कोरिया रेवा फील्ड से गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. (जीएसईसीएल) को आबंटित मात्रा में कटौमी तथा एमपीपीजीसीएल की मात्रा को समाप्त कर साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्डस लि. (एसईसीएल) के कोरबा फील्ड से आनुपातिक वृद्धि।

(iv) हरियाणा विद्युत उत्पादन कंपनी लि. मेजिया के पानीपत तथा राजीव गांधी तापीय विद्युत केन्द्रों तथा दामोदर वैली कारपोरेशन के कोडरमा तापीय विद्युत

केन्द्रों, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि. के संथालडीह, कोलाघाट, सागरडिगी तथा बाकरेश्वर तापीय विद्युत केन्द्रों के लिए स्त्रोतों को युक्तिसंगत बनाना।

(v) महानदी कोलफील्ड लि. (एमसीएल) से कोयला आबंटन में कमी तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) से तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आबंटन में वृद्धि।

(ग) और (घ) जी, नहीं। टास्क फोर्स की सिफारिशें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गई हैं। टास्क फोर्स की सिफारिशें जिन्हें सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को 8/12 सितम्बर, 2011 को अग्रेषित की गई थीं। सीआईएल ने कैप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्पांज आयरन तथा सीमेंट क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के स्रोतों के यौक्तिकीकरण से संबंधित सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। विद्युत उपयोगिताओं के स्त्रोतों के योक्तिकीकरण से संबंधित सिफारिशों के मामले में सिफारिशें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किसी उपभोक्ता की ओर से अस्वीकार किए जाने का संपूर्ण कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकिं एक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर आपत्तियां उठाई हैं, विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अनुरोध किया गया था कि वे इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कराने के लिए हस्तक्षेप करें। इस संबंध में 15.10.2012 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी तथा एमओपी/सीईए से अनुरोध किया गया है कि वे जल्दी से आगे की कार्रवाई करे।

जाली मुठभेड़

1807. **श्री उदय सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में पुलिस द्वारा जाली मुठभेड़ करने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आई जाली मुठभेड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी जाली मुठभेड़ों को रोकने तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1174-1178 वर्ष 2011 की विशेष अनुमति याचिकाओं (आपराधिक) संख्या 3865-69 से व्युत्पन्न के अपने निर्णय में कहा है कि विचारण के दौरान पुलिस कार्मियों के विरुद्ध फर्जी मुठभेड़ सिद्ध होने के मामलों में, इसे विरलतम मामला हुए उन्हें मृत्यदंड दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे यह भी कहा है कि फर्जी मुठभेड़ कानून के अनुपालन की अपेक्षा वाले व्यक्तियों द्वारा की गई जघन्य, नृशंत हत्याएं होती हैं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस निर्णय में की गई किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना उपर्युक्त मामले के अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मामले का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(ख) वर्ष 2009-2010 से 2012-13 (दिनांक 20.11.2012 की स्थिति क अनुसार) के दौरान पुलिस, रक्षा तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज किए गए 536 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। प्रत्येक अपराध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में केन्द्र सरकार परामर्शी पत्र जारी करती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) दिशानिर्देश जारी करता है और सिफारिशें करता है। एनएचआरसी ने पुलिस कार्रवाई में हुई सभी मौतों की सूचना मौतों की घटनाओं के 48 घंटों के भीतर देने के संबंध में दिशानिर्देश बनाए हैं। एनएचआरसी लोक सेवकों द्वारा झूठा फंसाने अथवा उपेक्षा, जिसके कारण हिरासत में मौत हुई, का पता लगाने के लिए विभिन्न रिपोर्टें मंगाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में पुलिस की अभिरक्षा में मौत के मामलों में जांच के लिए शक्ति प्राप्त निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के तथा चालू वर्ष (दिनांक 20.11.2012 तक), की अवधि के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-2010			2010-2011			2011-2012			2012-2013		
	पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	रक्षा बल द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	अर्ध सैनिक बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	रक्षा बल द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	अर्ध सैनिक बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	रक्षा बल द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	अर्ध सैनिक बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	रक्षा बल द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़	अर्ध सैनिक बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
असम	3	2	0	7	0	0	17	1	0	20	0	0
बिहार	1	0	0	3	0	0	8	0	0	2	0	0
छत्तीसगढ़	3	0	0	4	0	1	7	0	5	7	0	1
दिल्ली	1	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0
गुजरात	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0
हरियाणा	0	0	0	2	0	0	7	0	0	5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	0	0	2	0	10	1	9	2	0	0	1	0
झारखंड	1	0	0	6	0	0	19	0	1	3	0	0
कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0
मध्य प्रदेश	1	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0
महाराष्ट्र	4	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0
मणिपुर	24	2	6	8	0	4	6	0	0	6	0	0
मेघालय	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0
ओडिशा	2	1	0	6	0	1	8	0	0	6	0	6
पंजाब	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0
राजस्थान	0	0	0	3	0	0	8	0	0	2	0	0
तमिलनाडु	6	0	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
उत्तर प्रदेश	30	0	0	40	0	0	42	0	0	23	0	0
उत्तराखंड	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	0	3	4	1	6	13	0	0	7	0	0
कुल	87	5	11	105	11	13	185	4	8	99	1	7

एनसीईआर द्वारा अध्ययन

1808. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) ने कृषि क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य का नियमित तथा आवधिक अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एनसीईआर ने इस संबंध में सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) जी हां। कृषि संबंधी स्थिति एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करने और उस पर आवधिक रिपोर्ट प्रदान करने हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार को राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) से "खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि संबंधी दृष्टिकोण एवं स्थिति विश्लेषण" नामक एक प्रस्ताव प्राप्त किया गया था। तदनुसार उपर्युक्त अध्ययन को शुरू करने हेतु 364.60 लाख रुपए के कुल आवंटन से एनसीईआर एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग ने तीन वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न गोदाम

1809. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को उचित भंडारण सुविधा देने के लिए खेतों में ही 25, 50 और 100 टन की भंडारण क्षमता के साथ खाद्यान्न गोदामों की स्थापना हेतु एक कार्य-योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में खाद्यान्नों की कुल हानि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्यों को कार्यक्रम/परियोजना जो उनके विचार से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और सामग्रियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उपर्युक्त हैं, चुनने का लचीलापन प्राप्त है। परियोजना में भंडारण क्षमता को बढ़ाने की स्कीमें और फसलोंपरांत प्रबंधन हेतु अन्य उपाय शामिल हैं।

(ग) केंद्रीय फसलोंपरांत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) लुधियाना (एक आईसीएआर संस्थान) द्वारा किए गए हाल ही के अध्ययन के अनुसार, विभिन्न कृषि सामग्रियों में अनुमानित भंडारण हानि निम्नलिखित है:—

	फसल	फसल भंडारण में हानि (कुल उत्पादन का प्रतिशत)
1.	अनाज	1.0 से 1.28 प्रतिशत
2.	दलहन	0.86 से 1.96 प्रतिशत
3.	तिलहन	0.41 से 0.96 प्रतिशत

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास

1810. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2011-12 तथा चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) में कार्यान्वयनाधीन अनुसंधान एवं विकास से संबंधित नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले योग्य संगठनों/संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) देश में इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के दौरान 445.26193 लाख रुपए की 14 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता जारी कर दी है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान, 31.03.2012 तक प्राप्त हुए प्रस्तावों के संबंध में मंत्रालय द्वारा 27.11.2012 तक 5 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 234.70 लाख रुपए की अनुदान सहायता जारी की जा चुकी है। ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, 01.04.2012 से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड को 385 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इस राशि में से, विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड द्वारा 11 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 201.246 लाख रुपए की अनुदान सहायता जारी की जा चुकी है। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) जी, हां महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विद्यमान अनुसंधान एवं विकास स्कीम 01.04.2012 (2012-13) से विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित की जा चुकी है। 31.03.2012 तक प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अनुसंधान एवं विकास स्कीम की मुख्य विशेषताएं केवल इस तथ्य को छोड़कर कि कार्यान्वयन का मोड विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से होगा, पूर्ववत हैं। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः—

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (i) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (ii) गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन (iii) एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000/जीएचपी/जीएमपी गुणवत्ता/सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां और (iv) प्रोत्साहन कार्यकलापों के लिए अपनी स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के उप-घटक के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस घटक के अंतर्गत वित्तपोषण का पैटर्न निम्नानुसार हैः—

(i) सरकारी संगठनों के लिए, अधिकतम दो वर्षों के लिए विशिष्ट अवधि की परियोजना विशिष्ट कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जीआरएफ)/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (एसआरएफ)/अनुसंधान एसोशिएट (आरए) से संबंध उपयोज्य वस्तुओं की लागत सहित उपकरण लागत एवं व्यय के 100% का अनुदान-I अनुमोदित परियोजनाओं के मामले में तकनीकी संवीक्षा समिति की बैठक (एक बार) उपस्थित होने के लिए तथा उसके पश्चात् प्रधान अन्वेषक को परियोजना समीक्षा प्रस्तुतीकरण (एकबार) के लिए यात्रा भत्ते के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ii) निजी संगठनों के लिए, उपकरण लागत का सामान्य क्षेत्रों में 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 70% के बराबर अनुदान। दुर्गम क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्र शामिल हैं।

(iii) अनुसंधान के उत्कृष्ट क्षेत्रों जिनसे नवीन उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं विनिर्माण पद्धतियों का विकास होता है के मामलों में मंत्रालय की प्रायोजित परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान प्रदान किया जाता है जो प्रतिष्ठित सार्वजनिक वित्तपोषित संगठनों तक सीमित हैं।

(घ) स्कीम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र संगठन/संस्थाएं हैं— सभी विश्वविद्यालय, आईआईटीज, केन्द्र/राज्य सरकारों के संगठन, सार्वजनिक एवं निजी वित्तपोषित संगठन।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु अग्रणी समाचार पत्रों में नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार का सहारा लेता है। मंत्रालय क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं/सेमीनार भी संचालित करता है। सभी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को और बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट 2011-12 में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय

पर भारित कटौती को 150% से बढ़ाकर 200% कर दिया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संघों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को किए गए भुगतान पर भारित कटौती 125% से बढ़ाकर 175% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने वित्त अधिनियम, 2011 की धारा 35 AD के अंतर्गत इस संबंध में संशोधन जारी किया है। यह प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़वा देगा।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं	अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख रुपए)	जारी की गई अनुदान सहायता की किस्त (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	सब्जियों के रसों एवं गैर-अम्लीय फलों के रसों के परिरक्षण के बारे में माइक्रोबेवतापन एवं सतत् माइक्रोबेव पाश्च्युरीकरण/स्टेरीलाइजेसन प्रणाली द्वारा अध्ययन	सीएफटीआरआई, मैसूर	38.826	34.163
2.	व्यापारीकृत मसालों से उनके अपमिश्रकों से भिन्न करने के लिए डीएनए बारकोडिंग करना	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसिस, कालीकट 673012, केरल	28.466	18.958
3.	भारत के उप हिमालियन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के पोषणिक दृष्टि से प्रचुर एवं खाद्य बांस के अपरिपक्व अंकुरों के परिरक्षण हेतु प्रसंस्करण तकनीकों का विकास	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	106.92	86.51
4.	मांस आधारित उत्पादों की सैल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नोवेल बायोएक्टिव एडिबिल फिल्म्स	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना	56.20	43.20
5.	खाद्य परिरक्षण हेतु प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का सुपरक्रिटिकल द्रव निष्कर्षण	आईआईटी, दिल्ली	61.00	51.58
6.	जाइलोज प्रचुर लाइनेसैल्युलोज सामग्री से जाइलीटाल का बायो प्रौद्योगिकी उत्पादन	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	23.116	16.308
7.	कैश्यू-एपिल फसलोत्तर प्रौद्योगिकी एवं मूल्य वृद्धि	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय चैन्ने	13.24	8.12

1	2	3	4	5
8.	प्रतिरोधी/संशोधित स्टार्च विकल्प अनाजों/बाजरा एवं दाल मिश्रित बेकरी एवं पास्ता उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, मदुरै	37.96	32.97
9.	मेघालय-पूर्वोत्तर क्षेत्र में आमला, संतरा और अदरक के अर्क मिश्रित ऐलोवेरा जैल से बने कार्बनीकृत पेय पदार्थों का कम लागत प्रक्रिया विकास एवं गुणवत्ता मूल्यांकन	गृज विज्ञान कॉलेज केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तूरा, मेघालय	27.22	23.26
10.	डेवलपमेंट ऑफ रैडी टू रिकंस्टीट्यूट मिस्ती दही पाउडर	तेजपुर विश्वविद्यालय	15.96	12.28
11.	कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा (अरबी) की विभिन्न किस्मों से स्टार्च की गुणवत्ता में सुधार एवं प्राप्ति के लिए एंजाइम आधारित निष्कर्षण प्रक्रिया का विकास	तेजपुर विश्वविद्यालय	27.264	22.824
12.	सुपरक्रिटिकल कार्बनडाईआक्साइड निष्कर्षण एवं स्म्यूटन प्रौद्योगिकियां प्रयोग करते हुए नोवेल फंक्शनल खाद्य सम्पूर्कों की डिजाइन	जादवपुर विश्वविद्यालय	33.014	30.72
13.	मूल्यवर्धित एवं स्वास्थ्यप्रद टेक्सटराइज्ड उत्पाद	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	38.25	28.25
14.	दूध से तैयार नवीन सुविधाजनक खाद्य उत्पाद विकास एवं गुणवत्ता मूल्यांकन	इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, (आईवीआरआई), इज्जतनगर, बरेली (उत्तर प्रदेश)	45.25	36.125
	कुल		485.684	445.261

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान 27.11.2012 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं	अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख रुपए)	जारी की गई अनुदान सहायता की किस्त (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स से स्टेवल चिकन मीट के शेल्फ का विकास-ए हर्डिल टेक्नोलॉजी एप्रोच	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	31.90	24.70

1	2	3	4	5
2.	बैक्टीरियोफेजिस-नोविल सब्जी बायो पिजर्वेटिव	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	67.09	63.42
3.	फाइबर प्रचुर डिजाइनर मांस उत्पादों के विकास संबंधी अध्ययन	लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	54.90	48.35
4.	विभिन्न मसालों से कोलोस्ट्रम बायो-एक्टिव घटकों का विशेषीकरण और नोवल डेयरी उत्पादों के निर्माण में उनका अनुप्रयोग	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	87.26	79.88
5.	कृषि आधारित उत्पादों की मूल्यवृद्धि हेतु माइक्रोवेव (एमवी) बर्धित वायुतापन एवं शुष्कीकरण प्रणाली: निर्जलीकरण एवं डिसइंफेस्टेशन्स	विद्युतीय इंजीनियरी विभाग, आईआईटी बाम्बे, पोबै, मुम्बई	24.70	18.35
	कुल		265.85	234.7

विवरण-III

वर्ष 2012-13 के दौरान विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अनुमोदित की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या .

क्र. सं	अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख रुपए)	जारी की गई अनुदान सहायता की किस्त (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आरएसएम प्रयोग करके अधउपयोग किए गए क्षणभंगुर ताजे फलों की फसलोत्तर गुणवत्ता एवं शेल्फ-लाइफ में सुधार करने के लिए खाद्य कोटिंग निर्माण का विकास एवं ईष्टतमीकरण	बीआरडी विभाग स्कूल ऑफ बायो-साइंसेज, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल मैदान, बड़ताल रोड, पोस्ट बाक्स नं. 39, वल्लभ विद्यानगर-388120	17.128	13.708
2.	मूल्यवृद्धि द्वारा सपोता (मणिकारा जपोता) की शेल्फ-लाइफ में वृद्धि करना	खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग, कांगु इंजीनियरिंग कॉलेज, पेरुन्दुरई, इरोड-638052	5.22	4.00
3.	चावल एवं गेहूं की चोकर से थाइमीन के निष्कर्षण हेतु प्रचालन पैरामीटरों का ईष्टतमीकरण तथा खाद्य पदार्थों का संवर्धन	बायोप्रौद्योगिकी विभाग, जीआईटीएएम प्रौद्योगिकी संस्थान, जीआईटीएएम विश्वविद्यालय, गांधीनगर परिसर, रुसीकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045	9.50	8.50

1	2	3	4	5
4.	टैमेरिंड फ्रूट डिह्यूलर एंड डिसिडर की डिजाइन एवं विकास	खाद्य एवं कृषि प्रक्रिया इंजीनियरी विभाग, कृषि इंजीनियरी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	10.44	7.22
5.	तरल अंडा सफेदी के पाश्चयुरीकरण हेतु ओमिक तापन प्रणाली की डिजाइन एवं विकास तथा अंडे की सफेदी के कार्यात्मक गुणधर्मों को बढ़ाना	खाद्य एवं कृषि प्रक्रिया इंजीनियरी विभाग, कृषि इंजीनियरी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	20.28	15.14
6.	आयरन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पाइपरीन समव्युत्पत्तिक का विकास	बायोप्रौद्योगिकी विभाग, जीआईटीएएम प्रौद्योगिकी संस्थान, जीआईटीएएम विश्वविद्यालय, गांधीनगर परिसर, रुसीकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045	15.00	7.50
7.	चिकिन लिवर हाइड्रोलाइस्टेट्स तैयार करने के एंजाइमैटिक एवं फर्मन्टेटिव पद्धतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन: रिकवरी, बायोफंक्शनल कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन	मांस, मत्स्य एवं पॉल्ट्री प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर-570020	41.64	35.46
8.	सार्डीन मछली के तेल से एन-3 पालीसेच्युरेटेड फैटिएसिडस कंसेन्ट्रेट का उत्पादन	रासायनिक इंजीनियरी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, श्रीनिवासनगर, मंगलौर-575025	46.798	39.814
9.	खाद्य सम्पूरक अनुप्रयोगों हेतु पॉलिफेनोल्स के नैनो एन्कैप्सुलेशन हेतु प्रक्रिया विकास	मानव संसाधन विकास, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केआरएस रोड, मैसूर-570020	20.298	17.044
10.	डिग्रेडेविल खाद्य पैकिंग प्रौद्योगिकी "ग्रीन-पैक" का विकास	रासायनिक इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी-781039	29.97	28.07
11.	पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक रूप से प्रसंस्कृत शुष्क मछली का गुणवत्ता मूल्यांकन	बायो-प्रौद्योगिकी विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी-781014	32.93	24.79
		कुल	249.204	201.246

केलों की खेती

1811. **श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने हैक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती होती है;

(ख) क्या सरकार ने केला वृक्षारोपण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्य-योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में केले की खेती के तहत क्षेत्र 7.817 लाख हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) केला सहित देश में बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का कार्यान्वियन कर रहा है। इन स्कीमों के तहत टिश्यू कल्चर इकाईयों की स्थापना, उन्नत किस्मों का क्षेत्र-विस्तार, समेकित पोषक तत्व एवं नाशीजीव प्रबंधन, फसलोपरांत प्रबंधन एवं विपणन अवसंरचना का सृजन और प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और निजी निर्यातकों को निर्यातोन्मुखी अत्याधुनिक फसलोपरांत अवसरंचना, प्रमुख मंडियों में समेकित पैक हाउस, शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री के लिए केन्द्र और केला सहित शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मुख्य हवाई पत्तनों पर चलते-फिरते शीत कन्टेनर की सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

यूनेस्को सूची में पश्चिमी घाटों को शामिल किया जाना

1812. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पश्चिमी घाटों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने क्षेत्र में वनस्पति एवं जीव-जन्तु संपदा के संरक्षण करने तथा इस संबंध में एक सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 2012 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूप में आयोजित विश्वदाय समिति के 36 वें सत्र के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में पश्चिमी घाटों के 39 स्थानों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है।

(ग) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय वन्य जी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा बाघ आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है। राज्यों को केंद्र की ओर से सहायता दी जाती है। पश्चिमी घाटों में विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए किसी सांविधिक प्राधिकरण का गठन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टीवी रिले केन्द्रों का कार्यकरण

1813. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में स्थापित टीवी रिले केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त रिले केन्द्रों पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में ऐसे रिले केन्द्रों की संख्या कितनी है जो उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे रिले केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश में वर्तमान में 1415 टीवी ट्रांसमीटर (रिले सेंटर) कार्यरत हैं (जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में लगे ट्रांसमीटर भी शामिल हैं)। उपरोक्त ट्रांसमीटर के स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) टीवी रिले सेंटरों के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में स्थित टीवी रिले सेंटरों पर खर्च की गई कुल धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	वर्ष
2009-10	286.38 करोड़
2010-11	365.91 करोड़
2011-12	370.59 करोड़
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	241.81 करोड़

(ग) और (घ) दूरदर्शन में टीवी ट्रांसमीटरों का कार्य निष्पादन सामान्य तौर पर संतोषजनक है हालांकि कुछ ट्रांसमीटरों के खराब होने की शिकायतें समय-समय पर मिलती हैं। दूरदर्शन द्वारा ऐसी शिकायतों को तुरंत दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, वीएलपीटी के मामले में, जो मानव रहित संस्थापनाएं हैं, कई बार शिकायतें दूर करने में समय लग जाता है क्योंकि रख-रखाव कर्मचारियों को निर्दिष्ट रख-रखाव केंद्र द्वारा भेजा जाना होता है।

कर्मचारियों की कमी के कारण 41 निम्न शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों (जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में लगे ट्रांसमीटर भी शामिल हैं) का केवल आंशिक प्रसारण हेतु इस्तेमाल किया जाता है। दूरदर्शन का निरंतर यह प्रयास होता है कि वह अपने उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के भीतर अपनी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करे।

विवरण

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थान-वार ब्यौरे

1. **आंध्र प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)

अनंतपुर

हैदराबाद

कुरनूल

नांदयाल

राजमुंदरी

तिरुपति

विजयवाड़ा

विशाखापट्टनम

वारंगल

हैदराबाद (डीडी न्यूज)

विजयवाड़ा (डीडी न्यूज)

विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)

राजमुंदरी (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (81)

आचम्पेट

अदिलाबाद

अदोनी

अलगड्डा

अमलापुरम

बांसवाड़ा

बेलमपल्ली

भद्राचलम

भैंसा

भीमाडोल

भीमावरम

बोबिली

चित्तूर

कुडप्पा

दारसी

देवरकोंडा

इमिगानुर

गड्वाल

गिड्डालूर

गुंटकल

हिन्दूपुर

जदचेरला

जग्तियाल

कादिरी

काकीनाडा

कामरेड्डी

कुंडुकुर

करीमनगर

कावली

खम्माम

कोल्हापुर

कोस्गी

कोटागुडम

कुप्पम

एल.आर. पल्ली

मचेरला

मछ्लीपट्टनम

मदनापल्ली

मदुगुला

मंडास्सा

मरकापुर

मेडक

महबूबनगर

मिरियालगुड़ा

नगर कूरनूल

नालगोंडा

नारायणपेट

नेल्लूर

निर्मल

निजामाबाद

ओंगोल

पेडापल्ली

प्रोड्डुतूर

पुलामनेर

पुंगानूर

राजमपेट

रामागुडंम

सिद्दीपेट

सिरीसिल्ला

सिरपुर

श्रीकाकुलम

तालकोंडापल्ली

ताम्बलापल्ली

तडूर

तेक्काली

तिरुपति

तुनी

उदयगिरि

वेलडांडा

वेमलवाड़ा

विनुकोंडा

विशाखापट्टनम

वनपार्थी

येल्लांडु

जाहिराबाद

आत्माकुर (डीडी न्यूज)

काकीनाडा (डीडी न्यूज)

नरसारावपेट (डीडी न्यूज)

नेल्लूर (डीडी न्यूज)

पेडनंदीपाडु (डीडी न्यूज)

विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (10)

चिंतापल्ली

दत्तालूर

इच्छापुरम

काणिगिरि

माडिपार्डु

मारिपाडु

पेडरु

पार्वतीपुरम

सीतामपेट्टा

श्रीसेलम

(घ) ट्रांसपोजर (1)

विजयवाड़ा

2. अरुणाचल प्रदेश

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

ईटानगर

ईटानगर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

मियाओ

पासीघाट

तेजु

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

अलांग

बसर

बडीरीजो

बोलेंग

बोमडिला

चांगलांग

च्यांगताओ

दपोरिजो

दारक

देवमाली

गेकु

दिरांग

गेंसी

हवाई

हायुलियांग

हुंली

इंकियांग

कलाकतांग

खिमयांग

खोंसा

मरियांग

मेचुका

मुक्तो

नाम्पोंग

नामसाई

पालीन

रागा

रोइंग

रूपा

सागली

संग्राम

सेईजोसा

सेप्पा

तलिहा

तवांग

तिरबीन

टुटिंग

योमचा

जीरो

(घ) ट्रांसपोजर (1)

सांखी व्यू

3. **असम**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)

डिब्रुगढ़

गुवाहाटी

कोकराझार

सिलचर

गुवाहाटी (डीडी न्यूज)

सिलचर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

बोकाखाट

बोंगाईगांव

धुबरी

दीफु

गोलपाड़ा

गोहपुर

गोलाघाट

हेफ्लांग

हटसिंहमारी

होजई

जोरहट

लमडिंग

मारगेरिटा

नागांव

नजीरा

नार्थ लखीमपुर

सतरासल

सोनारी

तेजपुर

तिनसुखिया

डिब्रुगढ़ (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

डिग्बोई

(घ) ट्रांसपोजर (1)

गुवाहाटी

4. **बिहार**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)

कटिहार

मुजफ्फरपुर

पटना

सहरसा

पटना (डीडी न्यूज)

मुजफ्फरपुर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (34)

औरंगाबाद

बांका

बेगुसराय

बेतिया

भभुआ

भागलपुर

बक्सर

दरभंगा

दाऊदनगर

फारबिसगंज

गया

गोपालगंज

जमुई

खगड़िया

किशनगंज

लक्खीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

मोतिहारी

मुंगेर

नवादा

फूलपारस

रामनगर

रक्सौल

रोसड़ा

सासाराम

शेखपुरा

सिकंदरा

सिमरी बख्तियारपुर

सीतामढ़ी

सिवान

सुपौल

गया (डीडी न्यूज)

दरभंगा (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसरख

मारहौरा

5. **छत्तीसगढ़**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

जगदलपुर

रायपुर

अम्बिकापुर

रायपुर (डीडी न्यूज)

बिलासपुर

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)

बेलडिला

चम्पा

डूंगरगढ़

कांकेर

खारोद

कोंटा

कोरबा

कुरसिया

मनिंदरगढ़

नारायणपुर

पांडरिया

पेंडरा रोड

रायगढ़

राजहारा झांरडिल्ली

सक्ति

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बीजापुर

देवभोग

जसपुर नगर

कोंडागांव

कोयलीबेडा

पाखंजोर

पाथलगांव

सारंगगढ़

6. **गोवा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

पणजी

पणजी (डीडी न्यूज)

7. **गुजरात**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

अहमदाबाद

भुज

द्वारका

राजकोट

राधनपुर

सूरत

वडोदारा

अहमदाबाद (डीडी न्यूज)

सूरत (डीडी न्यूज)

राजकोट (डीडी न्यूज)

वडोदरा (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (54)

आहवा

अम्बाजी

आमोद

अमरेली

बांतवा

भरूच

भावनगर

बोटाड

छोटा उदयपुर

डेडियापाडा

गोधरा

इदेर

जामजोधपुर

जामनगर

झगडिया

जूनागढ़

केवाडिया कालोनी

खम्बत

खंबालिया

लिम्बडी

पलीताना

पोरबंदर

पुरांदरो (मोबाइल)

राजपिपला

रापड़

राजुला

सांजेली

शामलाजी

सोनगढ़

सुरेन्द्र नगर

दीसा

देवगढ़ बेरिया

धंधुखा

धारंगाधरा

धारी

धर्मपुर

धोराजी

दोहाद

लुनावाड़ा

महुवा

मांगरोल (जूनागढ)

मांगरोल (सूरत)

मेहसाणा

मोदासा

मोरवी

पालनपुर

थारड़

उमरगांव

ऊना

वलसाड

विरावल

भावनगर (डीडी न्यूज)

जामनगर (डीडी न्यूज)

गांधीनगर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

काकरापर

नेतरांग

सागवाडा

8. **हरियाणा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

करनाल

हिसार

हिसार (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)

भिवानी

चरखी दादरी

फतेहाबाद

फिरोजपुर झिरका

जींद

कैथल

महेन्द्रगढ़

महम

नारनौल

रिवाड़ी

रोहतक

सिरसा

टोहाना

अम्बाला (डीडी न्यूज)

भिवानी (डीडी न्यूज)

करनाल (डीडी न्यूज)

कुरुक्षेत्र (डीडी न्यूज)

मंडी डबवाली (डीडी न्यूज)

नारनौल (डीडी न्यूज)

यमुना नगर (डीडी न्यूज)

9. **हिमाचल प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

धर्मशाला

कसौली

शिमला

शिमला (डीडी न्यूज)

कसौली (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बिलासपुर

कुल्लू

मनाली

मंडी

रामपुर

सुदंरनगर

सुजानपुर

मंडी (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

आझु फोर्ट

आशापुरी

दियार

हमीरपुर

पालमपुर

परवाणु

आवाहदेवी

बैजनाथ

बांदला

बंजार

भरमौर

भारती

बिजली महादेव

चम्बा

चौपाल

चौरीखास

चिरगांव

डलहौजी

होली

जहालमा

जतिनगिरि (फूलाधार)

जोगिन्द्र नगर

काजा

कल्पा

कारसोग

केलोंग

खारा पत्थर

कोटखाई

नेहरी

निचार

पिरभायनू

रोहरू

सरकाघाट

शिवबदर

थानेदार

तीसा

ऊना

उदयपुर

वीर

(घ) ट्रांसपोजर (2)

राजगढ़

सोलन

10. **झारखंड**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

डाल्टनगंज

रांची

जमशेदपुर

जमशेदपुर (डीडी न्यूज)

रांची (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (19)

बरहरवा

बोकारो

चाईबासा

देवघर

धनबाद

दुमका

घाटशिला

गिरिडीह

गोड्डा

गुमला

हजारीबाग

कोडरमा

लोहारदगा

मुशाबनी

नोआमुंडी

सरायकेला

छतरा

बोकारो (डीडी न्यूज)

धनबाद (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

सिमडेगा

रामगढ़ हिल

गढ़वा (डीडी न्यूज)

11. **जम्मू और कश्मीर**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (19)

जम्मू

कठुआ

लेह

पुंछ

श्रीनगर

सांभा

गुरेज

टिथवाल

जम्मू (डीडी न्यूज)

नौशेरा (डीडी न्यूज)

गुरेज (डीडी न्यूज)

श्रीनगर (डीडी कशीर)

टिथवाल (डीडी कशीर)

कुपवाड़ा (डीडी कशीर)

पुंछ (डीडी कशीर)

कुपवाडा

नौशेरा

सांभा (डीडी न्यूज)

श्रीनगर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)

अंनतनाग

बांदीपोर

चोकीबाल

दरहाल

कारगिल

कुलगाम

पटनीटॉप

पट्टन

काजीगुंड

सोनारवानी

पुंछ

राजौरी

रियासी

वुसन

उधमपुर

बारामूला (डीडी न्यूज)

कठुआ (डीडी न्यूज)

लेह (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (87)

अबरान

अर्धकुंवारी

अरनास

अश्मुकाम

बानी

बनिहाल

बारामुला

बेसकैम्प (सियाचिन)

बास्गो

बसोली

बटालिक

बटोट

भदर्वा

बिलावर

बोध खुरबू

बोनियार

बुडहाल

चकरोई

चाननी

चुमाथांग

चुसुल

दाह

दसकित

धार

डोडा

डोमचुक

द्रास

फातुला

गुजरों नगरोट

हांले

हीरानगर

ईचर

जज्झर कोटली

कालाकोट

कंगन

कारगिल

खालसी

खतलाई

खरयु

किश्तवाड़

कोटरंका

कुद

लाती

लोलाब वेल्ली

लोरान

माचिल

महोर

मंडी

मनीगम

मंजाकोट

मंसुर

मेंढर

मोहरा

मुलबेख

नगरोटा

नीमू

नौगाम

न्येमा

पदम

पहलगाम

पनामिक

पणिक्केर

पोनी

पुलवामा

रामबन

रामकोट

रामनगर

रिंगडोम गोम्पा

शक्ति

सनासर

सांकू

सोपियां

सोलनमर्ग

सुध महादेव

तंगमार्ग

तंग्त्से

तातापानी

थानामंडी

ठाठरी

टिलेल

तिमसोगाम

तराल

तुरतुक

उर्री

उर्री (काशीर चैनल)

यूसमर्ग

जंगला

(घ) ट्रांसमीटर (1)

सुरनकोट

12. **कर्नाटक**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)

बंगलुरु

धारवाड़

शिमोगा

गुलबर्गा

हासन

मेंगलूर

मैसूर

रायचूर

बंगलुरु (डीडी न्यूज)

गुलबर्गा (डीडी न्यूज)

धारवाड़ (डीडी न्यूज)

मैसूर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (49)

अरसीकेरे

अथानी

बगलकोट

बंतवाल

बसावा कल्याण

बेलगाम

बेल्लारी

बेलथांगडी

भटकल

बीदर

बीजापुर

चिकमगलूर

चिकोडी

चित्रदुर्ग

डंडेली

दावणगेरे

गडग बेतगारी

गंगावटी

गोकक

हरफनहल्ली

हतीहाल

हिरीयुर

होलनरसीपुर

होसदुर्ग

होसपेट

हुंगोंड

इंडी

करवार

कोलार गोल्ड फील्ड

कोप्पा

कुमता

मेडीकेरी

मुधोल

मुदीगेरे

मुंडारगी

पावगडा

पुट्टूर

रामदुर्ग

रानीबेन्नूर

सागर

संदूर

सिंधनूर

सिरसी

तालीकोटा

तिपतूर

तुम्कूर

उडिपी

बेल्लारी (डीडी न्यूज)

दावणगेरे (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)

बडामी

हुविन हिपारगी

कुडलिगी

मधुगिरी

सकलेशपुर

श्रृंगेरी

सुलया

13. **केरल**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

कालीकट

कोचीन

तिरुवनंतपुरम

कन्नानूर

कालीकट (डीडी न्यूज)

कोचीन (डीडी न्यूज)

तिरुवनंतपुरम (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)

अडूर

कायमकुलम

शोरनूर

अट्टापड्डी

चंगनचेरी

चेंगनूर

इडुकी

कलपेट्टा

कान्हनगढ़

कासरगौड़

कोट्टरकारा

मल्लापुरम

मंजेरी

पाला

पालघाट

पत्तनमतिट्टा

पुन्नालूर

तेल्लीचेरी

तोडुपुझा

त्रिचूर

कन्नानूर (डीडी न्यूज)

त्रिशूर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

देवीकोलम

इरत्तुपेटटा

कांजीरापल्ली

मुण्डाकायम

14. **मध्य प्रदेश**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)

भोपाल

ग्वालियर

इंदौर

जबलपुर

शहडोल

गुना

सागर

छतरपुर

भोपाल (डीडी न्यूज)

इंदौर (डीडी न्यूज)

जबलपुर (डीडी न्यूज)

ग्वालियर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (60)

अगर

अशोकनगर

बडा मलहेरा

बडवानी

बालाघाट

बरेली

बेतुल

भंडेर

भानपुरा

भिंड

बिजयपुर

बुरहानपुर

चंदेरी

छिंदवाडा

दमोह

दतिया

गदखारा

गरोट

हरदा

इटारसी

जाओरा

झाबुआ

करैरा

केलारस

खंडवा

खरगौन

खुरई

कुकदेश्वर

कुक्शी

कुरवाई

लहर

लखनादोन

मैहर

मलंजखंड

मांडला

मंदसौर

मुलतई

मुरवारा

नागदा

नरसिंहपुर

नीमच

पंचमढ़ी

पन्ना

पिपरिया

राघोगढ़

राजगढ़

रतलाम

रीवा

सतना

शिवनी

शाजापुर

शिवपुर

शिवपुरी

गदरवारा

सीधी

सिंधवा

सिंगरौली

सीतामऊ

शिरोंज

टीकमगढ़

उज्जैन

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

अलीराजपुर

अलोट

बुधनी

डायमंड माइनिंग परियोजना

पारसिया

सिंगरौली

15. **महाराष्ट्र**

(क) उच्च्व शक्ति ट्रांसमीटर (14)

अम्बाजोगई

औरंगाबाद

चंद्रपुर

मुंबई

नागपुर

पुणे

रत्नागिरी

जलगांव

मुंबई (डीडी न्यूज)

नागपुर (डीडी न्यूज)

पुणे (डीडी न्यूज)

औरंगाबाद (डीडी न्यूज)

अंबाजोगई (डीडी न्यूज)

मुंबई (डिजीटल)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (88)

अचलपुर

अकोट

अहेरी

अहमदनगर

अक़लकोट

अकलुज

अकोला

अमलनेर

अमरावती

अर्वी

बदलापुर

बारशी

भामरागढ़

बीड

ब्रह्मपुरी

बुल्ढ़ाणा

चंदुर

चिखली

चिपलुन

दरियापुर

देवरुख

धडगांव

धर्माबाद

धुले

दिगलुर

गढ़चिरोली

गोंडिया

हिंगनघाट

हिंगोली

इंचलकरांजी

जालना

क़ांकोली

कराड़

करांजा

खामगांव

खानापुर

खोपोली

किनवत

कोल्हापुर

माहाड

मालेगांव

मंगल वेढ़ा

मनगांव

मनमाड

मेहेकर

म्हासले

मोर्शी

नांदेड

नंदरबार

नासिक

नवापुर

उस्मानाबाद

पंढ़रकावडा

पंढ़रपुर

परभनी

पाटन (सतारा)

फाल्टन

पुलगांव

पुसाद

राजापुर

रावेर

रिसोड

संगमनेर

सांगली

सतना

सतारा

शहाड

शिर्डी

शिरपुर

शोलापुर

सिरोंचा

तुमसर

उमेरगा

उमरखेड

वानी

वर्धा

वाशिम

यवतमाल

अकोला (डीडी न्यूज)

अमरावती (डीडी न्यूज)

भंडारा (डीडी न्यूज)

धुले (डीडी न्यूज)

कोल्हापुर (डीडी न्यूज)

मालेगांव (डीडी न्यूज)

नांदेड (डीडी न्यूज)

नासिक (डीडी न्यूज)

सांगली (डीडी न्यूज)

शोलापुर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)

अम्बेट

अर्जुनी

अष्टी

भोकर

चिकलधारा

चिमुर

जुन्नार

करंजा (वर्धा)

करजत

खेड

गोरेगांव

करखेडा

मलकापुर

मलवान

पिम्पलनेर-साकरी

सकोली

सिंदेवाही

तिवसा

वंसतगढ़

वाई

16. मणिपुर

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

इम्फाल

चुड़ाचांदपुर

इम्फाल (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

ऊखरुल

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

चन्देल

मोरे

कंगपोकपी

सेनापति

17. मेघालय

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)

शिलांग

तुरा (डीडी न्यूज)

तुरा

शिलांग (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

जोवई

चेरापूंजी

विलियमनगर

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

बाघमारा

नोंगस्टाइन

(घ) ट्रांसपोजर (1)

शिलांग

18. **मिजोरम**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

आइजोल

लुंगलेई

आइजोल (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

लांगत्लाई

लुंगलई (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

चम्फाई

सैहा

(घ) ट्रांसपोजर (1)

आइजोल

19. **नागालैंड**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

कोहिमा

मोकोकचुंग

कोहिमा (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दीमापुर

तुएनसांग

मोकोकचुंग (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

मोन

फेक

सताखा

शामतोर

वोखा

जुन्हेबोटा

(घ) ट्रांसपोजर (2)

कोहिमा

बड़ा बस्ती

20. **ओडिशा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

बालेश्वर

भवानीपटना

कटक

संबलपुर

बरहामपुर

कटक (डीडी न्यूज)

संबलपुर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)

आनंदपुर

अंगुल

अथामलिक

बहाल्डा

बोलंगीर

बालीगुढ़ा

बानापुर

बारगढ़

बारीपाड़ा

भद्रक

जोडा

कबिसूर्यनगर

कामाख्या नगर

करंजिया

क्योंझारगढ़

खांडपाड़ा

खरियार

कोरापुट

कोटपाड

कुचिंदा

पुरी

रायरंगपुर

राजराणापुर

राजगंगापुर

रायगढ़

रेढाखोल

राऊरकेला

सिमलीगुड़ा

सोनपुर

सोहेला

सोलपुर

भांजनगर

भुवन

बीरमित्रपुर

बोनाई

बोध

ब्रजराजनगर

चिकति

दशरथपुर

देवगढ़

धेनकनाल

दुर्गापुर

जी उदयगिरी

गोंडिया

जेपोर

लुथेरंपक

मलकानगिरि

मोहना

नरसिंहपुर

नवरंगपुर

नौवापाड़ा

पदमपुर

पदमपुरम

पडुआ

पल्लाहारा

पारादीप

परलाखेमुंडी

पाटनगढ़

फूलबनी

सुन्दरगढ़

तलचेर

तुशारा

उमरकोट

बालेश्वर (डीडी न्यूज)

बलियापाल (डीडी न्यूज)

भुवनेश्वर (डीडी न्यूज)

धेनकनाल (डीडी न्यूज)

दुधारकोट रकोट (डीडी न्यूज)

केन्द्रपाड़ा (डीडी न्यूज)

तिरटोल (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)

ऑल

बड़ा बारबिल

चित्रकोंडा

जयापटना

कलामपुर

काशीपुर

कोकसारा

लांजीगढ़

मछकुंड

नागची

नयागढ़

पैकमल

सबडेगा

सिमलिपालगढ़

सुकिन्दा

थाऊमल रामपुर

राऊरकेला (डीडी न्यूज)

ललितगिरी (डीडी न्यूज)

(घ) ट्रांसपोजर (1)

सुनबेडा

21. **पंजाब**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)

अमृतसर

भटिंडा

जालंधर

फाजिल्का

जालंधर (डीडी न्यूज)

अमृतसर (डीडी न्यूज)

भटिंडा (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (5)

फिरोजपुर

गुरदासपुर

पठानकोट

पटियाला

अबोहर (डीडी न्यूज)

(ग) ट्रांसपोजर (1)

तलवाड़ा

22. राजस्थान

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

बाड़मेर

जोधपुर

बूंदी (डीडी न्यूज)

बूंदी

जयपुर

जैसलमेर

अजमेर

बीकानेर

अजमेर (डीडी न्यूज)

जयपुर (डीडी न्यूज)

जोधपुर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)

अलवर

अनूपगढ़

बाली

बांसवाडा

बारन

बड़ी सदरी

वाड़मेर

बसावा

भादरा

भरतपुर

भीलवाड़ा

भींमल

चिड़ावा

चित्तौड़गढ़

चुरू

डीग

डुंगरपुर

गंगानगर

गंगापुर (एस.एम. पुर)

हनुमानगढ़

हिंडोन

जैसलमेर

जालौर

झालावाड़

झुंझुनू

कर्णपुर

करौली

केसरियाजी

खाजुवाला

खेतड़ी

किशनगढ़ वास (अलवर)

कोटपुतली

कुशालगढ़

मकराना

माऊंट आबू

नगर

नागौर

नाथद्वारा

नवलगढ़

नोहर

नोखा

पाली

फलोदी

पिलानी

पिरावा

प्रतापगढ़

रायसिंह नगर

राजगढ़ (चुरू)

रतनगढ़

रावतसर

सागवाड़ा

सालुमबेर

सरदारशहर

सवाई माधोपुर

शाहपुरा

सीकर

सिरोही

सोजात

श्रीडूंगरगढ़

सुजानगढ़

सूरतगढ़

तारानगर

टोंक

उदयपुर

बल्लभनगर

अलवर (डीडी न्यूज)

बांसी (डीडी न्यूज)

बीकानेर (डीडी न्यूज)

उदयपुर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

आमेट

आंधी

भीम

चौमहला

देवगढ़

फतेहपुर

गंगापुर (भीलवाड़ा)

कोटरा

कुंभलगढ़

लक्ष्मणगढ़

मंडलगढ़

नीम का थाना

राजगढ़ (अलवर)

रावतभाटा

सिकराई

टिबी

विराटनगर

(घ) ट्रांसपोजर (2)

जमुआ रामगढ

लालसोत

23. **सिक्किम**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

गंगटोक

गंगटोक (डीडी न्यूज)

(ख) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

ग्यालशिंग

मांगन

नामची

रंगपो

सिंगटाम

जोरथांग

24. **तमिलनाडु**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10)

चेन्नै

कोडैकनाल

रामेश्वरम

कुंभकोणम (अंतरिम)

धर्मपुरी

तिरुनेलवेली

कोडैकनाल (डीडी न्यूज)

चेन्नै (डीडी न्यूज)

चेन्नै (क्षेत्रीय चैनल)

चेन्नै (डिजिटल)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (53)

अरनी

अम्बासमुद्रम

अम्बर

आरकोट

अत्तूर

चेय्यर

चिदम्बरम

कोयम्बतूर

कुन्नूर

कोर्टलाम

कड्डालूर

धेनकनिकोट्टा

इरोड

गुडियाटम

कालाकुरचि

कृष्णागिरी

मारतंडम

मयूरम

नागपट्टिनम

नागरकोइल

नाट्टम

नेवेली

पलनी

पट्टुकोट्टै

पेरनामपेट

पोलाची

पुदुकोट्टै

राजपालयम

सेलम

शंकरन कोविल

तंजावुर

तिरुवयारू

तिंडिवनम

तिरुचेंदूर

तिरुचिरापल्ली

तिरुपट्टूर

तिरुवनामलै

तूतिकोरिन

उदगमंडलम

उदुमलपेट

वंदावासी

वनियमबाडी

वेल्लौर

विल्लुपुरम

कोयम्बटूर (डीडी न्यूज)

इरोड (डीडी न्यूज)

मदुरै (डीडी न्यूज)

सेलम (डीडी न्यूज)

तिरुचिरापल्ली (डीडी न्यूज)

तिरुनेलवेली (डीडी न्यूज)

तिरुपट्टूर (डीडी न्यूज)

तूतिकोरिन (डीडी न्यूज)

वेल्लौर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)

जिंजी

कांचीपुरम

मेट्टुपालयम

तिरुवनामलै

वलियुर

वालपरै

वाजापाडी

(घ) ट्रांसपोजर (1)

डिंडिगुल

25. **त्रिपुरा**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

अगरतला

अगरतला (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)

अंबासा

कैलाशहर

अमरपुर

तेलियामुरा

जोलेइबारी

कैलाशहर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

धर्मनगर

(घ) ट्रांसपोजर (1)

बेल्लोनिया

26. उत्तर प्रदेश

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (18)

आगरा

इलाहाबाद

बरेली

गोरखपुर

कानपुर

लखनऊ

मऊ

वाराणसी

बांदा

लखीमपुर

फैजाबाद

आगरा (डीडी न्यूज)

इलाहाबाद (डीडी न्यूज)

बरेली (डीडी न्यूज)

गोरखपुर (डीडी न्यूज)

कानपुर (डीडी न्यूज)

लखनऊ (डीडी न्यूज)

वाराणसी (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)

अकबरपुर

अलीगढ़

अमरोहा

अथडमा

औरैया

बहराइच

बलिया

बलरामपुर

बस्ती

बिधुना

छिबरामऊ

देवरिया

दुधीनगर

एटा

इटावा

फर्रुखाबाद

जगदीशपुर

झांसी

कर्वी

कासगंज

कोसी

लालगंज (राय बरेली)

ललितपुर

महोबा

महरोनी

मैनपुरी

मथुरा

मऊ रानीपुर

मुहम्मदाबाद

मुरादाबाद

ननपाड़ा

नरौरा

रायबरेली

रामपुर

रथ

रूदौली

संभल

शाहजहांपुर

सिकन्दरपुर

सुल्तानपुर

तालबेहात

थिरवा

अलीगढ़ (डीडी न्यूज)

आजमगढ़ (डीडी न्यूज)

झांसी (डीडी न्यूज)

लालगंज (प्रतापगढ़) (डीडी न्यूज)

मऊ (डीडी न्यूज)

मुरादाबाद (डीडी न्यूज)

फतेहपुर

गंज डुंडवारा

गौरीगंज

गोंडा

हरदोई

नौगढ़

ओबरा

ओरई

पीलीभीत

पूरनपुर

रामपुर (डीडी न्यूज)

रासरा (डीडी न्यूज)

शाहजहांपुर (डीडी न्यूज)

सुल्तानपुर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

खूबिया नांगल

माणिकपुर

मनकापुर

ठाकुरद्वारा (डीडी न्यूज)

27. **उत्तराखंड**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसूरी

मसूरी (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

बछेर

चम्पावत

डाक पत्थर

हल्द्वानी

हरिद्वार

कालागढ़

काशीपुर

खेतीखान

कोटद्वार

नैनी डांडा

नैनीताल

नई टिहरी

पौड़ी

पिथौरागढ़

टनकपुर

हरिद्वार (डीडी न्यूज)

खेतीखान (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (33)

अल्मोड़ा

अरौली (बनौली)

बद्रीनाथ

बागेश्वर

बसोत

भटियारी

चौखटिया

देवप्रयाग

देवाल

धारचूला

डीडीहाट

दुगड्डा

फाटा

गज्जा

घंडयाल

गोपेश्वर

जोशीमठ

कलजीखल

कर्णप्रयाग

कौसानी

मानेश्वर

मनीला

मुनसियारी

नंदप्रयाग

नौगांवखल

ऊखीमठ

पोखरी

प्रतापनगर

राजगढ़ी

रानीखेत

रूद्रप्रयाग

थराली

उत्तरकाशी

(घ) ट्रांसपोजर (2)

मसूरी

श्रीनगर

28. **पश्चिम बंगाल**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)

आसनसोल

कोलकाता

कृष्णानगर

कर्सियांग

मुर्शिदाबाद

शांतिनिकेतन

बालूरघाट

खड़गपुर

कर्सियांग (डीडी न्यूज)

मुर्शिदाबाद (डीडी न्यूज)

आसनसोल (डीडी न्यूज)

कोलकाता (डीडी न्यूज)

कोलकाता (क्षेत्रीय चैनल)

कोलकाता (डिजिटल)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

अलीपुरद्वार

बाघमंडी

बलरामपुर

बर्धमान

विष्णुपुर

कोंतई

कूचबिहार

दार्जिलिंग

फरक्का

गढ़बेटा

झाल्दा

झाड़ग्राम

कालिंपोंग

कालना

माल्दा

मेदिनीपुर

पुरुलिया

रानाघाट

रायना

शांतिनिकेतन (डीडी न्यूज)

बसंती (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

इगरा

29. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

पोर्टब्लेयर

पोर्टब्लेयर (डीडी न्यूज)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

कार निकोबार

कार निकोबार (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (24)

बारातांग

कैम्पबेल बे

चौरा

डिग्लीपुर

हरीनगर

हैवलॉक

हटबे

कदमतला

कालीघाट

काचल

लॉग आईलैंड

मायाबंदर

नानकॉवरी

नील आईलैंड

राम कृष्णापुरम

रंगत

स्वराजग्राम

ट्रेसा

कैम्पबेल बे (डीडी न्यूज)

डिगलीपुर (डीडी न्यूज)

हटबे (डीडी न्यूज)

मायाबंदर (डीडी न्यूज)

नानकॉवरी (डीडी न्यूज)

रंगत (डीडी न्यूज)

30. **चंडीगढ़**

(क) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

चंडीगढ़

31. **दादरा और नगर हवेली**

(क) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

सिलवासा

32. **दमन और दीव**

(क) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

दमन

दीव

33. **दिल्ली**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दिल्ली

दिल्ली (डीडी न्यूज)

दिल्ली (डिजीटल)

34. **लक्षद्वीप**

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

कावारती

(ख) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)

मिनीकॉय

अगात्ति

अमीनी

आंड्रोट

चेतलत

कदमत

कल्पेनी

किल्टन

अगाति (डीडी न्यूज)

अमीनी (डीडी न्यूज)

कावारत्ती (डीडी न्यूज)

मिनीकॉय (डीडी न्यूज)

आंड्रोट (डीडी न्यूज)

कदमत (डीडी न्यूज)

कल्पेनी (डीडी न्यूज)

35. **पुदुचेरी**

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)

पुदुचेरी

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

कराइकल

पुदुचेरी (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

माहे

यनम

टिप्पणी:

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	–	1 कि.वा./5 कि.वा./10 कि.वा./ 20 कि.वा./30 कि.वा.
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–	100 वाट/300 वाट/500 वाट
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–	10 वाट/50 वाट
ट्रांसपोजर	–	10 वाट

पशुओं को हार्मोन के टीके लगाया जाना

1814. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं को हार्मोन के टीके लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) देश में दुग्ध उत्पादन और गोपशु की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स के उपयोग की अनुमति नहीं है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

फसल बीमा योजना

1815. **श्री गणेश सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बीमा योजना के लिए विभिन्न राज्यों में हुई क्षति के मुआवजे के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षति के मुआवजे हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे राज्यों के नाम

क्या है जिनमें फसल बीमा दावे की धनराशि वितरित कर दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) अब तक चार फसल बीमा योजनाएं, नामतः राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), संशोधित पायलट राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) एवं पायलट नारियल बीमा योजना (सीपीआईएस) लागू की गई है। राज्यों के पास इन स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्रों/फसलों की अधिसूचना का विकल्प है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) एवं निजी बीमा कंपनियां योजनाओं में निर्धारित प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं को कार्यान्वित करतीत हैं। कार्यान्वयन राज्यों द्वारा प्रदत्त उपज आंकड़ों पर आधारित एनएआईएस और एमएनएआईएस के अंतर्गत और कार्यान्वियन राज्यों द्वारा अधिसूचित स्वचालित मौसम केन्द्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए मौसम आंकड़ों पर आधारित डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत हानि की क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाता है। पौध की क्षति सीमा सीपीआईएस के अंतर्गत हानि की क्षतिपूर्ति का आधार है जिसका आकलन विशेषज्ञ दल करता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार प्रत्येक योजना के अंतर्गत हानि की क्षतिपूर्ति और किसानों को अदायगी का नियमित रूप से निरीक्षण एवं समीक्षा करता है।

(ङ) और (च) हानि की क्षतिपूर्ति के लिए न ही राज्यों और न ही किसानों को कोई प्रस्ताव पेश करने की जरूरत है। फिर भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक किसान के स्तर पर हानि की क्षतिपूर्ति का परिकलन करने का सुझाव किया है जो फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत संभव नहीं है।

विवरण

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित राज्यों/संघ शासित/प्रदेशों का ब्यौरा

क्र.सं.	एनएआईएस	डब्ल्यूबीसीआईएस	एमएनएआईएस	सीपीआईएस
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश (3)	आंध्र प्रदेश
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
3.	अरुणाचल प्रदेश*			
4.	असम	असम*	असम (2)	
5.	बिहार	बिहार	बिहार (3)	
6.	चंडीगढ़*			
7.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ (1)	
8.	दादरा और नगर हवेली*			
9.	दमन और दीव*			
10.	दिल्ली*			
11.	गोवा		गोवा (1)*	गोवा

1	2	3	4	5
12.	गुजरात	गुजरात	गुजरात (4)	
13.	हरियाणा	हरियाणा	हरियाणा (1)	
14.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश (2)*	
15.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर		
16.	झारखंड	झारखंड	झारखंड (1)	
17.	कर्नाटक	कर्नाटक	कर्नाटक (3)	कर्नाटक
18.	केरल	केरल		केरल
19.	लक्षद्वीप*			
20.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश (3)	
21.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र (4)	महाराष्ट्र
22	मणिपुर			
23.	मेघालय	मेघालय*		
24.	मिजोरम		मिजोरम (1)	
25.	नागालैंड*			
26.	ओडिशा	ओडिशा	ओडिशा (3)	
27.	पुदुचेरी			
28.	पंजाब*	पंजाब	पंजाब (3)*	
29.	राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान (3)	
30.	सिक्किम		सिक्किम (1)*	
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु	तमिलनाडु (3)	तमिलनाडु
32.	त्रिपुरा			
33.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश (4)	
34.	उत्तराखंड	उत्तराखंड	उत्तराखंड (1)	
35.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल (3)	पश्चिम बंगाल

*सभी को कार्यान्वित नहीं किया गया, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जिलों की संख्या है।

[अनुवाद]

डेयरी क्षेत्रों में संकट

1816. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में डेयरी क्षेत्र संकट में है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) देश में डेयरी क्षेत्र में किसी संकट के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

युद्धविराम समझौते का उल्लंघन

1817. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री एस. सेम्मलई :
श्री आर. थामराईसेलवन

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी तथा युद्धविराम का उल्लंघन आम बात है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भारत-पाक तथा भारत-बांग्लादेश सीमाओं तथा नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी की सीमा-वार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) सीमाओं पर गोलीबारी के कारण कितने नागरिक तथा सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत-पाक तथा भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सीमा रक्षक बल है। चालू वर्ष में जम्मू क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर सीमा-पार से गोलीबारी हुई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

सीमा-पार से गोलीबारी की घटनाओं की संख्या	भारत-पाक सीमा
वर्ष 2012 (अक्तूबर तक)	16

दूसरी ओर, चालू वर्ष के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा-पार से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। तथापि, सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों, जो तस्करी संबंधी गतिविधियों, विशेषकर पशुओं की तस्करी को रोकते हैं, का पशु तस्करों द्वारा प्राय: घेराव किया जाता है तथा उन पर हमला किया जाता है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान तस्करों/बदमाशों द्वारा सीमा-पार से गोलीबारी/हमले में मारे गए/घायल हुए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

हताहतों की संख्या	भारत-पाक सीमा		भारत-बांग्लादेश सीमा	
	घायल हुए सीमा सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सीमा सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिक
वर्ष 2012 (31 अक्तूबर तक)	03	02	125	01

(घ) सीमा-पार से गोलीबारी, जिसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की मृत्यु हुई/कार्मिक घायल हुए, संबंधी मुद्दे को गृह सचिव एवं महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) स्तर पर उनके संबंधित प्रतिपक्षी प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

इसी प्रकार युद्धविराम के उल्लंघन संबंधी सभी घटनाओं की जांच की जाती है तथा उचित स्तर पर हॉटलाइनों, फ्लैग बैठकों एवं दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच बैठकों के स्थापित तंत्र के माध्यम से पाकिस्तान के सैन्य प्राधिकारियों के पास विरोध दर्ज कराया जाता है।

[अनुवाद]

चीनी के मूल्य

1818. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात की घोषणा के उपरांत पिछले महीने के दौरान घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य में 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आम आदमी पर प्रभाव डालने वाले ऐसे जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों/की गई घोषणाओं के क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू बाजार में मूल्यों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले माह अक्तूबर, 2012 के दौरान घरेलू बाज़ार में चीनी के अखिल भारतीय खुदरा मूल्य औसतन स्थिर थे और 39 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की रेंज में थे। वर्तमान चीनी मौसम 2012-13 में चीनी का उत्पादन अनुमानित खपत आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने का अनुमान लगाया गया है। अत: वर्तमान वर्ष (अक्तूबर, 2012 से सितम्बर, 2013) के दौरान चीनी के निर्यात की कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

(ग) सरकार ने जुलाई, 2002 से सितम्बर, 2012 माह के दौरान घरेलू बाज़ार में चीनी के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) 13.7.2012 को अप्रैल से जून तक की तिमाही के लगभग 2 लाख टन के नहीं बेचे गए गैरी-लेवी कोटे को 14.8.2012 तक खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति दी गई थी।

(ii) दिनांक 24.7.2012 के आदेश द्वारा चीनी मिलों को जुलाई-सितंबर के कोटे के कम से कम 70% को अगस्त, 2012 तक बेचने का निदेश दिया गया है।

(iii) 27 जुलाई, 2012 को 2.66 लाख टन का अतिरिक्त कोटा रिलीज़ किया गया है जिसे 31 अगस्त, 2012 तक बेचा जाना है।

(iv) 7 अगस्त, 2012 को 4 लाख टन का एक और अतिरिक्त कोटा रिलीज़ किया गया है जिसे 31 अगस्त, 2012 तक बेचा जाना है और

(v) अक्तूबर, 2012 और नवम्बर, 2012 माह के लिए 40 लाख टन का उच्चतर गेर-लेवी कोटा 28.9.2012 को खुले बाज़ार में रिलीज़ किया गया है।

[हिन्दी]

टीवी पर कार्यक्रम

1819. **श्रीमती भावना पाटील गवली : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास टेलीविजन चैनलों द्वारा संवेदनशील मुद्दों पर प्रसारित कार्यक्रमों को विनियमित करने का कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में केबल ऑपरेटरों/द्वारा बड़ी संख्या में चलाए जा रहे अवैध/अनाधिकृत टेलीविजन चैनलों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने चैनलों का पता लगाया गया है तथा राज्य-वार एवं चैनल-वार इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे चैनलों के प्रचालन को रोकने के लिए/नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सभी निजी सैटेलाइट चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है। उक्त कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं सभी निजी सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों पर लागू होती हैं। कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जिनका इन चैनलों को अनुपालन करना होता है। जब कभी निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रमों या विज्ञापनों में उल्लंघन के किसी उदाहरण की जानकारी सरकार को प्राप्त होती है, तो उक्त अधिनियम के अनुसार समुचित

कार्रवाई की जाती है। सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) गठित की है जो कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों का विशिष्ट शिकायतों पर या अपनी ओर से संज्ञान लेती है। यदि कोई उल्लंघन साबित होता है, तो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एक और पहल के रूप में, राज्य स्तर (16 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों में) और जिला स्तर (274 जिलों में) की मॉनीटरिंग समिति गठित की गई हैं जो निजी सैटेलाइट चैनलों में प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों के उल्लंघन का अनुवीक्षण करती हैं।

(ग) से (ङ) केबल आपरेटरों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम और नियमों के अंतर्गत प्रकल्पित प्रवर्तन की स्कीम मुख्यत: प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से है जो जिला मजिस्ट्रेट, उप संभागीय मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के पुलिस आयुक्त होते हैं, जब कभी कोई शिकायत मंत्रालय को प्राप्त होती है, उन्हें प्राधिकृत अधिकारियों को भेज दिया जाता है। क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई मुख्यत: प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में होती है।

सुरक्षा एजेंसियों में 24 अवैध विदेशी चैनलों की एक सूची की पहचान की है और पाया है कि इनमें से कुछ चैनलों की विषय-वस्तु देश में सुरक्षा वातावरण के अनुकूल नहीं है और इनसे सुरक्षा संबंध खतरे की संभावना है। 24 अवैध विदेशी चैनलों के ब्यौरे विवरण में संलग्न है।

मंत्रालय ने विदेशी चैनलों के अवैध प्रसारण की समस्या के समाधान के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इन संशोधनों में, अन्य के साथ-साथ, अवैध चैनलों के प्रसारण को संज्ञेय अपराध बनाना, अधिनियम में विद्यमान वित्तीय शास्तियां बढ़ाना ताकि केबल ऑपरेटर अवैध चैनलों के प्रसारण के लिए निरूत्साहित हों, के लिए प्रावधान शामिल हैं। इन संशोधनों को शामिल करने वाला केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 को 15 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में पेश किया गया था और उसे जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है। स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

विवरण

विदेशी अवैध चैनल

1. क्यू टीवी (पाकिस्तान)
2. पीस टीवी (दुबई)
3. मदनी टीवी (पाकिस्तान)
4. सउदी टीवी
5. टीवी मालद्वीप
6. एआरवाई टीवी
7. पीटीवी
8. पीटीवी होम
9. पीटीवी वर्ल्ड
10. जियो टीवी (पाकिस्तान)
11. डान (पाकिस्तान)
12. एक्सप्रेस (पाकिस्तान)
13. वक्त (पाकिस्तान)
14. नूर टीवी (पाकिस्तान)
15. हदी टीवी (पाकिस्तान)
16. आज (पाकिस्तान)
17. एन टीवी (बांग्लादेश)
18. एक्सवाईजेड टीवी
19. नेपाल
20. फिल्मेक्स (पाकिस्तान)
21. एसटीवी (पाकिस्तान)
22. कांतिपुर (नेपाल)
23. अहमदिया चैनल (यूके आधारित)
24. भूटान ब्रॉडकास्टिंग सेवा

[अनुवाद]

आंतरिक व्यापार सुधार

1820. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में आंतरिक व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच करने और कृषि-वस्तुओं के लिये एक साझा बाजार की स्थापना करने के लिए किसी उच्च-अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के गठन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रविधियां तैयार की गई हैं;

(ग) क्या इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले किसानों और अन्य संबंधित पक्षों का विचार जाना जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप किसानों के कितना लाभान्वित होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) मंत्रिमंडल द्वारा मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय *अन्य बातों के साथ-साथ* यह निर्णय लिया गया कि आन्तरिक व्यापार सुधारों से संबंधित विविध मामलों की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवरणात्मक क्षमताओं और व्यापार का लाभ सभी वर्गों को उपलब्ध हो सके। तथापि, इसमें देश भर में कृषि उत्पादों के लिए आम बाजारों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) समिति की रचना/विचारार्थ विषय और तौर तरीकों का विवरण अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

सूखा राहत

1821. श्री यशवीर सिंह :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री खगेन दास :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री नीरज शेखर :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री लालजी टंडन :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखा-प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा सूखे के परिणामस्वरूप किसानों को कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय दल ने वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ग) केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितनी सहायता मांगी गई और सरकार ने कितनी सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किसानों के लिए यदि सरकार द्वारा कोई राहत-पैकेज घोषित किया गया हो तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) कर्नाटक (176 तालुका में से 142), राजस्थान (33 जिलों में से 5), गुजरात (26 जिलों में से 17 में 132 तालुका), महाराष्ट्र (355 तालुका में से 122) और केरल (14 जिलों में से 4 की सरकारों ने खरीफ, 2012 के दौरान सूखे की घोषणा की है। फसलों की क्षति/नुकसान

का आकलन करने के लिए अंत: मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) ने इन राज्यों का दौरा किया और केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की है।

(घ) कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल सरकारों ने सूखा राहत के लिए क्रमश: 7672.40 करोड़ रुपए, 7424.13 करोड़ रुपए, 3011.61 करोड़ रुपए, 6259.70 करोड़ रुपए और 1468.63 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी है।

(ङ) राज्य सरकारों ने राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय शुरू किए हैं जो कि सहज रूप में उनके पास उपलब्ध हैं। वर्ष 2012-13 के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत निधियों का राजयवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए डीजल राजसहायता स्कीम शुरू करने, बीज राजसहायता में वृद्धि, आहार एवं चारा संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का वर्धन, आयल केक पर आयात शुल्क की माफी, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन (एएफडीपी), राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक मिशन (एनएमपीएस) के अंतर्गत आहार एवं चारा पूरक हेतु सहायता उपलब्ध कराने, बारहमासी बागवानी फसलों में सूखा प्रभाव को कम करने वाले हस्तक्षेपों को शुरू करने और पुनर्निर्धारित फसल ऋण ब्याज को कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवारों के ऊपर 100 दिनों से अधिक 50 दिन तक अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के आपदा घटक के अंतर्गत अंतरित सहायता और एनआरडीडब्ल्यूपी और एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत किस्तों की फास्ट ट्रैक निर्मुक्ति आदि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिए गए।

विवरण

2012-13 के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया कोष आबंटन

क्र. सं.	राज्य	राशि (रुपए करोड़)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	560.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.51
3.	असम	290.81
4.	बिहार	368.77
5.	छत्तीसगढ़	166.83
6.	गोवा	3.27
7.	गुजरात	553.59
8.	हरियाणा	212.68
9.	हिमाचल प्रदेश	144.17
10.	जम्मू और कश्मीर	190.13
11.	झारखंड	286.04
12.	कर्नाटक	177.46
13.	केरल	144.51
14.	मध्य प्रदेश	433.01
15.	महाराष्ट्र	488.06
16.	मणिपुर	7.96
17.	मेघालय	16.15
18.	मिजोरम	9.43
19.	नागालैंड	5.48
20.	ओडिशा	431.72
21.	पंजाब	245.77
22.	राजस्थान	662.22
23.	सिक्किम	25.08
24.	तमिलनाडु	323.61

1	2	3
25.	त्रिपुरा	21.29
26.	उत्तर प्रदेश	424.89
27.	उत्तराखंड	129.72
28.	पश्चिम बंगाल	336.07
	कुल	6700.22

किसानों की आय

1822. श्री मनोहर तिरकी : क्या **कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत किसानों की औसत वार्षिक आय ज्ञात करने के लिये कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या विगत दशक से अब तक देश में किसानों की वार्षिक आय-दर में मामूली वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने देश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2003 के दौरान व्यापक स्तर पर "किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" संचालित किया था जिसमें संकलित जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- खेती, पशु-पालन, गैर कृषि व्यंवसाय तथा मजदूरी से संबंधित आय एवं व्यय संबंधी सूचना। वर्ष 2002-03 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक कृषक परिवार की औसत मासिक आय 2115 रुपए थी।

(ग) और (घ) अगला "किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" 2013 के लिए निर्धारित किया गया है।

(ङ) सरकार ने खेती को व्यवहार्य एवं सतत् बनाने के लिए अनेकों पहल की हैं। इनमें शामिल हैं- कृषि में सार्वजनिक पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी करना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैदावार में अन्तर की भरपाई करना जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्ष मिशन पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन गांवों के एकीकृत विकास, पॉम आयल को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्रोटीन प्रतिपूरक मिशन, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम आदि।

सरकार ने अभावग्रस्त किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज क्रियान्वित किया है। साथ ही किसानों की ऋणग्रस्तता की समस्याओं का समाधान करने के लिए 2008-09 में किसानों के लिए ऋण में छूट तथा ऋण सहायता नीति संबंधी एक योजना की घोषणा की गई थी। समयनुकूल भुगतान के लिए कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। 2011-12 के लिए 4,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 2012-13 के लिए लक्ष्य को 5,75,000 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए ऋण के प्रवाह को सुसाध्य बनाने के लिए तथा वित्तीय समावेश में वृद्धि करने के लिए सरकार समयबद्ध तरीके से सभी सक्षम एवं इच्छुक किसानों को कसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान कर रही है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती

1823. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय व्यापारिक जलपोतों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के कार्मिकों की तैनाती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या प्रविधि तैयार की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का इसके लिए नौवहन-कंपनियों से कोई शुल्क लेने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार यह सुविधा विदेशी व्यापारिक जहाजों के अनुरोध पर उन्हें भी उपलब्ध करायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा व्यापारिक जहाजों पर सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों की तैनाती कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) सोमालिया के तट पर समुद्री लूटपाट/जहाज के अपहरण/व्यपहरण के सूचित किए गए मामलों के मद्देनजर, भारतीय व्यापारिक जहाजों के अनुरोध पर, सरकार की लागत की प्रतिपूर्ति के आधार पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव अभी प्राथमिक स्तर पर है और आज की तारीख तक किसी ब्यौरे/तौर-तरीके को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) विदेशी व्यापारिक जहाजों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

1824. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री सी.आर. पाटिल :

श्री गोपीनाथ मुंडे:

श्री आधि शंकर :

श्री रुद्रमाधव राय :

श्री जगदानंद सिंह :

श्री नारनभाई कछाड़िया :

श्री वरुण गांधी :

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

श्री लालजी टन्डन :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री कामेश्वर बैठा :

श्री सुरेश कुमार शेटकर :

श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम आदमी को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति एवं बढ़ते मूल्य के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद्य वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उनकी पहुंच में लाने के लिए सरकार उच्च राज सहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर 35 रुपए किलो प्रति परिवार, प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे 6.52 करोड़ (जिसमें अन्त्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं) परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का पर्याप्त आबंटन कर रही है। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने अब तक आम जानता को उच्च राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय पूल से कुल 624 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन कर दिया है।

उपभोक्ताओं को बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 बनाया है। प्रशासनिक और विनियामक उपायों द्वारा कदाचार, मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका है। सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर इन दोनों अधिनियमों का उचित प्रयोग करने का परामर्श दिया जाता है।

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति में कमी, आदानों की लागत में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों

में बढ़ोत्तरी, खपत पद्धति में परिवर्तन, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां, आय और जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ अपर्याप्त संभार तंत्र और भंडारण सुविधाओं की कमी जैसे अनेक कारणों में होती है।

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर-बाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाना।

2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल और धान के संबंध में दिनांक 15.02.2012 के केन्द्रीय आदेश संख्या के कुछ उपबंधों को स्थगित रखते हुए स्टॉक होल्डिंग सीमाएं लागू करने की शक्ति प्रदान करना।

3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत उन व्यक्तियों के गिरफ्तार करने के अधिकार दिए गए जिनके क्रियाकलाप समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बनाए रखने में बाधक पाए जाएं। उक्त अधिनियम के तहत जारी गिरफ्तारी आदेशों और वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई रिपोर्ट का विवरण नीचे दिया गया है:—

राज्य का नाम	2009	2010	2011	2012
तमिलनाडु	112	120	198	164
गुजरात	31	79	67	41
ओडिशा	02	02	—	—
महाराष्ट्र	02	02	05	03
छत्तीसगढ़	—	01	—	—
आंध्र प्रदेश	—	01	—	—
कुल	147	205	270	208

विवरण-II

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

- गेहूं, प्याज, दालों, कच्चा पामोलीन के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया और रिफाइन्ड और हाइड्रोजनीकृत तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

- सफेद और कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को 30.06.2012 तक बढ़ाया गया; वर्तमान में आयात शुल्क को 10% रखा गया है।

- खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों के साथ खाद्य तेलों 20000 टन प्रति वर्ष की क्षमता तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10 हजार टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

- चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के मामले में समय पर तथा धान और चावल के संबंध में विशिष्ट 7 राज्यों में 30.11.2012 तक स्टॉक सीमा अधिरोपित की गई।

- जब कभी भी आवश्यक हुआ तो प्याज के निर्यात पर अल्पकाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। प्याज के निर्यात को न्यूनतम निर्यात मूल्य तंत्र के माध्यम से बढ़ावा दिया गया।

- चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपया प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वर्ष 2002 से कायम रखा गया।

- चावल, उडद, तूर, ग्वारगम और ग्वार बीज के भावी सौदों को स्थगित कर दिया गया।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चीनी मौसम 2011-12 के दौरान चीनी मिलों की लेवी अनिवार्यता की 10% बहाल किया गया।

- सरकार ने ओएमएसएस स्कीम के तहत चावल और गेहूं का आबंटन किया।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडीकृत आयातित दालों की स्कीम को "गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सहायता प्राप्त दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की स्कीम" नामक बदले हुए नाम से पुनः शुरू करने का निर्णय किया गया जिसमें चालू वर्ष के शेष भाग के 20 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी देने और सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों की सीमा को इस अवधि के लिए 10 लाख टन तक खाद्य तेलों के आयात के लिए 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ 30.09.2013 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी

1825. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्र में गरीबी के लिये आवास की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नगरपालिकाओं के सहयोग से किराये के मकान बनाने और इस संबंध में अप्रचलित किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का राजीव आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिये किराये के आवास बनाने हेतु राज्यों को सहयोग देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार ने राज्यों को सहयोग देने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 18.75 मिलियन आवासों की कमी है जिसमें से लगभग 96% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह की श्रेणियों से संबंधित हैं।

(ख) से (च) "भूमि" और "कालोनाईजेशन" राज्य के विषय हैं और सभी नागरिकों को आवास प्रदान करने का मुख्य दायित्व राज्यों का है। तथापि, भारत सरकार इस प्रयास में कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

राजीव आवास योजना (आरएवाई) स्कीम के अंतर्गत किराए के आवास और पारगमन आवास सहित किफायती आवास स्टॉक का निर्माण करने के लिए 50% केन्द्रीय सहायता (पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% जिसमें यदि आवश्यकता हुई तो भूमि का अधिग्रहण करने की लागत शामिल है) देने का प्रावधान है। यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे किराए के आवास के स्टॉक का निर्माण करने के लिए राजीव आवास योजना के उपरोक्त प्रावधानों का उपयोग करें और इसे किफायती दरों पर लक्षित समूह को उपलब्ध कराए।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत राज्यों के स्तर पर प्रमुख किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य सुधार बनाया गया है। इस मंत्रालय ने टिप्पणियों के लिए मॉडल आवासीय किराया विधेयक के प्रारूप को परिचालित किया है। तथापि, इस स्थिति में इसको अंतिम रूप दिए जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उपभोक्ता-कानूनों के प्रति जागरूकता

1826. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री एम. आनंदन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता अभियान से जनता में उपभोक्ता सुरक्षा-कानूनों एवं उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निचले स्तर के साधारणजन तक उपभोक्ता-अधिकारों की जागरूकता को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिये सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए उपभोक्ता अभियानों से लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई है। सरकार ने दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, आकाशवाणी तथा निजी मीडिया चैनलों पर भी अनेक उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाए हैं। हमारा सर्वाधिक प्रभावशाली अभियान "जागो ग्राहक जागो" की भावना वाला अभियान रहा है जो कि किए गए अध्ययनों के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी रहा है।

सरकार का प्रस्ताव, उपभोक्ता जागरूकता अभियान की पहुंच दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करते हुए इसे अधिक व्यापक बनाने का है। डाक घरों, रेलवे और आउटडोर प्रचार माध्यमों जैसे कि नुक्कड़ नाटक/स्ट्रीट थियेटर का प्रयोग किया जाएगा। जमीनी स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति तुरंत जागरूकता उत्पन्न करने हेतु स्कूलों और कॉलेजों में उपभोक्ता क्लब्रों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और राज्य सरकारों को पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में शिकायत प्रकोष्ठ

1827. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अधीनस्थ जिलों और इकाइयों में जन-शिकायत प्रकोष्ठों/आयोगों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रकोष्ठों/आयोगों के कृत्य क्या हैं; और

(ग) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रकोष्ठों में कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गईं तथा इन शिकायतों के आधार पर कितने पुलिस अधिकारियों/पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिले और कुछ यूनिटों में, जहां पब्लिक डीलिंग होती है और जिनके अन्तर्गत पुलिस स्टेशन कार्यशील होते हैं, एक जन शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ का प्रमुख संबंधित जिला यूनिट के एसीपी रैंक का अधिकारी होता है। प्रकोष्ठ के कार्यकरण के बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा एक स्थायी आदेश सं. 102/2009 जारी किया गया है।

(ग) उक्त प्रकोष्ठों में दायर शिकायतों की कुल संख्या और साथ ही ऐसे पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों, जिनके विरुद्ध पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है, की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010, 2011 और 2012 (15.11.2012 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस के जन शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या और अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

2010		2011		2012 (15.11.2012	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	ऐसे पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है	प्राप्त शिकायतों की संख्या	ऐसे पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है	प्राप्त शिकायतों की संख्या	ऐसे पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है
12902	320	15811	768	13798	750

दूरदर्शन/आकाशवाणी में कर्मचारियों की कमी

1828. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की कमी के कारण उनका कार्य सीमित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी में और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने तथा कर्मचारियों की सेवा-दशाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रसार भारती को कार्मिक भर्ती एवं कार्यदिशा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मंत्रिसमूह ने प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) में 3452 महत्वपूर्ण पदों की भर्ती की सिफारिश की थी। इन 3452 पदों में से पहले चरण में 1150 पद भरने के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सरकार ने प्रसार भारती के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) सरकार ने हाल ही में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 का संशोधन किया जिसमें व्यवस्था की गई है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन (एआईआर और डीडी) के संवर्ग में सभी नियमित कर्मचारी जिनकी भर्ती 05.10.2007 से पहले हुई थी सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्तिवत रूप में प्रसार भारती में कार्य करेंगे और सरकार के कर्मचारी को अनुज्ञेय वेतन और सभी अन्य भत्तों के हकदार होंगे। संशोधन में आगे व्यवस्था की गई है कि 05.10.2007 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी प्रसार भारती के कर्मचारी होंगे।

(ii) आकाशवाणी और दूरदर्शन में रिक्त पदोन्नति पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(iii) पात्र कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन भी प्रदान किया गया है।

नकली कीटनाशकों का उत्पादन

1829. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कीटनाशक-विनिर्माण कारखाने नकली कीटनाशकों का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) विशिष्ट सूचना के आधार पर, कुछ कंपनियों के परिसर में पौध संरक्षण संगरोध एवं संग्रहण निदेशालय के केन्द्रीय कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा 2011 में छापे मारे गए थे। मैसर्स क्रिस्टल फोस्फेटस लिमिटेड के चार नमूने कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार नकली पाए गए थे। मैसर्स क्रिस्टल फोस्फेटस लिमिटेड कारबोफ्यून 3% सीजी, कारवेनडाजिम 12%+ मानकोजेब 63% डब्ल्यूपी तथा ट्राइकोनेटेनोल जीआर 0.05% नमूने नकली पाए गए थे। तद्नुसार मैसर्स क्रिस्टल फोस्फेटस लिमिटेड को नकली कीटनाशकों के सभी उत्पादों की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया गया था।

(ग) मैसर्स क्रिस्टल फोस्फेटस लिमिटेड के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए हरियाणा तथा गुजरात राज्य सरकारों से क्रमश: दिनांक 18.10.2012 तथा 29.10.2012 को सहमति प्राप्त की गई है। निदेशालय

सोनीपत तथा अहमदाबाद के न्यायालयों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है।

[अनुवाद]

बीजों की आपूर्ति

1830. **श्री पी.टी. थॉमस :**
श्री कपिल मुनिय करवारिया :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बागवानी की उपजें लेने वाले किसानों को सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीजों की आपूर्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों के मुकाबले सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित बीजों की मात्रा और मूल्य कितना है; और

(घ) सरकार ने देश की अनुसंधान संस्थाओं में बागवानी के बीजों की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से किसानों को 557688.96 क्विंटल सब्जी बीजों की आपूर्ति किए जाने की उम्मीद की जाती है।

(ग) देश में उत्पादित किए जाने वाले बीजों की मात्रा लगभग 3022892 क्विंटल है जिसका मूल्य 3234 करोड़ रुपए है जिसमें से 5,57,688 क्विंटल सार्वजनिक क्षेत्र से है तथा 24,65,204 क्विंटल निजी क्षेत्र से है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने अनुसंधान संस्थानों में अधिक पैदावार तथा बागवानी बीजों के जैविक एवं अजैविक दबाव प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने को मुख्य वरीयता दी है। इन किस्मों का उनकी सततता तथा कार्यनिष्पादन के आकलन के लिए विभिन्न कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है।

रासायनिक उर्वरकों का प्रतिकूल प्रभाव

1831. **श्री धनंजय सिंह :**
श्री प्रेमदास राय :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री आर.के. सिंह पटेल :
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश में रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिकूल प्रभाव के कारण कृषि उत्पादन घटा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है और इस सिलसिले में अब तक क्या सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) रासायनिक उर्वरकों के उचित प्रयोग से मृदा/फसल उत्पादकता में कमी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तथापि, वर्षों से कम मात्रा में जैविक पदार्थों के संयोजन वाले उर्वरकों के अंधाधुंध तथा असंतुलित प्रयोग के परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य के बहु पोषक तत्वों में कमी और ह्रास हो सकता है।

प्रधान फसलीय प्रणाली के अंतर्गत भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल "दीर्घावधिक उर्वरक प्रयोग" के संबंध में एआईसीआरपी के अंतर्गत विभिन्न मृदा प्रकारों (निर्धारित स्थानों) में मृदा उर्वरता की निगरानी कर रहा है। विगत कुछ दशकों के अन्वेषण से यह पता चला है कि लगभग सभी केन्द्रों में केवल नाईट्रोजनयुक्त उर्वरक के

लगातार प्रयोग से फसल उपज में अत्यधिक कमी आई है तथा इससे विशेष रूप से, अन्य मुख्य तथा सूक्ष्म पोषकों की कमी को दर्शाते हुए दीर्घावधिक उर्वरता तथा संधारणीयता पर विकृत प्रभाव पड़ा था। एनपीके उर्वरकयुक्त प्रणाली में भी अनेक वर्षों के बाद लघु तथा गौण पोषक तत्व का अभाव उपज को सीमित करने वाला तत्व बन गया है तथा इनका प्रयोग उच्च उपज संभावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया है। केवल एनपीके और जैविक खाद की इष्टतम मात्रा के समेकित प्रयोग ने मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखा है तथा उच्च संधारणीय फसल उपज दिया है।

नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों के विशेष रूप से हल्के गठन वाली मृदा में अत्याधिक प्रयोग के कारण भूमि जल में नाईट्रेट संदूषण की भी संभावना होती है जिससे मानव/पशु स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है यदि पीने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में, पंजाब में भूमि जल में नाईट्रेट संदूषण की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि पीएयू लुधियाना से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब राज्य के भूमिगत जल में एनओ-3एन की मात्रा सामान्य रूप से अनुमत सीमा से कम थी।

(घ) सरकार पादप पाषक तत्वों जैसे फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम), कम्पोस्ट, जैसे-उर्वरकों तथा हरी खाद के जैविक स्रोतों के संयोजन से मृदा परीक्षण आधारित उर्वरकों के संतुलित प्रयोग का समर्थन कर रही है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/सुदृढ़ीकरण तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों के माध्यम से उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित तथा उचित प्रयोग का संवर्धन करने के लिए 2008-09 से राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएच एवं एफ) आरंभ की गई है।

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा उर्वरकों का अलग-अलग अनुप्रयोग तथा प्रतिस्थापन, धीमी गति से सक्रिय होने वाले नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों का प्रयोग तथा पोषक तत्वों का संवर्धन करने वाले उर्वरकों का प्रयोग, फलदार फसलों की खेती तथा संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) को बढ़ावा दिया गया है।

कोयला-ब्लॉक आबंटन संबंधी समिति

1832. **श्री अजय कुमार :**
श्री पी. कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला-ब्लॉकों के आबंटन दौरान पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिये सभी प्रस्तावों/परियोजनाओं की समीक्षा करने और सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्लॉकों से उत्पादित कोयले का वितरण स्थायी लिंकेज समिति द्वारा मंजूर लिंकेज की तर्ज पर विनिर्दिष्ट अंत्य-प्रयोक्ता को दीर्घावधिक अनुबंध/लिंकेज पर किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) "कोयला खान की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी नियमावली, 2012" में एमएम (डी एंड आर) अधिनियम, 1957 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सरकारी कंपनियों को ब्लाकों के आबंटन हेतु शर्तों को सभी स्टेक होल्डरों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कोयले की कालाबाजारी

1833. **डॉ. भोला सिंह :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की बिक्री से कितना वार्षिक राजस्व अर्जित हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को कोयले की चोरी एवं काला बाजारी से होने वाली हानि की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले की चोरी एवं कालाबाजारी के कंपनी-वार कितने मामलों का पता चला; और

(घ) कोयले की चोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क)

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की बिक्री से अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	निबल बिक्री मूल्य (करोड़ रु.) (निबल कर और शुल्क)
2009-10	52662.36
2010-11	59690.91
2011-12	73752.07

(ख) और (ग) कोयले की चोरी/उठाईगिरी चोरी-छिपे तथा गुप्त रूप से की जाती है। अत: चुराये गए कोयले की तथा कोयले की चोरी/उठाईगिरी के कारण हुए घाटे का सही-सही मात्रा बताना संभव नहीं है।

एससीसीएल में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी नहीं होती है। हालांकि सीआईएल में 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 (जून, 2012 तक) के दौरान सहायत कंपनी-वार सुरक्षा कार्मिक एवं संबंधित राज्य सरकार के कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के अनुसार बरामद किए गए कोयले की मात्रा, इसका अनुमानित मूल्य तथा दायर की गई एफआईआर की संख्या (अनंतिम) नीचे दी गई है:—

वर्ष		ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	सीआईएल
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2012-13 (जून, 2012 तक) (अनंतिम)	बरामद की गई मात्रा (टन)	800.00	2063.73	388.08	0.00	61.74	4.40	4.00	0.40	3322.35
	अनुमानित मूल्य (लाख रु.)	16.000	45.138	4.522	0.000	1.006	0.255	0.040	0.020	66.981
	दायर की गई एफआईआर	7	3	4	0	9	2	0	14	39
2011-12	बरामद की गई मात्रा (टन)	5648.00	8539.32	488.43	9.00	109.81	64.11	59.60	0.00	14918.57
	अनुमानित मूल्य (लाख रु.)	112.960	191.592	6.204	0.550	1.961	2.451	0.596	0.000	316.31
	दायर की गई एफआईआर	28	16	13	1	20	7	0	40	125
2010-11	बरामद की गई मात्रा (टन)	2300.00	9645.18	8477.85	0.00	169.63	8.50	36.50	22.38	20660.04
	अनुमानित मूल्य (लाख रु.)	46.000	191.498	86.011	0.000	2.719	0.158	0.365	0.946	327.70

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010-11	दायर की गई एफआईआर	65	21	2	0	25	4	1	51	169
2009-10	बरामद की गई मात्रा (टन)	4137.00	7662.00	393.75	3.00	275.48	378.67	1562.70	15.00	14427.60
	अनुमानित मूल्य (लाख रु.)	48.460	163.699	4.424	0.060	4.654	5.601	12.571	0.330	239.799
	दायर की गई एफआईआर	194	53	8	1	42	6	25	18	347

इसके अलावा, कालाबाजारी के संबंध में कुछ शिकायतें इस अवधि के दौरान सीआईएल में प्राप्त हुई हैं।

(घ) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और इसलिए प्राथमिक रूप से राज्य/जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि चोरी/उठाईगिरी बंद करने/नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करे।

(i) संवदेनशील स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित कर दिए गए हैं।

(ii) कोयला डम्पिंग यार्ड के इर्द-गिर्द चाहर दीवारी, रोशनी की व्यवस्था तथा हथियारबंद गार्डों की तैनाती चौबीसों घंटे कर दी गई है।

(iii) ओबी डम्पों सहित खान के इर्द-गिर्द नियमित चौकसी बरती जाती है।

(iv) रेलवे साइडों पर सशस्त्र गार्डों की तैनाती की गई है।

(v) नियमित अंतरालों पर जिला अधिकारियों के साथ बातचीत एवं संपर्क किया जाता है और प्रत्येक महीने जिला कलक्टर तथा जिला प्रशासन के साथ बैठके आयोजित की जाती हैं।

(vi) होलोग्राम निर्धारित करके एवं उठाई गिरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ के अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद जिले के बाहर ट्रकों द्वारा कोयले के परिवहन के चालान जारी किए जा रहे हैं।

(vii) कोयले की चोरी के विरुद्ध कोलियरियों के प्रबंधन और सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज करायी जाती हैं। सीआईएसएफ द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही हैं।

(viii) प्रबंधन पुरानी/परित्यक्त खुली कोयला मुहानों को भरने/डोजिंग/ सीलिंग/विस्फोटन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है।

(ix) राज्य न्यायालयों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

भगदड़ के मामले

1834. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भगदड़ की घटनाएं होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन भगदड़ों में राज्य-वार और लिंग-वार कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान भगदड़ की ऐसी घटनाओं में पीड़ित

व्यक्तियों के परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए भीड़ के प्रबंधन एवं बचाव प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन निदेशों/दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान भगदड़ की घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

स्थान	दिनांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*व्यक्तियों की संख्या	
			मारे गए	घायल
1	2	3	4	5
लेव्व पटेल सांस्कृतिक भवन राजकोट	20.12.2009	गुजरात	09	50
जेटी घाट, काकद्वीप, दक्षिणी 24 परगना	14.01.2010	पश्चिम बंगाल	07	16
भुबन हिल्स जिला कछार	12.2.2010	असम	03	—
गांव मानागढ़, प्रतापगढ़	04.03.2010	उत्तर प्रदेश	63	28
हरद्वार कुम्भ	14.04.2010	उत्तराखंड	02	14
डेरा सच्चा सौदा सिरसा	29/30.4.2012	हरियाणा	05	—
जगन्नाथ मंदिर	13.07.2010	ओडिशा	01	02
फुल्लूमेडू इडुक्की जिला	14.01.2011	केरल	102	44
कैथोलिक चर्च, गांव फोखुंगी, जिला, फेक	28.5.2011	नागालैंड	0	—
गुरूद्वारा नानक दरबार, गांव शाहबाद मरकंडा, कुरूक्षेत्र	20.6.2011	हरियाणा	0	—
गुरूद्वारा गुरू नानक दरबार, गांव अजराना खुर्द, कुरूक्षेत्र	18/19.7.2011	हरियाणा	0	—
गैपरनाथ महादेव मंदिर, कोटा	10.8.2011	राजस्थान	2	—
हरिद्वार	8.11.2011	उत्तराखंड	20	44
हुसैन टेकरी शरीफ जाओरा, जिला रतलाम	14.01.2012	मध्य प्रदेश	12	04
भावनाथ मंदिर जूनागढ़	20.2.2012	गुजरात	7	29

1	2	3	4	5
त्रिरूमाला हिल्स जिला चितूर	26.5.2012	आंध्र प्रदेश	0	3
अदालतगंज घाट (पुलिस स्टेशन पीर-बहोर), पटना	19.11.2012	बिहार	17	30

*प्रत्येक मामले में लिंग-वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि ऐसे अवसरों पर कानून और व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकारों की होती है, अत: इस संबंध में जांच राज्य सरकारें करती हैं। इसके अलावा, यह ऐसी घटनाओं में प्रभावित हुए व्यक्तियों/परिवारों को चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक राहत भी उपलब्ध कराती है।

(ङ) और (च) भविष्य में भगदड़ की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिनांक 01.10.2008 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया गया था जिसमें ऐसे एकत्र जन समूह का प्रबंधन करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने तथा विशेष समय पर मंदिरों/धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रबंध किए जा सकने योग्य व्यक्तियों को ही अनुमति प्रदान करने के उपाय सुझाने; प्रत्येक प्रवेश/निकास बिंदु पर उचित पहुंच नियंत्रण प्रक्रिया/प्रणाली; अच्छी अलर्ट प्रणाली स्थापित करने, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में स्टाफ को नियमित रूप से प्रशिक्षण आदि का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समय-समय पर परामर्शी-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

छेड़छाड़ और चेन-झपटमारी

1835. **श्री सुशील कुमार सिंह :**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में छेड़छाड़ और चेन-झपटमारी की घटनाएं सूचित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलग-अलग ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग कुल कितने मामले हल किए गए/कितने मामले अनसुलझे रहे और अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा सभी मामलों को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इन अपराधों को रोकने के लिए प्रमुख स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2009, 2010, 2011 और 2012 (15.11.2012 तक) में दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत छेड़छाड़ और झपटमारी (सोने की चेन/मंगलसूत्र सहित) के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	छेड़छाड़	झपटमारी (सोने की चेन/मंगलसूत्र सहित)
2009	238	1345
2010	126	1671
2011	165	1476
2012 (15.11.2012 तक)	191	1262

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत किए गए उपर्युक्त छेड़छाड़ और छपटमारी (सोने की चेन/मंगलसूत्र सहित) के अधिकतर मामलों का निराकरण कर लिया गया है। निराकरण नहीं किए गए सभी

मामलों का निर्धारण करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच की गहनता से निगरानी करते हैं। विशेष दल गठित किए गए हैं और निराकरण नहीं किए गए मामलों का निर्धारण करने के लिए अपराध शाखा जैसी विशिष्ट यूनिटों द्वारा प्रयास किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली में विभिन्न बाजारों और सीमा चौकियों पर 1337 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं और दिल्ली के प्रमुख स्थानों, अवस्थानों, बाजारों, सीमा चौकियों पर 3952 सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

फिल्म समारोह

1836. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न फिल्म समारोह आयोजित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आयोजित ऐसे समारोहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कुल कितनी निधियां आबंटित की गईं/कितना खर्च किया गया;

(घ) इन आयोजनों हेतु चलचित्रों के चयन के लिये क्या मानदंड/मानक अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या इन समारोहों हेतु चलचित्र-चयन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (च) निम्नलिखित फिल्म समारोहों का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) द्वारा देश के भीतर किया जाता है।

(i) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष गोवा में किया जाता है।

(ii) विभिन्न राज्य सरकारों और राजदूतावासों के सहयोग से लघु समारोहों का आयोजन जिनमें लब्धप्रतिष्ठ फिल्मी हस्तियों के पूर्ववृत्त, भारतीय पैनोरमा फिल्मों के प्रदर्शन और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मों के प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बाल फिल्म सोसायटी, भारत (सीएफएसआई) जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है, दो वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों (आईसीएफएफ) और पूरे भारत में राज्य/जिला स्तर के फिल्म समारोहों का आयोजन करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग (एफडी) प्रत्येक दो वर्ष में एक बार वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म (एमआईएफएफ) हेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है। फिल्म प्रभाग एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फिल्मों के समारोहों का भी आयोजन देश में राज्यों की राजधानियों और अन्य नगरों में करता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीएफएफ, सीएफएसआई और एफडी द्वारा आयोजित किए गए फिल्म समारोहों और जारी खर्च संस्वीकृति/उपगत खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

फिल्मों का चयन भारतीय पैनोरमा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। चयन स्वतंत्र जूरी और पूर्वदर्शन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें फिल्म समुदाय से जुड़े प्रतिष्ठित फिल्मी लोग शामिल होते हैं। जहां तक, बाल फिल्म समारोहों का संबंध हैं, सिनेमा और उससे जुड़े विषयों के विशेषज्ञ से बनी चयन समिति फिल्म समारोह के लिए फिल्मों की अनुशंसा करती है। जहां तक वृत्तचित्र फिल्म समारोहों का संबंध है, क्षेत्र के विशेषज्ञों को मिलाकर बनी चयन समिति द्वारा दो-स्तरों वाली प्रक्रिया से चयन किया जाता है और समारोह की आयोजन समिति को फिल्म प्रभाग द्वारा अंगीकार किया जाता है।

मोटे तौर पर, ये प्राचल/मानदंड फिल्मों की सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक उपयोगिता को मान्यता देने के लिए हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को सिनेमैटिक रूप में समझने और जानने में योगदान करते हैं।

केवल एक न्यायिक मामला जिसे भारतीय पैनोरमा 2010 के लिए एक जूरी सदस्य शामिल करने के संबंध में केरल उच्च न्यायालय में दायर किया गया था और जिसे निस्तारित कर दिया गया था और बम्बई उच्च न्यायालय में दायर किया गया एक न्यायिक मामला जो कोलकाता के कुछ फिल्म निर्माताओं की फिल्मों का एमआईएफएफ, 2011 के प्रतिस्पर्धा खंड में न चुने जाने के बारे में था और जिसे खारिज कर दिया गया था, को छोड़कर कोई शिकायत नहीं रही।

विवरण

फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012 (दिनांक 29.11.2012 तक) में आयोजित फिल्म समारोहों तथा जारी स्वीकृत व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	समारोह का नाम	दिनांक	जारी व्यय स्वीकृति, रुपये
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
1.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	18-20 फरवरी, 2011	345000
दिल्ली			
1.	शक्ति सामंत रैटरोस्पेक्टिव	10-12 जुलाई, 2009	48810
2.	देवानन्द की फिल्मों का समारोह	सितम्बर, 2009	335370
3.	55वें राष्ट्रीय पुरस्कार विजित फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन	9-16 अक्तूबर, 2009	0
4.	अकीरा कुरुसावा का जन्म शताब्दी समारोह	अक्तूबर, 2009	129250
5.	सीईपी के तहत तुर्की फिल्म समारोह	अक्तूबर, 2009	182150
6.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत बांग्लादेशी फिल्मों का समारोह	अप्रैल, 2010	233100
7.	56वें राष्ट्रीय पुरस्कार विजित फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन	19 अप्रैल-7 मई, 2010	121950
8.	चीनी फिल्म समारोह	17 मई-22 मई, 2010	237166
9.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	24 मई-6 जून, 2010	571380
10.	कमल हसन रैटरोस्पेक्टिव	2-4 जुलाई, 2010	558100
11.	आग ली फिल्मों का रैटरोस्पेक्टिव	23-25 जुलाई, 2010	258186
12.	जलसागर (लिगेसी ऑफ म्यूजिक इन इंडियन सिनेमा)	13-15 अगस्त, 2010	279200
13.	जापानी एनीमेशन फिल्मों का समारोह (जापानी दूतावास के सहयोग से)	22-22 अगस्त, 2010	224600
14.	वर्ल्ड वार 2 की फिल्मों का समारोह	सितम्बर, 2010	268200

1	2	3	4
15.	57वें राष्ट्रीय पुरस्कार विजित फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन	8-14 नवम्बर, 2010	0
16.	नलिनी जयन्ती रैटरोस्पेक्टिव	जुलाई, 2011	779404
17.	58वें राष्ट्रीय पुरस्कार विजित फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन	17 जून-16 जुलाई, 2011	341356
18.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	4-27 फरवरी, 2011	649480
19.	उड़िया फिल्म समारोह	15-17 अप्रैल, 2011	500295
20.	शम्मी कपूर फिल्मों का रैटरोस्पेक्टिव	16-18 दिसम्बर, 2011	354848
21.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	6-29 जनवरी, 2012	649480
22.	मुक्ति के लिए बांग्लादेश युद्ध	23-25 मार्च, 2012	609608
23.	59वें राष्ट्रीय पुरस्कार विजित फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन	1 जून-10 जुलाई, 2012	452260
24.	राजेश खन्ना रैटरोस्पेक्टिव	18-20 अगस्त, 2012	783988
		कुल	8568161

गोवा

1.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2009	23 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2009	रुपये 260.64 लाख
2.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2010	23 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2010	रुपये 327.89 लाख
3.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2011	23 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2011	रुपये 546.10 लाख
4.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2012	23 नवम्बर-3 दिसम्बर, 2012	रुपये 404.85 लाख (29.11.2012 को)
		कुल	रुपये 1539.48 लाख

*उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2011 के लिए रुपये 2,39,32,361/- की राशि का योगदान दिया।

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	मई, 2010	449000
झारखंड			
1.	भारतीय सिनेमा फिल्म समारोह शताब्दी	12-15 सितम्बर, 2012	500000
मध्य प्रदेश			
1.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	जुलाई, 2010	399870
महाराष्ट्र			
1.	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के तहत चीनी फिल्मों का समारोह	11 जून-16 जून, 2010	137167
2.	आंग ली फिल्मों का रैटरोस्पेक्टिव	6-8 अगस्त, 2010	141167
3.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	जुलाई, 2010	485000
		कुल	763334
मेघालय			
1.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	29-31 मई, 2009	260000
नागालैंड			
1.	भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का समारोह	अप्रैल, 2010	440000
पुदुचेरी			
1.	भारतीय सिनेमा फिल्म समारोह शताब्दी	24-26 अगस्त, 2012	461000
त्रिपुरा			
1.	मुक्ति के लिए बांग्लादेश युद्ध	10-12 फरवरी, 2012	120392
पश्चिम बंगाल			
1.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत चीनी फिल्मों का समारोह	28 मई-02 जून, 2010	137167

1	2	3	4
2.	आंग ली फिल्मों का रैटरोस्पेक्टिव	20–22 अगस्त, 2010	141167
3.	मुक्ति के लिए बांग्लादेश युद्ध	9–11 दिसम्बर, 2011	36750
		कुल	315084

फिल्म प्रभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित फिल्म समारोहों, आबंटित फंड तथा व्यय का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	समारोह का नाम	समारोह की तिथि	राज्य/शहर का नाम	हुआ व्यय	
					आयोजना	योजना
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009 से 2010	11वां मुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, वृत्त चित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्मों हेतु (एमआईएफएफ 2010)	3 से 9 फरवरी 2010	महाराष्ट्र, मुंबई	—	रुपये 182.50 लाख
2.	2010 से 2011	असम फिल्म समारोह में एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फिल्मों का पैकेज	9 से 11 अप्रैल, 2010	गुवाहटी, असम	—	रुपये 0.04 लाख
		वृत्त चित्र, लघु, एनीमेशन फिल्मों हेतु उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	23 से 29 अप्रैल, 2010	उत्तराखंड, देहरादून	—	रुपये 0.86 लाख
		वृत्त चित्र, लघु, एनीमेशन फिल्मों हेतु द्वितीय मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	18 से 20 अगस्त, 2010	मणिपुर, इम्फाल	—	रुपये 0.95 लाख
3.	2011 से 2012	त्रिपुरा में एमआईएफएफ	1 से 4 सितम्बर, 2011	त्रिपुरा, अगरतला	—	रुपये 0.76 लाख
		वृत्त चित्र, लघु, एनीमेशन फिल्मों हेतु 12वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	3 से 9 फरवरी, 2012	महाराष्ट्र, मंबई	—	रुपये 255.18 लाख
4.	2012 से 2013 (अब तक)	नागपुर में एमआईएफएफ	29 एवं 30 जून तथा 1 जुलाई, 2012	महाराष्ट्र, नागपुर	रुपये 0.22 लाख	—
		सिक्किम में एमआईएफएफ	3 से 6 अक्तूबर, 2012	सिक्किम, गंगटोक	रुपये 0.77 लाख	—
		त्रिवेंद्रम में एमआईएफएफ	9 से 11 नवम्बर, 2012	केरल, त्रिवेंद्रम	—	रुपये 0.28 लाख

भारतीय बाल चित्र समिति, (सीएफएसआई) द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012 में आयोजित जिला स्तरीय बल फिल्म समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों तथा उन पर हुए व्यय का राज्यवार-विवरण

अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010

क्र. सं.	राज्य/जिला	समारोहों की संख्या	व्यय
1	2	3	4
1.	बिहार	104	5398.00
2.	महाराष्ट्र	120	3223894.00
3.	गुजरात	185	135850.00
4.	तमिलनाडु	304	603062.00
5.	आंध्र प्रदेश	147	244691.00
6.	कर्नाटक	412	282262.00
7.	केरल	60	167801.00
8.	हिमाचल प्रदेश	18	27439.00
9.	पंजाब	135	147027.00
10.	राजस्थान	62	184132.00
11.	हरियाणा	8	शून्य
12.	उत्तराखंड	25	17494.00
		कुल	5039050.00

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011

1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	345	2832744.00
2.	छत्तीसगढ़	101	114876.00
3.	असम	53	434810.00
4.	मध्य प्रदेश	1157	223901.00
5.	राजस्थान	134	346123.00
6.	पंजाब	104	133464.00
7.	हरियाणा	44	277472.00
8.	उत्तर प्रदेश	47	107441.00
9.	आंध्र प्रदेश	410	274743.00
10.	तमिलनाडु	374	0
11.	कर्नाटक	88	196310.00
12.	गुजरात	182	151593.00
13.	उत्तराखंड	30	36991.00
		कुल	5130468.00

अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012

1.	महाराष्ट्र	261	1439657.00
2.	गुजरात	165	1015162.00
3.	पश्चिम बंगाल	160	450845.00
4.	आंध्र प्रदेश	408	706328.00
5.	तमिलनाडु	441	1024183.00
6.	कर्नाटक	487	385346.00
7.	दिल्ली, रा.रा. क्षेत्र	08	299337.00
8.	हिमाचल प्रदेश	38	214069.00
9.	उत्तराखंड	140	183257.00
10.	पंजाब	68	172925.00
11.	राजस्थान	50	484131.00
		कुल	6375240.00

1	2	3	4
	अप्रैल, 2012 से नवम्बर 2012		
1.	गुजरात	168	705645.00
2.	महाराष्ट्र	165	1548146.00
3.	पश्चिम बंगाल	65	280000.00
4.	तमिलनाडु	387	663907.00
5.	आंध्र प्रदेश	360	817023.00
6.	कर्नाटक	264	301917.00
7.	केरल	106	310658.00
8.	हरियाणा	140	1132812.00
9.	उत्तर प्रदेश	36	76220.00
10.	उत्तराखंड	40	180616.00
11.	राजस्थान	184	633617.00
		कुल	6650561.00

सीएफएसआई प्रत्येक दो वर्ष में हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह (आईसीएफएफ) का भी आयोजन करता है। आईसीएफएफ 2009 पर किया गया व्यय 110.58 लाख रु. है तथा आईसीएफएफ 2011 पर किया गया व्यय 235.03 लाख रु. है।

[अनुवाद]

गृह सचिव-स्तरीय वार्ता

1837. श्री किसनभाई वी. पटेल :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य ढाका में गृह सचिव-स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके पूर्व हुई संयुक्त कार्यसमूह की बैठक के दौरान जिन सुरक्षा-मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनकी प्रगति पर भी उक्त बैठक में विचार हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों पक्षों की सहमति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) भारत और बांग्लादेश के मध्य ढाका में दिनांक 14-17 अक्तूबर, 2012 के दौरान संयुक्त कार्यकारी समूह (जे.डब्ल्यू.जी) की बैठक और गृह-स्तरीय वार्ताएं हुईं थीं जिनमें कथित रूप से बांग्लादेश में रहे रहे भारतीय विद्रोही समूहों (आई.आई.जी) के नेताओं और उनके कैम्पों एवं ठिकानों के विरुद्ध कार्रवाई करने, सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण हथियारों/गोलाबारुद एवं जालीमुद्रा नोटों की तस्करी, महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने संबंधी उपायों, नशीले पदार्थों की तस्करी और विधि प्रवर्तन कार्यकलापों का क्षमता संवर्धन इत्यादि जैसे सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने, दोनों देशों के विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने और उनके देश में कथित रूप से रहे रहे वांछित अपराधियों एवं भगोड़ों को पकड़ने के लिए सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सहज रूप से चौकसी संबंधी समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) का अक्षरश: कार्यान्वियन करने के संबंध में भी सहमत हुए। इस पर भी सहमति हुई कि स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त (डीसी)-जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) के बीच नियमित परामर्श करने संबंधी तंत्र को संशोधित किया जाए। दोनों पक्ष, मानव-दुर्व्यापार, मादक पदार्थों, इंटरपोल इत्यादि जैसे सहयोग के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नोडल बिन्दुओं से संबंधित कार्यकलापों को और अधिक गहनतापूर्वक करने पर भी सहमत हुए।

शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

1838. चौधरी लाल सिंह :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान

शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए/प्राप्त किए गए; और

(ग) लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 1997 से अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाम की शहरी गरीबी उपशमन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम इस स्कीम के 5 घटकों में से एक है। निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अन्य घटकों में पृथक्करण के बिना एक साथ जारी की जाती हैं ताकि उन्हें निधियों के उपयोग में सुगमता रहे।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम घटक के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य/उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न-II विवरण में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय प्रगति की नियमित निगरानी त्रैमासिक/मासिक भौकि और वित्तीय रिपोर्टों, राज्य/क्षेत्रीय/शहरी स्तर पर आवधिक समीक्षा बैठकों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों के माध्यम से कर रहा है। राज्यों और हितधारियों को केन्द्रीय/क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों के दौरान सलाह दी जाती है की वे यह सुनिश्चित करे की लाभ शहरी गरीबों तक पहुंचे।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई) के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित केन्द्रीय निधि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3390.53	3790.43	4827.60	5638.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	207.85	201.79	259.97	259.97
3.	असम	2956.05	2869.96	3274.79	3413.28
4.	बिहार	1790.24	2001.40	3158.72	2280.22
5.	छत्तीसगढ़	1075.14	1201.95	1342.71	1349.54
6.	गोवा	90.56	101.24	115.29	135.94
7.	गुजरात	1501.44	1678.53	3843.37	4855.11
8.	हरियाणा	585.34	654.37	1597.70	1866.07

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	12.15	50.00	109.54	671.23
10.	जम्मू और कश्मीर	120.93	135.21	293.30	592.54
11.	झारखंड	728.91	814.88	1627.99	1782.29
12.	कर्नाटक	3524.71	3940.45	4874.28	5058.16
13.	केरल	948.13	1059.96	1376.53	2634.58
14.	मध्य प्रदेश	4087.96	4570.13	5719.08	4743.32
15.	महाराष्ट्र	8075.96	9028.52	10304.04	10271.98
16.	मणिपुर	461.88	448.43	799.30	799.30
17.	मेघालय	369.51	358.74	469.49	469.49
18.	मिजोरम	369.51	358.74	358.74	435.41
19.	नागालैंड	277.13	269.06	269.06	443.18
20.	ओडिशा	1476.59	1650.75	2083.28	1669.30
21.	पंजाब	358.93	401.27	2275.11	2688.07
22.	राजस्थान	2623.52	2932.96	4187.60	3953.39
23.	सिक्किम	46.19	44.84	44.84	116.63
24.	तमिलनाडु	3817.38	4267.63	6346.09	7480.88
25.	त्रिपुरा	461.88	448.43	523.81	746.41
26.	उत्तराखंड	488.70	546.34	583.96	625.97
27.	उत्तर प्रदेश	6462.43	7224.67	11119.01	9337.26
28.	पश्चिम बंगाल	1940.44	2169.31	5764.81	6290.54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.50	37.50	23.34	18.54
30.	चंडीगढ़	78.52	78.52	147.13	136.42
31.	दादरा और नगर हवेली	17.58	17.58	17.30	21.19

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	16.41	16.41	12.23	23.84
33	दिल्ली	93.34	200.00	350.00	500.00
34	पुदुचेरी	6.66	50.00	150.00	150.00
	कुल	48500.00	53620.00	78250.01	81458.68

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में शहरी स्वयं रोजगार योजना (यूएसईपी) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई) के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1615	7389	1900	9005	4417	12259	5770	1940
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	16	3	12	394	89	267	49
3.	असम	34	472	40	90	4598	126	3608	20
4.	बिहार	853	0	1003	0	3515	1396	2908	380
5.	छत्तीसगढ़	512	1993	602	1862	1154	2687	1570	1108
6.	गोवा	43	0	51	0	148	14	109	26
7.	गुजरात	715	19324	841	8015	3604	8914	4727	3636
8.	हरियाणा	279	3348	328	1606	1355	1511	1709	276
9.	हिमाचल प्रदेश	6	33	7	24	50	68	519	0
10.	जम्मू और कश्मीर	58	0	68	200	247	85	532	0
11.	झारखंड	347	364	408	402	1337	81	1855	0
12.	कर्नाटक	1679	3541	1975	3527	4362	5080	5266	1432
13	केरल	452	813	531	1065	1345	1668	2164	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	1947	15232	2291	16743	5299	11724	4980	3748
15.	महाराष्ट्र	3847	6074	4527	7449	9979	6708	12873	1552
16.	मणिपुर	5	8	6	8	1068	0	826	0
17.	मेघालय	4	24	5	52	565	0	335	22
18.	मिजोरम	4	29	5	216	501	359	495	274
19.	नागालैंड	3	142	4	130	376	296	514	130
20.	ओडिशा	703	5907	827	5168	1950	2851	2011	415
21.	पंजाब	171	14	201	66	1478	59	2712	23
22.	राजस्थान	1250	9404	1470	7305	3681	5727	4952	563
23.	सिक्किम	1	86	1	80	63	106	118	14
24.	तमिलनाडु	1818	2065	2139	3925	5272	5755	6777	966
25.	त्रिपुरा	5	200	6	362	788	253	727	14
26.	उत्तराखंड	233	992	274	904	545	725	567	13
27.	उत्तर प्रदेश	3078	3145	3621	7402	11193	4605	9123	1721
28.	पश्चिम बंगाल	924	5024	1087	4412	4978	6346	6135	1465
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	43	10	43	32	65	25	18
30.	चंडीगढ़	18	0	21	112	201	429	147	53
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	5	0	24	5	21	12
32.	दमन और दीव	4	0	4	0	17	0	86	0
33.	दिल्ली	587	95	690	2298	325	306	420	115
34.	पुदुचेरी	42	306	49	497	139	478	152	0
	कुल	21250	86083	25000	82980	74999	80775	85000	20327

[हिन्दी]

ठेका-कृषि

1839. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ठेका-कृषि का प्रचलन है;

(ख) क्या हां, तरे तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बहुत-सी विदेशी कंपनियां ठेका-कृषि के क्षेत्र में आ गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संबंध में जारी विशिष्ट दिशानिर्देश क्या है तथा कृषि क्षेत्र में भंडार के अद्यतनीकरण और विकास, मालगोदामों और अन्य संभार-तंत्र में एफडीआई की क्या भूमिका रहेगी;

(ङ) क्या सरकार अनेक राज्यों में ठेका-कृषि के विस्तार को विनियमित करने के लिए किन्हीं विधायी उपायों की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) देश में प्रयोग में लाई जा रही संविदा खेती के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति, 2012 कुछ शर्तों के साथ कृषि और पशुपालन में (क) पुष्पखेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन में और नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत सब्जियों एवं मशरूम की खेती में (ख) बीजों एवं पौध रोपण सामग्री के विकास एवं उत्पादन में (ग) पशुपालन (कुत्ता प्रजनन सहित), मत्स्यपालन, नियंत्रित स्थितियों में जलकृषि में और (घ) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं में एफडीआई का प्रावधान है। इनके अलावा, किसी अन्य कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई को अनुमत नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) संविदा खेती की कार्यप्रणाली को विनियंत्रित करने के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने मॉडल राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2003 और मॉडल राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 2007 बनाई है। मॉडल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ संविदा खेती प्रायोजकों के पंजीकरण, कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के साथ संविदा खेती करारों को रिकॉर्ड करने या अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकरण और विवाद निपटान तंत्र के प्रावधानों की व्यवस्था करता है। यह ऐसे संविदा के अंतर्गत भूमि पर किसानों के हक या अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था करता है। ये किसानों के हितों की रक्षा के प्रयोजनार्थ है। चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को किसानों के हित में मॉडल अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने के लिए राजी किया जाता है।

विवरण

संविदा खेती के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	फसल का नाम	कवर क्षेत्र एकड़ में	कंपनी का नाम	कवर किए गए किसानों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	माल्टिंग जौ	4784	मैसर्स यूनाइटिड वैवरेज लि. बेंगलुरु	3750 (जौ फसल पर बाजार शुल्क छूट दी गई है)

1	2	3	4	5	6
2.	हरियाणा	जौ. बासमती,	10837	1. सहकारी क्षेत्र में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन फैडरेशन लि.	2700
		जौ, बासमती, धान, गेहूं	2300	2. मैसर्स एसकेओएल बैवरेज प्रा.लि. गुडगांव/बंगलुरु	
		जौ	10,000	3. मैसर्स यूनाइटिड वैवरेज प्रा.लि., पटियाला	
		आलू	—	4. मैसर्स टेक्नो एग्री सांइसेज लि., नई दिल्ली	
		जौ	—	5. मैसर्स माल्टा कंपनी प्रा.लि. गुडगांव	
		आलू	—	6. मैसर्स पैपसिको इंडिया हाल्डिंग प्रा.लि. पंजाब	
3.	उत्तराखंड	कोई संविदा खेती फर्म/कंपनी आगे नहीं आई है।			शून्य
4.	राजस्थान	फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों, सुगंधित पौधों के लिए अनुमत, परन्तु अभी तक कोई संविदा खेती करार पंजीकृत नहीं किया गया है।			
5.	गुजरात	केला	900 (अनुमानित प्रस्तावित क्षेत्र)	देशाई शीतागार	900
		आलू	600 (अनुमानित प्रस्तावित क्षेत्र)	एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक विदेशी कंपनी मेकेन इंडिया लि. ने राज्य विपणन बोर्ड को संविदा खेती के उनके करार को पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ने अनुमति दें दी है।	700
6.	मध्य प्रदेश	कपास	3314	मैसर्स प्रतिभा सिंटैक्स लि., इंदौर	2168
7.	ओडिशा	कपास		किसी प्रायोजक ने संविदा खेती का नवीकरण नहीं किया है।	
8.	महाराष्ट्र	कपास	4829	श्री गनपत	2065
		कपास	29689	श्री मातोश्री काटन प्रा.लि., मलकोर	13620
		कपास	6299	एनसीसी श्री काटन प्रा.लि., हिवरखंड	2352
		कपास	9020	मैसर्स अरविंद	4716

1	2	3	4	5	6
		कपास	5452	एनसीसी जयलक्ष्मी फाइबर प्रा.लि. धुले	2488
		कपास	6050	एनसीसी नरसिंह प्रा.लि. पाथरी	170
		केला	1822	मैसर्स पैपसिको इंडिया	1461
9.	कर्नाटक	राज्य में एपीएमसी के साथ कोई पंजीकरण नहीं किया गया।			
10.	आंध्र प्रदेश	कपास	3.2 लाख हैक्टेयर	एनएसएल काटन निगम लि. और मैसर्स एनएसएल टैक्सटाईल्स लि., गुन्टूर	2.5 लाख
11.	असम	कोई कंपनी आगे नहीं आई है।			

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना (2012)

[अनुवाद]

बाजार हस्तक्षेप योजना

1840. श्री निशिकांत दुबे : क्या **कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के अंतर्गत कृषि और बागवानी सामग्री की खरीद के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी निधि के लिए झारखंड राज्य सरकार का कोई अनुरोध केन्द्र सरकार के पास अभी भी लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह निधि कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को कृषि एवं बागवानी जिंसों की खरीद के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों को एमआईएस के कार्यान्वियन के संबंध में उठाई गई क्षतियों की क्षतिपूर्ति निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार की है:—

वर्ष	राज्य सरकार/एजेंसी	जिंस	राशि (करोड़ रुपए में)
2009-10	मिजोरम	इसकुट (चाउ-चाउ)	0.66
2010-11	हिमाचल प्रदेश	सेब	1.90
2011-12	आन्ध्र प्रदेश	आयल पाम	1.66

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7592/15/12]

(2) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7593/15/12]

(3) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7594/15/12]

...*(व्यवधान)*

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 21011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7595/15/12]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7596/15/12]

(2) (क) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7597/15/12]

(3) (क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7598/15/12]

(4) (क) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7599/15/12]

(5) (क) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और उसकी समनुषंगी कंपनी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) एमएसटीसी लिमिटेड कोलकाता और उसकी समनुषंगी कंपनी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7600/15/12]

(6) (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7601/15/12]

(7) (क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7602/15/12]

(8) (क) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7603/15/12]

(9) (क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7604/15/12]

(10) (क) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7605/15/12]

...*(व्यवधान)*

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7606/15/12]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागारण व्यवसाय के अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण) विनियम, 2012 जो 21 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7607/15/12]

(2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान संशोधन नियम, 2012, जो 4 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 668(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7608/15/12]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7609/15/12]

(2) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7610/15/12]

...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इंडियन इंस्ट्यिूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्ट्यिूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7611/15/12]

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 386 की उपधारा (2) के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (परिषद् की बैठकों में गणपूर्ति) नियम, 2012, जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 658(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7612/15/12]

...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7613/15/12]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्ट्टियूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिजएबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्टियूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिजएबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7614/15/12]

...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7615/15/12]

...*(व्यवधान)*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : मैं, अपने साथी श्री तुषार भाई चौधरी की ओर से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 23 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7616/15/12]

(दो) केन्द्रीय मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7617/15/12]

(तीन) केन्द्रीय मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 25 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7618/15/12]

(चार) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 8 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 625(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7619/15/12]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : मैं, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 2012 जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 744(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2012 जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 745(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7620/15/12]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) केसर श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2012 जो 18 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित थे।

(दो) मसाला श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2012 जो 24 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7621/15/12]

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2013(अ) जो 31 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7622/15/12]

(3) (एक) स्मॉल फार्मस एग्रीबिजनेस कंसोरटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मस एग्रीबिजनेस कंसोरटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7623/15/12]

(4) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7624/15/12]

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012

के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7625/15/12]

(6) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7626/15/12]

(7) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यू ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7627/15/12]

(8) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7628/15/12]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नाईक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7629/15/12]

अपराह्न 12.05 बजे

याचिका समिति

22वां और 23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

(1) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर रूपनारायण नदी पर पुल के निर्माण में विलंब के संबंध में लोक सभा सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त हस्ताक्षरित अभ्यावेदन के बारे में 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में के.स.स्वा.यो. की डिसपेन्सरी खोले जाने के संबंध में श्री एस.सी. रस्तोगी और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05¼ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

103वें से 106वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (बर्धमान - दुर्गापुर) : मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) खाद्यान्न-प्रीमियम गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात के बारे में समिति के 98वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 103वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के बारे में समिति के 99वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 104वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 105वां प्रतिवेदन।

(4) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 101वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 106वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05¾ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

181वें से 187वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) : मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) "नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)-मुद्दे और चुनौतियों के बारे में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 181वां प्रतिवेदन।

(2) "भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन के बारे में समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 182वां प्रतिवेदन।"

(3) "पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 177वें प्रतिवेदन

में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 183वां प्रतिवेदन।"

(4) "पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 184वां प्रतिवेदन।"

(5) "नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 185वां प्रतिवेदन।"

(6) "संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 186वां प्रतिवेदन।"

(7) "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 187वां प्रतिवेदन।"

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं, लोक सभा समाचार-भाग-दो, दिनांक 1 सितंबर, 2004 के द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

उपर्युक्त 26वां प्रतिवेदन 8 मई, 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। यह प्रतिवेदन इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में कुल 22 सिफारिशें कीं जिनमें उन मुद्दों की ओर भी संकेत किया गया जिनके बारे में सरकार की ओर से कार्रवाई का आवाहन किया गया है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी वक्तव्य 26 सितंबर, 2012 को कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है, जिसे एतद् द्वारा लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। मैं अनुबंध में दी गई समस्त विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे सदन में पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.06½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 30 नवम्बर, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7630/15/12

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 30 नवम्बर, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सुशील कुमार शिंदे) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता 1860 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 12:30 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 04.12.2012 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 पुन: समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया बैठ जाइये। अब सभा 'शून्य काल' प्रारंभ करेंगे।

श्री एस. अलागिरी – अनुपस्थित।

श्री रुद्रमाधव राय।

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल) : पासदीय पत्तन न्यास तथा नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि; (नाल्को), मधनदी कोलफील्ड्स लि; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., इंडियन ऑयल लि., सरीखे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने, मात्र राष्ट्रीयवृत बैंकों में दी धनराशि रखने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों के कारण ओडिशा स्टेट को-आपरेटिव बैंक एवं इसके संबद्ध जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में अपना आधिक्य धनराशि का निवेश करने से मना कर दिया है। इस बारे में यहां यह उल्लेखनीय है कि ओडिशा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक अनुसूचित बैंक है तथा उसकी स्थिति राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान ही है। इसके अलावा, यह बैंक सहकारी क्षेत्र में एक सर्वाधिक सफल संगठन रहा है और 1948 में अस्तित्व में आने के समय से ही लाभार्जन कर रहा है। विभिन्न वित्तीय मापदंडों में बैंक के इतिहास को देखते हुए एवं इसके द्वारा राज्यों को अग्रिम तौर पर कुल फसल ऋण के 70 प्रतिशत को संवितरित किये जाने के अंश दृष्टिगत, बैंक में अधिक्य धनराशि का निवेश न किये जाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये जारी निषेधात्मक आदेशों को वापस लिया जाना चाहिये।

इसके अलावा, तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ग्राहकों द्वार जारी चेक एवं ड्राफ्ट सरीखी परक्राम्यलिखत स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसके लिये पेट्रोलियम कंपनियों के डीलर सहकारी बैंकों से ग्राहक के रूप में अपने संबंधों को समाप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अत्यधिक महत्व दे रही है

और उसने तीन वर्षों के भीतर कृषि ऋण को दोगुना किये जाने की घोषणा की है, तो संबंधित सरकारी विभागों द्वारा जारी आदेश के आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किये जाने वाले विभेदी कवधर को समाप्त किया जाये।

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं इस सम्मानीय सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी का दृष्टिकोण हास्यास्पद है कि वह गुन्टुर ज़िले में 1500 मिर्च उत्पादकों को मुआवज़े का भुगतान नहीं कर रही है।

किसानों ने लगभग 85,000 बोरे मिर्च गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश में दो शीतभांडागारों में रखे दिये हैं। दुर्भाग्यवश, उपरोक्त शीतभांडागारों में आग लग गई थी जिसमें समूचा स्टॉक जलकर खाक हो गया। इन स्टॉक का नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी एवं ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कंपनी के साथ लगभग 60 करोड़ का बीमा था। ओरियंटल इन्श्योरेन्स कंपनी ने मुआवजे का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है, जबकि नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी ने मात्र 4 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है।

अतः, अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री तथा वित्त मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि वे इस मामले में कृपया हस्तक्षेप करके नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी को काफी समय से देय मुआवज़े का भुगतान करने का निदेश देकर निर्दोष एवं अनपढ़ किसानों की शिकायत का निराकरण करें तथा राज्य सरकारों पर इस बाबत दबाव बनायें कि वे इस बात की ओर ध्यान दें कि ये भुगतान शीघ्र दें।

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : माननीय सभापति महोदय, मेरा शून्य काल का विषय विधवा महिलाओं से संबंधित है। भारत में आज भी विधवा महिलाएं अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कठिन परिस्थितियां हैं। जब हम लोग गांवों में दौरे पर जाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में विधवा महिलाएं हमारे सामने आती हैं। विधवाओं के संदर्भ में भारतीय समाज आज भी संकीर्ण मानसिकता से उभर नहीं पाया है। विधवा शब्द ही अपने आप में वेदना का पर्याय परिलक्षित होता है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही इन महिलाओं के लिए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में जब-तब सड़कों पर आंदोलन करके केन्द्र का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन विधवा महिलाओं को राज्य सहायता के रूप में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन के रूप में यह राशि दी जाये और इसमें किसी प्रकार की भी जाति और उम्र का बंधन न हो। इसमें कोई जाति और उम्र का बंधन नही होना चाहिए। साथ ही इतनी ही राशि संबंधित राज्य सरकार से भी दिलवाने के लिए कोई नियम पुनरीक्षित किया जाये, यह मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सज्जन वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे को निम्नलिखित सदस्यों के नामों के साथ संबद्ध किया जाए:

1. श्री वीरेन्द्र कुमार
2. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय
3. श्रीमती ज्योति धुर्वे
4. श्री अर्जुन राम मेघवाल
5. श्री रवीन्द्र पाण्डेय
6. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण
7. श्री शिवकुमार उदासी
8. श्री देवजी एम. पटेल
9. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी
10. श्री पन्ना लाल पुनिया

श्री एम.आई शानवास (वायनाड) : आदारणीय सभापति महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान एक बहुत गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा जो न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में से संबंधित है अपितु भारत में सर्वत्र फैल रहा है। यह मुद्दा मानव-पशु विवाद से संबंधित है।

जनसंख्या के घनत्व में विस्फोट के कारण लोग जंगलों की ओर जा रहे हैं और बाघ, हाथी, बंदर, हिरण और जंगली बकरी जैसे जंगली रिहायशी जानवर क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और धान के खेतों, वनस्पति और यहां तक कि मनुष्यों पर भी हमले कर रहे हैं। लगभग तीन सप्ताह पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घटना

[श्री एम.आई शानवास]

हुई। दो बाघ छूट गए थे। एक बाघ ने गायों और भेड़ों पर हमला किया। इसे पकड़ा गया, पिंजरे में बंद किया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। लगभग तीन सप्ताह पहले एक और बाघ जंगल से बाहर निकल आया और घरेलू जानवरों पर हमले करने लगा। गाय और भेड़ मार दिए। उसको पकड़ने के लिए एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया था। इसे बेहोश किया गया परंतु इससे बाघ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह लोगों पर हमले करने शुरू कर दिये। अंत में उसे मार दिया गया था। प्रश्न यह है कि किसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बाघ, हाथी अथवा जंगली जानवरों का जीवन महत्वपूर्ण है अथवा किसी मनुष्य का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है? इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा एक स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। राज्य सरकार ये सब नहीं कर सकती। गहरी खाईयां बनाई जानी चाहिए। बड़ी दीवार और चारदीवारी बनाई जानी चाहिए। स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी है कि मनुष्य और जानवर के बीच परस्पर विरोध बढ़ता जा रहा है और लोग उनके शत्रु बनते जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसे जानवरों को गोली मार देनी चाहिए। किन्तु हमें जानवर और जंगल के जीवन का संरक्षण करना है। इसलिए, केन्द्र सरकार को सभी सावधानियां बरतनी चाहिएं और एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए ताकि ये जानवर रिहायशी क्षेत्रों में न आए।

सभापति महोदय : श्री एम.आई. शानवास द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने के लिए श्री एम.बी. राजेश तथा श्री पी.के. बिजू को अनुमति दी जाती है।

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सभा का ध्यान दक्षिणी रेलवे के कतिपय मुद्दों की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदय, दक्षिणी रेलवे भारतीय रेलवे को अधिक राजस्व देता है। विशेषकर, मदुरई मंडल दक्षिणी रेलवे को अधिक से अधिक राजस्व देता है। राजापालयम रेलवे स्टेशन मदुरई मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। राजापालयम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि राजापालयम रेलवे स्टेशन को एक आधुनिकी रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नत किया जाएगा। महोदय, एक आधुनिक रेलवे स्टेशन में अनेक सुख-सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। विशेषकर, एक विश्राम कक्ष की सुविधा होनी चाहिए। प्लेटफार्म सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए। यदि ये सुविधाएं दी जाएंगी तभी इसे एक आधुनिक रेलवे स्टेशन कहना स्वीकारणीय होगा। परंतु इसके विपरीत, राजापालयम रेलवे स्टेशन में इस प्रकार की कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

प्रतिदिन दो हजार दो सौ पचास से अधिक यात्री स्टेशन का प्रयोग करते हैं। परंतु यहां कोई समुचित प्लेटफार्म सुविधा नहीं है। प्लेटफार्म पर्याप्त रूप से लंबे नहीं हैं। कई रेल के डिब्बों में प्लेटफार्म के बाहर से ही चढ़ पाते हैं। रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए यात्रियों को अपने घरों से सीढ़ियां लानी पड़ती हैं। यहां कोई उपयुक्त छत नहीं है। यहां कोई विद्युत प्रकाश नहीं है। आजकल तमिलनाडु में बहुत बड़ा बिजली का संकट है। अतः, यात्रियों को अंधेरे में ही रेलगाड़ी में चढ़ना पड़ता है। उन्हें रेलगाड़ी में मौजूदर प्रकाश पर ही निर्भर रहना पड़ता है और तो और, यात्रियों द्वारा केवल एक प्लेटफार्म का ही उपयोग किया जाता है।

एक और प्लेटफार्म भी उपलब्ध है जिसमें एक रेलवे प्लेटफार्म के लिए आवश्यक न तो छत है और न ही अन्य सुविधाएं। यह उपयोग करने के लिए ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्लेटफार्म समुचित आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। अतः, महोदय, मैं इस सभा के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि राजापालयम रेलवे स्टेशन को एक आधुनिक स्टेशन के रूप में घोषणा करने वाली भारतीय रेल को स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं देने और अवसंरचना को उन्नत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर) : महोदय, तमिलनाडु में, कुड्डालोर जिला मुख्यालय है परंतु कुड्डालोर जंक्शन में, थिरुयेंधुर रेलगाड़ी जैसी प्रतिष्ठित रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं है। इसकी संख्या 16735 और 16736 है। यह एक पत्तन जंक्शन हैं। वहां पर तीन छोटे पत्तन हैं। इसके पास बड़े पार्किंग क्षेत्रों के साथ-साथ 159 एकड़ भूमि और 95 रेलवे आवास हैं। परंतु थिरुयेंधुर रेलगाड़ी का ठहराव नहीं है। यहां पर सिपकॉट उद्योग, कैमप्लास्ट, सान्मेर, शसुन कैमिकल्स, टनफैक, नागार्जुना ऑयल कार्पोरेशन, लॉयल सुपर फैब्रिक्स, गुड अर्थ शिपिंग कंपनी, आई.एल.एफ.एस, बी.जी.आर थर्मल पॉवर स्टेशन आदि जैसी बहुत सी प्रमुख कंपनियां स्थित हैं। परंतु बहुत सी रेलगाड़ियों का यहां पर कोई ठहराव नहीं है।

अतः, हम चाहते हैं कि थिरुयेंधुर रेलगाड़ी कुड्डालोर जंक्शन और पनरुति पर रूके। यह हमारा प्रमुख अनुरोध है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दक्षिणी रेलवे में, कोई महाप्रबंधक नहीं है। दक्षिणी रेलवे बिना किसी महाप्रबंधक के ही चल रही है। हम किसी उच्च अधिकारी से संपर्क नहीं कर पाते हैं। यदि हम मंडल-प्रबंधक से बात करते हैं, तो वह हमसे अनुरोध करता है कि महाप्रबंधक से बात कीजिए परंतु कोई महाप्रबंधक है ही नहीं। महाप्रबंधक बैंगलुरु में है और वह दक्षिणी रेलवे का प्रभावी है। अतः, रेल मंत्री महोदय को दक्षिण रेलवे का ध्यान रखना चाहिए। यदि संसद सदस्य किसी स्पष्टीकरण के लिए अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो वे इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं।

इसलिए, मैं माननीय पीठ से अनुरोध करता हूं कि रेल मंत्री महोदय को हिदायत दें कि वह दक्षिण रेलवे को अपनी रेलवे का ही हिस्सा समझें। अतः, उन्हें एक महाप्रबंधक की नियुक्ति तुरंत करनी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

सभापति महोदय : श्री पी.एल. पुनिया को अनुमति दी जाती है कि वह श्री एस. अलागिरी द्वारा उठाए गए मामले के साथ संबद्ध स्वयं को करें। श्री मजूमदार, आप बाद में जारी रख सकते हैं। मैं कुछ समय पश्चात् आपको अवसर दूंगा।

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज) : सभापति महोदय, मुझे इस सम्मानित सभा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मयूरभंज, ओडिशा में सेल द्वारा हरित-क्षेत्र इस्पात कारखाना परियोजना की स्थापना करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा कम से कम 1500 एकड़ उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि यह ओडिशा में सबसे बड़ा जिला है और प्रत्येक परिवार राष्ट्रहित के लिए अपनी जमीन का टुकड़ा दान करने हेतु तैयार है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय इस्पात मंत्री ने मेरे अतारांकित प्रश्न सं. 2773 के उत्तर में स्वयं स्वीकार किया था और सही कहा था कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मयूरभंज के बामनघाटी ताल्लुका में लगभग 25,803 मीलियन टनों के उच्च ग्रेड कच्चे लोहे का भारी भंडार है। मुझे इसमें यह जोड़ना नहीं भूलना चाहिए कि कच्चे माल के परिवहन के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 और रांची-विजयवाड़ा नामक एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे जिले के बीचोंबीच से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा, रुपसा-बांगरीपोसी, टाटा-बादामपद नामक स्थानों को जोड़ने वाली रेलवे लाईनें और बुरामारा-चाकुलिया से टाटा-खड़गपुर तक नया संपर्क धामारा, पारादीप और हल्दिया बन्दरगाह से संपर्क को आसान बनाने हेतु सेल के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए सभी उपयुक्त आवश्यकताओं की उपलब्धता को देखते हुए, मैं, आपके माध्यम से, माननीय इस्पात मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि योजना बनाई जाए और मेरे जिले में एक हरित-क्षेत्र इस्पात कारखाना स्थापित किया जाए। मुझे भी विश्वास है और मैं सरकार को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेरे राज्य की सरकार इसके लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह परियोजना न केवल एक मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इससे जनजातियों और पिछड़े लोगों का सामाजिक-आर्थिक स्तर सुधारने और मेरे जिले के गरीब बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने में भी सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय : निम्नलिखित माननीय सदस्यों को श्री लक्ष्मण टुडु द्वारा कही गई बात से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

1. श्री भर्तृहरि महताब
2. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी
3. श्री तथागत सत्पथी

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है। विगत दिनों भारत की तेल कंपनियों ने प्रति परिवार सब्सिडी पर 6 सिलेंडर्स देने का फैसला किया है लेकिन आज भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश हो, छः महीने फ्रीजिंग प्वाइंट पर लोगों को कुकींग और हिटिंग के लिए उस गैस के सिलेंडर दके सिवाय किसी और चीज पर निर्भर नहीं

[श्री जगदम्बिका पाल]

रहना पड़ता है...*(व्यवधान)* आज सब्सिडी पर मात्र छः सिलेंडर्स मिलना और नॉन-सब्सिडी पर सिलेंडर के दाम 950 रुपया है, देश के किसी भी राज्यों में 950 रुपए में यह नहीं मिल रहा है। अगर आप उसे खरीदने जाइए तो आप 1100 रुपए या 1200 रुपए दीजिए तभी वे कहेंगे कि देंगे नहीं तो कहेंगे कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है।...*(व्यवधान)* आखिर यह कौन सी बात है?...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। उनको समाप्त करने दीजिए और तत्पश्चात् आप समर्थन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठता महोदय, इन कंपनियों ने इस नीति को लागू करने के बाद उन्होंने कहा कि केवाईसी फॉर्म जमा करना है उसको हर माह बढ़ा रहे हैं। केवाईसी फॉर्म में यह है कि क्या उनका पता, कनेक्शन सही है या नहीं है?

आज दिल्ली हो या लखनऊ हो, छोटे शहरों में भी एक घर में चार-चार किराएदार रहते हैं और नीति यह है कि एक घर को केवल एक कनेक्शन मिलेगा। चार किराएदार जो नौकरी करते हैं एक घर में रहते हैं, अगर एक ही कनेक्शन रहेगा और तीन कनेक्शंस कट जाएंगे तो उस परिवार को गैस के सिलेंडर्स कहां से मिलेंगे? ...*(व्यवधान)* बिना किसी फैसले के, बिना विचार किए हुए आखिर तेल कंपनियों ने कोई नीति बनाई तो उन्हें कोई विचार करना चाहिए था कि कन्या कुमारी से कश्मीर तक के प्रत्येक परिवारों को, चाहे मेट्रोपोलिटन सिटी हो, छोटे शहर हों या ग्रामीण अंचल हों, लोगों की निर्भरता बढ़नी चाहिए...*(व्यवधान)* आज प्रत्येक परिवार में एक महीने में एक सिलेंडर खर्च होता है।...*(व्यवधान)* प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम 12 सिलेंडर्स होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।...*(व्यवधान)* यह देश का दर्द है। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके दाम बढ़ा दिए जाएं। इस पर कैप न किया जाए।...*(व्यवधान)* जब आम व्यक्तियों के द्वारा यह बात उठती है तो कहते कि साहब, अब हमें उपलब्धता नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार आज इन तेल कंपनियों को निर्देशित करे कि उपलब्धता बनाए। जब से इस नई नीति की घोषणा हुई है, आज वह छः के नाम पर जो देने की बात कर रहे हैं और जो उससे नॉन-सब्सिडी लेना चाहे उसके लिए उपलब्धता नहीं है। उन्हें ब्लैक में सिलेण्डर्स लेने पड़ रहे हैं। यह 950 रुपपऐ में नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)*

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस पर तेल कंपनियां फिर से विचार कर लें। आप इसके दाम बढ़ा लीजिए लोगों को उपलब्धता होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक-एक सिलेण्डर मिलनी चाहिए। यह नहीं कि एक मकान में कई किराएदार रह रहे हों तो उनमें से एक ही व्यक्ति को सिलेण्डर मिलेगा, किसी और को सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस तरह से कनेक्शन विच्छेदन हो रहे हैं। बढ़े पैमाने पर भाईयों में बंटवारा हो गया। यह कहा जाता है कि आप दो भाई हैं, आपका एक कनैक्शन था, दो कनैक्शन कैसे हो गए। एक भाई का कनैक्शन कैंसिल किया जा रहा है। लोग हमें ऐप्रोच करते हैं कि हम अलग हैं, हमारा भाई अलग है। हमारा कनैक्शन इसलिए कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि वह हमारे भाईके पास है। अगर इस तरह परिवारों के गैस कनैक्शन डिसकनैक्ट किए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें कठिनाई होगी। हम अब भी 300 से 400 रुपए तक सब्सिडी दे रहे हैं। जब हमारी सरकार सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है तो तेल कम्पनियों को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सिलेंडी उपलब्ध हो और नान-सब्सिडी सिलेंडर भी तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित दर पर मिलने चाहिए। मैं समझता हूं कि सिलेंडर की कैप निश्चित तौर से कठिनाई का विषय है। अगर इस पर पुनर्विचार हो सके तो मैं आभारी होऊंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री पी.के. बिजू, श्री एम.बी. राजेश, डॉ. अनूप कुमार साहा, श्रीमती सुस्मिता बाउरी, श्री पुलिन बिहारी बासके, डॉ. तरूण मंडल, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल, श्री शिवराम गौडा, श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी, श्री शिवकुमार उदासी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री पी.एल पुनिया, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री कीर्ति आजाद, डॉ. मिर्जा महबूब बेग, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी, श्री मदन लाल शर्मा, श्री के. बापीराजू और श्री गणेश सिंह को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मामले के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आजादी के पश्चात् से सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड गवर्नमैंट कैंसर, हार्ट, किडनी आदि से मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास अस्पताल और स्पैशलिस्ट्स नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब एक स्कीम बनी और अंडमान-निकोबार के सरकारी कर्मचारियों को बैनीफिट मिलना शुरू हुआ। आज दिल्ली में आईएएस, आईपीएस आदि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद स्पैशलिस्ट ट्रीटमैंट के लिए फैसीलिटी मिलती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, वह भी दिल्ली गवर्नमैंट की तरह सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाई है। इसलिए मैंने मई, 2010 की इसी पार्लियामेंट में नियम 377 के तहत मांग की कि गोवा गवर्नमैंट द्वारा 1989 में जो कानून बनाया गया था, उसी तरह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स हैं और जिन लोगों की सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को स्पैशलिस्ट्स ट्रीटमैंट मिले। इस योजना का नाम मैडिक्लेम स्कीम है। इसी तरह अंडमान द्वीप समूह के 3 लाख रुपए सालाना की इनकम के नीचे द्वीपवासियों को तथा रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स को पांच लाख रुपए सालाना इलाज का बैनीफिट मेनलैंड चेन्नई और कोलकाता में इलाज करने के लिए मिलेगा, यह स्कीम बनी और फाइल चलती रही। वर्ष 2010 में मैंने संसद में इस मुद्दे को रेज़ किया था। मैंने मांग की थी कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सालाना बजट 3200 करोड़ रुपए है जिसके अनुसार साल में एक आदमी पर 80 हजार रुपए का खर्च बैठता है और इस स्कीम के लिए केवल 15-20 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। मैंने वर्ष 2010 में मांग की, 2011 में टैक्नीकल बिड खोली गई, कमर्शियल बिड खोली गई और छः महीने बाद फरवरी, 2012 आ गया। आज तक इस स्कीम की फाइल मूवमैंट में है। मेरी सरकार से मांग है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि प्रशासन अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में लाभार्थी के बीच में ब्रिटिश की तरह डिवाइस एंड रूल कर रहा है। द्वीप समूह के लोगों के नाम पर प्री 42, सैटलर और नान-सैटलर के आधार पर बहुत लाभार्थी को छोड़ने जा रहा है।

हमारी मांग है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जितने भी लोग हैं, जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से नीचे है, जिन्होंने पंचायत और पार्लियामेंट में वोट दिया है, उन द्वीपवासियों तथा रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स के लिए यह स्कीम लाकर तुरंत इम्प्लीमैंट करें, क्योंकि राज्य हर साल रुपया सैरंडर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार से मांग करूंगा कि अंडमान-निकोबार में एक्सप्रैस ट्रेन की तरह इस स्कीम को जल्दी इम्प्लीमैंट किया जाए।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पिछले 16 दिनों में बांकुर जिले के संसद सदस्य श्री बाबूलान मरांडी, जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, धरने पर बैठे हैं। एक पैन-ऐम नाम की कम्पनी है जो वहां के गरीब आदिवासी लोगों को विस्थापित करके तंग कर रही है। पिछले 16 दिनों से राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। पैन-ऐम कम्पनी मिनरल डैवलपमैंट कार्पोरेशन के साथ ज्वाइंट वैंचर के तहत सांठ-गांठ करके रोज चार करोड़ के कोयले की चोरी कर रही है।

इसी तरह हर जगह गरीब आदिवासी लोगों को तंग किया जा रहा है। झारखंड में सोलह दिनों से रेल को रोका जा रहा है। वहां कोयला नहीं निकल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पैन-ऐम कम्पनी के पदाधिकारी, राज्य सरकार के पदाधिकारी और वहां के विस्थापित आदिवासी, राजमार्ग बचाओ आंदोलन की एक संघर्ष समिति थी, वहां से एक मेमोरंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसमें कम्पनी द्वारा एग्री किया गया कि वे इलैक्ट्रीसिटी, बिजली, स्कूल वगैरह की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए करेंगे। कोयला तो निकलता गया, लेकिन अभी तक एक ईंट भी उस कम्पनी द्वारा नहीं लगायी गयी, यानी कोई काम नहीं हुआ। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां गरीब लोगों को हक दिलाने में सरकार की कोई इच्छा नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : आप सरकार से क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। व्यवधान न डालें। श्री अजय कुमार के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। डॉ. अजय कुमार के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये। कृपया उनके भाषण के बीच व्यवधान न डाले करे। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार : निशिकांत दुबे जी, आप इस विषय को अलग से उठा लीजिए।...*(व्यवधान)* निशिकांत जी आप हमें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि इस कम्पनी के खिलाफ एक जांच टीम बैठायी जाये कि किस तरह से ये गरीब लोगों को दबा रहे हैं। हमारा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस कम्पनी का कौन्ट्रेक्स कैंसिल किया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पन्ना लाल पुनिया को श्री अजय कुमार द्वारा उठाये गये मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : यह बात सही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाटा) : आदरणीय सभापति महोदय, इस सम्मानित सदन में उपस्थित हम सभी को यह ज्ञात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकली करंसी नोटों के बंडल धड़ल्ले से परिचालित किये जा रहे हैं। इन करंसी को भारत के पड़ोसी देशों नामत: बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से तस्करी के ज़रिये लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि नकली नोटों को देश की बैंकिंग व्यवस्था में खपया जाता (चैनलाइज़) है। एटीएम मशीनों से भी वे नोट निकलते हैं। आम आदमी नकली और असली नोटों में अंतर नहीं कर पाता। नकली नोटों की पहचान की सुगमता से नहीं हो पाती। इस प्रकार से जब हम एटीएम से हज़ार रुपए अथवा पांच सौ रुपए के नोटों को निकालकर सामान खरीदने बाज़ार में जाते हैं तो अनभिज्ञता एवं अनजाने में पकड़े जाते हैं। उस समय जब नकली नोटों का पता चलता है तो हम असहाय हो जाते हैं। पुलिस हमें गिरफ्तार करती है अथवा उत्पीड़ित करती है। यह एक समस्या बन चुकी है। बेकसूर लोगों को इस वजह से बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। अत:, मेरे विचार में, एटीएम मशीनों की देखरेख में लगे बैंक कर्मचारी अथवा एजेंसियां ही इस कदाचार में वास्तव में संलिप्त होते हैं। इसकी जांच अवश्य ही की जानी चाहिये। जब करंसी नोटों का रिजर्व बैंक से निर्गम किया जाता है तो उनकी समुचित जांच-परख होनी चाहिये। एटीएम मशीनों की देखरेख में लगी एजेंसियों पर भी निगरानी रखी जाये ताकि वे नकली नोटों का असली नोटों के साथ धालमेल न कर पायें। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का हमारी अर्थव्यवस्था पर से विश्वास उठ जायेगा और वह धराशायी हो जायेगी। यदि नकली करंसी का परिचालन बदस्तूर जारी रहा तो भविष्य में जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार विशेषकर वित्त मंत्रालय, सतर्क हैं। और इस विनाशकारी कृत्य पर लगाम लगाने के लिये समुचित कदम उठायें। इन्हीं शब्दों के साथ, इस सभा में इस अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाने की मुझे अनुमति दिये जाने हेतु मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री जनार्दन स्वामी, श्री पी.के. बिजू, श्री शिवकुमार उदासी और श्री देवजी एम. पटेल को श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा उठाये गये मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। देश में गैस के कुओं की खुदाई के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों पर प्रकाश डालने वाली एक विस्तृत जानकारी इस देश की एक महत्वपूर्ण वीकली ने प्रकाशित की है कि प्रदेश की सरकार का इसमें इन्वाल्वमैंट है। वे अक्सर दावा करते हैं -मी खातो न

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

थी, अनी खावा नूं देतो न थी। इसका मतलब यह है कि मैं खाता नहीं हूं और खाने भी नहीं देता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1:00 बजे

सभापति महोदय : केवल श्री संजय निरुपम जी का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम : लेकिन गुजरात की सरकार ने जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन के माध्यम रसे केजी बेसिन में 20,000 करोड़ रुए का एक प्रोजेक्ट बनाया और बाराबडोस, जो एक टैक्स हैवेन्स है जो फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जानी जाने वाली जगह है, उस जगह पर रजिस्टर्ड एक फर्जी कंपनी को दस प्रतिशत का स्टेक दिया, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया। दस प्रतिशत स्टेक देने के बाद उस कंपनी को कहा गया कि आप अपना हिस्सा इसमें डालिए, उस कंपनी ने नहीं डाला। गुजरात सरकार ने स्वयं 20,000 करोड़ रुपए का जो दस प्रतिशत हिस्सा होता है - 2000 करोड़ रुपए, अपनी तरफ से डाले। वह कंपनी वन-मैन्ड कंपनी, सिंगल-मैन्ड कंपनी है, उस कंपनी से गुजरात सरकार का,...*(व्यवधान)* रिश्ता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस कंपनी के साथ जो घोटाला हुआ, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। गुजरात सरकार के लोग, गुजरात सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारा चेहरा दूध का धुला है, लेकिन यह दूध का धुला नहीं, गैस के कुएं में पूरा चेहरा काला हुआ पड़ा है। बीजेपी के ऐसे काले चेहरे की जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच कराने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से कर रहा हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. विजय कुमार पांडे को श्री संजय निरुपम द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 01.02 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** - *पीठासीन हुईं*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं बीस मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जायेंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर पटल पर रख दी गई है। शेष व्यपगत माने जायेंगे।

(एक) महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे के रत्नागिरी और मडगांव खंडों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री निलेश नारायण राणे (रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग) : मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान कोंकण विशेषकर रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग में रहने वाले लोगों की परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि कोंकण रेलवे के रत्नागिरी और मडगांव खंड के मध्य भारी रेल यातायात के बावजूद ठहराव न होने के कारण है। कोंकण रेलवे में केरल, कर्नाटक एवं गोवा को जाने वाली एवं वहां से आने वाली समस्त रेलगाड़ियां रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से होकर गुजरती हैं किन्तु बढ़ते रेल यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने बाबत इस खंड में पर्याप्त ठहराव नहीं दिये गये हैं।

पोरबंदर-कोच्चिवेली एक्सप्रेस नामक एक साप्ताहिक रेलगाड़ी,

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री निलेश नारायण राणे]

जिसकी जल्द ही शुरूआत होने की घोषणा पश्चिम रेलवे ने की थी, का रत्नागिरी एवं मडगांव खंड पर ठहराव नहीं है। इसके अलावा, इस वर्ष के रेल बजट में कोंकण रेलवे मार्ग पर प्रस्तावित दो नई रेलगाड़ियों, नामतः दादर-तिरुनेलवेल्ली एक्सप्रेस तथा दाया-मड़गांव एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, का महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी एवं मड़गांव खंड के मध्य कोई ठहराव नहीं है। इससे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के लोगों, जिनके लिये कोंकण रेलवे वास्तव में जीवन रेखा है, को अत्यंत निराशा हुई है।

अतः, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन से मेरा आग्रह है कि कोंकण के लोगों के हित इस मामले को गंभीरता से लिया जाये और रत्नागिरी-मड़गांव रेल लाइन पर चलने वाली समस्त एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव दिया जाये।

(दो) केरल के थ्रिसूर जिले में चालाकुडी के निकट कोरेट्टी लेप्रोसी हॉस्पिटल में थ्रिसूर जिले के लिए स्वीकृत सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल को आरंभ किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) : भारत सरकार ने केरल के थ्रिसूर जिले को एक सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल आबंटित किया है। थ्रिसूर जिले में चालाकुडी के निकट गवर्नमेंट हॉस्पीटल कोरेट्टी में एक सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल को आरंभ करने का प्रस्ताव डीएमओ, थ्रिसूर के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। गवर्नमेंट लेप्रोसी हॉस्पीटल कोरेट्टी में सामान्य नर्सिंग और प्रसूति-विद्या (जीएनएम) के विद्यार्थियों हेतु शिक्षण ब्लॉक और छात्रावास के प्रस्तावित निर्माण के लिए केरल लोक निर्माण विभाग भवन निर्माण प्रभाग थ्रिसूर ने विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया है। तथापि, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी गई है। चूंकि केरल एक ऐसा राज्य है जहां हजारों विद्यार्थी अपने नर्सिंग अध्ययन के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। यदि कोरेट्टी में सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल अस्तित्व में आ जाए तो यह केरल के नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। भारत, खाड़ी देशों और अन्य पश्चिमी देशों के अधिकांश अस्पतालों में केरल की नर्सें एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। वे हमारे देश में विदेशी बड़ी मात्रा में मुद्रा भी अर्जित करती हैं। गवर्नमेंट लेप्रोसी हॉस्पीटल कोरेट्टी के पास अब अंतरंग रोगियों के लिए 650 बिस्तरों की सुविधा है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के सन्निकट 112 एकड़ भूमि पर बने परिसर में चलाया जा रहा है।

अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल, जिसे पहले ही लेप्रोसी हॉस्पीटल कोरेट्टी में थ्रिसूर जिले के लिए स्वीकृत किया जा चुका है को आरंभ किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए और जितना जल्दी हो सके सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल के लिए पप्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि भी प्रदान करें।

(तीन) बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को न्यूनतम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक स्तर का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : आन्ध्र प्रदेश में अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज अत्यंत मुश्किलों का सामना कर रहें है और बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि विद्यार्थी इन कॉलेजों को ज्वाइन करने में इच्छुक नहीं है। यद्यपि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना के द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, फिर भी हजारों सीटें खाली पड़ी हैं।

युवा विशेषकर विद्यार्थियों की राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निजी वोकेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजों के सहयोग से कार्यक्रम बनाकर उनकी व्यवसायिक कौशल को बढ़ाया जाना चाहिए। एआईसीटीई देशभर में नीतियों को कार्यान्वित कर रही है और अधिक से अधिक व्यवसायिक प्रशिक्षण कॉलेजों को अनुमति दे रही हैं परंतु कॉलेजों के खराब निष्पादन के कारण विद्यार्थी दक्षता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को एक मुख्य कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तरदायित्व लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे ऐसे युवा निकल कर आए जो अत्यंत सक्षम और उच्च योग्यता वाले तथा जिनका लक्ष्य केन्द्रित हो।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए एआईसीटीई को इंजीनियरिंग कॉलेजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने और उनके गिरते स्तर को रोकने के लिए

उत्तरदायित्व लेना चाहिए और इसके लिए आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा को मजबूत बनानें के लिए केन्द्र सरकार उच्च विद्यालय स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने पर नियंत्रण रखने के लिए राजीव माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वित कर रही है। इसी तरह "उच्चतर शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ना और उपस्थिति का प्रतिशत" विषय पर सरकार को शैक्षणिक सुधार लाने की आवश्यकता है।

(चार) किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : सरकार ने देश के किसानों को फसल बोने से काटने तक के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शार्ट टाइम एवं लोंग टाइम के आधार पर चला रखी है। इससे किसानों को बहुत सुविधा मिली है एवं साहूकारों से अधिक ब्याज से पैसा लेने की प्रवृत्ति से मुक्ति मिली है। देश में बिजली, सिंचाई, बीज एवं खाद के दाम काफी बढ़ गए हैं और किसानों की उत्पादन लागत बढ़ी है। जिसके कारण किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाली रकम का मूल्य आज के महंगाई के माहौल में कम हो गया है जिसके कारण दोबारा किसान साहूकार एवं बिचौलियों के चंगुल में फंस सकता है और इससे किसानों के फसल से मिलने वाली रकम उसकी मेहनत के हिसाब रसे कम होगी।

सरकार से अनुरोध है कि देश में जो क्रेडिट कार्ड से किसानों को धन प्राप्ति की सीमा है उसका किसानों के हित एवं देश में खाद्यान्न बढ़ाने की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर पांच लाख की जाए तथा इस पर लिया जाने वाला ब्याज दर को कम किया जाए।

(पांच) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दिल्ली में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : केन्द्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को हैल्थ सर्विसेज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई सी.जी.एच.एस. खुद ही बीमार हो चुकी है। इसकी वजह से दिल्ली और एन.सी.आर. में इस योजना में डॉक्टरों की भारी कमी है। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों को सी.जी.एस.एस. डिस्पेंसरी में इलाज कराने या अपना केस रेफर कराने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं।

दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के तहत डॉक्टरों की 670 प्रोस्ट है और इनमें से 100 के लगभग पद अभी भी खाली है, कुछ नियुक्तियां देने के बाद उतने ही डॉक्टर अब रिटायर होने के कगार पर हैं। यानि हालात फिर जैसे के तैसे रहेंगे। इस स्थिति से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को इलाज तथा दवाईयां लेने के लिए सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी एक बहुत बड़ी जरूरत है। कृपया सरकार इस ओर अपना ध्यानाकर्षित करें।

(छह) तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी पुली थेवन की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर) : पुली थेवन प्रारंभिक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय इतिहास में प्रथम शासक के रूप में माना गया था, जिन्होंने अपने निडर प्रतिरोध से हमारी मातृ भूमि से विदेशियों को बाहर निकालने की लौ लोगों के मन में जगाई थी। उन्होंने नवान और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभी पलक्करों को संगठित किया।

पुली थेवन दक्षिण तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नेलकट्टांचेवल नामक एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही स्वभाव से वह बहुत साहसी और बहादुर थे तथा उन्होंने बड़े ही प्रभावशाली तरीके से ब्रिटिश शासन और नवाब का विरोध किया। 1750 से 1767 की अवधि के दौरान ब्रिटिश उन्हें चुनौती देने में डरते थे। इतिहास में यह बात दर्ज है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उनका संघर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह सहित विभिन्न स्वतंत्रता संघर्षों से कहीं अधिक पहले हुआ था।

स्वतंत्रता के समय से ही देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा राष्ट्र को समर्पित सेवाओ की याद में केन्द्र सरकार ने स्मारकों का निर्माण, मूर्तियों की स्थापना, अवकाश की घोषणा और यहां तक कि उनकी स्मृति में टिकटें भी जारी की हैं। परंतु, केन्द्र सरकार ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम शत्रु पुली थेवन को श्रृद्धांजलि देने के लिए कुछ नहीं किया है।

[श्री मानिक टैगोर]

तमिलनाडु सरकार ने नेलकट्टांचेवल में पुली थेवन के जन्म स्थान में एक स्मारक बनवाया है। इतिहास का स्मरण करते हुए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इतिहास के इस विलक्षण हीरो को देश की ओर से सम्मान देते हुए उनकी प्रभावशाली तस्वीर के साथ एक स्मरणीय डाक टिकट जारी की जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को समय पर जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : भारत सरकार देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड के अंतर्गत राज्य सरकार को धन आवंटित करती है जिससे देश का संतुलित विकास हो सके। परंतु जो धन राज्य सरकारों को आवंटित किया जाता है उन्हें नाहक देरी के साथ रिलीज किया जाता है जिसके कारण पिछड़े क्षेत्रों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला है एवं समय-समय पर बी.आर. जी.एफ. के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है परंतु उसे देरी से किया जाता है। पूर्व में जो सरकार थी उस सवरकार ने दो साल से ज्यादा समय में केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज धनराशि को जारी किया था। मेरा अनुरोध है कि जो राशि पिछड़े क्षेत्र विकास के लिए जारी की जाती है उसका पर्याप्त रूप से समय पर उपयोग किया जा रहा है या नहीं, उसकी निगरानी की जारी चाहिए और स्थानीय सांसदों को बराबर सूचना दी जानी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत जो धनराशि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए जारी की जाती है उसे तीन माह के अंदर जिलों को जारी कर देना चाहिए एवं समय-समय पर उसकी मॉनिटरिंग स्थानीय सांसदों के सुझावों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोका जा सके।

(आठ) हरियाणा के भिवानी जिले में बापोरा गांव में शीघ्र भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : भिवानी जिला, हरियाणा में एक भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई) बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत और खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ था और 10 एकड़ और 5 कनाल भूमि के 33 वर्ष के लिए पट्टा विलेख को तहसीलदार से पंजीकृत कराया गया था और इसे पत्र सं. खेल-सी एंड एम-2010 दिनांक 27 जनवरी, 2010 द्वारा हरियाणा सरकार के पास और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया था। तीन वर्ष बीत चुके हैं, परंतु, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्र को प्रतिष्ठा दिलाई है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा से 48 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और उनमें 11 खिलाड़ी भिवानी से ही थे और उनमें से सात ने 3 स्वर्ण पदकों सहित पदक जीते। गुवांग्झोउ, चीन में, 2010 के एशियाई खेलों में भिवानी के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत, और 2 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। लंदन ओलम्पिक-2012 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मुक्केबाज और एक पहलवान भिवानी से थे। अकोला (महाराष्ट्र) में, 28वीं सब जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, भिवानी से 7 मुक्केबाजों ने भाग लिया और 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर ऑलओवर ट्रॉफी जीती। हाल ही में कनाडा में आयोजित विश्व महिला चैम्पियनशिप-2012 में भिवानी की दो महिलाओं में कांस्य पदक जीते हैं। अत:, यह समय की मांग है कि कृपया इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

इसलिए, मैं भिवानी जिला, हरियाणा में बापोरा गांव में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई) बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूं।

(नौ) झारखंड में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : भारत सरकार के उपक्रमों सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल, डी.बी.सी. एवं कोकारो स्टील प्लांट आदि जो झारखंड राज्य में स्थित है, इनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् धरती पुत्र दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। न तो इन्हें नौकरी दी जा रही है और न ही इन्हें समुचित मुआवजा दिया जा रहा है। इससे संबंधित सरकार द्वारा विस्थापन-पूर्णकाल के नियम तो बने हैं परंतु इसका अनुपालन इन उपक्रमों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो

न तो राज्य सरकार के हित में है और न ही इन उपक्रमों एवं विस्थापितों के हित में है। इस कारण से राज्य में इन्हीं उपक्रमों को अपने कार्य विस्तार के लिए या नए कल कारखाने लगाने में जनता का पारस्परिक सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है जिससे राज्य में उद्योग एवं रोजगार की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है।

अत: मेरी मांग है कि उक्त उपक्रमों को जनहित में विस्थापन-पूर्णदर्शन के नियमानुसार कार्य करने हेतु संबद्ध विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(दस) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : इस साल मानसून बारिस नहीं हुई है। यह माना जाता है कि जब बारिस 10 फीसदी कम होती है तो उसका असर देश की 20 से 40 फीसदी खेती पर पड़ता है और सूखे की सुबगुहाट मिलती है। इस साल हम इस स्थिति से बहुत आगे निकल चुके हैं। सूखे की स्थिति की सबसे बड़ी मार पशुओं पर पड़ती है। इसका मतलब मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि मवेशियों के चारा और पानी की व्यवस्था करने की चुनौती भी सिर पर है। कृषि मंत्रालय ने सूखा प्रभावित राज्यों के लिए डीजल और बीजों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। लेकिन सरकार यह भूल रही है कि योजना बनाने में और उसे किसानों तक पहुंचने में जितना वक्त लगेगा उसके बाद उन बीजों की बुआई की हालत भी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र राज्य के सूखे प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन और राहत कार्य की चुनौती खड़ी कर दी है वही महंगाई से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी किसान तथा मवेशियां सूखे की मार झेल रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों को तुरंत कार्यवाही हेतु स्पेशल पैकेज दिया जाये।

(ग्यारह) राजस्थान में झालावाड़ होते हुए रामगंजमंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : राजस्थान में झालावाड़ होते हुए रामगंजमंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन का निर्माण रेल बजट 2000-01 में प्रारंभ किया गया था। यह मुद्दा 2009 में उठाया गया था क्योंकि निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा था। इस निर्माण के लिए कुल अनुमानित खर्च 723 कराड़ रुपए था, यद्यपि समय बीतने के साथ और स्फीति-विषयक हालातों को देखते हुए निर्माण की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए, रेलवे मंत्रालय को निधियों के आबंटन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस रेल लाईन से रामगंजमंडी के व्यापारियों को सुविधा होगी और मुंबई की मंडियों में सोयाबीन बेचने हेतु वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा। इस रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, झालावाड़ में पुलों तथा रेलवे स्टेशन जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस लाइन के निर्माण कार्य से इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और कनैक्टिवटी का सुधारने में मदद मिलेगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये और कार्य को समाप्त किया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाबा भूतेश्वर, खेरेश्वर, मंदिरों और गंगा घाट को पर्यटन की संभावना वाले स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरख) : मेरा संसदीय क्षेत्र मिसरिख, जनपद सीतापुर (उत्तर प्रदेश) आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां बाबा भूतेश्वर सहित 20 अति प्राचीन मंदिर है। यहां पर नवरात्रों के दौरान अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहां से कुछेक कि.मी. की दूरी पर खेरेश्वर और अश्वत्थामा के भी अति प्राचीन मंदिर हैं। यहां पर भी दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बाबा भूतेश्वर, खेरेश्वर एवं अश्वत्थामा मंदिरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए गंगा घाट सहित इस पूरे क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते

[श्री अशोक कुमार रावत]

हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(तेरह) देश में बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष करने के लिए उनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बैंकों की, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बैंक, किसी भी देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ होता है जिस देश का बैंक जितना संपन्न होगा, उस देश का आर्थिक ढांचा उतना ही मजबूत होगा। उस देश का केन्द्रीय बैंक जिसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, भी मजबूत होगा और देश से मुद्रास्फीति की दर को घटाने का काम करेगा और महंगाई दर भी घटायेगा। सौभाग्य से हमारे देश के बैंक बहुत ही मजबूत स्थिति में है और इसमें इसके कर्मचारियों/अधिकारियों का एक बहुत अहम् रोल है। आज देश में बैंकों का कामकाज बहुत बढ़ गया है, बैंकों का कामकाज शिफ्टों में होने लगा है और उनका काम बहुत ही सघन डयूटी वाला होता है और कार्य की प्रकृति बहुत बोझिल होती है तथा कार्य भी शून्य गलती वाला होता है तथा पूर्णत: परफैक्शन वाला होता है और भारत को आर्थिक शक्ति संपन्न देश बनाने में इनके रोल की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन इनका वेतन, केन्द्र/राजय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के समकक्ष नहीं है और न इन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन केन्द्र/राजय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन के समकक्ष लाये एवम् इन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दें।

(चौदह) कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी का जल तत्काल छोड़े जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम) : कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे ने तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों को इस वर्ष भी प्रभावित किया। उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की फसल की खेती के लिए शुरूआत में इस वर्ष जून में कुछ पानी छोड़ा गया था। कर्नाटक राज्य की अवज्ञा के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निदेशों की अवमानना हुई है। इसके परिणामस्वरूप मेट्टुर बांध में भी पानी की सुलभता नहीं रही है। अब मेट्टुर बांध में पानी की सुलभता 47.66 फुट के इसके न्यूनतम स्तर के विपरीत केवल 16 टी.एम.सी है। पानी की असुलभता के कारण सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मेट्टुर बांध के दूसरी ओर जलाशय क्षेत्र, जोकि तिल जैसी सूखी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है, भी प्रभावित हुआ है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थिति और अधिक बदतर हो चुकी है जिसके कारण विशेषकर नागाई और नागापट्टिनम जिलों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने के कारण निराशा और हताशा में किसानों के मन में गंभीर दबाव और तनाव पैदा कर दिया है। विशेषकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने के कारण खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। कावेरी डेल्टा के किसानों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार को तुरन्त 52.8 टी.एम.सी पानी छोड़ने की हिदायत देते हुए केन्द्र द्वारा इस भयावह स्थिति की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की पहल पर 29.11.12 को आयोजित वार्ता के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए 52.8 टी.एम.सी पानी को तुरंत छोड़ने के अनुरोध को भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा ठुकरा दिया गया है।

(पंद्रह) केरल के थ्रिसूर जिले में वाडाक्कुनचेरी तालुके के एरमपेट्टी ग्राम पंचायत में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : त्रिसूर जिला, केरल में वाडाक्कुनचेरी तालुक के एँरमपेट्टी ग्राम पंचायत में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कए जाने के लिए सरकारी स्वीकृति पहले दी गई थी। तदनुसार एँरमपेट्टी ग्राम पंचायत ने आवश्यक 20 एकड़ भूमि मुफ्त में दे दी थी। परंतु बाद में, केन्द्रीय विद्यालय, नई दिल्ली के उप-आयुक्त कार्यालय द्वारा पत्र सं. एफ-1-9(4) के.वी.एस.ए.डी.एम.एन एक दिनांक 13.2.1998 के अनुसार 1000 स्थानांततरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या की कमी बताते हुए दी गई स्वीकृति को वापस ले लिया गया। वास्तव में, 1000 से अधिक स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी थालापल्ली तालुक (वाडाक्कुनचेरी मुख्यालय) में अर्थात्

वाडाक्कुनचेरी में और उसके आसपास उपलब्ध है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तथ्यों और आंकड़ों की एक विस्तृत जांच कराई जाए और उपरोक्त क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश को कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस की आपूर्ति बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : 1 अगस्त, 2012 को केन्द्र ने के.जी. बेसिन से कुछ अधिक रिलायंस उद्योग गैस को महाराष्ट्र के रत्नागिरि विद्युत संयंत्र को देने का निर्णय लिया था। इस कोटे के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को 6.8 एमएमएससीएमडी-(मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन) गैस प्राप्त हो रही थी। इस नयी कटौती के बाद राज्य को बमुश्किल 1.48 एमएमएससीएमडी गैस मिल रही है। फिर केन्द्रीय अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा गैस की आपूर्ति में कटौती करने के परिणामस्वरूप राज्य के 14 गैस आधारित विद्युत संयंत्र बंद हो गये हैं जिससे 1,174 मेगावाट की स्थापित क्षमता की हानि हुई है जो 27.23 मिलियन यूनिट ऊर्जा के बराबर है। इससे राज्य में विद्युत की कमी हो गई है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये कटौती एवं प्रतिबंध लगाये गये हैं। तालाबों में वर्षा का पानी नहीं आ रहा है इसलिये लगभग सभी जल विद्युत स्टेशन मंद पड़े हैं और किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं एवं उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल रही है। इससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है जिससे आर्थिक मंदी आ रही है। इसी के साथ, राज्य सरकार बिजली की आपूर्ति को सुचारू करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी। उसे केन्द्र से इस बात का आश्वासन भी नहीं मिला कि वह मामले को देखेगी। इसलिये, मैं भारत सरकार से स्थिति में सुधार करने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बहुत अधिक मुकदमें हैं और 2011 में 9 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधियों के 160 पद स्वीकृत हैं और अन्य प्रमुख न्यायालयों की तुलना में इसमें न्यायधीश के पदों की रिक्तियां भी सबसे अधिक हैं। पश्चिम उत्तर के वादकारियों को अपील दायर करने के लिये 600 कि.मी. की यात्रा करनी होती है और इस प्रयोजनार्थ उन्हें पर्याप्त खर्च करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उन्हें न्याय तक पहुंचने में बाधा आती है। जसवंत सिंह आयोग ने 1985 में आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने की संस्तुति की थी। राज्य सरकार ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की स्थापना करने की सिफारिश की थी। विधि आयोग ने अपने 230वें प्रतिवेदन में भी न्याय की त्वरित सुपुदर्गी सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करना इस संबंध में एक मूलभूत कदम होगा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करे तथा देश के विभिन्न भागों में हो रहे आन्दोलन और पुरानी मांगों के मद्देनजर हमारे न्यायालयों के विकेन्द्रीकरण हेतु विधि एवं नीति तंत्र भी तैयार करे।

(अट्ठारह) राजस्थान के दौसा में आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) : राजस्थान के दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर जिलों में वर्तमान में एक भी आकाशवाणी केन्द्र नहीं हैं। इन चारों ही जिलों में प्रदेश की अधिसंख्य जनजाति निवास करती है और ये संपूर्ण क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है। इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत कृषक हैं, जिनके हितों के मद्देनजर रेडियों स्टेशन की महती आवश्यकता है। यहां मुख्यत: गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, बाजरा व दलहन की फसलें होती हैं। आकाशवाणी के माध्यम से नई तकनीकी की जानकारी किसानों को दी जा सकती है। इस क्षेत्र की विशेष सांस्कृतिक धरोहर भी है जिसका प्रचार-प्रसार किया जाना भी आवश्यक है।

दौसा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, कुप्रथाओं, अंधविश्वास और अशिक्षा को खत्म करने के लिए सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के ध्यानार्थ महवा या दौसा (राजस्थान) में एक लोकल रेडियों स्टेशन (एल.आर.एस.) एफ.एफ. या एम.डब्ल्यू केन्द्र खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

अपराह्न 2.01 बजे

मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा कराने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, मद संख्या 28, 29 और 30 पर एक साथ विचार किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं

अध्यक्ष महोदया : आपके इसे किस नियम के अधीन उठा रहे हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : मैं इस नियम 234 के अधीन उठा रहा हूं। मैंने पहले भी इस मुद्दे पर लिखित में एक विवरण प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

मैडम, आज की जो कार्यसूची है उसमें आपने आइटम्स 28, 29 और 30 को एक साथ जोड़ दिया है और यह कहा है कि चर्चा तीनों पर साथ होगी। उसके बाद 184 का वोटिंग होगा और फिर आइटम 29 और 30 पर वोटिंग होगी। मेरा पहला निवेदन आपसे रूल 234 के तहत यह है कि जो मोशन श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री खगेन दास जी मूव करने वाले हैं वह अंडर रूल 184 है। हम सभी जानते हैं कि उसके अंतर्गत जरूरी सार्वजनिक मुद्दों पर आप चर्चा परमिट करते हैं और 184 में फिर वोट होता है। लेकिन 29 और 30 विधायी कार्य हैं इसलिए एफडीआई इन रिटेल को, मल्टीब्रांड रिटेल को परमिट करने के लिए फेमा का अमेंडमेंट हुआ था और वह नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 अक्टूबर 2012 को जारी किया।

जहां तक प्रावधान का सवाल है तो रूल 48 में बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे रूल 234 में स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन्स होंगे, रूल एंड रैगूलेशन्स होंगे, ये सदन के पटल पर 30 दिनों के लिए रखे जाएंगे और 30 दिनों के बाद ही वे प्रभावी हो सकते हैं उसके पहले नहीं और इस सदन के हर सदस्य का यह मौलिक अधिकार है कि वह इस नोटिफिकेशन पर अपना अमेंडमेंट दे और इसकी अवधि 30 दिनों की है। इसमें अभी तक आपके पास दो अमेंडमेंट आये हैं - एक प्रो. सौगत राय का है और श्री हसन खान का है। कार्यसूची में ये दोनों आइटम्स 29 और 30 पर हैं और आपने कहा है कि इस पर चर्चा इकट्ठी होंगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। दो बातों को मिलाकर यह सदन इकट्ठे वोट नहीं कर सकता है, चर्चा भी नहीं कर सकता है। 'फेमा' के रूल्स के अमेंडमेंट के बारे में, मेरा आपसे निवेदन है कि अलग से चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अलग से 30 दिनों के दरमियान वोटिंग होनी चाहिए। मैं चाहूं तो मैं 29वें दिन अमेंडमेंट दे सकता हूं और 30 दिनों का प्रावधान रूल्स बुक में क्यों रखा गया है? 30 दिनों का प्रावधान इसलिए रखा गया कि मैम्बर्स इस पर गंभीरता से विचार करें और विचार करने के बाद अगर उनको लगे कि इसमें उनको संशोधन पेश करना चाहिए तो वे संशोधन पेश कर सकें। अभी अगर किसी माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया भी है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनको आप इकट्ठे होने दें और कभी जैसा नियम कहता है, नेता, सदन से विचार-विमर्श करके एक तिथि निर्धारित हो सकती है कि जिस तिथि पर इन सारे अमेंडमेंट्स पर सदन विचार करेगा और तब उसके बाद वोटिंग होगी। नियम यही कहता है, पृष्ठ 675 में कॉल एंड शकधर की इस पर जो टिप्पणी है, उसको भी मैंने कोट किया है और मैंने स्पष्ट भी किया है कि सदन के माननीय सदस्यों के इस 30 दिन के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में उनको इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को स्वीकार कीजिए और आप रूलिंग दीजिए कि इन दोनों संशोधनों पर आज विचार और वोटिंग नहीं होगी, इनको पेंडिंग रखा जाएगा और 30 दिन की अवधि जब समाप्त होने लगेगी तब इन पर विचार किया जाएगा।

दूसरी बात, जो मैंने कही है कि 30 दिनों का प्रावधान है। सदन के पटल पर इस नोटिफिकेशन को दिनांक 30 नवम्बर को ले लिया गया था। दिनांक 30 नवम्बर से लेकर 20 दिसंबर तक

यह 30 दिनों की अवधि पूरी नहीं होती है और इसलिए हमारे नियमों में है कि इसे आगे बढ़ाया जायेगा। यानी यह अगले सत्र में जाएगा। अगर उसमें भी नहीं होगा तो उसके बाद वाले सत्र में जाएगा और यह हो सकता है कि मानसून सत्र तक जाए। इसलिए इस सत्र में न इस पर आप कृपया करके चर्चा कराएं और न इस पर वाटिंग कराएं। अगले बजट सत्र में इस पर और संशोधनों पर विचार करेंगे। हो सकता है कि मैं भी संशोधन दूं। हो सकता है कि अन्य लोग भी संशोधन दें। उसके बाद नेता, सदन से विचार-विमर्श करके उस पर आप चर्चा कराएं, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैं नियम 234 के अधीन - संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियमों और विनियमों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। 'फेमा' की धारा 48 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि--

"इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुछ तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

आपने नियम 184 के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।

यह भी बताया गया है कि नियम 184 के अधीन प्रस्ताव और अधिसूचना के उपान्तरण के लिये प्रस्ताव एक साथ लिये जायेंगे। अब, इस सभा के प्रत्यक सदस्य को इस अधिसूचना के विलोपन या उपांतरण के लिये संशोधन रखने का अधिकार है और इसके लिये हमारे पास 30 दिन का समय है। अधिसूचना 30 नवम्बर 2012 को सभा पटल पर रखी गई है। यदि उपांतरण के लिये इस प्रस्ताव को नियम 184 के अधीन प्रस्ताव के साथ पारित किया जाता है तो इस सभा के सदस्यों का संशोधन लाने का अधिकार समाप्त हो जायेगा और यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं है।

महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अधिसूचना में उपांतरण के लिये प्रस्ताव जिसे आपने स्वीकृत किया है आज नहीं लिया जाए, इसे तब लिया जाए जब अन्य सदस्य अधिसूचना के उपांतरण या विज्ञापन के लिये अपने संशोधन या प्रस्ताव सभा पटल पर रखेंगे। आप को 30 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करनी होगी। हम अपने संशोधन 29वें दिन भी दे सकते हैं।, अतः, हमारे पास पर्याप्त समय है।

हम संशोधन दे सकते हैं और इन सभी संशोधनों को एक साथ लिया जाना चाहिए और अधिसूचना के आशोधन के लिए प्रस्ताव को आज नियम 184 के अधीन प्रस्ताव के साथ नहीं लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : अध्यक्ष महोदया, 30 दिनों की अवधि सीमा से बाहर है और कुछ सदस्यों ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं नहीं जानता कि क्या किसी सदस्य, जो इसका प्रस्ताव किया है। मैं नहीं जानता कि क्या किसी सदस्य, जो इसका प्रस्ताव करता है, को मना, किया जा सकता है क्योंकि यह उसी विषय पर है। मैं सोचता हूं कि नियम बहुत स्पष्ट हैं और पूर्वोदाहरण बहुत स्पष्ट हैं कि जब किसी विषय पर चर्चा की जा रही हो, निस्सन्देह किसी विषय पर तीन या चार रूपों में चर्चा नहीं होने जा रही है। इसलिए, मैं सोचता हूं कि यह बिल्कुल नियमानुसार है और एक सीमा से बाहर की बात करने वाले माननीय सदस्यगण इसे आज प्रस्तुत कर सकते हैं या कोई सदस्य जो इसे प्रस्तुत करना चाहता है वह इसे प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।...*(व्यवधान* मैं नहीं जानता कि इसमें भ्रम क्यों है। मैं नहीं जानता कि इसमे हिचकिचाहट क्यों है...*(व्यवधान)* आखिरकार, यह एक मत है और इस पर भी मतदान कराया जाएगा...*(व्यवधान)* आप चिन्तित क्यों है?...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : नहीं, यह सदन की प्रक्रिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री कमलनाथ : महोदया, मैं नहीं जानता कि वे अब मतदान से क्यों भाग रहे है...*(व्यवधान)* कृपया मतदान होने दीजिए ...*(व्यवधान)*

महोदया, उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए...*(व्यवधान)* आप मतदान चाहते थे और इसलिए आपको मतदान का स्वागत करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं नहीं जानता कि क्यों वे मतदान से भागने के लिए नियम के पीछे छुप रहे हैं...*(व्यवधान)* मतदान से भागने के लिए नियम के पीछे मत छुपिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, संसदीय अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। संसदीय कार्यमंत्री को संसद के अधिकारों को हनन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। दो सम्मानित सदस्यों ने नियमों का हवाला देते हुए बात कही है, परम्पराओं की बात कही है और बजाय इसके कि संसदीय कार्य मंत्री मंत्री संसद की परम्पराओं का आदर करें, वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह एक्सपंज कर दीजिए।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय को वास्तविक रूप से यह होनी चाहिए कि कोई भी नहीं भाग रहा है। हमारा दृढ़ विरोध हैं और मुझे विश्वास है कि आप चालबाजी से बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे हैं। मुझे विश्वास है, अपनी प्रौद्योगिकी से, वे बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे हैं. ..*(व्यवधान)* बात वह नहीं है।

महोदया, मुद्दा बहुमत या अल्पमत का नहीं है। मेरे आदरणीय मित्र श्री सौगत राय, ने अपना काम किया है, परंतु मुद्दा यह है कि आपको सदस्यों को अपना मन बनाने के लिए 30 दिनों का समय देना ही होगा यह अधूरा है...*(व्यवधान)* मंत्री का चिल्लाना सदन में शोभा नहीं देता। प्रश्न यह है कि उनका निर्णय अधूरा है और चूंकि यह अधूरा है, इसलिए इससे सदन के नियमों का और राकधर की सला का भी उल्लंघन होता है। इसीलिए हम एतराज कर रहे हैं।

कोई भी अपनी स्थिति में नहीं भाग रहा है। यदि वे बहुमत प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो उनसे किसी अन्य जगह लड़ेंगे। उनको उसके बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। हमें पता है कि किस प्रकार चालाकी से उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : अध्यक्ष महोदया, पिछले सप्ताह से इन नियम 184 के अंतर्गत इसकी चर्चा करने के लिए लड़ रहे हैं और हर कोई चाहता था कि इस एफ.डी.आई मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए ताकि देश जान सके कि क्या यह अनिवार्य है या क्या वह उन तक सीमित है जिन्होंने इसे दस लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले अपने राज्यों में स्वीकार करने की इच्छा जताई है। वह बहुत स्पष्ट है।

अब, दोनों तरफ से हम नियम 184 के अंतर्गत इस पर चर्चा के लिए सहमत हो रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है। तत्पश्चात् प्रश्न आता है कि क्या इस पर मतदान होगा या नहीं। उत्तर के अंत में वही कार्य किया जाएगा। परंतु यह समझना होगा कि मद सं.29 और 30 आ गई हैं। और माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सदन के नेता से परामर्श किया जाना चाहिए था।

मैं आपका ध्यान अधीनस्थ विधान के 21वें अध्याय की ओर आकर्षित करता हूं। नियम 235 में, यह कहा गया है: ''अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से, ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाए, विचार करने और उसे पारित करने के लिए, एक दिन या अधिक दिन या दिन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का कोई भाग जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा।" मैं सोचता हूं कि यह नियम 235 के अनुसार है और पूर्णतया संतुष्ट हूं। इसे स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए और नियम 184 के अंतर्गत चर्चा के साथ इस पर आज चर्चा की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : यह बिल्कुल...*(व्यवधान)* और मैं रीइटरेट कर रहा हूं, जो गुरुदास बाबू ने कहा है। नियम 184 का डिस्कशन हमने डिमांड किया है, वोटिंग हमने डिमांड की है और वोट से कोई भाग नहीं रहा है। दिन के अंत में दूध का दूध ओर पानी का पानी हो जायेगा, कौन कहां खड़ा है, वह इश्यु नहीं है, इश्यु रूल 234 का है। रूल 234, रूल 48 और फेमा में हमें तीस दिनों का अधिकार है और यह अधिकार आज समाप्त नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)* यह अधिकार आज समाप्त नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : क्या मैं अब व्यवस्था दे सकती हूं? क्या कोई और है जो कोई राय व्यक्त करना चाहता हो? या, मैं अब व्यवस्था हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदया, जहां तक मैं समझता हूं, सदन के नेता द्वारा दिया गया वक्तव्य 30 दिनों की व्यवस्था (उपबंध) को नही नकारता। अत: यह हमारी मांग है; हमें 30 दिनों का अधिकार है; इसमें कटौती मत कीजिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.21 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

क्रम संख्या 28 में शामिल नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव के साथ क्रम संख्या 29 और 30 में शामिल हेतु प्रस्तावों पर चर्चा करने के संबंध में आपत्ति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैंने क्रम संख्या 28 पर दिए गए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव के साथ क्रम संख्या 29 और 30 में शामिल उपान्तरणों संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा के बारे में उठाई गई आपत्तियों को सुना। मैंने माननीय सदस्य श्री यशवंत सिन्हा जी से प्राप्त पत्र पर भी विचार किया और मैंने आज की कार्यसूची से मद संख्या 29 और 30 के लोप करने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य जी और अन्य माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुना।

इस संदर्भ में, मैं सभा का ध्यान नियम 235 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और जिसे पहले ही पढ़ा जा चुका है, लेकिन मैं इसे पुन: पढ़ना चाहूंगी। इस नियम के अनुसार जब किसी सदस्य द्वारा किसी नियम या विनियम में संशोधन के लिए सूचना दी जाती है तो अध्यक्ष कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सदन के नेता के परामर्श से ऐसे नियम या विनियम के संशोधन पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा वह ठीक समझे निश्चित करे।

श्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा संसदीय पद्धति और प्रक्रिया-कौल और शकधर, पृष्ठ 675 के संदर्भ में उद्धृत पूर्वोद्धाहरण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(2) और मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विहित सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र से अलग हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सभा पटल में रखे जाने संबंधी सूत्र के प्रवृत्त होने से पूर्व संसद के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 48 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र में केवल उपान्तरण या संशोधन का प्रावधान है जो तभी प्रवृत्त होगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा।

सांविधिक अवधि जिसके दौरान कोई सदस्य संशोधन या उपान्तरण पेश कर सकता है, वह अवलिक है। 30 दिन की अवधि जिसके बारे में आप सभी लोग चिंतित थे, वह अविकल है इसे समाप्त नहीं किया गया है। यह अविकल है और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 48 के अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं अत: यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि 30 दिनों की अवधि अविकल है।

जहां तक संशोधन और उपान्तरण पेश करने का संबंध है, इस नियम में या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम या विनियम जिन्हें सभापटल पर रख दिया गया, उन्हें रखे जाने के तत्काल बाद उन नियमों या विनियमों में उपान्तरणों की चर्चा पर प्रतिबंध लगाता हो।

चूंकि मुझे प्रो. सौगत राय और श्री हसन खान से सूचनाएं प्राप्त हुईं, मुझे लगा कि यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि नियम 235 के अधीन मैं इन सूचनाओं पर नेता-सदन से परामर्श करूं। अब मैंने नेता-सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श कर लिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है इस सभा का समय बचाने के लिए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव सहित उपान्तरणों के लिए प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा की अनुमति दी जाए।

माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यद्यपि नियम 184 के अधीन प्रस्ताव को अंगीकार करने का प्रभाव क्रम संख्या 29 और 30 में उपान्तरणों के लिए प्रस्तावों से भिन्न है तथापि 184 के अधीन प्रस्ताव की विषय-वसतु और अधिसूचना के उपान्तरण के प्रस्तावों की विषय-वस्तु एक ही है।

अत: इस विषय पर चर्चा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मैंने अपने विवेक से क्रम संख्या 28 से 30 पर सूचीबद्ध तीनों प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। संयुक्त चर्चा के पश्चात् इन प्रस्तावों को एक-एक करके सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

माननीय सदस्य क्रम संख्या 28 पर दिए गए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव ओर क्रम संख्या 29 और 30 पर दिए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के उपान्तरणों के प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा से पूर्व, मुझे सभा को इन मदों के निपटान के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया के बारे में सूचित करना है।

सर्वप्रथम, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को क्रम संख्या 28 पर दिए गए प्रस्ताव को पेश कने के लिए कहूंगी। उसके पश्चात् प्रो. सौगत राय और श्री हसन खान को अपने-अपने प्रस्तावों को पेश करने के लिए कहा जाएगा। सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने प्रस्ताव को पेश करने के पश्चात्, श्रीमती सुषमा स्वराज, प्रो. सौगत राय और श्री हसन खान को एक-एक करके अपने-अपने प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा जाएगा। उनके बाद अन्य सदस्य चर्चा में भाग लेंगे।

चर्चा की समाप्ति पर, संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिए जाने और प्रस्तावों को पेश करने वाले सदस्यों द्वारा अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात, मैं क्रम संख्या 28 से 30 पर दिए गए प्रस्तावों को एक-एक करके सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगी।

अपराह्न 02.28 बजे

(एक) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय को वापस लेने हेतु सिफारिश के संबंध में प्रस्ताव

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना के उपाबंध 'क' और उपाबंध 'ख' में उपान्तरण के संबंध में प्रस्ताव

और

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना के उपाबंध 'ख' में उपांतरण के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब श्रीमती सुषमा स्वराज प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं:—

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती हूं कि वह मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यख निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले।"

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि. 795(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाए:—

अनुसूची 8 में,—

(एक) उपाबंध क में, मद (ज) क पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(एक) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार,"; और

(दो) उपाबंध ख में,

"16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51%	सरकार"

से आरंभ और "(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा" से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

श्री हसन खान (लद्दाख) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

'कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि. 795(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाएगा:—

अनुसूची 8 में, उपाबंध ख में,—'

"16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51%	सरकार"

से आरंभ और "(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा" से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% विदेशी प्रतयक्ष निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस ले।"

कि यह सभी विदेशी प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि. 795(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाएगा:—

अनुसूची 8 में,—

(एक) उपाबंध क में, मद (ज) क पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(एक) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार,"; और

(दो) उपाबंध ख में,

"16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51%	सरकार"

से आरंभ और "(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा" से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

"कि यह सभी विदेशी प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को

लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सा.का.नि. 795(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाएगा:–

अनुसूची 8 में, उपाबंध ख में,–

"16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51%	सरकार"

से आरंभ और "(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा" से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने हमारी इस एफ.डी. आई. की चर्चा को नियम 184 के तहत स्वीकार किया। अध्यक्ष जी, हम आग्रह कर रहे थे कि हम चर्चा करेंगे तो केवल नियम 184 के तहत करेंगे। यह आग्रह हम क्यों कर रहे थे, इसकी एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपके माध्यम से सदन को, और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 2011 में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने हूबहू यही निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं। उस समय चारों तरफ से उस निर्णय का विरोध हुआ था। जब मैं कहती हूं चारों तरफ से, तो वाकयी चारों तरफ से। सरकार के घटक दलों से विरोध हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। डीएमके सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। उनके दो प्रमुख समर्थक दल सपा और बसपा ने विरोध किया था और पूरे के पूरे विपक्ष ने तो विरोध किया ही था और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी। उस समय के तत्कालीन नेता सदन श्री प्रणब मुखर्जी ने एक सर्वदलीय बइक बुलाई थी और हम लोगों की बात सुनी थी। बात सुनने के बाद उन्होंने यह कहा था कि मैं प्रधान मंत्री जी से बात करूंगा और आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा और फिर आकर उनकी प्रतिक्रिया आपको बताऊंगा। 7 दिसंबर 2011 को नेता सदन ने दोबारा हमें बुलाया। सर्वदलीय बैठक हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी से बात कर ली है और हमने यह फैसला किया है कि हम इस निर्णय को तब तक लंबित रखेंगे जब तक सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती। हमने फिर उनसे एक प्रश्न किया था कि जब आप स्टेक होल्डर्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? तो नेता सदन ने कहा था - स्टेक होल्डर्स के मायने हैं राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्य मंत्री। हमने उनसे प्रार्थना की कि जब आप सदन में बोलेंगे तो क्या यह व्याख्या वहां कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर कर देंगे। 7 दिसंबर, 2011 को नेता सदन लोक सभा में आए। उन्होंने आपसे अनुमति मांगी और कहा कि मैं एक छोटा सा वक्तव्य आपकी अनुमति से देना चाहता हूं। आपने वह अनुमति दी। अध्यक्ष जी, जो कुछ उन्होंने कहा, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

[अनुवाद]

इसमें यह कहा गया है:

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदया आपकी अनुमति से मैं एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेड में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिये जाने के निर्णय को तब तक स्थगित रखा गया है जब तक विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके आम सहमति नहीं बना ली जाती। आज सुबह मैंने समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। पूर्व में भी, मैंने उनके साथ यह चर्चा करने के लिए बैठक की थी कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाये क्योंकि इसकी वजह से संसद की कार्यवाही समुचित रूप से नहीं चल पा रही है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी नेता इस फॉर्मूलेशन पर राज़ी हो गये हैं। किंतु उन्हें कुछ स्पष्टीकरण चाहियें। मैं उस स्पष्टीकरण को देने के लिये आपकी अनुमति मांग रहा हूं, जिसमें यह व्यवस्था है कि हितधारकों में राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल शामिल हैं, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सम्मिलित किये बगैर इसका कार्यान्वयन कभी नहीं किया जा सकता।

अत:, सभी हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया को माध्यम से आम सहमति बन जाने के उपरान्त ही सरकार कोई निर्णय लेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, सम्मानपूर्वक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन सामान्य कार्य कर ले क्योंकि शीत्र सत्र समाप्त होने में मात्र दस ही दिन बचे हुये हैं। अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद।''

[हिन्दी]

जब प्रणब दा ने यह बात कही, तो मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते खड़ी हुई और मैंने भी आपसे अनुमति मांगी और मैंने आपसे कहा - अध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। मैंने कहा—

> ''सरकार ने जन-भावनाओं को ध्यान रखते हुए जो निर्णय किया है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र को मज़बूत करता है। तमाम राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करने के बाद, और उन दसभी लोगों से बात करने के बाद, जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार यह निर्णय करेगी, तब तक उन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूं जिन्होंने पूरे का पूरा मसला अपने हाथ में लिया और ऑल पार्टी मीटिंग की। प्रधान मंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है, मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूं कि जन-भावनाओं के सामने सरकार झुकी। यह एक बहुत बड़ा लोकतात्रिक जीत का कदम है।'' प्रधानमंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है, मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूं कि जनभावनाओं के सामने सरकार झुकी, यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का क़दम है।''

अध्यक्ष जी, इसमें जो आश्वासन सदन में दिया गया, उसके दो पहलू थे, कनसैन्सस और कनस्लटेशन यानी परामर्श और आम सहमति। परामर्श करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राजनैतिक दलों से और सभी स्टैक होल्डर्स यानी जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उन सब से। उसके बाद जब आम सहमति बनेगी, तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनेथ्तक दलों की बात कर रहे हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षीय राजनैतिक दल हैं, कोई मीटिंग बुलाना तो दूर, कोई पत्राचार भी नहीं हुआ। टेलीफ़ोन तक से कोई बात नहीं हुई और एक दिन अचानक यह निर्णय हमने टीवी पर सुना कि सरकार ने कैबिनेट से फ़ैसला कर लिया है कि वह 51 फ़ीसदी एफडीआई रीटैल सैक्टर में खोलने जा रही है। हम अवाक रह गए। मैंने आडवाणी जी को फोन किया और पूछा कि आडवाणी जी आप इतने वर्षों से संसद में हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ हे कि संसद में दिए गए आश्वासन का घोर उल्लंघन हुआ हो। उन्होंने कहा कि कभी नहीं और उन्होंने कहा कि यह तो विशेषाधिकार का सवाल बनता है, सुषमा जी। अगर इस तरह का आश्वासन देकर सरकार पलटे तो प्रिवलेज बनता है। यह इन्होंने कैसे कर दिया। एक अजीब तर्क गढ़ा गया। संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि हमने तो नीति बदल दी। वर्ष 2011 में हमने राज्यों को डिस्क्रीशन नहीं दी थी। इनेब्लिंग पॉलिसी नहीं बनायी थी, अब तो हमने इनेब्लिंग पॉलिसी बनायी है। राज्यों पर छोड़ दिया है, इसलिए परामर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

अध्यक्ष जी, यह उस समय के वाणिज्य मंत्री जो आज भी वाणिज्य मंत्री हैं, श्री आनंद शर्मा, उन्होंने भी 7 दिसंबर, 2011 को राज्य सथा में वही आश्वासन दिया था, जो प्रणब दा ने दिया था। वह बोलते हुए उन्होंने क्या कहा था, यह मैं आपको पढ़कर सुनानी चाहती हूं—

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : महोदय जैसाकि माननीय नेता विपक्ष और माननीय सदस्यों ने कहा है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह नीति, समर्थकारी नीतिगत ढांचा इस प्रकार का है कि राज्यों के पास विवेकाधिकार होगा। अत:, हम यह कहते हैं कि हितधारकों के साथ परामर्श करने का अर्थ यह है कि इसमें राज्यों के मुख्य मंत्री सम्मिलित होंगे; और निश्चय ही इसमें राजनीतिक दलों के बाहर नहीं किया गया है बल्कि उन्हें सम्मिलित किया गया है...''

[हिन्दी]

जो बात प्रणब दा ने कही थी, वह तो उन्होंने कही ही, लेकिन दोनों शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं। वर्ष 2011 की पॉलिसी भी इनेब्लिंग पॉलिसी थी, वर्ष 2011 की पॉलिसी में भी स्टेट का डिस्क्रीशन था, इसलिए इस तरह का बेतुका तर्क गढ़कर अगर यह कहना चाहते हैं कि कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं थी, परामर्श की आवश्यकता

[श्री आनन्द शर्मा]

नहीं थी, तो यह तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई नयी नीति बनायी थी, अच्छी नीति बनायी थी, तो अध्यक्ष जी, और भी ज्यादा ज़रूरी था कि राजनैतिक दलों को बुलाते, वह नीति उनके सामने रखते। शायद आम सहमति बन जाती। लेकिन चूंकि वह आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि परामर्श नहीं किया गया, इसीलिए हमने आपके सामने, जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलायी तो यह आग्रह किया कि हम अब सदन में अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। राय अभिव्यक्त केवल चर्चा के माध्यम से नहीं होती है, राय अभिव्यक्त होती है मतदान के माध्यम से और हमारे यहां नियम 184 यह प्रावधान है कि यह चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान होगा, वोटिंग होगी। इसीलिए हमने बार-बार आपसे कहा कि आप नियम 184 के तहत सदन में चर्चा कराईए। सदन में हम चर्चा भी करें और मतदान से अपनी राय भी अभिव्यक्त करें। मैं पुन: आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमारी भावना को समझा, आपने सदन की भावना को समझा और उस प्रावधान के तहत चर्चा दी है, जो चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान करता है। आपके प्रति बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष जी, जहां तक एफडीआई का सवाल है, इससे पहले कि मैं इस नीति दुष्परिणामों का उल्लेख करूं, मैं सरकार के दावों का सच उजागर करना चाहूंगी, जो एफडीआई के पक्ष में सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इनका पहला दावा है कि नीति उपभोक्ताओं के हित में है। अगर वॉलमार्ट, टैस्को, केयरफोर और मेट्रो जैसे बड़े मल्टी ब्रैंड रिटेलर्स यहां आ जाएंगे तो लोगों को चीजें ससती मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बेसिक सिद्धांत है कि अगर बाजार प्रतियोगी होता है तो उपभोक्ता के हित में होता है और अगर बाजार एकाधिकारी हो जाता है तो वह उपभोक्ता के हित में नहीं रहता है। एक व्यापक और फैला हुआ बाजार उपभोक्ता को दकान चुनने की इजाजत देता है, गुंजाइश देता है। एक सिमटा हुआ बाजार इस चयन की प्रक्रिया को उससे छीन लेता है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हिन्दुस्तान के हर बड़े महानगर और छोटे नगर में इसी सिद्धांत पर बाजार बनाये गये हैं। मैं अपने गृहनगर की बात करती हूं। मैं अम्बाला छावनी से आती हूं। वहां जाकर देखिए कि हमारे बाजारों के नाम क्या हैं – बज़ाजा बाजार, सर्राफा बाजार, कसेरा बाजार, हलवाई बाजार, कबाड़ी बाजार, सौदागर बाजार। यह उनके नाम से पता चलता है। अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो बज़ाजा बाजार में जाइए, एक साथ आपको बीस दुकानें मिलेंगी। बर्तन खरीदने हैं तो कसेरा बाजार जाइए, एक साथ पचास दुकानें मिलेंगी। सोने-चांदी की चीजें आपको सर्राफा बाजार में मिलेंगी। सारे प्रसाधन की सामग्री सोदागर बाजार में मिलेगी। एक जगह जाकर अगर बीस दुकानें हैं तो किसी दुकानदार में यह हिम्मत नहीं है कि वह ग्राहक को लूट ले। वह चीज अच्छी भी देगा और सस्ती ीी देगा क्योंकि अगर आपको उसने संस्ती नहीं दी तो आप तुरंत पांच मिनट में दूसरे दुकान में चले जाएंगे। अगर दूसरे दुकान में चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली तो आप तीसरे दुकान में चले जाएंगे। इसलिए उसकी विवशता है कि वह चीज महंगी न बेचे। वह चीज अच्छी बेचे, खराब न बेचे क्योंकि ग्राहक के पास चयन की गुंजाइश है, च्वायस है। मैं तो इससे आगे कहना चाहती हूं कि जब हर जगह एक-सी सस्ती, एक-सी बढ़िया मिलती है तो दकानदार का अपना व्यवहार, इस पर आश्रित करता है कि दुकान चलती है कि नहीं चलती है। दुकानदार यह कहते हैं कि अगर मीठा बोलोगे, गर्मी में आए हुए ग्राहक को एक ग्लास पानी पिला दोगे, आपका कर्मचारी चीजें दिखाते हुए आएगा नहीं तो आपकी दुकान चलेगी।

हम और आप तो शॉपिंग करने जाते रहे हैं। हम महिलाएं तं शॉपिंग करती ही हैं इस बात का बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि अगर हर दुकान पर एक-सी चीज मिल रही है तो मीठा कौन बोलता है, अच्छे से कौन बात करता है, अच्छा व्यवहार कौन रखता है, उसकी दुकान पर जाएं। लेकिन जब आप इस तरह का एकाधिकारी बाजार खड़ा कर देते हैं जहां किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती तो वह कभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं हो पाता।

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा सैदव उपभोक्ताओं के एकाधिकारों के बाज़ार के हित में होती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि इस तरह के रिटेलर्स प्रिडेटरी प्राईसिंग करते हैं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

मैडम, थोड़ी-सी शांति बनवा दें। बात बहुत गंभीर हो रही है।

अध्यक्ष महोदया : शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, ये रिटेलर्स प्रिडेटरी प्राइसिंग करते हैं। प्रिडेटरी प्राइसिंग का मतलब है पहले दाम नीचे ले आएंगे। दाम इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाये। जब बाकी किसी को वारा ही नहीं खाएगा, कुछ पुगेगा ही नहीं तो क्या वह दुकान बंद नहीं करेगी? घाटे का सौदा कौन चलाएगा और कितने दिन चलाएगा? लेकिन जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार समापत हो जाता है तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, चुनाव करने की कोई च्वायस नहीं बचती और उसे आकर उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आपका यह दावा कि ये रिटेलर्स जब मल्टी ब्रांड में आएंगे और ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज दिलाएंगे, यह दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे है।

मैडम, सरकार का दूसरा दावा है कि यह नीति किसानों के हित में है। उसके लिए ये कहते हैं कि किसानों से महंगा खरीदेंगे, उनको अच्छा दाम देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते। ये किसान से सस्ता खरीदते हैं। ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं और उसके कारण दाम कम करते हैं। ये कभी दाम ज्यादा नहीं देते, ये कम दाम देकर, खरीद कर और अपने कर्मचारियों को कम वेतन दे करके, अपने मुनाफे में कोई समझौता नहीं करे, अपना प्रोफिट पूरा रख करके ये दाम ऊंचे करते हैं। मैं यहां यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का एक डेक्लरेशन लेकर आई हूं। हिन्दुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व के देशों में, जहां-जहां इन्होंने किसानों से सस्ता सामान खरीदा है, वहां विरोध में आंदोलन हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, आपको मालूम है कि फरवरी, 2008 में ईयू की पार्लियामेंट ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कारण एक डेक्लरेशन एडोप्ट किया था। वह डेक्लरेशन कहता है:—

[अनुवाद]

समूचे यूरोपीय यूनियन के अनुभव से यह सुझाव निकल कर आता है: 'बड़े-बड़े बाज़ार सुपरमार्किट्स' आपूर्तिकर्ताओं को अदा की जाने वाली कीमतों को न्यूनतम स्तर तक कम करने के लिये उनकी क्रयशक्ति का दमन कर रहे हैं और वे उन पर अनुचित शर्तें थोपते हैं। यह घोषणा फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, आयरलैंड और हंगरी जैसे यूरोपीय देशों में बड़े-बड़े बाज़ारों के विरुद्ध किसानों द्वारा किये गये विरोध के आलोक में आयी थी। शिकायतों का स्वरूप एक जैसा था। शिकायतों का स्वरूप यह था कि: दूध, मांस, पाउल्ट्री और शराब सरीखे उत्पादों के लिये किसानों को अदा की जाने वाली कीमतों को संयुक्त खुदरा व्यापारी (ज्वाइन्ट रिटेलर्स) कम कर रहे थे।

[हिन्दी]

उनकी लागत से भी कम बेचने पर वे कम्पेल करते हैं, ये ईयू का डेक्लरेशन है और यह डेक्लरेशन कोई ज्यादा पुराना नहीं, फरवरी, 2008 में उन्होंने एडोप्ट किया और क्यों एडोप्ट किया, क्योंकि ये जितने देशों के मैंने नाम पढ़े हैं, इन देशों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अपने देश में अमूल जैसा कोऑपरेटिव कितना सफल है, वे इसका विरोध कर रहे हैं। उससे ज्यादा सफल कोऑपरेटिव कहीं है। कुरीयन जी आज नहीं हैं, उनका निधन हो गया है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल मार्केटिंग फेडरेशन के प्रेज़ीडेंट श्री साडी जी हैं। उन्होंने बयान देकर कहा है,:—

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

[अनुवाद]

किसानों का आधुनिक ट्रेड से सबसे कम प्रतिफल मिलता है तथा तथाकथित कार्यकुशलता से मात्र बड़े खुदरा कारोबारी लाभान्वित होता हैं क्योंकि वे कीमतों को स्थिरता से एवं सतत रूप से कम करते हैं।

[हिन्दी]

कोई एक का अनुभव नहीं है, दुनियाभर का अनुभव यह बताता है कि किसान से सस्ता खरीदते हैं। इसके आगे कहना चाहती हूं, दाम तो तब देंगे, जब खरीदेंगे। ये आपके छोटे और मझोले किसान से खरीदेंगे ही नहीं।

अध्यक्ष महोदया, यहां पंजाब के लोग बैठे हैं, अजनाला जी ओर हरसिमरत कौर जी बैठी हैं। पेप्सी का उदाहरण है।...*(व्यवधान)* बाजवा जी, गुलशन जी और वहां के लोग भी बैठे हैं। ये सब साक्षी हैं, मैं जो उसकी बात कह रही हूं। जब पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी तो पंजाब के किसान ने आंदोलन किया कि यहां फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। पेप्सी के लोगों ने उन्हें भरमाया और यह कहा कि हम केवल कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बनाएंगे, हम यहां आलू के चिप्स और टमाटर की सॉस भी बनाएंगे। आपका आलू और टमाटर खरीदेंगे। यहां का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान गुमराह हो गया, भ्रम में आ गया। फैक्ट्री लग गई। आप जानती हैं, कारखाना लगने के बाद उन्होंने किसानों को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे आलू का परीक्षण किया था। तुम्हारा आलू ज्यादा मीठा है, इसके अच्छे चिप्स नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे टमाटर का भी परीक्षण किया था, तुम्हारा टमाटर ज्यादा खट्टा है, उसकी अच्छी सॉस नहीं बन सकती। आलू और टमाटर विदेश से निर्यात करने का काम किया, लेकिन पंजाब के किसान से आलू और टमाटर नहीं लिया। एक पेप्सी की बात नहीं, आज पूरे देश में मैकडोनाल्डकी चैन खुली हुई है। वे आलू की फ्रेंच फ्राइच बनाते हैं। वे भारतीय किसान से कितना आलू लेते हैं, इस बारे में कभी पता करिए। वे कहते हैं कि हमारे फ्रेंच फ्राइच का साइज़ बड़ा है, आपका आलू छोटा है।

ये रामशंकर कठीरिया जी, आगरा के सांसद भारतीय किसान बैठे हुए हैं। आगरा का किसान, जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, वह अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडोनाल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है।...*(व्यवधान)* आलू कहां से आता है? शिपमेंट के शिपमेंट आते हैं। अध्यक्षा जी, जहाज के जहाज आलू के भरकर आते हैं, विदेशों से शिपमेंट्स आते हैं। आलू के जहाज के जहाज भरकर आते हैं और वे उन्हीं के फ्राइज़ बनाते हैं, क्योंकि, वे कहते हैं कि हमारे फ्राइज़ का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। अगर खरीदेंगे तो दाम देंगे न और अगर खरीदने का समझौता ाी कर लेंगे तो एक चीज़ की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। मैं आनन्द शर्मा जी से कहना चाहती हूं, आप सेब की जगह से आते हो न, आपके यहां बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेब पैदा होता है, लेकिन तो भी जब आजादपुर मंडी में आता है तो कभी न कभी एक सेब दब जाता है, कभी गल जाता है तो यहां का व्यापारी उस एक सेब को निकाल कर बेच देता है, लेकिन जिस पेटी का सेब गलेगा, वे केवल वह पेटी ही वापस नहीं करेंगे, ट्रक का ट्रक लौटा देंगे और कहेंगे, इसमें तो बैक्टीरिया पेदा हो गया और जिस ट्रक में आया है, उसकी सारी पेटियों में बैक्टीरिया लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय जब खेप की खेप लौटाई जायेगी, ट्रक वापस कए जाएंगे तो हिमाचल का वह सेब का किसान आपके घर के दरवाजे पर धरना देगा, सिर पर हाथ रखकर रोएगा और आप उसका कोई जवाब नहीं ददे पाएंगे।

ये कहते हैं कि किसान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिचौलिये खत्म हो जाएंगे, मिडिलमैन खत्म हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो बिचौलियों की बात करते हैं कि बिचौलिये खत्म जाएंगे, आज भी हिन्दुस्तान में एक क्षेत्र ऐसा है, जहां किसान और मिल मालिक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और वह शुगर मिल का क्षेत्र है, चीनी मिल का क्षेत्र है। वहां कोई बिचौलिया नहीं है। चीनी मिल का मालिक, चीनी मिल के प्रबंधक और किसानों के बीच में सीधा अनुबंध होता है, गन्ना वांटेड होता है, गन्ना अनुबन्धित होता है। चीनी की मिल के मालिक के कहने पर किसान गन्ना बोते हैं और वह गन्ना उन्हीं शुगर मिल्स को दिया जाता है, लेकन कितनी ही बार ऐसा हुआ है...*(व्यवधान)* अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कैसे बोल सकेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए। सुनिये। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये। आप शान्त हो जाइये।

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, कितनी ही बार होता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये। कृपया ऐसा नहीं करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कितनी ही बार होता है कि अनुबंन्ध के बाद भी चीनी मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि इससे ज्यादा हम पेर नहीं सकते और अगर पेर नहीं सकते तो आप लाइये भी मत या फिर लाया हुआ गन्ना लौटा देते हैं। जहां ले लेते हैं, वहां उनके कर्मचारी कागज की पर्ची किसान को दे देते हैं। किसान वह पर्ची लिए मारा-मारा भागता है। यहां अजीत सिंह जी बैठे हैं, ये गन्ने की राजनीति जानते हैं। हमारे यहां राजनाथ सिंह जी और राजेन्द्र अगवाल जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के और मेरठ के सांसद हैं। अभी परसों ही वरुण गांधी जी लखनऊ में बोलकर आये हैं, वहां गन्ना किसानों की व्यथा-कथा कहकर आये हैं। गन्ना किसान कागज लिए घूम रहा है, पर्ची लिए घूम रहा है, लेकिन...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : मंत्री होकर यह ऐसा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं इनके खिलाफ तो कुछ नहीं कह रही हूं, इनको किस चीज का दर्द हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैं किसान का दर्द सुना रही हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैंने इस देश के आलू के किसान का दर्द रखा, मैं इस देश के गन्ना किसान का दर्द बता रही हूं कि यह सब होने वाला है। मैं आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, आपके खिलाफ नहीं बोल रही हूं। आप किसान का दर्द भी सुनना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)* मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूं कि ये कह रहे हैं कि एफडीआई के आने से बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा और कसान को ़ायदा होगा। मैं यह कह रही हूं कि जिस क्षेत्र में बिचौलिया है ही नहीं, मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्ट मिल मालिक और किसान के बीच में रिश्ता है, वहां यह हालत हो रही है कि गन्ना किसान मारा-मारा फिर रहा है, तो आप यह कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, यह सही नहीं है।

मैं आपको बिचौलिये की बात बता दूं। सबसे बड़ा बिचौलिया और मिडलमैन हमारे यहां अनाज मंडी में आढ़ती होता है।...*(व्यवधान)* मैडम, हमारी आढ़त प्रणाली में बीसियों दोष होंगे, जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि आढ़ती और किसान के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते हैं, मैं बता रही हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है, केवल वह इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यह कहती है कि आपकी बैंकों के ये एटीएम तो आज आए हैं, आढ़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का खीचक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, वह सिर पर साफा बांधता है और सीधा मंडी में आढ़ती के पास जाकर खड़ा हो जाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह सब क्या है? कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वह बोल रही हैं, आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.00 बजे

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : संदीप दीक्षित जी, आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है। क्योंकि उसे मालूम है कि वह बैलगाडी में भर कर उसको यहां लाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जब आपकी पार्टी की बारी आएगी तो आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसे बेच कर वह अपना पैसा वसूल लेगा।

अध्यक्ष महोदया जी, जसवंत सिह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं।...*(व्यवधान)* ये क्या जाने? वह मेरी बात के साक्षी होंगे।

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप सभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वालमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बेटी की भात भरने की।...*(व्यवधान)* उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी।...*(व्यवधान)* कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा उसकी फसल खरीदेगा? नई एजेंसियां खड़ी होंगी और नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसमें यह कहना कि आप बिचौलिए को समापत कर देंगे या मिडलमैन को समापत कर देंगे, यह बात सिरे से गलत है।...*(व्यवधान)* आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : ये लोग अमरिका के समर्थक हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जब आपकी पार्टी को चांस मिलेगा तब आप को चांस मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या चाहते हैं? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदया, यदि वे इस प्रकार से चर्चा करेंगे तो हम उन्हें बोलने नहीं देंगे...*(व्यवधान)* उस मामले में, किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सब कृपया बैठ जायें। आपको क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदया, हम उसे होने देने की अनुमति नहीं देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये। वे सभी बैठे हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदया, आप उन्हें नियंत्रित करें...*(व्यवधान)* महोदया, यदि उन्हें यही पसंद है तो आपके प्रधान मंत्री जी को बोलने नहीं दिया जायेगा; सदन के नेता को बोलने नहीं दिया जायेगा, और अंततः किसी को भी बोलने नहीं दिया जायेगा...*(व्यवधान)* हम किसी को बोलने नहीं देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सभी बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदया हम उनमें से किसी को भी बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप क्यों बार बार खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : **सुषमा जी को बोलने नहीं देना चाहते।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : गीते जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठहरिए, हम इधर ही सुनाएंगे। आप नहीं सुनेंगे। ऐसे नहीं बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खड़गे) : महोदया, उन्होंने कहा कि क्या यह उचित है? आप उनकी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह क्या तरीका है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिाकार्जुन खड़गे : इस तरह बोलना ठीक नहीं है। यह अनुचित है। उन्होंने ऐसा कहा था और यह किसी तरह से भी ठीक नहीं है। उन्हें इसे वापस लेना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदया, मुझे यह कहना है कि वह अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं और मेरे विचार से इसे रिकार्ड से हटा दिया जाए। उन्हें अध्यक्ष को चुनौती नहीं देनी चाहिये। वह हमें चुनौती दे सकते हैं लेकिन अध्यक्षपीठ को नहीं...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा) : हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं। आप सभा के नेता हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। ऐसे मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : आप हमसे ऐसे बात कर सकते हैं लेकिन अध्यक्षपीठ के साथ नहीं। महोदया, वह हमें चुनौती दे सकते हैं लेकिन अध्यक्षपीठ को नहीं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : वह क्या कह रहे हैं? वह सभा के नेता हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यहां पर बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं। मैं चाह रही हूं कि सब सुन लें। वे अपना पक्ष रख रही हैं, अपने विचार रख रही हैं। आपकी जब कारी आएगी, आप पक्ष रखिएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप चुप रहिए। यह क्या हो रहा है। हर समय क्यों बोलते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, कभी-कभी उत्तेजित हो जाते हैं, हाउस हिल जाता है। मगर बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर ऐसे मत कीजिए। इस तरह नहीं करते। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तेजना होगी, मगर आपे से बाहर मत हो जाइए, यह मैं कह रही हं। आप उनकी बात

सुनिये। जब आपके बोलने की बारी आयेगी, तब कहिए। अभी आप उनकी बात ध्यान से सुनिये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, इनका तीसरा दावा है क एफ.डी.आई रोजगार के नये अवसर पैदा करेगी। वाणिज्य मंत्री जी ने तो एक आंकड़ा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 40 लाख लोग डायरेक्टली इन लोगों द्वारा इम्प्लॉय होंगे, यानी जो मल्टी ब्रांड रिटेलर्स आयेंगे, ये आकर 40 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह आंकड़ा देते समय कोई जमा-घटाव, कोई गुणा-तकसीम करते हैं या नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास है। वॉलमार्ट के 9 हजार 826 स्टोर्स पूरी दुनिया में हैं और उनके इम्प्लायज 21 लाख हैं। अगर 40 लाख इम्प्लायज हिन्दुस्तान में केवल वॉलमार्ट के आने हों, क्योंकि वॉलमार्ट में 214 प्रति स्टोर कम्रचारियों की संख्या है। एक स्टोर में 214 कर्मचारी हैं जो सबसे ज्यादा हैं। बाकी लोगों के तो और भी कम हैं, जो मैं बताऊंगी। अगर 214 प्रति स्टोर वाले वॉलमार्ट ने 40 लाख लोगों को यहां इम्प्लायमैंट देना है, तो 18 हजार 600 स्टोर खोलने पड़ेंगे। बाकी के बारे में आप सुनेंगी, तो हैरान रह जायेंगी। केयरपोर्ट की प्रति स्टोर 30 की संख्या है और पूरे विश्व में उनके स्टोर 15 हजार 937 हैं मेट्रो की संख्या 133 है और टेस्को जो वॉलमार्ट के बाद यहां आना चाह रहा है, उसकी संख्या 92 है। उनके 5 हजार 380 स्टोर्स हैं। अगर ये सारे आ जायें और अपनी-अपनी संख्या के अनुसार करने लग जायें, तो 36 हजार से ज्यादा स्टोर्स चाहिए। ये 53 शहरों में खोलने की बात कर रहे हैं यानी एक-एक शहर में छः-छः सौ स्टोर्स खुलेंगे। हर चौराहे पर अगर स्टोर खुलें तब जाकर 40 लाख लोग बनते हैं।...*(व्यवधान)* कहां से आंकड़ा लाते हैं, कैसे लाते हैं? कोई आंकड़ा कहीं सुना, कहीं चिपका दिया।

जहां तक रोजगार की बात है, यह तो आप 40 लाख की बात कर रहे हैं। आप अपनी पालिसी उठाकर देखिये, उसमें आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि 30 परसेंट आपे एसएमईज से चीज लेनी पड़ेगी। अध्यक्षा जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आयेगी, तो वह मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में आयेगी। आपके कारखाने बंद हो जायेंगे। आपने खुद कहा कि 30 परसेंट स्थानीय उद्योग से लेना पड़ेगा। आज जो उद्योग सौ परसेंट बेच रहा है, उसका 70 परसेंट आपने काट लिया। क्या 30 परसेंट पर कोई कारखाना चल सकता है? क्या कोई फैक्ट्री वायेबल हो सकती है? कारखाना दर कारखाना बंद हो जायेगां यह जो 70 परसेंट आयातित माल आयेगा, जिसे यह कह रहे हैं कि 30 परसेंट यहां से तो 70 परसेंट इम्पोर्ट करेंगे। यह जो 70 परसेंट आयातित माल आयेगा, इसमें से 90 परसेंट माल चाइना का होगा। कारखाने खुलेंगे चाइना में, रोजगार मिलेगा चाइना में, आमदनी बढ़ेगी चाइना की और आपके यहां 12 करोड़ घरों में अंधेरा हो जायेगा। आपका मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खत्म हो जायेगा। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात करो जो बेरोजगार होकर सड़क पर आ जायेंगे। यह भी बता दूं कि 30 परसेंट वाली जो एसएमईज वाली बात है, यह भी एक मिथ है, एक मिथ्या धारणा है। क्यों? क्योंकि भारत डब्ल्यूटीओ में जिन शर्तों पर शामिल हुआ है, उसमें जीएटीटी (गैट) का आर्टिकल 3 यह पाबंदी लगाता है कि आपको नेशनल ट्रीटमैंट देना होगा कांटैक्टिंग पार्टी से। आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते, जिस कानून के तहत स्थानीय उद्योग से आप चीज खरीद सकें। कल कोई आपकी इस व्यवस्था को कोर्ट में जाकर चैलेंज करेगा और वह व्यवस्था गिर जायेगी। केवल डब्ल्यूटीओ की बात नही, अध्यक्षा जी, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, 82 देशों से हमने बीआईपीए साइन किया। हमने द्विपक्षीय समझौते किए हैं और उनको कहा है कि आपको ाी हम नेशनल ट्रीटमेंट देंगे और उस नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उनके उद्योगों से चीजें खरीदेंगे। इसलिए यह जो तीस प्रतिशत वाली बात है, यह बहुत बड़ी मिथ्या और भ्रामक बात है। यह 30 प्रतिशत भी आप स्थानीय उद्योगों से खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए आप जो रोजगार की बात करते हैं, 40 लाख रोजगार का शीशा तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन जो लोग बेरोजगार होंगे, क्या उनका कोई आकलन किया है आपने? आपके यहां मॉल्स आ जाएंगी, मॉल्स में जरूर जगमगाहट हो जाएगी और शहर जगमगाने लगेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा, क्या कभी उनकी कल्पना की है आपने? ये तीन दावे हैं जो सरकार कर रही है, उपभोक्ता का हित-रक्षण होगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, नए रोजगार होंगे। इन दावों की पोल मैंने खोल दी आपके सामने, लेकिन इस नीति के अपने दुष्परिणाम खुदरा व्यापार पर क्या होंगे, अब मैं वह आपको बताना चाहती हूं। पूरे विश्व का यह अनुभव है कि जहां-जहां एफडीआई मल्टी-ब्रांड रिटेल में आई है, वहां-वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप्स समाप्त हो गयी हैं।...*(व्यवधान)* यह गलत नहीं है, आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

[अनुवाद]

यह राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण न्यास की रिपोर्ट है। यह लिखित में है। जब वॉलमार्ट 1996 में शहर में आया था तब क्या हुआ था। वॉलमार्ट के प्रसार के एक अध्यक्ष में पता चला है कि नये वालमार्ट स्टोर्स पर सभी बिक्री के 84 प्रतिशत उस देश में मौजदा व्यापार की कीमत पर हुआ था।

[हिन्दी]

किसके सिर पर आया? लोकल बिजनेस को खत्म करके 84 प्रतिशत सेल्स आए। यह मैंने आपके सामने एक विदेशी रिपोर्ट रखी है, कोई अपनी गढ़ी हुई बात नहीं रखी है। मैं छोटे देशों की बात ही नहीं कर रही मैं बड़े देशों की बात कर रही हूं। मैं इंग्लैंड की बात करूंगी। हिन्दुसतान टाइम्स की 15 जुलाई, 2010 की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए जो कह रहे थे कि गलत है। जो गलत हैं ध्यान से सुन लें। मैडम, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो एमपीज ने कहा है, किसी ऐरे-गैर ने नहीं कहा है। मैं ऑन-कोट पढ़ रही हूं, अगर आप कहें तो सदन के पटल पर रख दूंगी।

[अनुवाद]

ब्रिटेन छोटे दुकानदारों का देश था। वहां सब कुछ बदल गया और ऐसा टेस्को के नेतृत्व में सुपर मार्केट से हुआ। यह छोटे दुकानदारों के लिये असंभव है जिन्हें सुपर मार्केट के मूल्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये इतना अधिक ऑफर करना पड़ता है। एबीपी जीईओ एस.एस सेक्रेटरी, बाबा रुसेल, संसद सदस्य ने कहा था: ब्रिटेन में सुपर मार्केट के प्रसार से छोटे दुकानदारों को बड़ी हानि पहुंची है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

इस पर के आगे कहते हैं "गत दशक में ब्रिटेन में छह छोटे स्टोर में से एक रोजगार के बाहर हो गया है।" इस समूह ने कहा था कि ऐसा टेस्को के कारण, इन बड़े सुपर मार्केट के कारण हुआ था।

[हिन्दी]

हर छठा स्टोर बिजनेस से बाहर हो गया। यह मेरे कहे हुए शब्द नहीं हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो एमपीज ने कहा है।...*(व्यवधान)* केवल इन दो एमपीज ने नहीं कहा है, आपसे भी मिले होंगे, एक इंडियन ओरिजिन के एमपी हैं— मिस्टर कीथ वाज़। आपसे जरूर मिले होंगे, क्योंकि भारत आते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। कीथ वाज़ को जब पता चला कि भारत में ईस तरह की बात चल रही है, तो भारत के सांसदों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा। यह मैं कीथ वाज़ की बात पढ़ रही हूं। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, यह 20 सितंबर, 2012 की बात है, आज से केवल दो महीने पहले की बात है।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के लेबर पार्टी के एमपी कीथ वाज़ ने सलाह दी है "भारतीय विधानमंडलों को खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर विचार करते समय सावधान रहना है, उन्होंने चेतावनी दी थी कि सुपर-मार्केट की अत्यधिक उपस्थिति आम आदमी के हित में नहीं हो सकती है।"

[हिन्दी]

कीथ वाज़ ब्रिटेन के एमपी भारत में बहुत आते हैं, भारत से प्यार रखते हैं, इसलिए भारत के सांसदों को उन्होंने आगाह किया है कि सावधानी बरतो, यह एफडीआई कॉमन मैने के इंट्रेस्ट में नहीं है। मैं केवल इंग्लैंड की बात नहीं कर रही हूं मैडम, जिन देशों से ये कंपनियां आ रही हैं, मैं अमरीका की बात कर रही हूं। वॉलमार्ट तो अमरीका की कंपनी है और उसने अमरीका में क्या तबाही मचाइ है, आप जानते हैं क्या? वहां एक आंदोलन चला है जिसका नाम है "स्मॉल बिजनैस सेटरडे" और उस आंदोलन का नेतृत्व कोन कर रहा है - राष्ट्रपति ओबामा। वह ट्विट करते हैं, वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर शनिवार को जाकर छोटी दुकानों से चीजें खरीदो। यह मैं आपको दिखाना चाहती हूं जो सीडीसी न्यूज डाट काम की न्यूज है जो इस प्रकार है—

[अनुवाद]

"ब्लैक फ्राइडे बीत चुका है। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस के एक सर्वेक्षण के अनुसार 89 मिलियन उपीभोक्ता स्माल बिजनैस सेटरडे के दिन थोड़ी खरीददारी करने की योजना बनाते हैं। यह मेन स्ट्रीट पर स्वतंत्र फुटकर विक्रेताओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास है। अब स्माल बिजनैस सेटरडे को न्यूयार्क, लास

एन्जेलिस, फिलाडेल्फिया, मियामी और डिट्राइट सहित देशभर के शहरों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।''

[अनुवाद]

''राष्ट्रपति ओबामा ने हालीडे शापिंग सीजन में भागीदार करके छोटे व्यापार की सहायता दी है। राष्ट्रपति अपनी बेटियों मालिया और साशा को व्हाईट हाउस से कुछ ब्लाक आगे एक बुकस्टोर पर शापिंग के लिये ले गये थे। उन्होंने कहा कि वह वहां गये क्योंकि यह स्माल बिजनेस सेटरडे है और वे स्माल-बिजनेस में सहयोग देना चाहते हैं।''

[हिन्दी]

उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि उनके यहां पॉप एंड मॉम स्टोर्स खत्म हो गयें वॉल-मार्ट ने छोटी दुकानदारियां खत्म कर दीं, उनका रोजगार लुट गया और आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनैस सेटरडे अमरीका में चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा बेटियों के साथ शनिवार को शॉपिंग करते हैं और केवल यही नहीं, अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 के बजट में अमरीका 10 सूत्री फार्मूला लेकर आया है अपने स्मॉल बिजनैस को स्पोर्ट करने के लिए। क्या कहा गया है कि–

[अनुवाद]

''छोटे कारोबार अपने देश में रोजगार वृद्धि में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये छोटे कारोबार शुरू हों, बढ़े एवं उससे रोजगार पैदा हों, 2012 के बजट में निम्नलिखित उपाय किए जायेंगे:

1. छोटे कारोबार के क्षेत्र में ऋण की मात्रा बढ़ाकर रोजगार सृजन में तेजी लाई जाए।

2. छोटे कारोबार के विकास एवं प्रसार के लिये करों में कटौती की जाए।

3. छोटे कारोबार में निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

4. वंचित समूहों के लिये आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में प्रभाव निवेश को बढ़ावा दिया जाए

5. नवोन्मेषी छोटे कारोबार को सहायता दें, वे प्रारंभिक चरण पर वित्तपोषण प्राप्त करें।

6. छोटे कारोबार में सुधार करें और फेडरल सर्विसेज तक एक्सपोर्ट एक्सेस हो।

7. क्षेत्रीय नवोन्मेष से जुड़ने के लिये छोटे कारोबार को सहायता प्रदान करें।

8. छोटे कारोबार निर्यातों को सुदृढ़ता प्रदान करना

9. छोटे नियोक्ता पेंशन योजना को दोगुना करें केन्द्रित की शुरूवात की जाए।

10. छोटे कारोबार को सहायता दें अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए।''

[हिन्दी]

ये 10 सूत्री फार्मूला अमरीका के 2012 के बजट में आ रहा है छोटे व्यापार का बढ़ावा देने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके, उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं, उस समय क्या कारण है कि हमारी सरकार इसे महिमा-मंडित कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं कि मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। मैंने दुनियाभर के देशों के उदाहरण आपके सामने रखे हैं, यूरोपियन यूनियन का उदाहरण, इंग्लैंड का उदाहरण, अमरीका का उदाहरण आपके सामने रखा, ये देश तबाही से अपने मुल्कों को बचाने में लगे हैं, स्मॉल बिजनैस को प्रमोट कर रहे हैं, रैजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार लगी है कि एफडीआई आ जाएगी तो पता नहीं देश के अंदर कौनसी क्रांति आ जाएगी, हमारी सारी अर्थव्यवस्था की कमियां दूर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, यह बहस नयी नहीं है। यह बहस हमारे समय में भी चली थी जब हम सरकार में थे। तब भी कुछ लोग कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई ले आओ, बहुत भला होगा। उस समय अटल जी ने एक अध्ययन करवाया था और स्टडी करवाने के साथ साथ योजना आयोग ने वहां के सम्मानित सदस्य श्री एन. के. सिंह जो इस समय जेडीयू के राज्य सभा में सदस्य हैं, उनकी

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट को मैं पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कहा था:

[अनुवाद]

"भारत में खुदरा क्षेत्र बिखरा हुआ, व्यापक श्रम केन्द्रित एवं गैर संगठित है। इसके आलोक में वर्तमान में खुदरा व्यापार में एफडीआई से नियंत्रण हटाना वांछनीय नहीं समझा गया है।"

[हिन्दी]

मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जिस समय यह रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने एकमत से निर्णय कर लिया था कि हम खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आए। महाराष्ट्र के एक फेडेरेशन के लोगों ने, स्टेट कमेटी के चेयरमैन ने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा थां वह राज्य सभा में नेता, प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुन रहे हैं कि एनडीए की सरकार एफडीआई लाना चाहती है। आप राकिए। राज्य सभा में यह प्रश्न उठा थां उस समय के वित्त मंत्री ने राज्य सभा में आश्वासन दिया था और मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस ट्रेड कमेटी के अध्यक्ष को आश्वस्त किया था। वह पत्र मैं लेकर आई हूं। आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। *[अनुवाद]...(व्यवधान)* मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।...*(व्यवधान)* मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपको मेरे बाद बोलना है तब आप बोल लीजिए। अध्यक्षजी, मनमोहन सिंह जी ने वह पत्र लिखा -

[अनुवाद]

प्रिय श्री शंघवी, कृपया खुदरा व्यापार में एफडीआई के बारे में अपने दिनांक 6 दिसंबर, 2002 के पत्र का संदर्भ लें। यह मामला राज्य सभा में दो दिन पहले उठाया गया था; और वित्त मंत्री ने एक आश्वासन दिया था कि सरकार का फुटकर व्यापार में एफडीआई आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सादर।"

[हिन्दी]

इन्होंने आश्वस्त किया था कि रिटेल ट्रेड में किसी तरह की कोई एफडीआई नहीं आ रही है और यह उन्होंने उस चिट्ठी को लिखकर आश्वस्त किया था क्योंकि उन्होंने इन्हें बोला था कि आप देखिए कि यह न आए। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था कि आप आश्वस्त रहित। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में कह दिया है कि एफडीआई नहीं आएगी। केवल यही नहीं, प्रियरंजन दासमुंशी उस समय यहां के चीफ व्हिप होते थे। सोनिया जी नेता, प्रतिपक्ष थीं। वह यहां मुख्य सचेतक थे। वह इसी मुद्दे पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने इस निर्णय को एंटी-नेशनल करार दिया था। यह मैं लेकर आई हूं। प्रियरंजन दासमुंशी का कॉलिंग अटैंशन लेकर आई हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैं पढ़कर सुनाती हूं:—

[अनुवाद]

आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इन बात की और आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा आरोप लगा है कि नौकरशाही सर्किल के माध्यम से बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापारी लगातार सरकार पर खुदरा व्यापार में एफडीआई को अनुमति देने का राष्ट्र विरोधी निर्णय लेने के लिए दबाव बना रहे हैं; इससे शायद देश में खुदरा व्यापार की संपूर्ण संभावना नष्ट हो जायेगी।

[हिन्दी]

वह प्रियदा आज कोलकाता के एक अस्पताल में जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी दीपादास मुंशी आज इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपके उस समय के चीफ व्हिप इसको एंटी-नेशनल कहते हैं। आप स्वयं एफडीआई का विरोध करते हैं। प्रधान मंत्री जी, क्या हो गया? आपकी सोच क्यों बदल गई?...*(व्यवधान)* परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया? मैं जानना चाहती हूं कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राष्ट्रविरोधी निर्णय मानती थी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष दोनों एफडीआई का विरोध कर रहे थे और हमसे कहते थे क खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना आज क्या कारण है? आज आपकी सोच कयों बदली है। कई बार डर लगता है कि अखबार में ऐसी रिपोर्ट पिछले दिनों आई हैं कि वॉलमार्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने के लिए रिश्वत दी है।...*(व्यवधान)* मैं यह एशोसिएटेड प्रैस की कटिंग लाई हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

"15 नवम्बर को यू.एस. सक्युरीटीज एंड एक्सचेन्ज कमिशन में वालमार्ट ने कहा था कि यह ब्राजील, चीन और भारत एवं अन्य बाजारों में यू.एस. फोरेन करप्ट प्रैक्टीसेज एक्ट के संबंध में हुये बड़े उल्लंघनों की जांच कर रहा है। वालमार्ट की मैक्सिको सहायक कंपनी पहले से ही स्टोर खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने संभवत: स्थानीय अधिकारियों को भुगतान के माध्यम से बिचौलियों को कथित भुगतान करने के लिये जनता के साथ धोखधड़ी में उलझी हुई है।"

[हिन्दी]

अभी 8 दिन पहले 23 नवम्बर को उन्होंने इंडिया के सीएफओ को संस्पेंड किया। मैं यह खबर लाई हूं।

[अनुवाद]

सूत्रों से पता चला है कि भारती वालमार्ट ने कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूएस खुदरा क्षेत्र की बड़ी कंपनी की चालू वैश्विक जांच के एक भाग के रूप में सीएफओ पंकज मदान सहित पांच लोगों को निलंबित कर दिया है।

[हिन्दी]

कई बार डर लगता है कि कहीं यह निर्णय भी भ्रष्टाचार में से तो नहीं निकला है। सीएफओ को संस्पेंड किया। देखिए, उनको तो व्यापार बढ़ाना है। ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। भारत का बड़ा बाजार उन्हें दिख रहा है इसलिए वे हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत तो मेरी अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं? वे चाहे जो करें, चाहे जो प्रयास करें, लेकिन जब हमने अपनी एक सोच बना ली कि खुदरा व्यापार में अगर विदेशी पूंजी आएगी तो 4 करोड़ लोग जो सीधे इसमें लगे हैं और 20 करोड़ लोग जो इस पर पलते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे तो हम इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे यह बात समझ नहीं आती। अभी एफडीआई के पक्ष में कांग्रेस की एक रैली हुई थी। उसमें सारे शीर्षस्थ नेता गये थे सोनिया जी सहित सभी ने उसको संबोधित किया था। वहां, सोनिया जी ने बोलते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस जैसी इतने कम समय में इतना विकास करने वाली सरकार क्या कोई देखी है? सोनिया जी, आपने ऐसा कहा था न? मैंने टी.वी. पर सुना था।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : बिल्कुल सही बात है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने कहा था कि इतने कम समय में इतना विकास करने वाली क्या कोई सरकार देखी है? मैं तो सुनकर हैरान रह गई कि वह बोल कया रही हैं? मैं बताती हूं कि गलत क्या है? सन् 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है।...*(व्यवधान)* आप चुनौती किसे दे रही थीं? मुझे समझ नहीं आया कि यह वाक्य बोलकर आप किसे दे रही थीं? आप चुनौती अपने नाना ससुर को दे रहीं थीं। आप चुनौती अपनी सासु मां को दे रहीं थीं। आप चुनौती अपने पति की सरकार को दे रहीं थीं। आप चुनौती किसको दे रही थीं?. ..*(व्यवधान)* सोनिया जी, हमारी सरकार तो मात्र 6 वर्ष रही है और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में दस साल से कम रही है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें तो दस साल से भी कम रही हैं। मोरारजी देसाई की सरकार ढाई साल रही थी। हमारी सरकार 6 साल रही, वी. पी. सिंह जी की रही और बाकी तो सारी सरकारें आपकी थीं। नरसिम्हा राव जी की सरकार आपकी थीं। नरसिम्हा राव जी की सरकार आपकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आपकी थी। पचास में से तीस साल तो नेहरु गांधी परिवार का राज्य रहा है।...*(व्यवधान)* आप किसको सुना रहीं थीं? आपका यह कहना कि ऐसी सरकार क्या कभी देखी है? इकस मतलब यह हुआ कि न तो ईंदिरा जी की सरकार वैसी थी और न नेहरु जी की सरकार वैसी थी, न राजीव जी की सरकार वैसी थी। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार सबसे ऊपर हो गई?...*(व्यवधान)*

मैडम, अगर इस सरकार को ऐसा लगता है कि एफडीआई विकास की सीढ़ी है तो मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि यह विकास की सीढ़ी नहीं है बल्कि यह विनाश का गड्ढा है।...*(व्यवधान)* मुझे समझ नहीं आता कि अचानक सरकार को हो कया गया है? अभी पिछ्ले शीतकालीन सत्र में इसका निर्णय करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और एकदम एक वर्ष में पलट गये और अब प्रधान मंत्री साहसी वक्तव्य देते हैं। प्रधान मंत्री जी क्या कहते हैं?

[अनुवाद]

बड़े सुधारों का समय आ गया है, और यदि हम पीछे हटते हैं तो हम संघर्ष करते हुये पीछे हटेंगे।"

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

प्रधानमंत्री महोदय संघर्ष करते हुये पीछे हटें लेकिन गरीबों के लिये लड़ें, अमीरों के लिये नहीं। छोटे के लिये लड़ें बड़ें के लिये नहीं; और देश के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये नहीं।

[हिन्दी]

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी आप अपनों के लिए लड़िये, गैरों के लिए मत लड़िये। आप तो गैरों के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगर आप अपनों के लिए लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको यह लगता है कि एफडीआई का यह प्रस्ताव अगर चला जायेगा तो वर्ल्ड इनवैस्टमैन्ट सिनारियो खत्म हो जायेगा, इनवैस्टर्स आने बंद हो जायेंगे, देश की प्रतिष्ठा गिरेगी, नहीं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप चाहे जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे साथ ले चलें, मैं साथ चलने को तैयार हूं। मैं वर्ल्ड इनवैस्टर्स समिट को यह संदेश देने को तैयार हूं कि भारत हर सैक्टर में एफडीआई के खिलाफ नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आइये, पावर में आइये, पुल-पुलिया में आइये, टनल्स में आइये, पोर्ट में आइये, एयरपोर्ट में आइये। आप कहिये तो सही, मैं आपके साथ चलकर वर्ल्ड इनवैस्टमैन्ट सिनारियो को ठीक करके इनवैस्टर्स को कहने वाली हूं। प्रधान मंत्री जी, वह एक अद्भुत दृश्य होगा कि भारत जैसे विशाल देश का प्रधान मंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ इनवैस्टर्स को कह रहा होगा, आप आइये। लेकिन यह दाल, चावल बेचना हमें आता है, यह आप हम पर छोड़ दीजिएं यहां दाल, चावल बेचने आने की जरूरत नहीं है। हम यहां दाल, चावल वर्षों से बेच रहे हैं राजस्थान का आदमी जाकर अरुणाचल प्रदेश में बेचता है, भिवानी का आदमी जाकर आसनसोल में बेच रहा है। इतनी बड़ी इस्टाब्लिश्ड सप्लाई चेन हमारे लोगों ने बना रखी है कि हमें दाल, चावल बेचने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए, उसके लिए खुदरा व्यापार नहीं चाहिए, उसमें एफडीआई नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि आप इस निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए और मैं सच कहूं, तो मतदान के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है, लेकिन हम आपको हराकर जीत दर्ज कराना नहीं चाहते, हम आपको मनाकर जीत दर्ज कराना चाहते हैं। आप मेरी इन बातों पर विचार करिये। इस पर मतदान कल होगा, आपको जवाब कल देना है। आप इसमें जवाब दीजिए। जो बातें मैंने रखी हैं, उन बातों को मैंने आंकड़ों के साथ पुष्ट किया है, बयानों के साथ पुष्ट किया है। कोई बात ऐसे ही हवा में नहीं कह दी है। जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है। अमरीका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है तो हम अपने छोटे बिजनेस को खत्म करने का काम न करें। हम एफडीआई के पर से खिलाफ नहीं है, एफडीआई के एच सच खिलाफ नहीं हैं। जितनी विदेशी पूंजी आये, उन बड़े क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्र में हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस खुदरा व्यापार में, छोटा आदमी, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, छाबड़ी वाला की रोजी-रोटी मत छीनिये। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जायेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हठी होंगे, अगर आप अड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि कोई माने या न माने, आम सहमति बने या न बने, हम तो इस दिशा में बढ़ेंगे ही तो फिर मैं अपने इन साथियों से दर्खास्त करूंगी कि इस निर्णय को वापस लेने का जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूं, फिर आप मतदान में इस प्रस्ताव का समर्थन करिये और इस सरकार को मजबूर करिये कि यह निर्णय वापस ले। हमारे यहां कुछ लोगों को, शायद कुछ साथियों को यह लगता है कि इससे सरकार गिर जायेगी। मैं उन्हें कहना चाहती हं कि इससे सरकार नहीं गिरेगी। नियम 184 के प्रस्ताव के पारित हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी, केवल एफडीआई गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। इसलिए जिन्हें यह डर है कि सरकार गिर जायेगी, वह भयभीत न हों, वे अपना डर निकाल दें और यदि आप समझते हैं कि एफडीआई का गिरदा देश के हित में है तो मैं हाथ जोड़कर पहले इनसे कहती हूं कि आप यह निर्णय वापस ले लें, अगर यह निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो आप हमारे इस प्रस्ताव के साथ मतदान करिये, एफडीआई को गिराइये, देश को बचाइये।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में और अपने एवं जनाब हसन अली द्वारा प्रस्तुत संशोधन हेतु प्रस्ताव के समर्थन में भी बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सुषमा जी के अलंकृत एवं प्रवाहपूर्ण हिन्दी में दिये गये भाषण के बाद किसी अन्य को बोलने में कठिनाई होगी लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा।

महोदया, हमारे लिये एफडीआई विश्वास का मामला है। मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई वह मामला है जिस पर हमने पूरी ताकत से लड़ने का निश्चय किया है। 20 सितंबर को इस

सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई लागू करने का निर्णय लिया है। 21 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मंत्रि परिषद से त्यागपत्र दे दिया। हमने विरोध करने एवं एक दृष्टिकोण अख्तियार करने का नैतिक साहस दिखाया है। जब हम अविश्वास प्रस्ताव लाये थे तब हमें ज्ञात था कि हमारे अपने पास संख्या नहीं है। हमने सभी दलों से अपील की लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन आप, मेरे मित्र है, आपकी पार्टी, भाजपा हमारे साथ खड़ी हुई जिसके लिये हम आपके आभारी हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रस्ताव प्रस्तुत करना जारी रखा और इसीलिये पुन: मैंने नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

महोदया, मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत तक एफडीआई एक ऐसा कदम है जो उन 3.3 करोड़ लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचायेगा जो खुदरा व्यापार में लगे हैं तथा जैसा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा और मैं बाद में बताऊंगा कि उन किसानों के जीवन पर प्रभाव डालेगा जिन पर इस तथाकथित खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को ध्यान देना है। लेकिन इससे क्या मैं घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दे दूं।

आपको याद होगा कि 22 जुलाई 2011 को सचिवों की समिति ने मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई शुरू करने का निर्णय लिया था। 24 नवम्बर, 2011 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में वालमार्ट, टेस्को एवं कैरेफोर को भारत में खुदरा दुकानें खोलने की अनुमति देकर एफडीआई का मार्ग प्रशस्त किया। संसद का शीतकालीन सत्र विपदन द्वारा मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध करते हुये पूर्णत: ठप कर दिया गया था। 7 दिसंबर 2011 को तत्कालीन नेता, सदन श्री प्रणब मुखर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बात पर सहमति बनी थी कि जिसका उल्लेख श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा भी किया गया है कि जब तक सभी स्टेकहोल्डरों के साथ सहमति न बने तब तक मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को निलंबित रखा जाए। इस संक्षिप्त अंतराल में क्या हुआ? सरकार इस निर्णय को घोषणा करने को बाध्य हुई थी।

महोदया, मैं आपको दूसरी घटना का विवरण देता हूं। सितंबर 2009 में हिन्दू वीकिलीक्स केबल सीरीज ने उद्घाटित किया था कि 18 मार्च 2011 को यूएसए के तत्कालीन सेक्रेटरी आफ स्टेट ने भारत में यूएस दूतावास को एक केबल भेजा था। उन्होंने पूछा था कि क्यों आनंद शर्मा मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र को खोलने में रूचि नहीं ले रहे हैं? इसके अलावा दूसरे केबल में कहा गया है, क्या शर्मा का प्रणव मुखर्जी - और प्रधानमंत्री सिंह से तालमेल अच्छा हैं?

यह असांजे की केबल है मेरी नहीं। अत: यह रिकार्ड में हैं। उन्होंने यह भी पूछा था कि: वित्त मंत्रालय के लिए अहलुवालिया को छोड़कर मुखर्जी को क्यों चुना गया था?" इन केबलों की वजह से सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया था। जैसाकि मैंने कहा था, इसके बाद सरकार ने 24 नवम्बर को एक निर्णय लिया था। इसके बाद, हमें पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 7 मई 2012 को भारत आईं तथा भारत सरकार को खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिये राजी करना उनका सबसे प्रमुख एजेन्डा था।

महोदया, 16 जुलाई 2012 के 'द टाइम्स मैगनीज' में छपे लेख के कारण अगल कार्रवाई करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि यह हमारे प्रधानमंत्री जो 'अंडर अचीवर' हैं के फोटोग्राफ के साथ लिखा गया है। इसमें एक महिला क्रिस्टा महर ने बताया है कि डॉ. सिंह से क्या आशा की जाती है। ऐसा कहा गया है कि प्रमुख उद्योगपति अनेक बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं जैसे महंगी राजसहायता की समाप्ति, डीजल मूल्य से हटाना और भारत में वालमार्ट की तरह मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापारियों को अनुमति देने के लिये कानून। सरकार शुरू में गठबंधन के सदस्यों को प्रसन्न रखने के लिये ऐसा विधान लाने से पीछे हट गई। सरकार ने अंत में 'द टाइम्स मैगंजीन' द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार कार्य किया। इससे प्रधानमंत्री इतने घबरा गये क उन्होंने यह जानते हुये कार्रवाई की कि उनकी गठबंधन की बाध्यतायें हैं। पहले उन्होंने गठबंधन की बाध्यता का हवाला देते हुये 2जी घोटाले पर कार्रवाई, नहीं की थी लेकिन गठबंधन की बाध्यता को जानते हुये वे आगे बढ़े और उनकी सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की घोषणा कर दी।

दूसरी बात जो मैं विनम्रता से उल्लेख करना चाहता हूं वह श्रीमती क्लिंटन के बारे में है। वे लंबे समय तक वालमार्ट के निदेशक मंडल में थी तथा जब 2007-08 में अमरीका को राष्ट्रपति बनने का प्रयास कर रही थीं तब वालमार्ट के कार्यकारी एवं उसकी तरफ से लाबी करने वाले लोगों ने उनके लिये भुगतान किया था। स्पष्ट रूप से वे वालमार्ट को भारत में लाने में रूचि ले रही थी। लेकिन भारत सरकार को अमरीका के हितों के आगे क्यों झुकना है? महोदया, बंगाल से होने के कारण मुझे याद है...*(व्यवधान)* श्री खुर्शीद, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आपका जो कहना है बाद में कहें। महोदया मैं उनका तर्क मान नहीं रहा हूं।

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : अध्यक्ष महोदया, वह दूसरे देश के सांविधिक प्राधिकारी की बात कर रह हैं। मेरे विचार से यह देश हित में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह नियम 352 के अंतर्गत उल्लिखित है कि हम इस सभा में क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं और इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी अन्य देश के गणमान्य व्यक्ति का संदर्भ नहीं लिया जा सकता। यदि हम इस सभा में आंग सांग सु की का उल्लेख करें तो यह व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होगा। हमने उनका उतना सम्मान किया है जितने की वे हकदार हैं। अत: कृपया उन्हें अनुमति नहीं दें। मैं अपनी दलील से सहमत हूं।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं इस मामले में आपके विनिर्णय की मांग करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : किस नियम के अंतर्गत वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कल्याण बनर्जी (श्री रामपुर) : आप, केजरीवाल का जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपका व्यवस्था से संबंधित प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : क्या मैं बोलूं? यह देशभक्ति का सवाल है। मैं, शासन पक्ष, खुदरा बाजार में एफडीआई के विरुद्ध बंद का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताजी, खुदरा बाजार में एफडीआई का विरोध करने वाली डीएमके जिनका आधार खुदरा व्यापारी हैं, समेत सदन की सभी पारियों से यह अपील करता हूं कि वे दलदल संबद्धता की राजनीति को भूल जायें। मैं बहुमत की बात नहीं कर रहा हूं। इसी सदन में, करेंसी नोटों की गड्डियां प्रदर्शित की गईं थीं। हमें मालूम है कि भारतीय लोकतंत्र कितना नीचे गिर सकता है। मैं उस बारे में चिंतित नहीं हैं। यह सिद्धांत का सवाल है। हम बंगाल से हैं। बंगाल में ही स्वतंत्रता के सूर्य का प्लासी में अस्त हुआ। टैगोर ने लिखा है— "बोनीकर मनदंहो देखा दिलो राजदंदो रूपे- पोघले सरबोरी"। वे बतौर व्यापारी आए थे और राजा बन बैठे हैं। इसी तरह से अंग्रेज व्यवहार करते थे। क्या हम पुन: उसी की पुनरावृत्ति देख रहे हैं। अमरीकी वालमार्ट के जरिये आकर भारतीय बाज़ार पर और अंतत: भारतीय सत्ता पर कब्ज़ा कर लेंगे। इसकी हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव से तुरन्त पूर्व हर बार एक विभाजनकारी निर्णय क्यों लेती है। भारत-अमरीका परमाणु समझौता अमरीका में राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व हुआ। खुदरा में एफडीआई का निर्णय भी अमरीका में राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व हुआ। हम कहां जा रहे हैं? 120 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और इसकी परंपरा 5000 वर्ष पुरानी है। क्या हम चांदी के कुछ टुकड़ों की खातिर अपना ईमान बेच रहे हैं? यह आज मुख्य प्रश्न है। यह संघर्ष भारतीय देशभक्तों एवं भारत में देशभक्ति का विरोध करने वालों के बीच है।

मैं वालमार्ट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। विश्व में खुदरा कारोबार करने वाली तीन प्रमुख कंपनियां हैं। पहली है— वालमार्ट; दूसरी है- कैरेफोर जैसाकि श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उल्लेख किया है; और तीसरी है- टेस्को। मार्क्स एवं स्पेन्सर सरीखी अन्य कंपनियां की मौजूद हैं। किन्तु वालमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है। यह इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका कारोबार इसके बाद की अगली कंपनी से कम-से-कम चार गुणा ज्यादा है। इसका कारोबार 421 बिलियन अमरीकी डॉलर है। एक बिलियन डॉलर का अर्थ 100 करोड़ रुपए होता है। अत:, कल्पना कीजिए यह कितनी बड़ी राशि है। यह 4,21,000 करोड़ डॉलर की राशि है। इतना इसका कारोबार है।

हम भारत में किसे लेकर आ रहे हैं? हम वालमार्ट को ला रहे हैं जो 20,000 डॉलर की राशि का प्रति मिनट लाभार्जन करती है। हम उस वालमार्ट को लेकर आ रहे हैं जो अपने 82 प्रतिशत उत्पादों को चीन से लेता है। श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सही कहा कि वालमार्ट को लाये जाने से या तो अमरीकी लोगों का भला होना है या चीन के लोगों का। इससे भारतीयों का कोई फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी किसकी सहायता कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं? हमें यह बात समझनी ही होगी कि यही वह प्रश्न है जो हमारे सभी के मन में सबसे अधिक उठ रहा है। वालमार्ट

भारती रिटेल के साथ मिलकर पिछले दरवाजे से अर्थात् चुपके से पहले ही दाखिल हो चुकी है। यह भारत कि चार राज्यों में 13 होलसेल स्टोर चला रही है।

उनका कहना है कि सुरक्षोपाय विद्यमान हैं। सुरक्षोपाय क्या हैं? ये स्टोर दस लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ही खुलेंगे; वे अपने 30 प्रतिशत उत्पाद एसएमई क्षेत्र से लेंगे; वे 100 मिलियन की पूंजी लगाएंगे वे यहां अपना पचास प्रतिशत निवेश बैंक एंड आपरेशन्स में करेंगे।

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने खुदरा क्षेत्र के बारे में जून, 2009 में क्या कहा था? समिति ने समस्त स्थिति का अध्ययन किया और बहुत अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसने कहा कि एक बात तो यह है कि एफडीआई- संचालित खुदरा बाजार व्यवस्था से श्रम का विस्थापन होगा। विनिर्माण में श्रम विकास उस श्रम को खपाने के लिये अपर्याप्त होगा जिसे विस्थापित किया जायेगा। दूसरी बात यह है कि अत्यधिक पैसे वाली यह वैश्विक खुदरा बाज़ार श्रृंखला कई वर्ष तक तब तक हानि झेलती रहेगी जब तक उनके प्रतिस्पर्धा बाज़ार से समाप्त न हो जायें। बड़े खुदरा व्यापारियों की मूल्य-निर्धारण संबंधी रणनीति से छोटे खुदरा व्यापारी बाहर हो जायेंगे जिसकी वजह से नौकरियों की कमी हो जायेगी। वे कुछेक वर्षों तक तो कम दाम पर बेचते हैं और तत्पश्चात् जब उनके प्रतिस्पर्धी समाप्त हो जाएंगे तो वे अधिक कीमत पर बेचना आरंभ कर देंगे। यह वालमार्ट की मानक रणनीति है। तीसरी बात यह है कि एक बार वैश्विक खुदरा श्रृंखलाओं का एकाधिकार स्थापित हो जाने पर वे सस्ते दाम पर खरीदकर महंगे दाम पर बेचेंगे और इस प्रकार श्रृंखला के दोनों और नियंत्रण करके स्थापित आपूर्ति श्रृंखला का विघटन कर देंगे। अंतिम बात यह है कि इससे जीडीपी को कोई फायदा नहीं होता है। खुदरा व्यवस्था मूल्य-वर्धित मध्यवर्ती प्रक्रिया होने की वजह से स्वयं जीडीपी को बढ़ा नहीं सकती। अत:, आप खुदरा में एफडीआई को क्यों ला रहे हैं?

माननीय वाणिज्य मंत्री जी सदन के बाहर टिप्पणी कर रहे थे कि अन्यथा विदेशी निवेश नहीं आयेगा। यदि मैं पूछूं कि वाणिज्य मंत्री महोदय कितना विदेशी निवेश आप प्राप्त करेंगे। आप पांच वर्ष में लगभग तीन बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त करेंगे। भारत में 2000 से 2009 तक प्रत्येक वर्ष 20 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश तो हुआ ही है। तीन बिलियन डॉलर वह राशि है जिसका रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा में प्रतिदिन विनिमय करता है। उसके लिये, क्या आप कई सारे छोटे खुदरा कारोबारियों को मौत की ओर ले जाओगे? यह किसके लिये है?...*(व्यवधान)*

उन्होंने कहा है कि जैसे आपने चांदी के तीस टुकड़ों के लिये अपना ईमान बेच दिया, उसी तरह हम वालमार्ट को चांदी के 30 टुकड़ों के लिये देश बेच रहे हैं। श्रीमती क्लिंटन की कोई बात नहीं है। वह वालमार्ट में निदेशक थीं। किंतु हमारे लोग इस बारे में इतने चिंतित क्यों हैं?...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : कृपया श्रीमती क्लिंटन के बारे में कुछ मत कहिये। श्री खुर्शीद उस नाम के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।

प्रो. सौगत राय : मैंने कहा कि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जी हां, मैं उनकी संवेदनशीलता को समझ सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं वही बता रहा हूं जो आप कह रहे थे। आपने राष्ट्रपति का नाम लेने पर आपत्ति जताई आपने उस व्यक्ति का उल्लेख किये जाने पर आपत्ति जताई। इससे मात्र यही पता चलता है कि आप अमरीकी राष्ट्रपति के सामने कितने असहाय हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये गुरुदास दासगुप्त जी। कृपया करके बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं श्री खुर्शीद जी की संवेदनशीलता को लेकर परेशान नहीं हूं। वे दो नामों के प्रति संवेदनशील-सकारात्मक तौर पर तो श्रीमती क्लिंटन के बारे में और नकारात्मक तौर से अरविंद केजरीवाल के बारे में। ये वे दो नाम हैं जिनके बारे में वे प्रतिक्रिया व्यक्ति करेंगे। मैं इस मामले में असहाय हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. सौगत राय]

महोदया, अन्य देशों की बात को छोड़ भी दें तो देखिए अमरीका में क्या हुआ। वालमार्ट के आने से 40,000 अमरीकी कारखानें बंद हो गए। श्रीमती सुषमा स्वराज यह उल्लेख कर रही थी कि इसका अमरीकी उद्योग पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि 2001 और 2007 के बीच इसे आप जरूर सुनिए वालमार्ट चीन से आयात कर रहा है और करोड़ों लोगों को उनकी नौकरी से बाहर कर रहा है। इन्हीं वर्षों में, चीन के साथ आयात नौ बिलियन डॉलर से बढ़कर 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह त्रिगुना हो गया। इसका क्या अर्थ है? जहां कहीं भी उन्हें सस्ता माल मिलेगा वे वहीं से खरीदेंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो वे अपने देश के कारखानों को भी बंद करने से नहीं चूकेंगे। 1992 और 2007 के बीच, अमरीका में स्वतंत्र फुटकर विक्रेताओं की संख्या 60000 तक गिर गई। महोदया, अब मैं आपके माध्यम से वाणिज्य मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उन्होंने खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पड़ने वाले प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है?...*(व्यवधान)* हां, आपने केवल दो अध्ययन किए हैं- जिनमें से एक है दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन अब योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रो. राय, आपका समय समाप्त हुआ। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय : मैं किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हुआ। आपके दल से एक और सदस्य श्री कल्याण बैनर्जी को भी बोलना है।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : हम इसके लिए मंत्री पद छोड़ दिया। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा रहम कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया, कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : कृपया ज्यादा समय मत लीजिए।

प्रो. सौगत राय : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको टाइम पहले ही दे दिया है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : मैं जो कह रहा था वह यह था। आप जानते हो कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। इस बात को उन्होंने अपने मध्यावधि मूल्यांकन में कहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशन (आईसीआरआईईआर) के माध्यम से मंत्रालय ने एक अध्ययन किया कि देश के लिए खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अच्छा होगा। इसकी अध्यक्ष कौन है? डॉ. ईशर जज अहलूवालिया नामक एक अर्थशास्त्री हैं। आप नाम जानते है। उसका संबंध किससे है? मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। वही कहानी दुहराई गयी है। विचारधारा, भी वही है। विश्व बैंक और वही आईएमएफ की विचारधारा है जो देश को गर्त में डालने की योजना बना रहे है। हम यह कहना चाहते है कि वॉल-मार्ट के विकास ने मजदूरी को कम कर दिया है, मध्यम वर्ग की संख्या कम की है और कामगार गरीबों की संख्या को बढ़ा दिया है। वॉल-मार्ट पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं जिससे इसे मैक्सिको में इसके प्रतिद्वंदियों से बहुत पहले स्टोर स्थापित करने में सहायता मिली है। वॉल-मार्ट गरीबी को बढ़ाता है जो भारत में बहुत महंगा साबित हो सकता है। क्या वॉल-मार्ट किसानों की सहायता करेगा? टेलिविजन पर मैंने कांग्रेसी को कहते सुना कि यह किसानों के हित में है। आप किसी भी सुपरबाजार को देखिए एक सुपरबाजार में फल और सब्जियां कितनी जगह लेती हैं? पांच से 10 प्रतिशत तक...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह सब क्या है? कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. सौगत राय : मैंने कहा, मैं श्री चौधरी की चिंता को समझ सकता हूं...*(व्यवधान)* उन्हें हाल ही में मंत्री बनाया गया है...*(व्यवधान)* श्री चौधरी बहुत उत्साही भी है। मैं उनके उत्साह की सराहना करता हूं किंतु उनकी बात की नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : वह कह रहें हैं कि राज्य यह निर्धारित कर सकता है कि वे बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापारियों को शॉप्स एंड इस्टैबिब्लिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करें अथवा नहीं यह राष्ट्रीय नीति के विरोध में है। यदि लाइसेंस की मनाही हो जाती है तो इसे इलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड प्रोटेशन एग्रीमेंट (बीआईपीए) के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। यह खबर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय : महोदया, खुदरा व्यापार में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को वैध ठहराने के लिए सरकार कह रही हैं कि कृषि उत्पाद के लिए बहुत सी भंडारण सुविधाएं की जाएंगी। क्या यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि वह या तो स्वयं भंडारण क्षमता को बढ़ाए या राजसहायता द्वारा निजी क्षेत्रों को इसके लिए प्रेरित करे? सरकार, जो बुरी तरह से असफल हो गयी है, को छोटे खुदरा व्यापारियों को उनकी बिना किसी गलती के दंड देने का कोई अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : उसके पास भंडार घर है...*(व्यवधान)* अब उस मामले में...*(व्यवधान)* क्या यह कोई तर्क हुआ? मैं जानना चाहता हूं।

मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्री अपनी दोहरी बातों में उलझा रहें है। वह कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत स्रोत भारतीय एसएमई से प्राप्त किए जाएंगे।

यह एक राजनीतिक नौटंकी है जिसे खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विरोध करने वालों की भावनाओं को शांत करने के लिए बनाया गया है और यदि विदेशी खुदरा व्यापारी इसे चुनौती देते हैं तो यह जांच में खरी नहीं उतरेगी इस प्रकार के खंड को डब्ल्यूटीओ और विभिन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता दायित्वों के अंतर्गत लागू नहीं किया जा सकता। एफटीए के अंतर्गत, सरकार को विदेशी निवेशको के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है जैसा एक भारतीय विनिर्माता के साथ किया जाता है। चूंकि एक भारतीय खुदरा व्यापारी के लिए इस प्रकार की कोई प्रापण शर्त नहीं है, इसे विदेशी खुदरा व्यापारियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता। वाणिज्य मंत्री यह जानते हैं किन्तु वह इस तथ्य को छुपा रहे हैं।

महोदया, वे यह कह रहें है कि यह किसानों के लाभ के लिए है यह उनकी एक चाल है। ऊंचे बाजार केवल विनिर्मित वस्तुएं ही बेचते हैं तथा केवल 5 से 10 प्रतिशत स्थान ही फलों और सब्जियों को दिया जाता है। अत:, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

वे कह रहे हैं कि वे इन दुकानों को ग्रामीण भारत में नहीं केवल शहरो में खोलेंगे।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आज 3.3 करोड़ व्यापारियों, जोकि समाज के परजीवी नहीं हैं, की भविष्य की आजीविका दांव पर है। यदि वाल-मार्ट आ जाती है, तो निकटवर्ती मैत्रीपूर्ण किराने की दुकान बंद हो जाएगी जिसका मालिक आपको चेहरे से जानता है, जो आपको उधार भी देता है। किसानों को लाभ नहीं होगा। भारत का धन विदेश में वाल-मार्ट के पास जाएगा; हो सकता है...*(व्यवधान)* (कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया) अपना हिस्सा मिल जाए हमें लाभ नहीं होगा...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदया, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इनके भाषण अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप समाप्त कर चुके हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, निगयम 353 के अंतर्गत, किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं पहले ही बोल चुका हूं। मैं सूचना किसको दूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : किसी और को नहीं, बल्कि मुझे। सूचना अध्यक्ष को और संबंधित मंत्री को भी दी जानी होती है। अभी-अभी आपने जो भाषण दिया है, मैं उसका कार्यवाही वृत्तांत मंगाकर देखूंगी और यदि उस नियम 353 का उपबंध लागू होता है और यदि इसमें आरोप हुए, तो वह कार्यवाही से निकाल दिए जाएंगें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं कुछ कर रही हूं। कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं कह रही हूं कि मैं कार्यवाही के रिकार्ड मंगाकर देखूंगी।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, बैठकर सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं? आप फिर क्यों बोलने लगे? संजय निरुपम जी, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसकी यह सब मेरी जिम्मेदारी है।

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर) : इनको भी समझाना है।

अध्यक्ष महोदया : हां, समझा रही हूं। एक नियम 353 है। उस नियम के तहत अगर आपने कुछ भी ऐसा कहा है, जो उस नियम के हिसाब से आपत्तिजनक है तो मैं उसकी प्रोसीडिंग्स मंगाकर देखूंगी और एग्जामिन करूंगी और अगर आपने वह वैसा कहा है तो उसके बाद मैं उसको एक्सपंज कर दूंगी। यह मैं आपको बताना चाहती हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब आपकी बात हो गई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप क्या बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदया, मुझे केवल एक मिनट का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब श्री हसन खान बोलेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

महोदया, यह साम्राज्यवाद के संदर्भ में बहस की तरह है कि चूंकि आयातित तैयार माल बढ़िया दरजे के होते थे और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाते थे, लेकिन इसने बहुत से किसानों के अलावा,

लाखों दस्तकारों की आजीविकाएं नष्ट कर दीं और आयात की खुली छूट देने वाली योजना के मात्यय से बुनकरों की आजीविका संकट में नहीं डालनी चाहिए।

एफ.डी.आई के पक्ष में दलील साम्राज्यवाद के अभिशाप को पुनर्जीवित करना है। अब, थाईलैंड, चिली, अर्जेंटीना, निकारागुआ जैसे देशों, जिन्होंने खुदरा में एफ.डी.आई की अनुमति दी है, ने खुदरा में एफ.डी.आई के दुष्प्रभावों को महसूस किया है आप जानते है कि संपूर्ण विश्व केवल मध्यम वर्गीय परिवारों के मन बहलाने के लिए मउ कहते हुए देखते हैं कि हम दिल्ली में अपनी वालमार्ट दुकान पर जाते हैं, सिर्फ इस बात के लिए गरीब किराना दुकानदारों और हाथ गाड़ी से दुकान तक समान ढोने वाले की जिन्दगियां तबाह मत कीजिए।

महोदया, इसी कारण, मैं यह कह रहा हूं कि भारत में खुदरा व्यवसाय समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसे तबाह नहीं किया जाना चाहिए और यदि वे यह कदम उठाकर उसको तबाह करने का निर्णय लेते हैं, तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री हसन खान (लद्दाख) : महोदया, मैंने 30 नवम्बर, 2010 को लोक सभा के पटल पर रखे गए फेमा (एफ.ई.एम.ए) की अधिसूचना में विलोपन और संशोधन के लिए संकल्प का प्रस्ताव किया है। मैं चाहता हूं कि यह सभा इस प्रस्ताव पर विचार और इस पर चर्चा करे तथा इसके विलोपन सुझाए। यदि मैं संतुष्ट हुआ और यदि दलीलें तर्कसंगत हुई, तो हो सकता है कि मैं मतदान के लिए जोर न दू, अन्यथा, इसे नियमों के अनुसार होने दें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल (चांदनी चौक) : मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन का आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने का मौका दिया।

हम भावुक होकर भाषण तो बड़े जोर-शोर से कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको समझने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझाऊंगा। मैडम, पहले तो यह समझना है कि सरकार की नीति क्या है और सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया और किन चीजों को सामने रखकर लिया। सबसे पहले तो आखिरी निर्णय यह हुआ कि हिन्दुस्तान के केवल उन शहरों पर मल्टी ब्रांड रिटेल एफ.डी.आई. लागू होगी, जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। अगर आप आंकड़े देखें तो हिन्दुस्तान में 53 ऐसे शहर हैं, जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है तो अगर एफ.डी.आई. मल्टी ब्रांड रिटेल लागू होगी तो केवल 53 शहरों में हो सकती है। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जहां विपक्ष की सत्ता है, उनके मुख्यमंत्रियों ने यह जाहिर किया कि वहां वे मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं लाना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जहां यूपीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, दूसरे भी हैं, वहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम एफ.डी.आई. मल्टी ब्रांड रिटेल को यहां लागू करना चाहते हैं, वह हैं आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और पंजाब।...*(व्यवधान)* अगर उन सारे शहरों को हम अलग कर दें, जहां प्रदेश नहीं चाहते हैं, उनकी संख्या करें कि यह कितने शहरों में यह हो सकता है, तो 53 भी नहीं, 18 ही रह जाएंगे। इस नीति के आधार पर अगर कोई प्रदेश चाहता है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, तो मत लागू करें, क्योंकि यह तो एक एनेबलिंग पॉलिसी डिसीजन है।...*(व्यवधान)* अगर यह लागू होना है, तो केवल 18 शहरों में लागू होगा।...*(व्यवधान)* अगर 18 शहरों में लागू होगा, तो हिन्दुस्तान बिक जाएगा, हम सब कुछ अमेरिका को बेच देंगे, वॉलमार्ट हिन्दुस्तान पर कब्जा कर लेगा, मैं समझता हूं कि यह बढ़ा-चढ़ाकर बात हो रही है। यह जो चर्चा हो रही है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि यह चर्चा क्यों हो रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बस हो गया, अब शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : शांति रहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हैं कि एफ.डी.आई मल्टीब्रांड लागू नहीं हो, तो मत लागू करो। यह

[श्री कपिल सिब्बल]

आपका निर्णय है। हम किसी विधान सभा को नहीं कह सकते हैं कि आप जरूर लागू करें। यह तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां आप कैसे विरोध कर सकते हैं? यह एक नया नियम पैदा हुआ है। एक नया डेफीनिशन ऑफ ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा कि मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : यह कौन सी सांविधानिक बात है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी डूबकर ले जाएंगे।...*(व्यवधान)* यह कौन सी राजनीति है? मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आयी, अगर आप नहीं चाहते तो रमत लागू कीजिए और जहां मुख्यमंत्री चाहते हैं, उनको लागू करने दीजिए। इस डिबेट का मतलब क्या है? यह अनुमति तो हमने आपको दी है, यह अधिकार तो आपकी विधान सभा को हमने दिया है, आपके मुख्यमंत्री को दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू करना चाहते हैं तो मत लागू करें।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : हम नहीं करेंगे।

श्री कपिल सिब्बल : ठीक है, हम मानते हैं।...*(व्यवधान)* यही हमारी नीति है। केरल में हमारी अपनी सरकार है। उन्होंने कहा कि हम नहीं लागू करते।...*(व्यवधान)* हमने कहा कि ठीक है, मत लागू करिए।

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : लेकिन जहां मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं, आपका क्या सांविधानिक हक है कि आप उसका विरोध करें। ...*(व्यवधान)* यह तो हो गयी मूल बात, मैं समझता हूं कि इस चर्चा की जरूरत नहं थी, यह केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। विजया जी, आप क्यों खड़ी हो गयीं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से, विपक्ष की नेता, सुषमा जी से अपील करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* वह स्वयं बात कर रही हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। निशिकांत जी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदया, मैं आपके माध्यम से, विपक्ष की नेता से अपील करना चाहता हूं कि इस वाद विवाद को उसी ढंग से चलने दें जिस तरह से इसे चलना चाहिए। अन्यथा, इससे यह परिपाटी बनेगी कि जब वे बोलेंगे, तो इस तरफ से कोई भी उन्हें बोलने नहीं देगा। इसलिए, मैं अध्यक्ष महोदया के माध्यम से विपक्ष की नेता से अपील करता हूं कि कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : डिबेट कैसे होगी? आप सभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : मैडम, हमारी मूल नीति क्या है? मूल नीति यह है कि हमने यह निर्णय...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऐंगे। मुद्दा क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : किसी का जवाब नहीं देना है। आप शांति से बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : चलिए, वाद विवाद जारी रखते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : कोई भी मल्टी ब्रांड रिटेल में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले 100 मिलियन डालर निवेश करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : हमें वाद विवाद शुरू करने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : सबसे पहले उसे 100 मिलियन डालर निवेश करना पड़ेगा। उसमें से 500 प्रतिशत, 50 मिलियन डालर बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा?...*(व्यवधान)* इसका क्या मतलब हुआ?

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं, किसानों, प्रसंस्करण करने वालों और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ के लिये फसल कटने के बाद, खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाउसिंग, माल सूची प्रबंधन, कृषक सहयोग प्रणाली और प्रतिस्पर्धा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह निर्बाध चल रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : 50 मिलियन डालर बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको इंवेस्ट करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* और साथ-साथ में यह भी तय है कि जो 50 मिलियन डालर है उसको तीन साल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* जब से उसको अनुमति मिलती है उसके तीन साल तक उसे 50 मिलियन डालर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वह अपनी रिटेल चला सकता है।...*(व्यवधान)* यह तीसरी बात है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

चौथी बात यह है कि जो वह मैन्यूफैक्चर की चीज बेचेगा, उसका जो सोर्सिंग है - तीस प्रतिशत एमएसएमई सेक्टर से आएगा। इसका मतलब है कि वह जब तक तीस प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट एमएसएमई सेक्टर से सोर्स नहीं करेगा तब वह नीति का उल्लंघन करेगा।...*(व्यवधान)* और एफआईपीबी अप्रूवल नहीं मिलेगा। ...*(व्यवधान)* यह है नीति।...*(व्यवधान)* वालमार्ट की बात बढ़ा-चढ़ा कर हो रही थी। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुषमा जी को आंकड़े ज्यादा मालूम हैं।...*(व्यवधान)* मैं उनको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। जब चीन ने वर्ष 1992 में एफडीआई सेक्टर को ओपन किया। इसे पहले छ: प्रान्तों में और साथ-साथ स्पेशल इकोनॉमी जोन में ओपन किया और वालमार्ट जब आया तो पहली बार, पहले वर्ष उसका प्रॉफिट वर्ष 2008 में आया। वर्ष 2008 तक वह घाटे में चल रहा था। यह आंकड़ा है।...*(व्यवधान)* यह मैं आपको बता सकता हूं।...*(व्यवधान)*

दूसरी बात, मैं आज की स्थिति बताता हूं।...*(व्यवधान)* इनका एफडीआई इन रिटेल 100 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

मैं 'फोर्ब्स - इन्टरनेशनल रिटेलर्स स्ट्रगल इन चाइना' से पढ़ रहा हूं। "चीन के खुदरा उद्योग में प्रवेश करने वाली दो प्रारंभिक कंपनियां वालमार्ट स्टोर्स इन्क और कैरेफोर देश में अपने कारोबार मॉडल को चलाने के लिये संघर्ष कर रही हैं।"

[हिन्दी]

वॉलमार्ट चाइना में फेल हो गया, वर्लपूल भी फेल हो गया और आप कहते हैं कि वॉलमार्ट ने सबको खरीद लिया।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : करोड़ों रुपए दे देते हैं और अब नाटक कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री कपिल सिब्बल की बात के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : जब सुषमा जी अपना भाषण दे रही थीं, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का वर्णन किया तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी डेट बता दीजिए। उन्होंने डेट नहीं बताई। शायद इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर डेट बता देतीं तो पता चल जाता कि बीजेपी का निर्णय था कि एफडीआई में रिटेल होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं उसके बारे में बताऊंगा। मई 14, 2002 में एक जीओएम बैठा।

[अनुवाद]

तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन ने उस मंत्रिसमूह के लिये एक टिप्पण तैयार किया था। मैं इसे यह बताने के लिये पढ़ूंगा कि उस टिप्पण में क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था:

"1. विदेशी निवेशकों द्वारा भारी पूंजी लगाना, क्योंकि आधुनिक संगठित खुदरा कारोबार व्यापार में जमीन जायदाद भंडारण एवं परिवहन संभार तंत्र, आईटी अनुप्रयोग, विपणन एवं माल बेचना आदि आते हैं और इसलिये मल्टी-रिटेल ब्रांड में एफडीआई की अनुमति दी जाए।"

इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष तौर पर भारी एफडीआई आने से रोजगार पैदा होंगे...."

[हिन्दी]

बिल्कुल इनके विरुद्ध जो यह कह रही हैं।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"2. इस क्षेत्र में भारी एफडीआई के प्रत्यक्ष रूप से आने

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से रोजगार पैदा होंगे। आधुनिक खुदरा कारोबार की पूंजी सघनता के बावजूद यह श्रमिक संदर्शी बना रहेगा।''

3. आधुनिक प्रौद्योगिक की शुरूआत और प्रबंधन दक्षताओं, वितरण श्रृंखला का संपीड़न और वैश्विक बेहतर परिपाटी को स्वीकार करके उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि।

4. प्रत्यक्ष तौर भारी उत्पादन होने से वस्तुओं के मूल्य कम होंगे जिससे प्रत्यक्ष तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

5. कम मूल्य एवं विपणन दक्षता से मांग एवं उपभोक्ता के व्यय को गति मिलेगी।

6. खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की भारी उपस्थिति अपस्ट्रीम क्रियाकलापों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण और पैकिंग उद्योगों में एक गतिशील शक्ति का कार्य करेगा। वे उत्पादन लागतों के संदर्भ में स्थान निर्धारण का अधिकतम लाभ लेने के लिये नये स्थान पर कारोबार की शुरूआत करने के लिये अपने विश्वव्यापी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रेरणा देते हैं।''

[हिन्दी]

इसके बाद क्या हुआ। बीजेपी ने वर्ष 2004 में अपने मैनिफैस्टो में क्या कहा, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं दृष्टिकोण पत्र से पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है:

''व्यापार और वाणिज्य : अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति पर संगठित खुदरा व्यापार को व्यापार एवं रोजगार के लिये उपयुक्त कानूनी एवं वित्तीय उपायों के माध्यम से विकास के नये इंजन के रूप में प्रोत्साहन दिखा जायेगा। खुदरा में 26 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी जायेगी। विदेशी खुदरा चेन द्वारा भारतीय उत्पादों की सोर्सिंग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।'' यह आपका दस्तावेज है। अपने दस्तावेज की जिम्मेदारी लें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

तीन मैंने सुषमा जी रसे उस प्लानिंग कमीशन की तारीख मांगी थी, क्योंकि यह तारीख वर्ष 2004 से पहले की है। इन्होंने फिर भी अपना इरादा बदल दिया। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी इरादा बदल दिया क्योंकि इनके विजन डौक्यूमैंट में यह बात लिखी गई।...*(व्यवधान)*

अभी जसवंत सिंह जी यहां बैठे हुए थे। जसवंत सिंह जी ने इसके बारे में क्या कहा। अप्रैल 12, 2004 में कहा:

[अनुवाद]

''यह हमारे एजेन्डा का एक भाग है और हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं।''

[हिन्दी]

आज कुछ और कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा। जो बात हो रही है कि हमारी डोमैस्टिक स्पलाई चेन सब खत्म हो जाएंगी, सब टेक ओवर हो जाएगा। जसवंत सिंह जी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा:

[अनुवाद]

अनेक लोगों ने कहा था कि केनटुकी (के.एफ.सी) बाजार से ढाबों को बाहर कर देगी। ढाबों ने केनटुकी को बाहर कर दिया। कोका कोला और पेप्सी के बावजूद भारतीय शरबत अभी भी है। भारत को कम मत आंकिये। हमारा अनुभव है कि भारतीय ब्रांड में बहुत शक्ति है।

[हिन्दी]

वर्ष 2004 में आपने यह निर्णय लिया। फिर आपने इरादा बदल दिया। जब इंडिया शाइनिंग कैम्पेन नतीजा आपके सामने आया तो आपने इरादा बदल दिया। आपने सोचा कि इससे सत्ता में वे लोग आये, हम तो आये ही नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना इरादा बदल दें। आपका इरादा क्या था, वह भी मैं पढ़ देता हूं। मैं आपका वर्ष 2009 का मैनिफैस्टो भी पढ़ देता हूं कि उसमें आप क्या कहते हैं?

[अनुवाद]

''भाजपा खुदरा व्यापार द्वारा प्रदान किये जा रहे रोजगार और सेवाओं के संदर्भ में उनके महत्वपूर्ण योगदान को समझती है; और इस प्रकार खुदरा व्यापार में अनिगमित क्षेत्र की प्रभावी

[श्री कपिल सिब्बल]

भूमिका का समर्थन करती है। इसके लिये, यह खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति नहीं देगी। कृषि के बाद खुदरा क्षेत्र लगभग चार देगी। कृषि के बाद खुदरा क्षेत्र लगभग चार करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा नियोक्ता है।''

अत:, आपने कहा है कि आप खुदरा व्यापार में अनिगमित क्षेत्र की प्रभावी भूमिका और अनिगमित क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने के पक्ष में हैं।

[हिन्दी]

वह फॉरेन इन्वेस्टमैंट कहां से आयेगी? फॉरेन इन्वेस्टमैंट अनइनकोरपोरेटिड सैक्टर में कैसे आयेगी, यह हमें बता दीजिए। कौन से इंडीविजुअल में इन्वेस्टमैंट आयेगी, मुझे बताइये।...*(व्यवधान)* अभी तक तो बताया नहीं, आठ साल बीत गये।...*(व्यवधान)* आठ साल बीत गये, आपने यह नहीं बताया कि कैसे अनइनकोरपोरेटिड सैक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमैंट आयेगा।...*(व्यवधान)* कौन सा अनइनकोरपोरेटिड सैक्टर गांव में इन्वेस्ट करेगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल स्केल सैक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा? उनके पास तो पैसा ही नहीं रहता। कैपिटल कहां से आयेगा? बैंक्स से लोन कहां से मिलेगा? हमारा एमएसएमई सैक्टर आज बैंक्स से लोन ले नहीं सकता। क्रेडिट तो मिलता नहीं है और फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां आकर उनको पैसा देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने वर्ष 2004 में निर्णय लिया और वर्ष 2009 में बदला, आप बताइये कि क्यों बदला, कैसे बदला और किस वजह से बदला?...*(व्यवधान)* आठ साल हो गये, आपने आज तक नहीं बताया।...*(व्यवधान)* मैं आपको एक बड़ी...*(व्यवधान)* फिर चिली, अर्जेंटीना, चाइना, थाईलैंड आदि बाहर के देशों की बात हो रही है। हम कोलकाता, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। असलियत तो पता चल जायेगी...*(व्यवधान)* वैस्ट बंगाल की बात करते हैं। आज के दिन वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)* आपको मालूम है कि वैस्ट बंगाल में पेप्सिको कंपनी किसानों से आलू खरीदती है। वहां क्या हो रहा है? जब सीपीएम थी तब शुरू हुआ था। वर्ष 2010 में प्रोक्योरमैंट 22 हजार मीट्रिक टन था जो आज वर्ष 2012 में 69 हजार मीट्रिक टन हो गया है, यानी दो साल में। जो किसान...*(व्यवधान)* और यह प्री एग्रीड प्राइज पर होता है। पेप्सिको किसान के साथ तय कर लेती है कि कौन सी प्राइज पर उसे लेना है।...*(व्यवधान)* कांट्रैक्ट सामी नहीं, प्री एग्रीड प्राइसिंग है। आप गलत कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह अनुबंध कृषि नहीं है; आप गलत हैं। उसमें क्या हुआ? पेप्सिको का पहले 1800 फार्मर्स के साथ समझौता था लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स हो गये हैं। वर्ष 2008 में 1800 फार्मर्स थे लेकिन अब 10 हजार फार्मस के साथ उनका समझौता है। जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन था, वह वर्ष 2011 में 5 हजार 500 एकड़ था, आज वह 7 हजार एकड़ है। इसका मतलब यह है कि आप वैस्ट बंगाल में वही काम कर रहे हैं जिसका आज यहां विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* वैस्ट बंगाल में आप वही काम कर रहे हैं जिसका यहां विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं बताता हूं। रिटेल की भी बात करता हूं। रिटेल बिग बाजार, रिलायंस रिटेल मेट्रो कैश एंड कैरी की भी बात करता हूं। वे आंकड़े भी मेरे पास हैं। मैं आपको मेट्रो कैश एंड कैरी की बात करता हूं।

[अनुवाद]

मेट्रो कैश एंड कैरी कहता है:

''किसानों के साथ हमारी भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें अपने फार्म के नजदीक स्थित कलेक्शन सेन्टर के माध्यम से नये उत्पादों के लिये व्यापक बाजार मिले। परिवहन की कम लागत, व्यापक प्रशिक्षण के अवसरों और एक विश्वसनीय एवं पारदर्शी इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली से किसानों को लाभ होता है।''

[हिन्दी]

ताकि किसान को उसी वक्त पैसा मिलता है जब वह चाहता है, जब उसकी जरूरत होती है। वह बाहर मनी लेंडर के पास नहीं जाता जिसकी यहां चर्चा हो रही थी। पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में एक विपक्ष की नेता ने मनी लेंडर के पक्ष में बात की।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैंने आढ़ती की बात की, साहूकार की बात नहीं की।...*(व्यवधान)* आप गलत बयानी मत कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख होता है।...*(व्यवधान)* आपने कहा कि वह बेचारा कहां जाये, वह तो मनी लेंडर के पास जाता है।...*(व्यवधान)* मनीलेंडर एटीएम हो गया किसान को, यह आपने कहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने साहूकार की बात ही नहीं की, मैंने आढ़ती की बात की, जो अनाज बेचता है। आपको साहूकार और आढ़ती का अंतर ही नहीं पता है।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को एक किलो आलू के लिए बाजार में दाम तीन रुपए मिलता है और उसे पेप्सीको 5.75 रुपए देती है। बाजार में तीन रुपए और यहां लगभग छः रुपए मिलते हैं। वर्ष 2010-11 में बाजार में 3.80 पैसे से पांच रुपए तक दाम था और यहां पर छः रुपए मिलते थे। इस तरह किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पर पैसा मिलता है। आम किसान क्या करता है, यह मैं आपको बताता हूं...*(व्यवधान)* आम किसान की हालत यह है कि उसे पता नहीं है कि मुझे कब मार्केट जाना है। उसको पता नहीं है कि मैं कब बेचूंगा और जो वह बोता है, उसका 35 से 40 प्रतिशत खराब हो जाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े फल एवं सब्जी उत्पादक हैं ...*(व्यवधान)* हम विश्व में फल एवं सब्जी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। हम 200 मिलियन टन फल एवं सब्जी का उत्पादन करते हैं और विचार करें कि इस फल एवं सब्जी का 35 से 40 प्रतिशत बेकार हो जाता है जिसका अर्थ है लगभग 80 मिलियन टन और इस 80 मिलियन टन के मूल्य की गणना करें। 200 मिलियन टन में से 80 मिलियन टन बेकार हो जाता है। इस 80 मिलियन टन का मूल्य निकालें। यह हजारों करोड़ रुपए बैठता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : आपकी नीति का उद्देश्य क्या है? किसान को जो मूल्य बाजार में मंडी में मिलता है उससे अधिक मूल्य मिले। किसान का उससे अधिक मूल्य मिलना चाहिये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : किसान को, जो वह बोता है, उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए। अब यह साबित हो गया है कि वेस्ट बंगाल में उसको मार्केट प्राइस ज्यादा मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब किसान बोता है और बेचने जाता है, तो उसके पास मार्केट नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि किस मार्केट में जाना है। अगर वह मंडी में बेचने जाता है, तो उसका 35 से 40 प्रतिशत सामान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं।...*(व्यवधान)* ऐसी स्टडीज की गयी हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17 प्रतिशत पैसा ही मिलता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गणेश सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कार्यवाही - वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : किसान का जो माल मार्केट में बिकता है, उसका केवल 15 से 17 प्रतिशत किसान को मिलता है, बाकी पैसा बिचौलियों को चला जाता है। विपक्ष के नेता और दलों को यह तय करना है कि वे किसान के साथ हैं या बिचौलियों के साथ हैं।...*(व्यवधान)* यह आप तय कर लीजिए। हमारी पार्टी किसान

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

के साथ है, उपभोक्ता के साथ है, एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों के साथ है, जो युवा लोग हैं, जिनको इसके द्वारा नौकरियां मिलेंगी, उनके साथ है और आप केवल बिचौलियों के साथ हैं। यह साफ जाहिर हो गया है। आप कहती हैं कि फार्मर को क्या फायदा होगा, मैंने बता दिया है कि पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा टाइम से मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है,

कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा और उसका एक श्योर बायर है।...*(व्यवधान)* उसका बायर पक्का हो गया है। उनका एक समझौता हो गया प्री-प्राइसिंग एग्रीमेंट में हमने तुमसे आकर लेना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वे बस बोलने ही वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उनकी बारी है उन्हें बोलने दीजिए। अगर आपका मन बोलने का है तो हम उन्हें बैठाकर आपको बोलने दें, क्या करें? आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यदि आप लगातार टीका-टिप्पणी (कमेन्ट्री) करेंगे तो मैं सदन को कैसे चला पाऊंगी?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, कृपया-शांत रहिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैं कोर्न की बात करता हूं। वैस्ट बंगाल के बर्दवान में एक किसान जिसका नाम राम प्रसाद गोसाल है से पूछा गया कि कोर्न का तुम्हें कितना दाम मिलता है।

[अनुवाद]

उसने जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं,

"इस वर्ष मैं मक्का का उत्पादन किया है जिसे शहरी बाज़ारों में 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है किन्तु मैं इसे मंडी में 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही बेच पाया हूं।"

इसका अर्थ यह है कि वह इसे मंडी में 5 रुपए के हिसाब से ही बेच पा रहा है।

[हिन्दी]

भाव उसका 12 रुपए है यानी उसे 7 रुपए का नुकसान होता

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अगर वह मंडी में जाता और आप कह रही थीं कि किसान को बड़ा नुकसान होता है, किसान खत्म हो जाएंगे, उपभोक्ता को फायदा नहीं होगा।

श्री कल्याण बनर्जी : इतनी छोटी जगहों पर कभी गये हैं आप?

श्री कपिल सिब्बल : हां मैं गया हूं, आपको बड़ी गलतफहमी है, आपके वैस्ट बंगाल में भी गया हूं और आपके नजारे भी देखें हैं।...*(व्यवधान)* सबसे विचित्र बात यही है कि ऐसे लोग जो ऐसी आतें करते हैं रिटेल की बात करते हैं तो मैं उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात आपको बता दूं। इनकी सरकारों ने आंग्स्टेन यंग को बुलाया और बोला कि किसी तरीके से हमें बताओ कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे कृषि के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा *[अनुवाद]* हम किसान को कारपोरेट मूल्य श्रृंखला से जोड़ना चाहते हैं। *[हिन्दी]* जो विरोध कर रहे हैं वहां आंग्स्टेन यंग को पूछ रहे हैं कि–

[अनुवाद]

कृपया हमें किसाने को कारपोरेट मूल्य श्रृंखला से जोड़ने दीजिये। अरन्स्ट एंड यंग के अनुसार: वे न केवल भारतीय खुदरा कारोबारियों वरन वैश्विक खाद्य कंपनियों की रूचि भी पूछ रहे हैं। ओडिशा के मामले में, अरन्स्ट एंड यंग कनाडा, बाराकट के लॉबलॉज़ तथा मध्य पूर्व की जिम की खाद्य श्रृंखलाओं को लाने की ओर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

मतलब कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, बयानबाजी कुछ है, असलियत कुछ है।...*(व्यवधान)* मैं बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। वामपंथी दल भी यहां बैठे हुए हैं जो बड़ा विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। मुझे उस दिन अजीब सा लगा कि माननीय सुषमा जी, जेटली साहब और सीताराम जी एक ही मेज पर बैठे हुए थे। लगता है कि आपकी फिलॉसफी विपक्ष में होने के बाद बदल गयी है। पहले आप लिब्रलाइजेशन का स्वागत करते थे अब खिलाफ हो गये हो। जब आपे सत्ता में होते हो तो ग्लोबलाइजेशन स्वदेशी हो जाता है, अब आप विपक्ष में होते हो तो स्वदेशी हो जाता है इकोनोमिक नेशनलिज्म। यह आपकी नीति है। चलिये, मैं आपको माननीय सीताराम येचुरी जी का मई 16, 2004 को हिंदू बिजनैस लाइन में छपा बयान बता दूं। क्या कहते हैं सीताराम येचुरी जी–

[अनुवाद]

"श्री येचुरी ने इस विचार को भी खारिज किया है कि उनकी पार्टी खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ है।" उनके मुताबिक, वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में अलग-अगल रहना देश के लिये संभव नहीं है। उन्होंने पुन: कहा कि साथ ही एफडीआई के मामले में तीन शर्तें पूरी होनी चाहिये। मैं येचुरी जी से पूर्णत: सहमत हूं। इससे परिसंपत्ति अर्जन की बजाय उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिये; प्रौद्योगिकी उन्नयन होना चाहिये और रोज़गार सृजन भी होना चाहिय। यदि ये सब हो जाता है, तो विदेशी निवेश कहीं भी चाहे खुदरा क्षेत्र हो या थोक क्षेत्र हो-किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : इसमें कोई ऐसा रेक्वीजीशन नहीं होता है, यह तो हम जानते हैं क्योंकि हमने कहा है कि आपके जो एसैट बनेंगे, आप जब कहीं भी वॉलमार्ट बनाओगे तो उसमें पचास प्रतिशत, 15 मिलियन डॉलर नहीं जोड़ा जाएगा। वह तो आपका सैपरेट इंवेस्अमेंट होगा। इसलिए उसमें एक सच रेक्वीजीशन नहीं है। अगर आप स्मॉल स्केल सैक्टर में इंवेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। यह बात तय है क्योंकि आप यहां से प्रिक्योर करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका मिलेगा। आप हमारा ऑटोमोबाइल सैक्टर देख लीजिए। पिछले इस सालों में जब कम्पोनेंट इंडस्ट्री हिन्दुस्तान में थी ही नहीं और यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कम्पोनेंट इंडट्री नहीं थी और सभी डर रहे थे कि फॉरेन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

कंपनीज आ जाएंगी तो ऑटोमोबाइल सैक्टर का क्या होगा? आज का दिन है कि हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्रीज विश्व की सारी मोटर कंपनीज को कंपोनेंट्स सप्लाई करतीं हैं। हमारे कंपोनेंट्स के बिना दुनिया में गाड़ी नहीं बन सकतीं।...*(व्यवधान)* यह हाल है।

आप हमारे फार्मा सैक्टर को देखिए। बड़ा विरोध होता था। जब प्रोडक्ट पेटेंट की बात आई और हमने इनका समर्थन किया क्योंकि ये उस समय सत्ता में थे लेकिन जब ये सत्ता में नहीं रहे तो वर्ष 2004 में जब हम प्रोडक्ट पैटेंट दिलाने के लिए गये तो इन्होंने विरोध किया और कहा कि हम नहीं बनने देंगे। इन्होंने फार्मास्युटिकल्स में विरोध किया। पैकेट्स में विरोध किया। डब्ल्यूटीओ के समय में भी उस समय जब प्रणब मुखर्जी साइन करने के लिए गये थे तो वहां आपने विरोध किया। आपने कहा कि

[अनुवाद]

हमने इस देश के लोगों का विश्वास खो दिया; हम उदारीकरण की अनुमति कभी नहीं देगे। *[हिन्दी]* फिर आपके के.एन.शर्मा ने जब आप सत्ता में आ गये तो उन्होंने बयान दिया कि *[अनुवाद]* हम उदारीकरण को अपनाएंगे-...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इसलिए असलियत तो यह है कि इस देश की जनता नहीं जानती कि आपकी नीति क्या है? लेकिन देश की जनता यह जानती है कि आपकी नीयत क्या है?...*(व्यवधान)* अगर आप फार्मा में, जेनरिक्स में विश्व की पहली बड़ी इस कंपनीज के नाम गिनेंगे तो देखेंगे कि उनमें से तीन कंपनीज हिन्दुस्तान की हैं। जहां जहां हमारे उद्योगपति को, हमारे नागरिक को अवसर मिला, उसने दुनिया में दिखा दिया कि हम अव्वल हो सकते हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन आप नहीं चाहते। मैं आपको असलियत बताता हूं कि असलियत क्या है? जब हम यहां खड़े होते हैं तो हम विपक्ष की ओर देखते ही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदया, मेरी गुजारिश है कि हमारी इतनी अच्छी फार्मास्युटिकल्स कंपनीज हैं, आप कम से कम सारे देश के लिए एक अच्छा काम कीजिए कि कोई अच्छी दवाई इनको दिलवा दीजिए, इन्हें समझ तो आ जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया, मुझे ताज्जुब होता है कि सुषमा जी ने कहा दिया कि यह जो हमने नीति बनाई है,

[अनुवाद]

यह द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा करार तथा विश्वास व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)- दोनों का उल्लंघन है। मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं सुषमा जी को बताना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ के तहत मल्टी-ब्रांड रिटेल को बतौर एक सेवा वर्गीकृत किया गया है और इसलिए यह जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज के दायरे में है। भारत ने जीएटीटीएस (गैट्स) के तहत इस क्षेत्र में कोई प्रतिबद्धता नहीं की है।

[हिन्दी]

आपने कह दिया तो क्या आप यह समझ लेंगे कि दुनिया ने समझ लिया और आपकी बात सच हो गई? यह बहुत दुख की बात है कि विपक्ष की नेता होकर आपने ऐसी बात कर दी। आप ऐसा मैसेज दे रही हैं।

दूसरी बात आपने 'बाईपा' की कही। वह भी मैं आपको बता देता हूं।

[अनुवाद]

बीआईपीए (बीपा) एक स्थापना-पश्चात् का निवेश करार है। इसका अर्थ है कि किसी निवेशक के देश में प्रवेश हो जाने पर निवेशक के साथ तब तक एक घरेलू निवेशक सा व्यवहार किया जाना चाहिये जब तक कि राष्ट्रीय व्यवहार संबंधी सीमाएं स्थापना-पूर्व के चरण पर स्पष्टत: न बता दी जाएं। एफडीआई नीति एक स्थापना-पूर्व की लिखत है और इसीलिये इसमें शामिल नहीं है। *[हिन्दी]* सुषमा जी, जब आप बोलती हैं तो इतना अच्छा बोलती हैं हम समझते हैं किस सच है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप जो कह रहे हैं मैं इन सबके जवाब राइट टू रिप्लाई में दूंगी। आप जितनी बातें कह रहे हैं मैं सबका जवाब दूंगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, उपभोक्ताओं एवं कृषकों के

अलावा, इसके अन्य पहलु भी हैं। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिये। इसकी स्थिति ऐसी है कि हम चालू खाता व्यय एवं वित्तीय व्यय- दोनों ही को चला रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : कौन ज़िम्मेदार है?...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : कृपया समझने की कोशिश करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिये। वे जो कह रहे हैं उसे उन्हें विस्तार से बताने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आप बैठते क्यों नहीं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : अत: विदेशी निवेश लाने का एक उपाय, जिससे घाटा कम होगा, उप क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति देना है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को लाना होगा। अत:, इस तथ्य के बावजूद कि यह कृषकों, उपभोक्ताओं, अर्थव्यवस्था तथा रोज़गार सृजन के लिये लाभकारी है, यह भी एक कारण है।

तीसरा मुद्दा यह है कि मैं कुछ संख्या देना चाहता हूं ताकि वे इसे समझ पायें। यदि आप वास्तव में देश की जनसंख्या देखें, 2011 की जनगणना देखें तो पायेंगे कि

[हिन्दी]

हमारी जनसंख्या लगभग 1.18 बिलियन है जो वर्ष 2020 में लगभग 1.656 बिलियन हो जाएगी। 2030 तक 225 मिलियन और लोग जनसंख्या में जुड़ जाएंगे। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं कि आज के दिन हिन्दुस्तान की अर्बन पापुलेशन 340 मिलियन है जो वर्ष 2020 में बढ़कर 465 बिलियन हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगले आठ सालों में अर्बन पापुलेशन 125 मिलियन और हो जाएगी, 42 करोड़ हो जाएगी। युवा लोगों को नौकरियां चाहिए। जब तक मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर में बढ़ावा नहीं करेंगे, नौकरियां उपलब्ध नहीं होंगी। केवल सर्विस सैक्टर से काम नहीं चलेगा इसलिए हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मैन्युफेक्चरिंग के बारे में बताता हूं, यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में जो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है वहा ज्यादातर मैन्युफेक्चरिंग में आ रही है। पिछले साल 58 बिलियन एफडीआई आया था और उसमें 71 प्रतिशत मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर में है।...*(व्यवधान)* मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर द्वारा युवाओं को जॉब्स मिलेंगी। जहां तक चाइना की तुलना की बात है, मैं आंकड़ा बता देता हूं कि क्यों लोग चाइना से हिन्दुस्तान में आ रहे हैं? चाइना में वेजिस पिछले साल 16 प्रतिशत बढ़े और एफिशिएंसी लैवल 14 प्रतिशत बढ़ा है। हिन्दुस्तान में एफिशिएंशी लैवल 17 प्रतिशत बढ़ा है और वेजिस नहीं बढ़ी। इसलिए आज के दिन लोग चाहते हैं कि लोग हिन्दुस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट और मैन्युफेक्चरिंग करें। यह हमारे युवा लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहां होगा तो नौकरियां पैदा होंगी और नौकरियां पैदा होंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या आप युवाओं के भी खिलाफ हो, रोजगार के भी खिलाफ हो? आप किसके पक्ष में हो? क्या आप कन्ज्यूमर के खिलाफ, फार्मर के खिलाफ, युवा के खिलाफ हो?...*(व्यवधान)* सुषमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? समानांतर भाषण दिए जा रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : मैं चांदनी चौक से मैम्बर आफ पार्लियामेंट हूं, मैं अपनी कांस्टीटुएंसी की बात ही करता हूं, बाकी की बात नहीं करता हूं। अगर वालमार्ट यहां आयेगा तो कहां दुकान लगायेगा, मुझे यह बात दीजिए, वह दिल्ली में तो दुकान लगा नहीं सकता। अगर लगाना चाहेगा भी तो जगह नहीं मिलेगी, यदि जगह मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि उनका इकोनोमिक मॉडल ही खराब हो जायेगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मेरी कांस्टीटुएंसी में किस किस्म के लोग रहते हैं। वहां चालीस प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनके पास शायद साइकिल ही होगी। अब वे साइकिल पर वालमार्ट जाने वाले नहीं हैं। बाकी चालीस प्रतिशत लोग जिनके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल होगी, वह भी होनी मुश्किल है, वे बीस-तीस किलोमीटर दूर वालमार्ट में कुछ खरीदने के लिए जाने वाले नहीं है और अगर चले भी जायेंगे तो स्कूटर पर क्या वापस लेकर आयेंगे।

[श्री कपिल सिब्बल]

मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूटर पर क्या लेकर आयेंगे और वे जिन घरों में रहते हैं, वे तीन-तीन कमरे के घर हैं। जहां सात-आठ लोग रहते हैं, वहां स्टोर करने की जगह नहीं है, वहां फ्रिज में जगह नहीं है। अगर ये लोग वालमार्ट में जाकर सामान लायेंगे तो ये अपने फ्रिजों में कहां रखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* वे लोग अपने रेहड़ी वाले से बाई करेंगे, होलसेल मार्केट से बाई करेंगे। यह क्या बहस हो रही है। सुषमा जी इतनी समझदार नेता हैं, उन्हें तो हिंदुस्तान की वास्तविकता का पता है। उन्हें पता है कि गरीबी कितनी है, उन्हें पता है कि कोई आदमी मोटरसाइकिल पर वालमार्ट में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जायेगा। फिर वालमार्ट से कौन खरीदगा? वही तीन-चार सौ बिलियन लोग, वहीं तीस करोड़ लोग, जो आज के दिन मिडिल क्लास कहलाते हैं या जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग है, जो मार्केट अमरीका से भी ज्यादा है। क्योंकि उनकी संख्या भी तीन सौ मिलियन है। उस मार्केट को केटर कर रहे हैं। अगर आपके यहां विदेशी पूंजी आ रही है, करोड़ों रुपए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, उपभोक्ताओं को अच्छी चीजें मिल रही हैं तो आपका विरोध क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं कि विरोध किसलिए है? इसीलिए आप मुझे इंटरप्ट कर रहे है, क्योंकि अभी आपको तकलीफ हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसे मत करिये, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृपया बैठ जाइये। गणेश सिंह जी, आप बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं। इतना व्यवधान क्यों कर रहे हैं। हर समय, निरंतर एक मिनट भी रूके बिना आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कृपया शांति रहिये, उनकी बात सुन लीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मुझे लेफ्ट की प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आती है, यह किसलिए विरोध कर रहे हैं। इनकी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट आइडियोलोजी है। इनकी तो आइडियोलोजी इम्पोर्टेड है, फिर आप किसलिए विरोध कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है, मुझे मालूम नहीं है कि आप क्यों विरोध कर रहे हो। आप तो मल्टी ब्रांड पार्टी हैं और कम्पिटिशन अच्छी बात है। ब्रांड में कम्पिटिशन होगा तो सुषमा जी आप आगे जायेंगी। फिर आप किसलिए विरोध करती हैं। चीन में एफडीआई सौ प्रतिशत, रुस में एफडीआई सौ प्रतिशत, चिली में एफडीआई सौ प्रतिशत और जो यह कह रही थीं कि जो प्रोक्योरमैन्ट होता है, लगभग 90 प्रतिशत उसी मार्केट से होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आइकिया फर्नीचर बनायेगा तो क्या लकड़ी कनाडा से इम्पोर्ट करेगा? तभी मुझे ताज्जुब था, सुषमा जी कह रही थीं कि तीस प्रतिशत तो एमएसएमई से आयेगा और 26 प्रतिशत इम्पोर्ट होगा। लेकिन कहां से इम्पोट्र होगा, अगर इम्पोर्ट होगा तो बेच ही नहीं सकेंगे। एफडीआई इन रिटेल का मतलब ही यह है कि जो एफडीआई इन रिटेल यहां आयेगा, उसकी सोर्सिंग हिन्दुस्तान से होगी। उससे हिन्दुस्तान के एसएमई सैक्टर को फायदा होगा और बाकी सैक्टर्स को भी फायदा होगा।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, क्यों खड़े हो गये। रामचंद्र जी, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

श्री एम.बी. राजेश (पालक्कड़) : यदि यह लाभकारी है तो केरल में उनकी सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है? केरल में उनकी अपनी राज्य सरकार विरोध कर रही है। कृपया विस्तार से बताएं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैडम स्पीकर, अब मैं अपनी आखिरी बात रखूंगा।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम कांग्रेस केरल में क्यों अपोज़ कर रही है? इससे सबसे ज्यादा नुकसान देश के मुस्लिमों को होने वाला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैं आखरी बात कहना चाहता हूं कि यहां लोकतंत्र और डैमोक्रेसी की बात की जाती है। विपक्ष के नेता को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। जब-जब ये हाऊस नहीं चलने देते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास नंबर्स हैं। हम डिबेट करेंगे तो सत्ता पक्ष जीत जाएगा। मतलब कि डिबेट करने का तो कोई मायने ही नहीं हैं। इसलिए हम हाऊस ही नहीं चलने देंगे। यह बयान आया है। जेटली साहब का बयान है। मैं पढ़ देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने कहा है–

यदि हम नियम 184 के तहत चर्चा कर लेते तो वे जीत जाते क्योंकि उनके पास संख्या है।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : श्री जेटली ने यह कहा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : मैं उनका नाम क्यों नहीं ले सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे : नहीं, आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं।...*(व्यवधान)* वे दूसरे सदन के नेता हैं।

अध्यक्ष महोदया : मैं, इस बात को दिखवा लूंगी। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : वे विपक्ष के नेता हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, हम इसको दिखवा लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : वे भाजपा के नेता है।...*(व्यवधान)* ये बयान उन्होंने बाहर दिया था।...*(व्यवधान)*ये बयान उन्होंने सदन में नहीं दिया था।...*(व्यवधान)* मैं उसका वर्णन कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* वे कहते हैं कि डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* "हमारे पास संख्या है और हम जीत जाते।"

[हिन्दी]

क्योंकि उनको उस समय लगता था कि शायद हम जीत सकते हैं। अब वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अब कहते हैं कि वोट होना चाहिए।...*(व्यवधान)* जब सुबह-सुबह पता लगा कि वे भी हार जाएंगे तो बोले आज नहीं होना चाहिए। कल होना चाहिए। परसों होना चाहिए। तीस दिन के बाद होना चाहिए...*(व्यवधान)* अब आपको पता चल गया हे कि वोट किस तरफ है।...*(व्यवधान)* ये तो साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि आपको पता चल गया है कि आप कहां हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया, जब हम सदन के इस पक्ष को देखते हैं तो हम विपक्ष की ओर देखते ही नहीं, हम सदन से परे युवाओं की ओर देखते हैं; हम उन ऊर्जावान युवा लोगों की ओर देखते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, हमारे यहां चर्चा की तारीख और समय बीएसी में तय हुआ था। आप स्वयं प्रिसाइड कर रही थीं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। क्या हमने कहा था कि कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आपने अभी यह बात कही है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : ये बेवजह की बात कर के गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आपने अभी यह कहा है कि हमें वोट नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तय किया गया था कि 4 तारीख को चर्चा करेंगे।...*(व्यवधान)* हम तो सेम डे करने को तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आप कह रहे थे कि हमें वोट नहीं चाहिए। 30 दिन के बाद वोट करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमने कब कहा? हमने नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)* हम उसी दिन कर लेते।...*(व्यवधान)* आप लोगों ने चार दिन संसद नहीं चलने दी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इस ओर ध्यान दूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : श्रीमती सुषमा जी, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मगर ये लगातार गलत बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* लगातार गलतबयानी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं दिखवा लूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : महोदया मैं किस प्रकार भाषण जारी रखूं यदि वे मुझे बोलने नहीं दे रहे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप वकील के तौर पर एक करप्ट आदमी को बचाने के लिए आए थे।...*(व्यवधान)* इनका परिचय लोक सभा से है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनुराग सिंह ठाकुर आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, मैं बस एक आखिरी वाक्य बोलूंगा और उसके बाद मेरा भाषण समाप्त हो जायेगा। जहां तक हमारी बात है, जब हम सदन के इस ओर बैठकर सदन के इस ओर देखते हैं तो हम इन दीवारों से परे भारत के लोगों को देखते हैं। हम उस स्थिति को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं; हम अपने युवाओं को देखते हैं; हम उनकी आंखों में उत्तेजना देखते हैं; आशा देखते हैं, उनकी ऊर्जा देखते हैं और हम एक वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि वे फल-फूल सकें और भारत को आगे ले जा सकें। इसी तरह से हम अपनी नीति बनाते हैं। हम अपनी नीतियों को इस आधार पर नहीं बनाते कि हम इस ओर बैठे हैं या उस ओर, बल्कि इस आधार पर बनाते हैं कि हम इस देश के लोगों के लिये क्या कर सकते हैं।

राजीव गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने एक विज़न के साथ कंप्यूटरों के प्रयोग की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कंप्यूटरों की महत्ता को जाना था और उन्होंने इसका विरोध किया था। वही बात आज भी हो रही है। जब हम यहां बैठकर आपकी ओर देखते हैं तो हम आप से परे उन लोगों की ओर देखते है जिनकी हमें सेवा कार्य के लिये ज़रूरत है। जब आप हमारी ओर देखते हैं तो आप इन सीटों की ओर इसलिये देखते हैं कि आप यहां कब विराजेंगे। हमारे और आपके बीच यही अंतर है।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : हमने कम्प्यूटर का कब अपोज किया? ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आप क्या बात करते हो?...*(व्यवधान)* हमने पूर्व प्रधानमंत्री जी को कम्प्यूटर बॉय बनाया था, आपको मालूम है।...*(व्यवधान)* आपने लिब्रलाइजेशन की हर नीति अपोज की, डब्ल्यू. टी.ओ. अपोज किया, आपने लिब्रलाइजेशन इन फॉर्मो अपोज किया, हर सैक्टर में आपने अपोज किया।...*(व्यवधान)* जब आप सत्ता में आये तब आपने वही अपनाया तो कहने का मतलब है कि आपका दृष्टिकोण केवल यही सीट है, हमारा दृष्टिकोण हिन्दुस्तान की जनता है।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदया, यह सही है कि आज की चर्चा महत्वपूर्ण और गंभीर है। जहां तक एफडीआई

का सवाल है, सिब्बल साहब ने इसकी बहुत प्रंशसा की है, लेकिन यह भी सोचिए कि जब कोका कोला आया था और पेप्सी आयी थी, तब भी बहुत तारीफ की गयी थी। यह कहा गया था कि आलू और टमाटर की पैदावार बहुत बढ़ेगी और किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। यह कहकर कोका कोला और पेप्सी यहां लाये गये। उस समय भी हम लोगों ने कोका कोला और पेप्सी का विरोध किया था और साबित हो गया कि कोका कोला और पेप्सी से आलू या टमाटर की कोई पेदावार नहीं बढ़ी है और अभी तक सरकार की तरफ से भी विशेष मदद नहीं हुई है। अगर पैदावार बढ़ी है तो किसान की मेहनत से बढ़ी है, किसान की सूझबूझ से बढ़ी है। किसान ने अपनी लगन और जी-तोड़ मेहनत से पैदावार बढ़ायी है।

यह सही है कि पंजाब बहुत आगे था। आज धान के मामले में यू.पी. दकिसी से पीछे नहीं है और न ही गेहूं के मामले में किसी से पीछे है, न ही आलू की पैदावार में पीछे है और न ही प्याज की पैदावार में पीछे है। आप हिसाब लगाइये कि उत्तर प्रदेश में कितना गेहूं पैदा होता है, धान कितना पैदा होता है? उत्तर प्रदेश के बारे में जो अभी थोड़ा जिक्र किया गया था तो मुझे सोचना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकार की तरफ अभी तक कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी गयी है।

अगर कोई सुविधा दी गयी है तो बताएं। अगर थोड़ी बहुत जमीन बढ़ी है, वह भी बीहड़ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर बांदा तक बीहड़ है, क्या किसी को इसका अंदाजा है? आगरा से लेकर बांदा तक, गंगा, यमुना और फुआरी के बींच की जमीन बीहड़ है, पूरा रेवाइन्स है, उस बीच में रहकर भी उन किसानों ने अपने बलबूते पर किसी भी तरह कुछ पेदावार बढ़ायी है। जहां तक किसान का सवाल है, किसान को अभी तक हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी गयी है।

जहां तक एफडीआई का सवाल है, आप कितनी भी सफाई दें, कितना भी तर्क दें, लेकिन यह देश के हित में नहीं है, किसानों एवं छोटे दुकानदारों के हित में नहीं है। यह आप सोच लीजिए। ...*(व्यवधान)* न तो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं और न ही आपके खिलाफ बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप कह रहे हैं कि यह देश के लिए है तो देश के लिए ही हम बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम कह रहे हैं कि एफडीआई देश के हित में नहीं है और क्यों नहीं है उसका कारण है। एफडीआई अगर आती है तो आप यह देखेंगे कि जो आज अपना रोजगार खुद कर रहे हैं, वे बेरोजगार हो जायेंगे। हिन्दुस्तान में पांच करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, आपके आंकड़े सही होंगे क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। जहां पांच करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, हमारे किसान भी काम कर रहे हैं, एक परिवार में औसतन पांच सदस्य माने जाते हैं तो इस प्रकार से बीस से लेकर पच्चीस करोड़ लोग/व्यापार तो बेरोजगार हो ही जायेंगे। आप नोट कर लें कि हिन्दुस्तान के बीस से लेकर पच्चीस करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे। लोगों को रोजगार कहां से देंगे आप? इससे रोजगार नहीं मिलेगा। हां, इससे बेरोज़गारी जरूर बढ़ेगी। आप व्यावहारिकता पर जाइए। हम लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो विपक्ष की भूमिका है कि गलती आपके सामने रखे और आप उस गलती को सुधारें। इसलिए हम चाहते हैं और आपको राय देते हैं कि एफडीआई को छोड़ दीजिए, वापस कर दीजिए और सर्वदलीय बैठक कीजिए। एक दिन नहीं, दो दिन इस विषय पर बैठक कीजिए कि हिन्दुस्तार का विकास कैसे हो। सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। अगर एफडीआई बढ़िया होता, इससे फायदा होता तो अमरीका क्यों इसका विरोध कर रहा है? अगर यह अच्छी योजना थी तो अमरीका आपको यहां कभी नहीं आने देता, सब ले लेता, पूरा का पूरा खा जाता। लेकिन अमरीका ने न्यूयार्क में प्रतिबंध लगा दिया है कि एफ.डी.आई को प्रवेश नहीं करने देंगे।...*(व्यवधान)* अगर हम यह बात गलत कह रहे हैं, अगर हमारी बात गलत है कि अमरीका विरोध नहीं कर रहा है, न्यूयार्क में प्रतिबंध नहीं लगा है, रोक नहीं लगाई है, तो हम अपने शब्द विदड्रॉ करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। हम भी पता लगाकर कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनंत गीते जी, शांति रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, बेरोज़गारी सारी दुनिया में है, अमरीका में भी है। यूरोप और अमरीका के लीडर्स यहां आते हैं तो यही सोचकर आते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो और यहां से हमें रोज़गार मिले। जब ओबामा हिन्दुस्तान आए थे तो उन्होंने तो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी से कहा कि हमारे लोगों को रोज़गारी दे दो। अखबार में आया और वह सच है, प्रधान मंत्री बता देंगे।...*(व्यवधान)* तो अमरीका में भी बेरोज़गारी है, यूरोप में भी बेरोज़गारी है और इससे बेरोज़गारी इसलिए बढ़ेगी

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कि अभी जैसा मैंने कहा कि जो पांच करोड़ लोग खुदरा व्यापार कर रहें हैं, वे इसके मुकाबले टिक नहीं पाएंगे। यह सही है कि वे कंपनियां जब आएंगी और यह जो कंपनी है "वॉलमार्ट", यह पहले सस्ता और अच्छा माल देगी। जब यहां के पांच करोड़ खुदरा व्यापारी खत्म हो जाएंगे तो वे अपनी मनमानी करेंगे। हमें अनुभव है।...*(व्यवधान)* अमरीका के बारे में जो चर्चा रहती है कि सबसे संपन्न देश है, वहां की जनता भी इसका विरोध कर रही है। न्यूयार्क में जैसा मैंने बताया, कि वहां एफडीआई बंद ही कर दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों द्वारा यहां के लोगों को धोखा देना है। यह धोखा है कि रोज़गार मिलेगा। मैं कपिल सिब्बल साहब से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी वकालत करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। हमें इसका अनुभव भी है। लेकिन इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। अगर कोई खुदरा व्यापारी हैं, वे अगर पांच करोड़ हैं तो आप बताइए वे क्या कर पाएंगे। वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वे अच्छा और सस्ता माल देंगे और उन्हें घाटा भी हो जाता है तो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक गरीब दुकानदारों का प्रश्न है, उन पर यह थोपा जा रहा है, यह देश की जनता के साथ सीधे-सीधे धोखाधड़ी है। खुदरा व्यापार के लिए आपने कहा है कि यह 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ही होगा। अगर यह फायदेमंद है, लाभकारी है और यह एफ.डी.आई. बेरोज़गारी को मिटाने वाला है तो आप पूरे देश में इसे लगाइए। यह कैसे हो सकता है कि दस लाख के ऊपर की आबादी वाले शहरों (खुदरा व्यापार) में लगाएंगें, वहां देंगे, एफडीआई को छूट देंगे, प्रवेश कराएंगे, निवेश कराएंगे, सब कराएंगे! अगर इससे बेरोज़गारी मिटती है या देश संपन्न होता है तो पूरे देश मे इसे लगाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : फिर तो गांवों में लगाइए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, फिर तो पूरे देश में पार्लियामेंट भी आ गया।...*(व्यवधान)* इसको आप भी गम्भीरता से लीजिए। आपने कहा कि इस लाख से कम आबादी के शहरों में एफडीआई नहीं जाएंगी। आखिर कम्पनियां वहां क्यों नहीं जाना चाहती हैं? वॉलमार्ट और विदेशी कम्पनियां दस लाख से कम आबादी के शहरों में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें मुनाफा चाहिए। जहां मुनाफा ज्यादा होगा, तो जहां गरीब लोग होंगे, वह नहीं खरीद पाएंगे। अभी गांवों में क्या हालत है? आत्महत्या शहरों में हो रही है या गांवों में हो रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, शहर वाले आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। आत्महत्या किसान, गरीब और मजदूर कर रहा है। इस बारे में आपको सोचना होगा। हमारी सरकार से मांग है कि जो छोटे-छोटे खुदरा व्यापारी हैं, जो कि अपनी मेहनत से कमाते हैं, उनको आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तक किसान आत्महत्या कर रहा था, अब छोटे व्यापारी और खुदरा व्यापारी भी आत्महत्या करेगा, क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। उनके पास न तो खेती है और अब उनके पास दुकान भी नहीं रहेगी। इस पर आप गंभीरता से विचार करें। इधर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके दिल से पूछिए कि वह क्या कहता है? अनुशासन का ऐसा कोड़ा है कि अनुशासनहीनता करेंगे तो निकाल कर आप बाहर कर देंगे। किसी को मंत्रिमंडल से हटा देंगे। बोलेंगे वही जो आप कहेंगे, बोलेंगे वही जो सोनिया जी कहेंगी। आदरणीय सोनिया जी के हुक्म का पालन करना होगा, क्योंकि वह अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के आदेश का या निदेश का पालन करना ही पड़ेगा। यह हमारे यहां भी है और आपके यहां भी ऐसा ही है। आडवाणी साबह को कितना भी आप पीछे कर दीजिए, लेकिन नेता आडवाणी साहब हैं। यह तो मानना पड़ेगा। मैं यह जनता की बात कह रहा हूं। आडवाणी साहब पार्टी में जो कहेंगे, उसकी ज्यादा मान्यता होगी। इसलिए आपने जो पार्टी का अंकुश लगाया हुआ है, उसे हटाइए। हम इस बात से सहमत हैं कि देश हित में ही आप करें। आपने कहा कि हम देश के साथ हैं, इन्होंने कहा कि हम देश के साथ हैं। यह तो आप दोनों की नूरा कुश्ती है। हम लोग छोटे दल हैं, इसलिए हमें धक्का मार कर इधर-उधर किया जा रहा है। हमें सुनने भी नहीं दे रहे हैं। न ही आप के लोग सुनने दे रहे हैं, न ही आपके लोग सुनने दे रहे हैं। यह तो नूरा कुश्ती है कि हम दो ही रहें, आप रहें और आप रहें, हम लोग न रह पाएं।...*(व्यवधान)* हम समझते हैं कि आप दोनों चाहते हैं कि हम सत्ता में नहीं आएं। आप दोनों चाहते हैं कि आप आएं या आप आएं, तीसरा न आने पाए।...*(व्यवधान)* जोशी साहब, आप मुझे बचपन से जानते हैं। मुझे भी बहुत सालों का अनुभव है। वर्ष 1967 से अभी तक लगातार एमएलए हैं या एमपी हैं या चैयरमैन हैं या मिनिस्टर हैं या रक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन मेरा भी तो अनुभव है। इसलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि अब हम नहीं आ

सकते हैं। हम दोबारा वर्ष 1977 नहीं जीत सकते हैं। हम अपनी हैसियत को जानते हैं। अब आपको आना है या इनको आना है।...*(व्यवधान)* हमारी लॉबी मजबूत हो सकती है। हमारी लॉबी मजबूत होगी, इसमें दो राय नहीं है।...*(व्यवधान)* सच्चाई यह है कि इन कंपनियों ने, उस वक्त मैंने कोका कोला और पैप्सी का जिक्र किया था। 80 करोड़ रुपए लगाए और उसमें देश के केवल 80 किसानों ने खरीदारी की। अब आप सोचिए कि यह हालत है। हम लोगों को अनुभव के आधार पर सोचना चाहिए।

आप गांधी जी के विचारों को भूल रहे हैं। ये लोग तो गांधी जी के विचारों को भुला देंगे, इनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात है गांधी के विचारों को बनाए रखना। गांधी जी ने जब विदेशी कपड़े में आग लगायी और वह विदेशी कपड़ा अच्छा था तो एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा कि कपड़ा अच्छा है, मजबूत भी है, फिर भी आप विदेशी कपड़ो में क्यों आग लगवा रहे हैं, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा कि हमारे बुनकर आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए हम अपने हिन्दुस्तान के बुनकरों को बचाने के लिए इन कपड़ों का विरोध कर रहे हैं, इनमें आग लगा रहे हैं, यह गांधी जी ने कहा है। इसे मत भूलें। आप तो आज भी गांधी जी के नाम पर ही हैं। मैं आदरणीय सोनिया जी से कहूंगा कि राजीव गांधी और आप के नाम में भी गांधी है तो कम से कम गांधी की बातों को मत हटाइए, गांधी की बातों को मानिए। गांधी स्वदेशी के पक्ष में थे, विदेशी के खिलाफ थे। इसी स्तर पर गरीब, किसान, मजदूर दुकानदारों के बीच गांधी जी स्वदेशी चाहते थे, विदेशी नहीं चाहते थे। आप स्वदेशी भूल रहे हैं और विदेशियों को ला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि आप एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। आपके पास बहुत ज्ञान है। आपने पूरे विश्व में काम किया है। प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बलिक प्रधानमंत्री होने के पहले भी विश्व के तमाम देशों की कार्यशैली का अनुभव आपके पास हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है और सोनिया जी से भी मेरी विशेष प्रार्थना है कि इसे छोड़ दीजिए। इसे एक-दो साल के लिए छोड़ दीजिए। अगर यह लगेगा कि खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. से फायदा है तो हम भी समर्थन कर देंगे, इस पर सोचेंगे। पर, अभी इसे वापस लीजिए। इस पर क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे हैं?

अभी चुनाव आ रहे हैं। ये बहुत होशियार लोग हैं। गांव-गांव में इसका प्रचार हो जाएगा। आर.एस.एस. गांव-गांव में है। अगर ये बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रचार करेंगे तो क्या होगा? इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी एफडीआई को वापस लीजिए। आपको एफ.डी.आई से कोई लाभ नहीं होने वाला है इससे नुकसान होगा। आप जाएंगे तो फिर ये आ जाएंगे। हम तो आने वाले नहीं हैं। हम तो आपको सहयोग देंगे या सहयोग वापस लेंगे।...*(व्यवधान)* इसलिए हम कोई लंबी-चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहते। बहुत-सी बातें आप सभी लोगों ने कह दीं। हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने भी सारी बातें कह दीं तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपने अनुभव, स्थिति और पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कहता हूं कि हम गांधी जी, लोहिया, और जयप्रकाश को मानते हैं। हम आज कहते हैं कि गांधी, लोहिया, और जयप्रकाश जी अगर होते तो आज एफ.डी.आई लाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। इसलिए, आप इसे वापस लीजिए, तो यह देश, जनता के हित में होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

माननीय सदस्यगण, यदि यह सभा सहमत हो, तो हम यह चर्चा 6.30 बजे तक जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्यगण : नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं? आप क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्यगण : कल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मेरे पास वक्ताओं की एक बहुत लंबी सूची है। क्या आप केवल सायं 6 बजे तक ही बैठना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्यगण : कल हम दोपहर 12 बजे से लेकर सायं 6 बजे के बाद तक बैठ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, परंतु जब तक कि आप सब बहुत संक्षेप में न बोलें, मैं सबको बोलने का समय नहीं दे पाऊंगी।

ठीक है, श्री दारा सिंह चौहान।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदया, आज सुबह से खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से गर्मजोशी से बहस हुई। आज केवल संसद ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एफ.डी.आई. को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, जो संदेह है, उस सवाल को लेकर पूरे हिन्दुस्तान के लोग आज टेलीविज़न पर लोक सभा चैनल पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है? लोगों की चर्चा के बाद लब्बो-लबाब उसका सारांश आया कि कुछ क्षेत्रों में लोग एफ.डी.आई. के खिलाफ नहीं हैं। खुदरा बाजार में कुछ क्षेत्रों को लेकर जो आशंकाएं हैं, इसे लेकर लोगों के मन में आशंका है कि अगर एफ.डी.आई. आएगा तो निश्चित रूप से देश में रहने वाले जो गरीब किसान और बुनकर हैं, उनका नुकसान होगा। लोग आज से कई दशक पहले की बात याद करते हैं, जब दो सौ साल तक अंग्रेजों ने इस मुल्क में राज किया तो कोई पावर, सड़क के क्षेत्र में नहीं बल्कि मसाला उद्योग को लेकर मसाला के क्षेत्र में जो खुदरा व्यापार था, जो गरीब किसान करते थे, उसमें आने के बाद दो सौ साल तक इस मुल्क में अंग्रेजों का राज रहा। लोगों के मन में जो शंका और संदेह है कि खुदरा क्षेत्र में आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि इस देश में गांवों में रहने वाले जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं - चाहे बुनकर हो या किसान हो। छोटे-छोटे दुकानदार एवं फेरी वाले हैं, उन पर कब्जा हो जाएगा। उनके मन में यह शंका है, वही पहले वाली बात आज भी उनके मानस पटल पर घूम रही है। मसाला कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था, ये खुदरा था, मसाला व्यापार में आने के बाद दो सौ साल तक इस मुल्क में रहने वाले लोगों ने, इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। कहीं फिर ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि खुदरा व्यापार में, ये कहने के लिए रिटेल में है, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं। जबसे इस देश में उदारीकरण लागू हुआ, उदारीकरण चल रहा है, तब से इस देश में अमीर और गरीब की जो खाई है, वह काफी बढ़ गई है। अमीर, अमीर होता जा रहा है और गरीब, गरीब होता जा रहा है। उदारीकरण की नीति, बाजार पर आधारित पूंजीपतियों के जो पोषक हैं, वह किसानों के दुश्मन हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज जो मल्टी-ब्रांड में एफ.डी.आई. की बात हो रही है, वह इसी का अंग है, इसी का दूसरा रूप है। आज एफ.डी.आई. को आप एलआईसी में, सिविल एविएशन में लाए हैं। आप पावर एवं इरीगेशन में लाइए, दूसरे क्षेत्रों में जहां देश का भला हो। इस देश में रहने वाले जो 70 फीसदी किसान और मजदूर हैं, जो बेबस एवं लाचार हैं, जो छोटे-छोटे कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पाते हैं, आज फिर उन्हीं पर निगाहें लगी हैं। आज दुनिया के तमाम मुल्कों की निगाहें उन गरीबों पर लगी हैं, जो मजदूरी, मेहनत करके खोमचा-ठेला पर मूंगफली एवं चना बेचता है। आज उन बुनकरों की हालत क्या है। आज देश का बुनकर भुखमरी के कगार पर है, उनकी हालत क्या है इस देश में आज भी हम किसान को अच्छा ढांचा, सड़क एवं सिंचाई का साधन नहीं दे पाए। उनको बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं हैं और हम एफ.डी.आई. की बात कर रहे हैं। आए-दिन डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पैट्रोल एवं बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। आज इस देश में जो हालात हैं, उसमें किसान कहां जाएगा। आज खाद महंगी हो रही है, पानी महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा और इसके नाते आज जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, जो आज भी इस मुल्क में 70 प्रतिशत लोग किसान का काम करते हैं, उसी पर आधारित हैं, क्या उनको इससे उनका वाजिब हक मिल सकता है, वाजिब मूल्य मिल सकता है? तो फिर रवे स्टोर में जाकर क्या खरीदेंगे, जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा। सरकार का मानना है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी निवेश से कीमतें कम हो जाएंगी और जो बिचौलिए की भूमिका है, वह खत्म हो जायेगी। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि किसान और उपभोक्ता के बीच में जो छोटे-छोटे आढ़तिए हैं, जिन्हें आप बिचौलिया कहते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, ये बहुत लूट रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं यह वालमार्ट क्या है? उत्पादन करने वाले जो किसान हैं और जो कंज्यूमर हैं, उनके बीच में जो दलाली करने वाला वालमार्ट है, इसको बिचौलिया नहीं तो हम क्या कहेंगे? 20 लाख करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है। हिन्दुस्तान में एफ.

डी.आई. के माध्यम से आज जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, उनमें हिन्दुस्तान से क्यों इतना प्रेम जगा है, क्यों किसानों से और यहां के लोगों से प्रेम जगा है? ये बिचौलिए केवल मुनाफे के लिए यहां आ रहे हैं। हिन्दुस्तान के किसानों को आबाद करने के लिए नहीं, इन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचाने की यह साजिश हो रही है।

यह लोकतंत्र है, इसलिए हम सरकार से जरूर जानना चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े स्टोर के मालिक हैं, उपभोक्ता को जो सस्ते दामों पर चीजों को उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, ये किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में बिचौलिए नहीं तो क्या है।? 20 लाख करोड़ रुपए का जो इनका टर्नओवर है, यह टर्नओवर क्या है? आप कहते हैं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफ.डी.आई. आने से खुदरा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे तो लगता है कि जो रोजगार आज तक मिला हुआ है उसे खत्म करने की यह साजिश हो रही है। जिस तरीके से इस देश में बाबासाहेब ने संविधान में व्यवस्था दी, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को नौकरियों में जो आरक्षण दिया, आज प्राइवेट सैक्टर में वह आरक्षण नहीं होगा, उस आरक्षण को खत्म करने की इस मुल्क में यह साजिश हो रही है।

आज देश में 20 लाख करोड़ का जो सरकारी आंकड़ा है, उनको पता होगा, मुझे पूरी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन 20 लाख करोड़ का जो निवेश करेंगे, इतना जिनका टर्नओवर है, वे केवल 20 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इस देश में भारत में रहने वाले जो खुदरा व्यापार में लगे हुए लोग हैं, उनका भी 20 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, लेकिन लगभग इतने ही रुपए में चार करोड़ लोगों को वे नौकरी दिये हुए हैं तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनके यहां आने से रोजगार बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि इससे रोजगार खत्म होंगे। जो भी होगा, इसका पता कल चलेगा।

यह कहा जा रहा है, माननीय सिब्बल साहब कह रहे थे कि जिस प्रदेश में पूंजी लगानी हो, लगाइये। ये जो 10 लाख की आबादी वाले शहर हैं, हम कहना चाहते हैं कि आज 17 करोड़ इस मुल्क के जो लोग हैं, वे देश में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में रहते हैं, मुझे पूरी आशंका है कि पूरे तरीके से उन 17 करोड़ भारतीयों को, जो 10 लाख की आबादी वाले शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको लूटने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष जी, यह गांधी जी का देश है, गांधी जी को मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। मैं समझता हूं कि उनके नाम का अपमान होगा, अगर इस तरह से खुदरा में एफ.डी.आई. को लाने का हम प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, आज पूरे यूएस में वॉलमार्ट के खिलाफ जबरदस्त तरीके से संघर्ष हो रहा है। वहां पर अगर उनको फायदा होता तो अमेरिकी सरकार उनको एक लाख करोड़ की सब्सिडी क्यों देती? अध्यक्ष महोदया, वहां पर जो खेती होती है, केवल कारपोरेट जगत के लोगों के लिए, कारपोरेट घरानों का पेट भरने के लिए वहां खेती होती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब एफ.डी.आई. आएगी, तो जो खुदरा व्यापार में होगा, खुदरा क्षेत्र में 30 परसेंट यहां के उत्पादित माल को खरीदेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने असेसमेंट किया है कि 30 परसेंट यहां के उत्पादित माल को खरीदेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने असेसमेंट किया है कि 30 परसेंट, क्यों नहीं 50 परसेंट, क्यों नहीं 20 परसेंट, क्यों नहीं 70 परसेंट? हम जानते हैं और जिस तरीके से दुनिया में खबरें आ रही हैं कि वॉलमार्ट का पूरे देश में जो कब्जा होने जा रहा है। अगर हमारे उत्पादन का 30 परसेंट खरीदकर वे डम्प भी कर दें तो 70 फीसदी में वे इतना मुनाफा कमायेंगे कि दुनिया के तमाम मुल्कों से सामान लाकर हमें गुलाम बनाने की साजिश होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, आज इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं समझता हूं कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में खुदरा व्यापार में कंपनियां आ रही हैं, निश्चित रूप से इस देश में जो शैडयूल कॉस्ट के लोग हैं, ट्राइबल क्लॉस के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो उन्हें संविधान के आधार पर नौकरी मिली है, उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष महोदया मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का यह कहना है कि एक तरफ केन्द्र सरकार यह मानकर चल रही है कि खुदरा व्यापार, किराना के क्षेत्र में एफ.डी.आई को लाने से काफी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, जो केन्द्र सरकार के फैसले पर पूरे देश में हर स्तर पर इससे काफी ज्यादा नुकसान होने की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में किराना क्षेत्र में एफ.डी.आई की नीति के नफा-नुकसान को आजमाये बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसलिए हमारी पार्टी का केन्द्र की सरकार को सुझाव के तौर पर कहना है कि केन्द्र की सरकार ने जिन कांग्रेस पार्टी शासित

[श्री दारा सिंह चौहान]

राज्यों में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफ.डी.आई की अनुमति प्रदान की है या करना है और उन राज्यों में इस नीति का अनुभव कैसा रहता है, उसकी एक तय निश्चित अवधि सीमा में न केवल सरकापरी स्तर पर, बल्कि संसदीय स्तर पर भी इसकी गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर इस नीति को जारी रखने या न रखने संबंधी अंतिम फैसला लेने के लिए केन्द्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस संबंध में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में लाखों लोगों के बीच में एक राष्ट्रीय संपर्क महारैली में कहा था कि यदि केन्द्र सरकार के हिसाब से देश में खुदरा बाजार अर्थात् किराना के क्षेत्र में एफ.डी.आई लागू करने से यहां कि किसानों व छोटे कारोबार में लगे लोगों तथा यहां की आम जनता के हित के साथ-साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार आ जाता है तो हमारी पार्टी आगे चलकर इस पर विचार जरूर करेगी, इसका स्वागत करेगी।

हालांकि केन्द्र सरकार की इस नीति में देश की जनता के लिए केवल एक जो खास पक्ष इनका है कि केन्द्र सरकार द्वारा खुदरा बाजार में वर्तमान एफ.डी.आई की जो नीति है, वह देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपी नहीं जाएगी अर्थात देश में कोई राज्य अगर खुदरा व्यापार चाहे, एफ.डी.आई लागू करना चाहे तो लागू करे, केन्द्र सरकार को उस पर कोई दबाव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से गैट है जिसकी चर्चा प्रतिपक्षी नेता कर रहे थे, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें नेशनल ट्रीटमेंट का जो प्रावधान है इस पर भी हमें बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इसके अलावा इस मुद्दे पर हमारी पार्टी को देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों...*(व्यवधान)* अभी तो आपने पूरी बात नहीं सुनी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इधर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्यगण : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : इसके अलावा इस मुद्दे नी हमारी पार्टी को देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों के साथ खड़ा होना है या खड़ा नहीं होना है, इस बात को ले कर हम सोच रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, इन दोनों खास बातों को ध्यान में रख कर ही देश व जनहित से सही और उचित निर्णय, हमारी पार्टी जब कल शाम को वोटिंग होगी, उस समय बताएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं? इन्हीं सब जरूरी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, सर्वप्रथम, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि पणधारियों से परामर्श नहीं किया गया। जब उन्होंने यह कहा, उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों का पणधारियों के तौर पर उल्लेख किया था। माननीय मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि खुदरा में एफ.डी.आई को अनुमति देने से, किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। परन्तु असली पणधारी व्यापारी हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने व्यापारियों से परामर्श किया था अथवा नहीं।

आप जानती हैं कि, हमारे देश में, व्यापारियों का एक वर्ग है। हिन्दू सम्प्रदाय के चार वर्णों में, स्वयं व्यापारी अथवा वैश्य, एक वर्ण हैं। उनसे परामर्श नहीं किया गया। यह अधिसूचना कहती है कि उपरोक्त नीति मात्र अधिकार देने वाली नीति है। यह कहना कि यह अधिकार देने वाली नीति है। यह कहना कि यह अधिकार देने वाली नीति है, 'पाईड पाईपर ऑफ हैमलिन' की कहानी की तरह है। वह कहता है कि वह बांसुरी बजाएगा और चला जाएगा, और जो कोई उसके साथ आता है आ सकता है और नदी में गिर जाता है। यह वैसी ही है। अत: यह अधिकार देने वाली नीति किसी न किसी बिन्दु पर राज्य सरकारों को इस मंडली के डिब्बे में सवार होने के लिए फुसला लेगी।

मैं यह आपके विरोधी के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं

आपके भाई के तौर पर यह कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि चोट हाथ में लगी है। मैंने निदान कर लिया है कि चोट हाथ में लगी है। मैं कहता हूं कि केवल हाथ का इलाज किया जाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि पूरे शरीर की बारीकी से जांच की जाए जैसा कि विपक्ष कहता है। एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर, मैं आपका सचेत करता हूं कि यह निश्चित रूप से व्यापारी समुदाय के हित में नहीं होगा।

यह कहा जाता है कि व्यापारी समुदाय में लगभग 30 करोड़ लोग नियोजित हैं और उनमें से अधिकांश बड़ी दुकानों में काम नहीं कर रहे हैं। वे व्यक्तिगत तौर पर अपनी दुकानें चलाते हैं। यह स्व-रोजगार का सबसे बड़ा स्त्रोत है। थोड़े-बहुत आत्मसम्मान वाला एक आदमी, जो भी धन उसके पास है, एक छोटी दुकान में निवेश कर सकता है और इससे अपना परिवार चला सकता है। हो सकता है कि उसे इसमें से बहुत अधिक न प्राप्त हो। परन्तु कम से कम वह एक सन्तुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। माननीय मंत्री, श्री कपिल सिब्बल, सरकार की तरफ से इस निर्णय का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देने से किसानों को उचित लाभ मिलेगा, उपभोक्ताओं को उचित लाभ मिलेगा, जिसका अर्थ हुआ कि अब तक उनको उचित लाभ नहीं मिल रहा है और व्यापारी दोनों श्रेणियों के लोगों को ठग रहे हैं। यह सत्य है...*(व्यवधान)* यदि आप यह कहते हैं कि यह वक्तव्य सही है तो आपको समर्थन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्री इलेंगोवन, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : यह कहा गया है कि लाई गई कुल एफडीआई का कम से कम पचास प्रतिशत बैक ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। यहां निवेश करने जा रही कोई कम्पनी अथवा कोई व्यापारी अपनी खुद की अवसंरचना का निर्माण करेगा। यह सामान्य सुविधा नहीं होगी। इस सुविधा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। यह उसके स्वयं के प्रयोग के लिए है। यदि आप एक शर्त रख दें कि यह अवसंरचना एक सामान्य सुविधा मानी जाएगी, तो यह अच्छा है। इसके अलावा, अवसंरचना में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, ढांचा सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, साज-सामान, भंडारण, मालगोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, आदि को सम्मिलित किया गया है। परन्तु कोल्ड स्टोरेज को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः, उसे भी शामिल किया जाना चाहिए।

द्वितीय, यदि फल और सब्जियों सहित ताजा कृषि उत्पादों को छूट दी जाती है तो हम समझ सकते हैं, परन्तु आपने अनाजों को भी छूट दे दी है। यह आम लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि अनाजों को इससे बाहर रखा जाए। अनब्रांडिड श्रेणी से केवल ताजा मुर्गी पालन, मतस्य पालन, फल, सब्जियों, और फूलों को तो शामिल किया जा सकता है, परन्तु अनाजों को नहीं। अनाजों को ब्रांडिड श्रेणी से होना चाहिए।

इसलिए, मेरी चिन्ता यह है कि इससे उन व्यापारियों, जिनके पास छोटी दुकानें हैं, का बड़ा हिस्सा काफी प्रभावित होगा। इतिहास इस बात का गवाह है। पहले ऐसी रिपोर्टें थी कि इसने छोटे व्यापारियों और कई मिलियन लोगों को प्रभावित किया है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वालमार्ट चीन में असफल हो चुका है, और वालमार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि यह शहर के बाहर स्थित होगा। तब, हमें यहां वालमार्ट की आवश्यकता क्यों है? जब वहां लोग नहीं जाएंगे और जब दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कोई जगह ही नहीं है, तब वालमार्ट क्यों?

केवल जिस बात पर हमें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ता है और हम सरकार के साथ खडे हैं, वह यह है कि आपने कहा है कि राज्यों की मौद्रिक स्थिति को बचाने के लिए यह समय की मांग है। अतः, हम आपको नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। द्वितीय, हम विपक्ष का साथ नहीं देना चाहते, हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देना चाहते...*(व्यवधान)* हम तटस्थ नहीं हैं। हम मल्टी-ब्रांड खुदरा में एफडीआई के खिलाफ हैं। हम एक संकल्प के माध्यम से, इसे अपने घोषणापत्र में शामिल करके इसका विरोध करने वाला पहला दल थे। परन्तु फिर भी हम आपका विरोध नहीं करना चाहते अथवा आपके खिलाफ मतदान नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल हाथ में चोट लगी है और हम नहीं चाहते कि आपके पूरे शरीर की बारीकी से जांच की जाए। अतः, हमारे पास समय है। हम आपके साथ हैं। हम आप पर नजर रखेंगे और जब-जब आवश्यक होगा हम आपको सुधारेंगे क्योंकि हमें लोगों के समक्ष जाना है। हमने अनेक वायदे किए हैं। हमने मिलकर देश के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। एक या दो काम लोगों के हित में नहीं भी हुए तो हम आपको गिराना नहीं चाहते।

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

खुदरा मल्टी-ब्रांड में एफडीआई के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज करते हुए मैं सरकार का समर्थन भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : हम तमिलनाडु में एफडीआई को अनुमति नहीं देंगे।

श्री निशिकांत दुबे : आप ऐसा करने वाले कौन हैं? आप तमिलनाडु में सत्ता में नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : हम तमिलनाडु में मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई को अनुमति नहीं देते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब श्री बसुदेव आचार्य को बोलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैं आज शुरू करूंगा और कल जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदया : क्या आप अब बोलना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं आज शुरू करूंगा और कल भी जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप आज शुरू करेंगे और इसे कल समाप्त करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको केवल दस मिनट बोलना है। कृपया शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदया, वामपंथी दल शुरू से ही प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का खुदरा व्यापार में विरोध कर रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ष 2005 में वॉलमार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर दिल्ली आये और हमारे प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मिले। वे उस समय वॉलमार्ट को हमारे देश में खुदरा व्यापार में आने की इजाजत मांगने के लिए आये थे। वर्ष 2005 में एक कोआर्डिनेशन कमेटी लेफ्ट और यूपीए-वन की थी, उसमें जब यह प्रस्ताव रखा गया जब हमने उसका विरोध किया। वर्ष 2005 में ही लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक नोट पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि हम इसका क्यों विरोध कर रहे हैं और हमारा विरोध करने का क्या कारण है? यह हमने उसी समय बता दिया था। यूपीए-एन भी चाहती थी कि वह हमारे देश में आ जाये और उसे इजाजत देने के लिए वे तैयार थे, लेकिन हमारे विरोध के कारण इजाजत नहीं दे पाये। हमने फैसला ले लिया था कि हम इसे समर्थन न करके विरोध करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर सरकार निर्भर थी। वामपंथी दल के 61 सदस्य थे। उस समय हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। हम सरकार में शामिल नहीं थे। आपके साझे न्यूनतम कार्यक्रम को हम समर्थन दे रहे थे। हम किसलिए विरोध कर रहे हैं? हम केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ऐसे मुद्दे को लेकर हमारे देश में खाली विरोध जो विरोधी पक्ष है।

[अनुवाद]

केवल विरोध दल नहीं बल्कि सहयोगी भी जैसे डीएमके तृणमूल कांग्रेस जो *[हिन्दी]* उस समय सत्ता में थे और हमारे पुराने दोस्त नेता जी मुलायम सिंह...*(व्यवधान)* अभी भी हैं। पुराने दोस्त, हमने बोला न पुराने दोस्त, वे उस समय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। बीएसपी भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं।

जब सरकार ने पिछले शीतकालीन सत्र में फैसला लिया, तब हमने देखा कि हमारे इस सदन के कम से कम 60 फीसदी सदस्यों की एक ही मांग थी कि *[अनुवाद]* आप मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई वापस लें।

[हिन्दी]

हमने कभी ऐसा नहीं देखा।

[अनुवाद]

मैंने ऐसा इस सदन में अपने 32 वर्ष के संसदीय जीवन के दौरान कभी नहीं देखा है। मैंने गत समय में ऐसा कभी नहीं देखा था। मैंने ऐसा नहीं देखा था जैसा कि 20 सितम्बर को भारत बंद हुआ था। अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान दलों ने अपना सहयोग दिया था।

[हिन्दी]

हमारे साथ हमारा पुराना दोस्त मुलायम सिंह यादव थे, एक साथ हम लोग गिरफ्तार हुए। देश भर में लाखों-करोड़ों की तादाद में लोग विरोध में सड़कों पर उतर गए। ऐसा विरोध कभी नहीं हुआ। किसलिए यह विरोध हुआ अगर देश के हित में है। आनन्द शर्मा जी, आपने एक बहुत बड़ा खत लिखा है, तीन पन्ने का खत लिखा है, मैंने उसे गौर से पढ़ा, क्या है उसमें, क्या करना चाहिए। आपने बताया है कि रोजगार होगा, कहां से रोजगार होगा? कैसे आपको पता चला कि रोजगार होगा? क्या आपने देखा नहीं कि दुनिया भर में इतने सारे-मार्केट्स में 21 लाख लोग लगे हैं। कपिल सिब्बल जी, क्या आपको पता नहीं है कि 21 लाख है उनका और हमारे देश में आगर तीन साल के अंदर में 40 लाख होगा। क्या सपना दिखा रहे हैं लोगों को? अरे, बेरोजगार बढ़ रहा है, गांवों में बढ़ रहा है, शहरों में बढ़ रहा है, 0.8 प्रतिशत है अभी। वर्ष 2001 से 2010 तक रोजगार में 0.8 प्रतिशत ग्रोथ हुई है। यह आपको पता नहीं है कि अनइम्प्लायमेंट बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.55 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

हमारे देश में बेराजगारी बढ़ रही है रोजगार नहीं। देश में आर्थिक मंदी है।

[हिन्दी]

क्या आपको पता नहीं है? अगर वालमार्ट एक रोजगार देगा, तो 17 लोगों का रोजगार छीनेंगे। कपिल सिब्बल जी, आपको पता नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं है कि वालमार्ट का एक सुपरमार्केट खुलने से 1300 रिटेल दुकानें उजड़ जाएंगी? फिर भी आप इसका समर्थन कर रहे हैं? एक परिवर्तन हो जाएगा हमारे देश में। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, 2,76,000 किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। उसके लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं हैं।

[अनुवाद]

चीन में 90 प्रतिशत खुदरा व्यापार सरकार के नियंत्रण में है। श्री राजीव शुक्ला आपको पता नहीं है। आप चीन की बात कर रहे हैं। आज कितना है? वालमार्ट हमारे देश से केवल एक विलियन ले रहा है लेकिन चीन से केवल 20 बिलियन। आप चीन की बात कर रहे हैं। वालमार्ट चीन से कितना ले रहा है? यह चीन से 20 बिलियन लेकिन भारत से एक बिलियन ले रहा है। मैं प्रत्येक देश के बारे में जानता हूं। चीन से कितना ले रहा है? वहां नब्बे प्रतिशत खुदरा व्यापार सरकार के नियंत्रण में है। जब उनके पास खुदरा व्यापार के विस्थापन का अनुभव था तब उन्होंने अधिक कठोर विधान एवं विनियम का अधिनियमन किया था। आपके पास वह नहीं है। आप चीन की बात कर रहे हैं। कितने लोग विस्थापित होंगे? आप हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं; और जब स्वरोजगार है तो स्वयं रोजगार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आपसे नौकरी या रोजगार नहीं मांग रहे हैं। छोटी-छोटी दुकान खोलकर बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। परिवार पाल रहे हैं। 20 करोड़ से ज्यादा है, उसे आप खत्म करना चाहते हैं। बोले, हम तो कुछ नहीं करना चाहते, अभी तो 53 शहरों में इजाजत देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम 'शून्य काल' शुरू कर रहे हैं। श्री एम.के. राघवन।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : सभापति महोदय, मैं इस महान सभा में आज 'शून्य काल' के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र कोझिकोड से संबंधित अत्यावश्यक महत्व के मामले को उठाने के लिये यह अवसर देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सम्मानजनक सिविल सेवा परीक्षा सहित लगभग 20 परीक्षाओं का आयोजन करता है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लेते हैं। केरल के विद्यार्थी भी इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं। केरल में संघ लोक

[श्री एम.के. राघवन]

सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के दो केन्द्र तिरुवनंतपुरम और एर्णाकुलम हैं। इससे राज्य के 14 जिलों में से छह जिलों नामत: कासरगोड, कन्नूर, वाइनाड, कोझिकोड, मलाप्पुरम और पत्नाक्काड वाला मालाबार क्षेत्र के रूप में ज्ञात केरल के उत्तरी भाग के अभ्यर्थियों को असुविधा होती है। जबकि तिरुवनंतपुरम दक्षिण भाग में है और एर्णाकुलम राज्य के केन्द्रीय भाग में है।

मालाबार क्षेत्र से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही समस्या का समाधान करने के लिये कोझिकोड को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का केन्द्र घोषित करने की लगातार मांग की जाती रही है। वास्तव में कोझिकोड में अन्य संस्थाओं के साथ ही आईआईएम, एनआईटी, कालीकट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, फेरोक कालेज, गवर्नमेन्ट आर्ट्स एण्ड साइंस कालेज, गुरुपायुरप्पन कालेज हैं। इसके अलावा संपूर्ण मालाबार क्षेत्र में कन्नूर में कन्नूर यूनिवर्सिटी, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, कासरगौड और अनेक शैक्षिक संस्थाएं हैं। इस समय संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आवश्यकता की समीक्षा की है। उसे श्रेणी दो और श्रेणी तीन के अन्य शहरों तक पहुंचना चाहिये। कोझिकोड में संघ लोक सेवा आयोग का एक केन्द्र होने से विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होने में सुविधा होगी। कोझीकोड में परीक्षा के संचालन के लिये संस्थाओं की कोई कमी नहीं है दो केन्द्रीय विद्यालय तो स्वयं शहर में ही हैं।

मैंने इस मुद्दे को इस महान सभा में अनेक बार उठाया है। मैं एक बार पुन: सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और कोझिकोड को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का केन्द्र बनाये। इससे पूरे मालाबार क्षेत्र को काफी सहायता मिलेगी जहां की जनसंख्या एक करोड़ से अधिक है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : सभापति जी, अभी उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम में जो घोटाला हुआ, उसकी सीबीआई जांच कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार की एक और योजना सीबीआई जांच के लिए इंतजार कर रही है। मैं जेएनएनआरयूएम का जिक्र कर रहा हूं। मेरठ में इस योजना के अंतर्गत सीवर लाइन डाली जा रही है और उसमें अनियमितताएं इतनी व्यापक हैं कि उनकी जांच आवश्यक है। सबसे पहले, इस काम का ठेका ऐसा कंपनी को दिया गया, जिसकी कोई विशेषज्ञता इस क्षेत्र में नहीं थी। भूतल परिवहन तथा सड़क अभियांत्रिकी में उसकी विशेषज्ञता थी। किसी प्रकार का पूर्व सर्वे नहीं किया गया, जो कंटूर प्लान था, उसके आधार पर गढ्ढे खोदने की योजना बनाई गयी और हालत यह है कि जगह-जगह पर सीवल लाइन के रास्ते रुक जाते हैं तथा काम पूरा होने में विलंब हो रहा है।

सभापति जी, तब पाइप इस फिट नीचे डाला जाता है, तो एक नियम है कि नीचे कंक्रीट का बेड बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई बेड नहीं बनाया गया, इसलिए आशंका है कि जब कभी यह सिस्टम काम में लिया जाएगा, तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मिट्टी भरते समय एक-एक फिट ऊंची लेयर को ठीक से जमाना होता है, वाइब्रेटर का उपयोग करना होता है, इस प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया। उसके जो ज्वाइंट्स हैं, उनको ठीक से जोड़ा जहीं गया, उनकी ठीक से टेस्टिंग नहीं की गयी और उसी के ऊपर सड़क बना दी गयी। हालत यह है कि मिट्टी का ठीक प्रकार से भराव ने किए जाने के परिणामस्वरूप अगर उसके ऊपर कोई भी गाड़ी चलती है, तो सड़क बैठ जाती है। पूरे शहर के अंदर गढ्ढे खोदकर सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। जिसमें जो स्टेक-होल्डर्स हैं, वे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं एवं अन्य लोग भी हैं, जिनकी कभी मीटिंग नहीं हुई और इस कारण एक प्रकार से मनमर्जी करते हुए अधिकारियों ने इस योजना में बहुत घोटाना किया है, जिसके कारण शहर को लाभ होने के स्थान पर नुकसान होने की आशंका है। मार्च, 2012 तक इस योजना के पूरा होना था, वर्ष 2012 अन्त होने वाला है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार सम्पूर्ण योजना की जांच कराएं। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें हैं जिनकी सीबीआई से जांच कराई जाए। इतना ही मुझे आपके निवेदन करना है।

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। 22 नवम्बर 2012 को एक साधारण दुर्घटना में मेरे लोक सभा क्षेत्र रीवा के एक

युवा तेज प्रताप सिंह के ऊपर रीवा संभाग के आईजी श्री गांजीराम मीणा के दबाव पर सिविल लाइन रीवा थाने में गांजा का जबरन झूठा मुकदमा दायर करके नारकॉटिक्स एक्ट लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। घटना 22 नवम्बर 2012 की है। सुबह दस बजे तेज प्रताप सिंह आई जी के बंगले के सामने से गुजर रहे थे तभी दो मोटरसाइकिल सवाल उनसे टकरा गये। उनमें से एक जो आईजी मीणा जी के घर में रहने वाला सिपाही था और दूसरा पशु चिकित्सालय में एक कम्पाउंडर था। तभी यह युवा इनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसी समय आईजी श्री मीणा बाहर निकले और तेज प्रताप सिंह पर गाली गलौच करते हुए पुलिस बुलाते हुए पद का दुरूपयोग करते हुए यह कहकर उनको जेल भेजवा दिया कि इसके ऊपर ऐसा गांजा चरस का मुकदमा लगाओ कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और गांजा रखने के जुर्म में फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया तथा छोड़ने की शर्त पर आईजी श्रीमीणा ने इनके पिता शैलेन्द्र भानसिंह जो हार्ट के मरीज हैं, उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाग के सबसे बड़े पद को अलंकृतकरता है जिनका कार्यक्षेत्र जनता के साथ बड़ी ही पारदिर्शता का होता है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण प्रापत होने के कारण नियम कायदों की तोड़कर डाकुओं का फर्जी एनकाउंटर व हत्या कराना, गलत मुकदमों में फंसाकर जेल भेजना आए दि की इनकी ये घटना है। श्री मीणा के विरुद्ध वर्तमान समय में पत्राचार के माध्यम से मैंने इनके कारनामों को उजागर किया है जो भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक विचाराधीन हैं और आज उजागर करने से माननीय सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जो मैंने सदन में यह बात उजागर की है, मुझे डर है कि मुझ पर भी या मेरे परिवार और मेरे लोगों पर भी ये मीणा साहब नॉरकोटिक्स एक्ट लगा सकते हैं क्योंकि इनको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अविलम्ब कार्रवाई की मांग करता हूं जिससे रीवा संसदीय क्षेत्र के जनमानस को राहत मिल सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राजस्थान से बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बीकानेर के आसपास श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु नागौर जिले की सीमाएं लगती हैं लेकिन बीकानेर में इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग कार्मिक चयन का सेंटर नहीं होने से अभ्यार्थियों को जयपुर, जोधपुर व अन्य स्थानों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है जिससे बेरोजगार युवाओं पर दोहरी मार पड़ती है।

एक तरफ तो बेरोजगारी है और दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा हैं, उनको 300 कि.मी., 400 किमी. दूर परीक्षा केन्द्र में जाना पड़ता है जो ठीक नहीं है। हमारा रेगिस्तानी इलाका है और उसमें एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए किराया भाड़ा भी बहुत लगता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि बीकानेर जब गेज परिवर्तन के कारण ब्रॉडगेज से जुड़ा हुआ नहीं था तो कनैक्टिविटी कम थी। अब गेज परिवर्तन के कारण कनैक्टिविटी बढ़ गई है और सभी शहरों से अच्छी कनैक्टिविटी हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से एक मांग करना चाहता हूं कि सरकार ऐसा पॉलिसी क्यों नहीं बना देती कि जनसंख्या के अनुसार 5 लाख का शहर 4 लाख का शहर 6 लाख का नगर होगा। उसमें ऑटोमैथ्टकली जितनी भी बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं, उनका सेंटर हो जाए। बैंकिंग परीक्षा के लिए हमें क्यों डिमांड करनी पड़े? क्यों हमें कहना पड़े कि इसका सेंटर खोला जाए क्योंकि आपके सेंटर का जो मैनेजमेंट है, वह तो जिला प्रशासन को करना पड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं को करना पड़ता है। इसमें मंत्रालय का क्या लगता है? हम डिमांड भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेंटर नहीं खोल रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग की कार्मिक चयन की परीक्षा के लिए बीकानेर में सेंटर खुलवाने की व्यवसथा करें जिससे प्रतिवर्ष हजारों छात्र/छात्राएं जो कि बैंकिंग परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें राहत मिल सके क्योंकि बीकानेर बैंकिंग कोचिंग का भी अच्छा सेंटर हो गया हैं मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जहां जहां भी कोचिंग के यानी परीक्षाओं के जो अच्छे सेंटर हैं, चाहे बैंकिंग के हों या और कोई हों, उसके परीक्षा के केन्द्र शहरों में होने चाहिए और एक नीति बननी चाहिए कि 5 लाख से ऊपर के जो भी कस्बे, शहर इस देश में हैं, उनमें परीक्षा का कोई न कोई केन्द्र होगा ताकि इससे बेरोजगार युवाओं को अनावश्यक इधर उधर भटकना नहीं पड़े।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

एक आदिवासी एवं दलित बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के निवासी जीवनयापन हेतु कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करते हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र आजादी के 65 साल के लंबे अंतराल के बाद भी रेलवे के विकास की दृष्टि से देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। आज भी यहां से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जाने के लिए कोई रेल सेवा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर वर्ष रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की घोषणा की जाती है। मेरे द्वारा सदन में अपने क्षेत्र में रेलवे के विकास का मुद्दा उठाने तथा अनेक बार माननीय रेल मंत्रियों का इस संबंध में प्रतिवेदन देने के बाद भी एक भी जायज मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। यह 25 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय तथा क्रूर मजाक है। अभी तक के सभी रेल मंत्रियों ने सिर्फ अपने क्षेत्र में ही रेल विकास पर ध्यान दिया है। वे हमारे क्षेत्र जैसे देश के दूरस्थ पिछड़े क्षेत्र की तरफ भूले बिसरे ही बने रहे हैं। आज तक किसी रेल मंत्री ने यहां की सुध नहीं ली है। मेरे क्षेत्र में मोडासा रेल लाइन पर चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है जो आज के युग में मालगाड़ी और ट्रैक्टर से बेहतर नहीं है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे गुड्स का एक भी रेक प्वाइंट नहीं हैं इस वजह से क्षेत्र के किसानों को उर्वरक तथा अन्य कृषि संबंधी उपकरणों के लिए गंभीर दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। एक विशाल क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी मैं रेलवे के विकास की बात कहता हूं तो रेल मंत्रालय अधिकारियों द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि वहां रेलवे को फायदा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विलंबित रेल परियोजनाओं की वजह से तथा अन्य इसी तरह के कारणों से रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा निवेदन है कि देश में लोक सेवा की भावना से रेलवे का परिचालन होना चाहिए न कि लाभ हानि के नजरिए से होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकभावना का स्थान सर्वोपरि है। मेरा कहना है कि कुछ असंवेदनशील और अदूरदर्शी रेल अधिकारी विकास की रेखा से जोड़ने वाली रेल को अपनी निजी जागीर न समझकर लोकभावना के अनुरूप कार्य करेंट अगर मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे का विकास न होने से क्षुब्ध जनता की मांग पर मुझे जन आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा, तो इसके लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार होगा। मैं आज एक बार फिर इस सदन में रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहां तत्काल रेलवे गुड्स रेक प्वाइंट की स्थापना की जाए जो भले ही अस्थायी स्वरूप में हो, इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ मोडासा से मुंबई के लिए नई रेलगाड़ी का प्रावधान किया जाए या कनेक्टिविटी की जाए। अगर नई लाइन नहीं मिल सके तो कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि पूरे क्षेत्र में सम्यक विकास तत्काल शुरू किया जाए।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : धन्यवाद सभापति महोदय, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में नकली दवाओं को कारोबार 20 से 25 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले दिनों एसोचैम की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत और कानूनी लचर ढर्रे की वजह से इस जानलेवा कारोबार पर अंकुश लगने के बजाय तेजी से फलफूल रहा है। यहां बिकने वाली कुल दवाओं में से करीब 25 प्रतिशत नकली होती है। मगर पैकेजिंग और लेबलिंग की नकल बड़ी सफाई रसे किए जाने के कारण आम जनता तो दूर डाक्टर भी आसानी से नकली असली की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसकी पहचान के लिए दवाओं के सैम्पल की लैब्रोटरी जांच कराई जाए। नकली दवाओं के कारण कई बार डाक्टरों से भी भरोसा उठ जाता है और दूसरी तरफ डाक्टर भी यह सोचकर हैरानी में पड़ जाते हैं कि सब कुछ सही तरीके से करने के बावजूद भी मरीज ठीक क्यों नहीं होता है। दवाओं के सैम्पल की जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। यह देश स्तर पर होना चाहिए ताकि नकली दवा माफिया पर अंकुशल लगाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैंने जिस मुद्दे की सूचना दी है उस पर बोलने से पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि अत्यावश्यक महत्व के मामलों के दौरान उन सूचनाओं पर विचार किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की हों, राष्ट्रीय महत्व की हों, इसके बाद उन पर विचार किया जाता है जो राज्य हित की हों और उसके बाद उन पर जो निर्वाचन क्षेत्र के हित की हों। लेकिन मुझे दुख के साथ इसका उल्लेख करना है, मैं रिकार्ड से यह कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष इस मुद्दे को देखेंगे और संसदीय कार्य मंत्री भी इस मुद्दे पर ध्यान देंगे कि निर्वाचन क्षेत्र के अनेक मुद्दे लिये गये थे।

सभापति महोदय : आप अपना मामला उठायें। मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं आप बतायें, यह निर्णय लेना अध्यक्षपीठ पर निर्भर है। कि अनुमति देनी है या नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब : यह राष्ट्रीय महत्व का है और यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला हैं मैं चाहता हूं कि सभा इस पर प्रतिक्रिया दे।

कराची में एक बिल्डर द्वारा एक शताब्दी पुराना हिन्दू मंदिर इसके बावजूद जल्दबाजी में ध्वस्त कर दिया गया कि पाकिस्तान के न्यायालय में इस प्रकार के कार्य पर 'स्थगन आदेश' की मांग करने वाली सुनवाई याचिका विचाराधीन थी। कराची के सोल्जर बाजार में विभाजन पूर्व के श्री रामपीर मंदिर को गिराने के अलावा बिल्डर ने गत शनिवार को इसके नजदीक के अनेक मकानों को भी ध्वस्त कर दिया था। लगभग 40 लोग, जिसमें से बहुमत हिन्दुओं का है, बेघर हो गये हैं। यह बात पाकिस्तान की मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है फिर भी प्राधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

पीड़ित परिवारों ने बताया है कि मंदिर को ढहाए जाने के दौरान क्षेत्र को पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों जिन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स कहा जाता है द्वारा घेर लिया गया था।

इस मंदिर को ढहाए जाने से क्रोधित हिन्दुओं ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार उनकी भारत जाने के लिए टिकटों की व्यवस्था करें "यदि आप हमें नहीं चाहते हैं तो हम भारत चले जाएंगे" यही उन्होंने कहा है। यह एक विभाजन-पूर्व का मंदिर है जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। सिंध उच्च न्यायालय ने इस महीने की 7 तारीख तक स्थगन-आदेश दिया है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह कहा है कि सेना भूमि और छावनी निदेशक ने बताया है कि मंदिर निष्क्रान्त व्यक्तियों की मिल्कियत है। एक कनाडा में रहने वाले इस्लाम के प्रचारक तारेक फतह ने भी यह बताया कि "वहां एक मंदिर था।" उसने एक ट्विटर में कहा है: "मैं उस क्षेत्र में स्थित विद्यालय में जताया। मुझे मालूम है कि वहां एक मंदिर हैं।" इससे फिर से पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं में डर बैठ गया।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हिन्दु मंदिरों की पुनर्स्थापना तथा उस देश में अल्पसंख्यक हिन्दु समुदाय को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालें। मैं माननीय मंत्री से इसका संज्ञान लेने के लिए भी अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय : श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने के लिए श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा श्री चंद्रकांत खैरे की अनुमति दी जाती है।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : धन्यवाद, महोदय। मैं भारत में एलआईसी एजेंटों के गंभीर मुद्दों तथा शिकायतों के संबंध में मंत्री तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। समूचे देश में लगभग 12.56 लाख एजेंट है। हजारों एजेंट ने दिल्ली में संसद तक कूच किया और अपना अभ्यावेदन सरकार को प्रस्तुत किया। एलआईसी अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है तथा लोगों के बहुत अधिक सहयोग के कारण यह सफल होती है और यह सहयोग जमीनी स्तर से जुड़े लाखों एजेंटों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से होता है। एलआईसी अपने एजेंटों की मेहनत के बिना अपना व्यवसाय नहीं चला सकती। परंतु वे स्थायी कर्मचारी नही है तथा उन्हें अन्य लाभ भी नहीं मिलते हैं। यद्यपि वे दूसरे लोगों का जीवन सुरक्षित करते है किंतु उनका अपना जीवन सुनिश्चित नहीं है। अत:, भारत सरकार तथा एलआईसी के प्रबंधन द्वारा उन्हें अपेक्षित लाभ देकर इस जिम्मेदारी को उठाया जाना चाहिए।

महोदय, उन्होंने न्यू इंश्योरेंस (एमेंडमेंड) बिल को वापस लेने की मांग की है। उन्हें पीएफ, पेंशन तथा बीमा लाभ देने के लिए प्रबंधन और सरकार को विचार करना चाहिए। डायरेक्ट मार्केटिंग सेल्स एक्सेक्यूटिव के लिए प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार ने 1972 एलआईसी अधिनियम में संशोधन किए है तथा इन संशोधनों ने एलआईसी एजेंटो को मिलने वाले अनेक लाभों जिन्हें पहले सुनिश्चित किया गया है, को कम दिया है। वांच लिस्टेड एजेंट्स को रद्द करने के भारत सरकार के सुझाव को भी वापस लिया जाना चाहिए। एजेंटो में अच्छी खासी संख्या महिलाएं भी हैं तथा भारत में सामान्य तौर पर एलआईसी एजेंट एलआईसी की रीढ़ की हड्डी बन चुकें हैं और लाखों परिवार उन पर निर्भर हैं, अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार तथा आवश्यक कार्रवाई करें।

सभापति महोदय : श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने के लिए श्री एस.एस. रामासुब्बू को अनुमति दी जाती है।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को उठाना चाहूंगा जिसका सामना हम तमिलनाडु में कर रहें है।

आजकल, तमिलनाडु में हम बहुत भारी बिजली कटौती का सामना कर रहें हैं तथा 18 घंटों से भी अधिक समय तक हमें बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है। बिजली की कमी के कारण तमिलनाडु के लोग परेशानी झेल रहे हैं। इस बिजली कटौती के कारण हमारे राज्य के सभी जिलों में लगभग सभी उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु में अधिकांश लघु-स्तर के उद्योग अब बंद हो गए हैं। अब हमारे राज्य में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी है। उनके पास कोई रोजगार अवसर नहीं हैं। वे अब भूखे मर रहें हैं।

अनेक समस्याएं भी हैं। कृषक लोग फसलें पैदा करने में हिचकिचा रहें हैं क्योंकि उनके पंप सैटों को बिजली मिल पाना संभव नहीं है। हमारे राज्य की यह मौजूदा स्थिति है ...*(व्यवधान)*

श्री ओ.एस. मणियन (मईलादुतुरई) : भारत सरकार तमिलनाडु को बिजली प्रदान नहीं कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. रामासुब्बू : मैं तो सिर्फ वास्तविकता बता रहा हूं। मैं केन्द्र सरकार से भी जवाब मांग रहा हूं।

महोदया, वास्तव में हमारे सामने बहुत बड़ी एक समस्या है। दक्षिणी क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड परस्पर से नहीं जोड़ा गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभापति महोदय, आप और तमिलनाडु के सदस्य भी यह जानते हैं कि देश के अन्य कोई भी राज्य इस प्रकार की स्थिति में नहीं है तथा हमारा राज्य बहुत ही गंभीर रूप से बिजली की कमी का सामना कर रहा है। दक्षिणी क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से परस्पर नहीं जोड़ा गया है। बिजली बेचने और खरीदने के लिए एक राज्य की भौगोलिक स्थिति आड़े नहीं आनी चाहिए।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है। मैं यहां दोबारा दोहरा रहा हूं। तमिलनाडु राज्य को 18,000 मेगावाट की आवश्यकता है तथा केवल तभी हमारे उद्योग चल सकते हैं और हमारे लोगों को बिजली दे सकते हैं। समाज के सभी वर्गों को हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तमिलनाडु में अब केवल 8,500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। अत:, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें और अधिक बिजली की आवश्यकता है। हमारे राज्य को 4,500 मेगावाट बिजली की तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा, स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा।

मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे जिले में डेंगु समस्या के दौरान मैंने इस समस्या को यहां उठाया था और उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्री से लोगों की सभी समस्याओं का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने के लिए कहा था। केन्द्रीय दल यहां पहुंचा और सभी समस्याओं का पता लगाया तथा उस समय मेरे जिले में डेंगु की समस्या का निवारण हो गया था।

इसी तरह, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है तथा वह बिजली की कमी के संबंध में मौजूदा भयानक स्थिति का पता लगाने के लिए तमिलनाडु में एक केन्द्रीय दल को भेजे।

यह एक भयानक स्थिति है। तमिलनाडु के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से इस समस्या का समाधान करने के लिए अनुरोध करूंगा। स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल तमिलनाडु में शीघ्र ही भेजा जाना चाहिए तथा तमिलनाडु को और अधिक बिजली भी दी जानी चाहिए।

तमिलनाडु से एक संसद सदस्य के रूप में तथा तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं केन्द्र सरकार से ओर अधिक बिजली देने के लिए अनुरोध कर रहा हूं?

कुडानकुलम परियोजना का उद्‌घाटन शीघ्र किया जाना चाहिए तथा तमिलनाडु को और अधिक बिजली दी जानी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान किया जाना चाहिए तथा महोदय, मैं आपके माध्यम से इसे केन्द्र सरकार के ध्यानार्थ लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश की आदिवासी कीर जाति, जो हमारे यहां कीह महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति है के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं। यह जनजाति होशंगाबाद, नरसिंहपुर और नर्मदा के तट बहुसंख्यक समाज के तौर पर रहती है।

सन् 2003 में तत्कालीन भाजपा लेड केन्द्रीय सरकार ने कीर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूचि से हटा दिया था। की जाति का इतिहास पूर्णतया आदिवासी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज भी इनका जीवन निर्वाह सुदूर जंगलों और नर्मदा के किनारे गांवों में होता है। जिसके कारण शिक्षा का अीााव एवं समाज की मुख्य धारा से यह कीर जाति कटी हुई है। तत्कालीन केन्द्र सरकार ने बिना राज्य सरकार के परामर्श एवं अनुशंसा के जो निर्णय लिया था, वह असंवैधानिक निर्णय था। पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के निर्देशन में करवाये गये सर्वेक्षण और अध्ययन में कीर जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में रखने की अनुशंसा की गयी थी। साथ ही दिनांक 28 फरवरी, 2003 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की विधानसभा में इस संबंध में अशासकीय संकल्प पारित किया था, जिसमें सदन में यह सहमति व्यक्त की थी कि कीर जाति को दोबारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और इस तरह का एक नोट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा था

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं कि कीर जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जिससे इस वर्ग को शिक्षा और दूसरे जो लाभ उन्हें समाज में मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहे हैं, दोबारा कीर जाति को मिल सकें, कीर जाति का उत्थान हो सके। यह मैं आपके माध्यम से इस सदन में आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से श्री नारायण सिंह अमलाबे भी संबद्ध हो रहे हैं।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, धर्मापुरी में एक रक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एक पहल की गई थी। इस प्रयोजनार्थ, धर्मापुरी तालुक तथा जिले के नेक्कुंठी गांव में 817.56 एकड़ सरकारी भूमि तथा 11.76 एकड़ निजी भूमि को चिन्हित किया गया है। 25 सितम्बर, 2010 को डीआरडीओ के अधिकारियों के एक दल ने धर्मापुरी में उक्त स्थल का निरीक्षण भी किया था।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक डीआरडीओ अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए डीआरडीओ को सभी आवश्यक जानकारी दे दी गई है।

मुझे माननीय रक्षा मंत्री के दिनांक 30 अगस्त, 2012 के उनके पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि भूमि अधिग्रहण हेतु सरकार ने मंजूरी दे दी है।

औद्योगिक रूप से धर्मापुरी तमिलनाडु राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यह पहल इस पिछड़े जिले में लगभग 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक सुनहरा मौका देने के लिए की गई थी।

अतः, मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह बिना किसी विलंब के धर्मापुरी में इस दीर्घकालिक डीआरडीओ अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के कार्य को आरंभ करने के लिए डीआरडीओ को निदेश दे ताकि औद्योगिक रूप से पिछड़े इस जिले के लोगों को रोजगार मिल सके और वे तमिलनाडु के इस पिछड़े जिले को एक प्रगतिशील जिले में बदल सके।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तराखंड से आता हूं और वहां की जनता ने वादा झंगोरा खायेंगे, उत्तराखंड बनायेंगे, बड़े संघर्ष के साथ, बड़ी कुर्बानी देकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान नवगठित शिशु राज्य उत्तराखंड के गैरसेण में बनने वाले विधानसभा भवन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वतीय लोगों की जनभावना एवं आकांक्षाओं से इस राज्य का निर्माण हुआ और अब वहां की सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र गैरसेण में अन्य राज्यों की भांति एक सत्र गैरसेण में आहूत करने का निर्णय लिया है। मैं केन्द्र सरकार की सराहना करता हूं कि जिन्होंने राज्य की विधानसभा निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा भवन के साथ-साथ वहां एक लघु सचिवालय, मंत्रियों तथा विधायकों के आवास तथा सचिवों के आवास का भी निर्माण करना होगा। इसके लिए लगभग पचास करोड़ की अतिरिक्त सहायता केन्द्र सरकार और करे जिससे राज्य की जनता की भावना को दृष्टिगत रखते

[श्री सतपाल महाराज]

हुए वहां शीघ्र ही विधानसभा भवन के साथ-साथ लघु सचिवालय एवं आवासों का निर्माण कर एक सत्र आहूत हो सके।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य में लघु सचिवालय तथा आवास के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार को पचास करोड़ रुपए की सहायता शीघ्र प्रदान करे।

[अनुवाद]

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण) : सभापति महोदया, तमिलनाडु में सत्ता ग्रहण करने के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री डॉ. अम्मा ने राज्य द्वारा सामना की जा रही बिजली की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न पहलें की थीं। जिसमें से एक कुडानकुलम न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के परिचालन की पहल है। हमें खुशी है कि ईंधन डाल दिया गया था। बहुत जल्द यह बड़े पैमाने पर सक्रिय हो जाएगा और इसकी पहलू यूनिट से लगभग 1,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

कुछ समय से तमिलनाडु के लोग बहुत बिजली की भयानक कमी का सामना कर रहे हैं। बिजली की कमी के चलते औद्योगिक गतिविधियों में एक ठहराव आ गया है। हमारे मुख्यमंत्री समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय पूल से 1000 मेगावाट बिजली के आवंटन के लिए केन्द्र से अनुरोध कर रहे हैं। परंतु केन्द्र ने मात्र 100 मेगावाट का आवंटन किया है जिसमें से केवल 78 मेगावाट ही विभिन्न कारणों की वजह से तमिलनाडु राज्य को उपलब्ध कराया गया है।

तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री राज्य की बिजली की समस्या से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सहित संबंधित प्राधिकरणों को कुडानकुलम पॉवर प्लांट से मिलने वाली सम्पूर्ण बिजली के आवंटन का अनुरोध करते हुए उन्हें कई पत्र लिख रही है।

अतः, मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए कुडानकुलम पॉवर प्लांट की पहली यूनिट से मिलने वाली सम्पूर्ण ऊर्जा का आवंटन करे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली सरकार द्वारा वापस की गई 1721 मेगावाट की बिजली का पुनः आवंटन करे तथा एक प्रथक गलियारे को सुकर बनाकर इसे तमिलनाडु राज्य को उपलब्ध करवाएं। इससे तमिलनाडु के लोगों तथा विभिन्न लोगों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : माननीय सभापति महोदय, इस 'शून्य काल' में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महाराष्ट्र राज्य से कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड की विशेष मांग है। इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा पत्र सं. सीएमएस/एफएस/260/10(2)/पीडी-22 दिनांक 21 अप्रैल 1989 के माध्यम से भेजा गया है। विगत कई वर्षों से यह गृह मंत्रालय में लंबित पड़ा हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने पुनः सरकार को इसका स्मरण कराया है। मामलों को दिनांक 19 दिसंबर 2011 को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। अतः, माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड के गठन के लिए अनुच्छेद 371(2) (क) में एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए, कृपया इस अनुरोध को स्वीकार करें।

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अक्सर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं हमारे संघ सरकार का ध्यान उन भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी जो 10 अक्टूबर 2012 से ईरान के किश द्वीप में ईरानी तटरक्षकों की कैद में है। यद्यपि मामले के संबंध में पहले ही संबंधित मंत्रालय को पत्र द्वारा सूचित किया गया है। फिर भी मछुआरों को छोड़ा नही गया है। भारतीय दूतावास वाणिज्य दूतावासों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। परंतु, आज तक, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश नजरबंद मछुआरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूतावास से संपर्क करने में सफल नहीं हुआ है। 10 अक्तूबर, 2012 को कतर में काम करने वाले तथा उसके जल सीमा क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले 29 भारतीय मछुआरों तथा दुबई में काम करने वाले तथा उसके जल सीमा क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले 27 भारतीय मछुआरों को ईरान की सीमा में घुसने के कारण ईरानी तटरक्षकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी मछुआरों को ईरान के किश द्वीप में 50 से भी अधिक दिनों तक बिना

समुचित आहार, जल और दवाईयों के कैद कर रखा था। उनमें से 46 मछुआरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है तथा 10 मछुआरे केरल में त्रिवेन्द्रम से है।

उन मछुआरों ने खराब मौसम के कारण सीमा क्षेत्र को पार कर लिया था तथा वे जानबूझकर ईरान की जल सीमा में नहीं घुसे थे। खराब आर्थिक स्थिति वाले उपरोक्त भारतीय मछुआरे बड़ी आशाओं के साथ खाड़ी देशों में गए थे। परंतु भाग्य ने उनकी स्थिति दयनीय बना दी। यह बताया जाता है कि हमारे मछुआरों को छोड़ने की एवज में ईरानी प्राधिकरणों ने अक्तूबर 2010 से दो वर्ष तक लक्षद्वीप में नजरबंद किए गए चार ईरानी नाविकों को छोड़ने का अनुरोध किया था। ईरान में भारतीय दूतावास ने मुझे सूचित किया है कि मछुआरों के 13 और 11 के दो समूहों को छोड़ दिया गया था परंतु मछुआरों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हमारी सरकार को ईरानी नाविकों के मामले की ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे सभी मछुआरों को ईरान से छोड़ा जा सके।

गिरफ्तार किए गए मछुआरों का परिवार पूर्णरूप से उनकी आय पर निर्भर है। चूंकि मछुआरे कैद में हैं उनके परिवारों के लिए 10 अक्तूबर 2012 को उनकी गिरफ्तारी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पूरा परिवार कैद किए गए मछुआरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

महोदय, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप तथा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती हूं ताकि ईरान से भारतीय मछुआरों को छुड़ाया जा सके तथा उन्हें स्वदेश भेजा जा सके।

सभापति महोदय : श्रीमती जे. हेलन डेविडसन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने के लिए श्री आर. थामराईसेलवन को अनुमति दी जाती है।

सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6:35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 दिसंबर, 2012/ 14 अग्रहायण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री महेन्द्र कुमार राय श्री बसुदेव आचार्य	141
2.	श्री बंस गोपाल चौधरी श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	142
3.	श्री एस. अलागिरी श्री राधे मोहन सिंह	143
4.	श्री मोहम्मद असरारूल हक	144
5.	श्रीमती भावना पाटील गवली श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	145
6.	श्री प्रदीप माझी श्री पी.टी. थामस	146
7.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे श्री नारनभाई कछाड़िया	147
8.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला कुमारी सरोज पाण्डेय	148
9.	श्री सुदर्शन भगत श्री नीरज शेखर	149
10.	श्री यशवीर सिंह	150
11.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर श्री आधि शंकर	151
12.	श्री अवतार सिंह भडाना	152
13.	श्री पोन्नम प्रभाकर श्री रायापति सांबासिवा राव	153
14.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	154
15.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री भूपेन्द्र सिंह	155
16.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर श्री दिनेश चन्द्र यादव	156
17.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	157
18.	श्री उदय सिंह श्री डी.बी. चन्द्र गौडा	158
19.	श्री सुरेश अंगडी श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	159
20.	श्री अर्जन राम मेघवाल श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	1643
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1632, 1760, 1770

1	2	3
3.	श्री बसुदेव आचार्य	1702
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1677, 1735, 1757 1760, 1825
5.	श्री आधि शंकर	1679, 1786, 1824
6.	श्री आनंदराव अडसुल	1677, 1710, 1735, 1757, 1760
7.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1685, 1722, 1762, 1771, 1779
8.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1655, 1803, 1810, 1821
9.	श्री हंसराज गं. अहीर	1773, 1803
10.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1664
11.	श्री एम. आनंदन	1826
12.	श्री अनंत कुमार	1738
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1725
14.	श्री सुरेश अंगड़ी	1826
15.	श्री घनश्याम अनुरागी	1754
16.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1720
17.	श्री कीर्ति आजाद	1683, 1715, 1729, 1771
18.	श्री गजानन ध. बाबर	1677, 1710, 1757, 1760, 1761
19.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1732, 1760, 1762, 1788
20.	श्री रमेश बैस	1711
21.	श्री कामेश्वर बैठा	1685, 1824
22.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1700
23.	डॉ. बलीराम	1773
24.	श्री पुलीन बिहारी बसाके	1773

1	2	3
25.	श्री सुदर्शन भगत	1656, 1760
26.	श्री ताराचन्द भगोरा	1703, 1741
27.	श्री संजय भोई	1677, 1684, 1758, 1766, 1823
28.	श्री समीर भुजबल	1652,1685
29.	श्री पी.के. बिजू	1760
30.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1677
31.	श्री हेमानंद बिसवाल	1726,1838
32.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1720, 1727, 1772
33.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	1728
34.	श्री सी. शिवासामी	1625, 1677
35.	श्री हरीश चौधरी	1690, 1753, 1764, 1765, 1827
36.	श्री जयंत चौधरी	1661, 1718, 1757
37.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	1720
38.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1659, 1774, 1775, 1776, 1811
39.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	1637, 1720
40.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1654,1729,1764, 1765, 1809
41.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1677, 1684, 1766, 1767
42.	श्री निखिल कुमार चौधरी	1743
43.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1611, 1630, 1816, 1821
44.	श्री भक्त चरण दास	1679, 1692, 1693
45.	श्री खगेन दास	1821
46.	श्री राम सुन्दर दास	1830

1	2	3
47.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1691
48.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1733
49.	श्रीमती रमा देवी	1727
50.	श्री के.पी. धनपालन	1621
51.	श्री संजय धोत्रे	1679, 1719
52.	श्री आर. ध्रुवरानायण	1617, 1779, 1791, 1824
53.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1651, 1729, 1797, 1806
54.	डॉ. रामचन्द्र डोम	1702
55.	श्री निशिकांत दुबे	1690, 1694, 1769, 1770, 1840
56.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1752, 1760
57.	श्रीमती प्रिया दत्त	1729
58.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1757, 1758, 1759, 1823
59.	श्रीमती मेनका गांधी	1736, 1831
60.	श्री वरुण गांधी	1672, 1824
61.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1677, 1757, 1759, 1767
62.	श्री एल. राजगोपाल	1630
63.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1679, 1695
64.	शेख. सेदुल हक	1692
65.	श्री महेश्वर हजारी	1623, 1668
66.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	1686
67.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1662, 1678, 1814
68.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1678, 1764, 1787, 1827

1	2	3
69.	श्री बलीराम जाधव	1679, 1760
70.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	1696, 1751, 1771, 1837
71.	डॉ. संजय जायसवाल	1753
72.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1628, 1790
73.	श्री महेश जोशी	1744, 1770
74.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1725, 1824
75.	श्री प्रहलाद जोशी	1646
76.	श्री सुरेश कलमाडी	1714, 1762
77.	श्री पी. करुणाकरन	1702, 1748
78.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1689, 1830
79.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1656
80.	श्री राम सिंह कस्वां	1638
81.	श्री नलिन कुमार कटील	1619
82.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1680, 1829
83.	श्री चंद्रकांत खैरे	1701, 1750
84.	श्री मधु कोड़ा	1775
85.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1753, 1754, 1831
86.	श्री विश्व मोहन कुमार	1699, 1718, 1721, 1778
87.	श्री अजय कुमार	1682, 1753, 1762, 1832
88.	श्री पी. कुमार	1704, 1733, 1832
89.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	16727, 1789
90.	श्री यशवंत लागुरी	1750, 1790

1	2	3
91.	श्री पी. लिंगम	1691
92.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1729
93.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1774, 1824
94.	श्री सतपाल महाराज	1746
95.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1680, 1829
96.	श्री नरहरि महतो	1633, 1755
97.	श्री भर्तृहरि महताब	1739, 1773
98.	श्री प्रदीप माझी	1687, 1747, 1820, 1837
99.	श्री मंगली लाल मंडल	1760
100.	श्री जोस के. मणि	1702, 1705, 1773
101.	श्री हरि मांझी	1771
102.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1703
103.	श्री महाबल मिश्रा	1737
104.	श्री सोमेन मित्रा	1629, 1792
105.	श्री पी.सी. मोहन	1720, 1727, 1774
106.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1673, 1720, 1727, 1824, 1821
107.	श्री विलास मुत्तेमवार	1695, 1771, 1772, 1773
108.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1717, 1738,1762
109.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1669, 1677, 1757
110.	श्री नामा नागेश्वर राव	1691, 1699
111.	श्री इंदर सिंह नामधारी	1742
112.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1729, 1797, 1824

1	2	3
113.	श्री संजय निरुपम	1730, 1763
144.	कुमारी मौसम नूर	1715, 1773, 1777
115.	श्री ओ.एस. मणियन	1645
116.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1657, 1709
117.	श्री पी.आर. नटराजन	1642
118.	श्री वैजयंत पांडा	1671, 1722
119.	श्री प्रबोध पांडा	1756
120.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1706
121.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1644, 1762, 1782
122.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1769
123.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1757, 1758, 1759, 1823
124.	श्री देवजी एम. पटेल	1624, 1760, 1779, 1785
125.	श्री आर.के. सिंह पटेल	1712, 1831
126.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1640, 1679, 1776, 1834
127.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1687, 1747, 1820, 1837
128.	श्री हरिन पाठक	1708
129.	श्री संजय दिना पाटील	1676
130.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1679, 1825, 1828
131.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1752, 1819
132.	श्री सी.आर. पाटिल	1623, 1824
133.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1759
134.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1757, 1758, 1759, 1823

1	2	3
135.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1709, 1773
136.	श्रीमती कमला देवी पटले	1626, 1759, 1788
137.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1702, 1718, 1753
138.	श्री नित्यानंद प्रधान	1635, 1729
139.	श्री प्रेमदास	1718, 1778
140.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1670, 1702
141.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	1619, 1692, 1729, 1779, 1821
142.	श्री अब्दुल रहमान	1620, 1783
143.	श्री प्रेम दास राय	1703, 1749, 1831
144.	श्री सी. राजेन्द्रन	1639, 1686
145.	श्री एम.बी. राजेश	1693, 1781
146.	श्री पूर्णमासी राम	1702, 1745
147.	श्री रामकिशुन	1680
148.	श्री कादिर राणा	1667, 1689, 1712
149.	श्री निलेश नारायण राणे	1649, 1762, 1775, 1805
150.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1617, 1637, 1801, 1821
151.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1679, 1731
152.	श्री रामसिंह राठवा	1629, 1650, 1759, 1760
153.	श्री अशोक कुमार रावत	1740, 1802
154.	श्री विष्णु पद राय	1666
155.	श्री रुद्रमादव राय	1701, 1824
156.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1631, 1710, 1795, 1821

1	2	3
157.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1629, 1694, 1796
158.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1633, 1723, 1755
159.	प्रो. सौगत राय	1613, 1771, 1772
160.	श्री एस. अलागिरी	1750, 1787
161.	श्री एस. सेम्मलई	1724, 1762, 1817, 1828
162.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1636, 1792, 1798, 1838
163.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1707, 1783
164.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1660, 1677, 1715, 1760, 1812
165.	श्री तकाम संजय	1697
166.	श्री तूफानी सरोज	1670
167.	श्री हमदुल्लाह सईद	1614, 1679, 1764, 1779, 1799
168.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1686, 1716
169.	श्री जगदीश शर्मा	1695, 1771, 1772, 1773
170.	श्री नीरज शेखर	1821
171.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1711, 1762, 1821, 1824
172.	श्री राजू शेट्टी	1622
173.	श्री एंटो एंटोनी	1675, 1700
174.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1618, 1760, 1771, 1800, 1839
175.	डॉ. भोला सिंह	1683, 1833
176.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1774, 1784
177.	श्री दुष्यंत सिंह	1698
178.	श्री गणेश सिंह	1665, 1685, 1768, 1815

1	2	3
179.	श्री इज्यराज सिंह	1765
180.	श्री जगदानंद सिंह	1824
181.	श्री मुरारी लाल सिंह	1658, 1658
182.	श्री राधा मोहन सिंह	1757, 1760
183.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1818
184.	श्री राकेश सिंह	1768
185.	श्री रतन सिंह	1715, 1770
186.	श्री रवनीत सिंह	1776
187.	श्री सुशील कुमार सिंह	1663, 1682, 1763, 1835
188.	श्री उदय सिंह	1807
189.	श्री यशवीर सिंह	1821
190.	चौधरी लाल सिंह	1688, 1838
191.	श्री धनंजय सिंह	1681, 1831
192.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1762, 1824, 1835
193.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1628, 1715
194.	श्री उदय प्रताप सिंह	1831
195.	श्री विजय बहादुर सिंह	1720
196.	डॉ. संजय सिंह	1690, 1753
197.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1793
198.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1793, 1773
199.	श्री ई.जी. सुगावनम	1616, 1677, 1729, 1794, 1828
200.	श्री के. सुगुमार	1641

1	2	3
201.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1669, 1677, 1757
202.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1653, 1808
203.	श्री मानिक टैगोर	1615, 1725, 1781
204.	श्री लालजी टन्डन	1673, 1763, 1821, 1824
205.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1756
206.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1718
207.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1656, 1756, 1759, 1817
208.	श्री आर. थामराईसेलवन	1704, 1711, 1817
209.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	1699, 1762, 1773
210.	श्री पी.टी. थॉमस	1830
211.	श्री मनोहर तिरकी	1633, 1686, 1755, 1822
212.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1685, 1836
213.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	1674, 1768, 1839
214.	श्री शिवकुमार उदासी	1760, 1776, 1780, 1821, 1734
215.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1623, 1736
216.	श्री हर्ष वर्धन	1623, 1736
217.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1678, 1727
218.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1644, 1769, 1802
219.	श्री सज्जन वर्मा	1648
220.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1623, 1736
221.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1765, 1771, 1824
222.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1760, 1780, 1821

1	2	3
223.	श्री पी. विश्वनाथन	1647, 1670, 1804
224.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1612, 1777
225.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1677, 1710, 1735, 1760, 1825
226.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1824
227.	श्री ओम प्रकाश यादव	1634
228.	श्री मधु गौड यास्खी	1710, 1735, 1747, 1825

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	144, 149, 153, 157
कोयला	:	150, 155
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	142, 145, 148, 154
संस्कृति	:	147
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	160
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
गृह	:	141, 151, 158
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	143, 159
सूचना और प्रसारण	:	146, 152, 156.
युवा कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1611, 1613, 1616, 1617, 1619, 1622, 1623, 1627, 1631, 1637, 1645, 1651, 1656, 1660, 1668, 1671, 1675, 1679, 1683, 1686, 1688, 1689, 1690, 1692, 1698, 1699, 1705, 1712, 1717, 1720, 1724, 1726, 1730, 1738, 1740, 1745, 1748, 1750, 1751, 1764, 1768, 1775, 1777, 1779, 1785, 1789, 1791, 1793, 1795, 1805, 1808, 1809, 1811, 1814, 1815, 1816, 1821, 1822, 1829, 1830, 1831, 1839, 1840
कोयला	:	1638, 1641, 1648,1659, 1670, 1682, 1701, 1704, 1708, 1709, 1710, 1711, 1716, 1723, 1733, 1742, 1796,1804, 1806, 1832, 1833
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1618, 1620, 1621, 1624, 1636, 1643, 1644, 1652, 1662, 1687, 1693, 1702, 1707, 1718, 1719, 1725, 1727, 1753, 1755, 1758, 1760, 1762, 1784, 1788, 1802, 1818, 1820, 1824, 1826
संस्कृति	:	1612, 1634, 1654, 1657, 1674, 1694, 1746, 1770, 1783, 1794, 1812

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1630, 1649, 1661, 1665, 1700, 1801, 1810
गृह	:	1615, 1625, 1626, 1632, 1635, 1640, 1655, 1658, 1663, 1664, 1666, 1669, 1672, 1673, 1677, 1678, 1680, 1681, 1684, 1695, 1697, 1703, 1713, 1714, 1715, 1728, 1731, 1732, 1735, 1739, 1743, 1744, 1747, 1756, 1757, 1767, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1781, 1782, 1790, 1798, 1799, 1800, 1807, 1817, 1823, 1827, 1834, 1835, 1837
आवास और शहरी गरीबी उपशनम	:	1614, 1639, 1676, 1691, 1729, 1759, 1763, 1825, 1838
सूचना और प्रसारण	:	1628, 1633, 1647, 1650, 1653, 1667, 1706, 1722, 1734, 1737, 1749, 1752, 1754, 1761, 1766, 1778, 1786, 1787, 1792, 1803, 1813, 1819, 1828, 1836
युवा कार्यक्रम और खेल	:	1629, 1642, 1646, 1685, 1696, 1721, 1736, 1741, 1765, 1780, 1797

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/29/8/2012 (एन०)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।